


भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26, 1985 (भाष 6, 1906)
 No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26, 1985 (MAGHA 6, 1906)

इस भाग में सिम्प पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
 [Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 दिसम्बर 1984

सं० ए० 12025/1/84 (1)-प्रशा० 1—केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड “ख” की नियुक्ति के लिए सम्मिलित समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1983 के आधारे पर गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संभार मंत्रालय के संवर्ग में बरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) के रूप में मनोनीत किए जाने के परिणामस्वरूप, देखें उनका का० शा० सं० 7/1/84-सि० से० 11 दिनांक 15 दिसम्बर, 1984, संघ लोक सेवा आयोग के के० स० स्टे० से० संवर्ग में श्री भरत राम प्राणुलिपिक ग्रेड “ख” (बरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) को 21 दिसम्बर, 1984 अपराह्न से सं० लोक से० आ० में कार्यमुक्त कर दिया गया।

एम० पी० जैन
 अवर सचिव (प्रशा०)
 संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1984

सं० 2/14/83 प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयोग में उनकी पदावधि समाप्त होने पर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के

1-426GI/84

कार्यपालक अभियन्ता (सिविल), श्री के० ए० नानकानी, इस आयोग में प्रतिनियुक्ति तकनीकी परीक्षक (सिविल) को 1-1-1985 से 2-3-1985 तक 61 दिन की अर्जित छुट्टी दी जाती है। उन्हें 3-3-1985 रविवार को छुट्टी में जोड़ने की अनुमति दी गई है।

2: छुट्टी की समाप्ति पर श्री के० ए० नानकानी की सेवायें निर्माण महानिदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

कृष्ण लाल मल्होत्रा,
 अवर सचिव
 कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसन्धान एवम् विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110 001, दिनांक दिसम्बर 1984

सं० 3/37/84-प्रशा०-1—राष्ट्रपति महोदय श्री पी० एस० भिडर, आई० पी० एस० (हरियाणा-1958) को पुलिस अनुसन्धान एवम् विकास ब्यूरो में 28 दिसम्बर, 1984 के पूर्वार्द्ध से, 2500-2750 रुपए के वेतनमान में, निदेशक (अनु० एवम् विकास) के पद पर अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस० के० मरिसक
 महानिदेशक

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 1985

सं० एम-4/70-प्रशासन-5—राष्ट्रपति ने श्री एम० के० भारद्वाज को दिनांक 22 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक, वरिष्ठ लोक अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया है।

सं० ए-31016/11/84-प्रशा० 1 (वि० प्रा० समिति)—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यालय अधीक्षक के पद पर मूल रूप से नियुक्त करते हैं —

क्र०	अधिकारी का नाम	तैनाती का वर्तमान स्थान	पद जिस पर के०अ० ब्यूरो में पहले ही स्थायी है	कार्यालय अधीक्षक के पद पर मूल रूप से नियुक्ति की तिथि
	सर्वश्री			
1	शार० एन० पाण्डेय	सा० अ० स्क्रिप्ट, दिल्ली	अपराध सहायक	1-3-84
2	चमारी राम	जोन-5 (मुख्या०)	अपराध सहायक	1-7-84
3	कमलेन्दु बोस	कलकत्ता	अपराध सहायक	1-8-84

शार० एम० प्रशासनिक अधिकारी (स्था०) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० ओ० दो०-2000/84-स्था०—राष्ट्रपति, श्री बी० एल० ब्राह्मरा, मनीपुर-त्रिपुरा सड़क के भारतीय सेवा अधिकारी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उनकी प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2 श्री ब्राह्मरा ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उपमहा-निरीक्षक, चण्डीगढ़ के पद का कार्यभार दिनांक 26-12-84 के पूर्वाह्न में संभाला।

दिनांक 28 दिसम्बर 1984

सं० ओ० दो० 1761/82-स्थापना—महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर (श्रीमती) बूरासा प्रधान को

13 दिसम्बर 1984 पूर्वाह्न में केवल तीन माह के लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनमें जो भी पहले ही उमतारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में सहर्ष नियुक्त किया है।

दिनांक 31 दिसम्बर 1984

सं० ओ० दो० 1811/83-स्थापना—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा नियमावली) 1965 के नियम 5 (1) के अधीन नोटिस की एक माह की अवधि समाप्त होने पर, ग्रुप केन्द्र के० रि० पु० बल, इम्फाल के डाक्टर बिनोद मल्लिक, जी० डी० ओ० ग्रेड-2 की सेवाये सहर्ष समाप्त करते हैं। डा० मल्लिक की दिनांक 23-7-84 को सेवाये समाप्त करने की नोटिस की तामील कर दी गई थी। तदनुसार उनकी सेवाये 22-8-84 अपराह्न में समाप्त कर दी गयी है।

दिनांक 2 जनवरी, 1985

सं० पी० सान-6/84-स्था०—राष्ट्रपति के० रि० पु० बल के निम्नलिखित मैकिन्ड-इन-कमान्ड/सहायक कमांडेंटों को कमांडेंट/सहायक निदेशक के पद पर सहायक बटालियनों के लिए तदर्थ रूप में, इस पद का कार्यभार सम्भालने की तिथि से और दिनांक 31-1-85 तक सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

2. तदनुसार इन्होंने उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख में अपना कार्यभार सम्भाल लिया है —

क्रम	अधिकारी का नाम	कार्यभार संभालने की तारीख
	सर्वश्री	
1	एन० के० विज	3-11-84
2	पी० दामोदरन	4-11-84
3	एम० एम० यादव	3-11-84
	अपराह्न	
4	टी० शार० अरोडा	5-11-84
	अपराह्न	
5	एम० सी० यादव	5-11-84
	अपराह्न	
6	पी० एम० बर्मा	3-11-84
7	वी० पी० मरीन	4-11-84
8	शार० एम० फोगट	3-11-84
9	एल० एन० वैशनऊ	3-11-84
10	एम० सी० मिश्रा	4-11-84
11	महिन्द्र सिंह	4-11-84
12	एम० के० टी० गर्गा	3-11-84
13	एन० पी० गुरग	4-11-84
14	एम० आई० दाम	3-11-84
15	पी० एम० साहरम	7-11-84
16	एन० एम० यादव	4-11-84

दिनांक 4 जनवरी 1985

सं० ओ० दो०-600/69-स्थापना-1—श्री डी० एन० एस० विष्ट, सहायक कमांडेंट 38 बटालियन के० रि० पु० बल की सेवायें दिनांक 17-12-84 (अपराह्न) से औद्योगिक आकस्मिकता महा निदेशालय, अधीनस्थ उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के सहायक निदेशक के पद पर डेप्यूटेशन आधार पर सौंपी जाती है।

सं० घो० दो० 1774/83-स्थापना— महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर सुरेन्द्र कुमार परिमल को 2 दिसम्बर 1984 पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम० अशोक राज
सहायक निदेशक (स्थापना)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 दिसम्बर 1984

सं० ई-32015(4)/194/84-कामिक— राष्ट्रपति, श्री एस० एन० पी० सिन्हा कमांडेंट (तदर्थ) के० ओ० सु० ब० यूनिट, ए० टी० पी० अनपारा को 26 दिसम्बर, 1984 के अपराह्न से सहायक कमांडेंट के मूल रैंक पर प्रत्या-वर्तित करते हैं।

(ह०) अपठनीय
महानिदेशक
के० ओ० सु० बल

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 जनवरी 1985

सं० पी०/एस(252)—प्रशा०I—राष्ट्रपति, दिल्ली में जनगणना कार्य निदेशालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत श्री एम० एल० शर्मा को दिल्ली में तारीख 7 दिसम्बर 1984 को हुई मृत्यु की सख्त घोषणा करते हैं।

सं० 10/4/80-प्रशा०I—विभागीय पदोन्नति समिति को सिफारिश पर राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के श्री आर० एल० पुरी, कंसोल अपरेटर को जो कि सहायक निदेशक (प्रोग्राम) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं उसी कार्यालय में पदोन्नति पर दिनांक 10 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर अस्थायी अवस्था में सहायक निदेशक (प्रोग्राम) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री पुरी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

वी० एस० शर्मा
भारत के महारजिस्ट्रार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय

देवाम (म० प्र०), दिनांक 4 जनवरी 1985

नस्ती सं० बा० एन० पी० सी/5/84—श्री एम० एन० श्रीरंगनाथन, अनुभागीय अधिकारी (प्रशासन) बैंक नोट मुद्रणालय, देवाम को प्रतिभूति कागज कारखाना हांशंगाबाद में प्रतिनियुक्ति पर से लौटने पर बैंक नोट मुद्रणालय, देवाम में दिनांक 23 दिसम्बर 1984 (पूर्वाह्न) से 6 माह के लिए अथवा पद पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पूर्व हो, रुपये 840-40-1000-३० रो०-40-1200 (समूह "ख" राजपत्रित) के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रशासन अधिकारों के पद पर नियुक्त किया जाता है।

इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें पद पर निरन्तर बने रहने अथवा इस पर नियमित आधार पर नियुक्ति का भोगाधिकार नहीं होगा और यह तदर्थ नियुक्ति क्रिमा भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

मु० वै० चार
महाप्रबन्धक

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110066, दिनांक 31 दिसम्बर 1984

शुद्धि पत्र

सं० प्रशा०/II/2603/84—दिनांक 10 मार्च 1984 को भारत के राजपत्र भाग III खड-1 में प्रकाशित इस विभाग की दिनांक 15 फरवरी 1984 की अधिसूचना सं० प्रशा०/II/2603/84 जो स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी लेखा की मूल पदधारी के रूप में लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के बारे में है में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

पृष्ठ सं० 5615 क्र० सं० 2

श्री सुदर्शन सोनी

स्तम्भ 4 में वर्णित दिनांक 1 अप्रैल 1982 के स्थान पर दिनांक 1 जनवरी 1980 पढ़ें।

वी० के० सांडारकर
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा०)

रक्षा मंत्रालय

दिनांक 31 दिसम्बर 1984

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता, दिनांक 26 दिसम्बर 1984

सं० 63/जी/84—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक कार्यशाला प्रबन्धक (परखाबधि) के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख में नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार लेने की तारीख
1	2	3
1.	श्री एस० पी० मिश्रा	30-08-1983
2.	श्री वो० के० सिंह	31-10-1984
3.	श्री एम० जो० बरदे	18-02-1984
4.	श्री सी० बी० शर्मा	08-05-1984
5.	श्री ए० के० अग्रवाल	04-05-1984
6.	श्री ए० के० जन	08-05-1984
7.	श्री एम० एम० के० रामप्रकाश	09-05-1984
8.	श्री उदयनाथ चौधुरी	10-05-1984
9.	श्री के० आर० मूर्ति	11-05-1984
10.	श्री थमिन्दर सिंह	11-05-1984
11.	श्री एस० के० सिंह	23-06-1984
12.	श्री डी० के० तालुकदार	14-07-1984
13.	श्री ए० बी० एम० रामाकृष्णा	19-07-1984
14.	श्री सी० एम० विणवकर्मा	15-09-1984
15.	श्री ए० के० तिवारा	15-09-1984

दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० 64/जी/84—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधिकारियों को अस्थायी सहायक कार्यशाला प्रबन्धक के पद पर उनके सामने दर्शायी गई तारीख में आगामी आदेश न होने तक नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार लेने की तारीख
1.	श्री आर० डी० पाण्डे	09-05-1984
2.	श्री बी० एम० वर्मा	14-06-1984
3.	श्री आर० एम० जोषि	27-06-1984
4.	श्री बी० पी० मैथी	23-08-1984

सं० 61/जी/84—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधिकारियों को महाप्रबन्धक/एडिशनल महाप्रबन्धक/डी० डी० जी० ओ० एक/प्रथम सचिव/ओ० एस० डी० (एस० ए० जी०-लेबल-II में) के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख में नियुक्त करते हैं:—

- श्री जी० चटर्जी, जी० एम० (जे० ए०) 16-11-1984
एस० जी० (में)
- श्री आर० ईश्वरन्, संयुक्त जी० एम० 16-11-1984
- श्री जे० एम० कालरा, 16-11-1984
जी० एम० (जे० ए०) एम० जी० (में)
- श्री बी० एन० पट्टाबीरमन, 16-11-1984
प्रथम सचिव (जे० ए०) एस० जी० (में)
- श्री बी० पालानीपाण्डी, 16-11-1984
जी० एम० (जे० ए०) एस० जी० (में)
- श्री एस० मानावालन 16-11-1984
संयुक्त जी० एम०
- श्री एस० आर० मभापाथी, 16-11-1984
निदेशक
- श्री बी० के० मेहता 16-11-1984
निदेशक
- श्री एम० नारायणस्वामी, 16-11-1984
संयुक्त जी० एम०
- श्री ए० के० नियांगा, 16-11-1984
निदेशक
- श्री टी० एम० स्वामीनाथन् 16-11-1984
सिनीयर उप-निदेशक (जे० ए०)
एस० जी० (में)
- श्री एम० एल० दत्ता 16-11-1984
जी० एम० (जे० ए०) एस० जी० (में)
- श्री के० के० मलिक, जी० एम० 16-11-1984
(जे० ए०) एस० जी० (में)
- श्री एम० पी० शर्मा, 16-11-1984
संयुक्त जी० एम०
- श्री डी० नटराजन, 16-11-1984
संयुक्त जी० एम०
- श्री आर० एन० सिंह 16-11-1984
जी० एम० (जे० ए०) एस० जी० (में)

17. श्री बी० ए० संयुक्त जी० एम०	16-11-1984
18. श्री डी० एस० पी० श्रीवास्तव जी० ए० (जे० ए० एस० जी० (में)	16-11-1984
19. श्री बी० एम० एस० माथुर, जी० एम० (जे० ए० एस० जी० (में)	16-11-1984
20. श्री पी० बासुदेवन, संयुक्त जी० एम०	16-11-1984
21. श्री ए० के० गुहा जी० एम० (जे० ए० एस० जी० (में)	16-11-1984
22. श्री तेजा सिंह, संयुक्त जी० एम०	16-11-1984
23. श्री एस० एस० राव, संयुक्त जी० एम०	16-11-1984

सं० 62/जी/84—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधि-
कारियों को संयुक्त महाप्रबन्धक/निदेशक के पद पर उनके
सामने वर्यायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं—

1. श्री एच० ओ० गुप्ता, डी० जी० एम०	30-10-1984
2. श्री आर० पद्मानाभन डी० जी० एम०	31-10-1984
3. श्री के० पी० सिंह डी० जी० एम०	29-10-1984

बी० के० मेहता
उप महानिदेशक

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम विभाग)

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 1984

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(1)—स्थानांतरण होने पर
श्री के० के० अहलूवालिया ने 30-4-1984 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) देहरादून कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 12-6-1984 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से चिरीमिरी में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(2)—स्थानांतरण होने पर श्री
आर० एल० मोणा ने 2-5-1984 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) शिमला कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 10-5-1984 (अपराह्न) को उसी हैसियत से कोटा में कार्यभार संभाल लिया है।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(3)—स्थानांतरण होने पर
श्री अजय कुमार ने 18-5-1984 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) आसनसोल, कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और छुट्टी इत्यादि बिता कर 11-6-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से मिलांगुडी में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(4)—स्थानांतरण होने पर श्री
आर० पलानोचमो ने 25-5-1984 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) हुबली कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 4-6-1984 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से कोयम्बटूर का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(5)—स्थानांतरण होने पर
श्री सुरज राम ने 31-5-1984 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) कतरासगड़ कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और उसी हैसियत से 11-6-84 (पूर्वाह्न) को कलकत्ता में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(6)—स्थानांतरण होने पर
श्री एम० दिवाकरन ने 31-5-84 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) कोयम्बटूर कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और छुट्टा इत्यादि बिता कर 16-7-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से हुबली में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(7)—सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
के पद पर पदोन्नत होने पर श्री एम० डी० तायदे ने 11-6-84 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) बम्बई कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(8)—उच्च भेणो लिपिक
के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर श्री बी० पाण्डे ने 18-6-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), विजयवाडा कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(9)—स्थानांतरण होने पर
श्री ए० एम० मुखर्जी ने 11-6-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) सिलीगुडी का कार्यभार छोड़ दिया और 21-6-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से खड़गपुर का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(10)—सहायक श्रमायुक्त
(केन्द्रीय) के पद पर पदोन्नत होने पर श्री ए० के० राय ने 19-6-84 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) आसनसोल कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(11)—स्थानांतरण होने पर
श्री आर० बी० तायदे ने 18-6-84 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) पोण्डा कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 29-6-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से बम्बई में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(12)—स्थानांतरण होने पर श्री पी० राजरत्नम ने 16-6-84 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), गुदूर कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 18-6-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से विजयवाड़ा का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(13)—श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर श्री आर० एन० मुले ने 2-7-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) बेलारो कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(14)—श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर श्री आर० बी० वेलूर ने 2-7-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) पोण्डा कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(15)—श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर श्री ए० पी० शर्मा ने 5-7-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), जयपुर कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(16)—मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस संगठन में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाने पर श्री डी० के० घोष ने 5-7-84 (पूर्वाह्न) को गोहाटी में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) अगरतला कैंप का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(17)—मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस संगठन में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाने पर श्री के० एस० मगू ने 13-7-84 (पूर्वाह्न) को हैदराबाद में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) गूदूर कैंप का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(18)—मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस संगठन में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाने पर श्रीमती नैना बख्सी ने 23-7-84 (पूर्वाह्न) को दिल्ली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) आसमसोल कैंप का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(19)—स्थानांतरण होने पर श्री डी० सी० चक्रवर्ती ने 2-7-84 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) रानीगंज कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 16-7-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से उखरा में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(20)—स्थानांतरण होने पर श्री पी० एन० पीके० ने 27-6-84 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), उखरा कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 9-7-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से रानीगंज में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(21)—स्थानांतरण होने पर श्री डी० सी० आ ने 25-7-84 (अपराह्न) को श्रम

प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), जयपुर कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 6-8-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से आसमसोल में कार्यभार संभाल लिया।

सं० 1/4(12)/84(22)—स्थानांतरण होने पर श्री एच० के० जे० परमार ने 4-8-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) अहमदाबाद कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और छुट्टा इत्यादि बिना कर उन्होंने 30-8-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से बवई में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(23)—स्थानांतरण होने पर श्री बा० टी० माल्हे ने 10-8-84 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) गुलवर्गी कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 21-8-84 (अपराह्न) को उसी हैसियत से जबलपुर में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(24)—स्थानांतरण होने पर श्री बी० राघवन ने 27-8-84 (अपराह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) के० जी० एफ० कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 29-8-84 (पूर्वाह्न) को उसी हैसियत से गुलवर्गी में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(25)—श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर श्री डी० सा० पटना ने 4-8-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) अहमदाबाद कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(26)—स्थानांतरण होने पर श्रीमती नैना बख्सी ने 15-9-84 (अपराह्न) को नई दिल्ली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) आसमसोल कैंप का कार्यभार छोड़ दिया और 15-9-84 (अपराह्न) को उसी हैसियत से मुख्य श्रमायुक्त संगठन, नई दिल्ली में कार्यभार संभाल लिया।

एम० एल० मेहता
प्रशासन अधिकारी

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग प्र-I)

नई दिल्ली-1, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० प्र-1/2(542)—महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान, मुख्यालय में कनिष्ठ क्षेत्राधिकारी, सर्व श्री बी० एस० सेन्तीवाल तथा जे० जे० आर० श्रीवास्तव को क्रमशः दिनांक 1 सितम्बर 1984 तथा 4 सितम्बर 1984 के पूर्वाह्न से छः महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित महायुक्त निदेशक पूर्ति (ग्रेड-I) के उपलब्ध होने तक इनमें जो भी पहले हो, एतद् द्वारा पूर्णतः तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक पूर्ति (ग्रेड-I) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 31 दिसम्बर 1984

सं० ए-1/1(1098)—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में स्थायी अधीक्षक तथा स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री ओ० पी० निशावन वाधक्य आयु प्राप्त करने पर 31 दिसम्बर 1984 के अपराह्न में सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये ।

राजवीर सिंह
उप निदेशक (प्रणामन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

(प्रणामन अनुभाग-6)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 दिसम्बर 1984

सं० ए-32013/18/84-ए-6—राष्ट्रपति उप निदेशक, निरीक्षण (अभियांत्रिकी) भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप "अ" के ग्रेड-II (अभियांत्रिकी शाखा) श्री के० एल० गर्ग को दिनांक 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वाह्न में अगले आदेश दिये जाने तक 1500-60-1800-100-2000 रु० के वेतनमान में निदेशक, निरीक्षण भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" के ग्रेड-I के पद पर नियुक्त करते हैं ।

2. निदेशक, निरीक्षण, भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप "ए" के ग्रेड-I के रूप में श्री के० एल० गर्ग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा दायर की गई दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन तीन एल० पी० ए० संख्या 67/83, 68/83 और 69/83 तथा रिट याचिका संख्या 3001/83 और 35/83, जो उप निदेशक, निरीक्षण श्री एस० सी० आनन्द द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और अब दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित की गई है तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है पर अन्तिम निर्णय होने के अधीन होगी ।

3. श्री गर्ग ने उत्तरी निरीक्षण मण्डल, नई दिल्ली में दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्न में उप निदेशक निरीक्षण (अभियांत्रिकी) के पद का कार्य भार छोड़ दिया है और उसी तारीख को निदेशक निरीक्षण, उत्तरी निरीक्षण मण्डल नई दिल्ली के पद को कार्यभार संभाल लिया है ।

दिनांक 28 दिसम्बर 1984

सं० प्र-6/247/610/76 खण्ड-II—राष्ट्रपति, उपनिदेशक निरीक्षण (वस्त्र) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" की वस्त्र शाखा का ग्रेड II) श्री डी० के० नन्दी को 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वाह्न में अगले आदेश दिये जाने तक 1500-60-1800 100-2000 रुपये के वेतनमान में (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड I) निरीक्षण निदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं ।

श्री डी० के० नन्दी की (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड I) निरीक्षण निदेशक के रूप में नियुक्ति, उपनिदेशक निरीक्षण, श्री एस० सी० आनन्द द्वारा बम्बई

उच्च न्यायालय में दायर की गई और दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका सं० 1457/81, 1590/81 तथा 1973/81 और भारतीय मंच द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई, तीन एल० पी० ए० सं० 67/83, 68/83 तथा 69/83 के निर्णय की शर्तों के अधीन की गई है ।

श्री डी० के० नन्दी ने दिनांक 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वाह्न में बम्बई स्थित निरीक्षण निदेशक के कार्यालय में उपनिदेशक निरीक्षण (वस्त्र) के पद का कार्य भार छोड़ दिया तथा दिनांक 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वाह्न से निदेशक निरीक्षण बम्बई के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 5 जनवरी 1985

सं० प्र-6/247(594)—राष्ट्रपति, उपनिदेशक निरीक्षण (इंजीनियरी) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" की वस्त्र शाखा का ग्रेड-) श्री बी० बी० लाल को 6 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्न में अगले आदेश दिए जाने तक 1500-60-1800-100-2000 रुपये के वेतनमान में निदेशक निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड-I) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं ।

श्री बी० बी० लाल की निदेशक निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड-I) के रूप में नियुक्ति भारत मंच द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई तीन एल० पी० ए० सं० 67/83, 68/83 तथा 69/83 उप-निदेशक निरीक्षण श्री एस० जी० आनन्द द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गई और दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में अभी भी लम्बित रिट याचिका सं० 3001/83 35/83 के निर्णय की शर्तों के अधीन की गई है ।

श्री बी० बी० लाल ने दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्न से निदेशक निरीक्षण, कानपुर के कार्यालय में उप निदेशक निरीक्षण (इंजीनियरी) के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्न से निदेशक निरीक्षण, कानपुर के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

सोहन लाल कपूर
उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-16, दिनांक 31 दिसम्बर 1984

सं० 8661 बी/ए-19012(3-पी पी)/84-19बी—
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) श्री प्रशान्त पुरकायस्थ को सहायक रसायनज्ञ के पद पर भारतीय

भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में नियमानुसार 650-30-740-35 810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान के वेतन पर अस्थायी क्षमता में प्रागामी आदेश होने तक 30 अक्टूबर 1984 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर, नियुक्त कर रहे हैं।

अमित कुशारी
निदेशक (कार्यिक)
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 3 जनवरी 1984

सं० ए-19011 (131)/79-स्था०ए०—राष्ट्रपति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एस० एम० जोशी, उप-खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) को दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 के अपराह्न से भारतीय खान ब्यूरो में स्थानापन्न रूप से खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) के पद पर सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

रा० ब० शर्मा
सहायक प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय संग्रहालय

कलकत्ता-16, दिनांक 13 सितम्बर 1984

सं० 4-157/78/स्थापना—भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के श्री जी० दासगुप्ता, सहायक भाषा विज्ञानी की 27 अगस्त, 1984 पूर्वाह्न से अगला आदेश तक इस सर्वेक्षण के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, देहरादून में अस्थायी रूप में भाषा विज्ञानी ग्रुप-ए (राजपत्रित) वेतन मान रु० 700-1300 के पद पर पदोन्नति हुई है।

ए० के० दासगुप्ता
प्रशासन अधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

देहरादून, दिनांक 1 जनवरी 1985

सं० सी-6151/718-ए—श्री एच० एल० जादव, स्थानापन्न अधीक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय जो इस कार्यालय की दिनांक 8 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या सी-6022/718-ए के अन्तर्गत स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये थे को अब दिनांक 12 नवम्बर, 1984 से उसी

पद पर स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

जी० सी० अग्रवाल
मेजर जनरल
भारत के महासर्वेक्षक
(नियुक्ति प्राधिकारी)

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1984

सं० 4/71/84-एम०-एक; महानिदेशक, आकाशवाणी श्री गोविन्द डोलागुप्ता को 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-1200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 5 नवम्बर, 1984 से अगले आदेशों तक आकाशवाणी कोहिमा में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 1 जनवरी 1985

सं० 4(29)/84-एस०-एक—महानिदेशक आकाशवाणी श्री आर० सां० गोपाल को 29 नवम्बर, 1984 से अगले आदेशों तक 650-30-740-35-810-द० रो-880-40-1000-द० रो०-1200 रुपये के वेतनमान में आकाशवाणी, कालीकट में अस्थाई रूप में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र जयाल
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 1984

सं० 4(41)/84-एस० एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री अमरन ज्योति मजुमदार को 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-1200 रुपये के वेतनमान में अस्थाई आधार पर 27 अक्टूबर, 1984 से अगले आदेशों तक आकाशवाणी, सम्बलपुर में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरजीत सिंह,
निदेशक (प्रशासन एवं विस्त)
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984

सं० 29/3/84-एम-II—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री एन० के० भट्टरा, फार्म रेडियो रिपोर्टर आकाशवाणी जयपुर को 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में 10-12-84 से अगले आदेशों तक आकाशवाणी, सम्बलपुर में फार्म रेडियो अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2 श्री एन० के० भट्टरा ने उसी तारीख से फार्म रेडियो अधिकारी के रूप में आकाशवाणी, सम्बलपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

मोहन फ्रांसिस,
प्रशासन उपनिदेशक
कृषि महानिदेशक

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984

सं० 5-48/84-स्थापना(I):—श्री पी० एन० चौपड़ा, स्थाई अधीक्षक (ग्रेड-I) जो विस्तार निदेशालय, (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सहायक प्रशासन अधिकारी, (ग्रुप बी राजपत्रित) (अनु सचिवीय) के पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे थे, निवर्तन की आयु होने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये।

आर० जी० बनर्जी,
निदेशक प्रशासन

ग्रामीण विकास मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 26 दिसम्बर 1984

सं० ए०-31014/4/83-प्र० I:—कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार द्वारा इस निदेशालय के अधीन निम्न-लिखित अधिकारियों को सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के स्थाई पदों पर प्रत्येक के सामने लिखी तारीख से मूल रूप से नियुक्त किया जाता है।

सर्वश्री

1 ए० विश्वकर्मा	29-12-81
2 ए० ए० शुक्ल	15-9-82
3 के० वी० एस० सुधीर	21-12-82
4 सी० एस० आनन्दकृष्णन	21-12-83
5 सत्येनजय यादव	21-12-83
6 ए० पी० सिंह	21-12-83
7 जी० आर० ए० राजू	21-12-83
8 ए० ए० सिंह	21-12-83
9 वी० के० गोयल	21-12-83
10 ए० ए० गोपीनाथ	21-12-83
11 सी० अंजनैयलू	21-12-83
12 ए० ए० राय	21-12-83
13 वाई० ए० राव	21-12-83
14 एस० पी० शिन्धे	21-12-83

15 वी० पुरोहित	21-12-83
16 आर० जे० नाथनील	21-12-83
17 जी० ए० खन्नामी	21-12-83
18 आर० सी० मुन्शी	21-12-83
19 सी० नान्दिया	12-3-84
20 वी० ए० सरकार	12-3-84
21 ए० एस० शंकर	12-3-84
22 आर० वी० देशी	12-3-84
23 जी० वी० डीडी (अनु० जा०)	12-3-84
24 ए० के० द्विवेदी	12-3-84
25 यू० वी० एस० विकल (अनु० जा०)	12-3-84
26 ए० श्रीरामलू (अनु० जा०)	12-3-84
27 मोहन लाल मीना (अनु० ज० जा०)	12-3-84
28 मधन लाल मीना (अनु० ज० जा०)	12-3-84
29 के० के० तिवारी	12-3-84
30 ए० पापी रेड्डी	12-3-84
31 एस० के० मलिक	12-3-84
32 एस० डी० कायलकर	12-3-84
33 श्रीमती विभा हाँडा	12-3-84
34 के० ए० गुप्ता	12-4-84
35 एस० ए० कोल्हटकर	12-3-84
36 आर० के० पांडे	12-3-84
37 श्रीमती प्रेमवती	12-3-84
38 वी० आर० के० सिंह	12-3-84
39 श्रीमती सुमन नैय्यर	12-3-84
40 एस० मूहु कंरू	12-3-84
41 के० सत्याराव	12-3-84
42 के० एस० आचार्य	12-3-84
43 जी० एस० शास्त्री	12-3-84
44 सी० ए० गिरधर	12-3-84
45 वी० पी० युकी (अनु० जा०)	12-3-84
46 ए० एस० नेलपति राव	12-3-84
47 राजाराम रावत (अनु० जा०)	12-3-84
48 आर० जी० सिंह (अनु० जा०)	12-3-84
49 जी० ए० मुन (अनु० जा०)	12-3-84
50 वी० ए० पवार (अनु० जा० जा०)	12-3-84
51 वी० सी० जाट (अनु० जा०)	12-3-84
52 जी० वी० राममूर्ति	12-3-84
53 एस० एस० नन्वतवार (अनु० ज० जा०)	12-3-84
54 श्रीमती आर० ललिता	12-3-84
55 पी० वी० गिराले	12-3-84
56 के० जयनन्दन	12-3-84
57 आर० एस० सुन्दरम	12-3-84
58 सी० स्वामीदास	12-3-84
59 पी० ए० सिरोही	12-3-84
60 पी० जी० चौधरी	12-3-84
61 लोकेश कुमार	12-3-84
62 वी० एल० माधर	12-3-84

63. एच पी० मन्म 5-4-84
64. एल० एस० रघुनाथन 5-4-84

2. उपरोक्त अधिकारियों का निचले पद पर ग्रहणाधिकार, यदि कोई है, तो सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के पद पर मूल रूप से नियुक्त होने की तारीख से समाप्त माना जाता है।

दिनांक 5 जनवरी 1985

सं० ए०-19026/1/82-प्र०-III:—इस निदेशालय के अधीन, फरीदाबाद में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय, हरियाणा, चण्डीगढ़ के लेखा परीक्षा अधिकारी श्री एस० डी० एस० यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि की प्रतिनियुक्ति को सामान्य शर्तों के अनुसार 3-12-84 से 31-3-85 तक बढ़ाया गया है।

जे० कृष्णा,
निदेशक, प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार
भारत सरकार

भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र

कार्मिक प्रभाग

बम्बई-400085, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० पी० ए०/79(5)/83-आ० III:—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, तारापुर परमाणु बिजलीघर में कार्यरत स्थाई कनिष्ठ आशुलिपिक तथा स्थानापन्न वरिष्ठ आशुलिपिक श्री थोकेक्कीपत्तु कोबुकुंजू राजप्पन को 3 दिसम्बर 1984 से आगामी आदेश होने तक इस अनुसन्धान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी पद पर कार्य करने के लिये नियुक्त करते हैं।

बी० सी० पाल,
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भण्डार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 29 दिसम्बर 1984

सं० डी० पी० एस०/2/1(3)/82-प्रशा०/34248—परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भण्डार निदेशालय के निदेशक ने स्थाई सहायक लेखापाल तथा स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी श्री ए० मस्कारेन्हास को इसी निदेशालय में ता० 19-11-84 (पूर्वाह्न) से 21-12-84 (अपराह्न) तक रूपये 840-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में लेखा अधिकारी-11 के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। यह नियुक्ति लेखा अधिकारी-II श्री एस० एच० इसरानी के स्थान पर की गई है, जिन्हें उक्त अवधि के लिये छुट्टी प्रदान की गई है।

सं० डी० पी० एस०/41/1/83-प्रशा० 34254—परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भण्डार निदेशालय के निदेशक ने स्थाई क्रय सहायक श्री रंगनाथ कृष्णन अय्यर को इसी निदेशालय में दिनांक 19-11-84 (पूर्वाह्न) से 21-12-84 (अपराह्न) तक रूपये 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। वह नियुक्ति सहायक क्रय अधिकारी, श्री के० एल० ग्रहलुवालिया के स्थान पर की गई है, जिन्हें उक्त अवधि के लिये छुट्टी प्रदान की गई है।

सं० डी० पी० एस०/41/3/83-प्रशा०-34260—परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भण्डार निदेशालय के निदेशक ने स्थाई वरिष्ठ लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक लेखापाल श्री अतुर पिशारोडी चैथमारक्षनू को इसी निदेशालय में तारीख 19-11-84 (पूर्वाह्न) से 21-12-84 (अपराह्न) तक रूपये 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सहायक लेखा अधिकारी श्री ए० मस्कारेन्हास के स्थान पर की गई है जिन्हें केन्द्रीय लेखा यूनिट में लेखा अधिकारी-11 (तदर्थ) के पद पर पदोन्नत किया है।

पी० गोपालन
प्रशासन अधिकारी

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

अणुशक्ति, दिनांक 3 जनवरी, 1985

सं० रापविद/भर्ती/7(8)/84-स्था०/68—नाभकीय विद्युत मण्डल, बम्बई से स्थानापन्न होने के बाद श्री एन० एल० मेघानी को राजस्थान परमाणु बिजली घर के मुख्य अधीक्षक एतद्वारा दिनांक 17-12-1984 के, पूर्वाह्न से सहायक कार्मिक अधिकारी (र० 650-960) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

घा० ना० कट्टी
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद-500016, दिनांक 3 जनवरी 1985

सं० प० ख० प्र०-16/4/84-भर्ती—निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थाई वरिष्ठ आशुलिपिक, श्री ओ० भार्यन को उसी प्रभाग में 27 अक्टूबर, 1984 से 29 नवम्बर, 1984 तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 7 जनवरी 1985

सं० पं० ख प्र०-16/3/82-मंती जिल्द II—निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थाई उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक लेखापाल, श्री के० यू० के० नायर को इसी प्रभाग में 11 जून, 1984 के पूर्वाह्न से 14 अगस्त, 1984 तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० पं० ख० प्र०-16/2/84-मंती—निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के परिवर्ती ऊर्जा साइकलोट्रॉन केन्द्र के स्थाई उच्च श्रेणी लिपिक एवं स्थानापन्न सहायक लेखापाल श्री एस० एस० मिश्र को 30 नवम्बर, 1984 के पूर्वाह्न से लेकर अगले आदेश मिलने तक परमाणु खनिज प्रभाग में स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस० पदमनाभन,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 5 जनवरी 1985

सं० ए० 32013/मेट-1/7/83-स्था० I—राष्ट्रपति, भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित मौसम विज्ञानी श्रेणी-I सहायक मौसम विज्ञानी को उसी विभाग में, उनके नामों के सामने दी गई तारीख से अगला आदेश मिलने तक, स्थानापन्न मौसम विज्ञानी श्रेणी-I के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	मौसम विज्ञानी श्रेणी I के रूप में कार्य-भार संभालने की दिनांक
1	2	3
1.	श्री एल० एम० रतोलिकर	9-8-1984
2.	श्री बी० एस० गर्ग	11-6-1984
3.	डा० टी० आर० सिवारामाकृष्णन	11-6-1984
4.	श्री एस० के० सुब्रामणियन	11-6-1984
5.	श्री एस० के० बिन्द्रा	11-6-1984
6.	श्री जी० एन० शर्मा	11-6-1984
7.	श्री दया किशन	11-6-1984
8.	श्री एस० ए० एच० एलबीज	28-6-1984
9.	श्री वी० पी० सक्सेना	11-6-1984
10.	श्री सत्य प्रकाश	11-6-1984
11.	डा० वी० एस० तिवारी	11-6-1984
12.	डा० सन्त प्रसाद	11-6-1984

1	2	3
13.	श्री एस० सरीधरन	11-6-1984
14.	श्रीमती एन० एन० खमबाटे	11-6-1984
15.	श्री बी० आर० लोई	11-6-1984
16.	श्री वाई० एस० सुगल	13-7-1984 (अपराह्न)
17.	श्री ठाकुर प्रसाद	11-6-1984
18.	श्री हेम राज	11-6-1984
19.	डा० बी० मानिकियन	11-6-1984 (अपराह्न)
20.	श्री एच० आर० हतवार	11-6-1984
21.	श्री एस० के० प्रसाद	12-6-1984
22.	श्री एच० एस० बिल्ला	11-6-1984
23.	श्री ए० के० गंगीपाध्याय	11-6-1984
24.	श्री एम० आर० एम० राव	16-7-1984
25.	श्रीमति वी० श्यामला	11-6-1984
26.	श्री एम० आर० खान	11-6-1984
27.	श्री एच० आर० खपरा	11-6-1984
28.	श्री के० टी० जोसेफ	11-6-1984
29.	श्री डी० चक्रवर्ती	11-6-1984
30.	श्री ए० यू० राव	26-9-1984
31.	श्री एन० एस० कुलकर्णी	11-6-1984
32.	श्री जी० एम० जैन	11-6-1984
33.	श्री ब्रिज भूषण	11-6-1984
34.	श्री सी० के० चन्द्रशेखरन	18-6-1984
35.	डा० सी० वी० वीराभदरम	11-6-1984
36.	श्री डी० पी० पाण्डेय	11-6-1984
37.	श्री असोई लाल	11-6-1984
38.	डा० ए० के० वोहरा	11-6-1984
39.	श्री एन० पन्डारोनाथ	16-7-1984
40.	श्री शोक नमीरुद्दीन	11-6-1984
41.	श्री जे० एन० कनूजिया	26-6-1984
42.	श्री एम० के० दास	11-6-1984
43.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	11-6-1984
44.	श्री एस० एन० डेका	16-7-1984
45.	श्री के० सी० पारेल	15-7-1984
46.	श्री एच० पी० दास	11-6-1984
47.	डा० जे० वी० एम० नायडू	11-6-1984
48.	श्री सूर्या बाली	11-6-1984
49.	श्री एन० आर० मीना	11-6-1984

1	2	3
50.	श्री फकीर चन्द	29-6-1984 से (अपराह्न)
51.	श्री बी० एल० वर्मा	11-6-1984

एस० के० दास,
मौसम विज्ञान के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1984

सं० ए० 32013/3/83-ई० सी०—राष्ट्रपति ने नागर विमानन विभाग के श्री के० रामाकृष्णा तकनीकी अधिकारी को दिनांक 30-7-1984 (अपराह्न) से और अन्य उसका वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० सी० 18011/1/84-ई० एस०—उच्च न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली के दिनांक 24 जुलाई, 1984 को दिये गये निर्णय के अनुसार श्री डी० डी० सांसी को, जो पहले नागर विमानन विभाग में सहायक विभाग निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, दिनांक 23-6-1985 से पुनः सेवा में बहाल समझा गया है तथा वे सरकार से सभी अनुवर्ती लाभों का दावा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त नागर विमानन विभाग के श्री डी० डी० सांसी, सहायक विमान निरीक्षक निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 31-10-1976 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हैं।

दिनांक 1 जनवरी 1985

सं० ए० 32014/7/84-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री श्रींकार सिंह तकनीकी सहायक को दिनांक 17-10-1984 से और अन्य आदेश होने तक सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 2 जनवरी 1985

सं० ए० 32013/12/83-ई० I—इस कार्यालय की दिनांक 9-7-1984 की अधिसूचना सं० ए० 32013/12/83-ई० I के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री ए० एन० मुखर्जी को कलकत्ता में निदेशक उड़न योग्यता के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति की दिनांक 30-11-1984 से 31-1-1985 तक या निदेशक उड़न योग्यता के पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति दी है।

सं० ए० 32013/3/84-ई० I—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ए० 32013/3/84-ई० I के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री एस० बलराम की उप महानिदेशक नागर विमानन के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 9-11-84 से 31-12-84 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।

सं० ए० 32014/1/84-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन के निम्नलिखित अधिकारियों की प्रत्येक के नाम के सामने की गई तारीख से आगे 6 मास तक पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति को बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान की है:—

क्रम सं० नाम	अनुमोदित तदर्थ नियुक्ति की अवधि		प्रशासनिक अधिकारी के साथ ड्यूटी का स्टेशन (तदर्थ)
	से	तक	
1. श्री एम० डी शर्मा	05-01-85	14-07-85	क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली का कार्यालय
2. श्री एम० एल० भसीन	14-12-84	13-06-85	
3. श्री एस० के० शहा (अनुजाति)	29-12-84	28-06-85	क्षेत्रीय निदेशक मद्रास का कार्यालय
4. श्री एम० चक्रवर्ती	27-01-85	26-07-85	नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद

बी० जयचन्द्रन,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 1985

सं० ए० 24012/1/84-ई० एस०—नागर विमानन विभाग के श्री एस० एल० बोहरा, वरिष्ठ उड़न योग्यता अधिकारी (तदर्थ) निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर 30 नवम्बर, 1984 अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

वि० भौमिक,
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 3 जनवरी, 1985

सं० 1/166/84—स्था० बम्बई के मुख्य यांत्रिक, श्री डी रोचा निवृत्तन आयु के हो जाने पर 30 नवम्बर, 1984 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये।

र० का ठक्कर,
उप निदेशक, (प्रशा०)
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क समाहर्तालय

भुवनेश्वर, दिनांक 5 दिसम्बर 1984

सं० 8/84—प्रत्येक के सामने लिखी तारीख से कार्य निवृत्ति पर सरकारी सेवा से केन्द्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क समाहर्तालय, भुवनेश्वर के निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी सेवा निवृत्त हुए:—

1. श्री जी० श्रीनिवास राव (प्रशासनिक अधिकारी) 31-10-84 (अपराह्न)
 2. श्री लक्ष्मीधर मिश्र अधीक्षक (समूह बी) 30-11-84 (अपराह्न)
- सी० शतपथी
उप समाहर्ता (का०वस्था०)

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था

धनबाद, दिनांक 3 जनवरी 1985

सं० ए० डी० एम० 12(3) 79:—निवृत्तन आयु प्राप्त होने पर कोयला खान कल्याण संस्था, धनबाद के सहायक सचिव श्री डी० के० रूज दिनांक 30-11-84 अपराह्न से सरकारी सेवा निवृत्त हो गये।

आर० एस० शिवानी
कोयला खान कल्याण आयुक्त

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स असाम पोलीमर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० जी० पी० टेक आर 1368/560 (5) 4242—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स असाम पोलीमर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स अशोका रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० जी० पी० टेक आर 1688/560 (5) 4245—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अशोका रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी० एन० पैंगु
कम्पनी का रजिस्ट्रार

कार्यालय मुख्य आयुक्त (प्रशासन) एवं

आयकर आयुक्त

लखनऊ, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984

आयकर विभाग

सं० 149—श्री बंसी लाल, आयकर अधिकारी (वर्ग "ख") जो अतिरिक्त आयकर अधिकारी, सी वार्ड, लखनऊ वृत्त, लखनऊ में तैनात थे 31-10-84 के अपराह्न में निवृत्तन की आयु पर रिटायर हो गये।

सं० 150—श्री सिया सरन सक्सेना, आयकर अधिकारी वर्ग ("ख") जो आयकर अधिकारी, हरदाई में तैनात थे 31-10-84 के अपराह्न में निवृत्तन की आयु पर रिटायर हो गये।

धरनी धर
मुख्य आयुक्त (प्रशासन) उ० प्र० एवं
आयकर आयुक्त, लखनऊ

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एनकुलम

कोच्चिन-16 दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० एल० सी० 701/84-85 /711—प्रतः
मुझे, बी० रविबालन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो पनियूर गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, कायकुलम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बचत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रक्षा कृष्ण कुरुप

और

श्री गोपाल कृष्ण कुरुप ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० के० भास्कर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तारीख 11 अप्रैल 1984 उप रजिस्ट्री कार्यालय कायकुलम के दस्तावेज सं० 1202/84 में संलग्न अनुसूची के अनुसार पनियूर विलेज में सर्वे सं० 5069 में 41 सेन्ट भूमि ।

बी० रविबालन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज एनकुलम

तारीख : 20-11-1984

माहुर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पूना

पूना दिनांक 27 अगस्त 1984

निदेश सं० 6015/84-85/875/27/8/84—अतः मुझे
सन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लॉट नं० 201 दूसरी मंजिल जे० के०
अपार्टमेंट्स 1440 शुक्रवार पेट पूणे-2 में स्थित है (श्रीर
इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जन रेंज पूणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधिन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
एक प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण ने हुई किसी आय की वारत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) श्री जे० के० बिल्डर्स
1430 शुक्रवार पेट
पूणे-2।

(अन्तरक)

(2) श्री दिलीप नटवरलाल शाह
354 रविवार पेट
पूणे-411002।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियों शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्वि-
वृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 201 पलीर, जे० के० अपार्टमेंट्स, 1440,
शुक्रवार पेट पूणे-411 002 (क्षेत्र 871 चौरस फूट)

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत नं० 37इइ/6015/84-85 जो तारीख
जून, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन
रेंज, पूणे के दफ्तर में लिखा है)।

संतोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-पूना

दिनांक : 27-8-1984

माहुर :

प्रकृष्ट आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ए (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 3 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37ईई/5470/84-85/3-8-84

अतः मुझे, सन्तोष दत्ता,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ए के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करते का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट/अपार्टमेंट नं० 3 सेकण्ड फ्लोर इन प्रपोज्ड मुग्घाली अपार्टमेंट प्लॉट नं० 15 सं० नं० 36-ए एरंडवाणा जो पुणे-411004 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिणी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय राशि का प्रतिफल, दिग्गमलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाधते, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रस्तौती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए के अनुरोध में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती गणेश अप्पाराव लेंगाडे,
द्वारा पावर आफ अटॉर्नी :
श्री प्रकाश अनन्त पोक्ले,
फ्लैट नम्बर 4,
मंजरी सोमाइटी,
36/7, एरंडवाणा,
पुणे-411038।

(अन्तरक)

(2) श्री संजीव श्रीपाद दाते,
403, किलोस्कर ब्रदर्स लि०,
किलोस्कर बाड़ी, 416308,
जिला सांगली।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि प्राय में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 3, सेकण्ड फ्लोर, इन प्रपोज्ड मुग्घाली अपार्टमेंट प्लॉट नं० 15, सं० नं० 36-ए, एरंडवाणा, पुणे-411004।

(क्षेत्र : 730 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/5470/84-85 जो तारीख मई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 3-8-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 3 अगस्त 1984

निवेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/7352/84-85/856
3/8/84—अतः मुझे, मन्तोप दत्ता,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसको सं० प्लेट नं० 307, लिबर्टी कम्प्लेक्स, प्लॉट नं० 17, सेक्टर-17, डी० वी० सी० मिडको, वाशी है तथा जो नई बम्बई में स्थित है (श्रीर इससे उपावृत्त अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पुणे में रजि-स्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाध की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ हैं, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—
3-426/84

(1) मै० लिबर्टी इन्वैस्टमेंट्स प्रा० लि०
302 दानामाल हाउस
206 नगीमन पॉइंट
बम्बई-400021।

(अन्तरक)

(2) श्रीमन्त पटना दास
5 श्रावण नेवल अफार्मर्स प्लैट्स
कुनावा
बम्बई-400005।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्तरिती

प्लेट नं० 307 लिबर्टी कम्प्लेक्स प्लॉट नं० 17, सेक्टर नं० 17 डी० वी० सी० मिडको, वाशी, नई बम्बई।

(क्षेत्र : 1850 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/7352/84-85 जो तारीख जून, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है।)

मन्तोप दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 3-8-1984

मांशुर :

अथ आर. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 4 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/7568/84-85/859/

4-8-84—अतः मुझे, सन्तोष दत्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. में अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 4844, प्लॉट नं० 53, मेटर नं० 17, डिस्ट्रिक्ट विजनेस सेक्टर है तथा जो वाणी, नई बम्बई में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रेंज, पूणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या प्रत्यक्ष ह्रास में राशिगत को लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या अन्तरक अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में शामिल करने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रमेश गंगाधर शिंदे,
चर्फ प्रोमोटर,
प्रपोज्ड को अपरेटिव सोसाइटी लि०
51/1194 कन्नमवार नगर
बम्बई-400083।

(अन्तरक)

(2) मिसेस विजया शरद माने और
मि० शरद यशवन्त राव माने
बी-20-2/5 सेक्टर 1
वाशी, नई बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्द किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 404 प्लॉट नं० 53 मेक्टर 17, डिस्ट्रिक्ट विजनेस सेक्टर वाणी, नई बम्बई।

(क्षेत्र : 801 चौरस फीट)

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/7568/84-85 जो तारीख मई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज पूणे के दफ्तर में लिखा है।)

सन्तोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख : 4-8-1984

आह्वार :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/5949/84-85/860/
28-8-84--अतः मुझे, मन्तोप दत्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जमकी सं० शाप० नं० 1365, मदाशिव पेठ, है तथा
पुणे-30 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक
आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज पूर्ण में रजिस्ट्रीकरण
अधीन तारीख अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
रन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसार
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मि० पोपटलाल शिवलाल जैन,
44, बम्बई पुणे रोड,
बी० पी० डी०,
पुणे-3।

(अन्तरक)

(2) 1. मिस्टर कुमार हुंदराज परयानी,
2. मिस्टर पुरुषोत्तम हुंदराज परयानी,
1084, आल्ड मांवीखाना,
पुणे-411001।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में सम्प्लुत होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुभूता

शाप नं० 1365 मदाशिव पेठ पुणे-30।

(क्षेत्र . 180 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकरण सं० 37 ईई०/5946/84-95 जो
तारीख जून 1984 का सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

मन्तोप दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख . 28-8-1984

माहूर :

प्ररूप आई. टी. एन. एन.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 1 सितम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 जी०/2200/84-85/

1183/1-9-84—अन्त. मुझे मन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 31 म० नं० 282 सिन्धुएटेड एण्ड चिचवड तालुका हवेली है तथा जो जिला पुणे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता प्राधिकारी के कार्यालय सब रजिस्ट्रार हवेली-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और ऐसे अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

इतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री के० पिच्चुमणि

84-ए/1

रास्ता पेठ

पुणे-411011

(अन्तरक)

(2) श्री जी० एम० बलसे

(चीफ प्रोमोटर :

सुयश को ऑपरेटिव हार्जिसग सोसाइटी)

प्लॉट नं० 32.

म० नं० 585

गुलटेकडी पुणे-411011

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 31 म० नं० 282 सिन्धुएटेड एण्ड चिचवड तालुका हवेली, जिला पुणे।

(क्षेत्र : 468.23 चौ० मीटर्स याने 5040 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 जी०/2200/84-85 जो तारीख जुलाई, 1984 को सब रजिस्ट्रार, हवेली-1 के दफ्तर में लिखा है।)

मन्तोष दत्ता

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

तारीख 1-9-1984

सोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37ईई/5642/84-85/867/28-8-
84—अत मुझे, सन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. में अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 3, सी बिल्डिंग, चिन्तामण नगर,
सं० नं० 128/1, ग्रीध है तथा जो पुणे-411007 में स्थित
है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त
से निरीक्षण), अर्जुन रेंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एमो दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

(1) मे० निखिल इन्टरप्राइजेस,
14, बम्बई-पुणे रोड,
बजाज आटो शोरूम के पास,
वाकडेवाड़ा शिवाजी नगर,
पुणे-411005।

(अन्तरक)

(2) डा० (मिसेस) भानू चन्दा श्रीर
थो० मनिष चन्दा,
सूट नम्बर 107,
एन० सी० एल०,
न्यू होस्टल-11,
एन० सी० एल०,
पुणे-411008।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 3, सी बिल्डिंग, चिन्तामण नगर, सं० नं०
128/1, ग्रीध पुणे-411007।

(क्षेत्र : 825 चौ० फीट)।

(अनुसूची कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/5642/
84-85 को तारीख जून 1984 को सहायक आयकर,
आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा
है)।

सन्तोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख : 28-8-1984

माहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, पूना

पूना, दिनांक 28 अगस्त 1984

निदेश म० मा० ए०-5/37 ईई०/5253/84-85/866/

28-8-84—अत मुझे, मन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी म० प्लॉट न० 3, फर्स्ट फ्लोर निर्मल अपार्टमेंट, प्लाट न० 93, सं० न० 26, डहाण्कर कालोनी है तथा जो कोथरुड, पुणे-29 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीन पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रार की अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रेज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है अतः मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मे० प्रदाण गुप्ते और एसोसिएट्स,
13/176,
लोक मान्य नगर,
पुणे-411030।

(अन्तरक)

(2) श्री मुग्गेन्द्र, मुकुंद मुल्हरकर,
अन्नपूर्णा, फर्स्ट फ्लोर,
1/12, कर्वे रोड,
बम्बई-411004।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सुखी

प्लॉट न० 3, फर्स्ट फ्लोर, निर्मल अपार्टमेंट्स, प्लाट न० 93, सं० न० 26, डहाण्कर कालोनी कोथरुड पुणे-411029।

(क्षेत्र

)

(जैसे कि रजिस्ट्रार म० 37 ईई०/5253/84-85 जो तारीख जुलाई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रेज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

मन्तोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज, पूना

तारीख : 28-8-1984

माहुर :

परूप आर्द्र टी एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, पूना

पूना, दिनांक 4 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० पी०-5/37 ईई०/5480/84-85/865/
6/8/84—अन: मुझे, मन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीरजिमकी सं० फ्लैट न० 8, फर्स्ट फ्लोर, विल्डिंग न० 2, प्लॉट न० 13, म० न० 133/1 और 2 134/2 है तथा जो श्रौध, पुणे-7 में स्थित है (श्रीरजिममें उपावृद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेज, पुणे में रजिस्ट्रारकी अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित से वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में मूयिता के लिए, और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्तिधों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 57 धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना था, छिपाने में सूक्ष्मा के लिए

अन: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधिकांश :-

(1) मे० वेण्णत्तर भिडे और एसोसिएट्स,
461, राम्ना पेट,
पुणे-411011।

(अन्तरक)

(2) मिस्टर सुबोध बालचन्द गाह,
किल्ला,
बोट-431122।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिये गये हैं।

सन्तोष दत्ता

फ्लैट न० 8, फर्स्ट फ्लोर, विल्डिंग न० 2, प्लॉट न० 13,
म० न० 133 और 2 म० न० 134/2, श्रौध, पुणे-
411007।

(क्षेत्र 1040 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रारकी सं० 37 ईई०/5480/84-85 जो मई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, पूना

तारीख : 4-8-1984

संहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एस. - - - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 4 अगस्त 1984

निदेश सं० सो० ए०-5/37 ईई०/5281/84-85/864/
4/8/84—अतः सुझे, संतोष दत्ता

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 14, सेकंड फ्लोर, कोणांक अपार्टमेंट्स, 175 बोले पाटिल रोड है तथा जो पुणे-411001 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर बनें के अन्तरक को शायद से कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी भाव या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, जथात् :—

(1) मे० कार्या बिल्डर्स,
2, हामिस नेस्ट,
84b, रम्पुर मेट्टे रोड,
पुणे-411001।

(अन्तरक)

(2) डा० चन्द्रशेखर एम० वाघमारे,
76/3, चिपलुणकर रोड,
परंडवणा,
पुणे-411004।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 14 2री मजि, कोणांक अपार्टमेंट्स 175
बोले पाटिल रोड, पुणे-411001।

(क्षेत्र : 570 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/5281/84-85 जो मई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

संतोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 1-8-1984

सांहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 2 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/5657/84-85/863/
2/8/84-अतः मुझे, सन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य,
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 126, फ्लैट फ्लोर, 'ब' विंग,
क्लोवर सेंटर-बीडिंग कन्स्ट्रक्टेड एण्ड 7, मोलेदिना रोड है
तथा जो पुणे-411001 में स्थित है (और इससे उपावद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज,
पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उक्त दृश्यमान प्रतिफल से, एक दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अतिरिक्ती (अतिरिक्तियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिये नया पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में
शान्तिवक रूप में कीमत नहीं किया गया है:-

(क) अन्तरक से हुई किसी लाभ को बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
सहित में किसी करण या उक्त उक्त में सम्पत्ति
के लिए, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 17) या उक्त अधिनियम, या
भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रस्तावनाथ अन्तिरिक्ती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किसी द्वारा अतिरिक्त धर, धिगन से
नहीं किया गया

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधिनियम अधिनियम अधिनियम, अर्थात् ---
4-426 GI/84

(1) मै० विजय एंटरप्राइजेस 515, रेवा चेंबर्स
न्यू मरीन लाइन्स
बम्बई-400020।

(अन्तरक)

(2) मिस्टर कमल किशोर दुबे
प्रोप्राइटर
कासमास डजी नयर्स
19 जूनिवर्सल अपार्टमेंट्स
इस्ट स्ट्रीट
पुणे-411001।

(अन्तरिक्ती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
15 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तथाहस्ताक्षरी के माध्यम
लिखित में किए जा सकेंगे।

सन्तोष दत्ता
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
यह अर्थ होगा या उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 126 फ्लैट फ्लोर 'बी' विंग क्लोवर सेंटर
बीडिंग कन्स्ट्रक्टेड एण्ड 7 मोलेदिना रोड (जर्सेनल रोड)
पुणे-1।

(क्षेत्र 424 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/5657/84-85 जो
तारीख जून 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 2-8-1984
मोहूर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एच. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/5178/84-85/862/
28/8/84—अत. मुझे सन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 48 सं० नं० 45/1+46/7 एरंडवणा है तथा जो पुणे-411004 में स्थित है (और इससे उपान्वित अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अर्जुन रेंज अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर वन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

(1) श्री मनोहर गणेश किन्दरे
1496 सदाशिव पेठ
पुणे-30।

(प्रन्तरक)

(2) श्री प्रमोद अनन्त कुलकर्णी
बी-7 कैरियर वेल्डिंग
पुणे टेलीफोन एक्सचेंज
पुणे-411001।

(प्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के बचन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तन्मध्यकी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायवादी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सूचीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 45/1+46/7 एरंडवणा पुणे-411004।
(क्षेत्र : 475 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/5178/84-85 जो तारीख अप्रैल-1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)-अर्जुन रेंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में यह उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 28-8-1984
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, पुना

पुना, दिनांक 28 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/5215/84-85/861/
28/8/84—अतः मुझे सन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'जवन अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
₹5,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 53 सं० नं० 121, 122 रामबाग
कालोनी फ्लैट नं० 1 कोथरुड है तथा जो पुणे-411029
में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर
आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई
1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बहु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
शामा गया प्रतिफल निर्मान्वित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी मात्र की वारत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर वार के अन्तरक के
व्यवस्था में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 1957 का 27) के प्रयो-
नाथ अन्तरिती द्वारा प्रकृत नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) मै० प्रतुल इन्टरप्राइजेस
31, गीला विहार कालोनी
श्रुतु राज, पीड फाटा
एरंडवणा पुणे-411038।

(अन्तरक)

(2) मिस्टर सुधीर विश्वनाथ राजे और
मिसेस मेघना सुधीर राजे
1, सदाशिव भेलके नगर
कोथरुड पुणे-411029।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचन का उचित
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बचन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
आपत्तियां या स किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महाहस्ताक्षरों के साथ
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, या उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 53 सं० नं० 121, 122 रामबाग कालोनी
फ्लैट नं० 1, कोथरुड, पुणे-411029।
(क्षेत्र : 715 चौ० फीट)।

(जैसे रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/5215/84-85 जो तारीख
जुलाई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, पुना

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 28-8-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन एस - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 4 अगस्त 1984

निवेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/5492/84-85/878/

4/8/84-प्रतः मुझे, सन्तोष दत्त,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसका पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सं० नं० 133-1+2 134/2, प्लॉट नं० 22, औच, वाणेर रोड है तथा जो औच, पुणे-7 में स्थित है (और इससे उपाय अंशुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण), अर्जुन रेंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरण का गढ़ है और मूल्य यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का अधिक प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तररती (अन्तररतियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्राजेनार्थ अन्तररती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :-

(1) मै० वैभव बिल्डर्स,
101, 102, कमला चैम्बर्स,
687, बुधवार पेठ,
पुणे-2।

(अन्तरक)

(2) श्री शिव शेखर ओस,
67 शिवाजी हाऊसिंग को० अपार्टमेंट्स
सोनाइटी,
पुणे-411016।

(अन्तररती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी धाक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी अवधि बावत समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट इन सं० नं० 133/1+2, 134/2, प्लॉट नं० 22,
औच, वाणेर रोड पुणे-411007।
(क्षेत्र 1120 चौ० फी०)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/5492/84-85 जो सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण) अर्जुन रेंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख 4-8-1984
मोहर

प्रथम भाग, टी. एम. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 31 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/84-85/879/31/8/

84—प्रतः मुझे, सन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और मिलकी सं० प्लॉट नं० 12/ए-3 फ्लैट नं० 202, सेकण्ड फ्लोर गोमाल नगर बम्बई आग्रा रोड है तथा जो जिला ठाने में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अ सूने में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपाबद्ध सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, बिना भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्थात :—

(1) मै० योगी कारपोरेशन,
पी० एन० बी० हाउस
सेकण्ड फ्लोर
सर पी० एम० रोड
फोट बम्बई-400001।

(अन्तरक)

(2) मिस्टर नवीन शर्मा लखमन भाई शाह
जय अम्बे सोसाइटी
ब्लॉक नं० 3
ग्राउण्ड फ्लोर
प्रागरा रोड भिवन्डी
जिला ठाने।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्बाद के लिए कार्यवाहिया करता है।

सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी अवधि बाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्त-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपाहस्ताक्षरी के पास लिखित में निर्र या तर्कों।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, उन्ही अर्थ होगा, या उस अर्थ में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 12-ए-3 फ्लैट नं० 202 सेकण्ड फ्लोर
गोमाल नगर धार्वडी जिला ठाने।

(क्षेत्र: 750 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/8368/84-85 जो तारीख मई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्ता

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज पूना

तारीख : 21-8-1984

मोहूर :

प्रकृप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई०/84-85/888/19/11/84--अतः

मुझे, अनील कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० गाला/प्लॉट नं० 28 सखे सं० 450 एण्ड
457 पंचपाखड़ी है तथा जो थाना में स्थित है (और इससे
उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का
16) के अधीन तारीख अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वकत सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एस दृश्यमान प्रतिफल के पक्ष
प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती
(अन्तरितीया) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक, उक्त
अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के
सापेक्ष में कमी करने या उससे कम में सूचना
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तिकों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या वा कितना
बाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की अपेक्षा
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथावत् :—

(1) मै० माडेला टेक्सटाइल
इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
4-सी वलकन
इनसूरेंस बिल्डिंग,
बीरनरीमत रोड
बम्बई-400020।

(अन्तरक)

(2) मै० लक्ष्मण इण्डस्ट्रीज
ए-32 रोड नं० 12
बागले इण्डस्ट्रियल इस्टेट
बाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मूल्य का
कार्यवाही शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के मूल्य के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्त
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास
सिद्धित से किए जा सकेंगे।

समाप्तिकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

गोला/प्लॉट सखे सं० 450 एण्ड 457 पंचपाखड़ी
बाना।

(क्षेत्र : 516 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/5673/84-85 जो
तारीख अप्रैल 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज पूना के कपतर में लिखा है)।

अनिल कुमार
संलग्न प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख : 18-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एन. ३-११११११११११

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
भाग 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

आयसिब, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई०/5969/83-84/884/19/11/84—

अतः मुझे, अनिल कुमार

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. में अधिक है

और जिनकी सं० गाला यूनिट सं० 27 एस० नं० 450 एण्ड
457 पंचपखाड़ी थाना है तथा तथा जो थाना में स्थित है
(और इससे उपायय अतिसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
राजस्तीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना में, राजस्तीकरण अधिनियम 1908
(1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1984

का पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के उद्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि उपाययक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का पन्नाह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरित
(अन्तरितियों) के बीच एम् अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से है किमी आय की बावत, उक्त
अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उसमें वचन में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किमी आय या किमी धन या अन्य आयों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्त-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वाारा प्रकट नहीं किया गया
या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) माडेल टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज
प्राइवेट लिमिटेड
4-सा बलकन इनशोरिंग बिल्डिंग
वीर नरीमन रोड
बम्बई-400201

(अन्तरक)

(2) मै० सिन्धु स्विच गेयर सिस्टम
ए-28 हैड दर्शन
हाई वोल्टेज के पाग
बाना-4000021

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

सूचनाकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अतिसूची

माला यूनिट नं० 27 सो० नं० 450 एण्ड 457 पंचपखाड़ी
थाना ।

(क्षेत्र : 512 चौ० फुट) ।

(जैसे कि राजस्तीकरण नं० 37 ईई०/5969/84-85 जो
तारीख अप्रैल 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है) ।

अनिल कुमार

सहायक प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 19-11-1984

सोहर :

प्रकल्प आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रेंज पूना

पूना दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश सं० अई०/5667/84-85—अन: मुझे, अनिल
कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके अन्तर्गत 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269 ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि म्हावर मर्म्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

श्रीरजिाकासे० गाला यूनिट नं० 18 सो० नं० 450 एण्ड
457 पंचाखंडा थाता है तथा जो थाता में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध भूखुर्वी में श्री० पूर्ण रूप से वर्णित है) जर्जिाकी
कर्ता प्राधिकार के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण
अर्जुन रेंज पूने में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अन्तर्गत तरख अर्गल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और म्भूक यह विषयवार
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति वन उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एस दृश्यमान प्रतिफल का
एकह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंत-
रिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
अतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में
सामयिक रूप से अधिगत नहीं किया गया है ---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की जावन, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
हायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
वन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सूविधा के लिए;

अन: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत
द्वारा, अंत, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)
के अधीन विद्वानिहित व्यक्तियों, अर्थात्

(1) माडेला टेक्नटाइल इंडस्ट्रिज
प्राइवेट लिमिटेड,
1—सावलकन इनडिरेम विल्डिंग
वर नर मन रोड,
बम्बई-40020।

(अन्तरक)

(2) मै० कौन इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेस,
सं० 4, सन्तोष गौगाला रोड,
नाहर मुलुं वेस्ट,
बम्बई-40080।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी
अवधि बाह में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त म्हावर मर्म्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अर्थात्साक्षरी के पास
निश्चित में किया जा सके।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

गाला यूनिट नं० 18, एण्ड० नं० 450 एण्ड 457,
पंच-खंडा, थाता।

(क्षेत्र : 512 चौरस फुट)।

जैसे कि रजिस्ट्री क्रम नं० अई/5667/83-84 जो तारीख
एप्रिल, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण),
अर्जुन रेंज, पूने के दफतर में लिखा है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख : 19-11-1984

साहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एच.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बम्बई

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37ई०ई०/5893/84-85-882/19-11-

84—यतः मुझे, अनील कुमार,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

जिसकी सं० प्लॉट नं० 6

175, धोख पाटोल रोड, पूने-411001 है तथा तथा जो पूने-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूने में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से फहित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकता को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

5-426 GI/84

1 कारिया बिल्डर्स,
2, ब्रमस नस्ट,
844, दस्तूर मेहर रोड,
पूने-411001

(अन्तरक)

2. श्री वित्तप के फारनड़े
119, रविवार पेट, वाय,
सतारा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना धारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वीकृति :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 6, 2 एण्ड फ्लोर, कोनार्क, अपार्टमेंट्स, 175,
धोले पाटोल रोड, पूने-411001।

(क्षेत्र: 422 चौरस फुट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37-ईई/5893/84-85 जो तारीख जुलाई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।)

अनील कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख: 17-11-1984

मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37ईई/5668/83-84/881/19-11-84—

यतः मुझे, अनील कुमार,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० गाला यूनिट नं० 23, सी० नं० 450 एण्ड 457 पंचपाखड़ी, धाना है तथा जो धाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रेंज, पूने में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 मै० मांडेला टक्सटाईल्स इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
4सी बलकन इण्डोरेंस बिल्डिंग,
वीर नरीमन रोड,
बम्बई-4000 020।

(अन्तरक)

2 मैसर्स भारत इण्डस्ट्रीज,
प्रोप० संजय एस० भगत,
34 इंद्रापुरी सोसेटी,
रवी इण्डस्ट्रियल कम्पाउण्ड,
धाना-4000 602।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सुची

गाला यूनिट नं० 23, एस० नं० 450 एण्ड 457,
पंचपाखड़ी, धाना।

(क्षेत्र : 512 चौरस फुट)

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/5668/83-84 जो तारीख अप्रैल, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।) •

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख : 19-11-1984

मोहर :

प्रथम भाग टी. एन. एस. -----

भाषांतर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37ईई/84-85/891/20-11-84—यतः मुझे,

अनील कुमार,

भाषांतर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जगह गांव तुलिज, में तालुका बसई, एस० न० 66(पी०) हिस्सा न० 1 (पी०) है तथा जो धाना में स्थित है (और इससे उपानद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूने में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक निश्चित के वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का वास्तविक, उक्त विवरण के अधीन उक्त अधिनियम के अधिनियम में कमी करने या उक्त करने के सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तविकता को, जिन्हें भारतीय भाषांतर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रभावनाश्वर अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथाः—

1 मैसर्स प्रथमेश बिल्डर्स,
सक्षमी निवास,
पार्क रोड,
विले पारले (ईस्ट),
बम्बई-400 057।

(अन्तरक)

2 मै० अपना डेवलपमेंट सोसायटी,
7, सोपरीवाला भानगन,
परेल टी० टी०,
बम्बई-400 012।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि कम हो सम्पत्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जगह गांव तुलिज में, तालुका बसई, धाना एस० न० 66(पी०), हिस्सा न० 1(पी०)।

(क्षेत्र: 2300 चौरम गार्ड)

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 8953/84-85 जो तारीख सितम्बर, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।)

अनील कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख: 20-11-1984

साहूर

प्रकृत बाई. टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

सहायक आयकर अधिकारी

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निवेश सं० 37६६/84-85/890/19-11-84—यतः मुझे,
अनील कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० यूनिट नं० 16, एस० नं० 450 एण्ड
457, पचपाखडी है तथा जो थाना में स्थित है (श्रीर
इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूरा रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रार कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख एप्रिल,
1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके वर्तमान प्रतिफल से ऐसे वर्तमान प्रतिफल का पंद्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक के द्वारा किसी भाव की वास्तव उक्त अधि-
विषय के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तवों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या इनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोगनाम
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसरण
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० मोडेला टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि०
4सी, बलकन इंड्यूरिज बिल्डिंग,
बोर नरोमन रोड,
बम्बई-400 0201

(अन्तरक)

2. श्री सुभाष चंद्र जोशी,
17-ए, लक्ष्मण नगर,
मि० एच० एस०,
आराधना सिनेमा,
नौपाडा,
थाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जुन के लिए
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जुन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोस्ताधरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 16, एस० नं० 450 एण्ड 457, पचपाखडी,
थाना।

(क्षेत्र: 434 चौ० फुट)

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 5674 को सहायक आयकर
आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूना के दफ्तर में लिया
है।)

अनील कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख: 19-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

बाबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37इइ/84-85/892/20-11-84—यतः सुभे,
अनिल कुमार,

बाबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) विसर्ग इससे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सहायक आयुक्तों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 54/2, डी-III, ब्लॉक एम० आई० डी० सी०, इंडस्ट्रियल इस्टेट, चिचवाड है तथा जो पूने में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रेंज, पूने में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्टूबर 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में कभी करने या उससे बचने में मतिभा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः यत्, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 दि पर्ल थ्रू मिल्स लिमिटेड,
लक्ष्मी बिल्डिंग,
6 शुरजी वलबभाई मार्ग,
बलार्ड इस्टेट,
बम्बई-400 038 :

(अन्तरक)

2 दि कटाऊ माखनजो स्पिंगिंग क० लिमिटेड,
लक्ष्मी बिल्डिंग,
6 शुरजी वलबभाई मार्ग,
बलार्ड इस्टेट,
बम्बई-4000 38।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्णन के लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी आपेपे—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट न० 54/2, डी-III ब्लॉक, एम० आई० डी० सी०, इंडस्ट्रियल इस्टेट, चिचवाड, पूने।

(क्षेत्र: जगह—1537 चौरस मिटर फेक्टरों बिल्डिंग 251.13 चौरस मीटर न्यू फेक्टरी बिल्डिंग 607.78 चौरस मीटर गेट होस—8.10 चौरस मीटर)

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 9005/84-85 जो तारीख अक्टूबर, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

तारीख: 20-11-1984

मोहर :

व्यवस्थापक आदेश नं० 1/84-ए

भाषक अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निवेश सं० सी० ए०-5/37-जी०/630/84-85/1155-

धतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 59, सोनावाला, र० सं० नं० 118/1अ०/1 है तथा जो सोनावला में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबंधक नाम्ने, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख

के पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरितो (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरक से हुई किसी बाब की वसूल, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उक्त दायित्व में कथित करने के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या कि वा जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

धतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1 श्री न० सं० पठारे तथा अन्य भारतीय निवासी, 18, युग प्रभात, शिखलादेवी मंकिर मार्ग, माहोम, बम्बई-18।

(अन्तरक)

2 श्रीमान हिल रेजोर्टस पी० लि०, 84, आशियाना, सेंट जान बापिस्ता मार्ग, बांदरा, बम्बई-50।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक 2--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उसके संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

समाप्तीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 59, र० सं० नं० 118/1अ०/1 सोनावाला (क्षेत्रफल: 2309.93 स्क्वे० मीटर)

(जसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 37-जी०/630/84-85 जो अप्रैल 1984 को दुय्यम निबंधक, बम्बई के दफ्तर में लिखा है)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख: 22-11-1984

मोहूर ३

प्रकट आई.एन.एच.-----

1. श्री विठ्ठल जी० कारलेकर,
देवगढ़, सिधुदुर्ग।भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(अन्तरक)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

2. श्रीमती अंजली एम० मोडकर,
111/6, लोकमान्य तिलक नगर,
म० गांधी मार्ग,
गोरेगांव,
बम्बई (पश्चिम)-400 062।

(अन्तरिती)

निर्देश सं० सी० ए०-5/37-जी०/701/84-85-यतः

मुझे, अनिल कुमार,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक हैश्रीर जिसकी सं० सं० नं० 395-ए० जामसादे, देवगढ़,
सिधुदुर्ग, है तथा जो देवगढ़ में स्थित है (श्रीर इससे उपाय
अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-
कारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक कनकावली में, रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख अप्रैल, 1984को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना कं-
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में न
किसी व्यक्ति द्वारा;(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रप्रोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में विद्ये जा सकेंगे।स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 29-त में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा, जो उन अध्याय में बिना गया है।(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

बन्धुत्व

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 1957
(1957 का 27) के धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहे, छिपाने में
सुविधा के लिए।

एस० नं० 395-ए, जामसादे, देवगढ़, सिधुदुर्ग।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 37-जी०/701/
84-85 जो अप्रैल 1984 को दुय्यम निबंधक कनकावली
के दफ्तर में लिखा है।)अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूनाअतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
है, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 22-11-1984

मोहर :

प्रकृष बाई. टी. एन. एच. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37-ईई०/84-85—यतः मुझे, अनिल
कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट-1ए०, एस० न० 450, और 457
पंचपाखड़ी गांव है तथा जो थाना में स्थित है (और इससे
उपान्वद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, में सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण), अर्जुन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि वशापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंत-
रिती (अंतरितिया) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के
साथत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 मैसर्स मोडेला टेकमटाईल इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लि०,
4-सो०, बलकन इन्ड्यूरैस बिल्डिंग,
वार नारोमन रोड,
बम्बई-400 020।

(अन्तरक)

2 मैसर्स स्वस्तिक फैब्रिकेशन्स वर्क्स,
संगम सदन,
रोड नं० 2,
प्लाट नं० 451,
किशन नगर,
नं० 1, थाना-4।

(अन्तरिती)

इस बहु सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां कर्ता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहरताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

बन्सुखी

यूनिट 1-ए, एस० नं० 450 और 457, पंचपाखड़ी
गांव, थाना।

(क्षेत्र: 319 चौरस फुट)

(जैसे कि रजिस्ट्रारकृत नं० 5676 जो तारीख अप्रैल,
1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज,
पूना के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार

संगम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

तारीख: 20-11-1984

मोहर:

प्रारूप आर्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रोज पूना

पूना दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37-ईई०/84-85/893--यतः मुझे अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विवरण करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसके सं० यूनिट 18 एस० नं० 450 एण्ड 457 पंचाखड़ी है तथा जो धाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वगित है) रजिस्ट्रारकी अधिकार के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रोज पूना में रजिस्ट्रारकी अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तरख

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एक अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का वास्तविक अन्तरण अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरण के वाणिज्य में कमी करने या अन्तरण के अधीन की लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तिवों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, अन्तरण में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

6-426 GI/84

1. मैसर्स मोडिला टैक्सटाइल इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड
4-मो० बलहन इंप्रूवेंस बिल्डिंग,
प्रमदई-400 020।

(अन्तरक)

2. मैसर्स स्वास्तिक इंजीनियर्स,
लक्ष्मी सदन,
रूम सं० 29,
2 एण्ड फ्लोर,
किशन नगर,
नं० 1,
धाना।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधाएं :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुपूर्वी

यूनिट 18, एस० नं० 450, एण्ड 457, पंचाखड़ी, धाना।

(क्षेत्र: 319 चौगुन फुट)

(जैसे कि रजिस्ट्रारकी नं० 5675/83-84 जो तारीख अगस्त, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रोज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रोज, पूना

तारीख 19-11-1984

माहें

रक्षण बाई टी. एच. एस. - - -

भाष्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भाष्यकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37-ईई/84-85/894—यतः मुझे अनिल
कुमार,

भाष्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु. में अधिक है

श्री. जे. को. सं० यूनिट नं० 21, एस. नं० 450 और 457, पंचप कडी है तथा जो थाना में स्थित है (श्री. इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्री. पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार कार्यालय के कार्यालय, में सहायक आयुक्त (निरिक्षण) अर्जुन रेंज, पूना में, रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम, तारीख अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपाबद्ध सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए हय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिभक्त नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग को बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के आविष्कृत से कमी करने या उक्त सूचना में सूचना के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य भागियों को, जिन्हें भारतीय भाष्यकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भाष्यकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रकाशनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण के अर्थ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन है —

1. मैसर्स मोडेला टैकस्ट ईन इंजिस्ट्रियल प्राइवेट लि०,
4 सी, बलहन इस्ट्रीट, बिल्डिंग,
बार नर मन रोड,
बम्बई-400 020।

(अन्तरक)

2. मैसर्स रिटा इंजोर्नियरिंग वर्क्स,
61-बी०, पंजाबा इंजिस्ट्रियल इस्टेट,
पीकन रोड-1,
कोट, थाना।

(प्रतिरिक्त)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अन्तरण के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में कोई भी बाधाएं:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् की व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्धु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के रूप में लिखित में किए जा सकेंगे।

संश्लेषण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गण/यूनिट नं० 25, एच० नं० 450 और 457,
पंचप कडी, थाना।

(क्षेत्र: 512 चौरस फुट)

(निये कि रजिस्ट्रार नं० 5677 जो तारीख अप्रैल, 1984 को उक्त प्रयुक्त (निरिक्षण) अर्जुन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार

सहायक प्राधिकारी

सहायक आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

तारीख: 20-11-1984

सोहर :

रूप में. टी. ए. ए.-----

भाषांतर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भाषांतर आयुक्त (निराकरण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37-ईई/84-85/895—यतः, मुझे, अनिल
कुमार,

भाषांतर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु. से अधिक है

श्रीर जितका सं० यूनिट नं० 15, एस० नं० 450 एण्ड
457, पंचगाकड़ा है तथा जो धाना में स्थित है (श्रीर
इससे उपावृद्ध अनुसूचा में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रारकी कार्यालय, सहायक आयुक्त आयुक्त
(निराकरण) अर्जुन रेंज, पूना में, रजिस्ट्रारकी अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधिनियम, तारीख अप्रैल 1984
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का
एक प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती
(अंतरिती) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तब राया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कार्यत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तव्यो
को, जिन्हें भारतीय भाषांतर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :-

1. मैतर्स मोडेला टेक्स्टाइल इन्ड० प्राइवेट लि०,
4 सा, बलरुन इन्डियन रिजर्व,
बम्बई।

(अन्तरक)

2. श्री पी० के० दलवी,
प्रो० ऑफर वेल्,
रामेजिनल ऑफ,
रूम नं० 2,
अलैड सिलक मिल,
आगरा रोड,
धाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के बचने के लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त संपत्ति के बचने के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सम्बन्धित:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वहां बर्ण होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 15, एस० नं० 450 एण्ड 457, पंचगाकड़ा,
धाना।

(क्षेत्र: 410 चौ० फुट)

(जो कि रजिस्ट्रार नं० 5879 जो तारीख 11
1984 को राज्य प्रपत्र प्रकट (निराकरण) अर्जुन रेंज,
पूना के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुक्त आयुक्त (निराकरण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख: 20-11-1984

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एच

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निवेश सं० 37-ईई/84-85/896—यस, मुझे, अनिल
कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इनके
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25 000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० यूनिट नं० 29, एच० नं० 450 एण्ड
457, पंचपाकड़ी है तथा जो थाना में स्थित है (और
इससे उपावृद्ध अनुमूला में और पूर्ण रूप से वगित है),
रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय सहायक आयुक्त आयुक्त
(निरिक्षण), अर्जुन रेंज, पूना में, रजिस्ट्रारकी अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारख अर्प्रेल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, उम्मेद दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य में अन्तः अन्तरण में उक्त वास्तविकी
रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण में हुई किसी अन्य की वास्तव उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को
अधिक से कम कर देने या उससे बचने में सुविधा
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी अन्य का अन्य लाभों
को, किन्तु भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तः अन्तरण में उक्त उक्त उक्त उक्त
या या किसी अन्य का आय या, अन्तः अन्तरण में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत
को, कि उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथा—

1 मैसर्स मोडला टैक्स्टाइल इंडस्ट्रियल प्राइवेट लि०
4मी बल्लभ इन्वयूरेस बिल्डिंग
ब.र नर.सन रोड
बम्बई-400 020।

(अन्तरक)

2 मैसर्स कुनाँल इंजीनियरिंग सर्विस
प्रो० आ यू० एल० शाह
11 कुंदेश्वर भवन
बल्लभ बाग लेन
घाटकोर,
बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जुन रेंज के लिए
अपवृद्धा करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जुन रेंज सम्बन्ध में कोई बाधोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नभाहस्ताकारी के वास्तविकी
निरिक्षण में कोई बाधोप।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 29 एच० नं० 450 एण्ड 457 पंचपाकड़ी
थाना।

क्षेत्र : 512 चौरस फुट)

(जैसे कि रजिस्ट्रारकी नं० 5679/83-84 जो तारीख
अर्प्रेल 1984 को सहायक आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

अर्जुन कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

दिनांक : 20-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर, 1984

निदेश सं० 37-ईई/84-85/897—अतः मुझे अनिल
कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269 ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25 000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० यूनिट नं० 97, सर्वे नं० 450 और 457
है, तथा जो आगे में स्थित है (और अपने उत्तरव अनुसूची में
और जो पूर्ण रूप से वर्गीकृत है) राजस्त्रावली अधिनियम
के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज
पूणे में रजिस्ट्रारण अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पत्रोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथाप्राप्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुए किसी आय की वारस, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
की, की, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स मोडोला टेक्स टाईल्स इन्डस्ट्रोज प्रा० लि०
4 सो बहलकम इन्डियुरेन्स विल्डिंग
विर नरसिन रोड बाम्बे-40020
(अन्तरक)

2. मैसर्स ब्ल्यू चीप
मनोषा A97 श्रीरंग सोजाइटी
ठाने-400609
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जुन के विश्व
कार्यवाहियों शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जुन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
सूचना को प्राप्त से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तथा/वास्तुशायी के पाठ
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 17 सर्वे नं० 450 और 457 पंच पोखरी
(क्षेत्र 300 चौ० फुट)

(जैसे का रजिस्ट्रारण नं० 37-ईई/672/84-85
पुणा जो तारीख अप्रैल 1984 को सञ्चाल आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जुन रेंज पूणे के दफ्तर में लजा है।

अनिल कुमार
सहायक प्राधिनियम
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख : 20-11-1984

मोहर :

प्रकरण आई. टी. एन. एच.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1983

निदेश सं० 37ईई/84-85/898—यतः, मुझे,
अमित कुमार

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० यूनिट नं० 26 सर्वे नं० 450 और 457 पंच
पाखंडा है तथा जो ठाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से विगत है) रजिस्ट्रारों अधिभार के कार्यालय
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जन रेंज पूना में रजिस्ट्रारों-
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन त.रा.ख.
अप्रैल, 1984,

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब-पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
हायिलक में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, द्वारा

1. मेसर्स मोडिजना टेक्स टाइल्स, इंडस्ट्रोज प्रा० लि०
4, सा गृहान 66 इन्स्युरन्स बिल्डिंग वीर नरामन रोड
बम्बई-40020
(अन्तरक)

2. मेसर्स सिन्धु स्विचगियर, सिस्टम
ए० 26 हयंत्र दर्शन हायवे सिंगल के पास,
ठाना-400602
(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्समधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में क्लि-
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अभावेसाक्षरी के बाध
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वच्छीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 26 सर्वे नं० 450 और 457 पंच पाखंडा, ठाना
(नं० 512 चौ० फुट)

(नैने कि रजिस्ट्रारों नं० 37ईई/5671/84-85 पूना जो
मार्च 1984 को तृतीय प्रथम प्रयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, पूना के पक्ष में लिखा है।

अमित कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 20-11-84

मोहर :

प्रश्न नं० टी. एन. एस्. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 29 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37ईई/5677/84-85—प्रतः सुश्रे, अनिल कुमार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन मुख्य प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० गाला/यूनिट नं० 22, सर्वे नं० 450 और 457 पंचकड़ है, तथा जो पुणे में स्थित है (और इससे उदाहरण प्रसूचा में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी प्राधिकारी के अधीन में आयकर अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूल्य यह विश्वास करने का कारण है कि तथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरक से हुए किसी बाव की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की क्षमिता में कमी करने या उक्त अन्तरक में क्षमिता को लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी बाव या किसी धन या अन्य वास्तवों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में क्षमिता को लिए ।।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरक में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निर्माणागत व्यक्तियों, तथात् :-

मैसर्स मोडेला, टैक्सट.ईल्ल, इंडस्ट्रज प्रा० लि०,
40, व्हुलकेन इन्स्युरेन्स बिल्डिंग,
बार नरामन रोड, बाम्बे-400020 ।

(अन्तरक)

2. मैसर्स पी०के० नारायण

30, अम्बे कृपा, नाहूर, मूलंड, बाम्बई-400080 ।

(अन्तरिती)

और यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या जो भी अवधि बाद में समाप्त होगी या, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गाला/यूनिट नं० 22, सर्वे नं० 450 और 457
(492 चौ० फुट) ।

(जैसे कि रजिस्ट्रारकी नं० 37ईई/5677/84-85 पुणे जो दिनांक अप्रैल 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण) अर्जुन रेंज पुणे के दफतर में लिखा है ।)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रेंज पूना

दिनांक 19-11-1984
मोहर :

प्रारूप. आई. टी. एन. एस्. - - - e -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37ईई/5671/84-85/900--अन मुझे,

अनिल कुमार,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु से अधिक है

श्री. जिसकी सं० यूनिट नं० 20 सर्वे नं० 450 और 457 पंच पाकड में है तथा जो पुणे में स्थित है (श्री. इसने जाबद्व अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वगिन है), रजिस्ट्र करी अधिहारा के कार्यालय में सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेज पुणे में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक अप्रैल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि वहापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीया) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तब धारा गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायलभ में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1 मैमरी मोनेना टेकपट्टीटा इडस्ट्रज प्राइवेट लि०
40 युनेको इन्स्ट्रुमेन्ट मिलिडग
भास्के-400 020 ।

(अन्तरक)

2 मैपर्स के० पी० एम० इडस्ट्रीज
ए-8 हुई। दर्शन 1 ला माला नागनाडा
भास्के-400602

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जस के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जस के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सज्जना का तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वच्छीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 20 सर्वे नं० 450 और 457 (492 चौ० फुट) ।

(जैसे कि रजिस्ट्र कर नं० 37ईई/5671/84-85 पूना जो दिनांक अप्रैल 1984 को पंद्रहवें अन्तर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेज पुणे के कार्यालय में लिखा है।

अनिल कुमार
मध्यम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज, पूना

दिनांक 19-11-1984

सांहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार-

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर, 1984

निदेश सं. 37ईई/5672/84-85/901—अत मुझे अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी ह० गाला यूनिट न० 96, सर्वे न० 450 और 457, पचपोरुडी में, तथा जो पुणे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेज (निरीक्षण) अर्जन रेज, पुणे में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एवं दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के क्षयित्व में कमी करने में उससे बचन में सविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्नियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था दिग्गम में अन्तरण के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्जन रेज :—

7—426 GI/84

1 मैसर्स मोडोला, टैक्सटाइल्स, इडिया, प्राईवेट लिमिटेड
40, व्हलकन इन्स्युरेन्स बिल्डिंग,
विरार मन पीईन्ट, रोड,
बम्बे-400 020

(अन्तरक)

2 मैसर्स जीन मशीन टूल्स,
ए-25, हाई वे दर्शन 1 ला, माला नागपाडा,
थाना-400 602

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गाला/यूनिट न० 99, सर्वे न० 450 और 457 (592 चौ० फुट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत न० 37ईई/5672/84-85/ पूणे जो तारीख अप्रैल 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज पुणे के कार्यालय में लिखा है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, पूना

दिनांक 19-11-1984

माहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
भारत 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37ईई/6529/84-85/902—अतः मुझे,
प्रमिल कुमार,

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 2 सी० टी० एस० नं० 1201 डी
फार्मल प्लॉट नं० 566/2 शम्भुडी शिवाजी नगर पुणे-4, जो
पुणे में स्थित है (और इससे उपरान्त अनुसूची में और जो पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सहायक
आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
सितम्बर, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब
नया नया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
बाबत न के करी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को
प्रसिध्दार्थ अन्तरिती द्वारा अकट नहीं किया गया
या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित शर्तियों, अर्थात्—

1. श्री इन्द्रसेन कृष्ण राव शिरोले,
1201/डी, फरगुसन कांजेश रोड,
पुणे-411004।

(अन्तरक)

2. श्री अरुण माधव जोशी,
बि०-3 सिमा सोसायटी 1201 ई, शिरोले रोड,
पुणे-411004।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वीकृति:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 2, ग्राउन्ड फ्लोर, सी० टी० एस० नं० 1201
डी, फार्मल प्लॉट नं० 566/2। (418 चौ० फु०)
(जो कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/6529/84-85 पूना,
जो तारीख सितम्बर, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे के कार्यालय में लिखा है।

प्रमिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 19-11-1984

मोहर :

प्रथम बाईं टी. एन. एच.

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भाषाकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक भाषाकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर, 1984

निर्देश सं० 37ईई/4463/84-85/903—अतः मुझे, अनिल कुमार,

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिससे इससे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सूट नं० 1, 2, 3, 4, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अन्तर्गत, अलाई तह० पालघर, जिला ठाणे है, तथा जो पूणे में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रेंज, पूणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्यमान प्रतिफल से, ऐसे श्यमान प्रतिफल का पर्याप्त प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की शक्ति से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तित्वों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथा:—

1. मैसर्स पालघर लैन्ड डेवलपमेंट, कार्पोरेशन, दिवाण टावर, बसई रोड, (डब्ल्यू); जिला ठाणे ।
(अन्तरक)
2. मैसर्स धोजन स्पोर्ट्स वेयर (प्रा०) लि० बाम्बे; क्राफ्ट, सेंटर रहेजा चेंबर, 213, मरीमन पाइड, बाम्बे-400021
(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी वाद —

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सूट नं० 1, 2, 3, 4 इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अलाई तह० पालघर, जि० ठाणे, सं० नं० 39/1

(जैसे कि रजिस्ट्रीकरण नं० 37ईई/4463/83-84 पूणे जो दिनांक अप्रैल, 1984 को सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रेंज, पुणे के कार्यालय में लिखा है।)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

दिनांक 24-11-1984
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, तारीख 19 दिसम्बर 1984

निवेदन सं० 37ईई/5913/84-85—अंतः, मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मालपमा 179 पर्वत गांव है तथा जो पूणे में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त कार्यालय (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, आयकर अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या क्रिया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जानकी बाई एस० साने,
179, पर्वती पुणे-411009

(अन्तरक)

(2) एम० एच० लोवारी,
1462 शुक्रवारपेट, पुणे-2 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मालमाता 179 पर्वत गांव पूणे (904 चौ० फुट)

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/5973/84-85 पूना जो तारीख जुलाई 84 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर लिखा है)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 19-12-1984

मोहर :

प्रथम भाग. टी. एच. एल. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37ईई/84-85/4535/84-85/905—अतः
शुभे अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 9 दूसरे मंजिल पर 1000
स्क० फुट० + 390 स्क० फु० बलैसिंग 1360 स्क० फु० कारपेट
एरिया है तथा जो पूणे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन
रेंज, पूणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अधीन तारीख मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और शुरु यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की शक्ति, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या मूल्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहीए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स वी० आई० पी० एंजिनिअरिंग्स
9204/90 शिवाजी नगर
पूणे ।

(अन्तरक)

(2) वसंत जयवंत दिवेकर,
37/9ए और डवणा 11 वीं गली,
प्रधान रोड, पूणे 4 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के बचन के संबंध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

प्लॉट नं० 9 दूसरी मंजिल पर, 1000 स्क० फुट +
360 स्क० फुट बलैसिंग 1360 स्क० फुट ।

(रूम 1357 चौ० फुट)

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/4535/83-84
पूना जो तारीख मई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

दिनांक : 24-11-1984

मोहर :

राज्य बाई. टी. एन. ए. ए. ए.

(1) मेसर्स मकवाना ब्रदर्स एन्ड को
449, सोमवारपेट पूणे ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) कुमारी इकसाना हासिम हुसन और
नसीम आदम अमर, 393
एम० जी० रोड, पूणे ।

(अन्तरिती)

राज्य सहायक

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर, 1984

निदेश सं० 37ईई/9070/84-85/906-अतः

मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इससे
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को कि धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 309 3री मंजिल पर घ०
नं० 2416 इस्ट स्ट्रीट पुणे है तथा जो पूणे में स्थित है
(और इससे उपायद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर
आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूणे में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख
सितम्बर, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य संकम के उपरान्त
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि सहायक सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके उपरान्त प्रतिफल से ऐसे उपरान्त प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और
अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित
से वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वापस, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
योग्यता से कमी करने या उचित बचने से सविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय भाव-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था छिपाने से सविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचने के लिए
अवरोधित करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के बचने के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहायक प्राधिकारी के पास
निश्चित में किए जा सकेंगे ।

समाप्ति:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में किया
गया है ।

अनुसूची

प्लॉट नं० 309, तीसरी मंजिल पर घ० नं० 2416
इस्ट स्ट्रीट, पुणे (क्षेत्र 11510 चौ० फुट)

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/6070/84-85
पूना जो तारीख सितम्बर, 1984 को सहायक आयकर
आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूणे के वक्तर में लिखा है)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

दिनांक : 24-11-1984

मोहर :

प्रकृत बाई टी एन एच

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर, 1984

निदेश सं० 37ईई/5112/84-85/907—अतः मुझे;
अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विवेक करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 109 पहला मंजिल सं० नं०
294 कदम अपार्टमेंट पर्वत पूणे है तथा जो पूणे में
स्थित है) और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक
आयकर आयुक्त अर्जुन रेंज, पूणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून 1984
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विवेक
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पंखू प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्त-
रिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन वा अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया वा या किया जाना चाहिये था छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्ग
में, जो, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा—

(1) श्री राजकुमार जिनराम अग्रवाल,
के० ओ० मेसर्स राज बिल्डर्स,
सं० नं० 9/3 येरवडा पूणे।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती कमलाबाई विजयराम उणेचा,
178, पर्वत गांव ठाण पूणे।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 101 पहला मंजिल सं० नं० 214 पर्वत
पूणे कदम अपार्टमेंट (क्षेत्र 1475 चौ० फुट)
(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37ईई/5112/84-85
पूणे जो तारीख जून 1984 को सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूणे के दफ्तर में लिखा है)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

दिनांक : 24-11-1984

गोहर

प्रकृत आर्.टी.एल.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पुणे

पुणे, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37ईई/4722/84-85/908—प्रतः मुझे,
अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 5, सि० टो० ए० नं० 125/
डो-2, पुणे-4 है, तथा जो पुणे में स्थित है (और इससे उपावृद्ध
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार
अधिकारी के कार्यालय सहायक आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज पुणे से रजिस्ट्रार अर्जन रेंज 1908
(1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से ब्याज के उच्चतम
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि अध्यापक अर्जन रेंज के उचित बाजार
मूल्य, उसके उच्चतम प्रतिफल से उचित उच्चतम प्रतिफल के
बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्धरण से उक्त अन्तरण
लिखित में वारंवारिक रूप से उचित नहीं माना गया है :—

(क) अन्तरण से पूर्व किसी आर को बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उपाय करने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी अन्य या निराले धन या अन्य जास्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) के अन्तर्गत अधिनियम या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा एकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, दिवसों में अन्तिम
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन:—

1. नाडगौडा, उंटप्रभोचैन,
द्वारा, प्लॉट नं० 131/ए० 3, मोदी बाग,
गणेश खण्ड रोड, पुणे-16
(अन्तरक)
2. श्री मदन लाल डो० सुजाथा,
लक्ष्मी विलास 129, फर्ग्युसन कालेज, रोड,
पुणे-4
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना को तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों से से निराले व्यक्ति द्वारा;

(ख) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पान
लिखित से निराले व्यक्तियों द्वारा;

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अन्वय 20-क में परिभाषित
हैं, वहाँ जहाँ होंगे जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(प्लॉट नं० 5, सि० टो० ए० नं० 125/डो-2/पुणे-4)
(खे० 9050 चौ० फु०)।

(जो को रजिस्ट्रार नं० 37ईई/4722/83-84 पुणे
जो दिनांक मई, 1984 को सहायक आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पुणे के कार्यालय से लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पुणे

दिनांक : 23-11-1984

मोहर :

अरूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई/4233/83-84/909—अन: मुझे,
अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विज्ञापन करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 3 उप प्लॉट नं० 2 हिस्सा नं० 126 सं० नं० 103 येखडा पूना है तथा जो पुणे में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पुणे, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वजह, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दाखिल में कमी करने या उक्तसे बचन से सुविधा के लिए और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

8—426 GI/84

(1) श्री रवि चगपाल कारिआ
केअर/ओफ मेसर्स सिद्धार्थ बिल्डर्स एम 1 हरमोसनेस्टे
88 दस्तूट महेररोड
पुणे ।

(अन्तरक)

(2) डा० के० यु० वामुदेवन,
येखडा स्टुड फार्म नगर रोड
पुना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाठ्यस्वाक्षरी के पास लिखित में किए गए मके में।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 3 उप प्लॉट नं० 2 हिस्सा 126 सर्वे नं० 103 येखडा पुणे है।

(क्षेत्र 580 चौ०फु०)

(जैमा की रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/4233/83-84 पुणे जो तारीख अप्रैल 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पुणे दफ्तर में लिखा है) ।

अनिल कुमार
मक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 24-11-1984

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 21 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई/84-85/3962/910—प्रतः मृगे
अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सहायक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 117, सं० नं० 30 प/47 कोथरुड पुणे, है तथा जो पूणे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज पूणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्सरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) मैसर्स ओशियन बिल्डिंग्स
पाटनर श्री वी० एन० लांबे,
35 विश्वशोभा,
को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
528 नारायण पूर्णे 30 ।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रदिप बालकृष्णा लेले,
पि० एम० सी० कालोनी
नं० 7 विन्डीग, वी ब्लॉक नं० 12 घोटपडे
पेठ गंकर शेठ रोड पूर्णे -2

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए गए सर्वेक्षणों।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्सूची

प्लान नं० 117 (591 चौ० फुट)

जैसे की रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/84-85 जो दिनांक अप्रैल 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज पूणे के दफ्तर में लिखा ।

अनिल कुमार
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना ।

दिनांक :- 21-11-1984

माहुर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई/4232/84-85/911—अतः मुझे;
अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० प्लॉट नं० 4 सब प्लॉट नं० 2 हिस्सा नं० 126 सं० नं० 103 येखड़ा पूना है तथा जो पूना में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिणी अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिनमें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 19(7) (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रीण बंगपाल कन्या प्रो०
मैसर्स मिद्वार्थ विल्डर्स एम-1
हरमिमनेस्टे 844 दस्तूर महेर रोड,
पूना 411001

(अन्तरक)

(2) श्री अलियुस एल० सनड्राणा,
सं० नं० 21/2 मचबेल रोड मैनिक्वाडा
पूना-11014 (अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 4 सं० प्लॉट 2 हिस्सा 126 सं० नं०
103 येखड़ा पूना है

(क्षेत्र 600 चौ० फूट)

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई/4232/83/84
पूना जो दिनांक अप्रैल 84 को सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जुन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा है)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

दिनांक 24-11-1984

माहूर :

परूप भाषा. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई/5169/84-85/912--अतः मुझे
अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० विलडींग नं० /901/शुक्रवार पेठ है
तथा जो पूना में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के
अधीन दिनांक अप्रैल 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दायमान प्रतिफल से कम दायमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच एम् अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए;
और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों
को चिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) मैसर्स पांप्युलर असोसिएट
815 मुकुन्द नगर
पूना -37

(अन्तरक)

(2) श्री भारत पुराजजी श्रोसवाल
58, बालवद, पोस्ट लोणावण
पूना -16

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वीकृति :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

विलडींग 901 शुक्रवार पेठ पूना

(क्षेत्र 999 चौ० फुट)

(जैसा की रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई/5191/84-85
पूना जो अगस्त 1984 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज पूना में लिखा है।

अनिल कुमार
मक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक :- 17-11-1984

मोहर :-

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37ईई/7372/84-85/913-अतः सुभे अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 351 हिस्सा नं० 6 और 7 ढाणे है तथा जो पूर्ण में स्थित है (और इससे उपानद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन दिनांक जुलाई 1984 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और इसके, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती (अंतरिती) के बीच एक अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) मैसर्स भारत कनस्ट्रक्शन कं०
66/7 विजुकेटक मार्ग
बम्बई-40038

(अन्तरक)

(2) मैसर्स लंबईडिया इन्स्ट्रुमेंट प्रा० लिमिटेड०
रजिस्टर ऑफिस 34/39 भारत कुज सोसायटी
एरडवणा पुना 411004

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थात् अर्जनाक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ऑफिस नं० 201/दूसरा माना नन्द चेंबर्स प्लॉट नं० 359 हिस्सा नं० 6 और 7 अ एल० वि० एम० मार्ग बंदना टाकीज के पाम ठाणे।

(क्षेत्र 1312 चौ० फूट)

(जैसा की रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई/7372/84-85 पूना जो 37 जुलाई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण अर्जन रेंज पूना में दफ्तर में लिखा है)

अनिल कुमार

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

दिनांक 17-11-84

मोहर :-

प्रकाशक आई. टी. एन. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37ईई/4335/84-85--/014-- अतः
मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट सी०टी० एम० नं० 113/8 इरडवना एल पी० नं० 46/4 टि० पी० एम० आर० पूना-5 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1984 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अद्यतन प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अद्यतन प्रतिफल से, ऐसे अद्यतन प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी लाभ की वारदात, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शासित में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात् :—

(1) श्री सरद शंकर लघाटे
2. सी० हेमलता भालचंद्र लघाटे ।
3. श्री अनुल बी० लघाटे ।
4. कुमारी उज्वला बी० लघाटे
382/श्रीर म्हानीवार पेठ
पूना 411030

(अन्तरक)

(2) मैसर्स साने सरदेशमुख असोसीएट ।
314 नारायण पेठ
पूना-411030

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों को ब किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

लक्ष्यीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० सी० टी० एम० 113/8 इरडवना एल० पी० नं० 46/4 टि० पी० एम० 46/4 टी० पी० स्कमि नं० 9 पूना

(क्षेत्र 1245 चौ० फुट)

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई/4339/83-84 पूणे के जो मई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर लिखा है ।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज पूना

दिनांक :- 24-11-1984

मोहर :-

प्रारूप आई.टी.एन.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी. ए० 5/37ईई/84-85/916—अन:

शुभे श्रीमल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर नं० 1599 सदाशिव पेठ है तथा जो पूना-30 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वाणज है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तर्गण निम्नित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए।

(1) नामुदक ल्यम्बक बगायनकर तथा अन्य घर नं० 1599 सदाशिव पेठ, पूना -30.

(अन्तरक)

(2) श्रीमल मुहाम जांटा, द्वारा सुरेखा व० देशपांडे 1569 सदाशिव पेठ, पूना -30

(अन्तर्गति)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 1599 सदाशिव पेठ पूना-30

क्षेत्र 266.63 स्क० मि०

(क्षेत्र की रजिस्ट्रीकृत नं० 4359/83-84 जो मई 84 की सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जुन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शुभे श्रीमल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

दिनांक :- 24-11-1984

माह :-

प्राकृतिक बाढ़-टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए० 505/37ईई/7374/84-85/917--

अतः मेसे अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आफिस नं० 202 दूसरी मंजिल नंद चेम्बर्स प्लॉट नं० 351 हिस्सा नं० 67 अ, एल० बी० एस० मार्ग, थाने है तथा जो थाने में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण आयुक्त अर्जुन रेंज, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई 1984 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दृष्टिकोण में कमी करने या इसमें कमी में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) का प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब को उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) भारत कन्स्ट्रक्शन कं
66/9 वाजुकोटक मार्ग,
पहली मंजिल
बम्बई-37

(अन्तरक)

(2) अर्जुनी म० भालेराव,
जानकी निसवाम दूसरी मंजिल
डा० मुने मार्ग
थाने ।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वास्तव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुच्छेद

आफिस नं० 202, दूसरी मंजिल नंद चेम्बर्स, प्लॉट नं० 351, हिस्सा नं० 6 व 7 अ, एल० बी० एस० मार्ग बंदना टाकीज के नजदीक थाने

क्षेत्र 315 स्क् फिट

(जैसा की रजिस्ट्रीकरण सं० 7374 जो जुलाई 84 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण अर्जुन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा है)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

दिनांक :- 17-11-1984

मोहर :-

प्रकृत बाई. टी. एच. एच. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/7373/84-85/918--

अतः मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ग्राफिस नं० 203 2रा मजल
नन्द चेम्बर्स प्लॉट नं० 359 हिस्सा नं० 6 और 7-अ एल०
बी० एस० मार्ग वन्दना के नजदीक स्थित है तथा जो
थाने में स्थित है (और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक
आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवधान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दायमान प्रतिफल से, ऐसे दायमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण को हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के अस्तित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या वस्तु वास्तविकों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) भारत कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी
66/7 वाजू कोटक मार्ग
1 ली मंजिल
बम्बई-38।

(अन्तरक)

(2) कंचन स० बापट
12 सुखानकुल्ली सी
भास्कर कालोनी
नवपाड़ा थाने ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

ग्राफिस नं० 203 दूसरी मंजिल नन्द चेम्बर्स प्लॉट नं०
359 हिस्सा नं० 6 व 7-अ एल० बी० एस० मार्ग वन्दना
टोकीज के नजदीक, ।

(क्षेत्र : 394 स्के० फीट) ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत क्रम सं० 7373 जो जुलाई 1984
को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे
के दफ्तर में लिखा है) ।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 17-11-1984

मोहर :

प्रारूप भाग डी.एच.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निवेदन सं० 37 ईई०/5268/84-85/919—अतः मुझे,
अनिल कुमार

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
'69-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 102, के० सी० टी० 1, सर्वे नं०
17 ए प्लॉट नं० 2, हिस्सा नं० 5 वानवडी पुणे-13 है तथा
जो पुणे में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में रजि-
स्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसने दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
शास्त्रीय रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी भाग की वापस, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
हाथिल में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा
को मिले; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तवों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
अन्य अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः जब उक्त अधिनियम को धारा 269-ब के अन्तर्गत
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० परमार कन्सल्टिंग
321/3 न्यू टिबर मार्केट
रोड पुणे-21

(अन्तरक)

(2) श्री मधुबेन सुमनलाल दोशी
केयर आफ सचिव और कम्पनी
25 बुट्टी स्ट्रीट
पुणे-11

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन को लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी शिकायत :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के आधाय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

नमूना

प्लॉट नं० 102 के० पी० टी० 1 सं० नं० 17 ए प्लॉट
नं० 2 हिस्सा नं० 8 वानवडी पुणे-13।

(क्षेत्र : 780 चौ० फीट)।

(जो कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई०/5268/84-85 पुणे
जो जुलाई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पुणे में लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 17-11-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई०/5272/84-85/920—अतः मुझे
अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 206 सी० नं० 17-ए प्लॉट नं०
2 हिस्सा नं० 7 बानवरी पुणे-13 में है तथा जो पुणे में
स्थित है (और इससे उपायय अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर
आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
बाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन:—

(1) मै० परमार कन्स्ट्रक्शन
329/3 न्यू टिबर मार्केट रोड
पुणे-2।

(अन्तरक)

(2) सबीर एच० वकील
डी/21 गीता सोसाइटी
सिनेगाग स्ट्रीट
पुणे-1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी बाकी है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में अहित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 206 हुपटे सालेपट के० पी० टी० बिल्डिंग 1
सं० नं० 17ए प्लॉट नं० 2 हिस्सा 7 बानवरी पुणे-13।

(क्षेत्र: 720 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत 37 ईई०/5272/84-85 पुणे
जो जुलाई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण):
अर्जन रेंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 17-11-1984

मोहर :

प्रकृत बाई.टी.एन.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भाउद ब्रुकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पुना

पुना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37 ईई०/5275/84-85/921—अतः मुझे,
अनिल कुमार

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 612 छठा मंजिला के० पी० टी०
1 प्लॉट नं० 2 हिस्सा 8 सं० नं० 17-ए तथा जो पुणे
में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयुक्त
आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई
1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अंतरिती) को बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुए किसी बाय की वारस, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
बाबित्व में करनी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधि-
नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधि ६—

(1) मै० परमार कन्स्ट्रक्शन
329/3 न्यू टिबर मार्केट रोड
पुणे-2।

(अन्तरक)

(2) भास्कर गणेश नाईक
अमीक्षुपा ब्लाक नं० 1
सुभाष नगर इस्टेट
एन० एम० एीशी मार्ग
बम्बई-11।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधाएं :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 612, छठा मंजिला, के० पी० टी० 1 प्लॉट
नं० 2 हिस्सा नं० 8 रू० नं० 17-ए, पुणे-13।

(क्षेत्र : 720 चौ फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/5275/84-85 पुणे
जो जुलाई, 1984 को सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पुना

तारीख : 17-11-1984

मोहर :-

प्रकृत आर्. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

प्राउच बरकाउ

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई/०/5857/84-85/922—

अतः मुझे, अनिल कुमार,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 287 हिस्सा नं० 5 तथा ठाकुर्ली कल्याण शानि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण); अर्जन रेंज, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, लिखित में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्थात् :—

(1) श्रीमती हीरा बाई म० बायेंथेना तथा अन्य
डेहणु बिल्डिंग,
तीसरा मंजला,
सुपारी बाग,
परल, बम्बई-12।

(अन्तरक)

(2) सत्यबोधक गुब्बी,
ब-12, नव सहयोग
को आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी,
360, सेनापति बापट मार्ग,
माटुंगा, बम्बई-16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो सर्वे नं० 287, हिस्सा नं० 5, जो ठाकुर्ली गांव डोम्बवली, ता० कल्याण, शानि में स्थित है।

(क्षेत्र : 4849 स्के० मी०)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत क्रम सं० 5857/83-84 जो मई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-11-1984

मोहर :

अन्तर्क. टी. ए. ए. ए.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/5173/84-85/923—

अतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 111, के० पी० टी० 1, पहला मंजला, नं० 17-अ, प्लॉट नं० 2, हिस्सा नं० 8, बामबड़ी,

पुणे-13 है तथा जो पुणे-13 में स्थित है (और इससे उपा बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सूचना के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्क में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० परमार कन्स्ट्रक्शन,
321/3, न्यू टिम्बर मार्केट मार्ग,
पुणे।

(अन्तरक)

(2) आय एक्स रेटी,
428/8-अ, गुलटेकड़ी,
पुणे-1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के बर्चन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के बर्चन के संबंध में कोई भी जांच :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिये गए हैं।

बगुसूची

प्लॉट नं० 111 के० पी० टी० 1, पहला मंजला सं० नं० 17-अ, प्लॉट नं० 2 हिस्सा नं० 8, बामबड़ी पुणे-13।
(क्षेत्र : 1440 स्के० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत क्रम सं० 5273/84-85 जुलाई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सतन प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, पूना

तारीख : 17-11-1984

माहर :

इसके बाद टी. एन. एस. —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई०/4229 84-85—अतः मुझे,

अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लॉट नं० सी 19, चौथा मंजला, एफ० पी० नं० 203, संगमवाड़ी, टी० पी० एस० पुणे सिटी है तथा जो पुणे में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय थाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसे किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० हेरमेश एजेंसीज,

917 साचारपड़े स्ट्रीट

पुणे-1।

(अन्तरक)

(2) चार्लटन किट्टो और

देबोराह किट्टो

केयर आफ हेलाह बिल्डिंग

173 माउन्ट रोड

मालगांव बम्बई-400101

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० सी-19, चौथा मंजला, हरमेश कम्प्लेक्स को० हा०-सी० एफ० पी० नं० 203, संगमवाड़ी टी० पी० एस० पुणे सिटी।

(क्षेत्र : 949 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत [सं० 4229/84-85 पुणे जो तारीख अप्रैल 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पुणे

तारीख : 24-11-1984

साहू :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

सहायक आयकर

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई०/5348/84-85/925—अतः मुझे,
अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1140 शुक्रवार पेठ दूसरा मंजला पुणे-2 है
तथा जो पुणे में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जुन रेंज, पुणे में रजि-
स्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख जुलाई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मूिबधा
को लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, निरणने में सूचना
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० पुष्पक एसोसिएट्स,
298, घोरपड़े पेठ,
पुणे-2।

(अन्तरक)

(2) श्री विवेक हरी करवीकर,
'श्रीरामचन्द्र स्मृति'
1223, सदाशिव पेठ,
पुणे-30।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट दूसरा मंजला, 1140 शुक्रवार पेठ, पुणे-2।

(क्षेत्र : 924 चौ० फीट) कारपेट एरिया।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/4348/84-85 पुणे
जो जुलाई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पुणे

तारीख : 17-11-1984

मोहर :

प्रकृत बाई टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

आयलिय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई2/5195/83-84/926

--प्रतः सुश्री, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इससे पहले इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 158, म्युनिसिपल कारपोरेशन घर नं० 54/55, गली नं० 14, कल्याण है तथा जो घाने में स्थित है (और इससे उमानन्द अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्ण रूप से सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की छयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और इससे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके छयमान प्रतिफल से, ऐसे छयमान प्रतिफल का पक्कू प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीया) के बीच एक अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव्य में कमी करने या इससे अर्जन में सुविधा के लिए; और/या

(ख) किसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्य को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-संचयनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहे, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण से, और, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

10-426 GI/84

(1) श्री चिन्तामनि प० जोशी,
मेघश्याम वाड़ा,
पराका कल्याण,
घाने ।

(अन्तरक)

(2) मै० केलकर एण्ड कम्पनी,
माधव म० केलकर,
आनन्दी विल्डिंग,
आगरा रोड, कल्याण,
घाने ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्तग्रह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताकारी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सी० एस० नं० 358 म्युनिसिपल कारपोरेशन घर नं० 54/55, गली नं० 14, 973 स्के० यार्डस जिस पर इमारत बनी है ।

(क्षेत्र 2983 स्के० यार्डस) ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 5195/83-84 जो अप्रैल, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज पुणे के वक्तर में लिखा है) ।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 22-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पुणे

पुणे, दिनांक 21 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/एस० आर० /5000/
83-84/927—अतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सहायक प्राधिकारी को यह निश्चय करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आफिस नं० 201, दूसरा मंजला, निर्माण व्यापार केन्द्र, वाशी, प्लाट नं० 10, सेक्टर-17 है तथा जो नई बम्बई में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) में अर्जुन रेंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल 1984

को उक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपायुक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का दृश्यमान प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एक अन्तरक के लिए नये पास नये जीत-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी नाम की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर वन के अन्तरक के बाध्यत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या लिखित में सुविधा के लिए;

उक्त घब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार है, कि, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० निर्माण बिल्डर्स,
40-41, विशाल शॉपिंग सेन्टर,
सूर म० ब०-मार्ग,
(अन्धेरी-कुर्ला मार्ग),
अन्धेरी (पूर्व),
बम्बई-691

(अन्तरक)

(2) मै० तंवर ब्रदर्स,
104 तारवेव एयर कण्डीशंड मार्किट,
बम्बई-341

(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके उक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए आवश्यकता करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर उक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्रुत-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकें।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अफिस नं० 201, दूसरा मंजला, निर्माण व्यापार केन्द्र, वाशी प्लाट नं० 10, सेक्टर बी० ओ०-17, नई बम्बई-400703।

(क्षेत्र : 1175 स्के० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत क्रम 5000 जो अप्रैल 1984 को जो सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जुन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पुणे

तारीख : 21-11-1984

मोहर

इसमें बाहं.टी.एच.एच.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/728/83-84/179—अतः मुझे, अनिल कुमार, भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० मौजे कारीया दुमाला, सं० नं० 18/112, है तथा जो नगर में स्थित है (और इससे उपानद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबन्धक, संगमनेर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984 का प्रावक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और वृत्त यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्रावक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरती (अन्तरतियाँ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूल के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य जाम्तियों का, जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रावधानों अन्तरित दबाया एकट नहीं किया गया था या किया जाता जा रहा था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरक से, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मै० विलास घ० नवले,
कसारा दुमाला,
ता० संगमनेर
(नगर)।

(अन्तरक)

(2) शेयरमैन करुजी ह० मंजुल,
दि अहमद नगर एण्ड सब-डिस्ट्रिक्ट,
ता० संगमनेर,
मौजे कासारा,
दुमाला।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके प्रावक्त सम्पत्ति के बचन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बचन के सम्बन्ध में कोई भी बाधा —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उत्पन्न भी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो 'की अवधि' बाद से समाप्त होती हो, के भीतर प्रावक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवस्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तथा/याकारी के द्वारा लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अन्धक 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अन्धक में दिये गये हैं।

अनुसूची

मौजे कसारिया दुमालिया सं० नं० 18/112 संगमनेर
(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 37 जी०/728/84-85 जो अप्रैल, 1984 को दुय्यम निबन्धक, संगमनेर के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
महायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख : 22-11-1984

होहर ३

प्रकृत बाई. टी. एन. एच. - - - - -

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37 जी०/689/84-85/1187-
प्रतः मूझे, अनिल कुमार

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० नं० 440, देवलाली कन्टोनमेंट क्षेत्र, नासिक है तथा जो नासिक में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूचों में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबन्धक, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984 का प्रकाशित संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरती (अन्तरितियाँ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय राया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य वास्तियों का, जिन्हें भारतीय बाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बम्बई 8—

(1) श्री मनी बरजोर फरोर,
इडन हॉल, डी-2,
डा० एनो बेसेन्ट मार्ग,
वर्ली, बम्बई-18।

(अन्तरक)

(2) श्री मेघराज बी० कानल,
62, जुबलि नफ रेस्टोरेन्ट,
कैम्प मार्ग,
देवलाली।

(अन्तरितियाँ)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कामवाहय करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाय :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पत्र लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सं० नं० 440 देवलाली कन्टोनमेंट क्षेत्र, नासिक।

(क्षेत्रफल : 4011 स्के० फी०)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विनेल क्रम सं० 37 जी०/689/84-85 जो अप्रैल 1984 को दुय्यम निबन्धक बम्बई के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रंज, पूना

दिनांक : 22-11-1984

सांहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एस.-----

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37-ईई/704/84-85/1202--

यतः मुझे, अनिल कुमार,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकार का, यह निश्चय करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 20 सर्वे नं० 92(प) 93(प) नीलमोर गांव, नालासोपारा तह० वसई है तथा जो याने में स्थित है (और इससे उपाब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक वसई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अर्जन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच उसे, अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कायम नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण में हुई किसी भाव की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिये;

वतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्थात :-

(1) श्री अनंत नारायण कीर्ती
तथा अन्य, वसई याने ।

(अन्तरक)

(2) पार्क लेंड का० प्रा० हाऊसिंग सो० लि०
नालम र नालासोपारा, वसई,
याने ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 20 सर्वे नं० 92 (प) 93 (प) नीलमोर
गांव नालासोपारा, वसई, याने

(क्षेत्र 900 एक० मी०)

(जैसेकी रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 37 जी/704/84-85
जो अप्रैल 84 को दुय्यम निबंधक वसई के दफ्तर में लिखा
है ।

अनिल मार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, पूना

दिनांक : 22-11-1984

माहूर :-

प्ररूप आई. टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37-जी/84-85/1201—अतः
मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 22/27 ई वार्ड कोल्हापुर है तथा
जो कोल्हापुर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री नं० अधिवारी के कार्यालय
दुय्यन निबन्धक कोल्हापुर में रजिस्ट्री नं० अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकां) और अन्तरिती
(अन्तरितीयां) के बीच ए०में अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कांथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, धारा
269-घ (1) के अधीन (1961 का 43) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दायित्व प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण
की, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) की
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मुहुंदाव नं० रोड
बी० नाथ बिल्डिंग
94, बी : सावरकर मार्ग,
माहिम नम्बई-16।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रबुल कादर ए० मोंगल
139 टी० जुहूतारा
स.ताकूस
नम्बई-49।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के
लिए कार्रवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होगी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जो सी० एस० नं० 22/27 ई वार्ड, कोल्हापुर में
स्थित है। और जिसका क्षेत्र 1102.20 स्के० मी० है।

(जो कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्रम 1785 जो अप्रैल 1984
को दुय्यन निबन्धक कोल्हापुर के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 23-11-1984
मोहर :

प्रकृष बाई. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 7 ए०-5/37-जी/84-85/727/1200—प्रतः
शुभे, अनिल कुमार

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीरजि की सं० नं० 104, 104 प्र 7० टी० एस० नं०
24, 25, 26 (सं० नं० 137 तथा सी० टी० एस० नं० 27)
तुंगा ली है तथा जो ता० मावस पुणे में स्थित है (श्रीरजि इससे
उपावृद्ध अनुचर्ची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक बम्बई में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख
अप्रैल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवसाय
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और इसे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके वर्तमान प्रतिफल से ऐसे वर्तमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
से वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से पहले किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के अन्तर्गत
में नमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए;
आर/ब

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन का अन्य वास्तविक
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० बालचन्द्र नीलकण्ठ पुरंदरे
चौ.टं. हॉस्पिटल
बम्बई-400007।

(अन्तरक)

(2) मै० कोहिनूर बिल्डर्स
कोहिनूर भवन
सेनापति बाघट मार्ग
बम्बई-400027।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्यायकारी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जायदाद जो सं० नं० 104 और 104-प्र तथा सी० टी०
एस० नं० 24, 25 और 26 तुंगारली ता० मावस पुणे में
स्थित है।

जिसका क्षेत्रफल 12136.64 स्के० मी० है।

(जैसे कि रजि. डी. विलेज नं० 4103 जो अप्रैल 1984
को दुय्यम निबन्धक बम्बई के दफ्तर में लंबा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 24-11-1984

मोहर :

प्ररूप बाह्य टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37-जी/84-85/1199—अतः
मुझे, अनिल कुमार,

भायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसक पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सं० नं० 64 धर सं० 1

पाथरली ता० कल्याण है तथा जो थाने में स्थित है (और इससे उपाजद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री-कर्ता प्राधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक कल्याण से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान प्रतिफल के लिए अतारत का गद है और मक यह विश्वास करने का कारण है कि यथापरोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य इसके द्यमान प्रतिफल से एम्में द्यमान प्रतिफल का बन्हा प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंतोरती (अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर वन के अन्तरक के बायत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों का उक्त भारतय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पुरुषोत्तम क० अय्यंकर तथा अय्य
डी-10 दूसरा मंजला
इन्द्रा ववन को० आपरेटिव हाउसिंग
सोसाइटी लिमिटेड
पद्माबाई ठक्कर रोड
माहिम बम्बई-16।

(प्रस्तरक)

(2) श्री वेंकटेश्वर बल्लभ
दिलीप कुंज
तिलक नगर
विद्यामन्दिर
डम्बोवली (पश्चिम)
थाने।

(अन्तरितियों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्रितबद्ध किन्हीं अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अट्टसूची

जमीन जो सं० नं० 64 धर सं० 1 जी० बी० पाथरली बिल्डिंग नं० ई 55 ता० कल्याण थाने में स्थित है और जिसका क्षेत्र 700 स्के० यार्ड्स है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत लिखित क्रम 264/84 जो अप्रैल 1984 को दुय्यम निबन्धक बम्बई के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-11-1984

मोहर :

प्रथम भाग. टी. एम. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37-जी/852/84-85/1198--

यतः मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शरणपुर मार्ग नासिक है तथा जो नासिक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक नासिक के कार्यालय नासिक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को कार्यालय में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्री शिवाजी कोंडाराव पाटिल तथा अन्य
शरणपुर रोड
नासिक।

(अन्तरक)

(2) चैयर्समैन
शिवकमल को आ० हाउसिंग सोसाइटी
शाऊ शिपा व० शोहा
नासिक।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो तम अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शरणपुर मार्ग नासिक।

(क्षेत्रफल : 635 स्के० मी०)।

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विवेक क्रम 37-जी/852/84-85 जो अप्रैल, 1984 को दुय्यम निबन्धक, नासिक के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

नतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

11—426GJ|84

तारीख : 22-11-1984

मोहर :

प्रकल्प आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निररीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निर्देश नं० सं० ए०-5/37-ज/84-85/7811197---

अतः मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० गट नं० 989/2 (प) नेगांव ता० हवेली, पुणे है तथा जो पुणे में स्थित है (और इसमें उगावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निवन्धक हवेली-1 में रजिस्ट्रारकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1984

की पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वकत संपत्ति को अधिकतम मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दत्त के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसारण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्रीमती पुष्पा रघुवंशी पुगी,
2, नेहरू मार्ग,
पुणे- 1।

(अन्तरक)

(2) दिवंग फार्मस प्रा० लि०,
गण्डा भगवत मिठू मार्ग,
धम्बई-400005।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमान जो गट सं० 989/2 (प) नेगांव, ता० हवेली, पुणे में स्थित है।

(क्षेत्रफल :

(जैसे कि रजिस्ट्रारकी विवेक क्रम 1692 जो जुलाई, 1984 का दुय्यम निवन्धक, हवेली-1 पुणे के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निररीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख : 23-11-1984

मोहर :

प्रमुख आई.टी.एन.एन.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं सं० ए०-5/37-जी/84-85/1196-अनः

मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 8 म० नं० 58, घर नं० 1 (प+), जी० बी० पाथरली, ता० कल्याण है तथा जो थाने में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूच. में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबन्धक, कल्याण में रजिस्ट्रार/करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनः, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-

प्रबोधनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोती राम लक्ष्मण पाटिल
तथा अन्य,
जी० बी० पाथरली,
ता० कल्याण,
जिला थाने ।

(अन्तरक)

(2) मै० विद्या कोआपरेटिव हाउसिंग
सोसाइटी लिमिटेड,
माडल स्कूल इंगलिश के सामने,
जी० बी० पाथरली,
ता० कल्याण ।
थाने ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 8, म० नं० 58, घर सं० 1 (प+), जो जी० बी० पाथरली, ता० कल्याण, थाने में स्थित है) ।
जिसका क्षेत्रफल 578.60 स्के० फीट है)।

(जैसे कि रजिस्ट्रार/कर्ता विलेख क्रम 37-जी/642/84-85 जो अप्रैल, 1984 को दुय्यम निबन्धक, कल्याण के दफ्तर में लिखा है) ।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 23-11-1984
माहूर :

शुद्ध बाई. टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० सं० ए०-5/37-ज/646/84-85/1185--
अतः मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ग के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. में अधिक है

श्रीर जिनकी सं० सं० टी० एम० नं० 913-अ, 915 ब
916/1, 916 में 916/10 तथा 9188 पनवेल है तथा जो
रायगढ़ में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम
निबन्धक, पनवेल में रजिस्ट्रार/अधिकारी अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधिन, तारखे मई, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण निश्चित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण के लिए किसी बाय की भांति उक्त
अधिनियम के अधीन कर होने के अन्तरक के
कार्यत्व में कमी करने या उनसे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य वास्तिकों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रकटबन्धार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, भी, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) सुरेखा विरेन्द्र बांधिया,
पनवेल, ता० पनवेल,
रायगढ़।

(अन्तरक)

(2) मै० राहुल होटल प्रा० लि०,
मैनेजिंग डायरेक्टर,
विरेन्द्र कुमार ए० बांधिया,
पनवेल, रायगढ़।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन को लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी बायो:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाय में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्धु
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताधारी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुप्राणी

जायदाद जो सं० सं० टी० एम० नं० 913-अ, 915-ब,
916, 916/1 में 916/10 तथा 9188 पनवेल में स्थित
है और जिसका क्षेत्रफल 1819.8 स्के० मी० है।)

(जैसे कि रजिस्ट्रार/अधिकारी क्रम 187 जो मई, 1984 को
दुय्यम निबन्धक, पनवेल के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार

मक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, पूना.

तारीख : 22-11-1984

मांहर :

इसके बाद टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/785/84-85/1794—यतः मुझे,
अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एम० नं० 1182/127 ई० वाडें,
है तथा जो कोल्हापुर में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबंधक करवीर में, रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
एक प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
हायिल में कमी करने या उससे बचने में विभा
के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविक
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में विभा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डा० उर्मिला र० यादव,
155/अ० पांजर पोल रोड,
कोल्हापुर।

(अन्तरक)

2. मै० अमिया कां-आ० हाउसिंग सो०,
चीफ प्रोमोटर,
प० स० कुलकर्णी,
809/इ०, आहुपुरी,
कोल्हापुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जायदाद जो सी० एम० नं० 1182/127 ई० वाडें
कोल्हापुर में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 760.3 एकड़
सी० है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 1851/1984 जो
अप्रैल, 84 को दुय्यम निबंधक, करवीर के दफ्तर में लिखा
है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-11-1984

मोहर :

प्ररूप. भाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37-जी०/84-85/1193--

यतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और ज़िम्मे सं० सी० टी० एम० नं० 661, नया घर नं०
28 म्यूनिसिपल गली नं० 2 क्षेत्र 183.9 स्क० मी०
ग्राउंड -1- तीन मंजिला, राम मार्कट चौक, कल्याण, है
तथा जो कल्याण में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय दुय्यम निबंधक, कल्याण में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि सहापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरित/तयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निर्मालिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए, और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
के, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहे था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

यतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निर्मालिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अब्दुल लतीफ अहमद खान,
राम मार्कट चौक,
कल्याण-421301।

(अन्तरक)

2. श्रीमती खुर्शीद बेगम,
ज० म० अ० मैयद,
तथा अन्य,
40/6, गवडो मोहल्ला,
मच्छी बाजार,
कल्याण।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अन्वय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अन्वय में दिया
गया है।

बन्सुधी

सी० टी० एम० नं० 661, पुराना घर नं० 19-अ०,
नया नं० 28 म्यूनिसिपल गली नं० 2, क्षेत्र 183.9 मि०
मैदान + 3 मंजिले, राम मार्कट चौक, कल्याण।

क्षेत्र : 2.

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 330/84 जो अप्रैल,
1984 को दुय्यम निबंधक, कल्याण के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 24-11-1984

मांहर B

प्ररूप. बाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37-जी/84-85/1002—

यतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 59 व 60 है, तथा जो अहमद नगर
में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम
निबंधक, अहमद नगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय किया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक, अ
शक्ति से कमी करने या उससे अलग से अंतरण
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 2)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाँहिए था, विमान में
सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात् —

1. श्री सैयद अकबर,
सैयद अब्बास
तथा अन्य,
हाजी इब्राहीम विल्डिंग,
स्टेशन मार्ग,
अहमदनगर।

(अन्तरक)

2. श्री जेख निजाम अहमद जागीरदार,
अहमदनगर,
एस० टी० स्टाफ वर्कर्स
महकारी गृह निर्माण संस्था,
अहमदनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन जो सं० नं० 59 व 60 अहमदनगर में स्थित है
और जिसका क्षेत्र 10 हेक्टर है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 1344 जो अप्रैल,
1984 को दुय्यम निबंधक अहमदनगर के दफतर में लिखा
है।)

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-11-1984
मोहर :

प्र. रूप. भा. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37-जी/706/84-85/1197

यतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी म० नं० 7, तडवागले है तथा जो तडवागले में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अलीबाग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अभिहित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

1. श्री कमल रामजी पाटिल,
तडवागले,
(काठेवाडी),
ता० अलीबाग,
रायगढ़।

(अन्तरक)

2. श्री सुन्दर दाम हीला राम बजाज,
उल्हास नगर,
धाने।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जग्दुर्णी

जमीन जो म० नं० 7, तडवागले, अलीबाग, जि० रायगर में स्थित है।

श्रेण—

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विवेक क्र० 37-जी०/706/84-85 जो अप्रैल, 1984 को दुय्यम निबंधक, अलीबाग के दफ्तर में लिखा है)।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, पूना

तारीख : 22-11-1984

मोहर :

प्रकृत आर्.टी.एन.ए.ए.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37-जी०/703/84-85/1790-

यतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 47, नवघर, वसई में है तथा जो वसई में स्थित है (और इससे उपायद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबंधक, वसई में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कार्यालय में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

12-426G184

1. श्री निर्मल प्रमोदचंद वाठक,
घार० बी०-II,
85/2, रेलवे क्वार्टर्स,
कुर्ला (पूरब),
वसई-400 024।

(अन्तरक)

2. श्री कृष्णा विल्डसे,
प्लॉट नं० 52,
नवघर
कृष्णाकुंज,
वसई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 47 नवघर वसई।

(क्षेत्रफल : 339 एक० मी०)

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 37-जी०/703
84-85 जो अप्रैल 84 को दुय्यम निबंधक वसई के दफ्तर
में लिखा है।

अनिल कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज पूना

तारीख : 22-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज नागपुर

नागपुर दिनांक 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० धाय० प्रो० सी०/अवन्ति/52/20/84-85—

धतः मुझे, एम० सी० जोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि सञ्चावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है, जो खा० नं० 111, 112/2 और 110/3 मौजा दामा जि० नागपुर में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, नागपुर (डाकुमेंट सं० 2398) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

1. श्री तुकाराम श्रावणपंप भाई,
मौजा दामा,
तह० जिला नागपुर।

(अन्तरक)

2. श्री पंजाबराव कृष्णा

विद्यापीठ,

कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण संस्था

तर्फे श्री देवाजी बाजीराम पाटिल,

शंकर नगर,

नागपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5.00 एकड़ खेत जमीन जिसका खा० नं० 111, 112/2 और 110/3 है और जो मौजा दामा, तह० जि० नागपुर में स्थित है।

एम० सी० जोशी,

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

तारीख : 26-11-1984

मोहर :

प्रमुख भाग टी. एन. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) की अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43936/84-85—यतः

मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 36 है, तथा जो आसटिन टाउन, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्र प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री वी० एल० नासटिन,
नं० 36,
ए० और बी० ब्लाक,
आसटिन टाउन,
बेंगलूर।

(अन्तरण)

2. श्री एम० सी० राम,
सीन ग्लाडवैने,
वेने लेसले,
जार्ज क्लारेंस और
गाम्ब्रियल सिन्क्लेयर,
49, चांच स्ट्रीट,
बेंगलूर-1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशेष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 263/84, ता० 5-4-84)

सम्पत्ति है जिसकी सं० 36 (भाग), ए० और बी० ब्लाक, आसटिन टाउन, बेंगलूर-47, में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 14-11-1984

मोहर

प्रमुख आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

घर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सि० आर० 62/43162/84-85—यतः

मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 437 है, तथा जो II क्लास, 9 मैन एच० ए० एल० II स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तवियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

नतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एल० एल० नागराज,
नं० 437,
II क्लास 9 मैन,
II स्टेज,
एच० ए० एल०
इंदिरानगर,
बेंगलूर-38।

(अन्तरक)

2. वि० आर० रामचन्द्रा राव,
और मैसर्स के० अर्मुता,
नं० 150,
II फ्लोर,
4 क्लास,
सोमेश्वारापुरम,
अलासूर,
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई बाधोप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 193/84, ता० 23-4-84)
सम्पत्ति है जिसकी सं० 437, जो II क्लास, 9 मैन,
एच० ए० एल० II स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलूर, में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
घर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 14-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. डी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भाउल सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजंन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० आर० 62/43169/84-85—यतः

मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन गजान प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 457 है, तथा जो बिन्ना मंगला लेआउट बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-4-1984

को पूर्णतः संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय शिवाजीनगर में धारा 269-ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है अन्तर्गत की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती रिखी (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. लेफ्टिनेन्ट कर्नल एस० एस० उडुपा
481, III फ़ास
IX मेन
एच० ए० एल
II स्टेज
इंदिरानगर
बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. कमांडर एम० आर० ए० राव (रिटायर्ड)
मेसर्स इन्दु ए० राव
410
शशिकिरन अपार्टमेन्ट
नं० 9
18 फ़ास
मल्लेश्वरम
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

कां बहू सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

हस्ताक्षर

(दस्तावेज सं० 130/84 ता० 16-4-84)
सम्पत्ति है जिसका सं० 457 जो बिन्नामंगला लेआउट (आरमि) फ़ेस II मैसूर सब-एरिया आफिसर्स हाउसिंग कालोनी बेंगलूर (डिफेंस कालोनी) एच० ए० एल०-II स्टेज इंदिरानगर बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजंन रेंज, बेंगलूर

तारीख: 14-11-1984

माहूर :

प्रमाण-पत्र (टी. एन. एम.) संख्या 269-ग (1) के अर्जन सूचना

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग (1) के अर्जन सूचना

कार्यालय

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं० 62/43107/84-85—यतः मूमे, आर०

भारतवाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अर्जन सूचना प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 1331 है, तथा जो विश्रामंगला II स्टेज एस्टेशन, इंदिरानगर, बेंगलूर में स्थित (श्रीर इससे उपासन्न अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रति-कृत निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक सिद्ध हो वास्तविक रूप से कबिल नहीं किया गया है।

(क) अन्तरक से हुए किसी भाग को वापस उक्त अधिनियम के अर्जन कर देने के अन्तरक के व्ययित्व में करी करने या उक्त अर्जन के सूचना के लिए और/वा

(ख) एसे किसी भाग या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रावधानों के अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

यतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अर्जन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री सी० बी० शंकरानारायण,
न्यू नं० 6 (455),
श्रीदानंदा भवन,
क्रास रोड,
विश्वेश्वरपुरम,
बेंगलूर-4।

(अन्तरक)

2. श्री आल्वर्ट डिजोजा,
मेसर्स एलीन एम० आर० डिजोजा,
राधिका, 3/8,
आटिलरी रोड,
अलसूर,
बेंगलूर-38।

(अन्तरिती)

जो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी रूप से प्राप्त लिखित में देखा जा सकेगा।

सम्बन्धीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 34/84-85 ता० 6-4-84)

सम्पत्ति है जिसका नं० 1331 (भाग), जो विश्रामंगला 11 स्टेज एस्टेशन, इंदिरानगर, बेंगलूर में स्थित है

आर० भारतवाज
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख: 14-11-1984

मोहर:

प्रथम भाग: टी. एच. एल. ५५५५

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं० 62/43161/84-85—यतः मुझे, आर०

भारद्वाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 21 (1ए०) है, तथा जो VI स्ट्रीट, जे० एम० रोड, क्रास (ओ० पी० एच० रोड) बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी बाब की वजह उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; कोई/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भायकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती हुए या प्रकट नहीं किया गया था या किन्हीं नामा धारिण या, छिपाने में सुविधा के लिए;

कतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्री जी० एम० जमीर अहमद,
श्रीर मेसर्स हीरा बेगम,
नं० 36, मिल्लरस रोड,
बेंगलूर-46।

(अन्तरक)

2. मी० बेंगलूर कनटीनमेन्ट मस्जिद,
उल-नूर-जनाब,
पि० एच० मोहम्मद,
श्रीर 10 कुछ लोग,
कमेटी, नं० 21,
'एल० नं०, IV स्ट्रीट,
जुम्मा मस्जिद,
रोड क्रास,
(ओ० पी० एच० रोड), बेंगलूर-51।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के अधि-करणवाहियों करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बंगलूर

(दस्तावेज सं० 210/84, ता० 21-4-84)

संपत्ति है जिसका सं० 21 (पुराना नं० 1-ए०, 'एल०' नं० 6 स्ट्रीट, दरवाजा टेम्पल, स्ट्रीट क्रास, एस० वेल० एस० इन 'एल०' नं० 4 स्ट्रीट, जुम्मा मस्जिद, रोड क्रास, (ओ० पी० एच० रोड), बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख: 14-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. ट. एन. ए. - - -

भायकट्ट अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं० 62/43174/84-85—यतः मुझे, आर०
भारद्वाज,

भायकट्ट अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. में अधिक है

और जिसकी सं० 197 है, तथा जो 1 ब्लॉक, III मैन
रोड, जयानगर, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-
कारी के कार्यालय, जया नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय जयानगर में धारा
269 ए. वी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास
रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के
बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित रूप में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी भाव की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सूविधा को लिए;
और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
भारत अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सूविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जी० आर० श्रीनिवासा राव
और भाइयों
दलासानुर विलेज
श्रीनिवासापुर तालुक
कोलार डिस्ट्रिक्ट।

(अन्तरक)

2. मेसर्स सि० शांताकुमारी
नं० 27, II मैन रोड
सुधामानगर
बेंगलूर-27।

(अन्तरिती)

श्री यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहीयां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन में सम्मिलित में कोई भी बाधोप-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचारकारी व
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सूचनाकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिष्ट
था है।

भायकट्ट

(वस्तावेज सं० 3142/84, ता० 26-4-84)

सम्पत्ति है जिसका सं० 197, जो 1 ब्लॉक, III मैन
रोड जयानगर बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख: 14-11-1984

मोहर:

प्रत्यक्ष आर्.टी.एन.ए.स.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं० 62/443210/84-85—यज: मुझे, आर०

भारत ज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थान पर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है।

अरिजिस्ट्रेशन सं० 96 है तब जो इंडस्ट्रियल सर्वे II स्टेज तुमकुर रोड बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजाजिनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-4-84

के पञ्चकाल सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय राजाजिनगर में धारा 269 ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मूह/के पास स्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अंतरण के लिए किसी बात की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य वास्तुवस्तुओं का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

वत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:

13-426 GI/84

1. मेसर्स श्री उद्योग

नं० 12

प्यालेस रोड

बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. सि० सुन्दारम

और कुछ लोग

नं० 929

पूनामली है रोड।

मद्रास-84।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकें।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

यन्सूची

(दस्तावेज सं० 302/84 ता० 23-4-84)

सम्पत्ति है जिसका सं० 96 जो इंडस्ट्रियल सर्वे II स्टेज तुमकुर रोड बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख: 14-11-1984

माहुर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

भाषांतर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रॉय, बेंगलूर

बेंगलूर दिनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० आर० [62/43935/84-85—यतः

मुझे आर० भरद्वज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यथापरोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है।

श्रीर जिसकी सं० 1666 है तथ जो बनावंहरि 1 स्टेज II ब्लाक बेंगलूर में स्थित है (गौर इसमें उभावद्र अनुपुची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बसवनगुडि में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारोख 11-4-1984 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बसवनगुडि में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजि-स्वीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पद्ध प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देन के अन्तर्गत के दायित्व में कमी करने या उक्तसे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के अधीन कर देन के अन्तर्गत कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रवर्जनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एम० आर० दोरेस्वामी नायडू
नं० 674
V क.स
II ब्लाक
बनावंहरि 1 स्टेज
बेंगलूर-501

(अंतरक)

2. मेसर्स आर० हेमलता
नं० 51/52
13वां ए०
मैन रोड
हनुमन्ता नगर
बेंगलूर-501

(अंतरिती)

जो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तन्वयमन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो की अवधि बाद में सम्पन्न होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुपुची

(दस्तावेज सं० 119/84 ता० 11-4-84)
संपत्ति है जिनका सं० 1666, जो बनावंहरि I स्टेज II ब्लाक बेंगलूर में स्थित है। (40' × 61')

आर० भरद्वज
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रॉय, बेंगलूर

तारीख: 14-11-1984

साहू:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 12 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43100/84-85—अतः

आर० भारद्वाज मुझे,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हममें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर चिरक, सं० 3 है तथा जो बार्दलाज ले आउट बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इरसे समावृत्त अनर्च में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4-4-1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरण की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल में उक्त दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरण (अंतरणों) और अनर्चि (अन्तर्गतियों) के बीच उक्त अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जेड० एफ० बामजि और मैसर्स एस० जेड० बामजि, रिप्रेजेंटेटिव बाहू श्री एफ० एम० बामजि 43, मिलौर रोड, बंगलूर।

(अन्तरण)

(2) ए० ए० वनेट्टेन और मैसर्स पी० आर० वनेट्टेन, 6, क.स, राबर्टसनगेट, कोलार गाउड फाल्ड्स।

(अन्तर्गति)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अचन क लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 264/84 तारीख 4-4-1984)

सम्पत्ति है त्रिगुण सं० 3, जो बामजि ले आउट, बंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 12-11-1984

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

अध्यक्ष, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 12 नवम्बर, 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43153/84-85—अतः

मुझे, आर० भरद्वज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु से अधिक है

और जिसकी सं० 66/2 है तथा जो इन्फेन्ट्री रोड, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अर्जुन तारीख 28-4-1984

को पृष्ठांकित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मैं यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वांकित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, कम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुए किसी धन की वास्तविक, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के क्षयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी धन या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, द्वारा:—

(1) मैसर्स शकुन्तला नटराजन,
नं० 66/2 इन्फेन्ट्री रोड,
बंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) वाबुद मोहम्मद,
नं० 39, क्रिस्चियन स्ट्रीट,
इरोड, त.म.ज.ता.डू ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कायबाहिया करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

बनुसुची

(दस्तावेज सं० 495/84 तारीख 28-4-1984)
सम्पत्ति है जिसका सं० 66/2, जो इन्फेन्ट्री रोड, बंगलूर में स्थित है ।

आर० भरद्वज
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 12-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 12 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43598/84-85—

अतः मुझे, आर० भरद्वज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें हममें अधिकतर पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन मध्य प्राधिकारी का यह आग्रह करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 21/68 है तथा जो गोविन्दाप्पा रोड बसवनगुडि, बंगलूर-4 में स्थित है (और इसमें उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बसवनगुडि में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित ली गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्राप्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एक दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तब तक पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण में हुए किसी बात की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उचित वर्णन में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथातः—

(1) श्री टी० वी० रामाचन्द्रा मोहन,
भ.गस्त मेसर्स जौहन्द पेन्टिंग और
डिजिटल वर्कस,
सामुल्लेट बंगलूर।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स शान्ता वी० शेट्टि,
नं० 239/10, महादेश्वर प्रसन्ना,
III फ्लार, चामराजानेट, बंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के निम्न कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों के सम्पत्ति की तारीख में 30 दिन की अवधि को ली अवधि बाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों या स.किसी व्यक्त द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में अहित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकें।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बंगलूर

(दस्तावेज सं० 171/84-85 तारीख 18-4-84)
सम्पत्ति है जिसका सं० 21/6 की है जो गोविन्दाप्पा रोड,
(343 स्ववेयर यार्ड्स), बसवनगुडि, बंगलूर में स्थित है।

आर० भरद्वज
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 12-11-1984
मोहर :

अरूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार,

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 12 नवंबर, 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43154/84-85—अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारों का यह विश्वास करने का कारण है कि म्भावक सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जितहा सं० 66/1 है तथा जो इन्फेन्ट्री रोड, बंगलूर में स्थित है (गोद इना उगाड़ आगुतो में प्रौर पूर्ण रूप से त्रिगत है) रजिस्ट्रारों अधिकाओं के कार्यालय शिवाजी नगर में रजिस्ट्रारों अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 28-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरांतर्गता) के बीच एम अन्तरण के लिए तय बाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शकुन्ता नटराजन
नं० 66/1 राज्ज बनार,
इन्फेन्ट्री रोड, बंगलूर।

(अनारक)

(2) मेसर्स मरियम घाउद,
नं० 39, क्रिस्चियन स्ट्रीट, रोड,
तमिलनाडु।

(अपारिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कायनाह्वय करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त म्भावक सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताधरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अपूर्व

(दम्नात्रेज सं० 496/84 तारीख 28-4-1984)
सम्पत्ति है जितहा सं० 66/1, जो इन्फेन्ट्री रोड, बंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 12-11-1984

मोहर :

प्रत्येक आदि की धन एक

सहायक अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रथम सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर, 1984

निर्देश सं० 62/44010/84-85—अतः, मुझे, आर० भारद्वाज,

सहायक अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हमें इसके पश्चात् 'सहायक अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन मुख्य अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि यथावत् संरक्षित जियदा उचित आकार मूल्य 25,000/- रु० के अंक पर है

श्रीर जवही सं० 29 है तथा जो जे० सी० रोड सं० 1 'ए' क्रम, बंगलूर स्ट्रीट में स्थित है और इसके उपायुक्त अनुसूची में श्रीर जवही क्रम से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-4-1984 को तारीख 19-4-1984 को उपायुक्त मूल्य पर कर के दृष्टिकोण प्रतिफल के लिए अंतिम की गई है और मैं यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और धर्मरक्ष (धर्मरक्ष) और धर्मरक्षी (धर्मरक्षियों) के बीच ऐसे प्रत्यक्ष के लिए मध्य पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य के लिए धर्मरक्ष सिद्धि में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) धर्मरक्ष से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के प्रथम खंड देने के धर्मरक्ष के दायित्व से कमी करने या उसके बचन में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिसे भारतीय सहायक अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धर्मरक्ष अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या कि या माना जाएगा या, छिपान में छुपाने के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एम० आर० भारद्वाज,
2. एम० आर० त्रिवरतुमार,
3. एम० आर० प्रकाश,
सं० 496/71, मिडल स्कूल, रोड,
बि० वी० पुरम, बंगलूर-4

(अन्तरिक्ष)

(2) श्री जी० सी० राजगोकर,
जी० आर० वेणुल राधा नाथु,
16, पुशान्ना रोड, बंगलूरगुडि,
बंगलूर-4

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के अन्तर्ग में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के प्रकाशन से प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के अन्तर्ग या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सहायक अधिनियम में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अध्याहस्ताक्षरी बावत लिखित में किया जा सकता है।

संक्षेपः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज सं० 196/84 तारीख 19-4-1984
संपत्ति है जिसकी सं० 29, जो जे० सी० रोड I,
II क्रम, बंगलूर सीटी में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सहायक आयुक्त
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर)

दिनांक : 19-11-1984

सोहर :

ब्रह्म बाई.टी.एच.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर व्यवस्थापक (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/44008/84-85—अतः

मुझे, आर० भरद्वज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० 312 है तथा जो कोरामंगला I स्टेज बंगलूर में स्थित है (और उससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बंगलूर दक्षिण तालुक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 27-4-1984

को पंजीकृत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर बनें के अन्तरक को वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सहायता के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य जास्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रभावार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या न किया जाना चाहिए था, छिपाने में सहायता के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बधत्त :—

(1) श्रीमती पी० लक्ष्माम्मा,
नं० 122, महान रोड,
सिविल स्टेशन, बंगलूर।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री अशोक कुमार शर्मा,
2. श्रीमती विजयाश्री शर्मा,
बाई पी० ए० डाक्टर पी० विद्यानागर,
सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, हार्विस्टल,
बंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधा :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में निम्नलिखित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वीकारण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिये गये हैं।

ब्रह्म बाई

(दस्तावेज सं० 534/84 तारीख 27-4-1984)
सम्पत्ति है जिसकी सं० 312, जो कोरामंगला I स्टेज,
बंगलूर में स्थित है।

आर० भरद्वज
सहायक आयकर व्यवस्थापक (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 19-11-1984

मोहर :

प्रारूप क्र. 21. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब
(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर, 1984

निदेश सं० 82/44016/84-85—अतः मुझे, आर०
भारद्वज

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन गभ्रम प्राधिकारी को यह विद्यमान करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1033 है तथा जो रेलवे लैन, पीप
लैन कार्ड रोड, एकमटेशन ले आउट विजयानगर, बंगलूर-40
में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीरामपुरम
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 18) के
अधीन तारीख 19-4-1984

का प्रोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, श्रीराम-
पुर में धारा 269 ए. बी. के अन्तर्गत सक्षम अधि-
कारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अनारक (अन्तरको) और अन्त-
रिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए ताण्ण गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के
द्वारा में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या किसी आभिनियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री आर० धरना सेना,
नं० 881, वेस्ट आक कार्ड रोड,
1. स्टेज, राजाजीनगर,
बंगलूर-10

(अन्तरण)

(2) श्री टी० रामाचन्द्र,
नं० 3, क.स, विजयनगर,
बंगलूर-40

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाह्य करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबन्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

बंगलूर

(दस्तावेज सं० 215/84 तारीख 19-4-1984)
सम्पत्ति है जिसका सं० 1033, जो रेलवे लैन, पीप
लैन कार्ड रोड, एकमटेशन ले आउट, विजयानगर, बंगलूर-
40 में स्थित है।

आर० भारद्वज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 19-11-1984

मीहर :

रक्षक बाई. टी. एन. एच.-----

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक नायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रैंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवंबर, 1984

निदेश सं० सी० आर० 82/43186/84-85—अतः मुझे

आर० भारत

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु में अधिक है

और जिसकी सं० 1317 है तय जो विनामंगला II स्ट्रेज,
बंगलूर में स्थित है (जो इससे उपाब्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार 8. धिधारा, के कार्यालय
शिवाजिनगर में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908
का 18) के अधीन तारीख 17-4-1984

का पञ्चक सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कटौत के उद्योग
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय शिवाजिनगर में
धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/
के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रति-
शत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-
रितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक में हुई किसी बाब की बाब, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उक्त सूचना में सूचना के लिए;
बीर/वा

(ख) ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य वास्तवों
का, जिन्हें भारतीय नायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
की धारा उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अधीन :—

(1) डाक्टर तोटाप्पा,
हैड आफ डिपार्टमेंट,
आफ गणिटिकल साइन्स,
मंसूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० टी० सुजाता,
पी० बी० नं० 322,
टी.क. लोवया ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करता है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाध :—

(क) इस सूचना के उद्योग में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्समधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के उद्योग में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्तबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, नभाहस्ताधारी के पाठ
लिखित में कि, या सकेगे।

सम्पत्ति :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(वस्तावेज सं० 145/84 तारीख 17-4-1984)
सम्पत्ति है जितका सं० 1317, जो विनामंगला II, स्ट्रेज,
बंगलूर में स्थित है (80' × 50')

आर० भारद्वाज
सहायक नायकर
सहायक नायकर (निरीक्षण)
अर्जुन रैंज, बंगलूर

दिनांक : 19-11-1984
मंसूर

अध्यक्ष, डी. एन. ए. —————

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर दरपत्र

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजमेर रेंज, बंगलूर

बंगलूर दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 82/44009/84:85—प्रतः मुझे आर० भारद्वाज

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 259 है तथा जो कोरामंगला 1 ब्लॉक बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय बंगलूर दक्षिण तालुक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अर्थात् तारीख 18-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वस्तुओं का, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रभावनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब को अन्तरक में, डी. उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती आर० चन्द्रलेखा
सं० 1258 कुडुबरापेट कोलार।

(अन्तरक)

(2) श्रीमति बालस लयके येसम्या
देवादासन 32 कुड्रेमुक कालोनी
कोरामंगला बंगलूर-34

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए आवश्यकताएँ शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तथाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज सं० 407/84 तारीख 18-4-1984
सम्पत्ति है जिसका सं० 259 जो कोरामंगला 1 ब्लॉक बंगलूर में स्थित है

आर० भारद्वाज
सहयक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजमेर रेंज, बंगलूर

दिनांक : 19-11-1984
मोहर

इसका नाम टी. एन. एच. -----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजयन रेंज बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर 1984

सं० सी० आर० 62/44014/83-85-यतः मुझे

आर० भारद्वाज

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) चिह्न 'इसमें' इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है', की धारा 269-ग के अधीन सभ्य प्राधिकारी का बहु विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिल्लाकी सं० 9 है तथा जो II स्टेज, 4 फ़ास, राजाजीनगर, बंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-4-1984

का पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूल्य यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल में, कम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिता (अन्तरिता) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में प्रास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में बाधना के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० वेनुगोपाल
नं० 9/2 बसवनगुडि
बंगलूर-4.

(अन्तरक)

(2) श्री वी० एन० माधवारराजू
446-6 फ़ास, II स्टेज
राजाजीनगर, मल्लेश्वरस वेस्ट
बंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, या भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 229/84 तारीख 18-4-1984)
सम्पत्ति है जिसका सं० 9 है जो II स्टेज 6 फ़ास
राजाजीनगर बंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजयन रेंज, बंगलूर

तारीख : 19-11-1984

मोहर :

2. 1. 1985. ए.एस. ए.एस.

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 21 नवम्बर, 1983

सं० सी० आर० 62/43197/84-85:-यतः मुझे, आर०
भारद्वाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकार का, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं०आर० एस० 877/ब है तथा जो अनावर विलेज
मंगलूर में स्थित है (और इससे अपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
1C) के अधीन तारीख 19-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत का गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से इस दृश्यमान प्रतिफल का
बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और
अन्तारती (अन्तारती) के बीच एस० अन्तरक के लिए तब
पक्का गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक
लिखित में वास्तविक रूप से कांथत नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दावेत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
का जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भय-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयाजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) पत्रिका मेदिना बी० पी० ए.
मैसर्स मविल मदिना
बलेनसिमा
मंगलूर।

(अन्तरक)

(2) सिडने अनंतोति ए० लोबो बी०
पी० ए० हेलेन
पि० लोबो निघर जे०पु वर्कशाप
मंगलूर-2.

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधा :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन का अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में सम्पन्न होगी, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों से से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशु
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त अर्थों और शब्दों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही बंध होगा या उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 104/84 तारीख 19-4-84)
सम्पत्ति है जिसका सं० आर० एस० 877/बी० टी० एस०
नं० 611/बी०, जो अनावर विलेज, मंगलूर, में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बेंगलूर।

तारीख : 21-11-1984.
मोहर :-

प्रकृत भाई. ड. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जुन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 23 नवम्बर, 1984

सं० आसी० आर० 62/43157/84-85:-यतः मुझे,
आर० भारद्वाज

इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 6(61) है तथा जो रामाकृष्णप्पा रोड थारलेस काम्पबेल रोड एक्सटेंशन, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उदात्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-4-1984 का प्रकृत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरक की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उक्त अद्यमान प्रतिफल से, एमं अद्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एमं अन्तरण के लिए तय थाया गया प्रतिफल, निर्मानिष्ठ उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचन में सौवधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों को चिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वये में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निर्मानिष्ठ व्यक्तियों, अधीन :-

(1) दि० बेंगलूर सिन्धी मर्चेंट्स एसोसिएशन,
सि.घां सांभियल हॉल,
कावस टॉम,
बेंगलूर।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रभु डी० चन्दानी,
मैत्री गंगा पौ० चन्दानी
निमल एम० नन्दवानी और मिसिस विन्दु एम० नन्दवानी,
नं० 53 बंगलूर रोड,
II फ़ास, फ़ेसर टोन,
बेंगलूर-5.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तन्मन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों या स किसी व्यक्त द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्त द्वारा अधाहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्वय

(दस्तावेज सं० 257/84 तारीख 26-4-1984)

समाति है जिसे सं० 6 (6/1), जो रामाकृष्णप्पा रोड, थारलेस काम्पबेल रोड एक्सटेंशन, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 23-11-1984.
सोहर ३

प्रत्येक भाग, टी. एन. एच. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43739/84-85—प्रतः मुझे,

आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्तार करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० 24 और 24ए है तथा जो IV में रोड़, यमराजपेट, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडि में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-4-1984 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवहार प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धन की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कथित से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बाड़/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रत्येक अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या वा किया जाना चाहे था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बी० एस० कृष्णय्या शेट्टि,
275/1, IX 'ए' मैन रोड़,
II ब्लॉक, जयानगर,
बंगलूर-II ।

(अन्तरक)

(2) श्री एल० मंजु,
275/1, IX 'ए' मैन रोड़,
II ब्लॉक, जयानगर, बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

संश्लेषण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुमोची

(दस्तावेज सं० 322/84 तारीख 30-4-1984)
सम्मति है जिसकी सं० 24 और 24ए, जो विनायका एक्स-टेशन-II फ़स, अण्पुराव रोड़, V मैन रोड़, यमराजपेट, बंगलूर में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज, बंगलूर

दिनांक : 23-11-1984
मोहर :

अध्यक्ष, डॉ. एन. एच. ...

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश नं० 62/44015-84-85—प्रतः मुझे,

भार० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिन्की सं० 675/24 (675) है तथा जो 15 मैन रोड, 4 टि० ब्लाक जयानगर बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयानगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 12-4-1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और अतः यह विश्वास करने का कारण है कि अध्यापक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का पंचम प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्योगों में उक्त अन्तरक सिद्धि में वास्तविकता के अधीन नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुए किसी काम की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के अधिनियम में कमी करने या उक्त करने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी काम या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स बंगलूर कन्सल्टेंट्स
नं० 300/सी, 36 क्र० 5 ब्लाक,
जयानगर, बंगलूर,
वाई मिसस एम० उषा देवी।

(अन्तरक)

(2) बी० बी० गुरुप्रसाद
नं० 35, 12, मैन, 4 ब्लाक पूरम,
जयानगर, बंगलूर-11

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्यापकरी के उक्त लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज नं० 116/84 तारीख 12-4-1984)
सम्पत्ति है जिन्की सं० 675 (675/24) जो 15 मैन रोड, 4 'टि' ब्लाक, जयानगर, बंगलूर में स्थित है।

भार० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज, बंगलूर

दिनांक : 19-11-1984

मोहर

प्रमुख आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर, 1984

निदेश नं० 62/44014/84-85—यतः मुझे, आर०
भारद्वाज,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति निम्नलिखित उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1389 है तथा जो वनाशंकर II स्टेशन,
बंगलूर में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
जयानगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का
16) के अधीन तारीख 16-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, जैसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए;
और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा
के लिए;

अतः आ, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
15—426 GI/84

(1) श्री वी० पी० बालासुब्रमन्यम,
नं० - 1400, 23 मेल,
वनाशंकर II स्टेशन, बंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एम० सी० खमिनि,
99/4, बुन टेंपल रोड,
बंगलूर-19 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किस अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
हैं ।

बंगलूर

(दस्तावेज सं० 166/24 तारीख 16-4-1984)
सम्पत्ति है जिसकी सं० 1389, जो वनाशंकर II स्टेशन,
बंगलूर में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 19-11-1984

मोहर :

रक्षक आर्. टी. एन. ए. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर, 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/14012/84-85—अतः

मुझे आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 915 है तथा जो अब्दुल हफीज रोड काकस टाउन, बंगलूर-5 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और यहाँ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एक अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिम्मेदारों वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेजर डी० टी० ए० सुन्दर राज,
मिसर्स रानी बाई, नं० 14,
आफिसर्स कालोनी बनामवाडि रोड,
बेंगलूर - 33

(अन्तरक)

(2) इरॉल विलियम फरमानडीज,
नं० 6, सुन्दर मूनि रोड,
काकस टाउन, बेंगलूर-5

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज सं० 332/84 तारीख 11-4-1984)
सम्पत्ति है जिसका सं० 9/5, जो अब्दुल हफीज रोड, काकस टाउन, बेंगलूर-5 में स्थित है।
(199.84 स्कवेयर मीटर्स)

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 19-11-1984

मोहर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज, बंगलूर

बंगलूर दिनांक 20 नवम्बर, 1984

निदेश नं० सी० आर० 62/44112/84-85-अतः मुझे,
आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सहायक प्राधिकारी को, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 79 है, तथा जो V ब्लॉक, कोरामंगला, बंगलूर
में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) राजस्त्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंगलूर दक्षिणी तालुक
में राजस्त्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख 14-5-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्त-
रिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निर्मासित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरक के लिए किसी आय की माधु, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वास्तविक में कमी करने या उल्लेख करने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० आर० नंजुन्डा स्वामी
स्टेशन इंजीनियर,
आल इंडिया रेडियो,
भद्रावती ।

(अन्तरक)

(2) श्री ए० जानकीरामन,
बी०-35,
कुद्रेमुख कालोनी,
II ब्लॉक,
कोरामंगला,
बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

सूचना

(दस्तावेज सं० 93/84, तारीख 14-5-84)

सम्पत्ति है जिसकी सं० 79, जो V ब्लॉक, कोरामंगला
बंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रोज, बंगलूर

तारीख 20-11-1984

मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) व अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर दिनांक, 19 नवम्बर 1984

सं० सी० आर० 62/44011/84-85—अतः मुझे, आर०
भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सम्पत्ति के अर्जन के लिए विज्ञापन करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 30 है तथा जो जे० सी० रोड, I [I] कास
बंगलूर सिटी में स्थित है (और इसमें उदात्त अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 19-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय बंगलूर में धारा 269
ए. वी. के अन्तर्गत सहायक अधिकारी के सम्मुख रजिस्ट्री किया
गया है। मूल यह विज्ञापन करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का
एतद्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तर्गत (अन्तरकों) और अन्त-
रिती (अन्तररिती) के बीच होने अन्तरण के लिए तथा तथा गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण के उचित बाजार मूल्य की शक्ति, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्गत के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) किसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को छिपाने भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्जित :—

(1) श्री एम० के० लक्ष्मीनारायणा, शेट्टि,
567, सज्जान बाव रोड,
वी० वी० पुरम,
बंगलूर-4.

(अन्तरक)

(2) जी० सी० चन्द्राणेखर (मैनर),
वै मा श्रीमती एम० शकुंतलाम्मा,
नं० 16, पुट्टान्ना रोड
बसवनगुडि
बंगलूर-4.

(अन्तररिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
पत्रों का तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के पास
लिखित में लेख जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 195/84 तारीख 19-4-1984)
सम्पत्ति है जिसका सं० 30 है जो जे० सी० रोड I
'ए' ग्राम बंगलूर सिटी में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बंगलूर।

तारीख : 19-11-1984.

मोहर :

प्रकृत आदेश. टी. एन. एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 21 नवम्बर 1984

सं० सी० आर० 62/44166/84-85—यतः मुझे,
आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 50 है तथा जो I मैन्, गंगेनाहल्लि बेंगलूर
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रेशन अधिनियम, के कार्यालय गांधीनगर में
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख 5-5-1984.

कई पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रेशन के कार्यालय गांधीनगर में धारा
269 ए. वी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजि-
स्ट्रेशन किया गया है। मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल में, एममें दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच एममें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए,
बाह/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

(1) श्री तामस कुट्टि
50, I मैन्, गंगेनाहल्लि,
बेंगलूर।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स असगारि वेगम,
50, I मैन्,
गंगेनाहल्लि
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
4.5 दिन की अवधि या नवम्बर की दिनांक पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 367/84 तारीख 5-5-1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० 50, जो I मैन्, VII क्रॉस गंगे-
नाहल्लि डिवीजन नं० 16 बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज बेंगलूर।

वतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार
है, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

तारीख : 21-11-1984.

मोहर :-

प्रश्न नम्बर टी. एन. एम. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

राजपत्र सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 20 नवम्बर 1984

सं० 62/44110/84-85:-अतः सुधे, आर० भारद्वाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 69/2 है तथा जो के० आर० पुरम होबली बंगलूर दक्षिण तालुक में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बंगलूर दक्षिण में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरक से हुई किसी धाय की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्त्रियों को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना पाहिण था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री बी० जयाराम
पटनदूर अग्रहारा.
के० आर० पुरम होबली
बंगलूर दक्षिण तालुक ।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० एन० रंजीत,
मैसस जुमान रंजीत
नं० 100 बोस्वेल रोड,
वैटफील्ड
बंगलूर ।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी वादों:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की मामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही बर्ध होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 798/84 तारीख मई, 1984)

सम्पत्ति है जिनका सं० 69/2, अग्रहारा. के० आर० पुरम होबली, बंगलूर दक्षिण तालुक, (2 एकरस और 30 गुंटास) में स्थित है ।

आर० भारद्वाज,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 20-11-1984.

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 20 नवम्बर, 1984

निदेश सं० नं० 62/44111/84-85--अंतः मुझे

आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. में अधिक है

और जिसकी सं० 239 है तथा जो 1 ब्लॉक कोरामंगला, बंगलूर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-5-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बंगलूर दक्षिण में धारा 269 ए, बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में दस्ताविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री के० वेक्टरमाना भट्ट,
40, गोविन्दाराजा नगर,
मागाडि रोड़, बंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) डाक्टर सबासिटिन नामम नाडाकेल,
कैम्प आफ 21/12, एम० जी० रोड़,
बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

बंगलूर

दस्तावेज सं० 1465/84 तारीख 31-5-1984)

सम्पत्ति है जिसकी सं० 239, जो 1 ब्लॉक, कोरामंगला,
एक्सटेंशन, बंगलूर में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 20-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 21 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43132/84-85--अतः

मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 128 है तथा जो 11 क्रम मंडी मोहल्ला
बंगलूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है (राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
मैसूर में राजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधीन तारीख 9-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए राजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय मैसूर में धारा 269
ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास राजस्ट्री-
कृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-
पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल
से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एमें
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया
है :--

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या कि या अना वाणिज्य था, छिपाने में सुविधा
के लिए.

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) श्री रवान्द्रनाथ,
न० 1484, सय्याज रोड, राव
मैसूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री वशीर अहमद
वाड पो० ए० डेथ आफ,
श्री एम० ए० सभद,
मैसूर टहिरा इमाद,
2975, सजाद स्ट्रीट मंडी मोहल्ला,
मैसूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में गृह-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 138/84 तारीख 9-4-1984)
सम्पत्ति है जिसकी सं० 128/1, तथा सं० 128/1, एम 1/ए,
जो 11 क्रम, बन्निमंटप एक्मटेशन, मंडी मोहल्ला मैसूर,
में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 21-11-1984

मोहर :

अथवा बाह्य.टी.एन.एच.

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) से अधीन सृजना

कार्यवाही

कार्यालय, सहायक बायकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर, 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43075/84-85--अत.

मुझे, आर० भारद्वाज

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ग से अधीन तदर्थ प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 19 है तथा जो ब्रुटन रोड, बेंगलूर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन त.राख 8-6-1984.

जो पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकर्ता) और अन्तरिती (अन्तरितीया) के बीच एक अंतरण के लिए तय पाया गया प्राधिकरण, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुआ किसी भाग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कभी करने या उससे अन्त में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्तरक अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रावधानों के अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

- (1) श्री व० आर० रतनाम,
2. मैसर्स प्रेमा रतनाम,
3. श्री आर० विद्यासागर
रिसाईडिंग एट नं० 24,
अन्नस्वामी मोडल:घार रोड, बेंगलूर
4. मैसर्स राधाबाई रामलिंगम,
नं० 2, गंगाधर चेट्टि रोड, बेंगलूर और
5. मैसर्स रमेशवारि,
बृन्दावन प्राप्ति आसकर रोड, बेंगलूर।

(अन्तरक)

- (2) श्री विरेन्द्रा सिंह,
नं० 5, किलारी रोड, बेंगलूर।

(अन्तरिती)

जो यह सृजना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सृजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सृजना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सृजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वस्तावेज सं० 746/89 तारीख 8-6-1984)
सर्गात है जिसका सं० 19 जी ब्रुटन रोड, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सहायक प्राधिकारी
सहायक बायकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रंज, बेंगलूर

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) से अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

दिनांक : 16-11-1984

माहुर :

प्ररूप आई. टी. एन. एन. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 10 नवम्बर, 1982

निदेश सं० सी० आर० 62/43073/84-85--अतः

मुझे, आर० भारद्वाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हममें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सभ्य प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० 19 है तथा जो ब्रुटन रोड, बंगलूर में स्थित है (और हमसे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजि. द्वी. अन्तर्गत अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8-6-1984

को पञ्चित सम्पत्ति के लिये बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, शिवाजी नगर में धारा 269 ए. बी. के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीगों) के बीच हमसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक न हुआ किसी भाय की बाधत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्नियों का अन्तर्गत भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री बी० आर० रत्नाम,
2. मेसर्स प्रेमा रत्नाम
3. श्री आर० विद्या सागर,
- रिसीडिंग एट नं० 24,
- अनास्वामी मोदलायार रोड, बंगलूर,
4. मेसर्स राधाबाई रामालिंगम,
- नं० 2, गंगाधर, चेट्टि रोड, बंगलूर,
5. मेसर्स रमेशशरि,
- बुन्दावन, आलि आसकर रोड, बंगलूर।

(अन्तरक)

- (2) मेसर्स अम्मा बोखनन प्रा० लि० ,
- के० जी० रोड, बंगलूर-9

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात्भी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में अमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज सं० 744/84 तारीख 8-6-1984)
सम्पत्ति है जिसका सं० 19, जो ब्रुटन रोड, बंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 16-11-1984

सांहर :

प्रक्य आई. टी. एन. एस. = - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 15 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43091/84-85—अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी था, यह प्रथम क्रम का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 36 (38) है तथा जो शंकरपुरम, बंगलूर में स्थित है (और इससे उदावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री की अधिकारी के कार्यालय बसवनगुडि में रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-4-1984

का पत्रागत मपनि के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, बसवनगुडि में धारा 269 ए. बी. के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्ववर्तित संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(1) श्री श्री री शंकरामट
शंकरपुरम बंगलूर-4

(अन्तरक)

(2) श्री हेथ सुब्रमन्या जोइस एडवोकेट,
नं० 150/36 एन० हेथ रोड़,
वि० वि० पुरम, बंगलूर-4

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कायवाहया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी अपक्षे :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्गत के दाय में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) किसी निम्नी आय या क्रिमी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

दस्तावेज सं० 50/84 तारीख 6-4-1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० 36 (38), जो शंकरपुरम पुरम, बंगलूर रोड़, शंकरपुरम, बंगलूर-9 में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

अतः उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, को तः—

दिनांक : 15-11-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजैन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सं० प्रार० 62/43128/84-85—अतः
मुझे, प्रार० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयाम करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 27 और 28 है तथा जो सुब्रह्मय्या ले
प्राउट के० पी० वेस्ट एक्सटेंशन, बंगलूर-20 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख
5-4-1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
अवधानार्थ अन्तरिती द्वारा एकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहता है, स्थान से सुविधा
के लिए।

अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री एच० के० वेंकटेशन,
28 शापिंग स्ट्रीट, सुब्रह्मय्या ले प्राउट,
के० पी० वेस्ट, एक्सटेंशन,
बंगलूर-20

(अन्तरक)

(2) श्री श्रीचन्द्र बिशनरास,
मेसर्स डी० एस० टलरेजा,
64/1, 5 मेन रोड, गांधीनगर,
बंगलूर-9

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कामवाह्य करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

शब्दीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

बंगलूर

(दस्तावेज सं० 16/84-85 तारीख 5-4-1984)
सम्पत्ति है जिसकी सं० 27 और 28 जो शापिंग स्ट्रीट,
सुब्रह्मय्या ले प्राउट, के० पी० वेस्ट एक्सटेंशन, बंगलूर
में स्थित है।

प्रार० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
ग्रजैन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 15-11-1984

मोहर :

अरुण बाई, टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कराबलिय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43150/84-85—अतः, मुझे

आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 350 है, तथा जो सारवकी, बंगलूर में स्थित है
(और इससे उपसब्ध दस्तावेजों में अंतरपूर्ण रूप से दर्शाया है) रजि-
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेंगलूर दक्षिण लुक में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
19-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पना गवा प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों
का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
के, और, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री आर० एम० पटेल,
नं० 164/7, सीत क्रास रोड,
एम० एन० के० पार्क,
बसवनगुडि, बेंगलूर-4

(अन्तरक)

2. मैसर्स अरुण बाई, नं० 3/1,
पटालाम्मा स्ट्रीट,
बेंगलूर-9

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो जो
अवधि बाबत समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 294/84, दिनांक 18-4-1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० 359, जो सारवकी बेंगलूर, दक्षिण
तालुक, में स्थित है। (नापना 15.4023.40 मीटर्स)।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बेंगलूर

दिनांक 15-11-1984

मोक्ष्य:

प्ररूप. भाई. टी. एन. एस्. - - - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षर)

अर्जेन रोड, बेंगलूर,

बेंगलूर, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० प्रार० नं० 62/43148/84-85—अज्ञः

मुझे, प्रार० भारद्वाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 154 है, तथा जो कोरामंगला, I स्टेशन,
बेंगलूर में स्थित है (अंर इस उपावद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्गीकृत है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय
बेंगलूर दक्षिण तालुक में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अर्धतः दिनांक 24-4-1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे, यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
हायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरितियों द्वारा अन्तरित नहीं किया गया
था या किया जाना उचित था, अन्तरण से मुक्ति
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कर्नेल एस० एन० गिनवाला, वि० एस० एम० और
मैसर्स पेरविज साम गिनवाला,
एन० सि० सि० ग्रुप हेड क्वार्टर्स, रेजिडेंस क्लब,
रेडियो कालोनी इन्दौर ।

(अन्तरक)

2. श्री जान कत्तालिकतु, मालिल चान्दि,
मैसर्स सि० चान्दि, चन्नादम्मा चान्दि,
श्री जान चान्दि, और श्री जाकोब चान्दि,
नं० 1, लियोनार्ड रोड, रियमन्ड टाउन,
बेंगलूर-25

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए
कार्यवाहया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शोधपत्र :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

ब्याख्याकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 443/84 दिनांक 24-4-1984)

सम्पत्ति जिसका सं० 154, जो कोरामंगला, स्टेशन,
बेंगलूर में स्थित है । (नापना 3,900 स्ववायर फीट, प्रार-
362.3228 स्ववायर म.टर्स) ।

प्रार० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षर)
अर्जेन रोड, बेंगलूर

दिनांक : 15-11-1984

मोहर :

प्रकृत बाई.टी.एन.एस.-----

भाषांतर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षर)

अर्जुन रॉड, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० आर० 67/43999/84-85—अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

अर्जुन रॉड सं० 3/17 है, तथा जो बि० एस० ए० रोड, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण है) (जिसे 'अर्जुन रॉड' प्रधिकारी कार्यालय शिवाजी नगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के निम्न अन्तरगत करी गये हैं और यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक अन्तरक अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री नसरुल्ला शरीफ,
नं० 8 पेरेयार नगर
टेन्नरि रोड, ग्राम,
बंगलूर ।

(अन्तरक)

2. श्री जे० जफरुल्ला शरीफ,
(2) श्री जे० अब्दुल्ला शरीफ,
नं० 25, II, आस पिल्लाना, गार्डन,
बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन की सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 82/8 5 दिनांक 15-4-1984)

समाप्ति है जितका सं० 3/17, जो बि० एस० ए० रोड, डिवीजन, नं० 48, बंगलूर, में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षर)
अर्जुन रॉड, बंगलूर

दिनांक : 16-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० आर० 62/43998/84-85—अतः मुझे,

आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हममें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीरजिनी सं० 18 है, तथा जो IV मेन रोड, गगेनाहल्लि, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्वीकर्ता अधिकारों के कार्यालय, गांधी नगर में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6-4-1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ब) एसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जी० नागराज,
नं० 434, 45 फ़ास,
'बी', ब्लॉक, जयानगर,
बंगलूर ।

(अन्तरक)

2. श्री मोहम्मद हुसैन,
नं० 15, II, मेन रोड,
गगेनाहल्लि, बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए कार्यवाह्या करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किंवा अन्य व्यक्त द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(वस्तु-ज, सं० 82/84-85, दिनांक 6-4-1984)

सम्पत्ति है जिन्का सं० 18, जो मेन रोड, हेब्बाल मैन, गगेनाहल्लि, बंगलूर में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज, बंगलूर

दिनांक : 16-11-1984

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 67/43997/84-85—अतः मुझे;

आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसे सं० 48/4 है, तथा जो मावल्लि टयाक, बंड रोड, बेंगलूर में स्थित है (आर० इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय बसवन गुडि, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायत्त में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

1 श्री एम० श्रीनिवास मूर्ति,
नं० 2, कालापपा, ब्लाक,
बसवननागुडि,
बेंगलूर-4

(अन्तरक)

2 श्री टी० लक्ष्मीनारायण,
नं० 37, मौन्ट जय मेटर,
हनुमंत नगर, बेंगलूर-19

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिय करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तन्मन्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

धनसूची -

(वस्तावेज सं० 147/84, दिनांक 16-4-1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० 48/4, जो मावल्लि, टयाक बंड रोड, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बेंगलूर

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

17—426 GI/84

दिनांक : 16-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० प्रार० 62/43111/84-85—अतः मुझे,

प्रार० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 98/3 है, तथा जो बगसन्द्रा, विलेज, जयानगर, बंगलूर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयानगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 11-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दरयमान प्रतिफल का वृद्ध प्रतिफल से अधिक है और अन्तरण (अन्तरण) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बर्षाव में कमी करने या उसमें बचन में सुविधा के लिए और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किन्ना प्राग जाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

1. मैसर्स मुनिगुरम्मा अलियास थिक्कानायम्मा, और कुछ लोग नं० 24, II फ़ासे, बैरासन्द्रा, जयानगर, बंगलूर ।

(अन्तरक)

2. मैसर्स लीला विजया कुमार,
बजाह, पु० ए० ई० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षर के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दस्तावेज, सं० 320/84, दिनांक 11-4-1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० सर्वे नं० 98/3, जो बगसन्द्रा, जयानगर, बंगलूर, में स्थित है ।

प्रार० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक के, और, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

दिनांक : 15-11-1984
मोहर :

प्ररूप आर्. टी. एन. एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43167/84-85—प्रतः मुझे,

आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विवदास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 188 है, तथा जो एच० ए० एल० II स्टेज,
इंदिरानगर, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन दिनांक 16-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए दृष्ट पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
के वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कार्यलय में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. कर्नल पी० सी० गनपति (रिटायर्ड),
नं० 2, माडल हाउस,
गोकुलम, III क्रॉस मैसूर-2

(अन्तरक)

2. श्री ए० अरविन्द राव,
नं० 35, नंजाप्पा रोड,
शांति नगर, बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज सं० 140/84, दिनांक 16-4-1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० 188, जो विन्नामंगला लेघाउठ
(डिफेंस कालोनी), एच० ए० एल० II स्टेज, इंदिरानगर,
बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बेंगलूर

दिनांक 15-11-1984

मोहर :

रूप आई.टी.एन.एच.-----

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० आर० 62/43074/84-85—अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 19 है, तथा जो ब्रुटन रोड, बेंगलूर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है (रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा

पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तर्क के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मतिभा के लिए; जीउ/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री वी० आर० रत्नम,
- (2) मिसेस प्रेमा रत्नम,
- (3) श्री आर० विद्या सागर रिसाईडिंग एट नं० 24 अन्ना स्वामी मुदालयार रोड बेंगलूर।
- (4) मिसेस राधाबाई रामालिंगम नं० 2 गंगाधर चेट्टि रोड बेंगलूर। और
- (5) मैसर्स रमेश वारि बृन्दावन आलि आसकर रोड बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. मैसर्स मेरि टोनि, नं० 19, ब्रुटन रोड, बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज, सं० 745/84, दिनांक 8-6-1984)

सम्मति है जिसका सं० 19, जो ब्रुटन रोड, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक 16-11-1984

मांहर :

प्रकृत बाध'टी.एन्.एड'...

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सि० आर० 62/44006/84-85—अतः मुझे

आर० भारद्वाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1083 है, तथा जो 10, मैन रोड, आरपी० सी०, लेओट, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

के पूर्विका सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निर्माणाधिकृत उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण वं हूँ किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उक्त अंतरण में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, चिन्ह भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या बनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

1. श्री एस० मुद्दाय्या,
न० 1083, X, मैन रोड,
आर० पी० सी० लेओट विजयानगर,
ईस्ट, होसाहल्लि, बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. श्री बी० पी० वासुदेवा मूर्ति,
न० 426, III, स्टेज I,
एम० पाट्या, राजाजिनगर, बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(वंस्तावेज सं० 142/84, दिनांक अप्रैल 1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० 1083, जो X, मैन रोड, आर० पी० सी० लेओट, बेंगलूर, में स्थित है।

आर० भारद्वाज

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बेंगलूर

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्तर्गत
नं०, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निर्माणाधिकृत व्यक्तियों, बाधोप :-

दिनांक : 17-11-84

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 17 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सि० आर० 62/43228/84-85—अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1030-डी है, तथा जो 17-ई-क्रास विन्नामंगला, II स्टेशन, इंदिरानगर, बेंगलूर-38 में स्थित है (और इससे उपासद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 11-5-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के शायदश में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बी० आर० रामामूर्ति,
नं० 1030-डी, 17-ई, क्रास,
विन्ना मंगला, II, स्टेशन,
इंदिरा नगर, बेंगलूर-38

(अन्तरक)

2. श्रीमती राजाम्मा,
नं० 7, रायाप्पा, ओड,
फेंसर टाउन, बेंगलूर-5

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, या उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज, सं० 402 84, दिनांक 11 मई, 1984)
सम्पत्ति है जिसका सं० 1030-डी, जो 17-ई-क्रास विन्ना-
मंगला, II स्टेशन, इंदिरानगर, बेंगलूर-38 में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 17-11-1984
मोहर :

प्ररूप मां. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/44005/84-85—अतः मुझे

० भारतवाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 19 है, तथा जो IV, मैन हेब्डाल मिल, गंगोनाहल्लि, बंगलूर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गंधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 5-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत के, और, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित वास्तियों, अर्थात् 2—

1. श्री ओ० टी० नागराज,
नं० 494, 45, कास,
V, ब्लाक, जयानगर,
बंगलूर ।

(अन्तरक)

2. श्री दिलशाहनुन्सि,
नं० 5, VII, वेल्नारि रोड,
गंगोनाहल्लि, बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्लेष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(वस्तावेज, सं० 83/84 दिनांक 5-4-84)

सम्पत्ति है जिसका सं० 19 जो 5 मैन हेब्डाल सिभल,
गंगोनाहल्लि, बंगलूर, में स्थित है।

आर० भारतवाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक 6-11-1984

मोहर ५

प्ररूप नार्ड. टी. एन. एच. ए. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43303/84-85—अतः मुझे,
आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 10 है, तथा जो कश्मिगहाम रोड, बेंगलूर
में स्थित है (और इससे उपायद्व अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख 4-6-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
इसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
से वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में
कमी करने या उससे बचने में मूर्खता के लिए
और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचिभा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. क्वातलिक बिशप कान्फेंस आफ इंडिया, सोसायटी
फार, मेडिकल एजुकेशन, फारमरल नोन ऐज,
सेंट जॉन्स मेडिकल कालेज और हास्पिटल,
कीरमंगला, बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. श्री एन० एन० पटेल,
मैसर्स रूपम एन० पटेल,
रिजाइडिंग एट नं० 21/14, एम० जी० रोड,
बंगलूर-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कर्मवाहिया करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्योहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होना जो उस अध्याय में दिया
गया है।

बन्तुषी

(दस्तावेज सं० 597/84 तारीख 4-6-84)

संपत्ति है जिसका म्युनिसिपल नं० 10 (पुराना सं० 3),
जो कान्निगहाम क्रसेंट, सिविल स्टेशन, बेंगलूर, में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 17-11-1984
- मोहुर :

प्रथम भाग 1 अथवा 2 अथवा 3

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रॉज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निवेश सं० सी० आर० 62/43219/84-85—अतः सूझे,

आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 162/2 है तथा जो मागडि रोड, काई रोड एक्सटेंशन, होसहल्ली, बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपायुक्त अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीरामपुरम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 7-5-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

18-426 GI/84

1. श्रीमती सिद्धार्थगाम्मा,
नं० 93, गोविन्दाप्पा रोड,
बसवनगुडि, बेंगलूर-4।

(अन्तरक)

2. डाक्टर वें० ए० नारायण,
डाक्टर वें० जयाकुमार,
238/1, पी० जे० एक्सटेंशन,
IV, फ्रास, दावणगेरे।

(अन्तरिती)

3. अन्तरक।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्धन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त संपत्ति के वर्धन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी बन्धि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 403/84, तारीख 7-5-1984)

सम्पत्ति है जिसकी सं० 162/2, जो 18 फ्रास, मागडि रोड, काई रोड एक्सटेंशन, होसहल्ली, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रॉज, बेंगलूर

दिनांक : 20-11-1984

मोहर :

एकल बाई.डी.एन.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निवेश सं० सी० आर० 62/43321/84-85—अतः मुझे,
आर० भारद्वाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिससे इससे इससे पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 148 है, तथा जो I ब्लॉक, कोरामंगला एक्सटेंशन, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेंगलूर दक्षिण तालुक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण रूप से वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसारण के, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, नियमित व्यक्तिगत, अर्थात् :—

1. श्री पी० रामाचन्द्रा रेड्डी,
46, माधल्लि टेक बंड रोड,
बेंगलूर ।

(अन्तरक)

2. श्री गोविन्दा विश्वानात,
रेप्रेजेंटेटिव बाई श्री जी० रामदास,
नं० 9, अलसूर रोड,
बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधापत्र:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में छूट-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिलेखाधिकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्तुजी

(दस्तावेज सं० 1230/84, तारीख 26-6-1984)
सम्पत्ति है जिसका सं० 148, जो ब्लॉक I, कोरामंगला एक्सटेंशन, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 17-11-1984

मोहर :

व्यक्त आर्. बी. एन. एच. एच.

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/44002/84 85—जतः मुझे
आर० भारद्वाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 6(26) है, तथा जो सुलतानपाल्या,
मटादाहल्लि, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय, बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन दिनांक 10-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, बेंगलूर में
धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्री-
कृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यह पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक
है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच
अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की वास्तु, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व
से कमी करने या उसके अर्थ में सूचना के लिए;
और/या

(ख) एसी किसी आद का किसी भ्रम वा अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना
के लिए;

जतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधाया (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री के० पी० विभवन,
नं० 9/7, लायडस रोड,
I पलोर, क्रूक्स टाउन, बेंगलूर।

(अंतरक)

2. श्री हंसा ए० सचदेव,
बाई : पी० ए० अमरलाल आर० सचदेव,
चेतुल, चर्च रोड, बेंगलूर 27

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(वस्तुविज्ञ सं० 96/84-85 दिनांक 10-4-84)

सम्पत्ति है जिसकी सं० 6 (पुराना सं० 26), जो
सुलतानपाल्या, मटादाहल्लि, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक 16-11-1984

मोहर :

अथवा बाह्य की पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाए
भाए 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/44004/84-85—अतः मुझे,
आर० भारतराज,
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की भाए
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० 6 है, तथा जो VIII क्रम, चिन्नाप्पा
गार्डन, बेनसन टाउन, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाय
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन तारीख 5-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति में उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दायमान प्रतिफल से ऐसे दायमान प्रतिफल के पंद्रह
प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अंत-
रितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय की वसूली, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को चिन्ह भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रावधानों के अधीन सुचारु प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमती मेरि, रगिना,
नं० 6, VIII क्रम, चिन्नाप्पा गार्डन,
बेनसन टाउन, बेंगलूर
(अन्तरक)
2. श्रीमती हूर कानो,
नं० 8, 13 क्रम, मुझान्ना गार्डन,
बेंगलूर-46 ।
(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को बर्जान के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जान के संबंध में कोई भी वाक्य :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अप्रोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ॥

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 26/84-85 तारीख 5-4-1984)
सम्पत्ति है जिसकी सं० 6, जो VIII, क्रम, चिन्नाप्पा गार्डन,
बेनसन टाउन, बेंगलूर में स्थित है ।

आर० भारतराज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 16-11-1984

मोहर :

प्रथम भाग : टी. एच. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर, 1984

सी० आर० 62/44003/84-85—अतः मुझे अतः मुझे

आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 74 है, तथा जो पी० और टी० कालोनी, गंगेनाहल्लि, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधिनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 7-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययगत प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि दयापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (बन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धि के वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाधत,, उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

1. श्री एस० कृष्ण गोडा,
सं० 19, स्यानकि रोड,
बेंगलूर ।

(अन्तरक)

2. श्री सी० एन० मल्लेशा,
न० 30, क्रेसेंट रोड,
है ग्राउन्ड, बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

संपूर्ण

(वस्तावेज सं० 80/84-85, दिनांक 7-4-1984

सम्पत्ति है जिसका सं० 74, जो पी० और टी० कालोनी, गंगेनाहल्लि, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज, बेंगलूर

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

दिनांक 16-11-1984

मोहर :

प्रथम भाग टी. एच. एच.

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) को अधीन सूचना

भाइय सहायक

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 12 नवम्बर, 1984

निदेश सं० 830/84-85—अतः मुझे आर० भारद्वाज,
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 'एफ' है, तथा जो दोत पोना,
पणजी, में स्थित है (और इससे उपायद अनुसूची में और जो
पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
इलहास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन दिनांक 11-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
संपत्ति का उचित बाजार-मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से
एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंत-
रक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंत-
रण के लिए दोग पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—

(क) अन्तरण से हुए किसी भाग की वास्तु, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
द्वारिण में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एनी किसी भाग या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ग्लोबोस सराकटोटण वास,
बो 12, जिला मेकर अपारटमेंटस,
रुके परदे, बम्बई-400 005 ।

(अन्तरक)

2. कैप्टन, जहांगीर पोरु टोलजी, तलेयरखान,
श्रीमती मारीयल जहांगीर,
6, श्रीसेंट, अपारटमेंट, तह० कंपाला, जिला मोतामार,
पणजी (गोवा)-403001

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता है ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्वच्छीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

प्रनुसूची

(दस्तावेज, सं० 313, तामें 11-4-1984)

खुला जगह इमेका प्लॉट नं० 11, 11 ला० माबेल,
और इसका क्षेत्रफल, 504 वर्ग मीटर्स है । इसका जगह
धोला फैला पणजी ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक 12-11-1984

मोहड़ #

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 12 नवम्बर 1984

निदेश सं० 831/84 85—अतः मुझे आर० भारद्वाज, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 69 है, तथा जो तोरडा, गांववायडा, (गोवा), में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलास, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, सिमांगा में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अनेकसो मट्युल, डो० कोरडा, और इसकी बीबी श्रीमती श्रीता ब्याज ई० कोस्टा,
रेजिडेन्ट आफ धर नं० 139, पनजी (गोवा)
(अन्तरक)

2. श्री धीरज लाल दामोदर रंजति और
दापक मनहरलाल रंजति,
निवासी शांता क्रुज, इलास (गोवा) ।
(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

जन्तुणी

(दस्तावेज सं० 341/84-85 दिनांक 12-4-1984)

खेत की जमीन है । इसका पता 21 बी रजिस्ट्रीबद्ध इलास का सालबेडोर में तोरडा गांव में है । इसका क्षेत्र 39,600 वर्ग मीटर, और सर्वे नं० 79 सब डिविजन है ।

आर० भारद्वाज,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक 12-4-1984

ओहर ■

प्रथम भाग, टी. एन. एच.-----

सहायक अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 30 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० आर० 62/43213/84 85—अतः, मुझे, आर० भारद्वाज,

सहायक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 2950/10 है, तथा जो II, स्टैंज; 'डी' ब्लॉक, I फ़ास, राजाजिनगर, बेंगलूर, में स्थित है (और इससे उपायानुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय राजाजिनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक व दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य जास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोचनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग क अन्सरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सैयद, मुसताफा,
सैयद अब्दुल खादर के पुत्र,
239, I, मैन भामाराजपेट,
बेंगलूर-18।

(अन्तरक)

2. श्री एच० रंगप्पा,
मं० 2032 बि, II, स्टैंज, राजाजिनगर,
बेंगलूर-10।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेक्षे :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्यन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज, सं० 218/84, दिनांक 18-4-84)

संपत्ति है जिसका सं० 2950/10, ओ II स्टैंज, 'डि' ब्लॉक, I, फ़ास, राजाजिनगर, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बेंगलूर

दिनांक 30-11-1984

मोहर :-

प्रारूप आई.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 30 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सो० आर० 62/43163/84-85—प्रतः मुझे,

आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु से अधिक है

श्री ए.जि.के. सं० 59 है, तथा जो 11 फ्राफ, I स्टेज, इंदिरानगर बेंगलूर में स्थित है (श्री ए.जि.के. उपायुक्त आमुच में श्री जो पूर्ण खा वे विगिन है) रजिस्ट्रार प्रभार के कार्यालय गिवाजोनगर में रजिस्ट्रारण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रारण के कार्यालय गिवाजोनगर में धारा 269-घ की अधिनियम अधिनियम के सम्बन्ध/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एम् अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) किसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

1 श्री आर० इंदिरा,
नं० 59, I स्टेज,
इंदिरा नगर,
बेंगलूर-38

(अन्तरक)

2. (1) श्री सि० एतिराजालु
(2) श्री.मता बा० आर० इन्दुमनि,
नं० 8/1, 5, क्राम, 4 मैत रोड,
सर्पान्गरामानगर, बेंगलूर-27

(अन्तरिती)

इस सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति की बर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्तः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्तबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और उद्देश्य, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनसूची

(सम्भावेज सं० 188/84, दिनांक 21-4-1984)

समाप्त है, जिसे सं० 59, जो 11 फ्राफ, I स्टेज,
इंदिरानगर, बेंगलूर-38 में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 30-11-1984

माहूर :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
अ. में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

18—426 GI/84

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरिक्षण)

अर्जुन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/44168/84-85—अंतः मुझे,
आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु से अधिक है

श्री आर० सं० 212 है तथा जो महालक्ष्मी, हाउस बिल्डिंग, को-प्रोपर्टिव, सोसायटी प्रा० लि०, वेस्ट आफ वाई रोड, स्टेज, II फेस, बेंगलूर, में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूत्र में श्रीर जो पूर्ण रूप से अर्णम है) रजिस्ट्रार प्राधिकारी के कार्यालय राज जिनगर, में रजिस्ट्रार करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक 28-5-1984

का पत्रागत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, शिवाजीनगर में धारा 269 ए. वी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रार किया गया है अभी यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अंतरिती (अंतरितीयाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या क्रिया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निर्मालिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्रीमती होन्नाम्मा अलियात जचम्मा,
40, बड्डारागल्या,
राजा जिनगर,
मह. नक्षम पुरा पोस्ट,
बेंगलूर-86

(अन्तरक)

2. श्री सी० जी० चन्द्रान,
4173/4, I, स्टेज,
राजाज नगर, बेंगलूर-10

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात्की व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस्सेदारी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 888/84 दिनांक 28-5-1984)

सम्पत्ति है जि को सं० 212, जो महालक्ष्मी, हाउस बिल्डिंग को-प्रोपर्टिव, सोसायटी, प्रा० लि०, वेस्ट आफ वाई रोड, II, स्टेज, II फेस, बेंगलूर, (60/440) में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रेंज, बेंगलूर

दिनांक 22-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 26 नवम्बर, 1984

सं.सि० आर० नं० 62/43079/84-85--अंतः, मूले,

आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्री. जे. क. सं० एस० 107-1 ब है, तथा जो खॉडावांग विलेज
मंगलूर, तालुक में स्थित है (और इसमें उाबद्ध असूच में श्री. जो
पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रारवर्ती अधिकार के वायलिय मंगलूर
में रजिस्ट्रारकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन
दिनांक 11-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रारकर्ता के कार्यालय, मंगलूर में धारा
269 ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजि-
स्ट्रीकृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-
फल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और
(अंतरक.) और अंतरिती (अंतरिती.) के बीच ऐसे अंतरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया
है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर दान के अंतरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ए० त्यागिना बन्नन,
बर्मान वेडु शी गोस्ट मर्दान,
बडा उताडवरी, तंगूर, तालुक में
(प्रतरण)
2. मैरि प्रमुदान, हिशोरदात टवाको प्रोडक्ट प्रै०
659-1, गुनवि तनेरा, गियर ट्रेन लि० सो.उयटो,
पंच वाट, इल्लिया विल, अइमरबद-6,
पो० ए०, नावि आई, न रीतइआई ट्रेज,
कंहाशाडि, मंगलूर ।
(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

(अन्तर्वेज नं० 50/34-85 दिनांक 11-4-1984)
सम्पत्ति के तालिका सं० ए० 107 1 बि, जो खान्दवारा,
विलेज, मंगलूर, तालुक में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक 26-11-1984
मांहर ३ .

प्रकृत बाई.टी.एल.एस.-----

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भाषकर आयुक्त (निरक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आर० 62/43291/84-85—अत. मुझे, आर० भारद्वाज,

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्री. जिनको सं० 35/2 और 35/3 है तथा जो कबिंगहाम रोड, बेंगलूर में स्थित है (श्री. इसन उपायुक्त सूचना में श्री. जो पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्वकारता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी-नगर, में रजिस्ट्र.करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक 23-5-1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण आखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भाषकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब का उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. तुर्लामदास हम राज शाह
तुलसा शा, 5 वो, इलाफाजो सिटल,
गिब्स रोड, बम्बई-6

(अन्तरक)

2. मोहम्मद मासूद सेठ
मासूद करम,
रिजयाना मासूद, 15, चिन्नास्वामी
मोदलेयार रोड, टासकर, टाउन,
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

ध्यानकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 738/84, दिनांक 23-5-1984
सम्पत्ति है जि.का सं० 35/2 और 35/3, जो कबिंगहाम
रोड, बेंगलूर, में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक भाषकर आयुक्त (निरक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 26-11-1984
मोहर :

प्ररूप बाई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 30 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43165/84-85—यतः, मुझे,
आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें हममें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपय से अधिक है

और जिनका सं० 9 है, तथा जो ब्रुटन रोड क्लब, बंगलूर में स्थित
है (और इससे उपावृत्त अनुसूच में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्र करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन,
दिनांक 17-4-1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रकर्ता के कार्यालय शिवाजीनगर में धारा
269 ए. बी. के अंतगत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास
राजिस्ट्रकृत किया गया है मंत्र यह विश्वास करने का कारण है कि
यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-
फल से, एस दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अंतरिती) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धन की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर धन के अंतरक के बावजूद
से कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा
के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री. हासन प्रमराज पूनेगर,
2. मिस्टर रोडा फरोज पूनेगर,
नं० 9, ब्रेटन रोड आत,
बंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री रफोक महुमूद,
2. मिर्म, अम ना रफोक,
नं० 33/11, विक्टोरिया रोड,
बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कायवाहिया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 2(क) में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

बनुसूची

(दस्तावेज सं० 157/84, दिनांक 17-4-84)

सम्पत्ति है जिसका सं० 9, जो ब्रुटन रोड, में स्थित
है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 30-11-1984

मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० स० आर० 62/44167/84-85—यतः, मुझे,
आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 224 है, तथा जो सोन्नेनाहल्लि फरदर एकाटेशन बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूच में और पूर्ण रूप से वर्गित है), रजिस्ट्र करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन, दिनांक 28-4-1984, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार में क्रय के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री र्ता के कार्यालय, बंगलूर में धारा

269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखात में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धन की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, बाँट/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अनंता,
नं० 224, सोन्नेनाहल्लि फरदर
एकटेशन, बंगलूर-47।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० जैराज
नं० 23, आसटिन टोन,
बंगलूर-47।

अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

संश्लेषण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और प्रश्नों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 269/84 दिनांक 28-4-84)

सम्पत्ति है, जिसका सं० 224, जो सोन्नेनाहल्लि फरदर एकटेशन, बंगलूर, में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 22-11-84

माहुर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43323/84-85—यतः

मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसका पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० 455 है, तथा जो कोरामंगला एक्स्पोज़न, ब्लॉक III, बंगलूर में स्थित है (और इसी उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्गीकृत है), रजिस्ट्रार की अतिरिक्त कार्यालय बंगलूर दक्षिण तानुत, में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन, दिनांक मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और इसके यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तर्गती (अन्तर्गतियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदाहरण में उक्त अन्तरण निहित के वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाता चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) डा० के० के० कुत्ताप्पा,
सं० 270-5, न० 10 डब्ल्यू डी० क्वार्टर्स,
विजयानगर बेंगलूर ।
(अन्तरक)
- (2) श्री मोहम्मद मकबून हुसैन,
12/1, आलफोर्ड स्ट्रट,
रियमण्ड टोन,
बेंगलूर ।
(अन्तर्गती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के वास्तविक मालिक के लिए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(वस्तावेज सं० 1320/84 दिनांक मई 1984)

खाला जगह है जिसको सं० 455 जो कोरामंगला ब्लॉक-III, बंगलूर ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज बंगलूर

दिनांक : 27-11-84

मोहर :

प्ररूप आर्. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निवेश सं० सी० आर० 62/43230/84-85—यतः मुझे, आर० भारतराज, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन मध्यम प्राधिकारी का, यह विश्राम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु. से अधिक है और जिसकी सं० 1034 है, तथा जो एच० ए० एल०-II स्टेज एक्सटेंशन, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय शिवजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 4-5-1984, को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्राम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुए किसी बात की बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बावत न के कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या वा किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

20-426GI/84

(1) श्री व० अन्नामल्लै,
नं० 52/3, रामा टेंपल स्ट्राट,
दूपनाहल्लि, इंदिरानगर,
बंगलूर—38 ।

(अन्तरक)

(2) लेफ्टिनेंट करनल एस० एस० उडुपा (रिटायर्ड),
नं० 481, III क्रॉस, IX—मैन
एच० ए० एल० II स्टेज,
बंगलूर—38 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(वस्तावेज सं० 322/84 दिनांक 4-5-1984)

खाली जगह है जिसका सं० 1034, जो एच० ए० एल०-II स्टेज एक्सटेंशन, बंगलूर, में स्थित है।

आर० भारतराज
मध्यम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 27-11-1984

माहेंर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महानगर आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/44169/84-85—यम: मुझे,
आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें उसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विषयम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2923 है तथा जो रेलवे लैन, पैप लैन आर० पी० सी० लेआउट बंगलूर मिटी में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है)। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय श्रीरामपुरम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयक-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् --

(1) श्री डी० बी० प्रध्वानानारायण
69, IV क्रम रोड, होमहल्लि,
विजायानगर, बंगलूर-40 ।

(अन्तरक)

(2) श्री देवार्जुन भाई पटेल
93, न्यू टिम्बर गार्ड,
मंसूर रोड,
बंगलूर-26 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(इस्तावेज सं० 751/84 दिनांक मई 1984)
सम्पत्ति है, जिसका सं० 2923, जो रेलवे लैन, पैप लैन,
आर० पी० सी० लेआउट बंगलूर मिटी में स्थित है।

आर० भारद्वाज
मध्यम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 22-11-1984
माहुर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/44250/84-85-यतः

मुझे, आर० भारद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 23 है, तथा जो यिकका कदिरप्पा गाईन सेंट नामक टौन बंगलूर-5 में स्थित (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारकी प्राधिकारी के कार्यालय गिवाजा नगर में रजिस्ट्रारकी अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

(1) श्री.मनो. गधामाम्मा
नं० 94 यारलेस क्यामवेल रोड
काकम टौन बंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री सी० ए० के० मुत्तु नायडु
नं० 2 -II क्राम जैवारनिनगर
बंगलूर-5 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 643/84 दिनांक मई 1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० 23 है जो यिकका कदिरप्पा गाईन डिविजन नं० 49, सेंट नामक टाउन बंगलूर-5 में स्थित है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बंगलूर

दिनांक . 26-11-1984

मोहर :

प्रकृत काई टी एन एन

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43288/84-85—यत, मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० 40 है तथा जो VIII मैन रोड, 13 त्रास मल्लेश्वारम, बेगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-5-1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय राजाजिनगर में धारा 269 ए बी के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे य विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सविधा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरक के में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1 आर० ललिता, 2 आर० परिमला, 3 आर० सत्यानारायण 4, आर० नागरत्नाम्मा, 5 आर० नागबुशन, नं० 38, III मैन रोड मल्लेश्वारम, बेगलूर-3 ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स गौडा सारस्वात समाज, नं० 29 के० आर० रोड, बेगलूर-4 ।

(अन्तरिती)

(3) टेनेट्स

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता है ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिरा-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 889/84 दिनांक 31-5-84)

सम्पत्ति है, जिसकी सं० 40, जो VIII मैन रोड, XIII त्रास, मल्लेश्वारम, बेगलूर (784 2 स्क० मी०), में स्थित है ।

र० भारद्वाज

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज, बंगलूर

दिनांक 27-11-1984

मोहर

प्रारूप आदेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/44251/84-85--यत, मुझे,
आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० 266 है, तथे जो वेस्ट आफ कार्ड रोड II स्टेज, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 7-6-1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय राजाजिनगर में धारा 269 ए वी के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल से, एक दृश्यमान प्रतिफल का पट्टा प्रतिशत में अधिक है और अतः (अतः) और अन्तरिणी (अन्तरिणी) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है। -

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व को न्यून करने या उससे बचन में सुविधा के लिए, और/या

(ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के अधिनियम में धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्रीमती एस० सुब्बालक्ष्माम्मा,
बै० पि० ए० श्री एम० एस० रामचंद्रा,
डेप्यूटी प्रोडक्शन मैनेजर,
डेक्कान हेराल्ड, बंगलूर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एम० एस० सरस्वती,
बै० श्री यु० एस० प्रभाकर,
नं० 41, II मैन, वैयालिकावल, बंगलूर।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1053/84, दिनांक 7-6-84)

सम्पत्ति है जिसकी सं० 266, जो वेस्ट आफ कार्ड रोड, II स्टेज, बंगलूर, में स्थित है।

र० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक 26-11-1984

मोहर :

प्रथम भाग, टी. एन. एस.

पत्रकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकार

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/44252/84-85—यत मुझे

आर० भारद्वाज,

आयुक्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1149 है, तथा जो वेस्ट आफ कार्ड रोड, II स्टेज, बेंगलूर सिटी में स्थित है (और इससे उपावृद्ध उत्सुर्च में अर्जन रेज से स्थित है), रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय राजजातनगर, में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 18-6-1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित करि गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकां) और अंतराती (अन्तरीतिया) के बीच पूर्ण अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वांछित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव को वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक को वांछित से कमी करने या उससे बचने में क्षति का कारण बनने के लिए; और/या

(ख) एसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तव को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या अन्य अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तराती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में क्षति का कारण बनने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख को अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्री बी० लक्ष्मीनारायण,
न० 1149 वेस्ट आफ कार्ड रोड,
II स्टेज, महालक्ष्मीपुरम् पोस्ट,
बेंगलूर—86।

(अन्तरक)

(2) डाक्टर काशानाथ दीक्षित
न० 71 II, —XXII क्रॉस रोड,
राजाजानगर, II ब्लाक,
बेंगलूर-10।

(अन्तराती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन का अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होगी है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहृतकारी के पाद लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1184, दिनांक 18-6-84)

सम्पत्ति है, जिसकी सं० 1149, जो वेस्ट आफ कार्ड रोड, II स्टेज, बेंगलूर सिटी में स्थित है। (60'—40")

आर० भारद्वाज

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, बंगलूर

दिनांक 26-11-1984

मोहर

प्रकृत बार्ड. टी. ए. ए. रू.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० मो० आर० 62/44249/84-85—यतः मुझे,

आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2137 है, तथा जो आर० पी० सी० एक्सटेंशन विजयानगर, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्रीराम पुरम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 22-6-1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लग पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में एक अन्तरण विधि के द्वारा निकालने से अर्जित करने किताब गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्ति को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ का उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन—

(1) श्री ए० एन० शिवाबसप्पा,
न० 36, अपस्टेरम,
नेहरू सर्कल,
शेषाद्रिपुरम, बंगलूर-20 ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० कृष्ण भट्ट,
न० 74/1, 52 कास,
IV ब्लॉक, राजाजिनगर,
बंगलूर-10 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपोहस्ताक्षरी के द्वारा लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1056/84, दिनांक 22-6-84)
सम्पत्ति है, जिसका सं० 2137, जो आर० पी० सी० एक्सटेंशन,
राजाजिनगर, बंगलूर, में स्थित है ।

आप० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 26-11-84

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मंगलूर

मंगलूर, दिनांक 21 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43098/84-85—यत। मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु में अधिक है

और जिसकी सं० टग० एम० नं० 7, आर० एम० नं० 166 है, तथा जो अत्तावर विलेज, कनटोनमेंट वार्ड, मंगलूर में स्थित है (और इसे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलूर में रजिस्ट्र.-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम दिनांक 12-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बात, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए

नतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मियान स० एफ० मामकारेन्हास
रेबेला हीन, 132, इ रोड, बान्द्रा, बम्बई,
2 मिर्भम मगटे मामकारेन्हास (3) मिस्स चौरल
मामकारेन्हास (4) मिस्स डेबोराह मामकारेन्हास
(5) श्री पांटर मामकारेन्हास और (6) श्री पान
मामकारेन्हास
न० 2 ट 6 एट रम्याराव रोड,
मंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० मुन्नाय्या शेट्टि,
बलमट्टा, मंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सुजी

(इम्नावेज सं० 65/84-85 दिनांक 12-4-84)
सम्पत्ति है, जिसका सं० टग० एम० 7, आर० एम० नं० 166, जो अत्तावर विलेज, कनटोनमेंट वार्ड, मंगलूर, में स्थित है । (1538 वर्ग मीटर) ।

र० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मंगलूर

दिनांक : 21-11-1984

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं०/अर्जन/भोपाल/5368—अतः

मुझे, धीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 123, स्ट्रीट नं० 2 है, तथा जो मनोरमा गंज इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण के रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्यमान प्रतिफल से, ऐसे द्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

सं० 1—426 GI/84

(1) श्रीमता दौलत कृत्र बाई पति श्री ठाकुर साहब पन्बाराज सिंगजः

निवासी—12/2, मनोरमागंज, इन्दौर म० प्र०
(अन्तरक)

(2) 1. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल जो,
2. श्रीमती प्रमिता रानी पति श्री मदनलाल जो,
3. श्री राकेश "मोनोर" पुत्र श्री मदन लाल जो
गाडियन फोर नं० 3 मन्ना निवासी मकान नं० 116
जवाहर कम्पाउण्ड, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 123 गली नं० 2 है जो मनोरमागंज इन्दौर में स्थित है । यह बड़ स्थावर सम्पत्ति है, जिसका फार्म नं० 37-जा में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है ।

धीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल)

दिनांक : 22-11-1984

माहूर :

प्ररूप बाबू, टी. एन. एस. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

प्राप्त वरुकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5369—अतः

शुभे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० खुला प्लॉट म्यु० पा० नं० 8/3 है तथा जो
मनोरमागंज इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाब्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के
के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान
प्रतिफल के लिए शन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से, ऐसे इत्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरको) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
हासिल से कमी करने या उसके बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात् :—

- (1) 1. बडजात्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा
श्री संत कुमार बडजात्या पुत्र श्री कल्याणमल जी
बडजात्या
निवासी—146 जावरा कम्पाउण्ड इन्दौर म० प्र०
2. चावला कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा
श्री अर्जुनदास चावला
निवासी—165 पलशोकर कालोनी इन्दौर म० प्र०
(अन्तरक)
- (2) मेसर्स गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था
भर्यादित इन्दौर तरफे श्री जय कुमार
पुत्र श्री जठानन्दजी चावला
निवासी—195 पलाशोकट कालोनी इन्दौर म० प्र०
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहरताओं के पाम
निहित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

खुला प्लॉट म्यु० पा० नं० 8/3 है जो मनोरमागंज इन्दौर
में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं०
37-जो में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया
है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

दिनांक : 22-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निवेश सं० अई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5370—अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० खुला प्लॉट नं० 6-बी है तथा जो राजगढ़ कोठी इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण से रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रार/करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य मास्तियों के बिन्दु भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जयलक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित मनोरमागंज इन्दौर, अध्यक्ष श्री सुनिल जैन पुत्र श्री जे० पी० जैन, निवासी—यशवन्त निवास रोड, इन्दौर ।

(अन्तरक)

(2) अरिहन्त गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, 146, जावरा कम्पाउण्ड इन्दौर तरफे अध्यक्ष श्री संत कुमार बडजात्या पुत्र श्री कल्याणमलजी बडजात्या निवासी—146, जावरा कम्पाउण्ड इन्दौर म० प्र०

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला प्लॉट नं० 6-बी जो राजगढ़ कोठी इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिणी द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 22-11-1984

मोहर :

रक्षक बाबू, टी. ए. एस., -----

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5371—अत

मुझे, वारेन्द्र कुमार बरतवाल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान-नं० 1/2ब, तथा जो कमला नेहरू मार्ग उज्जैन में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुचर्चा में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकारों के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पर्याप्त प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तर्क से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तर्क को बाधित न करने या उससे बचने में सूचना के लिए; नाउ/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यता को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्क द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोहम्मद अब्दुल पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहिम,
निवासी—कमला नेहरू मार्ग, उज्जैन म० प्र० ।
(अन्तरक)

(2) श्री मंसूर अली पुत्र श्री गुलाम अली,
निवासी—28 भार्गव मार्ग, उज्जैन, म० प्र० ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मसूची

मकान न० 1/2ब है जो कमला नेहरू मार्ग उज्जैन में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका विवरण फार्म न० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिता द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वारेन्द्र कुमार बरतवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 22-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एल.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5372—अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० पार्ट श्रीर मकान नं० 1/2-ब है, तथा जो कमला नेहरू मार्ग, उज्जैन में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

(1) श्री मोहम्मद अय्यूब पुत्र श्री मोहम्मद गुलाम अली, निवासा—अकमला नेहरू मार्ग, उज्जैन म० प्र० ।

(अन्तरक)

(2) श्री शम्शेर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अली, निवासा—28-भार्गव मार्ग उज्जैन म० प्र० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिये गये हैं।

बन्सूची

भाग श्रीर बना हुआ मकान नं० 1/2-ब है जो कमला नेहरू मार्ग उज्जैन में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरितों द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 22-11-1984
मोहर

प्रश्न भाई, टी. एन. एल.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जन/भोपाल/5373—अतः मुझे,

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन संक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बना हुआ मकान प्लॉट नं० 275 है, तथा जो अनूप नगर कालोनी इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य जातिबो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जटायकर शा, पुत्र श्री शिवशंकर शा,
निवासी—वर भंगा बिहार, तरफे आ० मु०
श्री शफोकुर रहमान पुत्र श्री अजोर्जु रहमान,
निवासी—60—जुना पिठा इन्दौर म० प्र० ।
(अन्तरक)

(2) श्री शफोक मोहम्मद कुरेशी
पुत्र स्व० श्री सिद्दीक मोहम्मद कुरेशी
निवासी—भोपाल म० प्र० ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाय में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बना हुआ मकान नं० 275, है जो अनूप नगर कालोनी इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
संक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल
आयकर भवन
सैदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 22-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जन/भोपाल/5374--अतः
मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 231 है, तथा जो ग्रनूप नगर कालोनी,
इन्दौर में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल में लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि सभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंत-
रिती (अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निहित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
से छुटी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया
किया जाना चाहिए था, छिपाने से सुविधा के
लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित आदेशों, अर्थात् :—

(1) श्री इन्दरसिंग पुत्र श्री लखमीर सिंह उत्तलजी,
निवासी—मकान नं० 87, जावरा कम्पाउण्ड,
इन्दौर म० प्र० ।

(अन्तरक)

(2) 1. जवाहर पुत्र श्री श्रीनिवास कुलकर्णी,
2. श्री बद्रीनाथ पुत्र श्रीनिवास कुलकर्णी
3. श्री डीपक पुत्र श्रीनिवास कुलकर्णी
सभो निवासी-90/4, महामा गांधी मार्ग, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के भिन्न
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी आलोचना :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
निहित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में
दिया गया है।

जनसूची

प्लॉट नं० 231 है जो ग्रनूप नगर कालोनी, इन्दौर में स्थित
है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-
जी में निहित है, तथा अन्तरितों द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल
आयकर भवन
मैदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 22-11-1984

सोहर :

प्रकृष बाई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग 1) के अन्तर्गत

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5375—अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० 73 "नया नं० 20" है, तथा जो उज्जैन रोड, देवास, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार प्राधिकारी के कार्यालय, देवास, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विहित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बीड/बा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्रीमती शान्तिबाई पति श्रीमूलचन्द्र,
2. श्री मूलचन्द्र पुत्र श्री कमटलाल,
रेडिओ का दुकान तीन बत्तों चौराहा देवास, म० प्र०।
(अन्तरक)

(2) श्री आर० एच० रिशवालो,
अस्सिस्टेंट इंजीनियर, म० प्र०
त्रिभुल मण्डल खंडवा म० प्र०।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान न्यु० नं० 73 "नया नं० 20" है जो उज्जैन रोड देवास में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-जो में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल
आयकर भवन
मेदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 22-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5376—अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है, की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक है

और जसकी सं० भूमि खसरा नं० 347/1/1/1 में केवल 3.80 है, तथा जो ग्राम बावडिया तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण निहित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अंतरण सं हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा अंकित नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भोजराम पुत्र श्री लाल सिंह द्वारा ग्राम मुखत श्री मदनलाल पुत्र श्री भोजराम, निवासी—ग्राम बावडिया तह० हुजूर जिला—भोपाल म० प्र० ।

(अन्तरक)

(2) श्री संत कुमार पुत्र श्री श्याम बिहारो, अध्यक्ष जय भवानी गृह निर्माण सहकारो समिति लि० भोपाल, मध्य प्रदेश ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निहित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुमूची

भूमि खसरा नं० 347/1/1/1 में केवल 0.80 है जो ग्राम बावडिया तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जा में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा स्थापित किया गया है ।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

आयकर भवन

मैदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

मोहर :

सकल प्राई, डी, एन. एच. १९८५

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निवेदन सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5377—अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 3/7/1/1/1 रकबा केवल 0-80 है, तथा जो ग्राम बावडीकला तहसील हुजूरजिला भोपाल में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-कम्प निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(अ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कार्यालय में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोक्तार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जा सके या किना ज्ञान प्राप्त हो सके, जिन्हारे में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्री भोजराम पुत्र श्री लाल सिंह द्वारा मु० ग्राम मदन लाल, पुत्र श्री भोजराम निवासी—ग्राम बावडिया, तह० हुजूर जिला—भोपाल म० प्र० ।

(अन्तरक)

(2) श्री सत कुमार पुत्र श्री क्याम बिहारी, अध्यक्ष जय भवानी गृह निर्माण सहकारी समिति जि० भोपाल म० प्र० ।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्तः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उक्त सम्पत्ति व्यक्तिगत रूप से सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशुप किन्ती अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सम्पत्तिकरण:—इसमें प्रकृत सूचनाओं और धारा 20 के अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 347/1/1/1 रकबा केवल 0.80 है जो ग्राम बावडिया तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है कि जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण),
अर्जन क्षेत्र, भोपाल
आयकर भवन,
मैदा मिस के पास, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

सोहर

प्रारूप आर्.टी.एन.एस.-----

(1) श्री भोजराम बन्द श्री लालसिंह द्वारा मु० ग्राम श्री मदनलाल पुत्र श्री लालसिंह, निवासी—ग्राम बाबडिया तह० हुजूर जिला भोपाल । (अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री संत कुमार पुत्र श्री प्रियम बिहारी लाल, अध्यक्ष जय भवानी गृहनिर्माण सहकारी समिति लि० भोपाल म० प्र० । (अन्तरिती)

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 1984

निवेश सं० आई० ए० सी०/अर्जेंट/भोपाल/5378—अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० किता भूमि खसरा नं० 347/1/1/1 में से केवल 0.80 है, तथा जो ग्राम बाबडिया तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आरोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों द्वारा सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में कुछ-कुछ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, बंधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 347/1/1/1 में से केवल 0.80 जो ग्राम बाबडिया तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है । तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज, भोपाल
आयकर भवन
मैदा मिल के पास भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भाषकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5379—अतः,

श्री. वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 68 में से 2.00 एकड़ है, तथा जो ग्राम चूना भट्टी तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अद्यमान प्रतिफल से, ऐसे अद्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की भावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तव्यो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की अन्तरण में, नए उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित आकृतियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती श्यामबाई पति श्री प्रताप सिंग,
निवासी—ग्राम चूना भट्टी तह० हुजूर
जिला—भोपाल म० प्र० ।

(अन्तरक)

(2) टाउन प्लानिंग कर्मा० गृह निर्माण सहकारी संस्थान
मार्या० भोपाल द्वारा अध्यक्ष एस० एन० शर्मा पुत्र
डी० एस० शर्मा,
निवासी—ई० डब्ल्यू० एस० 589, साउथ टी० टी०
नगर, भोपाल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट खसरा नं० 347/1/1/1 में से केवल 200 एकड़ है, जो ग्राम चूना भट्टी में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विकरण फार्म नं० 37 जी में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा स्थापित किया गया है ।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

मोहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एन. एन. एन. एन. एन.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5380—अतः

श्री. शीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीरजिस्ट्री सं० प्लॉट नं० 6 उस पर निर्मित मकान है, तथा जो मालवीय नगर भोपाल में स्थित है (श्रीरजिस्ट्री सं० उपाखण्ड अनुसूची में श्रीरजिस्ट्री सं० वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से उचित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब को वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तुओं को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

- (1) 1. श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री राजकृष्ण जैन,
2. भारत भूषण,
3. डा० देश भूषण,
4. शपर्ध भूषण जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन,
सभी निवासी—अन्तारी रोड,
वरियागंज, दिल्ली।

(अन्तरक)

- (2) 1. विजय कुमार छाबड़ा पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंग छाबड़ा
2. श्रीमती जनक छाबड़ा पति श्री सुरेन्द्र सिंग छाबड़ा
निवासी—59 ईदगाह हिल्स भोपाल म० प्र०।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

प्रमुखी

प्लॉट नं० 6 उस पर बना हुआ मकान है जो मालवीय नगर भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में लिखित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

शीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल
आयकर भवन
मैदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

मोहर :

प्रत्येक भाग टी.एन.एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन भेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5381—अतः,

श्री, श्रीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि पर बने हुए मकान का भाग, प्लॉट नं० 6 है, तथा जो मालवीय नगर भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1. श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री राजकिशन जैन
2. भारत भूषण,
3. डा० देव भूषण,
4. धर्म भूषण पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन,
सभी निवारी—अन्सारी रोड, दरिया गंज, दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) 1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनारसी लाल,
2. अशोक कुमार पुत्र श्री बनारसी लाल,
निवासी—6, हमीन्दिया-रोड, भोपाल,।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि; जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया

अनुसूची

भूमि पर बने हुए मकान का भाग और प्लॉट नं० 6 है जो मालवीय नगर भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

श्रीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

मोहर :

शुद्ध भाषा, टी. एन. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5382—अतः

मुझे, धीरेन्द्र कुमार बरनवाल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25 000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि व खसरा नं० 85/2, क्षेत्रफल 3.00
एकड़ है, तथा जो ग्राम चूना भट्टी, तह० हुजूर जिला भोपाल में
स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल,
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की जागत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
जाया या या किया जाना चाहिए या, लिखने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्यामलाल 2. कमल सिंह 3. भगवानदास
4. देवी सिंग पुत्र श्री मुन्नालाल बनी व संरक्षक
माता रामप्यारी बाई 5. श्रीमती रामप्यारी बाई
6. किशन लाल 7. बलराम सुपुत्र श्री केवलराम
8. श्री तुलसीबाई पति स्व० श्री केवलराम जी,
निवासी—ग्राम चूना भट्टी तह० हुजूर जिला भोपाल,
म० प्र० ।

(अन्तरक)

(2) निर्मल कल्पना गृह निर्माण सहकारी समिति, मर्यादित
भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री अमर सिंह चौहान पुत्र श्री
गोवर्धन सिंह चौहान ।

निवासी—मारवाड़ी रोड, भोपाल (म० प्र०)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अन्तर्ग में निम्न
कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त व्यक्तियों के अधीन के उद्देश्य से कोई भी कार्यवाही :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् की तारीख पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि को भी
अधिक बांध में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवादी
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, या उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा या उस अध्याय में दिया
गया है।

जन्मसूची

भूमि खसरा नं० 85/2 क्षेत्रफल 3.00 एकड़ है जो चूना
भट्टी तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। यह वः स्थावर
सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है,
अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

धीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एच.एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन/भोपाल 5383—अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 85/2 क्षेत्रफल 4.00 एकड़
तथा जो ग्राम चूना भट्टी तह० हुजूर जिला भोपाल, में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल,
1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उक्तके ह्यमान प्रतिफल से, ऐसे ह्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बात की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) किसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तब.
का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री प्रियमलाल 2. कमल सिंह 3. भगवानदास
4. वेवीसिंग पुत्र श्री मुन्नालाल बली व संरक्षक
माता रामप्यारी देवी 5. श्रीमती रामप्यारी बाई
6. श्री किशनलाल 7. श्री बलराम पुत्र श्री केवलराम
8. श्रीमती तुलसीबाई पति स्व० श्री केवलराम
निवासी—चूना भट्टी तहसील हुजूर जिला भोपाल
मुख्त्यार आम श्री हरी प्रसाद केवल सिंग ।

(अन्तरक)

(2) पारिका सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या० भोपाल,
द्वारा अध्यक्ष श्री सतीश शुक्ला पुत्र श्री देवीप्रसाद
शुक्ला,
निवासी—अरैरा कोलोनी, भोपाल ।

(अन्तरिती)

जो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-
वाहियां करता है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी वाक्यः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवधुष
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पात्र
लिखित में किए जा सकेंगे।

व्याख्याकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 85/2 क्षेत्रफल 4.00 एकड़ है जो ग्राम
चूनाभट्टी तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर
सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा
अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल)
अथर भवन
मैदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 24-11-1984

मोहर :

प्रारूप आर्. टी. एन. एस.-----

में (1) 1 श्री ग्राम ता 2 कनकाश 3 भगवानदास
4 इमोम पुत्र मा पुत्राना वी व मरक्षक
माता रामप्यारीबाई, 1 श्रीमती रामप्यारीबाई
6 श्री कृष्णनान 7 श्री वरराम पुत्र श्री केवलराम
8 आता जना नाई वैवा धनि स्व० श्री केवलराम
निवामी--जना भट्टी तह० हुजूर जिला भोपाल,
द्वारा श्री हरोपमाद पुत्र श्री केवलसिंग ।

(अंतरक)

(2) छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सडकारी समिति भोपाल
द्वारा सह-नचिव महेन्द्र जैन पुत्र श्री डॉ० सो० जैन
निवासी--टी० टी० नगर भोपाल म० प्र०

(अन्तरिती)

को वह सूचना जारी करके पत्राधिकार सम्पत्ति के अन्तर्गत
पर्यवेक्षण करता है ।

उक्त सम्पत्ति के अन्तर्गत के संबंध में कोई भी आक्षेप --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्पश्चात्की अवधियों पर सूचना
को तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होगी, का भी अन्तर्गत
अवधियों में से किसी एक द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में कितनाबध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के द्वारा
किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भापाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन/भोपाल/5384--अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-घ के
अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थायी सम्पत्ति, जिसका विवरण फार्म न० 25 000-
ए में अधिक है

श्री जिसकी सं० भूमि खसरा न० 86/1 रकबा न० 4 00
एकड़ है, तथा जो ग्राम चूना भट्टी तह० हुजूर जिला भोपाल में
स्थित है (श्री इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्री पूर्ण के रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल,
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की जागत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर बनने के अन्तरक के धारित्य
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रसोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया,
या या किया जाना चाहे या विधान में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

23—426 GI/84

अनुसूची

भूमि खसरा न० 86/1 रकबा 4 00 एकड़ है जो ग्राम
चूना भट्टी तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। यह वह स्थायी
सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म न० 37-जी में
निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भोपाल
आयकर भवन,
मैदा मिन के पास भोपाल

दिनांक 23-11-1984

मोहर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ए के अन्तर्गत संपत्ति के अधीन

कार्यालय, सहायक आयकर अधिकारी (निरीक्षण)
अजय रॉय, भोपाल

भोपाल जिलाक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई. ए० सी०/भोपाल/5385—अत
मुझे, वीरेन्द्र कुमार वरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम द्वारा बनाई गई', की धारा
269-ए के अन्तर्गत संपत्ति के अधीन निवास करने का
कारण है कि सहायक आयकर अधिकारी (निरीक्षण) संख्या
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 90-91/2 क्षेत्रफल 0 809
हैक्टर है, तथा जो ग्राम चूना भट्टी तह० हजूर जिला भोपाल में
स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में वर्णित रूप में वर्णित
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिनियम के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल,
1984

को एकत्रित सम्पत्ति के अन्तर्गत संपत्ति के अन्तर्गत
प्रतिफल के अन्तर्गत अन्तर्गत की गई है और
मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथापूर्वोक्त संपत्ति के अन्तर्गत संपत्ति के अन्तर्गत
प्रतिफल से, ऐसे अन्तर्गत प्रतिफल का परन्तु प्रतिशत से अधिक
है और अन्तर्गत (अन्तर्गत के अन्तर्गत (अन्तर्गतियों) के
बीच ऐसे अन्तर्गत के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तर्गत अधिनियम में सम्मिलित रूप में वर्णित
नहीं किया गया है --

(क) सहायक आयकर अधिकारी (निरीक्षण) अजय रॉय, उक्त
सहायक आयकर अधिकारी (निरीक्षण) संख्या 25,000/-रु.
से अधिक है

(ख) सहायक आयकर अधिकारी (निरीक्षण) अजय रॉय, उक्त
सहायक आयकर अधिकारी (निरीक्षण) संख्या 25,000/-रु.
से अधिक है
धारा अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
धारा 37-जो में निहित है, तथा अन्तर्गति
द्वारा सत्यापित किया गया है ।

- (1) गोविन्दराम राम प्रसाद पुत्र श्री गुलाब सिंह,
नियासी—ग्राम चूना भट्टी, तह० हजूर, जिला भोपाल
(अन्तर्गत)
- (2) कृष्णा गृह निर्माण सहकारी सम्या मर्या० आई० टी०
टी० टाई० गोविन्दपुरा, भोपाल
द्वारा प्रेसिडेंट निवासी -8/6 माउथ टी० टी० नगर,
भोपाल ।

(अन्तर्गति)

का गृह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करना है ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी वाक्य :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या अन्यथा किसी भी व्यक्ति को
सूचना की तारीख से 30 दिन का अवधि, जो भी
अधिक हो सके, समाप्त होती है, जो भीतर पूर्वोक्त
संपत्ति को ले सकने योग्य व्यक्ति द्वारा
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त सहायक आयकर अधिकारी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

संश्लेषण इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20 में परिभाषित
हैं, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 में परिभाषित
हैं

अन्तर्गति

भूमि खसरा नं० 90-91/2 क्षेत्रफल 0.089 है जो ग्राम
चूना भट्टी जिला भोपाल में स्थित है । यह वह स्यावर सम्पत्ति है,
जिसका विवरण फार्म नं० 37-जो में निहित है, तथा अन्तर्गति
द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वीरेन्द्र कुमार वरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजय रॉय, भोपाल

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए के अन्तर्गत
धारा 269-ए के अन्तर्गत संपत्ति के अधीन, तथा
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, तथा :-

दिनांक : 24-11-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.ए.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5386—अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बना हुआ मकान न० 27/755/2/1, है, तथा जो श्रीराम कालोनी, झांसी रोड, लखर ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984, को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से उसमें दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) 1. पुष्पलता बाबई पति स्व० श्रीरतुलचन्द उर्फ पतलचन्द
2. श्री अनिल बघई पुत्र वही
3. कुमारी शैली पुत्री वही
4. कुमारी रानी पुति वही—
5. श्री आलोक पुत्र वही—
6. श्री सिद्धार्थ नेत्र —वही—
7. श्रीमती अजु जोली पति श्री राजकुमार सभी निवासी-2, श्रीराम कालोनी, झांसी रोड, लखर ग्वालियर म० प्र० ।

(अन्तरक)

- (2) 1. रणजोत गुप्ता पुत्र स्व० पूरण चन्द गुप्ता,
2. विजय गुप्ता पुत्र —वही—
- निवासी—कोठी, कटोराताल, लखर ग्वालियर म० प्र० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों को पत्र द्वारा अधिहस्ताक्षरों के पास लिखित में सूचना दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बना हुआ मकान न० 27/755/2/1 है, जो श्रीराम कालोनी, झांसी रोड, लखर ग्वालियर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति जिसका विवरण फार्म न० 37-जो में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित कि गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल
आयकर भवन
मदा मल के पास, भोपाल

दिनांक 24-11-1989
मोहर :

प्रश्न आइ टी एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

नदेश म० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5388--अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु से अधिक है

और, जिसकी सं० लेड नरवेय न० 168/15 है, तथा जो ग्राम
भाटापारा संतकनवरराम वाई, रायपुर में स्थित है (और इससे
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजपट्टीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, भाटापारा में राजपट्टीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित का गृह है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, तमक सक्षम प्रतिफल से एस इवमता प्रतिफल का
पक्ष प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरिती
(अन्तरिती) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित सूची में सूचीबद्ध है:—

(क) अन्तरक से है किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के
द्विगुण से कभी करने या उससे बचने में संबंध
काल और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए पर, विधानों में
सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख को उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मोहन सिंग पुत्र श्री बसंत सिंग सिंधी
नवासी-पाटपर तहसील भाटापारा जिला रायपुर
(अन्तरक)

(2) मेसर्स देनश सीमेट उद्योग प्रा० लि०
द्वारा डायरेक्टर श्री मुरलीधर पुत्र श्री भुमरलाल
टवरी महेश्वरी

निवासी—दुर्ग जिला दुर्ग म० प्र०

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्धन के लिए
कार्यवाही करा जाता है।

उक्त संपत्ति के वर्धन के सम्बन्ध में कोई भी बाधाएं:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाह में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास
नियम 17 (2) के अन्तर्गत

राजपट्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, या उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

सूची

भूमि सर्वे न० 168/15 है जो ग्राम भाटापारा संत कनवर
वाई रायपुर में स्थित है। यह एक स्थावर सम्पत्ति है जिसका
विवरण फार्म न० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा
मत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
(अर्जन क्षेत्र, भोपाल)

आयकर भवन
मैदा मिल के पास भोपाल

दिनांक 24-11-1984

माह

प्ररूप आई. टी. एफ. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल/5389—अतः
मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० खुला प्लॉट एवं भूमि खमरा नं० 171 है, तथा
जो डगनियां रायपुर में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय,
रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरिक कोषों में से उक्त मूल्य पर विश्वास
करने का कारण है कि उपावृद्ध सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एक सन्तुलित प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती
(अन्तरिती) के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य का
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी भी अर्थ का बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने की सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) के अन्तर्गत अधिनियम, 1957
के अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहता था, के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्याख्या करता हूँ :—

- (1) कांति पुत्र ओ म डल डगनियां,
निवासी—ग्राम डगनी तह० वजिला रायपुर
(अन्तरक)
- (2) सेतल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्य०
रायपुर द्वारा अध्यक्ष श्री सेवक राम पांडे पुत्र श्री
नेदाराम पांडे
निवासी—एच-11 विश्वविद्यालय अररी रायपुर
म० प्र० ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी
अवधि बाद में समाप्त होगी, के भीतर पूर्वोक्त
सूचना के अर्जन के अर्थ का बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने की सुविधा के लिए; और/या

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचारकारी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

खुला प्लॉट व भूमि खमरा नं० 171 है जो ग्राम डगनी
रायपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण
फार्म नं० 37-जी में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित
किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन क्षेत्र, भोपाल

दिनांक : 24-11-1984
मोहर

प्रकृत आई.टी.एन.एस -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की;
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन/भोपाल/5390—अतः मुझे,
वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सूचना प्राधिकारी का यह निश्चय करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000 - रु. में अधिक है

और जिसकी संख्या खुला प्लॉट, भूमि खसरा नं० 144
है, तथा जो ग्राम डगनिया, रायपुर में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-
1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरण की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि उपाबद्ध सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अत-
रिती (अतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---

(क) अंतरक में हुई किसी आय का बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक में
दायित्व में कमी करने या उसमें अर्जन में सुविधा
के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1 मिलन
2. मंगी पी० जगनूवोडेरहिन
पति स्व० श्री जगनू सा०
निवासी-ग्राम डगनिया,
रायपुर

(अन्तरक)

(2) मैजर्स कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्या लि० रायपुर द्वारा अध्यक्ष
श्री सेवकराम पांडे
निवासी-एच० आई०, आई० विश्व विद्यालय अरी,
रायपुर म० प्र०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में निहित
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

ओपन प्लॉट, भूमि खसरा नं० 144 है जो ग्राम डगनिया जिला
रायपुर में स्थित है, यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण
फार्म नं० 37 जी में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित
किया गया है ।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक . 24-11-1984
मोहर :-

प्रकृत अर्द्ध. नी एन एस -----

(1) श्री कृष्ण किशोर पुत्र श्री पूनमचन्द्र अग्रवाल
निवासी-हुण्डार नगर, रायपुर
(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) मैमन शं. चन्द्र कान्टेण्टर
निवासी-शेखा नगर, रायपुर म० प्र०
(अन्तरितं)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5391--

अतः मुझे, वीरेंद्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि एवं खसरा नं० 28/4 है तथा जो मोजा रायपुर लिंक रोड, नं० 2 में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि प्रथापूर्वकतः संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण का कारण, उचित प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है --

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण में सूचीबद्ध सभी स्थावर सम्पत्तियों के अधीन कर देने के अन्तरक के दाखिले में कमी करने का उद्देश्य, उक्त अधिनियम के धारा 269-घ के अधीन सूचना के लिए, नहीं है।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी बल या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा उक्त नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, लिखित में सूचना के लिए;

भूमि और खसरा नं० 28/4 लिंक रोड, नं० 2 रायपुर में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी में निहित है। इस अन्तरितों द्वारा सन्यापित किया गया है।

वीरेंद्र कुमार बरनवाल
अर्जन प्राधिकारी
सहायक आयकर (आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् --

दिनांक - 24-11-1984

मोहर

प्रारूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल/5392--यत.

मुझे वीरेंद्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु में अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि खसरा न० 28/3 है, तथा जो मोजा रायपुर रिंग रोड, नं० 2 रायपुर में स्थित है (और इसमें उगाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मैं यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिणी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल भिन्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का नाम, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कारण में कमी करने या उन्हें कमाने के विषय के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वस्तुओं को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या इन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अन्वयार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विजय कुमार पूज श्री पृथ्वीचन्द्र अग्रवाल
निवासी-कुमार मोलाब,
रायपुर मध्य प्रदेश
(अन्तरक)

(2) मैगर्स एड्युकेशनल कॉन्सल्टेंट्स
निवासी-लाखे नगर रायपुर।
(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करा है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के नाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्धुपत्नी

भूमि खसरा न० 28/2 है जो मोजा नगर रायपुर रिंग रोड नं० 2 रायपुर में स्थित है। यह स्थावर सम्पत्ति है जिसका रजिस्ट्री नं० 37 में लिखा है तथा अन्तरिणी द्वारा संश्लेषित किया गया है।

वीरेंद्र कुमार बरनवाल
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

दिनांक 24-11-1984
मोहर :

प्रकृत आर्.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई.ए.सो० अर्जुन भोपाल/5393-अतः मुझे
वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसने
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सख्त प्राधिकारियों को, यह निवास करने
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है
और जिर.कॉ सं० भूमि खपरा नं० 28/5 है तथा जो मोजा लिंक
रोड नं० 2 रायपुर में स्थित है (और इससे उपाय
अनुभव में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्र कर्ता
अधिकार के कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्र करण अधिनियम
1908 (1908 का 16 के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान
प्रतिफल के लिए अन्तरक का गठन है और मुझे बड़े विश्वास
करने का कारण है कि अन्तर्गत संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, इसके दायमान प्रतिफल से ऐसे दायमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक निर्धारित में वास्तविक
रूप से अधिभूत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक में हुई किसी जाच की वायत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कार्यालय में कमी करने या उसके बचने में सुविधा
के लिए, और/या

(ख) एसी किसी जाच या किसी धन या अन्य आस्तियों
का जिनमें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए।

धन: अ. उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत
के, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री पूनसुन्दर अग्रवाल
निवास:-कुमार तालाब, रायपुर
मध्य प्रदेश।

(प्रस्तरक

(2) मैसर्स आधुनिक कान्स्ट्रक्टरस,
निवासी-नाखे नगर, रायपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवश
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
निहित में किए जा सकेंगे।

सूचीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि खपरा नं० 28/5 है, जो मोजा लिंक रोड नं० 2 में
रायपुर में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका
विवरण फार्म नं० 37-जा में निहित है, तथा अन्तरिती
द्वारा सत्यापित किया गया है।

मार्केट कुमार बरनवाल
सहायक आयकर अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, भोपाल

दिनांक : 24-11-1984

मोहर :

प्रकृत बाह्य. टी. एन. एम.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं०/अर्जुन/भोपाल/5394—अतः

शुभे, वरेंद्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिसका सं० भूमि खसरा नं० 28/6 है तथा जो मोज
रायपुर, रिग रोड नं० 2 रायपुर में स्थित है (और इससे
उपावद्ध अनुसूच में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार-
कर्ता अधिकांश के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रार-करण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन, दिनांक
अप्रैल 1984

का पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूल्य यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पक्का प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंतरती
(अन्तारक्षयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कोषित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविक
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयाजनार्थ अंतरती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अजय कुमार पुत्र श्री पूनमचन्द्र अग्रवाल,
निवास-कुमार साहाय रायपुर
मध्य प्रदेश।

(अन्तरक)

(2) मैजिस्ट्रेट श्रीचन्द्र कान्टेक्टर
निवास साबे नगर रायपुर
मध्य प्रदेश।

(अन्तरितः)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया करता है।

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वाक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 28/6 मोज रायपुर रिग रोड नं०
2, रायपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका
विक्रय कार्र नं० 37-जा में निहित है तथा अन्तरितों
द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

दिनांक : 24-11-1984

सोहर

प्रकृत बाई. सी. एन. ए.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं०/अर्जुन/ भोपाल/5395—

अतः मुझे, व रेन्द्र कुमार बरनवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनका सं० प्लॉट न० 354 है, तथा जो चिरहुलडि, रायपुर में स्थित है (श्रीर इनमें उपाबद्ध अनुसूचा में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री हर्ता अधिकार के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक अप्रैल 1984

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पर्याप्त प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितीय) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कर्षित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के बायत्व में कमी करने या उससे बचने में सूचिभा के लिए; और/वा

(ख) छोटी क्रिमी बाय या क्रिमी धन या अन्य वास्तवों को, जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के पर्याजार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचिभा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथात्—

(1) मैरिस सवना गृह निर्माण सहकारा समिति लि० चिरहुलडि, रायपुर छ०

(अन्तरक)

(2) श्री राजेश्वराम पुत्र बोसोमल भाटीया निवासा जवाहर नगर, रायपुर, म० प्र०

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहक करतः हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बायें—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

रायपुर

खुला प्लॉट न० 354 है जो चिरहुलडि रायपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म न० 37 जा में निहित है। तथा अन्तरिता द्वारा सम्पादित किया गया है।

शं रेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

दिनांक - 1-11-1984

मोहर

प्रकृत आई.टी.एन.एस.-----

भाषाकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भाषाकार आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जुन/भोपाल/5396—

अनं मुने वरेंद्र कुमार बरनवाल

भाषाकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनको सं० मकान नं० 743/2ब, 743/2प2, 743/2प3, 843/2प4 खारा नं० 303 है, तथा जो इस्ट निवाड गंज, जबलपुर, में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार की अधिकार के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिनियम दिनांक अप्रैल 1934

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूल्य यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, एक दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतिरिक्ती रित्ती (अतिरिक्तियों) के बीच एक अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुई किसी बाय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के बावजूद न करनी करने या उत्तरे बचन में सविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य वास्तवों का, जिन्हें भारतीय भाषाकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अतिरिक्ती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

(1) श्री खूबचन्द पुत्र श्री रत लाल जैन प्रोप्राइटर रत लाल खूबचन्द एण्ड कंपनी निवास गांधी गंज जबलपुर मध्य प्रदेश।

(अन्तरक)

(2) मैगर्ग मंडला एम अन्ड केन्टेक्ट्स कारपोरेशन राईट टाऊन जबलपुर पाठनर विजय कुमार वल्लभ श्री छिकोड लाल जैन निवास-राईट टाऊन जबलपुर मध्य प्रदेश

(अन्तरिक्ती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बायो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहोस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

सम्पत्तियाँ

मकान नं० 743/2ब, 743/2प2, 743/2प3/743/2प4, है जो निवाड गंज जबलपुर में स्थित है। यह बड़े स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-ज में निहित है, तथा आन्तरिता द्वारा सत्यापित किया गया है।

वरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, भोपाल

नियम, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ का उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

दिनांक :- 24-11-1984

मोहर :-

सूचना नं. 1. डी. एन. सू. सू. -----

भाषाकरण अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भाषाकरण अधिनियम

कार्यालय, सहायक भाषाकरण आयुक्त (निरक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं०/अर्जुन/भोपाल/5397—

अतः मुझे वरेंद्र कुमार बरनवाल

भाषाकरण अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु से अधिक है

और जिसका सं० मकान नं० 1526/3 182/1-ब, 655 है, तथा जो राईट टाऊन जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाध्व अनुसूच में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिकार के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को प्रकृत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दस्तावेज प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाव्यक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकाँ) और अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कांभित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुए किसी बात की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली के अन्तरक के दायित्व से कम करन का सबसे बचन में सूचना के लिए; और/या

(ख) एसी किसी बात का किसी बचन का अन्य दायित्वों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, भाषाकरण अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों वर्गीकृत :—

(1) 1. विनय कुमार मित्रा ।
2. श्रीमती सुषमा मित्रा
3. श्री. निरंज मित्रा (न.बालिक)
सभा निवास:—राईट टाऊन, जबलपुर,
मध्य प्रदेश ।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री अनाथ पेठिया
2. कोशेलान्दरनाथ पेठिया
3. यदुनाथ पेठिया,
4. श्रीमती सुषा लाबाई पेठिया
सभा निवास:—राईट टाऊन, जबलपुर,
मध्य प्रदेश ।

(अन्तरिणी)

यह सूचना जारी करके प्रकृत सम्पत्ति के बचन के लिए व्यवहार किया गया है।

उक्त सम्पत्ति के बचन के दायित्व में कोई भी बाकी :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर प्रकृत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर्तव्यकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही बर्ण होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुपूची

मकान नं० 1526/3, 182/1-ब, 655 है जो राईट टाऊन जबलपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-ज में निहित है, तथा अन्तरिता द्वारा सत्यापित किया गया है।

वरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुक्त (निरक्षण)
अर्जुन रंज, भोपाल

दिनांक : 24-11-1984

सूचना :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० अई० ए० सं०/अर्जेंट/भोपाल/5398---

अस: मुन्ने व रेंद्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 7 पर म्यू० पा० नं० 10/2 है, तथा जो साउथ तुकोगंज, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूच में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार-कर्ता अधिहार के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रार करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक अग्रेष 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दायमान प्रतिफल से एम दायमान प्रतिफल का समुदा प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से क्रियत नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर धन के अन्तरक के वर्णन में करी करण या उससे बचन में क्रियत के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या उक्त अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में क्रियत के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, सर्वात् :-

(1) श्री माधव गोताव पिता श्री निवात गोसावो निवास -10/2 साउथ तुकोगंज,
इन्दौर, म० प्र०

(अन्तरक)

(2) श्री नयन कुमार पिता श्री केशवनालजी शाह निवास 7/1 बहनभ नगर
इन्दौर म० प्र०

(अन्तरितों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

संक्षेप :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 7 पर म्यू० पा० बंता महान नं० 10/2 है जो तुकोगंज इन्दौर में स्थित है। यह वह स्यावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37 जा में निहित है, तथा आन्तरिता द्वारा सत्यापित किया गया है।

वैरेन्द्र कुमार बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज, भोपाल

दिनांक : 24-11-1984

मोहर :

प्रकृत आइ.टी.एन एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० स/ अर्जन/भोपाल/5399--

अतः मुझे वरेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269-ब के अधीन मसुदा प्राधिकारी का, यह निश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिसको स० मकान नं० ई-1 है, तथा जो माकेन नगर
इन्दौर में स्थित (और इससे उपावृद्ध अनुसूच में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र कार्ड अधिार के तार्याय
इन्दौर में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधिन दिनांक अप्रैल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल से, एम दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय
बाधा गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
सिद्धित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य व्यक्तियों
का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रवचनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
या या किया जाना चाहिए या, विधान में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वयण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों पश्चात् :—

(1) श्री नर साहनी नामु पात स० श्री दापनारायण
नागु निवान - 22 गुलामाहर कालाना,
इन्दौर मध्य प्रदेश ।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री एम० हरदयाल
शिइ डारेस्ट मैनर इन्दौर स्टाल और आयरन
मिल्ल प्रा० लि०,
निवास है -ई-1, माकेन नगर, इन्दौर
म० प्रदेश

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
साधनाहारा कर । है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के अन्तर्गत या तत्पश्चात् की व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
ए-में गणना हुनी है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों या से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभावस्थाधारी क
पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

बन्सूची

मकान नं० ई-1, जो माकेन नगर इन्दौर में स्थित है
यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसे विवरण फार्म नं० 37
जी में निदिता है, तथा आन्तरिता द्वारा मत्यापित किया गया
है ।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सहायक आयुक्त (निरिक्षण)
सहायक आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रेज, भोपाल

दिनांक 24-11-1984

इन्दौर ;

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरोक्षण)

अर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं/अर्जन/भोपाल/5400—

अतः मुझे वीरेंद्र कुमार बरनवाल

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विवेचन करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिल्हा सं० प्लॉट नं० 205 है, तथा जो साकेत नगर इन्दौर में स्थित है (श्रीर अपने उपायुक्त अनुपूर्वी में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एंसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एंसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायद से कमी करने या उक्त अन्तरण में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

जब जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण से, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

25—426 GI/84

(1) श्रीमत् दर्शन अरोरा पति श्री नन्दिनाथ अरोरा, तर्फे आम० मु० महाराज किशन पुत्र श्री मूलकराण, निवास-16 नारायण वाग, इन्दौर मध्य प्रदेश

(अन्तरक)

(2) श्रीमत् मरलादेव पति श्री कार्तिक प्रसाद परसराम पुत्र या निवास-35 बा, इन्डस्ट्रियल इन्स्टेट लक्ष्मी वाग नगर, इन्दौर मध्य प्रदेश ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 205 है जो साकेत नगर इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति जिसका विवरण फार्म नं० 37-अ में निहित है तथा अनुरित्त द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरोक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 24-11-1984

मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं अ ई. ए० सं०/ अर्जुन/भोपाल/5401-

अतः मुझे, वं रेंद्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी का यह निश्चय करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

श्रीर जियकी सं० मकान नं० 10/2 है, तथा जो साउथ तुकोंगंज इन्दौर में स्थित है (श्रीर इसे उपायुक्त अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रेशन अधिवार के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिनियम दिनांक अप्रैल 1984

के पञ्चक संरिक्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापेक्षित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धन प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच अन्तरण के लिए तय बाया दया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विधित्त से वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कभी कभी या उनसे पहले से सीधे से किये जाए/क

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन का अन्य व्यक्ति को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रबोधनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या न किया जाना चाहिए था, विधान से सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :-

(1) श्री मातृवा पिता श्री निवाज गोवा
निवास 10/2 साउथ तुकोंगंज इन्दौर
म० प्रदेश

(अन्तरक)

(2) 1. श्री जगदीश पिता हरवत्तरी शर्मा
2. श्रीमता शान्त बाई पति श्री जगदश शर्मा
निवास-16 किबे कम्पाउंड इन्दौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्णतः सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही कराया जाएगा है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाकी :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्णतः व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

सम्पत्ति

मकान नं० 10/2 है जो साउथ तुकोंगंज इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37 में लिखित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

श्रीरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज भोपाल

दिनांक :- 24-11-1984

सोहर :

सहायक आयुक्त, सी. एच. एच. - - - - -

आयुक्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयुक्त आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जेंट रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं०/अर्जेंट/भोपाल/5402

श्री. मुने, वरेंद्र कुमार, बरतवाल

आयुक्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका संख्या प्लॉट खसरा नं० 42/1 है, तथा जो ग्राम लालबाग, तह० बुरहानपुर जिला पूर्वी निमाड, में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार की अधिकार के कार्यालय, पूर्वी निमाड बुरहानपुर में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908 का 16)

के अधिनियम 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत को गड़ें कर मध्य यह विवरण करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एस दृश्यमान प्रतिफल का पत्र प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तर्गती (अन्तर्गती) के बीच एक अन्तरक के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक निश्चित में वास्तविक रूप में स्थापित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरक से है किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधिनियम के अधिनियम के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या अन्तरक के अन्तर्गत के अन्तरक और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य सम्पत्ति का जिन्हें भारतीय आयुक्त अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तर्गती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सहायता के लिए;

अतः उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधिनियम, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नारायण पुत्र फक्का धारो,
निवासी लोहार मोडा,
तह० व० पोस्ट बुरहानपुर
जिला पूर्वी निमाड मध्य प्रदेश

(अन्तरक)

(2) 1 परमल पुत्र बस्तमल जैन,
2. गीतमचन्द्र पुत्र बस्तमल जैन,
3. जयराज पुत्र श्री खेमराज देवाड़ी,
4. एतनाथ पुत्र रामजी तानवगे
निवासी-लालबाग, तह० व० पोस्ट बुरहानपुर
जिला पूर्वी निमाड,

(अन्तर्गती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बड़ा अर्थ होगा, या उस अध्याय में किया गया है।

अनुसूची

प्लॉट खसरा नं० 42/1 है, जो लालबाग तह० बुरहानपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसे निक्षण फार्म नं० 37 ज. में दर्जित है, तथा अन्तर्गत द्वारा स्तर्जित किया गया है।

वरेंद्र कुमार बरतवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जेंट रेंज, भोपाल

दिनांक :- 24-11-1984
भोहार :

प्ररूप बाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी./अर्जन/भोपाल, /5403

प्रतः मुझे व रेंद्र मार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० मकान नं० 1258/एच/9 है, तथा जो नयु गुप्तेस्वर बाई, मदन महल, जबलपुर में स्थित है (अर इससे उपायग्र अनुसूच. में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र कर्ता अधिका. के कार्यालय में स्थित है जबलपुर में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तःरत का गढ़ है और मूक यह विश्वास करने का कारण है कि उपायग्रोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एम्में दृश्यमान प्रतिफल का वन्ध प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एम्में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(1) श्रीमता ममता शाहू पति श्री जावर शाहू,
निवापर नयु गुप्तेस्वर बाई, मदन महल,
जबलपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमता अमर कौर पति श्री सरदार बलवन्तसिंह
निवासा-690 कान्ट जबलपुर
मध्य प्रदेश ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के विषय कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे ।

संशुद्धीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की राशि, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

मकान नं० 1258 एच 9 जो नयु गुप्तेस्वरबाई मदन महल जबलपुर में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विकरण फार्म नं० 37 जो में निर्दिष्ट है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वीरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

प्रतः अर्जन, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्धात् :—

दिनांक : 24-11-1984

माईर ३

प्रारूप आर्द्र.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए०स०/अर्जन/भोपाल/5404---

अतः मुझे व.रेंद्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जितकी सं० मकान नं० 637/8, कमला नेहरू नगर है, तथा जो यादव कालोना गढ़ा रोड, जबलपुर में स्थित है (और इसमें उभावद प्रभुश्या में और पूर्ण श्या में वर्णित है) रजिस्ट्र कार्ता अधिवार. के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एम दृश्यमान प्रोफिट के लिये प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एम अन्तरण के लिए लय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत बढ़ा किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजभाष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री रमेश मुकुन्द राव तों खते वाले,
निवासे-639/8 कमला नेहरू नगर
यादव कालोना जबलपुर,

(अन्तरक)

(2) श्री कृष्ण कुमार टण्डन एव
श्री मता, स्वर्णलता टण्डन,
निवासे-406 नर्मियर टाऊन
जबलपुर ।

(अन्तररिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपे :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सूची

मकान नं० 637/8, कमला नेहरू नगर, यादव कालोना गढ़ा रोड जबलपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-जी में लिखित है।

वोरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक :- 24-11-1984
मोहर :

रूप बाई. टी. एन. एच. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल दिनांक, 5 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सो०/अर्जन/भोपाल-5405—मतः

सुश्री, वा०के० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन मध्यम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसका सं० प्लॉट नंबर 31 है तथा जो उद्योग नगर में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूच में और पूर्ण के रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारता प्राधिकारों के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन अग्रेल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और यहाँ यह विश्वास करने का कारण है कि पदापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दायमान प्रतिफल से, एसे दायमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित पद्यों में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन धर दान के अन्तरक के शीर्षक में कभी दान या उक्त अन्तरण में संधि के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वस्तुओं के जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या इन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिणी दक्षय प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता चाहे धन, छिपाने में संधि के लिए;

इस अर्थ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) गिरधारदास पिता मोहादास, निवासी-61, विद्यानगर, इंदौर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बंदना पति चिमनदास, निवासी—रूपरामनगर, इंदौर।

2. तुणदिवी पति माधवदास, निवासी—जयरामपुर कालोती, इंदौर।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना का तामास से 30 दिन का अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के साथ लिखित में किए जा सकें।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 31 उद्योग नगर इंदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका संपूर्ण अन्तरण द्वारा सत्यासिद्ध फार्म नंबर 37-जा में लिखित है।

वा०के० बरनवाल
मध्यम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 5-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एम. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई.ए.एस०/अर्जन/भोपाल/5406—प्रतः मुझे, बी.रेण्ड्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिससे इससे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कड़ा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसका प्लॉट बंगला नं० 48 है तथा जो नोमच कान्ट में स्थित है (और इसने उचित अनुसूचा में और पूर्ण रूप से बर्णित है) रजिस्ट्रार अफिसर के कार्यालय नोमच में रजिस्ट्रार अफिसर 1908 (1908 का 16) के अधिन अर्जल 1984

को पूर्वाका सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्टमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके इष्टमान प्रतिफल में, ऐसे इष्टमान प्रतिफल का बन्दूक प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब राया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कर्षित नहीं किया गया है :-

- (1) श्री मति सहजवाज पति स्व० श्री जमगेज निकर जा पिता श्री जमगेज प्रिशा नोमच कान्ट० निव.सा पारस, न.मफेट म०प्र०।

(अन्तरक)

- (2) 1. तारादेवी पति बदर लाल,
2. श्री मता ललादेवी पति श्री गिरधर लाल गोयल नोमच कान्ट०।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्ववत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवाहस्ताक्षरों के पाठ लिखित में लिखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

प्रत्यूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम की अधीन कर दान के अन्तरक के बाध्यत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को बिना भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, वा धरकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

प्लॉट बंगला नं० 48 है जो नोमच कान्ट में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जो में निहित है तथा अन्तरिता द्वारा सत्यापित किया गया है।

बीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आरन्तर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत के, श्री उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधिनियम

तारीख : 5-12-1984
महूर

प्रकृत. नाई. टी. एन. एन. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/3457—अत
मुझे, वी० कु० बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

जिसकी सं० भूमि ख० न० 715 है तथा जो ग्राम खजराना, इंदौर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अस्तित्व के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) एस किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, अन्तर्गत आना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

- 1 (1) श्री मनजीत सिंह पिता श्री बाबू सिंह
- (2) श्री परमजीत सिंह पिता श्री बाबू सिंह
- (3) श्री एतवार सिंह पिता हरचन्द सिंह
- (4) श्री प्रीतम सिंह पिता श्री पूरन सिंह निवास 135, अनूप नगर, इंदौर द्वारा मु० ग्राम श्रीराम पिता फतेह चन्द गोयल, 2-ए,, कैलाश पार्क इंदौर।

(अन्तरक)

स्नेह नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था पर्यायित
114 ए, स्नेह नगर, इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेय :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबहुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० न० 715 ग्राम खजराना इंदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी से निहित है।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक 11-12-1984

माहूर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एस. ए. ए.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई०ए०सी०/अर्जन/भोपाल-5408—अतः मुझे, वीरेंद्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हममें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनको सं० भूमि खसरा सं० 361 है तथा जो देवास सिनियर देवास में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण के रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय देवास में रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पत्राक्षर सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मैं यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बंध प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) 1. श्रीमती सुशाला बाई पति विजयकुमार जैन,
2. श्री सुभाषचन्द्र पुत्र हिरालाल जैन,
3. श्रीमता मिनाक्षी जैन पति श्री महेश कुमार जैन,
रतलाम। (अन्तरक)

(2) अन्नपूर्णा लेख एन्ड फा० क० राजबला मार्ग, द्वारा अध्यक्ष,
1. श्री हर सिंह,
2. विद्याशंकर,
3. राकेश 4. श्रीमती दुर्गाबाई
5. श्रीमता पद्मा बाई
6. श्रीमता मुजू बाई देवास म०प्र० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होगी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—हममें प्रयुक्त शब्दों और शर्तों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा सं० नं० 361 है जो देवास सिनियर देवास में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिनका विवरण फार्म नं० 37-ज में निहित है, तथा अन्तरित द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

अतः उक्त उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
26—426 GI/84

तारीख : 5-12-1984
मोहर :

द्वय भाग: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई०ए०स०/अर्जुन/भोपाल-5409—अतः मुझे,

श्री रेंद्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जितकी सं० नं० 361 है, तथा जो देवाप्र सिनियर, देवास में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूच में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्र कर्ता अधिकार के कार्यालय, देवास में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन, अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपाबद्ध सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बंध प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर इन के अन्तरक के बाधित में कमी करने या उक्त अन्तरण के सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आयियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रावधानों अन्तर्गत बंधारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः यह उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) 1. सुशाला बाई पति
श्री. विजय कुमार जैन,
तोपबाना रतलाम।
2. सुभाषचन्द्र पित्त
श्री. हारालालज. जैन,
रतलाम।
3. श्रीमती मीनाक्षी बाई पति
श्री. मधुसूदन कुमार जैन,
रतलाम।

(अन्तरक)

- (2) अन्नपूर्णा लेन्ड एन्ड फायनेंस कम्पनी,
रज्जबअल मार्ग, द्वारा अध्यक्ष।
1. श्री. हर सिंग,
2. विद्यायाशंकर,
3. राकेश,
4. श्रीमती दुर्गाबाई
5. श्रीमती पद्मा
6. मंजू बाई,
देवास म०प्र०।

(अन्तरिती)

जो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मूल्य के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सूचना के अन्तर्गत् के अन्तर्गत् में जोर भी शामिल है।

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तन्मन्वन्धी व्यक्तियों पर मन्वन् की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों को के किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त सूचना के अन्तर्गत् में निम्न-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकते।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्तर्गत्

भूमि खसरा सं० नं० 361 है जो देवाप्र सिनियर देवास में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिनका निरीक्षण फार्म नं० 37-ज में लिखित है तथा अन्तरिता द्वारा सत्यापित किया गया है।

श्री रेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज, भोपाल

तारीख : 5-12-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सं०/अर्जन/भोपाल-5410—म.ज.;

मुझे, व. रेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपय से अधिक है

और जिसके संख्या प्लॉट नंबर 192 है, तथा जो सी० सेक्टर,
इन्द्रपुर, भोपाल में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारता अधिनियम
के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रारता अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधिन, अप्रैल 1984,

का पूर्वावक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वावक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
वास्तविक रूप से कोषित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
अधिनियम के अधिन कर दान के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

जतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति सईदा खानून

पत्न. मोह० विसर नवासः—शाहुजानाबाद,
भोपाल ।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहम्मद सलम

पिता मोहम्मद इस्माइल, इन फं ऑफ सेन्ट्रल लाईब्रेरी,
इतवारा,

रोड,

भोपाल, म०प्र० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वावक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कायवाहूया करता है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आशेष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन का अर्वाध या तत्सम्बन्धी व्याक्तियों पर सूचना
का तामील से 30 दिन का अर्वाध, या भी अर्वाध
बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वावक्त व्याक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में अहतवृद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, या उस अध्याय में दिया
गया है ।

व्यसूची

प्लॉट नं० 192 सी-सेक्टर है जो इतवारा, भोपाल में
स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म
न० 3/-ज में निहित है, तथा अन्तरित द्वारा सत्यापित
किया गया है ।

व. रेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

मोडूर :

प्रकृत बाह्य टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई०सं०/अर्जुन/भोपाल-5411—अतः, मुझे,
वीरेंद्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मसम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जियकी संख्या प्लॉट नं० 17 (डी-सेक्टर) है, तथा जो कोहफता, भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन अप्रैल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से उसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की क्षमता में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री महेन कुमार पुत्र
श्री परचारामाया,
सिधा कालोना,
भोपाल, म० प्र० ।

(अन्तरक)

(2) श्री मति आनंद प्यारी पति
श्री व०के० टंडन,
निवासो—बिबल लईन,
ब्लॉक नं० 1 रावा ।
अभा का पता प्लॉट नं० 17,
डी-सेक्टर,
कोहफता,
भोपाल, म० प्र० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० डी-सेक्टर है जो कोहफता भोपाल में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-अ में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया है।

वीरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

मोहर :

प्रथम भाग टी. एन. एच.-----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं०आई०ए०सा०/अर्जुन/भोपाल-5412—यतः, मुझे,
श्रीरेंद्र कुमार बरनवाल,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नं० 43 है, तथा जो कोडिफिका,
भोपाल में स्थित है (और इससे उपाययुक्त अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्गित है), रजिस्ट्रारता अधिनियम के कार्यालय,
भोपाल में रजिस्ट्रारता अधिनियम, 1908, (1908 का 16)
के अधिन, अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बहु प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरिती
(अन्तरितीया) के बीच ऐसे अंतरण के लिए नया पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में
वास्तविक रूप से दर्शाया नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त
अधिनियम के अधिनियम कर वन के अन्तरक के
हाथिले में कमी करने या उससे बचने में बाधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्य
का जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम,
1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में बाधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत
के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 269-ब का उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति रीता

पति श्री राजाव घाई, छिद्रवाड़ा

द्वारा आ० आम श्रीमता मंजू

पति श्री प्रदप राव,

निवास:—ई-2/158,

अरेरा कालाना,

भोपाल, म०प्र०।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ईश्वरी

पति रत्नलाल जी,

निवास—गंगा निवास,

बेरागढ़।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त उपाययुक्त के अर्जुन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जुन के सम्बन्ध में कोई भी बाधा :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्याख्या के
सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो की
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताधारी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

प्रतियुक्ती

प्लॉट नं० 43 है जो कोडिफिका, भोपाल में स्थित है।
यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी
में निहित है, तथा आन्तरितः द्वारा सथापित किया गया
है।

श्रीरेंद्र कुमार बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

मोहर :

प्रकृष माई. टी. एन. ए. ए. ए.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराकरण)
घर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई०ए०सी०/घर्जन/भोपाल-5413-घतः
मुझे, वीरेंद्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन अधम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नं० 26 है, तथा जो इंदगाह
हिल्स में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और
पूर्ण के रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय,
भोपाल में रजिस्ट्रार/करण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधिन, अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्राप्तफल के लिए अन्तारगत का गढ़ है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एस दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और
अन्तारगी (अन्तारोत्तमा) के बीच एस अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्राप्तफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की वास्त, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वापस में कमी करने या उससे बचने में भूमिधा
के लिए; और या/

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्रीमति सरदार हर्देव सिंग पुत्र
श्री सरदार गुरुमुख सिंग भाजानाबाद,
भोपाल।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जगजीत कौर पत्नी
श्री धार०एस० बग्गा 56,
शान्ति नगर कलौजी,
भोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचने के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बचने के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में लिया
गया है।

बन्तुपत्नी

प्लॉट नं० 26 है जो इंदगाह हिल्स भोपाल में स्थित
है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं०
87-जा में निर्दिष्ट है तथा पं.रजि. द्वारा सत्यापित किया
गया है।

वीरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निराकरण)
घर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

बोहर :

अध्याय बाई.टी.एच.एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराकरण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई०ए०सी०/अर्जुन/भोपाल-5414—प्रति: मुझे,
बीरेंद्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नं० 54 (लाला राजपत्री को०प्रो०
हाऊस सोसाइटी है, तथा जो अरेरा कोलोनी भोपाल में स्थित
है (और इससे उपबाद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रिकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में
रजिस्ट्रिकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तारत की गई है और मूल्य यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती
(अन्तरितिया) के बीच एस अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तव-
धिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की वास्त, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कारण से कमी करने का उद्देश्य स्पष्ट हो दिखाया
नहीं किया; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय भाव-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
दृष्टि नहीं किया;

नोट: यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत
बी.टी. उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन:—

(1) श्रीमति ईश्वरी पति
रतन लाल सिन्धी,
निवासी-बस स्टैंड,
बेरागढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री राज कुमार राम सिंघानी पुत्र
श्री गोमाल दास,
निवासी-इ-1/165,
अरेरा कालोनी,
भोपाल।

(अन्तरिती)

यदि यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त संपत्ति के वर्धन के लिए
कार्यवाही करता है।

उक्त संपत्ति के वर्धन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशु
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाठ
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रकट उक्तों और क्यों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनसुधी

प्लॉट नं० 54 लाला राजपत्री को०प्रो० हाऊसिंग सोसा-
इटी है जो अरेरा कोलोनी भोपाल में स्थित है। यह वह
स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-जा में
निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

बीरेंद्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निराकरण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख: 7-12-1984
सोहर A

सूचना सं. टी. एन. एच. 269-ब

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

आयकर अधिनियम, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निदेश सं. अ.ई.ए.सी.0/अर्जुन/भोपाल-5415—अतः

मुम, वी रेन्ड्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नंबर 7-एच डे, तथा जो पंजाबी बाग, रायसेन रोड, भोपाल में स्थित है (और इसने उप बद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित है वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण के द्वारा किसी आय की वास्तविक उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कारित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्राधान्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

इस प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1 श्री गुरुमुख सिंह पिता
श्री गोलाल सिंह
2 श्री गोलाल सिंह पिता
लड्डा सिंह,
निवासी—जवाहर चौक,
टी.टी. नगर,
भोपाल।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जगजीत कौर पत्नी
परमजॉत कौर,
निवासी—15 सो,
करमगंज,
इटवा (यूपी)।

(अन्तरिता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्य :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभावे स्थावरकारी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नंबर 7-एच, पंजाबी बाग, रायसेन रोड, भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिता द्वारा सरकारी फार्म नंबर 37 में निहित है।

बी.के. बरनवाल
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

आयालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई०ए०सी०/अर्जन/भोपाल-5416--अतः
मुझे, वीरेंद्र कुमार वरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नंबर 14 है, तथा जो पंजाबी बाग, रायसेन रोड़, भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के लिए यह अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप में किया जाना चाहिए।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देन के अन्तरक के वास्तविक ले कर्म करन या छुभसे बचक में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

37—426 GI/84

(1) श्री सरदार लाभ सिंह पिता
बलवंत सिंह,
निवासी—घोड़ा नक्कास,
भोपाल।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मनमोत सिंह पत्नी
राजेन्द्र सिंह
2 श्रीमती नवनीत कौर पत्नी
सरदार गुरमीत सिंह,
निवासी—पंजाबी बाग,
भोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नंबर 14, पंजाबी बाग, रायसेन रोड़, भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी में निहित है।

वी० के० वरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

मोहर :

इकम् माह, टी. एन. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं०/अर्जुन रेज/भोपाल/5417—

अतः मुझे वी० के० बरनवाल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट एवम कच्चा मकान है, तथा जो
देवेन्द्र नगर, स्कीम नंबर 32 (सेक्टर-1) में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल
1984।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब
तब तक प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
निर्दिष्ट में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की वास्तव उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को
वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी भाग या किसी भन या अन्य वास्तवियों
को जिनमें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोगार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति विमलादेवी पत्नी
श्री एस० सी० माहेस्वरी, तहसील रायपुर,
रायपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री बालराम चावला पिता
श्री नरसिंह चावला,
तहसील रामली, एबम्
जिला रायपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति को अर्जन से संबंध में कोई भी जांच :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवशुध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहरताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट एवं कच्चा मकान, देवेन्द्र नगर, स्कीम नंबर 32
(सेक्टर-1), रायपुर में स्थित हैं यह वह स्थावर संपत्ति है
जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-
जी में निहित है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस्.-----

भाष्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल/5418:—अतः मुझे

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भाष्यकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट एवम झोंपड़ी है तथा जो देवेन्द्र नगर, स्कीम नम्बर 32 (सेक्टर 1) रायपुर 3 स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के दृश्य प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किमा गया है :-

(क) अन्तरक से हुई किसी भाग की वास्तु, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उक्त करने से इच्छा न के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तुओं को, जिन्हें भारतीय भाष्यकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रावधानार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए या, छिपाने में इच्छा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

2. दिनेश राठीर
पिता बंसल जी राठीर
निवासी—फाफाडीह, रायपुर।

(अन्तरक)

2. श्री चन्द्र प्रकाश जैन
पिता छोटेलाल जैन
निवासी बालदा बाजार
तड्सील रायपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थात् स्थावर को पास लिखित में किए जा सकते।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट एवम उस पर बनी झोंपड़ी देवेन्द्र नगर, स्कीम नं० 32, सेक्टर 1, रायपुर में स्थित हैं यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जो में निहित है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

माहूर :

प्ररूप आर्द्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

स० आर्द्. ए० सो०/अर्जन/भोपाल/5419:—अतः मुझे
बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर. जितको संख्या भूमि ख० नं० 480 है, तथा जो
तेलबन्धा (पी० एच० नं० 113) रायपुर में स्थित है (श्रीर.
इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर. पूण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री झाड़ वल्द सुमेरी,
हालू पिता सुमेरी,
शिव प्रसाद झाड़ू,
निवासी—तेलबन्धा,
रायपुर।

(अन्तरक)

2. श्री न्यूतिना निर्माण सहकारी समिति लि०
रायपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 480, तेलबन्धा (पी० एच० नं० 113)
रायपुर में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण
अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जा में निहित
है।

वी० के० बरनवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 7-12-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5420—अतः

मुझे, श्री० के० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 10 है, तथा जो गौदवारा
(इण्डस्ट्रियल एरिया) रायपुर में स्थित है (और इससे उपा-
चक्र अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रेशन अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधिन, अप्रैल 1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

1. श्री शुभकान्त वरुण देवू मत्तनामो एवम अन्य,
निवासी गौदवारा
तहसील व जिला रायपुर।

(अन्तरक)

2. श्री कृष्णकान्त वगैरह
पिता रतनलाल गोयल
निवासी फाफार्डाह,
रायपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 10, गौदवारा, रायपुर में स्थित है।
यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा
सत्यापित फार्म नम्बर 37 जा में निहित है।

श्री० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 7-12-1984

मोहर :

इस्य बाई.टी.एच.एच.

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिन क्र 7 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5421—अतः
मुझे, बी० के० बरनवाल,
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ग के अधीन सहायक प्राधिकारी को यह विधायक करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० प्लॉट तथा उस पर बनी झोपड़ी है, तथा
जो मेन रोड, वार्ड नं० 16, बालाघाट में स्थित है (और
इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय, बालाघाट में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
अप्रैल 1984

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती
(अन्तरितीयाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया
प्रतिफल, विनिर्दिष्ट उद्देश्य में उक्त अन्तरण निश्चित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की वापस, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को
हावित्थ में कमी करने या उक्त अन्तरण में सुविधा
के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोगनाम
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्मात्तु :—

1. श्रीमती मुल्लाबाई
पत्नी रामचरन खुरद व बली
ना० बा० कु० कृष्णा एवम् राजेश एवम्
जोधा, बल्द रामचरन
निवासी बालाघाट।
श्रीमती रामलीबाई
पत्नी सुदामा गड़ेवाल
प्रकाश पिता रामचरन गड़ेवाल,
बालाघाट।

(अन्तरक)

2. उमाशंकर असाठी
पिता रामभरोसे असाठी,
निवासी वार्ड नं० 10,
बालाघाट।

(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति की अर्जन को सिद्ध
कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्समंती व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

प्लॉट एवम् उस पर बनी झोपड़ी, मेन रोड, वार्ड नम्बर
16, बालाघाट में स्थित हैं। यह वह स्थावर सम्पत्ति है
जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37
जी में निहित है।

बी० के० बरनवाल
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

मोहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एल.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5422:—अतः

मुझे, वारेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसका संख्या भूमि ख० नं० 1618 (पी० एच० नं० 50 ए०), है, तथा जो जालमपुर बाई, धमतरी में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धमतरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि प्रभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए उच्च पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(अ) अन्तरण से हुई किसी आय की वारस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, कर/रा

(ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्य अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रह्लाद श्रीराम, सेवकराम, गोपाल राम पिता पितूराम, इन्द्रा, इन्द्रावती पिता पितूराम, देवसीर पिता पितूराम, जगेमर, जगसूराम, पिता मिलाप, हलालखोर फागूराम पिता मिलू रत्नीबाई, पत्नी मिनू अमनूराम पिता जलाल, मुराजबाई कलाबाई, रपता जलाल, सातोबाई बे० जलाल, रामसिंह वल्द झाड़ू मरार निवासी—सालहेवार, पार, धमतरी, जिला धमतरी। (अन्तरक)

2. श्रीमती सरला जैन पत्नी ज्ञान चन्द जैन, मोती लाल जैन, वल्द कंवर लाल जैन रघुनाथ अग्रवाल, पिता नन्द लाल अग्रवाल निवासी—सदर बाजार धमतरी जिला रायपुर। (अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्यष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

भारत

भूमि ख० नं० 1618 (पी० एच० नं० 50 ए०) जालमपुर बाई धमतरी में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरितों द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है।

बी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र भोपाल

तारीख : 7-12-1984

गोहर :

प्रकार भा. टी. एन. ए. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

सं० आई० ए० सी०/अजन/भोपाल 5423:—अतः मुझे,

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 2103 है, तथा जो छिदवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय छिदवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984।

उक्त पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इतना प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि अध्यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके वर्तमान प्रतिफल से, ऐसे वर्तमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीय) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में किया नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मोहन लाल
पिता मावजी गोहिल,
निवासी—छिदवाड़ा। *

(अन्तरक)

2. श्री गुलजार सिंह
वल्ल जालिम सिंह रघुवंशी
2. मोहन लाल
वल्ल तोताराम बत्रा
निवासी छिदवाड़ा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जांच:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 2103 छिदवाड़ा में स्थित है। यह वह स्थवर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है।

बी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख: 7-12-1984

मोहर:

प्रकृत बाइ. टी. एन. एन.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भाष्य सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984.

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5424:--अतः मुझे

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

दायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नं० 2 एवम 3 है, तथा जो रायसेन रोड, भोपाल में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अर्जित, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य व्यक्ति को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्जन :-

1. श्री सुरजीत प्रकाश छावड़ा
आत्मज श्री गोपाल दास छावड़ा
निवासी—जहंगीराबाद,
भोपाल।

(अन्तरक)

2. श्री कमल सिंह
पुत्र श्री डोरो सिंह
निवासी—ग्रोल्ड मुभाष नगर,
भोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधा :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नम्बर 2 एवम 3, रायसेन रोड, भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

मोहर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस. ए. ए.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5425—अतः मुझे
बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान का भाग है, तथा जो नूर महल,
भोपाल में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और
पूर्व रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, अप्रैल 1984

को पुरातन सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
संभव प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निर्धारित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
द्वयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
नात् अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
है, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती बी० एस० परबतम
पत्नी श्री० एस० मनी
निवासी नूर महल,
भोपाल।

(अन्तरक)

2. श्री जगदीश अय्यर
पिता जी० ए० राममूर्ति
निवासी नूर महल,
भोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता-हरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मकान का भाग, नूर हिल रोड, भोपाल में स्थित है।
यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा
सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है।

बी० के० बरनवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 7-12-1984

मोहर।

प्रकरण आई.टी.एच.एच.

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5426:—प्रत मुझे,
बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान काजभाग है तथा जो नूर महल, भोपाल में स्थित है (और इससे उपायद्ध अनुचरों में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुए किसी बाव की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अस्तित्व को वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा नहीं मिलेगी।

(ख) एसी किसी बाव या किसी धन या अन्य जास्तियों को, किन्हीं भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

जतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा:—

1. श्रीमती वी० एस० परवतम
पत्नी श्री वी० एस० मनी
निवासी नूरमहल,
भोपाल।

(अन्तरक)

2. श्री आर० शंकर अईयर
पिता श्री जी० ए० राममूर्ति
निवासी नूर महल,
भोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्त:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30-दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वीकृतिकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान का भाग, नूर महल भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित

वी० के० बरनवाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख: 7/12-1984

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एच. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5427:—अत सुधे

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन स्थान प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 428/2 है, तथा जो मौजा जूना, बिलासपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापेक्षित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बालराम कश्यप
पिता स्व० लालाराम कश्यप
2. श्याम बाई
पत्नी स्व० लालाराम कश्यप
बिलासपुर।

(अन्तरक)

2. श्री नन्दलाल जयसवाल
पिता स्व० रघुनाथ प्रसाद कान्टेक्टर
2. श्रीमती लालमुनीबाई
पत्नी श्री नन्द लाल जयसवाल
निवासी बेलघना, तह० बिलासपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 428/2, मौजा जूना बिलासपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापन फार्म नम्बर 37 जी में लिखित है।

बी० के० बरनवाल,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984
मोहर :

प्रथम भाई, टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5428:—प्रतः मुझे
वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 428/2 एवम् 428/3
है, तथा जो जूना बिलासपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
प्राधिकारी के कार्यालय बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
बास्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धन की वास्तव उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सृजिभा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी धन या किसी धन का अन्य जायतियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृजिभा
के लिए;

प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बलराम कश्यप
पिता स्व० लाला राम कश्यप
2. श्रीमती श्यामा बाई पत्नी
स्व० लाला राम कश्यप
निवासी जूना, बिलासपुर।

(अन्तरक)

2. श्री हनुमान प्रसाद
पिता गोपीराम अग्रवाल
2. श्री बजरंग लाल
पिता मिट्टू राम अग्रवाल
निवासी गांधी गंज, रायगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बंध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 428/2, 428/3, जूना बिलासपुर में
स्थित हैं। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती
द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है।

वी० के० बरनवाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक जमायक आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-12-1984
माहूर :

प्रकृत बाध... टी. एच. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

शाउद सरकाइ

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5429—अतः, मुझे,

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह निश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान नम्बर 35/86 है, तथा जो तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती फूलवती गुप्ता
पत्नी स्व० श्री बुलाकिं दास जी गुप्ता
निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, लश्कर
ग्वालियर।

(अन्तरक)

2. श्री राजेन्द्र कुमार, नवल किशोर
पिता श्री फूल चन्द जी अंवाल,
निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, लश्कर,
ग्वालियर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपे 2—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

तुसूच

मकान नम्बर 35/86, तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार लश्कर, ग्वालियर में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 27 जी में निहित है।

बी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज० भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर:

प्रकृत आर्. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5430:—अतः मुझे,
बीरेन्द्र कुमार धरमवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान नम्बर 35/86 है, तथा जो तेजेन्द्र
नाथ की गली, लक्ष्मण ग्वालियर में स्थित है (और इससे
उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल,
1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के, अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती फूलवती गुप्ता
पत्नी स्व० सुलाकी दास जी गुप्ता
निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, लक्ष्मण,
ग्वालियर।

(अन्तरिती)

2. श्री श्यामलाल अग्रवाल
पिता श्री फूलचन्द जी अग्रवाल,
निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, लक्ष्मण,
ग्वालियर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मकान नम्बर 35/86, तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया
बाजार, लक्ष्मण ग्वालियर में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति
है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37
जी में निहित है।

बी० के० वरनवाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

इसके बाद, टी. एन. एल.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
भारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल 5431:—अतः मुझे,
वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा
269-ब के अधीन अधिम प्रतिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान नं० 35/86 है, तथा जो तेजेन्द्र
नाथ की गली, लोहिया बाजार, लखर, ग्वालियर में स्थित
है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रारकी अधिकारों के कार्यालय, ग्वालियर में
रजिस्ट्रारकी अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
अप्रैल, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
बाधा गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक
निश्चित में वास्तविक रूप से अधिगत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वास्त, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिनमें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किन्ना जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ब के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-ब की उपभारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती फूलवती गुप्ता
पत्नी स्व० वी० के० सुलाकीधस जी गुप्ता,
निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, लखर,
ग्वालियर।

(अन्तरक)

2. श्री विनोद कुमार प्रप्रवास
पिता श्री फूल चन्द जी वैश्य
निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, लखर,
ग्वालियर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्णन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्णन के संबंध में कोई भी बाधापे :—

(क) इस सूचना के उद्भव में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या ससम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के उद्भव में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
वशु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिष्कृत
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मकान नं० 35/86, तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया
बाजार, लखर ग्वालियर में स्थित है। यह वह स्थावर
सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म
नम्बर 37 जी में निहित है।

वी० के० बरनवाल,
समम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984
मोहर :

शब्द 'अर्थ', टी. एच. एच. —

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5432:—अतः मुझे,
वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इनमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है

और जिसका संख्या मकान नं० 35/86 है, तथा जो नजेन्द्र
नाथ की गली, लोहिया बाजार, लखर, खालियर में स्थित
है (और इससे उपावृत्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खालियर में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
अप्रैल, 1984,

को पंजीकृत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मैं यह विश्वास
करने का कारण है कि उपावृत्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल में, जैसे उद्यमान प्रतिफल का
पक्का प्रमाण से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तर्गती
(अन्तर्गतियों) के बीच जैसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की वास्तव उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उक्त बाब में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य वास्तवों
का, जिसके भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्-
तर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ सम्पत्ति द्वारा एकत्र नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन —

29—426 GI/84

1 श्रीमती फूलवती गुप्ता
पत्नी स्व० के० बुलाकीदस जी गुप्ता
निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, लखर
खालियर।

(अन्तरक)

2. श्री श्रीम प्रकाश अग्रवाल
पिता श्री फूल चन्द वैश्य
निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, लखर
खालियर।

(अन्तरिता)

का यह सूचना जारी करके उचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
वश व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मकान नं० 35/86, तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार,
लखर, खालियर में स्थित है यह वृत्त स्थावर सम्पत्ति है
जिसे विवरण प्रतिलिपि द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37
जी में नहित है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,
संजन प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त कार्यालय
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख: 10-12-1983

मोहर:

इसका बाई. टी. एन. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5433:—अतः, मुझे
वी० के० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है

श्री' जिसकी संख्या 14/99 है, तथा जो रतलाम में स्थित
है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रिकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन,
अप्रैल 1984

के पत्रोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्टमान
मूल्य के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि उपाखण्ड सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उक्त इष्टमान मूल्य में, ऐसे इष्टमान मूल्य का
बहुत प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिणी
(अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया कि-
उन निम्नलिखित उपाखण्ड में उक्त अन्तरण विधि में वास्तविक
मूल्य से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी बाबत या किसी धन या अन्य सम्पत्तियों
को, जिनमें भारतीय आयकर अधिनियम 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अधि-
नियम अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
इच्छेतार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत
है, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री माणकलाल अग्रवाल,
2. राजमल चौरशिया
3. माया लाल माहेश्वरी,
3. चावमल लोढ़ा
5. अमृतलाल बोहरा
6. कल्याण पुरोहित
7. फकीरचन्द गुजराती
8. शान्ती लाल गुप्ता
9. शांतोलाल पाटनी इन सभी के मु० ग्राम स्वयं
सहायता समिति खुद
10. नाथू राम
पिता जमनालाल सुरेका,
लकड़पट्टा,
11. पत्रालाल
पिता धूलचन्द कटारिया
श्रीमुखी पुल रतलाम द्वारा

(अन्तरक)

2. श्री अन्नपूर्ण अन्न क्षेत्र ट्रस्ट बोर्ड
रतलाम ट्रस्टी गण से

1. गायी चन्द,

2. नानू

पिता प्रेम चन्द गणेश जी
निवासी फ्री गंज, रतलाम।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही कराता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्पश्चात् की व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाबत में समाप्त हुआ है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किया जा सके।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनसूची

एक मंजिला पक्का मकान न्यू नं० 14/99 रतलाम में
स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिणी
द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 भी में निहित है।

वी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

माहुर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं०/अर्जुन/भोपाल/5434—अतः

बी.रेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे इससे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिला सं० महान म्यु० न० 23, वार्ड नं० 32 है तथा जो रंगरेज रोड, रतलाम में स्थित है (श्रीर इससे उपावह अनुसूचा में श्रीर पूर्ण रूप से वर्गित है) रजिस्ट्रार अर्जुन रेंज के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्रार अर्जुन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तार ख अग्रेल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पक्ष प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच एक अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदाहरण से अन्तरक अन्तरण निम्नलिखित में बाधक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए, आदि

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तुवा का उक्त भारतय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार करने में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ का उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1 श्री सरदार मल उर्फ श्याम सुन्दर,
2 श्री कैलाशचन्द्र,
3 श्री नरेन्द्र कुमार,
4 श्री अशोक कुमार,
5 श्री राजेश कुमार,
पिता श्री सनरथनलाल अग्रवाल के पु० आम
श्री समरथ मल पिता
श्री रतनलाल अग्रवाल,
निवासा नई आबादा, मंदसौर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुशोला देवी पत्नी
श्री पाल कुमार ज. शूणिया,
37/10, भरावा का कुई,
रतलाम।

(अन्तरितियों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जुन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जुन के सम्बन्ध में कोई भी बाधकः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभावस्थाकारी के पास निहित में किए जा सकेंगे।

ध्यायीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

महान म्यु० न० 23 वार्ड न० 32, रंगरेज रोड, रतलाम में स्थित है यह यह स्थावर सम्पत्ति है जिसे विवरण अन्तरितियों द्वारा सत्यापित फार्म न० 37 जा में निहित है।

बी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

सूचना क्र. टी. एन. एच. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं०/अर्जुन/भोपाल/5435—अत

मुझे, वरेंद्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिन्क सं० महान म्यु० नं० 23, वार्ड नं० 32 है तथा जो रंगरेज रोड, रतलाम में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूच में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र हर्ता अधिहारी के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन, त राख अप्रैल, 1984

क पब्लिश सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उक्त अन्तरण में सुविधा को दिए, जरि/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

- (1) 1 श्री सरदार मल उर्फ श्यामसुन्दर,
 - 2 श्री कैलाशचन्द्र,
 - 3 श्री नरेन्द्र कुमार,
 - 4 श्री अशोक कुमार,
 - 5 श्री राजेश कुमार पिता
- श्री समरथमलज द्वारा
मु० आम श्री समरथमल पिता
श्री रतन लालज,
नई आबाद, रतलाम ।

(अन्तरक)

- (2) श्री मती चन्द्रकला देवी पत्नी
श्री अशोक कुमार ज लूणिया,
निवास भरावा का कुई,
रतलाम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कायवाह्या करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरों के साथ लिखित में किए जा सकेंगे।*

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

महान म्यु० नं० 23, वार्ड नं० 32, रंगरेज रोड, रतलाम में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-आ में निहित है ।

वी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज, भोपाल

तारीख 10-12-1984
मोहर .

संख्या २६९-ए. एन. ए.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अ.ई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल/5436—अतः,
मुझे, व० के० बरनवाल,

भायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसका पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्वाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनका सं० महान म्यु० न० 23, वाड न० 32 है तथा जो रंगरेज रोड, रतनाम में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूच में श्रीर पूर्ण रूप से वर्गित है), रजिस्ट्री तर्ता अधिकारी के कार्यालय, रतनाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन, तारख अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरक की गई है और मुझे यह निश्चय करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीया) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, विम्पत्तिगत उपावद्ध के उक्त अन्तरक सिद्धि से वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरक में हुई किसी बाण की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर दपों के अन्तरक के साधित की कमी करने या उपावद्ध करने के इच्छित के सिद्धि; और वा/

(ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिय, का, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रकोचनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, जिपाने में इच्छित के लिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अन्तरण है, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) 1 श्री सरदारमल उर्फ श्यामसुन्दर,
2. श्री कैलाशचन्द्र,
3. श्री नरेन्द्र कुमार,
4. श्री अशोक कुमार,
5. श्री राजेश कुमार पिता श्री समरथमल जी अग्रवाल, नई आबाबा, मंदसौर द्वारा मु० आम श्री समरथमल पिता श्री रतनलाल जी अग्रवाल, मंदसौर।

(अन्तरक)

- (2) श्रीमती कमनाबाई पत्नी श्री समरथमल जी लूणिया, 37/10, भवर का कुई, रतनाम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की विषय काय ताहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

महान म्यु० न० 23, वाड न० 32, रंगरेज रोड, रतनाम में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म न० 37-जा में निहित है।

वी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

इसका आई. टी. एन. एन.-----

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराकरण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं०/अर्जुन/भोपाल/5437—अतः मुझे, व० के० बरनवाल,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'नया अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० महान म्यु० नं० 23, वाड्ड नं० 32 है तथा जो रंगरेज रोड, रतनाम में स्थित है (श्री. इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारता अधिकारी के कार्यालय, रतनाम में रजिस्ट्रारण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्णतः संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की छयमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वक संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके छयमान प्रतिफल से, ऐसे छयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एने अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित से वास्तविक रूप से अधीन नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाव की बावध, उक्त अधिनियम के अधीन कर वत के अन्तरक के ताबिल्व को कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एने किसी बाव या किसी धम या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रभावनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण से, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, कर्णतः—

(1) 1 श्री सरदार मन जा उर्फ श्याम सुन्दर,
2 श्री कैलाश चन्द्र,
3 श्री नरेन्द्र कुमार,
4 श्री अशोक कुमार,
5 श्री राजेश कुमार पिता
श्री समरथमल जा नई आवादी
मंदसौर, द्वारा
मु० आम श्री समरथमल जा पिता
श्री रतनलाल जा, छठे मंदसौर ।

(अन्तरक)

(2) श्री मती पुष्पना देवी पत्नी
श्री विजय कुमार ज लूणिया,
37/10, भंवाग का कुई,
रतनाम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्णतः संपत्ति के अर्जुन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जुन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के अन्तरक में निम्नलिखित व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होनी हो, के भीतर पब्लिक व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महाहस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

महान म्यु० नं० 23 वाड्ड नं० 32 रंगरेज रोड रतनाम में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसे रतनाम विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म 37-जा में निहित है ।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निराकरण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्रकृत आर्.टी.एन.एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का भाग
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जुन/भोपाल/5438—अतः
भूँडे, व० व० वरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

श्री. जे. के. सं० मकान न्यु० नं० 23, वार्ड नं० 32 है तथा
जो रंगरेज रोड रतलाम में स्थित है (और इससे उपायुक्त
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजि. दू. भा. ति. अधिकारी
के कार्यालय रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908
(1908 का 16) के अधिनियम तारीख अप्रैल 1984

का प्रवक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान
प्रतिफल के लिए अन्तरण की गई है और माल यह विश्वास
करने का कारण है कि प्रवक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, उसके व्ययमान प्रतिफल का
पर्याप्त प्रतिफल से अधिक है और अन्तरण (अन्तरण) और अन्तरणी
(अन्तरणीयता) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए यह बाधा नया प्रति-
फल निम्नलिखित उपायुक्त मूल्य अन्तरण लिखित में आस्थापित
रूप से स्थापित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के
द्वारित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
भारत-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रवक्तार्थ अन्तरणीयता द्वारा प्रकृत नहीं किया
गया या या किया जाना चाहिए या, विधान में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
में, म., उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

- (1) 1. श्री सरदारमन जो उर्फ श्याम सुन्दर
2. श्री कैलाशचन्द्र
3. श्री नरेन्द्र कुमार
4. श्री अशोक कुमार
5. श्री राजेश कुमार पिता
श्री समर्थ मल जो अग्रवाल
द्वारा मु० ग्राम श्री समर्थमलजी पिता
श्री रतनलालजी अग्रवाल
नई आवादा, मंदसौर।

(अन्तरण)

- (2) श्रीमती उषादेवी पत्नी
श्री अजय कुमार लुणिया
37/10 भद्रावा को कुई
रतलाम।

(अन्तरणी)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहीय करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्य :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशु
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

सूचीकरण:- इसमें प्रवक्त सम्पत्ति और नए कर, की उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही वर्ष होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मकान न्यु० नं० 23 वार्ड नं० 32 रंगरेज रोड
रतलाम में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका
विवरण अन्तरणीयता द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जा में निहित
है।

वी० कु० वरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर :-

दरम्य नार्. डी. एन. एड.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अर्ई० ए० सी० अर्जुन/भोपाल/5439—प्रतः
शुभे, वारेन्द्र कुमार बरनवाल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है
श्रीर जिनको सं० महान स्पु० नं० 16 है तथा जो रतलाम
में स्थित है (श्रीर इससे उपबिन्द अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रारकी प्राधिकारी के कार्यालय रतलाम में
रजिस्ट्रारकी अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख अर्प्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्टमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके इष्टमान प्रतिफल से, ऐसे इष्टमान प्रतिफल का
बन्धु प्रतिफल में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब
बाधा गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कार्यत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्नियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरक
के, में, उक्त अधिनियम की धारा-269-ग की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

(1) 1. श्री आनन्दो लाल पिता
श्री केकरा मन जो
2. श्रीमती बीरत बाई नली
श्री आनन्दा लाल जो
श्री अशय कुमार
श्री जोन वास
श्री रत्नसर मेध कुमार
(एच० यू० एफ०) नं० 16,
राम मोहल्ला, रतलाम।

(अन्तरक)

(2) श्री मुनेल कुमार एवं राजीव कुमार
बोरो पुत्र
श्री भेरू लालजी बोरो प्रत्य
अयस्क संरक्षक मता :
कमला बाई नली
श्री भेरू लाल जो श्रीरइया
9/466, छोटा डागा मोहल्ला;
बारमेड (राजस्थान)।

(प्रतिरिती)

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जुन के लिए
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जुन के संबंध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वीकृति :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

जमुसूची

महान स्पु० सं० 16 छोटा डागा मोहल्ला, बारमेड
राजस्थान में स्थित है यह उद्देश्यकार अधिनियम है जिसे ग विवरण
अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37 जो में निहित है।

श्री० के० बराल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस्. —

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5440—अत.

मुझे, वी० के० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हममें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसे सं० महान नं० 16 एवं नं० 35 है तथा
जो राम मोहल्ला, मुनार बावड़ा में स्थित है (और इससे
उपरोक्त प्रसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रारकी
प्राधिकारी के कार्यालय रतनम में रजिस्ट्रारण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1984

को पंजीकृत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम से कम
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापरोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके इच्छमान प्रतिफल से लगे इच्छमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच लगे अन्तरण के लिए तय
बाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की वारदात, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत
इस अधिनियम की धारा 269-ब के अधीन सूचना (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

30—426 GI/84

- (1) 1. श्री आनन्दो लाल पिता
श्रीमन जो-
2. श्रीमती दीनत बाई पत्नी
श्री आनन्दो लाल जो-
श्री प्रभय कुमार
4. श्री जिन धास
5. श्री रतनमर
6. श्री मेघ कुमार पिता
श्री आनन्दो लाल जो लूनिया
निवासी-16 राम मोहल्ला,
रतनम ।

(अन्तरक)

- (2) श्रीमती कमला बाई पत्नी
श्री भेरूचालजी चौराडिया
9/466 छोटी बागो मोहल्ला
बारमेड़ (राजस्थान) ।

(प्रारितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

महान नं० 16 एवं 35, राम मोहल्ला, रतनम में स्थित है
यह वडू स्थावर सम्पत्ति है जिसे बावड़ा अन्तरितो द्वारा
सत्यापित फार्म नं० 37 --जो में निहित है ।

वी० के० बरनवाल
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर

प्रकाश बाई. टी. एच. एच.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अ ई० ए० सं०/अर्जुन/भोपाल/5441—प्रतः

मुझे, वारेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु में अधिक है

श्री. जिनकी सं० भूमि ख० नं० 1054/11 अ एवं 1054/12 है
तथा जो महु-नोमच रोड, रतलाम में स्थित है (श्री. इससे
उपरोक्त भूमि में श्री. पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार की
प्राधिकार के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्रार अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984
के पश्चात् सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एम. दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अंतरितियों) के बीच ऐस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के बाबत
को कमी करने या उक्त अधिनियम में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी बंध या किसी धन या अन्य वास्तवों
को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
इसोचनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत
में श्री. उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथातः :-

(1) श्री अशोक कुमार पिता
श्री चम्पल लाल जा कटारिया,
निवासा मोहल्ला न्यू रोड,
रतलाम।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स वासमास होटल्स प्राइवेट लि.,
द्वारा श्री प्रभुन लाल पिता
श्री नाथूलाल जा अग्रवाल,
निवासा—नौन ईपुरा,
रतलाम रजि० आफिस,
51, जवाहर नगर,
रतलाम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्तन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन की अवधि या तन्मधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या जो
अन्तर्क अथवा अन्तरिती के भीतर प्रत्येक
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति के दृश्यमान
प्रतिफल अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है वही पर्य्य होगा जो उक्त अध्याय में किया
गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 1054/11-अ एवं 1054/12, महु-
नोमच रोड, रतलाम में स्थित है। यह यह स्थावर सम्पत्ति है
जिनका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जो
में निर्दिष्ट है।

वी० के० बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्रथम भाई.टी.एच.एच.-----

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग (1) के अधीन सूचना

साध्य दरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षर)

अर्जुन रंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जुन/भोपाल/5442—मतः

मुझे, व रेन्द्र कुमार बरनवाल

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इनमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन मुख्य प्राधिकारी को यह विज्ञापन करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० भूमि ख० नं० 1054/11-अ तथा 1054/12 है तथा जो नर्मच रोड, रतलाम में स्थित है (श्री० इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), राजद्रो र्त्ता प्राधिकारी के कार्यालय, रतलाम में राजद्रोकरण प्राधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन, तर ख अर्त्त, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवहार प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विज्ञापन करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यवहार प्रतिफल से एम्में व्यवहार प्रतिफल का अन्तर्गत प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच एम्में अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्योग से उक्त अन्तरण लिखित से वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा के लिए और/वा

(ख) एम्में किसी जाय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अथ अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने से सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नरेन्द्र कुमार पिता
श्री चम्पा लाल जो कटारिया,
निवासा न्यू रोड,
रतलाम।

(मन्त्ररत्त)

(2) मै० कासमास हाटल्स प्राइवेट
लिमिटेड, रतलाम,
द्वारा श्री अमृत लाल पिता
श्री नाथू लालजा प्रयोजन,
नीनाई पुरा रतलाम
51 अनादुर मार्ग
रतलाम।

(अर्त्तःरत्त)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बचन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृत्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अर्थात् अक्षरों के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहां बर्ण हुआ या उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 1054/11-अ एवं 1054/12 महुं-
नीमच रोड रतलाम में स्थित है यह बहुव्यवर सम्पत्ति है
जिसे विवरण अन्तरिणी द्वारा सत्यापित फार्म नं० 36-जो
में निर्दिष्ट है।

श्री० कै० बरनवाल
संयुक्त प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण)
अर्जुन रंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1985
मोहर।

प्ररूप बाह. टी. एन. एड. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, भोपाल

भोपाल दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं. अ ई. ए. सी. /अर्जुन/भोपाल/5443—अतः

मुझे वारेन्द्र कुमार वरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसक पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसका सं. भूमि ख. नं. 1054/12 है तथा जो नामच रोड रस्ताम में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुमूचों में औरपूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार प्राधिकार के कार्यालय रस्ताम में राजस्त्राकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन तारीख अप्रैल 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रातफल के लिए अन्तरित का गढ़ है। यह मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथावर्तमान सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रातफल से, एक दृश्यमान प्रातफल का 45 प्रतिशत से अधिक है और अतः (अतरको) और अनरिती (अतरितीया) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रातफल, निम्नलिखित उद्धरण से उक्त अन्तरण लिखित में सास्ताबक रूप से कांथत नहो किया गया है।—

(क) अन्तरण के लिए किसी आद की बावत, उक्त अधि-
अधिनियम के अधीन एक दिन के अन्तरक के
बायत्व में कभी करत का उक्त बचने में सूविधा
के लिए, आइ/या

(ख) ऐसी धरो नदी के अर्जुन के अधिनियम
का जिरा नदी के अर्जुन के अधिनियम, 1972
(1972 का 11) के अधिनियम, या अधि-
कर के अधिनियम, 1972 का अधिनियम 27 के
प्रयाज के अन्तर के अधिनियम के अधिनियम
था या क्रिया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब का उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्री राजेन्द्र कुमार पिता
श्री भवर लाल
(बा० एल० अग्रवाल)
निवास नौतईपुरा
रस्ताम।

(अन्तरिक)

(2) मैमर्स कासमम होटलम प्राइवेट
लिमिटेड रस्ताम द्वारा
अग्रधारा श्री अमलनाल पिता
श्री नाथुलाल अग्रधारा
नौतईपुरा रस्ताम
रजिस्टर्ड आरिफम 51
जमहर मार्ग
रस्ताम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पश्चात् सम्पत्ति के बचने के लिए
कार्यवाह्य करता हूँ।

उक्त उपाय के अन्तर्गत कांथ भी आक्षण —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिनों की अवधि में नत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों के अधिनियम द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
व्यक्तियों के अधिनियम द्वारा अन्तरितकारों के पास
निम्नलिखित में किंमत आ सकेंगे।

संश्लोकण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, प्रहो अर्थ द्वारा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुमूची

भूमि ख. नं. 1054/12 मोहना मड, नीमच रोड,
रस्ताम में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका
विवरण अंतरना द्वारा सत्यास्त फार्म नं. 37-जा में निहित
है।

वों के वरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज, भोपाल

तारीख 10-12-1984
मांहर

नम्बर ५६.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आ.ई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5444—अतः

शुभे व रेन्दे कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० भूमि ख० सं० 1054/11-अ व 1054/12 है तथा जो न मच रोड रतलाम में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार कर्ता अधिकाारी के कार्यालय रतलाम में रजिस्ट्रारकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिनियम तारखे अर्जल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीया) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कायम नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्गत न दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शकुला बानू पति
श्री सीदा हुसैन जा बोहरा
निवासा डाट का पुर्णिया
रतलाम ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स कासमप्र होटल्स प्राइवेट
लिमिटेड रतलाम
द्वारा श्री अमृत लाल पित्त
श्री नाथूमल जा अश्रवाल
भौलाईपुरा रतलाम
रजिस्टर्ड आफिस :
51 जवाहर मार्ग रतलाम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेक्ष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबोध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

संशोधन:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 1054/11-अ व 1054/12 नमच रोड
रतलाम में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसे विवरण अन्तरता द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जा में निहित है ।

श्री० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5445—धतः

मझे, वारेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० भूमि ख० नं० 1054/11-अ, व 1054/12 है तथा जो नामच रोड, रतलाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध भूसूत्रा में और पूर्ण रूप से वर्गित है), रजिस्ट्रारकी प्राधिकार के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्रारकी अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम, तारीख अप्रैल, 1984 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मूल्य यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दृष्टिकोण में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रमेशचन्द्र पिता
श्री नाना लालजी यादव,
निवासा मोहुल्ला मराठी का बास,
रतलाम ।

(अन्तरक)

(2) मैजिस्ट्रेट काममन होटलस प्राइवेट
लिमिटेड, रतलाम,
द्वारा श्री भन्नु लाल पिता
श्री नायूलालजी अग्रवाल,
नीलाईपुरा, रतलाम,
रजिस्टर्ड आफिस :
51, जवाहर मार्ग,
रतलाम ।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना का तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 1054/11-अ, 1054/12, नीमच रोड,
रतलाम में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जा में लिखित है ।

बी० के० बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984
मोहूर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जुन/भोपाल/5446--अतः
मुझे, वा० के० बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25 (1984) रु में अधिक है

और जिनको सं० कृषि भूमि है तथा जो दोषी गांव, रतलाम में
स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से
बाणित है), रजिस्ट्रारकता अधिकारी के कार्यालय, रतलाममें
रजिस्ट्रारकता अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरिती
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
हाबित्ब में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
कालए, बीर/बा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना नाहए था, छिपान में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तर्गत
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अब्दुल खालिफ हाजी अब्दुल
इनारम शेख, मुस्लिम,
निवासा, रतलाम।

(अन्तरक)

(2) मै० रतलाम फर्टिलाइजर्स लि०,
रतलाम, रजिस्टर्ड ऑफिस :
305-312, दापाला बिल्डिंग,
तासरा मंजिल,
92, नेहरू पैलेस,
नई दिल्ली,
एच० ओ० गार्डन रिच रोड,
कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि दोषी गांव रतलाम में स्थित है। यह वह
स्थायर संपत्ति है जिसे विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित
फार्म नं० 37-जो में निर्दिष्ट है।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज भोपाल

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

सकल बाह्य, डी.एच.एच. 111-1-1985

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अ ई० ए० सो०/अर्जुन/भोपाल/5447—अतः, मुझे वारेन्द्र कुमार बरनवाल श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसे सं० भूमि ख० नं० 1054/11-अ व 1054/12 है तथा जो न मच रोड रतनाम में स्थित है (और इसमें अपाबद्ध अनुसूच. में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार की अधिकांश के कार्यालय रतनाम में रजिस्ट्रार के अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिनियम, त.र.ख अर्जुन 1984 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मूक यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितीया) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया दस-कम, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कोषित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के ह्रासित होने की करने या उक्त वर्णन में सुविधा के लिए, बाह्य/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तुओं को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या श्रायकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाह्य/वा, छिपाने में सुविधा के लिए;

सकल बाह्य, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, जर्नाल :-

(1) श्रा सोभागमल पिता
श्रा. ठा.ल.ल.वा. चौडा
निवास, बज्ज खाना,
रतनाम ।

(अन्तरक)

(2) मैमर्स कासमास होटल्स प्राइवेट
लिमिटेड, द्वारा .
अशधारा श्रा. अर्जुन लाल नाथु लाल अग्रवाल,
रतनाम, रजिस्ट्रार ऑफिस
जवाहर नगर,
रतनाम ।

(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् की व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्त द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में प्रत्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 1054/11-अ व 1054/12, नोमच रोड, रतनाम में स्थित है। यह स्थावर सम्पत्ति जिहा विकरण प्रतापराज द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जा में निहित है।

वी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984
सिंह

इसमें बाई.टी.एन.एल.-----

भाष्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश नं० अई० ए० सो०/अर्जुन/भोपाल/5448--अतः मुझे वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विम्बान करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका मूल्य 25,000/रु से अधिक है

और जिसे सं० भूमि ख० नं० 1054/11-अ व 1054/12 है तथा जो नमन रोड रस्ता में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय रस्ता में रजिस्ट्रारकी अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिनियम तारीख अप्रैल 1984 के पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एम्में दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एम्में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिंगित में वास्तविक है त कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) एम्में किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

31-426 GI/84

(1) श्री राजेन्द्र कुमार पिता
श्री निहालचन्द गांधी
निवास, बजाज खाना
रतलाम।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स कासमास होटल्स प्राइवेट
लिमिटेड रतलाम
रजिस्टर्ड अफिस
51 जवाहर नगर
रतलाम द्वारा अशुधारी
श्री अतुल अग्रवाल पिता
श्री नाथू लाल
रतलाम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मूल्य का लिए कार्यावाही करता है।

उक्त संपत्ति की अर्जुन के सम्बन्ध में कोई भी शर्त:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभाहस्ताक्षरों के प्राप्त लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुमूर्ति

भूमि ख० नं० 1054/11-अ व 1054/12 नमन रोड रस्ता में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसे विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जो में निहित है।

वी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज भोपाल

तारीख 10-12-1984
माहूर 3

मूक्य. ब.इ. टी. एन. एस्. - - - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अ.ई० सी० ए०/ अर्जुन/भोपाल/5449—प्रतः

मुझे वारेख कुमार बरनवाल

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु में अधिक है

और जिनको सं० भूमि ख० नं० 1054/11-अ व 1054/12 है तथा जो नैमच रोड रतलाम में स्थित है (और इससे उपाय्य भू-सूच्य में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारकी प्राधिकार के कार्यालय रतलाम में रजिस्ट्रारकी अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन 2 रू अर्प्रैल 1984 को पंजीकृत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का दश प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

[क] अन्तरक से हुई किसी बाब की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उक्त बचने में सुविधा के लिए, और/वा

[ख] ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य वास्तव्यों के, जिनमें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

(1) श्री अ.नन्द लाल मिता
श्री पूनम चन्द गांधा
निवास: बज.ज.जाना
रतलाम।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स कासमोप होटल्स प्राइवेट
लि.मिड रतलाम राज० अफिस
51 ज.ह.नगर
रतलाम अश्वारो
श्री अमृत लाल अ.ब.ल
नोल ईशुरा
रतलाम।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधने :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों या साधकियों द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, बधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

भारत

भूमि ख० नं० 1054/11-अ व 1054/12 नैमच रोड रतलाम में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विकरण अन्तरिणी द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जा में निहित है।

वी० के० बरनवाल
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984

साहू

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5450—अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि म्हावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है ख० नं० 1054/12 है, तथा जो नीमच रोड, रतलाम, में स्थित है (और इससे उन्नत अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्गित है) रजिस्ट्रारकी अधिकारों के कार्यालय रतलाम में रजिस्ट्रारकी अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

का पूर्वोक्त सर्पस के उचित बाजार मूल्य से कम के अन्वयान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसक दृश्यमान प्रतिफल से, एम अन्वयान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीया) के बीच एम अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निर्मालिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी जाय की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायरेष में कभी करने से उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी जाय या किसी धन या अन्य जास्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निर्मालिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बर्मल पिता रामलाल जायसवाल,
निवासी—वेलेस रोड, रतलाम।
(अन्तरक)

2. मैसर्स कासमास हाटम्स रतलाम प्राइवेट लिमिटेड,
द्वारा अंशधारी अमृतलाल नाथूलाल जी अग्रवाल,
नीम ईपुरा, रतलाम रजि० आफिस, जवाहर नगर,
रतलाम।
(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त म्हावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताधारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सम्बन्धीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

धनुसूची

भूमि खसरा नं० 1054/12, नीमच, रोड, रतलाम में स्थित है। यह वह म्हावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-जी में लिखित है।

बी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 10-12-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/545--अन.

शुभे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि प्लॉट क्रमांक 8 है तथा जो दशहरा मैदान, अनुपूरक, योजना, अ० उज्जैन, में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूचा में धार जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय उज्जैन, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री मोहन लाल,
- (2) श्री राजमल
- (3) श्री सुरेश कुमार पुत्र नाथुलाल जी,
- (4) श्रीमती गारदा बाई, पत्नी शिव नारायण स्वयं बहेसियन सरपरस्त विधेता प्रवयस्क
- (5) श्री राजेश कुमार
- (6) श्री गिरधर कुमार
- (7) श्राधा
- (8) अनिता
- (9) जयश्री पुत्र व पुत्री, श्री शिव नारायण निवासा गण मोवावाड़ा, उज्जैन ।

(अन्तरक)

2. श्री सुनेन्द्र मिह सिंसोदिया आत्मज, श्रीमान सवाई सिंह जो भिसोदिया, निवासी दशहरा मैदान उज्जैन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि प्लॉट क्रमांक 8, दशहरा मैदान, अनुपूरक, योजना (अ), दशहरा मैदान, में स्थित है ।

वी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 11-12-1984

मांहर :

दृश्य मात्र ही इन एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० आर्.सी० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5451—अत

मुने, वी० के० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु के अधिक है

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 157/2/2, तथा सर्वे नं० 157/4/1 है, तथा जो ग्राम तिरपुर सहोब जिना इंदौर में स्थित है (और इसमें उपरोक्त अनुपूची में और जो पूर्ण रूप से वर्गित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

का प्रकाशन सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और भूक यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उक्त दृश्यमान प्रतिफल से, एम दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतिरिती (अन्तरानथा) के बीच एस अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक निश्चित में वास्तविक रूप से कोषित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी जाय की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गती द्वारा प्रकृत नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

1 श्री कालावीन, पिता मन्कू यादव,
निवासी 63, कालोर्ना नगर,
इन्दौर ।

(अन्तरक)

2. लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादिन
इंदौर की ओर से अध्यक्ष, श्री गोविन्द बाबू,
पिता श्री सीतल यादव, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समवधि व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अधिक बाध में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के द्वारा लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनसूची

भूमि सर्वे नं० 157/2/2 तथा सर्वे नं० 157/4/1,
ग्राम तिरपुर, जिला इंदौर में स्थित है ।

वी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 11-12-1984

मोहर :

प्रत्येक भाग की एक एक ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज, भोपाल

भोपाल दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल/5453--अत
मुझे, बी० के० वरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसको सं० भूमि ख० नं० 11 है, था जो मुलहाखेडी, जिला इंदौर में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारकी अधिकार के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रारकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, इस दृश्यमान प्रतिफल का यह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरा गया) के भाग एस अन्तरक के लिए तय पाया गया प्राप्त-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर वन के अन्तरक के वास्तविक में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए, नीचे/वा

(ख) एसी कि किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सूचना के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार, मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :-

1 जैन श्वेतम्बर, नारा मंदिर ट्रस्ट द्वारा हेमन्त कुमार मिश्र श्री नायमन जो तेरावन निवासी सातवा माहा बाजार, इंदौर, एवं दोना चन्द्र पिता हरकचव जी निवासी म० न० 60/2, केशर बाग, रोड, इंदौर।
(अन्तरक)

2 महेश्वर बाग सहकारी गृह निर्माण संस्था द्वारा राजेन्द्र कुमार भागवन्द एवं राजकुमार, हस्तमल साल, निवासो 37, निहालपुर, इंदौर।
(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बचन के सम्बन्ध में कोई भी वाद :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना का तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी अवधि बाध में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी व. इस लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 के में तथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 11, मुलहाखेडी, इंदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसे का विवरण अन्तरित द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37, जो में निर्दिष्ट है।

बी० के० वरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज, भोपाल

दिनांक 11-12-1984

माहुर

प्रारूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महानगर आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अ ई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5454--अतः

मुझे, वारेन्द्र कुमार दरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारों का पत्र लिखना करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु. से अधिक है

श्री जिनका सं० शिव विलास पैलेस का पश्चिमी भाग नं० ए/10 है तथा जो एम० जी० रोड इंदौर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में श्री जो पूर्ण रूप से वर्णित है) ; रजिस्ट्रारकी अधिभार के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रारण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत का गठ है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तर्गती (अन्तर्गतिया) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायित्व में कमी करने या तससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्य अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत को. में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमती सोहन देवी पत्नी मानसिंह जी गर्ग
1/1वा, माउथ तुकोज ग्रांन पार्क कालोनी
इंदौर ।

(अन्तरक)

2. श्री सतीश चन्द्र पिता गुलाब चन्द जो
(2) श्री विनोद कुमार पति श्री गुनव चन्द जी
निवासी 8 नानिया रोड इंदौर ।

(अन्तर्गती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कायवाह्या करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकाये।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शिव विलास पैलेस का पश्चिमी भाग नं० ए/10 एम० जी० रोड इंदौर में स्थित है। यह वह स्थान पर है जिसे विवरण अंतरणों द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जो में लिखित है।

वी० के० बरालवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, भोपाल

दिनांक : 10-12-1984

साहू :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अ ई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5455—अतः मुझे, वी० के बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त' अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 15,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० मकान (भाग) छठी स्कीम नं० 153, इंदौर विकास प्राधिकरण है, तथा जो इंदौर में स्थित है (अ.र. इससे उपाबद्ध अनुसूच. में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार प्राधिकारी के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रार अर्जन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अर्जन, 1984

को पंजीयन प्रक्रिया के निम्न बाजार मूल्य में कम के व्यवहार प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, मंसूर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके स्थयमान प्रतिफल से, ऐसे स्थयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के बीच तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बात की शकल, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के परिवर्तन से कमी करने या उक्त सूचना में सूचना के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य वास्तवों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या कि-वा जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वयण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सावित्रा देवापत्ता श्री ह.गेमन जी करमवदानी
निवास: 22/9, पारसा मंडूला, इंदौर।
(अन्तरक)

2. गोमोचन्द पिता चंद्रमन जी जीवनानी,
निवास: 161, पलतकर, कालोना, इंदौर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति की अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्तबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकें।

स्पष्टीकरण:—इसमें उक्त सूचना के अर्जन का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

सन्तुष्टी

मकान स्कीम नंबर 153, एम, इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जा में निर्दिष्ट है।

वी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-12-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एल. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5456—अतः

मुझे, बी० के० बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान म्यु० नं० 4/2 है तथा जो मरोठिया बाजार इंदौर में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वणिज्य है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

1. फातमानाई पत्नी फखयदोन भाई बोहरा
निवासी-8, हाथोपाला नार्थ, इंदौर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती प्रभावती बाई पत्नी आसंतीलाल जा जैन
निवासी-11, माठा बाजार, इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

बन्धुपत्नी

मकान म्यु० नं० 4/2 मरोठिया बाजार, इंदौर में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी में निहित है।

बी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 11-12-1984

साहू :

प्रकृ. बाई. टी. एन. एल. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5457—अतः

मुझे, वी० कु० बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक है

जिसकी सं० भूमि ख० नं० 715 है तथा जो ग्राम खजराना, इंदौर में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, अंतरण

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, अन्तरण के लिए, अन्तरण के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री मनजोत सिंह पिता श्री बाबू सिंह
- (2) श्री परमजोत सिंह पिता श्री बाबू सिंह
- (3) श्री एतवार सिंह पिता हरचन्द सिंह
- (4) श्री प्रीतम सिंह पिता श्री पूरन सिंह निवास 135, अनूप नगर, इंदौर द्वारा मु० ग्राम श्रीराम पिता फतेह चन्द गोयल, 2-ए., कैलाश पार्क इंदौर।

(अन्तरक)

स्नेह नगर गृह निर्माण महत्कारी संस्था मर्यादित

114 ए, स्नेह नगर, इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 715 ग्राम खजराना इंदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 11-12-1984

माहूर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आधिकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज-3 बम्बई

बम्बई दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई.ए.ई.सी. ०/ अर्जन/ भोपाल/5458-अतमुझे,
वी० कु० बरवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसने
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि ख० नं० 706 है, तथा जो ग्राम
खजराना, इंदौर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में
और जो पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से पूर्वोक्त दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अंतरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उसमें बचन में सुरक्षा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुरक्षा
के लिए;

ध्यान दें, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
न, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मनजीत सिंह पिता बाबू सिंह,
निवासी 135, अनूप नगर, इंदौर द्वारा, मु० ग्राम
श्रीराम पिता फतेह चन्द जी गोयल, 2-ए,
कैलाश पार्क, इंदौर ।

(अन्तरक)

2. स्नेह नगर, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
114-ए, स्नेह नगर, इंदौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवाहस्ताक्षरों के धार
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 703, ग्राम खजराना, इंदौर में स्थित है
यहवह स्थायी सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित
फार्म नंबर, 37 जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 1-12-1984

मोहर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त. (निरीक्षण)

अर्जन, रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 1989

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जन/भोपाल/5459—अतः
मुझे, वी० कु० बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि ख० नं० 717 एवं 716 है, तथा जो
ग्राम खजराना, इंदौर में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
गया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मनज तापिता सिंह बाबू सिंह
(2) श्री परमजीत सिंह पिता श्री बाबू सिंह,
(3) श्री एनवार सिंह, पिता श्री हरचन्द सिंह,
(4) श्री प्रीतम सिंह, पिता श्री पूरन सिंह
निवासी 135 अनूप नगर इंदौर द्वारा मु० ग्राम
श्रीराम पिता फतेह चन्द फयल 2-ए, कैलाश पार्क इंदौर
(अन्तरक)

2. स्नेह नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
114-ए, स्नेह नगर, इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाठ
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें अयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में बिना
बना है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 716 एवं 717, ग्राम खजराना, इंदौर
में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती
द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक 11-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 1984

निवेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5460—अतः

मुझे वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 69/2, 75/1, 77/1 और
78/1 है तथा जो ग्राम गाडरखेडी तहसील इन्दौर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण
अधि नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है यह पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य, उसके
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे अंतरक (अंतरको) और अतिरिक्त
(अतिरिक्तियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के
हायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचना
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
भारत अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में
सूचना के लिए;

अतः शन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्क
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात् :—

1. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री राम गोपाल नागोरी,
4, नागपुरा इन्दौर ।

(अन्तरक)

2. शहीब हेमू कलानी नगर, से सहकारी गृह निर्माण संस्था
समिति, इन्दौर,
18, काछी मोहल्ला, इन्दौर ।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाकोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 69/2, 75/1, 77/1, और 78/1 है, जो
ग्राम गाडरखेडी, तहसील इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर
सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी० में लिखित है तथा
अतिरिक्त द्वारा सत्यापित किया गया है।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

दिनांक : 11-12-1984

मोहम :

प्ररूप आई.टी.एन.एत.-----

बाबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
भारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5461--प्रतः

मुझे, बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

बाबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि पर बना मकान न० 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2 है, तथा जो ग्राम गाडरखेडी, तहसील इन्दौर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया, प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा दायित्व के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को बिना भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-ब की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सरला देवी पति श्री सत्यनारायण
4, नायपुरा, इन्दौर, म० प्र०

(अन्तरक)

2. शहीद हेमू कलानी, नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था
समिति, इन्दौर, 18, काछी मोहल्ला,
इन्दौर म० प्र० ।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि पर बना हुआ मकान न० 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/3, है, जो ग्राम गाडरखेडी तहसील इन्दौर में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म न० 37 जी में निहित है, तथा अन्तरिता द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 11-12-1984

मोहर :

प्रसूत आई. टी. एन. एन. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5462 अतः

मुझे, वॉरेन्ड्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 73/2, 76/3, 77/3, 79 है, तथा जो ग्राम गाडरखेडी, तहसील, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि अथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तिबान को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अथवा :—

1. श्रीमता सुलोचना देवा पतिन श्री बालकिसन,
41 नया पुरा, इन्दौर म० प्र०

(अन्तरक)

2. शहीद हेमू कलाना नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था
समिति, इन्दौर
18, काठो मोहल्ला, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहीवा शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में व्यक्त किए जा सकेंगे :

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा सर्वे नं० 73/2, 76/3, 77/3 78/3, 79 है, जो ग्राम गाडरखेडी तहसील इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी० में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वी० कु० बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

दिनांक: 11-12-1984

माहूर :

प्रकृत बाह्य.टी.एन.एस.-----

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भाषाकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5463--अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल;

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 30 है, तथा जो गांधी पार्क कालोनी इन्दौर में स्थित है (और इससे उपान्वज अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4 अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दायमान प्रतिफल से, ऐसे दायमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुआ किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचना के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिनमें भारतीय भाषाकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भाषाकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री परमानन्द पिगले पिता श्री कुण्णराज जी पिगले निबामी गांधी पार्क कालोनी, इन्दौर।

(अन्तरक)

2. श्री इंदरमिह छतवाल पिता श्री लखमोर मिह छतवाल, जावरा, कम्पाउन्ड, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त सूची और पत्रों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 30, गांधी पार्क कालोनी, इन्दौर में स्थित है।

यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं०, 37 जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, भोपाल

दिनांक : 11-12-1984

मोहर .

प्ररूप आई.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए०सी०/अर्जन/भोपाल/5464--अत मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 136/3 और 136/4 है, तथा जो उगनिया रायपुर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ह्यमान प्रतिफल से, ऐसे ह्यमान प्रतिफल का पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्त्रियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ---

1 श्रीमती महतरिन बाई पति परदेशी माहू
नासी उगनिया रायपुर ।

(अन्तरक)

2 लोकमान्य महकारी गृह निर्माण सस्था मर्या०,
रायपुर, द्वारा भान्कर काठोरे, पुत्र श्री जगोना कोठारे,
जोगपारा, रायपुर ।

(अन्तरिती)

और यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 136/2, ग्राफ 136/4 है, जो उगनिया रायपुर, में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी में निहित है । अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

दिनांक : 11-12-1984

मोहर :

प्राकृत आर्द्र टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल/5465—प्रतः

श्री. श्रीराम कुमार बरनवाल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
55,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि खसरा नं० 153/6 है, तथा जो
उगानिया रायपुर में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल में, एक दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के
वापस में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सावंत पुत्र श्री समर साह
निवामी डगनिया, रायपुर।
(अन्तरक)

2. लोक मान्य सहकारी गृह निर्माण संस्था रायपुर द्वारा
अध्यक्ष, भास्कर कोठोटे, पुत्र जगोब कोठोटे,
रायपुर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जांच:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाह्य में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
निश्चित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रवृक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

श्रीराम कुमार बरनवाल
उगानिया रायपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका
विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है तथा अन्त रती द्वारा
सत्यापित किया गया है।

श्री० कु० बरनवाल
मक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

दिनांक 11-12-1984
मोहर :

प्रकृत. आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग (1) के अधीन मचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5466—अत
मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269- ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
15,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० आपन प्लॉट भूमि खसरा न० 166 है, तथा
जो डगनिया, रायपुर में स्थित है (और इस उपावृद्ध अनुसूची
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य का काम के अभ्यास
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, गण्य दृश्यमान प्रतिफल का
बहुत प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धरकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
विस्तार जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

- 1 श्री फूल सिंह, श्रीमती मानमती वर्गैरह,
निवासी अधीन डगनिया, रायपुर।
(अन्तरक)
- 2 श्री लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण मर्चा रायपुर द्वारा
अध्यक्ष भास्कर कोठाटे, पुत्र श्री जगोवा, कोठाटे,
रायपुर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकें।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

ओपन प्लॉट भूमि खसरा न० 166 है जो डगनिया
रायपुर, में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका
विवरण फार्म न० 37-जी में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा
सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, भोपाल

तारीख 11-12-1984

मोहर :

परूप आई टी एन एम -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, भोपाल,

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन भोपाल 5467—अत मुझे, वी० कु० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 2,000/ रु 2 31 1 रु

ग्रौरजिसकी सं० भूमिख० न० 1-2 (ख० छे० पन० 601) है, तथा जो जबलपुर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य का कम क दृश्यमान प्रतिफल के लिए अर्जित किया गया है, और इससे उपावद्ध अनुसूची में उक्त मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया है कि यह अन्तरण उद्देश्य के लिए किया गया है जो वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्य अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

1 श्री पूरनचन्द सिधवाणी एवं ललित मोहन सचदेवा, नया मोहल्ला, नेपियर टाउन, जबलपुर।

(अन्तरक)

2 लाल बहादुर शास्त्री गृह निर्माण महकारी समिति मयदित

टी० आर० जे० बी० आर० 152 आफिस ब्ला०

न० 411, सेक्टर-1, व्हीकल फ्रैक्टरी, जबलपुर-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना बारा करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिय काला टू

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है के भीतर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनसूची

भूमि सं० न० 12 2 (ख० न० 601), जबलपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सभा पित फार्म न० 37 जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी

निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त

अर्जन रेज, भोपाल

तारीख 11-12-1984

मोहर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 1984

निदेश सं०आई०ए०सी० अर्जन रेंज भोपाल 5468—

अतः मुझे, बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 2 और 4 है, तथा जो मुड़वारा, जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कटनी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मैंने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डायर्स स्टोन लाइम कम्पनी प्राइवेट लि०
हेड आफिस अलीपुर रोड विल्ली-110054
(अन्तरक)

(2) श्रीमती शकुन्तला बाई गटानी
पति स्व० श्री गिरधारी लाल गटानी,
मुड़वारा जबलपुर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लॉट नं० 2 और 4 है जो मुड़वारा, जबलपुर में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है ।

बी० के० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-12-1984

मोहर :

राजपत्र, भाग 6, डी. एन. एन.-----

भाषाकरण अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं०आई०ए०सी० अर्जुन भोपाल 5469—

अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार, बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसको पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विज्ञापन करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सिंगल स्टोरी मकान और प्लॉट नं० 34 है, तथा जो आनन्द कालोनी जबलपुर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के निम्न अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि प्रयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार-मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एवं दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उचित अन्तरण विहित में बाधक है एवं के अन्तर्गत किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एंज किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता-पारित्य पर, छिपाने में सुविधा के लिए; और/या

(1) श्री राजकुमार पिता श्री विशम्बर प्रसाद मिश्रा निवासी आनन्द कालोनी जबलपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती उर्मिला फुसकेले पति श्री वी० के० फुसकेले क्वा० नं० 4/12, पी०ग्रो०बघेली, जिला बस्तर म०प्र० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सिंगल स्टोरी प्लॉट भूमि नं० 34 है जो आनन्द कालोनी इन्दौर में स्थित है यह वह स्थालर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जुन रेंज, भोपाल

अन्तरण उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, जो, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों में, प्रकट है :—

तारीख : 11-12-84
मोहर :

प्रकृत काई.टी.एन.एल.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक. 13 दिसम्बर 1984

निदेश सं०आई०ए०सी० अर्जन भोपाल 5470—

अतः सुभे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० बिना हुआ मकान नं० 1259 च-8 है, तथा जो गुप्तेश्वर आई मदन महल जबलपुर, में स्थित है (श्रीर इससे उपायध अनुसूची में श्रीर पूर्णरूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूके यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्यमान प्रतिफल से, ऐसे द्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण में हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सहायता के लिए.

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) फर्म के० शाह एण्ड कम्पनी
द्वारा सु० आम० अशोक रतनचन्द शाह
निवासी-1200, मदन महल, जबलपुर ।
(अन्तरक)

(2) श्री बन्त सिंह आत्यज श्री प्रिस रूड सिंह
द्वारा श्री रामसिंह बेअन्त सिंह
निवासी-1259 च-8 जबलपुर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी काक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में निहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अर्थात् स्थावर के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बना हुआ मकान नं० 1259 च-8 है जो गुप्तेश्वर बाई मदन महल जबलपुर में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सथापित किया गया है।

वी० कु० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन, रेज भोपाल

तारीख 13-12-1984

साहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

अर्जुन रेंज, दिनांक 13 दिसम्बर, 1984

निदेश सं०आई०एज०सी० अर्जुन भोपाल 5471—

अतः मुझे वीरेन्द्र कुमार बरतवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान नं. 1259/एच-8 है, तथा जो गुप्तेश्वर बाई, मदन महल, जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तागे पाया गन् प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायिक में कमी करने या उतर्क बचने के सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रावधानार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

- (1) फार्म के शाह एण्ड क द्वारा
श्री अशोक रतन चन्द समूह
निवासी-1200 मदन महल जबलपुर
(अन्तरक)
- (2) श्री अर्जुन सिंह पिता अजगर सिंह
निवासी-1259, न्यू गुप्तेश्वर बाड, जबलपुर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्वि-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकता।

सूचीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

सम्पत्ति

मकान नं० 1259-ब-8 है जो गुप्तेश्वर बाई 'मदन महल' जबलपुर में स्थित है, यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-जो में विहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 13-12-1984
मोहर .

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 84

निदेश सं०आई०ए०सी०/अर्जन/भोपाल/5472---

अतः सुश्री, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 296-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० भूमि खसरा नं० 259 न० ब० नं० 264, प० च० नं० 24/1 है, तथा जो चैरोतलबल्लेखवाग, निवाड गंज जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में प्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रार-कर्ता अधिकारों के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रार-करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतिरिती (अन्तरिती) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अतिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाँहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार न, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

(1) 1. अत्माराम पिता श्री मंगन लाल पटेल निवासी—बल्लेख बाग, निवाडगंज जबलपुर
2. श्री सुभाष चन्द पिता गीरनलाल जैन निवासी—साकिन सराफा जबलपुर
3. शम्भूदयाल पिता स्व० श्री छद्मलाल केशरवानो निवासी—सराफा बाई कमनिया गेट जबलपुर (अन्तरक)

(2) 1. विनोद प्रसाद
2. मनिपिन प्रसाद
3. मनिष प्रसाद पिता श्री मातलाल बडकुल निवासी—451, जवाहर गंज, जबलपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में दिये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 259 न० ब० नं० 264, प० च० नं० 24/1 जो चैरोतल, बल्लेखवाग निवाडगंज जबलपुर में स्थित है। यह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जो में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर प्रायुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 13-12-1984

मोहर :

प्रकृत्य आई.टी.एम्.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

सहायक आयकर

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5473--अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 429, टू 429/21, ब्लाक,
नं० 49, प्लॉट नं० 56, 58/2 है, तथा जो लोडगंज, जबलपुर
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से
बर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक अप्रैल 1984

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विद्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके द्यमान प्रतिफल से ऐसे द्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण-के लिए तय पाया गया
और प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकर्ता) और अन्तरिती
की वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से पूर्व किसी बाव की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कार्य में कमी करने या उससे बचने में सविधा
की जाए; और/वा

(ख) ऐसे किसी आद या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्णित :-

1. (1) श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री देलन सिंह
(2) श्री अरूण कुमार पिता श्री देलन सिंह
(3) श्री अनुराग कुमार पिता श्री देलन सिंह
द्वारा आ० मु० श्री बीरन लाल जैन
मदन लाल जैन, उपरेन जैन ।

(अ तरफ)

2. श्री कमल कुमार पिता श्री मुलायम चन्द जैन
निवासी-723, गाढ़ा जबलपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अव-
बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयुक्त
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अधीन अध्याय 20-क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 429 टू 429/21 प्लॉट नं० 56, 58/2 है
जो नजुल ब्लाक, नं० 49, लोढा गज, जबलपुर में स्थित है ।
यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में
निहित है, तथा अन्तरित द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वी० कू० बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 13-12-1984

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जन/भोपाल/5474—यतः,

मुझे, श्री रेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनकी संख्या प्लॉट नं० 3 व 5 है, तथा जो मुडवारा, जयपुर में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय, कटनी, में रजिस्ट्रारकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा दायित्व के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धारा: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :-

(1) डायर्स स्टोन लाइभ कम्पनी प्रा० लिमिटेड,
हेड ऑफिस 10, अलीपुर रोड, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) 1. श्रीमती शोला देवी सोमानी,
पति श्री जुगल किशोर सोमानी,
निवासी गांधी गज, कटनी।

2. श्रीमती पूनम गांधी पति रमनलाल गांधी,
निवासी—सकोन रेस्ट हाऊस रोड, कटनी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 3 व 5 है जो मन्थारानी लक्ष्मीबाई बाई, मुडवारा, जयपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

श्री रेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 13-12-1984

सोहर :-

प्रकृत आर्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5475—यतः,

मूले, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नया मकान नं० 4 है, तथा जो सदर बाजार वार्ड नं० 23, रविशंकर शुक्ल रोड, रायपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारका अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्रारकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचिभा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में सूचिभा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बुधोको बाई पुत्र श्री मंदाश राम जी यादव,
श्रीमती सीताबाई पति ईश्वरदयाल यादव,
निवासी पुरानी बस्ती, रायपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री अणोक कुमार पिता लुकुमचन्द जैन,
निवासी—हलवाई लाईन, रायपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धि व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाईस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

नया मकान नं० 410 है, जो वार्ड नं० 23, रविशंकर शुक्ल रोड, रायपुर में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जा में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है ।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, भोपाल

दिनांक : 13-12-1984

माहूर ॥

प्ररूप बाई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री एस० एम० माणिकम नाडार ।

(अन्तरक)

(2) वाई० जानसन चारिस ए० डेविड ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 16 अक्टूबर 1984

उद्देश सं० 1/4/84—यत्, मुझे, प्रेम मालिनि वासन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० पेरियकुम है जो चिन्नमनूर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चिन्नमनूर दस० सं०
830/84 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और
अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि चोपपलकाट्टे गांव (दस० सं० 830/84)

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 16-10-1984

मोहर :

प्रकृत अधिनियम, टी. एन. ए.-----

(1) एन० के० कुशायन।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री एन० एम० आर० जम्बुनाथन।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 अक्टूबर 1984

निदेश सं० 3/4/84--यत मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि सोक कोत्तन स्ट्रीट है, जो मदुरै में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय जे०एस०आर०IV मदुरै, (दस० सं० 2016/84) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ह्यमान प्रतिफल से, ऐसे ह्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/वा

(ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि : 21, सोक कोत्तन, स्ट्रीट (दस० सं० 2016/84)

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 26-10-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

(1) श्री एस० त्यागराजन ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) तलमलनाडु मर्केटाइज् बँक ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० 5/4/84—यतः, मुझे, प्रेम मालिनि वासन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि मडुरै है जो मडुरै में स्थित है (और
इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० 5/मडुरै, (दस० सं०
1870/84) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
बावत से कमी करने या उससे बचने में बाधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य वास्तवों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाता चाहिये था, छिपाने में
बाधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अधीन:—

जहाँ यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधा:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अन्तरिती

भूमि और निर्माण: मडुरै (दस० सं० 1870/84)

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 24-11-1984

मोहर ।]

प्रकृत आइ.टी.एन.एस. -----

(1) एम० ए० सुधुस्वामि सूरारवलि
सुर्यवर चैरेटी ।

(प्रन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री वि० गनेसन

(प्रन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण)

मद्रास रेंज-३, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० 9/4/84—यतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
₹ 5,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि: तल्लाकुलम है जो मदुरै में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ए० ए० आर० तल्लाकुलम
(दस० सं० 1306/84) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का वास्तव, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कार्यत्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में सुविधा
के लिए।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आरोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवशुध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि : तल्लाकुलम (दस० सं० 1306/84)

प्रेम मालिनि वासन
सभम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण)
मद्रास रेंज I मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक : 26-11-1984
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. -----

(1) श्री. टी. पी. एस. एच. काजरी ।

(अन्तरक)

(2) साकलाल राम मेट फैक्टरी लिमिटेड ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक: 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं. 13/4/84 यतः मुझे प्रेम मालिनि वासन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिरक सं. भूमि और निर्माण : मुक्कुडल गाव है जो अम्बाममुद्रपतालुक में स्थित है (श्री. डी. डी. अय्यर जनसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री कार्यालय के कार्यालय एस. आ. नल्लुकुलम (दम. 1485/84) में भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य वास्तव्यों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

35—426 GI/84

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्त :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 2(1)-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : मुक्कुडल गाव (दम. 1485/84)

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेज-I, मद्रास

दिनांक : 26-11-1984

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्रीमती एम० विमला ।

(अन्तरक)

(2) एन० राजगोपाल चेट्टियार ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 अक्टूबर 1984

निदेश सं० 20/4/84—यतः, मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० भूमि और निर्माण : पल्लपट्टि गांव है जो विन्डुक्कल में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विन्डुक्कल II (वस० 624/84) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

नतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार है, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, सर्वात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में छिपाने के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्तप्राप्तरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिये गए हैं।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : पल्लपट्टि गांव, विन्डुक्कल (वस० 624/84) :

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 26-10-1984

मोहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एस. -----

(1) श्रीमति पार्वति भम्ममाल ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री के. रामस्वामि ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 21/4/1984—यतः, मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसको पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब में अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० भूमि और निर्माण है जो तेरू, कैलासपुरम, तिरुनेल्वेलि में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तिरुनेल्वेलि (वस० 261/84 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-कृत निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधानी के लिए; और/वा

(ख) वही किसी भाव या किसी भू या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भू-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; \

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धारणा—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवस्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अथवा अथवा अथवा के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची-

भूमि और निर्माण : तडु तेरू, कैलासपुरम, तिरुनेल्वेलि (वस० 261/84)

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 26-11-1984
शहर :

प्रकृत बाई टी.एन.एच

(1) श्री एस० पी० जयकुमार और अन्यों ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 प्र (1) के अधीन नचना

(2) श्री नरल्लप नायडू और अन्यों ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 22/4/84—यत्, मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि और निर्माण है, जो उत्तमपालयम में स्थित है (और इससे उपायुक्त अपुसूची में शीर्षक रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ओ० उत्तमपालयम (दन० 311/84) और 151/84 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम अर्जल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बांझिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः यह, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिद्धित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण उत्तमपालयम गांव (दस० 511/84 व 154/84)

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 23-11-1984

मोहर

प्रकृत बाई. टी. एन. एम्. -----

(1) श्रीमति जयनममि ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

(2) श्रीमति ए० रामताई अम्माल ।

(अन्तरिती)

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निदेश सं० 23/4/84—अतः, मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर त्रिपको सं० भूमि अम्बादुरे गांव नळपट्टि है, (श्रीर इससे उपायव्यवस्था नुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकार, के कार्यालय एस० आर० चिन्नाल-पट्टा दम : 468/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)के के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रत्यक्ष प्रतिफल से प्रभाव है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच होने प्रत्यक्ष के लिए नया पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वस्तुओं को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि अम्बादुरे गांव दम : 468/84 ।

प्रेम मालिनि वासन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरक में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक 15-11-1984 ।

साहूँर

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

(1) श्रामति मेरी जेकब ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
भारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री पी० प्रबालक सिन्हा ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 24/4/84—अतः मुझे, प्रेम मासिनि बासन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि विलांगुडि गांव है जो पुतुम्डपम में स्थित है (और इनसे उपाबद्ध श्रतुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय एस आर० पुतुम्डपम दस : 1103/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

और यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

संपूर्ण

भूमि विलांगुडि गांव दस : 1103/84 ।

प्रेम मासिनि बासन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-ब की उपभारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक 16-11-1984
मोहर :

प्रकृष आर्.टी.एन.एस. -----

(1) श्री प्रार० मीनाषी ।

(अन्तरक)

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) ओमति तमिल भालै ग्रम्माल ।

(अन्तरितो)

बाधुत सञ्चार

कार्यालय, सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 35/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन,
बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 109, मेल सन्नदि पेट्टे स्ट्रीट है, जो के०
के० नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस०
प्रार० ओ० 4 मदुर दस 2026/84 में भारतीय रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति से उचित बाजार मूल्य से कम की बच्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके बच्यमान प्रतिफल से, ऐसे बच्यमान प्रतिफल का
बन्धू प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरितो
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कियत नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायरेव में
कमी करने वा उससे बचने में सुविधा के लिए
बाय/या

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किन्हीं धारा बायिहए था, छिपाने में सुविधा
के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अधुसरव
है, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित कर्तित्यों, बायिहए :-

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए
कार्यवाही शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बन्धु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवास्ताक्षरी को
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : मेल सन्नदि पेट्टे मदुरे दस : 2026/
84 ।

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 मद्रास

दिनांक 24-11-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री शारंग बालकृष्णसुब्रमण्यम ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमति कृष्णमूर्ति अय्यर ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37/अप्रैल/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 42, कोविल नेरु, दिन्दुककल है, (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीवर्त प्राधिकारी के कार्यालय दस : 207/84 में भारतीय रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, शिवाजीनगर में धारा 269 ए की अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त-लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कार्यालय में कमी करने या उसमें अर्जन में त्रुटि का कारण के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकताओं के, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में बाधना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण कोविल नेरु, दिन्दुककल (दस 207/84) ।

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक 20-1-1984 ।

सोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

- (1) श्री एम० ए० पी० एस० अहमद अलि और अन्यो ।
(अन्तरक)
(2) श्री एस० कुरैस्वामी ।
(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 अक्टूबर 1984

निदेश सं० 39/4/84—अतः, मुझे, प्रेम मालिनि वासन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि और निर्माण नेहरूजी नगर है,
जो दिन्दुकल में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
में एस० आर० ओ० दिन्दुकल दस : 276/84 में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और यहाँ यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापरोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल से एमें उद्यमान प्रतिफल का पन्ध्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती
(अन्तरिती) के बीच एमें अन्तरण के लिए नया पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरक से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायद
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए
बाह/बा

(ख) ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के
लिए

अन्तरक, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-
36-426 GI/84

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियों शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

जन्तुपत्नी

भूमि श्रीय निर्माण नेहरूजी नगर, तिन्दुकल दस : 276/

84 ।

प्रेम मालिनिवासन,
सअम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास,

दिनांक : 26-10-84

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

(1) श्री एन० एस० मोहन ।

(अन्तरक)

(2) एन० एस० रविचन्द्रन ।

(अन्तरिती)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज । मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निदेश सं. 40/मप्रैल/84--अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक है

और जिसकी सं० 77, दूबारा स्ट्रीट दिन्दुककल, नेरुजिनगर है, जो में स्थित है (और इससे उपाखण्ड में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे० एस० आर० I /दिन्दुककल दस : 270/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984 ।

को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित व्यवस्थे से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अनः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिक्य करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण नेरुजिनगर दिन्दुककल. दस : 270/
84 ।

प्रेम मालिनि वासन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज । मद्रास

दिनांक : 20-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

(1) श्री डी० एम० एम० आर० सोकर ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना(2) के० के० एस० एस० एम० राजलक्ष्मी अम्माल
(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन को लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निदेश सं० 41/4/84—आ: मुझे प्रेम मालिनि वासन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रुपयों से अधिक हैऔर जिसको सं० 200, राममूर्ति रोड, त्रिदु नगर है, में स्थित
है (और इससे उगावद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर०
विन्दुनगर दस : 1080/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बंगलूर दक्षिण में
धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्री-
कृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा
के लिए, आर/या(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धारा 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा
के लिए;अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनसरण
में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;(ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि, 200 राममूर्ति रोड, त्रिदुनगर दस : 1080/
84 ।प्रेम मालिनि वासन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 1 मद्रासदिनांक: 15-11-1984
माहूर ३

प्ररूप बाह्य. टी. ए. ए.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास दिनांक 15 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 44/4/84--अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 11, हाजी इब्राहिम कुट्टि स्ट्रीट, अरक्कोनम
है जो में स्थित है (और इससे उपाय में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अफिसरी के कार्यालय जै०
एस० आर II/अरक्कोनम दस 688/84 में भारतीय रजिस्ट्री-
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूल्य यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्त-
रिती (अन्तरितियों) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में
आस्ताधिक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
बायत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य कारितवा
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

- (1) श्री के० वि० के० मोहमेद हाजि और अन्यो
(अन्तरक)
(2) श्री हाजि अब्दुल रहिम ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाह्या करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : 11, हाजी इब्राहिम कुट्टि अरक्कोनम
दस : 688/84 ।

प्रेम मालिनि वासन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक : 15-11-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 नवम्बर 1984

निदेश सं० 46/4/84—अतः, मुझे, प्रेम मालिनि वासन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,00,00/-रु. से अधिक है

और जिले की सं० भूमि और निर्माण कातरै कम्म गांव है, जो
सं० स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर०
गुडियलम दस : 1543/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक अप्रैल
1984 ।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बहु प्रशिक्षण से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती
(अन्तरांतयो) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निर्माणाखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर दान के अन्तरक के बावजूद में
कमी करने या उससे बचने के उद्देश्य के लिए;
बाँट/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० पि० पकीर मोहमेड साहिब ।

(अन्तरक)

(2) श्री ए० हबिबुर रहमान ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कर्मवाह्यता शुरू करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में वृत्त-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के
पाठ लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण कातरै कुप्पमगांव दस : 1543/
84

प्रेम मालिनि वासन,
संजन प्राधिकारी,
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1 मद्रास

दिनांक : 6-11-1984

माहुर :

द्रूप बाई. डी. एन. एड.-----

(1) एस० के० जो० पि० कन्दस्वामि सेट्टि ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) एन० एम० दार्थ जारति

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्रास दिनांक 15 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 47/4/84—अत. सुझे, प्रेम मालिनि वासन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिनकी सं० भूमि और निर्माण काटपाडि गांव है, जो में
स्थित है (और इसने उदावृद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रतिकारी के कार्यालय एस० आर० काटपाडि
दस : 1320/34 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अर्जन दिनांक अप्रैल 1984
की पंजीकृत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित को रखा है और मर्के यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एम दृश्यमान प्रतिफल को
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अनगक (अतरकों) अन्तरिती
(अन्तरिती) के बीच एम अन्तरण के लिए तय गया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायत्व में कमी करने में उसमें बचने में सुविधा
के लिए, बीर/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अन्तरण
की, में उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया कर रहा है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के अन्दर उक्त सम्पत्ति के अर्जन पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में सम्पत्ति का अर्जन, के अन्तर्गत
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति के अर्जन
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के
पास लिखित में अर्जन के लिए ।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रथम शब्दावली पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, बड़ा अर्थ हाथ आ उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण काटपाडि नगर (दस : 1320/
84) ।

प्रेम मालिनि वासन,
संभम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण),
अर्जन रेंज 1, मद्रास

दिनांक 15-11-1984

माहूर :

प्रथम भाग टी एन एस.-----

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 48/4/84--अन: मुझे, प्रेम मालिनि वासन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें हममें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/-रु से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि : काडपाडि गांव है,

(और इसके उक्त आंशिक में और पूर्ण रूप से वर्णित है),

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सं० आर० काडपाडि

दस : 1286/84 में भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम,

1908 (1908 का 16) के प्रवृत्त दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से कम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरित (अन्तरितया) के बीच एक अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निर्म्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक, उक्त अधिनियम के अधिनियम के अधिनियम के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्नियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

उक्त: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निर्म्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री बेबी शम्भाल ।

(अन्तरक)

(2) श्री वो० आर० जेयाराम चेट्टियार

(अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के दर्जन के लिए कार्यवाहया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के दर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होगी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहां अर्थ हुआ जा उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट : गुडियात्तम डालुकु काडपाडि । दस : 1286/84 ।

प्रेम मालिनि वासन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रेज I मद्रास

दिनांक 20-11-1984 ।

मांहर :

प्रकृत बाई. टी. इन्. एल्.-----

(1) श्री सी० वी० वैतियनातन

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ए (1) के अधीन सूचना

(2) श्री आर० प्रवाहरज ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निदेश सं० 50/4/1984—अतः मुझे, प्रेम मालिनि
वासन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ए के अधीन सभ्रम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

श्रीर जिराही सं० भूमे श्रीर निर्माण गान्दि नगर, कालजूर
गांव है, जो काटपाडि में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची
में श्रीर पूर्ण रूप से वर्गीकृत है), रजिस्ट्रीकरण अधि-
कारी के कार्यालय दस : 1150/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि-
यिम, 1908 (1908 का 16) के अंतर्गत दिनांक अप्रैल
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बन्दूक प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त-
रिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व से कमी करने या उचित रूप से सूचना
के लिए; बांड/बा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या क्रिया जाना चाहिये था, छिपान में
सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के बर्जन के लिए
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप १.

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी
अवधि-बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि-श्रीर निर्माण गान्दि नगर दस : 1150/84 ।

प्रेम मालिनि वासन

सभ्रम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जुन रेंज I, मद्रास

दिनांक 15-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अक्टूबर 1984

निर्देश सं० 51/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि और निर्माण रजिस्ट्रेशन है, जो में स्थित है (और इसे उपाय में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० वेलूर दस : 1408/84 से भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई है और यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार धर्म, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

37—426 G1/84

(1) श्री बी० दामोदरन

(अन्तरक)

(2) श्री गोविन्दस्वामि मुदलियार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेय :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 120-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : वेलूर टवुन दस : 1408/84

प्रेम मालिनिवा मन,
सक्षम प्राधिकारी,
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास

दिनांक : 29-10-1984

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

- (1) श्री पी० के० एन० कुण्डस्वामी नायडु
(अन्तरक)
- (2) वी० जी० श्रीनिवासन ।
(अन्तरिनी)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निदेश सं० 52/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिसको सं० भूमि अप्पास्वामि पिल्लै स्ट्रीट है, जो आरनि
में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय, दम 1198/84 में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन दिनांक अप्रैल 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और
अन्तरिनी (अन्तरिनीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से 'हुई' कितनी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उसमें बचाने में सुविधा
वाचित्व के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।
गया है।

स्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भाग : अप्पास्वामि स्ट्रीट दम 1198/84

प्रेम मालिनि वासन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जेंट रेज-I मद्रास

दिनांक 20-11-1984

साहू

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री के० ए० स्वामिनाता एयर

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) एन० मुद्गन, मिसार साहिब ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है ।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 54/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनी वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि : ओरिपल नायकम पट्टि है, जो दरमपुरि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० आर० मोरपूर दस : 178/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्वीकृतिकरण:—इसके प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विधा गया है ।

अनुसंधी

भूमि और निर्माण : ओरिपल नाकम पट्टि
178/84 ।

प्रेम मालिनी वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक : 24-11-1984
मोहर :

प्रकट. भा. टी. एन. ए. ---

(1) श्री एम० एस० सम्पत मटलियार ।

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) प्रतीप कुमार

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास दिनांक 29 अक्टूबर 1984

निर्देश सं० 564/84—अतः मुझे प्रेम भालिनि वासन

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :-

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 16, नात वेलूर टवुन मिटा आन्ध्र राव
स्ट्रीट वेलूर है, जो में स्थित है (और इसमें उपबद्ध
और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय एस० आर० में वेलूर दम 1301/84 भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित ही गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया गया है :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
शक्ति में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
भारत अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अनुसूची

भूमि और निर्माण मिट्टा आन्ध्र राव स्ट्रीट वेलूर टवुन
दस : 1301/84 ।

प्रेम भालिनि वासन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I मद्रास

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, जो, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक : 29-10-1984 ।

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

(1) श्रीमति आर० तुलसी ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) के० रामचन्द्रन और अन्यो ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अक्टूबर 1984

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

निर्देश सं० 58 अप्रैल 84—अतः मुझे प्रेम मालिनि
वासन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

और जिमकी सं० प्लॉट सं० 18, गोवा टोड, योगनपल्ली
कृष्णागिरि है, जो स्थित है (और इससे उदात्त में और
पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय
जे० एस० आर० II, कृष्णागिरि दस्तावेज सं० 602/84
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

भूमि और निर्माण कृष्णागिरि (दस्तावेज सं० 602)
84) ।

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

प्रेम मालिनि वासन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 29-10-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) करुष्यया

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) सेललम्माल

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 62/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि पुतु कोम्ब गांव है, जो में स्थित है
(और इसमें उपाबद्ध और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० आर० मेंदमगलमदास :
487/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गांधीनगर में धारा
269 ए. वी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत
किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से,
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक और अन्तरक
(अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनसूची

भूमि पुतु कोम्ब गांव दस : 487/84 ।

प्रेम मालिनि वासन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1 मद्रास

दिनांक 24-11-1984

मोहर

राजपत्र भाग 6, टी. एन. एन.-----

(1) श्री पलनियप्प गौन्डर

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) पलनियप्प गौन्डर और अन्यो

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 69/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनी वासन

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि केनम पालयम गाव रासिपुरम है, जो में स्थित है (और इसमें उपावद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० रासिपुरम दम : 806/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सविधा को लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजतार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि कुरियालयम दम : 805/84।

प्रेम मालिनी वासनक

सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 1 मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 24-11-1984

मोहर :

प्रथम भाग टी.टी.एच. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्रास दिनांक 7, नवम्बर 1984

निर्देश सं० 73/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 75,000/- रु. से अधिक है:

और जिसकी सं० भूमि सेलम टवुन है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे० एस० आर० I सेलम दस : 691/84 736/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम खयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके खयमान प्रतिफल से, ऐसे खयमान प्रतिफल के इच्छ प्रतियोगिता से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में उचित भा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सहायता के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० के० एस० सुंदरम और अन्यो
(अन्तरक)

(2) ए० प्रकाश और अन्यो
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

पुस्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काह भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सक्षम की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में प्रकट जा सकेंगे।

स्वीकृतिकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सेलम टवुन (दस : 691/84, 636/84) ।

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज मद्रास

दिनांक 7-11-1984
साहूर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एन.-----

(1) श्री टी० ए० सिकारवेलू

(अन्तरक)

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री टी० सी० लक्ष्मिपति

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 77/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन
भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि : तिरुच्छगोड है जो नामक्कल में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ए० आ० (ति०) कोड
दस : 115484 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, शिवाजीनगर में धारा
269 ए बी के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया
गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके ह्यमान प्रतिफल से, ऐसे
ह्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरक) और और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त-
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर दान के अन्तरक के बायित्व
में कमी करने या उसमें बचने में सविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्ति को
को, जिन्हें भारतीय भाषकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवचनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए या कियाने में सविधा के लिए;

अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

38—426GI/84

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

संश्लेषण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि तिरुच्छगोड (दस : 1154/84) ।

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I मद्रास

दिनांक 26-11-1984

मोहर

प्रथम भाग, टी. एन. एस्.-----

(1) श्री एम० कन्दस्वामि उद्यार

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) एम० कन्दस्वामि ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० 79/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनि वामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्रापटी दम : 1170/84 मेलम है, जो मद्रास में है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्गित है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, एम० आर० वलपाडि दम. 1170/84 में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अर्जन 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सब पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की शक्ति, उक्त परिभाषित अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शक्ति से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तियों को बिना भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करती हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्तरक

प्रापटी : दम : 1170/84 ।

प्रेम मालिनि वामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास -

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 26-11-1984
मोहर :

प्रश्न आर्टी.टी.ए.ए.ग. -----

(1) श्री ऐट्टी गौडर

(अन्तरक)

(2) श्री के. पापाई

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 नवम्बर 1984

निदेश सं० 80/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु. में अधिक है

श्रीर जिसका सं० भूमि वेंकर गांव है, जो वेलूर में स्थित है (श्रीर
इससे उपबद्ध में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी
के कार्यालय, एम० आर० वेलूर दम : 203/84 में भारतीय
रजिस्ट्रारकण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरक की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि वर्षापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती
(अन्तरिती) के बीच एसे अन्तरक के लिए न्य पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बावत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य जर्नलियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए ;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि : वेंकरि गांव, दस : 203/84 ।

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
में, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक 6-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० 82/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि नामककल है, जो नामककल में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-
कारों के कार्यालय, जे० ए० आर०-II/नामककल दस 721/
84 में भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गदग में धारा 269
ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया
गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से,
एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
द्वारित्व में कमी करने या सबसे बचने के सूविधा
के लिए, रु० २/५।

(1) श्री एन० नल्लप्प रेड्डी

(अन्तरक)

(2) आर० राजरतिनम

(अन्तरितो)

और यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में
सूविधा के लिए;

धर्म नामककल दस 721/84

प्रेम मालिनि वासन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 26-11-1984

मोहर :

प्रश्न. बाह्य. टी. एन. एच. -----

(1) श्री नल्लप्प रेड्डी

(अन्तरक)

(2) श्री एस० एम० राजालिंग मुवलियार

(अन्तरिती)

भाषकउ अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 18 दिसम्बर 1984

क्यों यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जांच :—

निर्देश सं० 83/4/84-अत मुझे, प्रेम मालिनि वासन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो नामककल में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकता अधि-
कारियों के कार्यालय, एस० आर० नामककल दस : 722/84 में
भारतीय रजिस्ट्रारकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके ज्ञयमान प्रतिफल से, ऐसे ज्ञयमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से काचित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी नाम की वास्तु उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायित्व में
कभी करन या उसके अर्जन में सुविधा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा
के लिए;

ध्यान: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, न. उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाह्य में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

सम्बन्धी

भूमि : नामककल (दस : 722/84)

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 16-11-1984

माहुर अ

प्ररूप आई. टी. एन. एस.।-----

(1) श्री टी० वसंतकुमार

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री टी० देवराजन ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 84/4/84—अनः मुझे, प्रेम मालिनि वासन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से कम अधिक है

और जिसकी सं० भूमि : लतुवाडि गांव है, जो नामक्कल में स्थित है (और इसमें उपावद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है); रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० ए० आर-II/नामक्कल दस : 729/84 में भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरक दिए गए हैं और मूल्य यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त अधिनियम के उचित बाजार मूल्य, उनके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रांजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि : लतुवाडि गांव (दस : 729/84)

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 260-घ के अन्वयण में, न, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, कर्ताएँ :-

दिनांक : 6-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(1) श्री आर० ए० चैरम

(अंतरक)

(2) के० मंकरकरसि

(अन्तरितो)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निदेश सं० 91/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनी वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० नामंकन है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), राजस्व कर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० तिरुचेंगोड दस० : 1136/84 में भारतीय राजस्व अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरितो (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में भारतीय राजस्व अधिनियम के अधीन नहीं किया गया है :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि लंबे में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी कराने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

अनुसूची

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा

भूमि : तिरुचेंगोड :

(दस० : 1136/84)

प्रेम मालिनी वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 15-11-1984

मोहर :

प्रकृत्य भाई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री अलजि मोहम्मद इल्यास

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ताहर भाइ

(अन्तरितो)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निवेश सं० 94/4/84—अत मुत्ते, प्रेम मालिनो वासन, भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2, महफस कान गार्डेन स्ट्रीट, मद्रास है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपायद्व अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकारों के कार्यालय, एस० आर० मद्रास नार्थ-II दस० 1088/84 में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्ध-न दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उक्तके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितो (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के क्षयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

संपूर्ण

भूमि और निर्माण महफस गार्डेन स्ट्रीट, मद्रास ।
(दस० 1088/84)

प्रेम मालिनो वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 20-11-1984

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस. -----

- (1) श्री वुम्मुट्टि कन्नन और अन्यो
(अन्तरक)
- (2) श्री एम० के० एम० यूसुफ और 19 अन्य
(अन्तरिती)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अज्ञेन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 31 अक्टूबर 1984

निवेश सं० 95/4/84-अन: मुझे, प्रेम मालिनी वासन,
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनको सं० 41, मूर स्ट्रीट, मद्रास-1 है, तथा जो मद्रास में
स्थित है (श्रीर धर्म उपाय में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिहारी के: आयुक्त, एम० आर० मद्रास नार्थ-
11, दस० 1183/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधिनियम दिनांक अप्रैल- 1984,
की पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एम० दृश्यमान प्रतिफल का
पन्नाह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और
अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच एम० अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी भाय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
द्वारित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचिधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य वास्तवों
को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा उक्त नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए या छपाने में सूचिधा
के लिए।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के बर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त संपत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधीहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : 41, मूर स्ट्रीट, मद्रास-1
(दस० 1183/84)

प्रेम मालिनी वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अज्ञेन रेंज-1, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
39-426GI/84

दिनांक : 31-10-1984

माहूर :

प्रकृत्य जाह' टी. एन. एच.-----

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० 98/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनी वासन, भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 19, किलपाक अडनावरम रोड किलपाक है, तथा जो मद्रास में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस०आर० मद्रास नार्थ दस० 1010/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्यमान प्रतिफल, से ऐसे द्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के वास्तविक से कमी करने या उससे बचने में प्रविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तवों को चिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में प्रविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत अ, ग, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्रीमती कमला मुत्तुकृष्णन अय्यर (अन्तरक)
(2) श्रीमती उमा रामकृष्णन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि श्रीर निर्माण : 19, किलपाक अयनावरम रोड, किलपाक, मद्रास।

(दस 1010/84)

प्रेम मालिनी वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 26-11-1984
मोहर :

प्रकृत आर्.टी.एन.एस.-----

(1) श्री आर० सेल्वसुन्दरी रामैया

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना(2) श्री पी० जी० विस्वेस्वरन और पी० जी० सिवराभन
(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 21 नवम्बर 1984

निदेश सं० 105/4/84--अतः मुझे, प्रेम मालिनी वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि और निर्माण नटुवक्करै, मद्रास है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकरी अधिकारों के कार्यालय एस० आर०अन्नानगर दस : 1054/84 में रजिस्ट्रारकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के नीचे ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार, मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी आपत्तः—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बगुप्त

भूमि और निर्माण : नटुवक्करै, अन्ना नगर, मद्रास
(दस : 1054/84)

प्रेम मालिनी वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 21-11-1984

मोहर :

प्रकृत बाई.टी.एन.एस. -----

(1) श्री अर० गोविन्द राव

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री एस० सोमसुन्दरम

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जेंट रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० 109/4/84--अतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कोयम्बेटूर, अन्नानगर है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपाय अन्तर्मा. में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार/अधिकारी के कार्यालय, एच०आर० अन्ना नगर दस : 1408/84 में भारतीय रजिस्ट्रार/अधिकारी अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करवा हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है; बराबर है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : अन्ना नगर, मद्रास ।
(दस : 1408/84)

प्रेम मालिनी वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जेंट रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 16-11-1984
माहूर :-

प्रकृत नार्. टी. एच. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निदेश सं० 128/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनी वासन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 175 टी० एच० रोड, मद्रास-81 है, जो मद्रास
में स्थित है (श्रीर इससे उपायुक्त अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय, रामपुरम दस : 659/84
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भूमे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायत्व
में कमी करने या उममें बचने में सविधा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तिबां
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के, अन्तरण
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) पी० टी० सोवग ट्रेडर
मैसर्स सदरन कुरुप इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड
(अन्तरक)
- (2) मैसर्स अलिसन स्टोल कहाट्टेवेर
(अन्तरिती)

यदि यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी बाबत :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवस्तु
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पात्र
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

बम्बई

भूमि और निर्माण : 175, टी० एच० रोड, मद्रास-84 ।
(दस : 659/84)

प्रेम मालिनी वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 20-11-1984

मोहर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

प्रजन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० 138/4/84—प्रत. मुझे, प्रेम मालिनी वासन, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 5, स्टार्टन मुर्तिया मुदलि स्ट्रीट जी० डी० है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपापद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० साउथकारपेट दस 169/84 में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धन: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० वास्कर राव और अन्य

(अन्तरक)

(2) श्री एस० विजयलक्ष्मी और अन्य

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ कराए हैं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या स्वसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अपूर्णा

भूमि और निर्माण : टी० एन० 5; स्टार्टन मुर्तिया मुदलि स्ट्रीट, मद्रास ।

दस : 169/84 ।

प्रेम मालिनी वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
प्रजन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 26-11-1984

मोहर :

प्रत्येक भाग टी.एन.एस

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भाषाकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 नवम्बर 1984

निदेश सं० 139/4/84—प्रतः मुझे, प्रेम मालिनी वासन, भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 85, वरत मूल्यपत्र स्ट्रीट है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस०आर० सोकारपेट दस : 170/84 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय भाषाकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्रीमती एन० शेषम्मा ।

(अन्तरक)

(2) श्री मिस्टर टी० के० प्रजीज

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 85, वरत मूल्यपत्र स्ट्रीट मद्रास ।

(दस : 170/84)

प्रेम मालिनी वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक भाषाकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास ।

नोट: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 30-11-1984
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

(1) श्री मीनाक्षी

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री के० एम० मोहम्मद अब्दुल कातर फेम ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 नवम्बर 1984

निवेश सं० 151/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनी वासन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 12, मुक्ता गार्टेनस, स्परटांक रोड, मद्रास-31 है जो में स्थित है (और इससे उपावद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० पेरिमेटे दस : 294/84 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984.

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी नाम की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; और/या

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार, मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए वास्तविक शर्त करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : 12, मुक्ता गार्टेनस, स्परटांक रोड

एक्स० मद्रास-31 ।

दस : 294/84

प्रेम मालिनी वासन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 6-11-1984

माहुर :

प्रकृत बाह्य. टी. एन. एन. एन. एन. एन.

(1) वि० अखिल

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) बी० एम० इतनुयत्ना

(अन्तरिनी)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 नवम्बर 1984

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

निदेश सं० 166/4/84--अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह्य में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

श्रीर जिनकी सं० भूमि और निर्माण: मद्रास-31 है, तथा जो मद्रास में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है); रजिस्ट्रार अधिकारी के कार्यालय एम० आर० पेरियमेट दस० 351/84 में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिनी (अन्तरिनी) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी बात की बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

अनुसूची

(ख) ऐसी किसी बात या किसी बंध या अन्य वास्तविकता को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, लिखित में सुविधा से लिए;

भूमि और निर्माण सेक निकल रोड चेन्नै, मद्रास
दस० : 351/84।

प्रेम मालिनि वासन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 30 11 1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) पार्सन फोन्टेशन और एंजोनिवरी कार्पोरेशन
(अन्तरक)आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) भक्तिर फंसुल्ल भाई ।

(अन्तरिती) -

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज मद्रास

मद्रास दिनांक 21 नवम्बर 1984

निदेश सं० 169/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 34, पान्तिथन रोड, एन्मोर, मद्रास 8, है, जो में स्थित में (और इससे उपावद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय एस० आर० आर० पेरियममेट दम : 382/84 में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धन की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वापस में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहेगा था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : 34, पान्तिथन रोड, एन्मोर, मद्रास : 8 । दम० : 382/84 ।

प्रेम मालिनि वासन,
सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन-रेंज I मद्रास

दिनांक : 21-11-1984

मोहर :

प्ररूप आर्ह. टी. एन. एस.-----

(1) श्री टि० टि० चन्तसेकरन और अन्य
(अन्तरक)आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना(2) श्री आर० अमसवेनि
(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 मद्रास

मद्रास, दिनांक 21 नवम्बर 1984

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप

निदेश सं० 159 व 160 /5/84—अतः मुझे प्रेम
मालिनि वामन(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।और जिसकी सं० भूमि और निर्माण बन्कला चिट्ठिबाबु नायडू
है, जो स्ट्रीट मद्रास-31 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा
और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकारी के कार्या-
लय, एम० आर० पेरियमट दस० : 486/84, 460/84 में
भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन दिनांक अप्रैल 1984स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विद्वेष के अनुसार अंतरित की
है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से,
एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—(क) अन्तरण से हुई किसी आय की नाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

अनुसूची

(ख) ऐसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए।भूमि और निर्माण : बन्कला चिट्ठिबाबु नायडू स्ट्रीट
मद्रास-31 दस० (486/84 व 480/84) ।प्रेम मालिनी वामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 1, मद्रासअतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, यथातः—

दिनांक : 21 11 1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस-----

(1) श्री ए० वी० रंगनातन

(अन्तरक)

(2) श्री वी० डी० सी० सेलवरन

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 172/4/84—अन: मूझे प्रेम मालिनि वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 67, त्यागमूर्दलि स्ट्रीट, किलबाक, मद्रास 10 है (और उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० पेरियमेट दस० 393/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक का दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी ज्ञाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनुसूची

भूमि 67, त्यागमूर्दलि स्ट्रीट मद्रास : 10 (दस० 393/84) ।

प्रेम मालिनि वासन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन-रेंज-1 मद्रास

दिनांक : 26-11-1984

साहूर ३

राजपत्र भाग 6, टी. एच. 1/84-85

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० रेवाड़ी/1/84-85—अतः मुझे आर० के०
भयाना

आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) जिसे इसमें
इसके बराबर 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये
से अधिक है

श्रीर जिनकी सं० भूमि 8 कनाल 5 मरले है तथा जो
खटावली त० रेवाड़ी में स्थित है (श्रीर इलाका उपाबद्ध अनुसूची
में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय रेवाड़ी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का 18
के अधीन दिनांक नवम्बर 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्व उक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए
बाँट/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वजोर चन्द पुत्री श्रीमति सुभराय विधवा
श्री गोपाल दास
पुत्र श्री जैसा राम,
निवासी रेवाड़ी

(अन्तरक)

(2) मै० रामा हाउस प्रा० लि०,
(2) मै० रामा हाउस प्रा० लि०,
26/75 पन्जाबी बाग,
द्वारा
श्री जे० के० बन्सल,
निदेशक कम्पनी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 8 कनाल 5 मरले गांव खटावली त०
रेवाड़ी में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता
के कार्यालय रेवाड़ी में रजिस्ट्री संख्या 1804 दिनांक 24-9-84
पर दिया गया है।

अर० के० भयाना
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक।

दिनांक : 20-11-1984

मोहर

प्रकृत आर्. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० रेवाड़ी/2/84-85—अतः मुझे आर० के०
भयाना

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 16 कनाल है तथा जो खटावली में
स्थित है (और इससे उपाय अतिसूची में श्रेणियों के रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकारियों के कार्यालय रेवाड़ी में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का 16 के अधीन दिनांक
सितम्बर 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
व्ययमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और भूके यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का
अधिक प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
व्ययमान में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सर्वे श्री ओम प्रकाश
बसन्त कुमार पुत्रान
श्री फतेह चन्द सुपुत्र
श्री प्यारे लाल
नि० रिवाड़ी,
जि० महेंद्र गढ़।

(अन्तरक)

(2) मै० रामा हाउस प्राइवेट लि०,
26/75, पंजाबी बाग,
नई दिल्ली
द्वारा श्री जे० के० ब्रन्सल, निवेशक कंपनी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अतिसूची

सम्पत्ति भूमि 16 कनाल गांव खटावली में स्थित है
जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय रेवाड़ी में,
रजिस्ट्री संख्या 1805 दिनांक 24-9-1984 पर दिया है।

आर० के० भयाना,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक,

दिनांक : 20-11-1984

मोहर B

प्ररूप आई.टी.एन.एम.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निदेश सं० रेवाड़ी/3/84-85—अतः मुझे, आर० के० भयाना,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० भूमि 12 कनाल 8 मरले है तथा जो खटावली त० रेवाड़ी में स्थित है (और इससे उपायद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रेवाड़ी में जिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का 18 के अधीन दिनांक नवम्बर 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ह्यमान प्रतिफल से, ऐसे ह्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग में, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बहादुर चन्द
अमर नाथ पुत्रगण व
श्रमति गोला देवी सुपुत्री
श्री गोंपाल दास
मुमुव श्री जैमा राम
नि० रेवाड़ी :

(अन्तरक)

(2) मै० रामा हाउम प्रा० लि०,
26/75, पंजाबी बाग,
नई दिल्ली,
द्वारा श्री जे० के० वन्यल, निदेशक कम्पनी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्याहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है,

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 12 कनाल 8 मरले गांव खटावली त० रेवाड़ी में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय रेवाड़ी में रजिस्ट्री संख्या 1806 दिनांक 24-9-1984 पर दिया है।

आर० के० भयाना,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक.

दिनांक, 20-11-1984
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० रेवाड़ी/4/84-85—अतः मुझे, आर० के०
भयाना,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिमकी सं० भूमि 16 कनाल है तथा जो खटावली त०
रेवाड़ी में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुमूची में श्रीर पूर्ण
रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रेवाड़ी
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का 18 के अधीन
दिनांक सितम्बर 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि अप्रापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उपबन्ध से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वाचित्व में कमी करने या उक्त करने में सुविधा
के लिए जाँड/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति गणेश भाई पति

श्री फतेह चन्द,

मुपुत्र श्री प्यारे लाल

नि० रिवाड़ी।

हाल आबाद चन्डीगढ़ स्वयं व मुख्यार आम

(अन्तरक)

(2) श्रीमति भिरावा बाई उपनाम

भिरावा देवी मुपुत्री

श्री फतेह चन्द पुत्र

प्यारे लाल,

नि० रिवाड़ी

हाल आबाद बारा त० बारां,

मै० राजा हाउस प्रा० नि०,

26/75, पंजाबों बाग,

नई दिल्ली, द्राना

श्री जे० के० अन्मल, निदेशक सं०,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 16 कनाल गांव खटावली त० रेवाड़ी
में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय
रेवाड़ी में, रजिस्ट्री संख्या 1807 दिनांक 24-9-84 पर दिया
है।

आर० के० भयाना,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

दिनांक : 20-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रॉय, रोहतास

रोहतास, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० रेवाड़/5/84-85—अतः मुझे आर० के०

भयाना,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० भूमि 9 कनाल 11 मरले है तथा जो खटा-
वली त० रेवाड़ में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अर्थात् अधिकारी के कार्यालय
खटावली में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 का 18 के अधिनियम
दिनांक

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल में, एसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय किया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाध की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

41—426GI/84

(1) श्री कंवर सिंह पुत्र
श्री चान्द सिंह पुत्र
श्री नत्थू,
नि० धारुहेड़ा त० रिवाड़ी ।

(अन्तरक)

(2) मै० रामा हाउस प्रा० लि०,
26/75 पंजाब वाग,
नई दिल्ली द्वारा
श्री जे० के० वन्जल, निदेशक कम्पनी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कायवाह्या करता हूँ

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

जनसूची

सम्पत्ति भूमि 9 कनाल 11 मरले गांव खटावली, त०
रेवाड़ी में स्थित है जोका अर्थात् रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908
के अधिनियम, रेवाड़ी में रजिस्ट्रार संख्या 1808 दिनांक 24-9-84
पर दिया है ।

आर० के० भयाना,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जुन रॉय, रोहतास

दिनांक : 20-11-1984

माहुर :

प्र.सं. भा. टी. एन. एस. ----

**भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० बल्लभगढ़/41/84-85—प्रतः मुखे, प्रार० के०

भयाना,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयस्य करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० प्लॉट नं० 99, ब्लाक ई, क्षेत्र 500 वर्ग ग० है तथा जो सेक्टर 11, डी० एन० एफ० माडन टाउन (मुजफ्फर) फरवादा में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार कार्यालय के कार्यालय बल्लभगढ़ में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 का 18 के अधिन दिनांक सितम्बर 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और अर्ज यह विषयस्य करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिणी (अन्तरिणीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निर्धारित न वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूल के अन्तरक के दायित्व में कमी कटौत या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) अ.सति सरोज गुप्ता पति
श्री शशा भूषण गुप्ता द्वारा
मै० शशा भूषण गुप्ता एण्ड कम्पनी
गोकुल बाजार, रेवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) श्री दीपक गुप्ता श्री
श्री शशा भूषण गुप्ता पुत्र
श्री नाथू राम सराफ द्वारा
मै० दीपक इंटरनैटिज
गोकुल बाजार, रेवाड़ा।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति प्लॉट नं० 99, ब्लाक ई, क्षेत्र 500 वर्ग ग० सेक्टर नं० 11, डी० एन० एफ० माडन टाउन (मुजफ्फर) फरवादा में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रार कार्यालय बल्लभगढ़ में रजिस्ट्रार संख्या 8719 दिनांक 10-9-1984 पर दिया है।

प्रार० के० भयाना
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

दिनांक: 20-11-1984

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आगत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराकरण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 12 नवम्बर 1984

निर्देश सं० ए० ए० नं० 5678—अतः मुझे, जे० एल० गिरधर,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जितका सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (श्रीर इसी उपाखण्ड अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रारकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का दन्द् प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय शायी गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री धमराक सिंह पुत्र
महिषा
वासा बंगा रोड,
फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमति महिन्द्र कौर पत्नी
लहम्बर सिंह
वासा नंगल माझा,
तहसिल फगवाड़ा।

(अन्तरितो)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसे प्राधिकारी में समाति है)

(4) जो व्यक्ति समाति में शामिल रहता है

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अज्ञात प्रमाणित है

कि वह समाति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अवन क लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अवन के सम्बन्ध में कोई भी आपे:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों या सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा या उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

समाति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 23 दिनांक अप्रैल 84 को रजिस्ट्रारकी अधिकारी, फगवाड़ा ने लिखा है।

जे० एल० गिरधर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निराकरण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 12-11-1984

मोहर :

प्रकृत बाई.टी.एन.एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

प्रजंन रेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 13 नवम्बर 1984

निदेश सं० ए० ए० न० 5681--अन मुझे, जे० एल०
गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25 000/- रु. से अधिक है

और जिनको सं० जैमा कि अनुसूची में लिखा है तथा
जो कपूरखला में स्थित है (और उसमें उपायुक्त अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार प्राधिकार के कार्या-
लय कपूरखला में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अधिनियम दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ए० ए० दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिणी
(अन्तरिणियों) के बीच ए० ए० अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से है कि किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ए० ए० किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मति बलवन्त कौर पति
हृ.भजन सिंह
कपूरखला ।

(अन्तरक)

(2) श्री उजल सिंह पुत्र
करतार सिंह
कपूरखला ।

(अन्तरिणी)

(4) जैमा कि उ० न० 2 में है ।

(यह व्यक्ति जिनके अधिभोग में सर्गाति है)

(यह व्यक्ति जिनके बारे में अधोह न.आर. जानता है कि
यह सर्गाति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाह्या शुरू करता है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना का तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है ।

अनुपूर्वी

सर्गाति नाम व्यक्ति जैमा कि विलेज नं० 45 दिनांक
अप्रैल 84 को रजिस्ट्रार प्राधिकार कपूरखला ने लिखा है ।

जे० एल० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी-
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
प्रजंन रेज, जालन्धर

दिनांक 13-11-1985

मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 13 नवम्बर 1984

निदेश सं० ए० पी० नं० 5682—अन: मुझे, जे० एल० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) कि धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रार कर्ता अधिकाारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रार करण अधिनियम 1908 (1908 का 10) के अधिन दिनांक अप्रैल 1984

को परोक्ष सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रार कर्ता के कार्यालय, मरहेरा में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रार कृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के क्षयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उस अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति जतवन्त कौर पत्नि हरनाम सिंह कपूरथला ।

(अन्तरक)

(2) श्री रनजीत सिंह पुत्र करतार सिंह कपूरथला ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति जिसे अधिभाग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति रूचि रखता है ।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरों जनाता कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचने के लिए कार्यवाहिया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के बचने के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 66 दिनांक अप्रैल 84 को रजिस्ट्रार कर्ता अधिकाारी कपूरथला ने लिखा ।

जे० एल० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जुन रेज, जालन्धर

दिनांक 13-11-1984

सोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 13 नवम्बर 1984

निदेश सं० ए० पी० न० 5683—अन: मूले, जे० एल० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु से अधिक है

और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है) है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इसमें उदात्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिभार के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अर्जित को गई है और इसे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अतिरिती (अतिरिक्तियों) के बीच एक अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य वास्तवों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधिनियमों के अधीन कर देना पड़ेगी कि या किया जाया चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मति बलवन्त कीर पति
ह. भजन सिंह
कपूरथला ।

(अन्तरक)

(2) श्री हरिन्द्र सिंह पुत्र
करतार सिंह
कपूरथला ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर न० 2 में है ।

(वह व्यक्ति जिसे प्रमो में समाप्त है)

(5) जो व्यक्ति समाप्त में सूची रखा है ।

(वह व्यक्ति जिसे वारे में अर्जाओं द्वारा जता है कि वह समाप्त में हितवद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त समाप्त क अर्जन के लिए कार्यवाह्या करता है ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता है, के भातर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

समाप्त तथा व्यक्ति जैसा कि विनियम न० 106 दिनांक अप्रैल 84 को रजिस्ट्रार अधिभार कपूरथला में लिखा ।

जे० एल० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 13-11-1984

मांहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 13 नवम्बर 1984

निदेश सं० ए० ए० न० 5684—अत. मुझे, जे० एल०
गिरधर

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विवेक करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूच में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इसमें उपावृत्त अनुसूच में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकाधिक के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अनुरित की गई है और इसके यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उससे, दृश्यमान प्रतिफल से, कम के दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करन या उससे बचन में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बाधियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमति जावन्त कौर पति
हरनम सिंह,
बास, कपूरथला।

(अन्तरक)

(2) श्री हरिद्र सिंह पुत्र
करनार सिंह,
कपूरथला

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि उपर नं० 2 से है।

(वह व्यक्ति जिसे अन्तरण से सम्पत्ति है)

4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में हस्त-रचना है
वह व्यक्ति जिसे बारे में प्रमाणित करा जाता है कि
सम्पत्ति में हस्त-रचना है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्त-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अमृतचौरी

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विवेक नं० 141 दिनांक अप्रैल 1984 को रजिस्ट्रार अधिकाधिक कपूरथला ने लिखा है।

जे० एल० गिरधर,
सहायक प्रायकर आयुक्त,
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 13-11-1984

मोहर :||

प्रकल्प बाई.टी.एन.एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रॉज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 13 नवम्बर 1984

निदेश सं० ए० पी० न० 5687-अतः मुझे, जे० एल० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सहायक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उगावड़ अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की उद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य नमूने उद्यमान प्रतिफल में तय उद्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तारातया) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाबत कोई कमी करने या उक्त बचने में सूचना के लिए, धार/वा

(ख) ऐसी किसी आय या भत या अन्य वास्तवियों को, जिनमें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण के तहत, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, सभातः—

(1) श्री गुलशन कुमार पुत्र गुरदास मल,
सैण्ट्रल टाउन, फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बलवीर कौर पत्नी सुरजीत सिंह;
मोहल्ला खोजियां, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर सं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना द्वारा करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचने के लिए कार्रवाई कराया जाता है।

उक्त सम्पत्ति के बचने के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या दसबधी व्यक्तियों पर सूचना का तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निवेदन से किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 306 दिनांक मई, 1984 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा है।

जे० एल० गिरधर
सहायक प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जुन रॉज, जालन्धर

दिनांक : 13-11-1984

साहू/ड

प्रकाश आर्ज. टी. एच. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू०/3/एस-आर-2/4-84/1833—अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 22/53 है तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-धनी अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है कि मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण यह है कि किसी भाग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उक्तसे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा 1 के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

42—426GI/84

(1) श्री अनीत सिंह,
निवासी—मकान नं० 22,
रोड नं० 53, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) 1. श्री गोवर्धन लाल
2. श्री मोहन चढ़ा,
निवासी—मकान नं० 22, रोड नं० 53, पंजाबी
बाग, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० 22, रोड नं० 53, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

जी० एस० गोपाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 14-12-1984

सांहर :

प्रकृत आर्. टी. एन. ए. ए. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू०/1/एस-आर-3/-
4-84/1—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. में अधिक है

और जिसकी सं० एस-328, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई
दिल्ली में स्थित है (और इससे उभावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचना
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विनोद कुमार वन सुपुत्र श्री फकीर चन्द धवन,
निवासी—आर-47, ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती निरूपमा जैन पत्नी श्री अशोक जैन,
निवासी—ई-207, ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बायोपे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्रो० न० प्लेट न० एस-328. तादादी 300 वर्गज, ग्रेटर
कैलाश-2, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 4-12-1984

मोहर :

प्रकृत धारा टी.एन.एड.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/4-
84/12—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम डेरा मण्डी, महरीली,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-
रिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) बन्धुत्व के द्वारा किसी धन को वापस, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के बन्धुत्व के
व्यतिरिक्त में कमी करने या इससे बचने के सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी धन या किसी धन या अन्य भास्त्रियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा
के लिए;

अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अपूर्ण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री किशन लाल सुपुत्र श्री मवसाी,
निवासी—ग्राम—डेरा मण्डी, महरीली, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)
- (2) श्री सतीश कुमार गुलाटी सुपुत्र श्री सत्य पाल गुलाटी
निवासी—मंडी—26, नारायण विहार, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास
निहित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्र० नं० कृषि भूमि तावादी खसरा नं० 44/8(4-16)
ग्राम—डेरा मण्डी, तहसील—महरीली, नई दिल्ली, 4-बीघा 16
बियवे ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 27-11-1984

साक्षर ।

भारत का राजपत्र, जनवरी 26, 1985

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस०-आर-3/ 4-84/13—अतः मुझे, सुधीर चन्ना,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है, तथा जो ग्राम डेरा मण्डी, महारौली, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कांक्षित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुए किसी भाग की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वापस में कमी करने या उक्त वर्णन में सूचना के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य वास्तवों के, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था जिनमें से सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

- (1) श्री किशन लाल सुपुत्र श्री मवासी।
निवासी—ग्राम-डेरा मण्डी, महारौली, नई दिल्ली।
(अन्तरक)
- (2) श्री सतीश कुमार गुलाटी सुपुत्र श्री सत्य पाल गुलाटी,
निवासी-डी-26, नरायण विहार, नई दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्य :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

संपूर्ण

प्रो० न० कृषि भूमि तादादी 3 बिघे और 12 बिघे,
खसरा न० 44/7 (3-12), ग्राम-डेरा मण्डी, तहसील-महारौली,
नई दिल्ली।

सुधीर चन्ना

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 27-11-1984

सोहर ३

ब्रह्म माई. टी. एन. एस. ----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

राज्य सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रेज, - 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश स० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस०-आर-3/4-84/14—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिनकी स० कृषि भूमि है, तथा जो ग्राम डेरा मण्डी, महरोली नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उच्चतम बचने में हानि का कारण; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या ~~भायकर अधिनियम 1957 (1957 का 27)~~ के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में हानि का कारण;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री किशन लाल सुपुत्र श्री मवासी, निवासी—ग्राम डेरा मण्डी, महरोली, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री सतेश कुमार गुलाटी, सुपुत्र श्री नयपाल गुलाटी निवासी—डॉ-26, नारायण विहार, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अर्थात् स्थावर के नाम लिखित में किया जा सके;

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी खमरा न० 44/3 मिन (3-0), ग्राम-डेरा मण्डी, तहसील-महरोली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन रेज-1, दिल्ली, नई दिल्ली

दिनांक 27-11-1984

मोहर .

रूप प्राई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

साहचर चन्द्रा

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/4-

84/20—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ई-464 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली,
में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल,
1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीमें) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में
शास्त्विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उल्लेख न करने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० कैपीटल बिल्डर्स,
एच-39, ग्रोन पार्क, एकसटेशन, नई दिल्ली,
द्वारा भागीदार जसपाल सिंह मार्वाह और श्रीमती
चन्दा अरंडा ।

(अन्तरक)

(2) श्री आर० के० मलिक सुपुत्र श्री प्रेम नाथ मलिक,
निवासी—ई-73, लाजपत नगर,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहत्याक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

पीछे का स्वीकृत भाग पहली मंजिल, प्रो० नं० ई-464,
ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादावी 850 वर्ग फीट ।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 12-12-1984

मोहर :

प्रकृत नाम .टी.ए.ए.ए.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/4-84/21—अन: मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे धरोरे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिमकी सं० एम-41 है तथा जो मेन मार्केट, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर हममें उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अद्यतन प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अद्यतन प्रतिफल से, ऐसे अद्यतन प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से क्रियत नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अनुरोध को राजस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा को किए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुरोध में, मैं उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती चन्द्रा कान्ता पत्नी श्री सी० एल० गुप्ता, निवासो—सी-2, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली, ।

(अन्तरक)

(2) श्री नन्द किशोर मलिक और हरीश मलिक, निवासो—बी-1/55, मालवीय नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

ये यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्तन के निम्न क्रयवाहियों शुरू करता हूँ ॥

उक्त सम्पत्ति के बर्तन से सम्बन्ध में कोई भी बाकायें —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उसके अन्तर्धी व्यक्ति को सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि तक स्थावर सम्पत्ति में हितवस्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अग्रहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अन्तर्की

प्रो० नं० एम-41, मेन मार्केट, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, तादादी 196 वर्गगज ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एम-आर-3/4-84/25—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनका सं० एम-387 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इसमें उपावृद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार कर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बढ़ने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) ए० डी० ननेजा,
निवासी—एम-387 ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जयनक्षमी श्रीनिवासन ।
निवासी—पहला मंजिल एम-455 ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली -18 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधा :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पात्र लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनसूची

प्रो० नं० इण्टायर पहली मंजिल श्रीर मैजिनिन सर्वेण्ट रुत
तथा पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के जिना वाली भाग, एम-
387 ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली, नादादी 300 वर्ग गज ।

सुधीर चन्द्रा

गक्षम प्राधिकारी

महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 27-11-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/4-84/

28—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० ई०-464 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई
दिल्ली में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अर्थिक अधिकारी के कार्यालय,
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम
1961 के अधीन तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ए० दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अंतरिती
(अंतरितीयों) के बीच उसे, अंतरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिये;
और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सूविधा
के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
43—426GI/84

(1) मै० कैपिटल विल्डर्स, एच-39, ग्रीन पार्क एक्स-
टेशन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती पद्मा अरोड़ा, पति श्री के० अर० अरोड़ा,
निवासी एल-83, मालवीय नगर, नई दिल्ली,
श्रीमती सरोज मोंगा पति श्री एम० आर०
मोंगा, निवासी एफ-6/4, मालवीय नगर, नई
दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाठ
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० ई-464, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादादी
450 वर्गफिट।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली

दिनांक : 12-12-1984

मोहर ३

प्ररूप आई. टी. एन. एम. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/1/एग० आर०-3/4-84/

30—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या एस-285 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-3, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रारकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितीया) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-अन्तर अधिनियम, 1977 (1977 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सुखवन्त कौर पत्नि ले० करनल दलजी त सिंह और एस० गुग्गिन्दर सिंह सुपुत्र ले० करन दलजित सिंह निवासी-67 डिफेंस कालोनी, जलन्धर।

(अन्तरक)

(2) मै० तेज प्रोपटीज प्रा० लि० 22-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली द्वारा डाइरेक्ट र एस० तेजवन्त सिंह

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० एम-285, तादादी 307 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन रेंज-1, नई दिल्ली।

दिनांक : 27-11-84

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/4-84/35--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ई-298 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल, 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री धरमवीर असरो, श्री बनिता असरी, श्री अशोक असरी, निवासी जे-33 राजौरी गाँव, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) श्री बिमल चन्द्र सेन, श्रीमती कल्याणी सेन, श्री सुरजीत सेन, निवासी मकान नं० 4405, 5-दरिया गंज, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पात्र लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

सुधीर चन्द्रा

प्रो० नं० ई-398, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादादी 3150 वर्गफीट।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 27-11-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एन.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/

4-84/57—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या आर०-265 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्यमान प्रतिफल से, ऐसे द्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० पी० बोहरा, निवासी आर०-265 (ग्राउण्ड प्लोर) ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) डा० प्राणनाथ श्रीर डा० (श्रीमती) नीलम प्राण नाथ, निवासी 5837 सदर थाना रोड, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० आर०-265 (पहली मंजिल) ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 27-11-84

माहूर

प्रकृत बाह्य-टी.एन.एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/1/एस०आर -3/4-84/
62—अत मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ग के अधीन सभ्य प्राधिकारी को, यह विद्वान करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० 5/26,5/26-ग है तथा जो विक्रम विहार लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है (गौर धम्म उपायद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप में वर्णित है), अर्जेंट कर्ता अधिकार के कार्यालय, दिल्ली में भारतिय राजस्व करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तार ख अर्जेंट, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और यहाँ यह विद्वान करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक रूप में कथित करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपावे में सुविधा के लिए;

(1) श्री बलराज तलवार सुपुत्र श्री बलराम तलवार, तलवार, निवामी-3-ज्ञान कालोनी, पटियाला, कैलाश चन्द्र तलवार एलीयम कैलाश तलवार, श्रीमती कंबल मोहिनी सुपुत्र श्री डी० आर० तलवार, द्वारा अटार्नी श्री के० सी० तलवार सुपुत्र श्री डी० आर० तलवार, निवामी-129-बो, माडल टाउन, करनाल, रमेश तलवार, सुपुत्र श्री डी० आर० तलवार, आर० के० तलवार, सुपुत्र श्री डी० आर० तलवार, निवासी-1239 सेक्टर 34-सी० चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री दिवान चन्द्र चन्दा सुपुत्र श्री जिन्दा राम चन्दा, निवासी-10/61, विक्रम विहार, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० 5/26 और 5/26-ए०, न्यू डबल स्टोरी,
विक्रम विहार, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली, तावादी
123.66 वर्गगज।

सुधीर चन्द्रा
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-1 दिल्ली,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा :—

दिनांक : 10-12-1984

माहूर :

इसके माह. टी. एन. एच. - - - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई ए०सी०/एक्यू०/1/एम० आर०-3/
4-84/71—अत. मुझे, सुधीर चन्द्रा,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु से अधिक है

और जिसकी सं० एन०-38 है तथा जो जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली, में स्थित (और इसमें उपावृद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कोषित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय को वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 54 धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनसंरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्री जगदीश राम, द्वारा जी० ए० श्री राज कुमार निवासी 25-जंगपुरा मार्किट, नई दिल्ली L (अन्तरक)

(2) श्री उग्रसेन एण्ड सुभाष चन्द, निवासी-5897 गली सिकली गारन नवो करीम, दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वादों :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहेस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० एन०-3जी, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली,
ताशदी 100 वर्ग गज

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली

दिनांक: 27-11-1984

माहुर ०

प्ररूप बाह्य. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस०आर०-3/4-
84/72—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसके इससे पहले इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकार का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० ई-15, है तथा जो कैलाश कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (छोटा इगमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 84

के पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व को कमी करने या उक्त बचत में सूविधा के लिए; और/या

(ख) किसी क्रमों आय या क्रमों धन या अन्य आभित्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने से सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, द्वारा :—

(1) श्रीमता बसन्तो बनर्जी पति स्व० एस० बनर्जी निवासी-ई०-15, कैलाश, कालोनी, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) श्री अरुण मिन्नाल यामुंदार मै० पाण्डाइज होम विल्डर्म, मुमुज श्री श्री० बी० मिन्नाल, निवासी ई-18, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

के यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षव के लिए कार्यवाहियां करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्षव के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा.

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्याख्याकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

जम्मा

प्रो० न० ई-15, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली, तादादी
150 वर्ग गज।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली।

दिनांक : 10-12-1984
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई ए०सी०/एक्यू०/1/एम० आर०-3/4-84/

83—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसकी पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु में अधिक है

और जिसकी सं० ई-351, है तथा जो प्लेट नं० 5, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रारकी अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अंतरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई, किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन कर देना न हो सके, द्वारा प्रकट नहीं किया गया है या जिसे जाना चाहिए था, डिपॉजिट में रखने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती लीला मित्तल पत्नी श्री वी० बी० मित्तल, निवासी ई-13, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, में पाणाडाज हाथ विलडम के भागेदार, द्वारा श्री अम्बु मित्तल।

(अन्तरक)

(2) श्री अरुण प्रताप सिंह सुपुत्र श्री अमर प्रताप सिंह निवासी-227, राजपुर रोड, देहरादून (यू० पी०) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही कराया जाएगा।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

ध्यायीकरण. — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट नं० 5, प्रो० नं० ई-351, तादादी 35 वर्गगज
ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली

दिनांक. 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/1/एम० आर०-3/4-84/
104—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनके सं० ए-13, है तथा जो कैलाश कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाब्ध अनुसूच. में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकार, के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को परिष्कृत प्रकृति करने या उसमें वृद्धि में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहेगा था, धियान में सम्पत्ति के लिए

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन:—

44—426 GI/84

(1) मै० कल्याण (ज' इन्टरप्राइजेज, ए-13, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली, भागोदार श्री कल्याण दास महन्त सुपुत्र श्री एम० डी० महन्त, श्रीर श्रीमती अशुक्लवा महन्त पत्नी श्री कल्याण दास महन्त महन्त निवासी ए-13, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) डा० हरपाल सिद्ध आहलवालिया सुपुत्र श्री एम० एम० अहलवालिया, निवासी-3 कम्प्लेक्स मेन्टर इस्ट ऑफ हैलाश नई दिल्ली। (अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अपील:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन का अर्थात् या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 104, पहली मंजिल का भाग प्रो० नं० ए-13, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली, तादाम्नी।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली।

दिनांक: 27-11-1984

मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
ग्रजम रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर, 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/एक्यू०/1/एस०आर-3/4-4/84

112--अतः मझे, सुधीर चन्ना,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० एस०-440, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 84

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में आन्तरिक
रूप में अधिस्त नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी मात्र की वास्तव, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
सांभल में कमी करने या उक्त बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी मात्र या किसी धन या अन्य वास्तवियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री जगपत सिंह चौहान सुपुत्र श्री मनि लाल चौहान
निवासी 9-सारीफोर्ट रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० दीपमाला मेनकैचरिंग एण्ड इन्वैस्टमेंट लि०
16-इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता, द्वारा
डाइरेक्टर श्रीमती लीला सितानी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० एस-440 तादादी 550 वर्गगज, ग्रेटर कैलाश-
2, नई दिल्ली।

सुधीर चन्ना
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
ग्रजम रेंज-1, दिल्ली।

दिनांक : 27-11-1984

मोहर :

प्ररूप माह. टी. एन. एस. -----

भाषान्तर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

भाषान्तर, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस०आर०-3/4-

84/113—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सूक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस०-254 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली से भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तरियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जा रहा था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्रीमती कृष्णा अनेजा, निवासी-5 आराकशां रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० भाटिया अपार्टमेंट प्रा० लि० ए०/18, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विद्यमान है।

अनुसूची

प्रो० नं० एस-254, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।
तादासी, 299 वर्गगज।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-1, नई दिल्ली।

दिनांक : 10-12-1984
मोहर :

रूप आई. टी. एन. एड. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज-1, नई दिल्ली,

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस०आर०-3/4-84/
119—अतः मुझे, मुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य

25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० 5-सी, है तथा जो प्रेम हाउस कनाट प्लेस,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में,
पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
16) के अधीन, अप्रैल 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाधते, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया
के अन्तर्गत् भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत्
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० जोगिन्दर सिंह संघु सुपुत्र सुपुत्र राय बहादुर
एस० बसाखा सिंह निवासी ई-10-ए, डिफेंस
कालोनी, नई दिल्ली, वह स्वयं और कर्ता तथा
मैनेज्ड (एच० यू० एफ०), द्वारा अटार्नी श्रीमती
गुरुप्रमत् कौर आहलुवासिया।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शारदा सरौन पति श्री अनिल सरौन,
निवासी-28 सिरी राम रोड, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के नाम
लिखित में किए जा सकेंगे;

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

मुधीर

मोप-प्रो० नं० 5-सी० प्रेम हाउस, कनाट प्लेस, नई
दिल्ली, तादादी 650 वर्गफिट।

मुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 4-12-1984

मोहर :

अरूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस०आर०-3/4-84/

120—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिससे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 4-सी है तथा जो प्रेम हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में नास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) एस० जोगिन्दर सिंह संधु सुपुत्र राय बहादुर एस० बसाखा सिंह, निवासी, ई-10-ए. डिफेंस कालोनी नई दिल्ली, वह स्वयं और कर्ता तथा मैनेजर (एच० यू० एफ०), द्वारा अटार्नी श्रीमती गुरभ्रमृत कौर ब्राह्मलुवालिया।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शारदा सरीन पति श्री अनिल सरीन, निवासी—2-सिरी फोर्टे राम रोड, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आप नं० 4-सी, तादावी 611 वर्गफिट, प्रेम हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 4-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एम. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/एस०आर.-3/4-84/

124—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 23 है तथा जो हनुमान रोड, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16); के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा एकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए ता, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कलावती देवी, निवासी 23-हनुमान रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० विलबाग बिल्डर्स प्रा० लि०, 27-13, शक्ति नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती) ;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

सन्तुष्ट

प्र० न० 23, हनुमान रोड, नई दिल्ली, तादाकी-
451.44 वर्गगज।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक: 12-12-1984

मोहर :

प्रश्न नम्बर. डी. एन. एन. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/
4-84/125—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० एम 186 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दायमान प्रतिफल से ऐसे दायमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से करिबत नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की वास्त, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य जास्तियों
का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मदन मोहन चौपड़ा और
श्री श्याम लाल चौपड़ा,
निवासी एस-30,
ग्रोन पार्क,
नई दिल्ली-16 ।

(अन्तरक)

(2) मै० मोहन बिल्डर्स,
द्वारा भागीदार श्री मोहन सिंह,
निवासी 52/42,
पंजाबी बाग,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

प्रापटी नं० प्लॉट नं० एम-186, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली,
तादायी 300/वर्ग गज ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 27-11-1984
मोहर :

प्रकल्प आई.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एम० आर-3/
4-84/69-अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 201/ई-484 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरित
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की भावत, आयकर
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरित ह्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः भाव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री हरविन्दर सिंह
निवासी-12,
रीगल बिल्डिंग,
नई दिल्ली। (अन्तरक)
- (2) श्री बी० आर० कपूरिया और
श्रीमती बीना कपूरिया,
निवासी ई-484/201,
ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली। (अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

सुधीर चन्द्रा

फ्लैट न० 201, ग्राउन्ड फ्लोर, तादादी 1250 वर्ग
फीट, बिल्डिंग ई-484 ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 13-12-1984
मोहर :

प्रकृत आर. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37 ईई०/4-84/
740—अतः मुझे, सुधीर चन्दा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि उभावकर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 72-ए है तथा जो पाकेट ए-14, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली, में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पर्याप्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य का उचित प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के संख्या प्रतिपात से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
45—426 G1/84

(1) श्री सुखिन्दर सिंह बगई,
निवासी 10-आइरिज,
कफा परेड,
बम्बई-5।

(अन्तकर)

(2) श्री रेशम लाल,
निवासी जी-328,
मधन गीर,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी वाक्ये :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त उभावकर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्यख्याकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 72-ए, ग्राउण्ड फ्लोर, पाकेट ए-14, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली, तादासी 80 वर्ग मीटर।

सुधीर चन्दा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 12-12-1984

मोहर :

प्ररूप, आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई०/4-84/

742—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका मूल्य बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनकी सं० 7/92 है तथा जो दीपाली, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन
रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन,
तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और यहाँ यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और
अन्तरिणी (अन्तरिणीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
संश्लेषित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर धरने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करना या उसमें बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रावधानों
अन्तर्गत द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोहन सिंह सुपुन

श्री गण्डा मल,
निवासी ई-33,
ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० एस० वि० एस० अपार्टमेंट,

105 मधुवन,
55, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाह्य में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

सुधीर चन्द्रा

प्रापटी न० 7, ग्राउन्ड फ्लोर, 92 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली,
ता.दा.दा-213.75 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37 ईई०/4-84/

748—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० अपर ग्राउन्ड /22 है तथा जो बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसका दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का वादत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, के धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स स्कीपर सेल्स प्रा० लि०,
स्कीपर भवन,
22, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री विजय छिब्बर सुपुत्र
श्री के० बी० छिब्बर,
निवासी ए-8/25,
राणा प्रताप बाग,
दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को लामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रकट या उक्त और पत्रों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहाँ अर्ज होंगे, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्राप्टी नं० अपर ग्राउन्ड फ्लोर 22, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली, तादादी 325 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख 10-12-1984

मोहर :

प्रख्य भाई.टी.एन्.ए.ए.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० नो०/एक्यू०/1/ 37 ईई०/4-84/
749—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 302 है तथा जो 22 बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के
अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए,
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना जाना चाहिए था, लिखित में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मेर बहादुर शाहपुरी,
निवासी ए-5,
पम्पोशा, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) मै० दिव्या इण्डस्ट्रीज,
503, अशोका इस्टेट,
24, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

प्रापटी न० 302, ताबादी 550 वर्ग फीट, 22, बारा-
खम्बा रोड नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 10-12-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सा०/एक्यू०/1/37ईई/4-84/8/

750—अत. मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'निरक्ष अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 301/22 है तथा जो बाराखम्बा रोड नई दिल्ली में स्थित है (और इनमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्वकार्ता प्राधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली, में आयकर अधिनियम 1961, के अधीन तारीख अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक कर से उचित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई छिपी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन करवहन के अन्तरक के वास्तविक से कम करवहन या सबसे बचन में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री बनजीन सिंह शाहपुरिया

निवासी ए-5,
पम्पोश, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मैं० दोनानाथ, पेंट्स

ग्राइटेड लिमिटेड
502, अशोक इस्टेट,
24 बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां की जा हों।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन में अन्तरक में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह्य में समाप्त होगी है, के भीतर उक्त सम्पत्ति के अर्जन में किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापटी नं० 301, ताबादो 750 वर्ग फीट, 22 बारा-
खम्बा रोड, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

भाष्यकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37 ईई०/4-84/752—अत मुझे, सुधीर चन्द्रा,

भाष्यकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का अंतरण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० 1008 है तथा जो 6-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपायय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1984 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क में वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्ग में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० इस्ट इण्डिया कमर्शियल क० प्राइवेट लिमिटेड,
11-वीं मंजिल,
न्यू दिल्ली हाऊस,
27-बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री रवि शंकर सुपुत्र
श्री चरनजी लाल,
निवासी-16 लिक रोड,
जगपुरा एक्जटेशन
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सन्दीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आफिस फ्लैट नं० 1008, ताबादी 440 वर्ग फीट नगभग,
10-वीं मंजिल, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 10-12-1984

माहुर :

प्रारूप आई. टी. एन. ए. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/ 37 ईई०/4-84/
758—प्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० जी-5/59 है तथा जो शकुन्तला अपार्टमेंट
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृत्त अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय
अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के
अधीन तारीख अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण निश्चित
में वास्तविक रूप में कीमत नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की वसूल, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) किसी किसी दाय या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

(1) मै० आरु इण्डिया तार प्रोडक्ट्स,
138-ए, गोलफ लिंक,
दूसरी मंजिल,
नई दिल्ली और
श्री प्रहलाद सिंह मुलखराज,
1754/129,
जी नगर,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री कुलवन्त सिंह सुपुत्र
श्री एस० अर्जुन सिंह,
निवासी-4 अण्डर हिल लेन,
सिबिल लाइन,
दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

सुधीर चन्द्रा

शाप नं० जी-5, ग्राउन्ड फ्लोर, ताघादी 325 वर्ग फीट,
59-शकुन्तला अपार्टमेंट्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 10-12-1984
माहुर :

प्राप्त आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37 ईई०/4-84/760—प्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें हमने पहले पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका लिखित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० यू० बी०-3 है तथा जो 22-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और हमसे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) गजस्ट्रीकारा अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति पर उचित बाजार मूल्य से अधिक दरमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और उनके यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दरमान प्रतिफल से ऐसे दरमान प्रतिफल के कम्प्लेक्स प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रबोधनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्णित :—

(1) श्री डी० सी० गुप्ता
(एच० यू० एफ०)
एस-356 ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० के० गुप्ता,
निवासी-इक्यू० 56,
ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30-दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्टोर स्पेस नं० यू० बी०-3, सादावी 580 वर्ग फीट,
प्लॉट नं० 22, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू०/एस०आर०-3/7-84

444—अतः मुझे सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ई-52 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली
में स्थित है (और इससे उपाययुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारों के कार्यालय अर्जन रेंज-1,
नई दिल्ली में रजिस्ट्रार/करण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधीन, जुलाई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बहुत प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
नाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

46—426 GI/84

(1) श्रीमती इशर कौर पत्नी
स्व० एस० मोहन सिंह,
निवासी ई-52,
ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती चन्दर कला देवी भगारिया
2. श्री शिव भगवान गगारिया
निवासी-117,
चित्तंरंजन एवन्पू,
कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

इसके सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधाएं:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो की
अवधि बाद में समाप्त होती है; के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्रो० न० ई-52 ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली तादादी
2250 वर्ग टोट (प्लॉट तादादी 532 वर्ग गज)।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

तारीख : 2-1-85

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 10 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/
5-84/433—अतः, मुझे, सुधीर चन्दा,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ई-101 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम की दरमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दरमान प्रतिफल से ऐसे रूपान प्रतिफल का मूल्य प्रतिफल से अधिक है और अन्तरण (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाया जाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) कुमारो विनो जैन
निवासी के-41
हौस खास इनक्लेव
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मे० पाल एण्ड पाल बिल्डर्स लि०
12 रोगल बिल्डिंग
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रायटी नं० ई-101 तादावी 353.5 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

सुधीर चन्दा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

तारीख : 10-1-1985

मोहर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एल.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/
5-84/311—अतः, मुझे, सुधीर चन्ना,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

सं० एम-2 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली
में स्थित है (और इसे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वागत है) रजिस्ट्रार अधीकारों के कार्यालय, दिल्ली में
रजिस्ट्रार अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवहार
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके व्यवहार प्रतिफल से ऐसे व्यवहार प्रतिफल के
एक प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरित
(अन्तरितियों) के बोध ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण निश्चित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुआ किसी भाग की सम्पत्ति, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
बाधित में कमी करने या उसके बचने के विधि के
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविक
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकृत नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के
विधि के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब को उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मनजोत सिंह,
निवासी एम 103,
ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री बी० संजय बंसल
निवासी बी-15
ग्रेटर कैलाश-1
नई दिल्ली।

(अन्तरितियों)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सूचना के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्याख्याकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट एम-2 तादावी 195 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-2
(मार्केट), नई दिल्ली।

सुधीर चन्ना
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख: 7-1-1985

माहूर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस. - 1985

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/5-
84/295—अतः, मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ए-34 है तथा जो कालकाजी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए हय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के आयिन्व में कमी करने या उक्त अन्तरण में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिय को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रमोदनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री मोहनलाल डावरीवाल
8 डाक्टर लेन गोल मार्केट, नई दिल्ली।
(अन्तरक)
- (2) मै० सी० आई० पी० प्रोवर्टी एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि० 16-इन्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1,
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के नाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० ए-34, कालकाजी नई दिल्ली, तावादी 867
अर्ग गज।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 7-1-1985
मोहर :

इसका धारा 20, 1985

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस०-आर-3/5-84/282-अः मुझे, सुधीर चन्दा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एफ-44, है तथा जो ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उगावट अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1984

की पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम में उद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का पक्ष प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया है कि निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण क्रियार्थक रूप से अधिनियम में अधिनियमित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरक से हुई किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहे, उचित रूप से सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री रत्नसिंह सुपुत्र एस० मकखसिंह निवासी-एफ-38, पाकेट 'एल' शेख सराय नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री नरेश जुनेजा सुपुत्र श्री भीम सैन जुनेजा, निवासी-11 नेशनल पार्क, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त संपत्ति के बचन के लिए आवश्यकता है।

उक्त सम्पत्ति के बचन के सम्बन्ध में कोई भी बाधा :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उक्त अवधि व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो की अवधि का अधिकतम होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों को से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर संपत्ति में हितवन्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपवादपूर्वक के पक्ष लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० एक०-44, ईस्ट ओफ कैलाश, नई दिल्ली, तादावी 450 बंगज ।

सुधीर चन्दा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 7-1-1985

मोहर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एन.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आर्. टी. एन. सी०/एक्य०1/एस०-आर-3/5-84/276-अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन लक्ष्य प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जितकी सं० एम-169, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इसके उनाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्गीकृत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल ले लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक निम्नलिखित नै वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुरोध में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्रीमती कामिनी सोधी पत्नी श्री एम० एन० सोधी निवासी-सी-480 डिफेंस कालोनी, मई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) मै० भाटिया अपार्टमेंट- ए-18, कैलास कालोनी नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्धु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2/3 भाग प्रो० नं० एम-169, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादाद 40 वर्गगज

सुधीर चन्द्रा

सहायक प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/एस-आर-3/5-

84/256—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
₹. से अधिक है

और जिसको स० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम जोनापुर, महरोली,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उदात्त अनुसूची में पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में
भारतीय रजिस्ट्रारकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधीन, दिनांक मई-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
रखा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) आइचर गुडीयर्थ लि०.
दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)
- (2) श्री करन वीर सिंह अतवाल सुपुत्र श्री जी० एस०
अतवाल,
निवासी—ए-14, निति बाग, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए
कार्यवाह्यां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जांच :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में कि-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के
बास लिखित में किए जा सकें।

समाप्तीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और शर्तों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिए
गये हैं।

अनुसूची

कृषि भूमि तादाद 13 बिघे और 8 बिघे, एम० न० 16,
किला न० 12/1(3-0), 9(4-16), 2/1(2-8), 1 मिन
(1-12), 10-मिन (1-12), ग्राम—जोनापुर, सहस्राल-
महरोली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 10-1-1985

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/5-

84/265—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
'69-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

घोर जितकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-जौनापुर, महरोली,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में
रजिस्ट्रारकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, दिनांक मई 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) बीड
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अंतरण से हुई किसी भाग की भावना, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण
की, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा [1]
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) मै० हावर कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०
28-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा
डाइरेक्टर श्री अशोक वर्मा
(अन्तरक)
- (2) एस० करणवीर सिंह अतवाल
सुपुत्र श्री एस० एस० अतवाल,
निवासी—ए-14, निति बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो अर्ज
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

सुधीर चन्द्रा

कृषि भूमि तावाधी मुस्तातील सं० 16, किला सं० 14/1
(4-0), 13 (4-16), 12/2(1-16), ग्राम जौनापुर,
तहसील—महरोली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, I—नई दिल्ली-110002

दिनांक : 10-1-1985
मोहर :

प्रकृत्य भा. टी. एन. एस. —————

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1; नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू० 1/एस-आर-3/5-

84/260—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-जौनापुर, महारौली नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई-1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार कर में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

47—426 GI/84

(1) आइचर गुडीयर्थ लि०
दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्री रणजीत सिंह अतवाल सुपुत्र श्री एस० एस० अतवाल,
निवासी—ए-14, निति बाग,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 4 फीठे और 16 दिशवे, नुस्तालील नं० 102 किला नं० 25 ग्राम-जौनापुर, तहसील-महारौली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I दिल्ली, नई दिल्ली-

दिनांक : 10-1-1985

मोहर :

प्रकृत आई. टी. एन. एन. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985

निर्देश नं० आई० ए, सी० एफ्यू० 1 एस-आर-3/5-

84/257-अतः मुझे, सुधीर चन्ना,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे हमने इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम जोनापुर, नई दिल्ली में स्थित है (और हमने उपावृद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के क्षत्रिक में कमी करने या उसमें बचत का प्रविधा के लिए और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था किमाने में सुविधा के लिए

(1) में० आइचर गुडीअर्थ लि०
दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री रणजीत सिंह अतवाल सुपुत्र श्री एस० एस०
अतवाल

निवासी—ए-14, निति बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 10 बिघे और 4 बिघे, मुस्तातील नं० 15, किला नं० 15 (4-9), 16(4-16), मुस्तातील नं० 16, किला नं० 20 मिन (3-10), 21 मिन (4-3) 22 मिन (2-6), ग्राम जोनापुर तहसील महरोली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्ना

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-न के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 10-1-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एम० 1 एस० आर०-3/5-

84/258—अतः, सुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जौनापुर, महरोली, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) आइचर गुडीयर्थ लि०
दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री एस० एस० अतवाल सुपुत्र श्री जी० एस० अतवाल श्रीमती गुरप्रीत कौर पत्नी श्री एस० एस० अतवाल, नियासी—ए-14, निरति बाग,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 4 बिघे और 16 बिघे, एम० नं० 16/ किला नं० 11/1(2-8), 11/2(0-14), 11/3(1-14), ग्राम—जौनापुर, तहसील—महरोली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 10-1-1985

मोहर :

प्रकृ. नम्बर. दो. एन. एच.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985

निवेश सं० आई० ए० सी० एच० 1 एस०-आर०-3/5-
84/259-अतः मुझे, सुधीर चन्ना,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-जौनापुर, महरोली,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाब्ध अनुसूची में पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को
दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा
के लिए,

उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैं आइचर गुडीयर्थ लि०
दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री एस० एस० अतवाल सुपुत्र श्री जी० एस० अतवाल
श्रीर श्रीमती गुरप्रीत कौर पत्नी श्री एस० एस०
अतवाल,
निवासी—ए-14, निति बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विद्यमान
हैं।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी, 20 बिघे और 8 बिघे, मुस्तालीम
नं० 15, किला नं० 5 (4-16), 6 (4-16), 15 मिन (0-7),
मुस्तालीम नं० 16, किला नं० 1 मिन (3-4), 10 मिन
(3-4), 20 मिन (1-6), 21 मिन (0-8), 22 (2-),
ग्राम-जौनापुर, तहसील-महरोली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्ना

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 10-1-85

मोहर :

ब्रह्म बाई. टी. एन. एच. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नयी दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी० एफ्यू० 1 एस-आर-3/5-

84/228—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीरजिस्की सं० एम-169 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उनाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की व्यवहार प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दायमान प्रतिफल से, ऐसे दायमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी लाभ की वास्तविक, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के अतिरिक्त में कमी करने या उसके बचने से सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी लाभ या किसी धन या अन्य वास्तविकता को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथावत् :-

(1) मे० भाटिया अपार्टमेंट ए/18, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली, द्वारा भागीदार श्री एन० के० भाटिया सुपुत्र श्री वी० आर० भाटिया

(अन्तरक)

(2) श्रीमती वसुधा जैन पत्नी श्री शशी प्रसाद जैन, निवासी--18-जमुना रोड, दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के विधि कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि यावत् समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्यष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिये गये हैं।

जनसूची

दूसरी मंजिल पी० नं० एम-169, 1/3 भाग भूमि तादावी
400 वर्गगज, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन मचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/5-

84/211—अत मुजे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम कपाशेडा, नई दिल्ली,
में स्थित है (और इनमें उभावद्ध अनुसूचा में पूर्व रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती
(अंतरितीया) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के
हायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया गया था किन्तु उक्त अधिनियम के अधीन
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री रामधन,
निवासी—ग्राम -कपाशेडा, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)
- (2) एस० एल० एस० अबलक, लोहाना सिंह अबलक,
द्वारा अटार्नी श्री कुपाल सिंह ।
निवासी—70-71, साउथ पटेल नगर,
नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
जयवाहिया शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
जिमी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के पास
लिखित में विवाद उत्पन्न करना।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 33 बिघे और 12 बिघे, ग्राम—कपाशेडा,
तहसील, महरोली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 8-1-1985

मोहर :

प्रमुख भाग: डी. एन. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एचयू०/1/एस-आर-3/5-

84/206—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 42-बी/21, है तथा जो हनुमान लेन, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई-1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि दशापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मूविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मूविधा के लिए;

(1) श्रीमती कलावती पत्नी स्व० जय नारायण, निवासी—सी-152 जनकपुरी, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० डी० के० जी० फाइनान्स फण्ड चिट फण्ड प्रा० लि० जी-56-ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, द्वारा डायरेक्टर श्री के० जी० नैयर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के दर्शन के लिए कार्रवाई करना है।

उक्त सम्पत्ति के दर्शन के सम्बन्ध में कोई भी बाधाएँ :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधिहस्ताभरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

प्रतिसूची

मकान नं० 42-बी, प्लॉट नं० 21, ब्लॉक नं० 127, सादादी 180.05 बर्गगज, हनुमान लेन, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

2-1-1985

स्वरूप आई. टी. एन. एस. -----

नायक्य अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/5-84/

180—अतः मुझे, सुधीर चन्दा,

अध्यक्ष अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-गदाईपुर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धेन दिनांक मई 1984,

की पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या कथित जाना चाहिए था छिपाने में सूविधा के लिए;

- (1) श्री ईश्वर चन्द्र गादी सुनुत्र स्व० श्री मेघ राज गादी, निवासी—ई-151, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली। (अन्तरक)
- (2) वेद प्रकाश, राजिन्दर प्रकाश, श्री त्रीलोक चन्द, सुपुत्रगण श्री दया राम निवासी—ग्राम-गदाईपुर, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 24 बिघे और खसैरा नं० 456 (4-16), 457 (4-16), 458 (4-16), 459 (4-16), 460 (4-16), ट्यूब वेल, चहार दीवारी ग्राम-गदाईपुर, सहसूल-महरोली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्दा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

ध्यान दें, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार न, न, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक : 9-1-85

मोहय :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भाउद्व बरकाद

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/5-
84/179—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-बिजवाशन, मिहरोली नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी बाढ़ की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के द्वारा; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्रीमती सतीन्दरजित कौर रंधावा सुपुत्र श्री मेजर गुरबीर सिंह

निवासी—ग्राम-नवाब नगर, पो० दाराब,
जिला-नैनीताल, द्वारा अटार्नी लेफ० करनल जी०
एस० रंधावा,

(अन्तरक)

(2) अडवीद भु, श्रीमती कमला शर्मा और सुनिल भु.
निवासी-सी-23, साउथ एक्सटेशन-2,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 13 बिघे और 18 बघे, मुस्तातील नं० 57, किला नं० 20 (2-5), दक्षिणी भाग, 21(4-9), मुम्नातील नं० 58, किला नं० 25(4-16), 1/2 दक्षिणी भाग, 16(2-8), ग्राम बिजवाशन, तहसील-महरोली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई, दिल्ली-110002

दिनांक : 8-1-85

मोहर :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/5-

84/172—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आपके पत्राचार 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायी सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं नवाब अली, बिल्डिंग है तथा जो कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावह अनुसूचा में पूर्ण रूप से वर्णित है), राजस्वकार्यालयों के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय राजस्वकीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1984,

को पूर्णतः सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल की प्रतिक्रिया में अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्णतः सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुआ किसी धन की धारण, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के साथित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) परेशी क्रिया धन या किसी धन या अन्य आस्तियों से, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दिवान ऐलन, चमन लाल, नवीन प्रकाश लाल राहुल लाल, धाम लाल, मनजित कौर शामलाल साहनी, कृष्णा नन्दा, बीना राम लाल, द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) रनवेल इण्डिया प्रा० लि०
बी-54, कनाट प्लेस नई दिल्ली द्वारा,
मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री ओम प्रकाश।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्णतः सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायी सम्पत्ति में हितसम्बन्धी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयत्न बच्चा और पत्नी का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, नहीं अर्थात् हाजा जो उस अध्याय में दिया गया है।

धनसूची

प्रोपर्टी नवाब अली बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली तादावी
903 वर्गगज।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख 5-1-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 7 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/5-
84/170—अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसका सं० ई-8 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) में प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्रीमती निर्मला मल्होत्रा
निवासी—87 ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली ।
(अन्तरक)
- (2) श्री रविन्दर सिंह
निवासी—ई-8 ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० ई-8 ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली ।

मुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली नई दिल्ली-110002

दिनांक : 7-1-85

मोहर :

प्रकृत आर्.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/5-
84/169—अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ई-438 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वारत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जमा बाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

- (1) श्री आदित्य पंडित सुपुत्र श्री सी० एस० पंडित निवासी—एफ-32 ग्रीन पार्क नई दिल्ली ।
(अन्तरक)
- (2) श्री सूरज गोपलाना और श्रीमती देवी गोपलानी निवासी—ई-438 ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यानाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्याप्तीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और शब्दों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है; तथा इति।

मन्सुची

प्रॉ० नं० ई-438 ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली तादादी-
160 वर्गफीट ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली नई दिल्ली-110002

दिनांक : 7-1-85

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

निदेश म० राज०/महा० आ० अर्जन/2511—अतः मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी म० क्वार्टर न० 6 का भाग है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अथवा अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 3 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सुजाता पति श्री सुन्दरदास सिधी
5वां रोड सरदारपुरा जोधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री भगवानदाम महेश्वरी
नियोजन कार्यालय के सामने टूरट पोली ग्राउण्ड
जोधपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

मोहन सिंह

क्वार्टर न० 6 का भाग बी० रोड, सरदारपुरा, जोधपुर
जो उप पंजीबक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 947, दिनांक 3 अप्रैल
1984 पर पंजीबक विनियम पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित
है ।

मोहन सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जयपुर;

दिनांक . 14-12-1984

मोहर :

उक्त भाग, की. एन. एल. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० : राज० सहा० आ० अर्जन/2512—अतः मुझे,
मोहन सिंह

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु से अधिक है

और जिसको सं० क्वार्टर नं० 86 का भाग है तथा जो जोधपुर
में स्थित है (और इससे उपासक अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय जोधपुर में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिनियम दिनांक
8-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यात्मक
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यात्मक प्रतिफल से, ऐसे दृश्यात्मक प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित के वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की वास्तु, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वर्धित होने से कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
भाय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
को प्रयोज्यार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहीए था, छिपाने के
सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की अन्तरण
से, से, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती मुजाला पति श्री सुन्दरवास सिंधी
5वां नो रोड सरदारपुरा जोधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री विजय कुमार पुत्र श्री भगवानदास महेश्वरी
नियोजन कार्यालय के नामन पोली ग्राउण्ड फस्ट
जोधपुर ।

(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या उक्त संपत्ति के व्यक्तिगत सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवन्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाठ
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और शब्दों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

मोहन सिंह

क्वार्टर नं० 6 का भाग श्री रोड सरदारपुरा जोधपुर जो
उप पत्रिक जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 948 दिनांक 3 अप्रैल
1984 पर पत्रिक विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित
है ।

मोहन सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-12-1984
मोहन सिंह

प्रारूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० राज०/पत्रा० आ० अर्जन/2513--अतः मुझे,

मोहन सिंह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्यादर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु में अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और इसमें उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन, दिनांक 19-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिणी (अन्तरिणी) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की दायते, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा रकम नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बधाति :—

(1) श्री उदाराम पुत्र श्री बाजा राम कुम्हार,
वी व सा गड के बीच,
भरदारपुरा, जोधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री लालाधर पुत्र श्री कर्ममल जैन, बड़ेर हाउस,
तामरा सी रोड, भरदारपुरा, जोधपुर।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन का अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेम का कुआ के पास, पाल रोड पर स्थित जमीन जो उप-पंजीक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1067 दिनांक 19-4-84 पर पंजीकृत विक्रय पत्र में और विम्बुन रूप में विवरणित है।

मोहन सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 14-12-1984
मोहर .

रूप आई.टी.एन.ए. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जुन/2514--अतः मुझे,
मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और
इसमें उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 19 अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में नामनिर्दिष्ट रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी नाम की बावत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर वर्षोंके अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
क अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सूरजराज पुत्र श्री सम्परम मुख्तार आम
श्री राम लाल पुत्र श्री टीकमदास कुम्हार
निवामी बी व सी राड के बीच सरदारपुरा,
जोधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री लीलाधर पुत्र श्री करनमल जैन,
बडेर हाउस, तीवरा सी रोड, सरदारपुरा,
जोधपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम
लिखित में किया जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

मोहन सिंह

जमीन स्थित पाल रोड, खेम का कुआ के पास, जो उपपंजियक,
जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1068 दिनांक 19-4-84 पर पंजिबद्ध
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

मोहन सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, जयपुर

दिनांक : 11-12-1984

मोहन

प्ररूप माह.टी.एन.एत. : -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2515—अतः मुझे,
मोहन सिंह,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसके इससे
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18 अप्रैल 1984
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरको) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सब पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वास्तव में कमी कहने या उद्धृत करने में सुविधा
के बिना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या संप्रत्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
भय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः धन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

49—426 GI/84

(1) श्री सूरजराज पुत्र श्री सम्पतराम मुख्तार आम श्री
गमलाल पुत्र श्री टीकमदास कुम्हार,
बी व सी रोड के बीच सरदारपुरा,
जोधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री लीलाधर पुत्र श्री करनमल जैन,
बडेर हाउस, तीसरा सी रोड, जोधपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्रवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास
निहित में बिना जा सकेंगे ।

स्वीकारण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अन्वय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

खेम का कुआ के पास पाल रोड पर स्थित जमीन जो उप-
पंजियक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1069 दिनांक 18 अप्रैल,
1984 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित
है ।

मोहन सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-12-1984

मोहर :

प्रत्यक्ष बतर्, सी.एस.एस.(1) श्री राम निवास पुत्र श्री उदय किशन जी सोनी
महामन्दिर जोधपुर ।

(अन्तरक)

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
भारा 269-ब (1) की अधीन सूचना(2) श्रीमती कमला पति श्री हरि प्रमाद जी चौधरी,
वैद्य, रामा की प्याउ के पास,
महामन्दिर, जोधपुर ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

निदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2516—अतः मुझे,
मोहन सिंह,भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा
269-ब के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक हैऔर जिसकी सं० प्लॉट नं० 7 है तथा जो जोधपुर में स्थित है
(और इससे उपाय अगुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 5
अप्रैल, 1984,को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवहार
प्रतिफल के लिए अंतर्गत की गई है और मुझे यह विस्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके व्यवहार प्रतिफल से, ऐसे व्यवहार प्रतिफल का
परिचय प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती
(अंतरितियों के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है:—(क) व्यवहार से हुए किसी भाव की वास्तु, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के व्यवहार के
विवरण से कभी कभी वा उक्त व्यवहार में सुविधा
की जाए; नष्ट/बा(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तुओं
को, जिन्हें भारतीय भाव-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधाको यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशय :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि काद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवश
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पत्र
लिखित में किए जा सकेंगे।स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 7, महामन्दिर, रामा की प्याउ, के पास, जोधपुर
जो उप-पंजीयक, जोधुर द्वारा क्रम संख्या 975 दिनांक 5 अप्रैल
1984 पर पंजीयक विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित
है ।मोहन सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुरअतः अब उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-ब की उपभारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् 2—

दिनांक : 14-12-1984

मोहर :

रक्षण प्राई, टी, एन. एस.

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जुन/2517—अतः मुझे मोहन सिंह,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं० प्लॉट नं० 7 है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 6 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक के द्वारा किसी धार की वास्तु, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके वर्णन में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी धार या किसी धन या अन्व आस्तियों को, जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राम निवास पुत्र श्री उदय किशनजी सोती, महामंदिर, जोधपुर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती कमला पति श्री हरि प्रसाद जी चौधरी बैंध, रामा की प्याऊ के पास, महामंदिर जोधपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए कार्यवाहियां शुरू कइता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 7, महामंदिर रामा की प्याऊ के पास, जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 978 दिनांक 6 अप्रैल 1984 पर पंजीयकविक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

मोहन सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-12-1984
मोहर :—

प्रकाश बाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) की अधीन सूचना

भाउत सहायक

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2518—अतः मुझे,
मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), जो कि धारा
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 7 है तथा जो जोधपुर में स्थित है,
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 5 अप्रैल
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बन्धु प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण के लिए किसी भाव की वास्तव, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
साहित्य में कमी करने या उक्त बचने में सविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, बिना भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवोच-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)
की अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिगत अधिद्वारा :—

(1) श्री राम निवास पुत्र श्री उदय किशन जी सोनी,
महामंदिर, जोधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री राजेश पुत्र श्री हरी प्रसाद जी,
रामा की प्याऊ के पास,
जोधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करा जाता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में किया
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 7, महामंदिर रामा की प्याऊ के पास, जोधपुर
जो उपपंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 976 दिनांक 5 अप्रैल;
1984 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित
है।

मोहन सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2519—अतः मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है, की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान है तथा जो सरदार शहर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सरदार शहर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि तथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नथूमल सेठिया चैरिटेबल ट्रस्ट,
सरदार शहर, चुरू ।

(अन्तरक)

(2) श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री सावलराम बड़ोडरा,
सरदारशहर, जिला चुरू ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अगूणा बाजार, सरदार शहर जिला चुरू में स्थित दुकान जो उप पंजियक, सरदार शहर जिला चुरू द्वारा क्रम संख्या 418 दिनांक 16-4-84 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

मोहन सिंह,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-12-1984

मोहर ☐

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2520—अतः मुझे,
मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सूक्ष्म प्राधिकारी को यह निश्वास करने का
कारण है कि स्थानर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान है तथा जो सरदार शहर में स्थित है,
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सरदार शहर में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक
16 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण के लिए किसी बात की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कइ होने के अंतरक के
वायित्व में कमी करने या उक्त अंतरण में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री नथमल सेठिया चेरिटेबल ट्रस्ट,
सरदार शहर जिला चुरू ।

(अन्तरक)

(2) श्री सांवल राम पुत्र श्री परतूराम बड़ाठरा,
निवासी सरदार शहर जिला चुरू ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जांच :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान स्थित अगुणा बाजार, सरदार शहर जिला चुरू जो
उप पंजीयक, सरदार शहर जिला चुरू द्वारा क्रम संख्या 419 दिनांक
16-4-84 पर पंजीयक विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित
है ।

मोहन सिंह,
सूक्ष्म प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-12-1984
मोहर

प्ररूप बाई. टी एन. इत.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2521—अत' मुझे,
मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिससे इतने
इतने वर्षों 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निश्चित करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान है तथा जो जयपुर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 25 अप्रैल
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह निश्चित
करने का कारण है कि वधापूर्वकत सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बहु प्रत्यक्ष से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब तक नया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वजह, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की
वाचित्त में कमी करने या उससे बचने में सूचिधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में
सूचिधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधिनि

(1) श्री प्रकाश दरीयानी,
पुत्र श्री गोविन्द राम,
निवासी गोविन्द भवन,
एम० आई० रोड, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गीता जयपुरिया,
परिन श्री हुंसेराज जयपुरिया,
बी-9, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जभाहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

दुकान स्थित फिल्म कालोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर जो
उपपंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1105 दिनांक 25-4-84
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

मोहन सिंह,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रेंज, जयपुर

दिनांक : 15-12-1984

मोहर :

प्रकृत आर्.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सङ्घ

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2522—अतः मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० दुकान है तथा जो जयपुर में स्थित है, (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 25 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकर्ता) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए उभय पक्षा पक्ष प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाबत में कमी करने या उक्त करने में सूचना के लिए, और/वा

(ख) ऐसी किसी बाय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

(1) श्री अशोक कुमार दर्यानी,
पुत्र श्री गोविन्द राम,
निवासो गोविन्द भवन,
एम० आई० रोड़, जयपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गीता जयपुरिया,
पति श्री हंसेराज जयपुरिया,
प्लॉट नं० बी-9, शिवमार्ग, बनीपार्क,
जयपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में छिपवृत्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

सूचनाकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान स्थित फिल्म कालोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1104 दिनांक 25-4-84 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में श्रीर विस्तृत रूप से विवरणित है ।

मोहन सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 15-12-1984

मोहर

प्रकृत आर्. टी, एन. ए.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या जी-76/एय्यू०-अनः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जमकी सं० आराजी भूमिधरी नं० 947, 955 व 956
है तथा जो छावनी कदोम, परगना-खैराबाद, जिला-सीतापुर
में स्थित है (श्रीर इससे उपरोक्त अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सीतापुर
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
दिनांक 18 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ए० अन्तरण के लिए तब पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उपबोध से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
व्यतिरिक्त में कमी करने या उससे बचने में व्यक्तिगत
के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी भव या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
भारत अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, सिपाजों के
गणना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

50—426 GI/84

- (1) 1. श्री लल्लूराम
2. श्री मुन्सालाल

(अन्तरक)

- (2) श्री गुरुनाथक सहकारी आवास समिति लि०,
सीतापुर द्वारा सचिव, श्री गुरु चरन सिंह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय
में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी भूमिधरी नं० 947 पैमाईसी 25 डिसमिल
नं० 955 पैमाईसी 38 डिसमिल और नं० 956 पैमाईसी
30 डिसमिल, टोटल पैमाईसी 93 डिसमिल स्थित छावनी
कदोम, परगना-खैराबाद, तहसील और जिला-सीतापुर, रजि-
स्ट्रीकर्ता अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में दिनांक 18-4-84
को पंजीकरण किया जा चुका है।

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जुन रेंज, लखनऊ

दिनांक : 12-12-1984

माहूर :

प्रकृत आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री भारत प्रसाद,

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना(2) श्री गुरुनानक सहकारी भावास समिति लि० सीतापुर
द्वारा सचिव श्री गुरचरण सिंह

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन को लिख
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या जी-77/एक्यू०--अतः
मुझे, ए० प्रसाद,भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक हैऔर जिसकी सं० आधा हिस्सा आराजी नं० 954 है तथा जो
छावनी कदोम, परगना-खैराबाद जिला सीतापुर में स्थित है
(और इससे उपाखण्ड अनुचर्ची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सीतापुर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 18 अप्रैल
1984को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी
भास लिखित में किए जा सकेंगे।स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुचर्ची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवों
को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रभावार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
या वा किया जाना चाहिए या, लिखित में सुविधा
के लिए;आधा हिस्सा आराजी भूमिश्रयी नं० 954 पैमाईसी
0.66 डिसमिल (0.33 डिसमिल) स्थित छावनी कदोम,
परगना-खैराबाद, तहसील और जिला सीतापुर, जिसका पंजी-
करण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में दिनांक
18-4-84 को किया जा चुका है।ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊअतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों पश्चात् :—

दिनांक : 12-12-1984

साहू :

प्रकृप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री मो० हनीफ

(अन्तरक)

भायकउ अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) इन्ना सहकारी गृह निर्माण समिति लि० मुरादाबाद द्वारा सचिव श्री मधुसूदन लाल

भारत सरकार

(अन्तरिती)

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

अर्जन रेंज, लखनऊ

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

लखनऊ, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या --20/एक्यू०---यतः मुझे, ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 927-ए व 927-बी है जो भोगपुर मिठौनी, उर्फ शिरोकुई, मुरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकाारी के कार्यालय मुरादाबाद में रजिस्ट्रारकी अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी नाम की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

भूमि पैमाईसी 17250 वर्ग-मीटर (खसरा नं० 927-ए) पैमाईसी 0.48 डिसमिल और खसरा नं० 927-बी पैमाईसी 3.83 डिसमिल, कुल पैमाईसी 4.31 डिसमिल) स्थित भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरोकुई, मुरादाबाद (जैसा फार्म 37-जी संख्या 6222 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रारकी अधिकाारी मुरादाबाद के कार्यालय में अप्रैल 1984 को किया जा चुका है।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य जास्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

नतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक : 12-12-1984

मोहर :

इच्छा प्राप्त. डी. एन. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

कार्य उद्देश्य

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या के-145/एक्यू०-यत.

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इतमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 36 र तथा जो जानसेन गंज, इलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि प्रथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी मात्र की वामत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को वास्तव में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी मात्र या किसी भन या अन्य वास्तविकों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या कि जा जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

(1) श्री पं० रुद्र मनी त्रिपाठी

(अन्तरक)

(2) 1 श्री कृष्ण मुरारी

2. श्रीमती कल्पना करवैरिया

(अन्तरिती)

(3) विक्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

के यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्तुकी

मकान सम्पत्ति नं० 36, स्थित जानसेन गंज, इलाहाबाद जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी इलाहाबाद के कार्यालय में अप्रैल 1984 को किया जा चुका है (जैसा फार्म 37-जी संख्या 1982 में वर्णित है)।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक : 13-12-1984

मोहर :

प्ररूप मार्च. टी. एन. एस. ५ - -

सायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
भारत 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या के-144/एक्यू०—यतः
मुझे, ए० प्रसाद,

सायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 8/12/41 है तथा जो
न्यू सिविल लाईन, साकेत, मुरादाबाद में स्थित है (और इससे
उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय मुरादाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की राबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
अभाव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिनमें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती संतोष भटनागर

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कैलाशवती

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशुध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपभोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

एक कित्ता मकान नं० 8/12/41, स्थित न्यू सिविल लाईन
मुरादाबाद जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुरादाबाद
के कार्यालय में अप्रैल, 1984 को किया जा चुका है (जैसा फार्म
37-जी संख्या 2864 में वर्णित है)।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक : 13-12-1984

मोहर

प्रकृत आर्. डी. एन. एन. :-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
269-ब (1) के अधीन सूचना

प्रारण प्रकाश

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
प्रजैन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अ० ई०-3/37-ई० ई०/6961/83-84--प्रत
मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
के कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 104, जो, 1ली मंजिल, विल्डिंग
नं० 16, कपाडिया नगर, सी० टी० एस० रोड, कुर्ला (प०)
बम्बई-70 में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्री
पूर्ण रूप से वर्णित है, और जिसका करारनामा आयकर अधि-
नियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 2 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित
में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाबत न
कमी करने या उक्त कर देने में सुविधा के अन्तः
कीर/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों
का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) दीपक बिस्नेस प्राईवेट लिमिटेड ।

(अन्तरक)

(2) रेहमतुल्ला आयम बीगले ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के बन्धन 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त बन्धन में किया
गया है ।

बम्बई

फ्लैट नं० 104, जो, 1ली मंजिल, विल्डिंग नं० 16, कपाडिया
नगर, सी० टी० एस० रोड, कुर्ला (पश्चिम), बम्बई-70 में
स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अ० ई०-3/37-ई० ई०/6961
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
2-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
प्रजैन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 7-12-1984

मोहर:

प्रकृत बाई. टी. एम. एच. -----

(1) श्री बलवंत सदाशिव गांवकर ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री अमोल कृष्णाजी मालगांवकर ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० प्र० ई०-4/37-ई० ई०/7150ए/83-84—

प्रतः मुझे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) कि धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टेनमेंट नं० 80, जो, बिल्डिंग नं० 7, चेंबूर
श्रावण को-प्रापरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटी लि०, सहकार नगर,
चेंबूर, बम्बई-71 में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वणित है, और जिसका करारनामा आयकर
अधिनियम, 1961 की धारा 269, क, ख के अधीन बम्बई
स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक
2 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, मरकोरा में धारा
269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत
किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह
पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल
से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पक्ष में प्रतिपादित से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, भिन्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण सिद्धित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी भाग की वास्तु, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सूचिधा
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचिधा
के लिए;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिये
गया है।

अनुसूची

टेनमेंट नं० 80, जो, बिल्डिंग नं० 7, चेंबूर श्रावण को-प्राप
हाउसिंग सोसाईटी लि०, सहकार नगर, चेंबूर बम्बई-71 में
स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० प्र० ई०-4/37-ई० ई०/7150-
ए/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
2-4-1984 को रजिस्ट्री किया गया है ।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक : 12-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) वेस्टर्न इंडिया विल्डर्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री प्यारअली मेमा मकोजिया ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अ० ई०-4/37-ई० ई०/2081/83-84—अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लैट नं० 10 जो, 2री मंजिल, ई-विंग गुलिस्थान अपार्टमेंट, एस० बी० रोड, दहिसर (पूर्व), बम्बई में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 22 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्याहारा शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लैट नं० 10 जो 2री मंजिल ई-विंग गुलिस्थान अपार्टमेंट एस० बी० रोड दहिसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अ० ई०-4/37-ई० ई०/2081/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 27-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

माहुर :

एक शब्दों की सूची

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आवृत्त सूचनाएँ

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० क्र० ई०-4/37-ई०ई०/2075/83-84—अतः

श्री ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 9, जो 2री मंजिल ई-विंग, गुलिस्थान अपार्टमेंट एस० बी० रोड बहिसर (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है, (और इससे उपावद्ध अनुसूची में श्री पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 27 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरित्री (अन्तरित्रीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए उक्त बाधा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी बाध की बाध, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के प्रायत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बाध या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के परोक्षार्थ अन्तरित्री द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिओं, बर्तक

51-425 GI/84

(1) वेस्टर्न इंडिया लिटर्स ।

(अन्तरक)

(2) जाफरअली नूरमोहम्मद कारेडिया ।

(अन्तरित्री)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधा है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 9, जो, 2री मंजिल ई-विंग गुलिस्थान अपार्टमेंट, एस० बी० रोड बहिसर (पूर्व), बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० क्र० ई०-4/37-ई० ई०/2075/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 27-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

एक्य भाग I, टी. एच. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

आयकर, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अ० ई०-4/37-ई० ई०/2083/83-84—अतः

मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इससे पहले इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लैट नं० 7 जो 1ली मंजिल-ई-विंग, गुलिस्थान अपार्टमेंट, एस० वी० रोड, दहिसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269-क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 27 अप्रैल 1984

की पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक विधिकरण के अन्तर्गत रूप से अधिभक्त नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुए किसी बाब को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बढने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वृत्तों—

(1) वेस्टर्न इंडिया विल्डर्स ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अमिनाबाई कानजी विरानी और श्रीमती दौलतबाई एच० विरानी ।

(अन्तरिती)

इस सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए व्यवसायिक करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उसके समकक्षी व्यक्ति के द्वारा सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लैट नं० 7 जो 1ली मंजिल ई-विंग, गुलिस्थान अपार्टमेंट, एच० वी० रोड, दहिसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अ० ई०-4/37-ई० ई०/2083/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 27-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मांहर :

प्रकृत आर्डी टी, एन, एस,-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1628/83-84—अतः मुझे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिमकी सं० फ्लैट नं० 22, जो, पहला मंजिल, शिवम् बिल्डिंग, एस०बि० रोड, फतेहबाग, कांदिवला (प), बम्बई में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-ब के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड है, तारीख 16 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सूचना के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य मास्तिधा को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की अन्तरण में, श्री, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी।

(अन्तरक)

(2) श्री चमनलाल के० मेहता और श्रीमती अनुमती सी० मेहता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप 2--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्यन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बंध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 22, जो, पहला मंजिल, शिवम् बिल्डिंग, एस०बि० रोड, फतेहबाग, कांदिवला (प), बम्बई में स्थित है।

अनुसूचा जैसाका क्र०सं० अई-4/37-ईई/1628/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी;

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

मोहर

प्रकृत बाई टी एन एच

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1248/83-84—अतः मुझे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० फ्लैट नं० 4, जो, दूसरी मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग नं० 19, लेआउट ऑफ आलावत जैन को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (प) बम्बई-67 में स्थित है (और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 6 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और ऐसे अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिक्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कट्टे होने के अन्तरक के शायद ही कभी कट्टे या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सरल इंटरप्राइज।

(अन्तरक)

(2) श्री मणिलाल देवजी देविया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 4, जो, दूसरी मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग 19, आलावत जैन को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि सं० अई-4/37-ईई/1248/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

माहुर :

प्रकृत धारा 21, अनु 4

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

शासन सञ्चालन

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1277/83-84-अतः मुझे, ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 2, जो, ग्राउंड फ्लोर, सा-विंग, विल्डिंग नं० 21, झालावद जैन को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवला (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 6 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरितो (अन्तर्गतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कट घटने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; जोड़/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

(2) श्री रेनुकाबेन प्रविणचंद्र कामदार।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को नाम लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बम्बई

फ्लैट नं० 2, जो ग्राउंड फ्लोर, सा-विंग, विल्डिंग फ्लैट नं० 21, झालावद जैन को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवला (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है।

अनुसूची जैसाको क्र० सं० अई-3/37-ईई/1277/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

साहू

इसका अर्थ है, एन. एच. एन. एन.

(1) सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

(2) श्री कान्तिलाल हिरालाल शहा।

(अन्तरिती)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1197/83-84-अतः मुझे, ए० प्रसाद,

(भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसका सं० फ्लेट नं० 2, जो, दूसरी मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग नं० 4, भालावत जैन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रो है, तारीख 3 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 2, जो, दूसरी मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग नं० 19, भालावत जैन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है।

अनुसूची जैसा की क्र०सं० अई-4/37-ईई/1197/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 3-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1469/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1, जो, ग्राउंड फ्लोअर, डी-विंग, राजकिशोर, मेडरिन स्ट्रीट, कांदिवली विल्हेज, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरितियों (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाब, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सहायता के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, टिपाने में सहायता के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

- (1) मेसर्स गिरीराज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन। (अन्तरक)
- (2) श्रीमती वासंती मासुधी प्रभू। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, जो, ग्राउंड फ्लोअर, डी-विंग, राज किशोर विल्डिंग, मेडरिन स्ट्रीट, कांदिवली विल्हेज, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1469/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984
मोहर :-

प्रमुख प्राप्ति, टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1524/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि यथावत संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० फ्लैट नं० सी-12, जो, चौथी मंजिल,
बांबी शांतिग नेंटर, एम०जी० रोड, घाणूकर बाडो, कांदिवली
(प), बम्बई-67 में स्थित है (गौर दृष्टि उपावद्ध अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका कारनामा
आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 269-ब के अधीन
बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है,
तारीख 13 अप्रैल 1984
को पूर्वोक्त संपत्ति की उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

- (क) अन्तरक से हुई किसी आद की शक्ति, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कार्यालय में कमी करने या उसमें घटने में सुविधा
के लिए; और/वा
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधि-
नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

- (1) श्री अमिरअली मुसाभाई मिथानी ।
(अन्तरक)
(2) श्री शांतिलाल ललुशंकर दवे ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधा :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
आयों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को
प्राप्त होने से किन्हीं भी कारणों से।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही
अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

आयुक्त

फ्लैट नं० सी०/12, जो, चौथी मंजिल, बांबी शांतिग
नेंटर, एम०जी० रोड, घाणूकर बाडो, कांदिवली (प), बम्बई-
67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1524/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 13-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984
आह्वार :-

प्रकृत बाई-टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1523/83-84-अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ई-201, जो, राजकिशोर को-ऑप० सोसाइटी, दूसरी मंजिल, एम०जी० रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 13 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी भाग की शक्ति, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्रीमती उमिलाबेन पो० भाटीया।

(अन्तरक)

(2) श्री चुनिलाल दामोदर दात्तानी, और निर्मला चुनिलाल दात्तानी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी शर्त :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ई/201, जो, राजकिशोर को-ऑप० सोसाइटी, दूसरी मंजिल, एम०जी० रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैमाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1523/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 13-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्जन :-

52-426GI-84

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1261/83-84—अतः मुझे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 201, जो, दूसरी मंजिल, ज्ञान अमृत बिल्डिंग, शांतीलाल मोदी रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (और इसमें उपासक अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 6-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के भावित्व में कमी करने या उससे बचने में स्थिधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के उद्देश्यार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, को प्रकट किया जाना चाहिए था, लिखित में स्थिधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-गे की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) मेसर्स एम०एन० कन्स्ट्रक्शन कंपनी।

(अन्तरक)

(2) श्री ललित प्रभुदास रुपानी, और
भारती एल० रुपानी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 201, जो, दूसरी मंजिल, ज्ञान अमृत बिल्डिंग, शांतीलाल मोदी मार्ग, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/1261/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984 को रजिस्ट्री किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मांहर :

प्रकृ. भाई. टी. एन. एच. -----

(1) मेसर्स वत्तानी डेव्हलपमेंट्स।

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री जगन्नाथ कामरा और श्रीमती जे० कामरा।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/4280/83-84—अत. मुझे,

ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लैट नं० 21, जो, श्री जी पलेस, सी० टी० एस० नं० 99, विल्हेज कादिवली, एम० वि० रोड, कादिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करार-नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के है, तारीख 7 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पक्ष लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लैट नं० 21, जो, दूसरी मजिल, श्री जी पलेस, सी० टी० एस० नं० 99, विल्हेज कादिवली, एम० वि० रोड, कादिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/4280/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख . 10-12-1984

मोहर .

प्ररूप. आई. टी. एन. एस्. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/67-ईई/4281/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिमकी सं० फ्लैट नं० 31, जो, तीसरी मंजिल, श्री जी पलेस, सी०टी०एम० नं० 99, विल्हेज कांदिवली, एस०वि० रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (श्रीर हमसे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 7 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बांध/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथा—

(1) मेसर्स दात्तानी डेव्हलपमेंट्स।

(अन्तरक)

(2) राजू जी० भाटिया, और दिलीप जी० भाटिया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 31, जो, तीसरी मंजिल, श्री जी पलेस, सी० टी०एम० नं० 99, विल्हेज कांदिवली, एस०वि० रोड, कांदिवली (प) बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैमाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/4281/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मुहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री चुनिलाल माथालाल पाडीया, श्रीर
राजेश बाबूलाल पाडीया।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री संपतलाल डी० बोहरा।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1218/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसादआयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक हैश्रीर जिमकी सं० दुकान नं० 10, जो, ग्राउंड फ्लोर, गृह
नानक अपार्टमेंट्स को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड,
51, शंकर लेन, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है
(श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित
है), श्रीर जिमका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961
की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी
के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 5 अप्रैल 1984उक्त पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मैं यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—(क) अन्तरण से हुई किसी आय की नाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव्य
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
श्रीर श्री, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
की अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 10, जो, ग्राउंड फ्लोर, गृहनानक अपार्टमेंट्स
को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, 51, शंकर लेन,
कांदिवली (पश्चिम), बम्बई-67 में स्थित है।अनुसूची नं० सं० आई-4/37-ईई/1218/83-84
श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 5-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री गौमकुमार सुराभाई गहा।

(अन्तरिता)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1929/83-84--अतः मुझे,

ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेट नं० 6, जो, पहली मंजिल, ब-विंग, बिल्डिंग नं० 19, झालावद जैन को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लि०, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 23 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिता (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिता द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेट नं० 6, जो, पहली मंजिल, बी-विंग, बिल्डिंग नं० 19, झालावद जैन को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लि०, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है।

अनुसूची जमाका क्र० सं० आई-4/37-ईई/1929/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

मोहर :

प्रकृष आर्.टी.एन.एस.-----

(1) सरल इंटरप्र्रायजेम।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री शहा अनीलकुमार पोपटपाल।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई; दिनांक 12 दिसम्बर 1984

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1920/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है
श्रीर जिसकी सं० फ्लेट नं० 13, जो, तीसरी मंजिल, बी-विंग
बिल्डिंग नं० 21, झालाबद जैन को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी
लि०, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101
में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप
से वर्णित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम,
1961 की धारा 269 क.ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 23 अप्रैल
1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
रिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण निश्चित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

अनुसूची

(क) अंतरण से हुई किसी बाव की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के
बाधित्व में कमी करने या उससे बचने में सूबिधा
के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में
सूबिधा के लिए;

फ्लेट नं० 13, जो, तीसरी मंजिल, बी-विंग, बिल्डिंग
नं० 21, झालाबद जैन को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लि०,
अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में
स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1920/83-84
श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुरूप
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

तारीख : 12-12-1984
मोहर :

प्रश्न नम्बर. टी. एन. एच.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1138/83-84—प्रतः मुझे,

ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० सी-201, जो, दूसरी मंजिल, "राज किशोर" बिल्डिंग, व्हिजेज कांदिवली, माउरीन स्ट्रीट, एम०जी० रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क.ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम में अद्यतन प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि तथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अद्यतन प्रतिफल से, ऐसे अद्यतन प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की माबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की वायिल्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधिष्टः—

(1) श्री विजय एस० गोरालिया ।

(अन्तरक)

(2) श्री पंकजकुमार इश्वरलाल मेहता ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के उपपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के उपपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सुची

फ्लेट नं० सी०-201, जो, दूसरी मंजिल, "राज किशोर" बिल्डिंग, व्हिजेज कांदिवली, माउरीन स्ट्रीट, एम०जी० रोड, कांदिवली (पश्चिम), बम्बई-67 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1138/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1576/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी म० प्लेट नं० 4, जो, पहली मंजिल, ए विंग,
बिल्डिंग नं० 21, आलावद जैन को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी
लि०, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101
में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप
से वर्णित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम,
1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 6 अप्रैल
1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मैंने यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उसमें वृद्धि में मरिधा के लिए;
और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

53—426GI/84

(1) सरल इंटरप्रायइज।

(अन्तरक)

(2) भूपेंद्र एन० बहाडिया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितवृद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
निश्चित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लेट नं० 4, जो, पहली मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग
नं० 21, आलावद जैन को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटी
लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101
में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4137-ईई/1576/83-84
श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) सरल इन्टरप्राइज।

(अन्तरक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री मनसुखलाल हरगोबिंद दास सालोट

(अन्तरिती)

आज्ञापन

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1927/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य,
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेट नं० 2, जो, पहली मंजिल, ए-विंग,
बिल्डिंग नं० 21, झालावद जैन को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लि०,
अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व) बम्बई-101
में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम
1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 23 अप्रैल
1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्टमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके इष्टमान प्रतिफल से, ऐसे इष्टमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिय तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में
वास्तविक रूप से अभिहित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण तं हुई किसी भाव की वास्त, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के
कारण से कमी करने या उसने बचने से सम्बन्ध
को लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, स्थानों में
सूचना के लिए.

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति, अधिनियम:--

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के उपपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के उपपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्तक्षेप
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
निहित में किए जा सकेंगे।

सूचीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनुसूची

प्लेट नं० 2, जो, पहली मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग
नं० 21, झालावद जैन को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लि०,
अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101, में
स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1927/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 12-12-1984

साहूर :

प्रकृत बाबू.टी.एम.एस. -----

(1) सरल इंटरप्रायजेस ।

(अन्तरक)

साक्षर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री नरेन्द्र चुनिलाल शहा ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1928/83-84—अतः मुझे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 6, जो 1ली मंजिल, बी विंग, बिल्डिंग नं० 23, झालावद जैन की-आप० हाऊसिंग सोसाईटी लि०, अशोक चक्रवर्ती रोड कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 23 अप्रैल 1984 ।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके उद्यमान प्रतिफल से ऐसे उद्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की मात्रा, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोगार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किन्ना नामा चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

की यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यालयों को सूचना है ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सुधी

फ्लैट नं० 6, जो, बी-विंग, पहली मंजिल, बिल्डिंग नं० 23, झालावद जैन की-आप० हाऊसिंग सोसाईटी लि० अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1928/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23 4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

मोहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एच.-----

(1) सरल इंटरप्राइज।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ग (1) के अधीन सूचना

(2) श्री शहा अरविंद कुमार मणिलाल।

(अन्तरिती)

प्राप्त सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1449/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीरजिसकी सं० फ्लेट नं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोर, बी-ब्लिग,
बिल्डिंग नं० 21, झालावद जन को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग
सोसाईटी लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व) बम्बई-
101 में स्थित है (और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधि-
नियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित
सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12
अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दायमान प्रतिफल से, ऐसे दायमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और
अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब
पामा गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा-269-ग की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :-

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माझे :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोर, बी-ब्लिग, बिल्डिंग
नं० 21, झालावद जैन को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटी
लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101
में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1449/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

मांहर :-

रूप बाई. टी. एन. एन. एन. एन. एन.

(1) मेमस वूडलेन्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमती शांती हिराचव।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/2061/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेट नं० 101, जो, पहली मंजिल, 'गोकुल एस०वि० रोड, कादिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 20 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

की यह सूचना भारत सरकार के सम्पत्ति के अधीन के लिए कामवांछित करता है।

उक्त संपत्ति के अधीन के सम्बन्ध में आई० टी० बाकी—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या एतदवधि की अवधियों पर सूचना को तारीख से 30 दिनों की अवधि, या की अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जमा-पुस्तिका के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरक से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सहायता के लिए, और/या

प्लेट नं० 101, जो, पहली मंजिल, 'गोकुल, एस० वि० रोड, कादिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/2061/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 20-4-1984 को रजिस्ट्री किया गया है।

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य वास्तविकता को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सहायता के लिए;

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (3) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

तारीख : 10-12-1984
मोहर :

प्रत्येक भाग, टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भा.उ. सं. संख्या

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई-4/37-ईई/1881/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं० दुकान नं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोअर शिव
दर्शन, प्लॉट नं० बेअरीग सी०टी०एस० 366, एस०वि०पी०
रोड, म्युनिसिपल गार्डन के सामने, कांदिवली (प), बम्बई-67
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम,
1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 21 अप्रैल
1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में बन्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायद
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
बाँ/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

धतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स एक्सेल बिजनेस।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अनिता गोर्धनदास चुध।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्जन के लिए
कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अप्रभोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोअर, शिव दर्शन, सी०टी०
एस० नं० 366, एस०वि०पी० रोड, म्युनिसिपल गार्डन के
सामने, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1881/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 21-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 12-12-1984

मोहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई-4/37-ईई/1496/83-84—अतः मुझे

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषयगत करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 28, जो दूसरी मंजिल, दात्तामी ग्राम बिल्डिंग नं० 3, विल्हेज कादिवली, मथुरादास रोड कादिवली (प), बम्बई 67 में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12 अप्रैल 1984

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवहार प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विषयगत करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यवहार प्रतिफल से, ऐसे व्यवहार प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण मिश्रित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-संयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्रीमती मायादेवी देवकीनंदन झुनझुनवाला ।
(अन्तरक)
- (2) श्री नलिनभाई जयसुखलाल दोशी ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताकारी के पाठ मिश्रित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 28, जो, दूसरी मंजिल, बिल्डिंग दात्तामी ग्राम बिल्डिंग नं० 3 प्लॉट बेअरींग सी० टी० एस्० नं० 1319 और 1321 विल्हेज कादिवली, मथुरादास रोड, कादिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1496/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(1) मेसर्स एक्सेल बिल्डर्स।

(अन्तरक)

(2) श्री बेचारभाई चुनिलाल मकवाना।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1350/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25 000/ रु में अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 2, जो, ग्राउंड फ्लोअर, शिव
दर्शन, प्लॉट बेअरींग सी०टी०एस० नं० 366, एस०वि०पी०
रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका
करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख
के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में
रजिस्ट्री है, तारीख 9 अगस्त 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अतिरिक्त का गढ़ है और अफसोस है कि यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
इसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन जो इनमें से उक्त अधिनियम
में कमी करने या नसब करने के लिए कथित
कीर/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिसका अधिनियम 1922 (1922 का 31) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 1) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा उक्त अधिनियम
में या किसी अन्य अधिनियम में उक्त अधिनियम
में सूचना के लिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसूची
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में अतिरिक्त
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोदस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वहां कथे होंगे जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 2, जो, ग्राउंड फ्लोअर शिव दर्शन, प्लॉट
बेअरींग सी०टी०एस० नं० 366, एस०वि०पी० रोड कांदिवली
(प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/1350/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 9-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

माहूर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-अ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37-ईई/1698/83-84—अतः

शुभे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 27, जो, ग्राउंड फ्लोर, श्रीजी दर्शन, सी० टी० एम० नं० 100, सर्वे नं० 96, एस० वि० रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका कारारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 17 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) किसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ते की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

54-426 GI/84

(1) श्रीमती अशरी चुनिलाल।

(अन्तरक)

(2) श्री युसूफ हाजीवली मोहमद,
और इसाक हाजीवली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 27 जो, ग्राउंड फ्लोर, श्रीजी० दर्शन, सी० टी० एम० नं० 100, सर्वे नं० 96, एस० वि० रोड, कांदिवली (पश्चिम) बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37-ईई/1698/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 17-4-84 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार-

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37ईई/2082/83-84— अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 5, जो, पहली मंजिल ई-विंग, गुलिस्थान अपार्टमेंट, एस० वी० रोड दहिसर (पूर्व), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 27 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण को, जो, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मीसर्स वेस्टर्न इंडिया बिल्डर्स ।

(अन्तरक)

(3) श्री वाली मियाजी मारेडिया ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 5, जो, पहली मंजिल ई-विंग, गुलिस्थान अपार्टमेंट, एस० वी० रोड दहिसर (पूर्व), बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37-ईई/2082/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

माहूर :-

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37-ईई/1657/83-84— अतः

मृगे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ए-302, जो तीसरी मंजिल आदित्य पार्क, छत्रपती शिवाजी रोड, दहिसर (पूर्व) बम्बई-78 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 16 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृगे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का मूल्य प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

- (1) मैसर्स गोयल बिल्डर्स प्रा० लिमिटेड (अन्तरक)
(2) श्री मोहन मुकुंद साईल । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ए-302, जो, तीसरी मंजिल, आदित्य पार्क, छत्रपती शिवाजी रोड, दहिसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37ईई/1672/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्तरण से, मृगे उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 10-12-1984
मोहर :

प्रकृत. भा. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/1235/83-84— अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० दुकान नं० 15, जो, देव आशिष बिल्डिंग देव आशिष को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, भारूचा रोड दहिसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 6 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मरणा जरणा पोट्टी

(अन्तरक)

(2) श्री शंभुभाई ए० पटेल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिन-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं 15, देव आशिष बिल्डिंग देव आशिष को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड भारूचा रोड, दहिसर (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-4/37-ईई/1235/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/1658/83-84— अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारियों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ए402, जो चौथी मंजिल आदित्य पार्क, छत्रपती शिवाजी रोड़, दहिसर (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 16-अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (1) मैसर्स गोयल बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड ।
(अन्तरक)
(2) श्री किशोर बी० भायानी ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और रद्दों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण वं हुई किसी भाव की भावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) में प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

फ्लैट नं० 402, जो, चौथी मंजिल, आदित्य पार्क, छत्रपती शिवाजी रोड़, दहिसर (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-4/37-ईई/1658/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 10-12-1984
माहुर :

प्रकृत्य आई.टी.एन.एस.-----

(1) स्पेस बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री दिनेश एन० ठक्कर,
श्रीर श्री कांतिलाल एन० ठक्कर ।

(प्रम्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई-4/37-ईई/1663/83-84—अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० ए-1-ए-2/11, हार्जिसिंग स्किम,
आनंद नगर, छत्रपती शिवाजी रोड, दहिसर (पूर्व), बम्बई
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम
1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 16 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-
रिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

दुकान नं० ए-1-ए-2/11, जो हार्जिसिंग स्किम, छत्रपति
शिवाजी मार्ग, दहिसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37-ईई/1663/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
16 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक :- 10-12-1984

माहूर :-

प्रकृत बाई.टी.एन.एल.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37-ईई/1664/83-84—अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० ए-1, ए-2/12 जो आनंद नगर, छत्रपती शिवाजी मार्ग, दहीसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 16 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि तथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 1) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) मीसर्स स्पेस बिज़नेस प्रायवेट लिमिटेड ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सांता मथाई ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधकः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान नं० ए-1, ए-2/12, जो आनंद नगर, छत्रपति शिवाजी रोड, दहीसर (पूर्व) बम्बई— में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37-ईई/1664/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप बाई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सञ्चालना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जेंट रेज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई०-4/37ईई/1565/83-84--अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बुकान सं० 1, जो, ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग साईप्रसाद सर्वे सं० 79, एच० सं० 3ए-1, छत्रपती शिवाजी रोड, दाहिसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 13 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :-

55-426GI/84

(1) मैसर्स स्वाती बिल्डर्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री मणिवेन देवराज शर्मा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बुकान सं० 1, जो, ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग साईप्रसाद, सर्वे सं० 79, एच० सं० 3ए-1, छत्रपती शिवाजी रोड, दाहिसर (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई०-4/37-ईई/1565/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 1984 को रजिस्ट्री किया गया है ।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

महायुक्त आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जेंट रेज-4, बम्बई

दिनांक 10-12-1984

साहूर :

प्ररूप बाह्य. टी एन. एस. ----

(1) मैसर्स स्वाती बिल्डर्स।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमती झवेरबेन सो० गोगरी।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :-

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/1567/83-84--अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 2 जो, बिल्डिंग साई प्रसाद सर्वे नं० 79, एच० नं० 3-ए-1 छत्रपती शिवाजी रोड़, दाहिसर, (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है (और इससे उपासक अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करार-नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारियों के कार्यालय में राजस्ट्री है, दिनांक 13 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

दुकान नं० 2, जो बिल्डिंग साई प्रसाद, सर्वे नं० 79, एच० नं० 3-ए-1, छत्रपती शिवाजी रोड़, दाहिसर (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-4/37-ईई/1567/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक 1- 10-12-1984

साह्य :

प्रकृत बाई.टी.एन.एस. -----

(1) मैसूर स्वाती बिल्डर्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री चापसी खिमजी गोगरी ।

(अन्तरिती)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

भारत सरकार

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/1566/83-84—अतः मुझे,

ए० प्रसाद,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्तबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरों के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
₹5,000/- रु. से अधिक है

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

और जिसको सं० दुकान नं० 3, जो ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग
साई प्रसाद, सर्वे नं० 79, एच० नं० 3-ए-1, छत्रपती शिवाजी
रोड, दहिसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है (और इससे
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), और जिसका
करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269
क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय
में रजिस्ट्री है दिनांक 13 अप्रैल 1984

एवं पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि अभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
निश्चित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :-

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आम की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
व्ययस्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

दुकान सं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोर, साई प्रसाद, सर्वे नं
79, एच० नं० 3-ए-1, छत्रपती शिवाजी रोड दहिसर
(पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है ।

अनुसूची जैमाकी क्र० सं० अई-4/37-ईई/1566/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 13
अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

(ख) ऐसी किसी आम या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किसी नामा चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर :

प्रकृत अधि.टी.एन.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/1775/83-84—अत

मुझे, ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसकी पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 4 जो, बिल्डिंग बी, मिस्क्यू टटा नगर, छत्रपती शिवाजी रोड, दाहिसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है (और उसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 19 अप्रैल 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पत्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायद में कभी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एकी किसी भाय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किंचा जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्री जी० एन० शारडिया ।

(अन्तरक)

(2) श्री जे० डी० करंडिया ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अधिक दिनों में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पात्र लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान नं० 4 जो, बिल्डिंग बी, मिस्क्यू टटा नगर, छत्रपती शिवाजी रोड, दाहिसर (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाको क्र० सं० अई-4/37-ईई/1775/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-4, बम्बई

वतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ---

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रकृत बाई.टी.एन.एच.-----

(1) वेस्टर्न इंडिया मिल्डर्स ।

(अन्तरक)

भाषकृत अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमती नूरमोहमद जिवा मोमीन ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/2079/83-84-- अतः

मुझे ए० प्रसाद,

आयुक्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 8, जो, है-विंग, पहली मंजिल गुलिस्थान अपार्टमेंट, सी० टी० एम० नं० 1053/1से 7, एम० वि० रोड, दहिसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूरा रूप में वर्णित है), और जिसका करारनामा आयुक्त अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 27 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्थान पर प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके स्थान पर प्रतिफल से, ऐसे स्थान पर प्रतिफल का समूह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए संय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के सावित्व में कमी करने का उक्त अधिनियम में सुनिश्चि के विषय; और/वा

(ख) एसी किसी भाव या किसी धन का अन्य सावित्वों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, स्थानों में सूचिका की विषय

अतः यह, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की अनुसूची के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्य :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 8 जो है-विंग, पहली मंजिल, गुलिस्थान अपार्टमेंट, एम० वि० रोड, सी० टी० एम० नं० 1053/1 से 7, एम० वि० रोड, दहिसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जेमाकी क्र० सं० अई-4/37-ईई/2079/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 1985 का रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रकृष जाई.टी.एन,एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1693/83-84— अतः

मुझे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लट नं० 64 जो 6 वी मंजिल बिल्डिंग
अनंत अपार्टमेंट प्लॉट नं० 791 दहिसर (प), बम्बई-68
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधि-
नियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित
सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 13
अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए,
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवों
का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या कि या जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
के, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स अतुल कन्स्ट्रक्शन्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री अजित गणेश कुलकर्णी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिलेखाक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लट नं० 64 जो 6 वी मंजिल बिल्डिंग अनंत अपार्टमेंट,
प्लॉट नं० 791, दहिसर (पश्चिम), बम्बई-68 में स्थित
है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37-ईई/1693/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
13 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -4 बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :-

प्रमुख भाई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई-4/37-ईई/2310/83-84—अतः

मुझे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० पिस अण्ड पासल आफ लीड बेअरींग एस नं० 4 एच० नं० 3, एस नं० 4 और एच नं० 2 गांव एक्सार, बोरिवली, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 13 अप्रैल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अरूणा जमनादास,
श्री रजनी गोपालजी,
मेधजी देवराज ।

(अन्तरक)

(2) आर० सी० ठक्कर, एल० सी० ठक्कर,
के० एल ठक्कर, और सी० एच० सयाटा ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिका करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तदसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आल दट पिस अण्ड पासल आफ लीड बेअरींग एस० नं० 4 एच० नं० 3 और एस० नं० 4, और एच० नं० 2, गांव एक्सार बोरिवली (प), बम्बई में स्थित है ।
अनुसूची जैमाकी क्र० सं० आई-4/37/2310/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक 10-12-1984

माहूर :

प्रारूप आई. टी. एन. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-अ (1) के अधीन संपत्ति

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37ईई/1691/83-84—अन गृह
ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 132, एच० नं० 3, विहनेज एक्सड, तालुका बोरिवली, बम्बई में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कब के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 13-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की भाव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी भाव या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अन अथ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-अ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स गायत्री इम्पेक्स प्रिवेट, लिमिटेड।

(अन्तरक)

2 अ फ्रान्सीस फर्निचरिंग।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अजन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे नं० 132, एच० नं० 3, विहनेज, एक्सड, तालुका बोरिवली, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि सं० अई-4/37ईई/1691/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 13-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक 12-12-1984

सोहन

प्रथम भाग. टी. एन. एस.-----

1. मैसर्स आर० के० इंटरप्राइजेस।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

2. मैसर्स प्रगति कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करना हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

निर्देश सं० अई-4/37ईई/1794/83-84—अतः मुझे
ए० प्रसाद

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० विह्लेज, एक्सार, तालुका बोरिवली, सब
नं० 132, एच० नं० 5-ए, (पार्ट), सी० टी० एस० नं०
874(पार्ट), बोरिवली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका पुराना
नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-घ के अधीन
बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड है दिनांक
21-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि गणपूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नया पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
व्यक्तिगत रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थात् अर्थात्सक्षरों के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
व्ययत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, रिपान्त में
सुविधा के लिए:

विह्लेज एक्सार, तालुका बोरिवली, सर्वे नं० 132, एच०
नं० 5-ए (पार्ट), सी० टी० एस० नं० 874(पार्ट), बोरिवली
में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-4/37ईई/1794/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 21-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 10-12-1984

माहूर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37ईई/49/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० लैंड, बेअरिंग सर्वे नं० 8 से 13, (सी० टी०
एस० नं० 1 से 6 और 8 पी० 1 से 46), और प्लॉट नं० 21,
19, 44 आईड डी० पी० रोड, व्हिसेज मागठाणे, बोरिवली
(पश्चिम) बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकाारी के
कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन दिनांक 9-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अधि-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वाारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम नगर ट्रस्ट नं० 1,
(1) श्री धनद परमानन्द हिंदुजा, और
(2) श्री नारायण दास कन्हैयालाल हिंदुजा, ट्रस्टी ।
(अन्तरक)
2. श्री बी० पी० टी०, विजय दिप० को-आपरेटिव्ह
हार्जिसिंग सोसायटी, लिमिटेड ।
(अन्तरिती)
3. (1) मैसर्स इलेल हाटेलस एण्ड,
इन्व्हेस्टमेण्ट्स, लिमिटेड, और
(2) मैसर्स हिंदुजा वर्ल्स ट्रस्ट ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सं० 234/78 और उप रजिस्ट्रार
बम्बई द्वारा दिनांक 9-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक 10-12-1984

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37ईई/1451/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० फ्लैट नं० 104, जो, 1 ली मंजिल, "साई
हे वन", नामदेवी, रोड, आफ एस० वि० रोड, पोईसर,
कांदिवली (प०), बम्बई-67 में स्थित है (और इससे उपाख
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करार
नामा आयकर अधिनियम 1961 को धारा 269 कख के अधीन
बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक
12-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ए०से दृश्यमान प्रतिफल के
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ए०से अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी धरने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ए०से किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. मैसर्स एस० आर० कन्स्ट्रक्शन, कंपनी।

(अन्तरक)

2. श्री सी० जे० पिछो

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 104, जो 1 ली मंजिल, "साई हे वन",
नामदेवी रोड, आफ एस० वि० रोड, पोईसर, कांदिवली (प०)
बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-4/37ईई/1451/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक 10-12-1984

साहूर :-

प्रकृत बाबू. टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37ईई/1192/83-84—अंतः सुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनको सं फ्लैट नं० 111, जो रामदेव पार्क, चन्दावरकर लेन, बोरिवली (प०), बम्बई-92 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 का धारा 269-क के अधिन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रार है दिनांक 3-4-1984

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाबू की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वारियस में कमी करने या उन्में बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वस्तुओं का जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवर्धनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसारण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कमला डेवलपमेंट्स, ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सावित्री, एच० गुप्ता ।

(अन्तरिती)

3. अन्तरिती ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 111, जो, रामदेव पार्क, चन्दावरकर लेन, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-4/37ईई/1192/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

माहूर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) मेसर्स सोहनलाल एण्ड सन्स।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री अनिल गणपत भावे और
श्री विजय गणपत भावे।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/2046/83-84—अतः मुझे,

ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० बी/208, जो, दूसरी मंजिल,
कृष्ण कमल अपार्टमेंट्स, गोविंद नगर, सोडावाला रोड, बोरिवली
(प), बम्बई-92 में स्थित है (और इसमें उल्लेख
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करार-
नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के
अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री
है, तारीख 19 अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल या
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाह्या करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की गवत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर दत्त अन्तरण के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 1957 (1957 का 30) के
अधिनियम, 1957 (1957 का 30) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, लिखित में प्रकट
के लिए

फ्लैट नं० बी०/208, जो दूसरी मंजिल, कृष्ण कमल
अपार्टमेंट्स, गोविंद नगर, सोडावाला रोड, बोरिवली (प०)
बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जिसकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/2046/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 19-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 10-12-1984

माहूर :

प्रकृत आर्.टी.एम्.एस.

(1) मेसर्स सोहनलाल एण्ड सन्स।

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमती कल्पना अशोक नायडू।

(अन्तरिती)

घाटव सूचना

भायकालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अर्ई-4/37-ईई/2047/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० बी-108, जो, पहली मंजिल, कृष्ण कमल अपार्टमेंट्स, गोविंद नगर, सोडावाला रोड, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख तारीख 19-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की धारत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन की विषय कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के परब लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० बी-108, जो, पहली मंजिल, कृष्ण कमल अपार्टमेंट्स, गोविंद नगर, सोडावाला रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अर्ई-4/37-ईई/2047/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 19-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1462/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25000 रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लट नं० बी/ए, जो, ग्राउंड फ्लोअर,
बी-विंग, 'अलकनंदा' बिल्डिंग, विहलेज एक्सार, एस नं०
48 और 49, ऑफ एल०टी० रोड, बोरिवली (प), बम्बई 92-में
स्थित है (और इसे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम
1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12 अप्रैल
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
शतशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण सिद्धित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का वास्तविक, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
हाथिल में कमी करने या उससे बचने में सहायता
के लिए; और/वा

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था दिखाने में सहायता
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स मोहन कन्स्ट्रक्शन्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री फर्नांडो एम०ए० मेनेझिस ।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक ।

(यह व्यक्ति, जिसके
अधिभोग में सम्पत्ति
है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के स्वयं में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लेट नं० बी/ए, जो, ग्राउंड फ्लोअर, बी-विंग, अलक
नंदा बिल्डिंग, विहलेज एक्सार, एस नं० 48 और 49,
ऑफ एल०टी० रोड, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित
है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37-ईई/1462/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12 अप्रैल
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिनांक 1985

निदेश सं० आई-4/37-ईई/113/83-84-... पत्रों
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निदेश दिया गया
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति निम्नलिखित धारा 269-घ के अन्तर्गत
₹ 5,000/- रा से अधिक है

और जिसको सं० फ्लैट न० 24 जो, फ्लॉयड फ्लोअर,
विंग-ए-7, रत्न नगर सिद्ध, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66
में स्थित है) और इसमें उपावृत्त अधिनियम के अन्तर्गत
से वर्णित है) और जिसका करारणम पालिका अधिनियम
1961 की धारा 269 क,ख के अन्तर्गत बरतनी निरीक्षण सक्षम
प्राधिकारियों के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 23 अप्रैल
1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, धारा 269
ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी को काम रजिस्ट्रीकरण किया
गया है, मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त पूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके पर्यन्त प्रतिफल है,
एसें दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरण
(अन्तरवर्तों) और अन्तरिती (अन्तरितियां) के बीच एसें अन्तरण
के बीच तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—

(क) अन्तरण से हुई क्रियाएँ आय को प्रदान करने के लिए
अधिनियम के अधीन धर होने के अन्तरक को
दाखिल में कमी करने के लिए अन्तरण के लिए
क निदेश, बोरिवली

(ख) एसी किसी आय या संपत्ति के प्रतिफल के लिए
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, आय
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रदान किए गए निदेशों
का या किया जाना चाहिए था, किया गया है
के लिए

अतः उक्त, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अधीन
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री परम आनंद बिल्डर्स,
आउटलेट लिमिटेड।

(अन्तरक)

(2) श्री यशोनाथेन त्रिठलभाई पटेल और
श्री यशोनाथेन छोटूभाई शहा।

(अन्तरिती)

उक्त व्यक्तियों के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
30 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
गुनाही तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी
अधिक हो सके, के भीतर पूर्वोक्त
प्रतिकारों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
30 दिनों के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
कोई भी विवाद या मुकदमा

संपन्न प्रमाण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, उक्त अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लैट न० 24, जो, फ्लॉयड फ्लोअर, विंग-ए-7, "रत्न
नगर" सिद्ध, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है।

अनुसूची क्रमांक सं० आई-4/37-ईई/1134/83-84
और जो अधिनियम अधिनियम, बम्बई द्वारा दिनांक 23-4-1984
को रजिस्ट्री किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तार ख. 11-12-1984

माहूर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1459/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसने इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० बी-102, जो, "अलक-नंदा" बिल्डिंग, भंडारकर हाँस्पिटल के बाजू में, ऑफ एल०टी० रोड, व्हिजे एक्सर, तालुका बोरिवली, एस०नं० 48 और 49, बोरिवली (प), में स्थित है (और इससे उपावड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करार-नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक विधिक से वार्षिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को क्षायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

57—426GI/84

(1) मेसर्स मोहन कन्स्ट्रक्शन्स।

(अन्तरक)

(2) श्री मनसुखलाल गिरधरलाल जोशी।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के विश्व कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्यः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं०बी-102, जो, "अलक-नंदा" बिल्डिंग, भंडारकर हाँस्पिटल के बाजू में, ऑफ एल०टी० रोड, व्हिजे एक्सर; तालुका बोरिवली, एस०नं० 48 और 49, बोरिवली (प०) बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र०सं० आई-4/37-ईई/1459/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1461/83-84—प्रतः मुझे
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विरवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 204, जो, दूसरी मंजिल, "बी विंग, "अलक-नंदा" बिल्डिंग, व्हिंलेज एक्सर, तालूका बोरिवली, ऑफ एल०टी० रोड, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की व्यवसाय प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विरवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यवसाय प्रतिफल से, ऐसे व्यवसाय प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कार्यालय में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तव्यों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रभावनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

- (1) मेसर्स मोहन कन्स्ट्रक्शंस। (अन्तरक)
- (2) श्री सुधीर रघुनाथ सलवी। (अन्तरिती)
- (3) अन्तरक।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्तः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहेस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 204, जो, दूसरी मंजिल, बी विंग, अलक नंदा" बिल्डिंग, व्हिंलेज एक्सर, एल०टी० 48 और 49, तालूका बोरिवली, ऑफ एल०टी० रोड, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र०सं० आई-4/37-ईई/1461/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984
मोहर :

प्रत्येक बाजार की एक एक...

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

प्राधिकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, -4, बम्बई

बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1466/83-84—अतः मुझे;
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० बी-103, जो,

49 और 49, तालूका बोरिवली, ऑफ एल०टी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, विम्बनिष्ठित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुए किसी भाग की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्गत के सारित्व से कमी करने या उचित रूप से सूचना के बिना; और वा/

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्य, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा वा क्रिया जाना चाहिए वा, डिपाने में सूचना के सिद्ध;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की, अन्तरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) मेसर्स मोहन कन्स्ट्रक्शन्स।

(अन्तरक)

(2) श्री वासुदेव नारायण तनकर।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त संपत्ति के वर्जन की लिए कार्रवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, सभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० बी-103, जो, पहली मंजिल, "बी" विंग, "अलक-नंदा" बिल्डिंग, व्हिजेज एक्सर, सर्वे नं० 48 और 49, तालूका बोरिवली, ऑफ एल०टी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1466/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

माहुर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/2077/83-84—अतः सुभे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 411, जो, रामदेव पार्क, चंदावरकर लेन, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है। और इससे जपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है। और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 23 अप्रैल 1984।

के पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी जाय की भावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या बनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कमला डेव्हलपमेंट्स।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती भावना के० मेहता और श्री रोहित जे० ज्योरा।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरिती।

(वह व्यक्ति, जिसके प्राधिकार में संपत्ति)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए आर्वाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 411, जो, रामदेव पार्क, चंदावरकर लेन बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/2077/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 27-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्रकाशक: श्री. एन. एन. एन.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) को अर्थात् सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई-4/37-ईई/2076/83-84-अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिमकी सं० फ्लेट नं० 611, जो, रामदेव पार्क, दादर-
कर रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है। और जिमका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की
धारा 269-ब के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी
के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 27 अप्रैल 1984।

का पूर्वाक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम का
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पञ्चदश प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) को बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब वापस दिया प्रति-
कृत निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप में कथित नहीं किया गया है। --

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वापस, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के
द्वारित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकी
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
वन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रवचनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
जाया या वा किया जाया जाहिए वा, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को अनुसूचन
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

(1) कमला डेब्लपमेंट्स।

(अन्तरक)

(2) श्री वीपक रविशंकर जानी।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरिती।

(वह व्यक्ति, जिसके
अधिभोग में सम्पत्ति है)।

जो यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए
कार्यवाहियों करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माहौल--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

संक्षेपणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 611, जो, रामदेव पार्क, दादर-
कर रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र०सं० आई-4/37-ईई/2076/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 27 अप्रैल
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

साँहर

प्रकृत बाह्य: टी. एन. एस. -----

(1) मीसर्स विजय नगर कार्पोरेशन।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमती हर्षदा आर० वासानी, और
श्रीमती काशीबाई एन० वासानी।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/1713/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

और जिसकी सं० फ्लेट नं० बी०/602, जो, बिल्डिंग नं०
ई-20, योगी नगर, एकसार रोड, बोरिवली (पश्चिम),
बम्बई-92 में स्थित है और इससे उपावद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर
अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई
स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख
16 अप्रैल 1984

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
बम्बई प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कार्य में कमी करने या उत्तरे बचने में सुविधा
के लिए; और/वा

फ्लेट नं० बी/602, जो, बिल्डिंग नं० ई-20, योगी
नगर, एकसार रोड, बोरिवली (पश्चिम) बम्बई-92 में
स्थित है।

अनुसूची जैसा की क्र०सं० अई-4/37-ईई/1713/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रवचनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, बचति है—

तारीख : 10-12-1984
मोहर

प्रकृष आर्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37-ईई/4300/83-84--अतः सुभे,
ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० बी-601, जो, बिल्डिंग नं० ई-20, योगी नगर, एक्सार रोड, बोरिवली (पश्चिम) बम्बई-92 में स्थित है और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 7 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और यहाँ यह विश्वास करने का कारण है कि अथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी भू या अन्य वास्तुओं को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स विजय नगर कॉर्पोरेशन।

(अन्तरक)

(2) श्री भरत जताशंकर व्यास, और श्री जताशंकर एम० व्यास।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्तक्षेप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है,

अनुसूची

फ्लेट नं० बी/601, जो, बिल्डिंग नं० ई-20, योगी नगर, एक्सार रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/4300/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1645/83-84--अत. मुझे,
ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 10, जो, ग्राउंड फ्लोअर, समर्पन "बो" बिल्डिंग, दौलत नगर, रोड नं० बोरिवली (पूर्व), बम्बई-4 में स्थित है। और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है। और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 16 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) मेमर्स एस०ए० कॉन्ट्रक्टर एण्ड कंपनी। (अन्तरक)
- (2) श्री विठ्ठल हरदाम नकरानी। (अन्तरिती)
- (3) अन्तरक।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 10, जो, ग्राउंड फ्लोअर, समर्पन "बो" बिल्डिंग, दौलत नगर, रोड 3, बोरिवली (पूर्व), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र०सं० अई-4/37-ईई/1645/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 18-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई।

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

(1) मेसर्स टना इंटरप्राइज।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री माणकलाल प्रेमचंद शहा, और
श्रीमती जसवंतीबेन एम० शहा।

(अन्तरिती)

3. अन्तरक।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1082/83-84—अतः मुझे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 3, जो, आनंद-बी विल्डिंग,
कार्टर रोड नं० 4, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित
है। और इससे उपावद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है। और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की
धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी
के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-4-1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति से उचित बाजार मूल्य से कम का दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच एम्में अन्तरण के लिए, नया पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए
आर/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किन्हीं शर्तों के अधीन था लिखित में सविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

58—426 GI/84

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए
कार्यवाही शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 3, जो, आनंद-बी विल्डिंग, कार्टर रोड नं०
4, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/83-84 और
जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984 को
रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एन. -----

(1) स्काय-विन्ड प्रायवेट लिमिटेड।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमतां निरंजनदेवि वर्मातराय दोशी।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/4267/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इससे
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 1304, जो, "कस्तूरबाग" प्लॉट
नं० 24, बी/1, टी०पी०एस० 1, बोरिवली (पश्चिम),
बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर
अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई
स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख
12 अप्रैल 1984।

यदि पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम की दरमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके व्यवसाय प्रतिफल से ऐसे व्यवसाय प्रतिफल का
व्यवहार प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया
पया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
को वास्तविक रूप से कायम नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की
शायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों
का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को बर्तन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्तन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवश
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

व्यवहार :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

बम्बई

फ्लेट नं० 3104, जो, "कस्तूरबाग", प्लॉट नं० 24,
बी/1, टी०पी०एस० 1, बोरिवली (पश्चिम) बम्बई-92 में
स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/4267/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 10-12-1984
मोहूर :

शुभ्य बाह्य. टी. एन. एड. ----

(1) स्काय बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड।

(अन्तरक)

(2) श्री विमणलाल एन० शहा और अन्य।

(अन्तरितो)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/2043/83-84—अतः मुझे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है।

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 202, जो, "कस्तूरबाग, प्लॉट
नं० 24, बी/1, टी०पी०एस० 1, बोरिवली (प), बम्बई-92
में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम
1961 की धारा 269 क.ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 26-अप्रैल
1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण को जिसे तब पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित अनुबन्धों से उक्त अन्तरण निश्चित
में वास्तविक रूप से करीबत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावजूद, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को वायित्य
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तुओं
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना था, छिपाने में सुविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त सहायक आयकर आयुक्त में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में वि-
षया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 202, जो, "कस्तूरबाग" प्लॉट नं० 24
बी/1 टी०पी०एस० 1, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में
स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/2043/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 26-4-
1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्रकृत आइ.टी.एन.एस.-----

(1) श्री नेमवेद गोतानाल पोरवाल।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रफुल्लवद्र मनसुखलाल शहा।

(अन्तरिती)

भाष्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भाष्य करकाय

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1849/82-84-अत मुझे ए० प्रसाद

भाष्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 302, जो, "गिरनार" अपार्ट-मेंट्स, तीसरी मंजिल, आफ मंडपेश्वर रोड, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है। और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है। और जिमहा करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 घ, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 21 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरम्यान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, उसके दृश्यमान प्रतिफल का अंश प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब धारा 269-घ के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हार्द किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दावित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

को यह सूचना जारी करके उक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों या सहायक आयकर आयुक्त द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति के नाम पर उक्त स्थावर संपत्ति के नाम लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण -- इस सूचना के अन्तर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का, जो उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के लिए अन्तरक में भाषित है, दली अर्थ होगा, जो उस अध्याय में निर्दिष्ट है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 302, जो, "गिरनार" अपार्टमेंट्स, तीसरी मंजिल, आफ मंडपेश्वर रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० नं० अई-4/37-ईई/1849/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 21-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984
माहूर :

प्रत्येक बाजार में टी. 2 एन. 3 प्रकृत...

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई,

बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/4268/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेट नं० 10, जो, बिल्डिंग ई, तीसरी मंजिल, बोरिवली माधव बाग को-ऑप०, हासर्सिंग सोसाईटी लिमिटेड, जांबोली गल्ली, एस०वी० रोड, बोरिवली (प) बम्बई-92 में स्थित है और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12 मार्च 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किन्हीं जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्रीमती भानूबेन परेश शहा ।
(अन्तरक)

(2) (1) श्रीमती लता अरविंद शहा और
(2) श्री किशोर बाबूलाल शहा ।
(अन्तरिती)

(3) अन्तरितीयों और उनके परिवार ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थान पर स्थित हो हितवन्धु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अदाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 24-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लेट नं० 10, जो, बिल्डिंग ई, तीसरी मंजिल, बोरिवली, माधव बाग को-ऑप० हासर्सिंग सोसाईटी लिमिटेड, जांबोली गल्ली, एस०वी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/4268/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण से, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

तारीख : 10-12-1984
मोहर :-

प्रश्न आई.टी.एन.एस. -----

(1) श्रीमती कविता अमरलाल मखिजा।

(अन्तरक)

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) मेवर्स योगी नगर सोसाइटी स्टोर्स।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

घाउद सुदकाह

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1375/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,
भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं० दुकान नं० 6, जो, बिल्डिंग नं० डी/27,
ग्राउंड फ्लोअर, योगी नगर, एकसार रोड, बोरिवली (प),
बम्बई-92 में स्थित है और इससे उपावद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आय-
कर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई
स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख
12 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें पयस्त अर्थों और शब्दों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 6, जो, बिल्डिंग नं० डी/27, ग्राउंड फ्लोअर,
योगी नगर, एकसार रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में
स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/1375/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

सांहर :

प्रकाशक आई टी एम.एस. -----

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/4257/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके प्रस्ताव 'सहायक अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,00,00,00,000 के बराबर है;

और त्रिगुणी सं० दुकान नं० 4, विल्डिंग नं० डी/28,
योगी नगर, एक्सार रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92
में स्थित है और इसे उपायुक्त अनसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है और 'सहायक अधिनियम' आयकर अधिनियम
1961 की धारा 269-ब के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 7 अप्रैल
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम मूल्यमान
प्रतिफल के लिए संकीर्ण की गई है और मुझे यह विश्वास
है कि अभावपूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, समान सम्पत्तियों से, ऐसे सम्पत्तियों के
सम्बन्ध प्रतीक से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से पहले किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
द्वारा से कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए था/या

(ख) ऐसे विवरण आय या योगी मत में अन्य आस्तियों
के चिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
अनुसूची अन्तरिती द्वारा पकट नहीं किया गया
या या किया जाना चाहे था, छिपाने में सुविधा
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन है—

- (1) श्री उस्मानभाई इस्माईलभाई मवाडिया।
(अन्तरक)
- (2) श्री जशूभाई रणछोडभाई पटेल।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आरोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याक्षरी के पास
लिखित में किया जा सके।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

दुकान नं० 4, जो, विल्डिंग नं० डी/28, योगी नगर,
एक्सार रोड बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/4257/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984
मोहर :

प्रथम भाग, डी. एच. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1343/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ए/104, जो, पहली मंजिल, बिल्डिंग को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, राम नगर, एस०वी० रोड, बोरिवली (प), बम्बई-82 में स्थित है। और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है। और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 7 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित अक्षरेय से उक्त अन्तरक विहित नो वास्तविक रूप से कायम नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, किन्हीं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब का उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

59—426 GI/84

(1) श्री बहूवीन खेख मिस्त्री।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सिमा अशोक राहा।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सूचना के अर्ज के सम्बन्ध में कोई भी वादोप-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-व्यक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा विहित नो किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ए/104, जो, पहली मंजिल, बिल्डिंग पोपी को-ऑप० हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, राम नगर, एस०वी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/1343/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्रमुख आई.टी.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37-ईई/1200/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसके इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारि को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 211, जो, दूसरी मंजिल, सिता
पार्क, एस०वि०पी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92
में स्थित है। और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है। और जिसका करारनामा आयकर अधि-
नियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित
सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 5 अप्रैल
1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के
बाबत में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी भव या अन्य आस्तियों
के, जिनके भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
वन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया या या किया जाना चाहिए था, जिनके में
विविधा के लिए।

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) श्री रामलाल मथुरादास और
(2) श्रीमती चतानदेवी रामलाल।
(अन्तरक)

(2) (1) श्री राजेंद्र रमणिकलाल शाहा और
(2) श्रीमती सरोज भरत शाहा।
(अन्तरिती)

(3) अन्तरकों।
(वह व्यक्ति, जिसके
अधिभाग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के सचपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभूत (करी) के पात्र
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 211, जो, दूसरी मंजिल, सिता पार्क, एस०
वि०पी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित
है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० आई-4/37-ईई/1200/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 5-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/1612/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० ए/8, जो, गंगा/जमुना को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एल०टी० रोड, बोरिवली (प०), बम्बई-92 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क.ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 11 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

(1) श्री नरेश नानूभाई लाखडावाला और श्रीमती आशा नरेश लाखडावाला। (अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रतिभा भरतभाई कोठारी, और श्रीमती स्मिता हर्षदभाई कोठारी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसबबूध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० ए/8, जो, गंगा जमुना को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एल०टी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जिसकी सं० अई-4/37-ईई/1612/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख . 10-12-1984

मोहर :-

प्रथम भाग टी. एन. एस. -----

(2) श्री जय राम बिल्डर्स-1।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री माउरीस डिसोसा, और
अर्जेंटिन डिसोसा।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1316/83-84—अतः मुझे;
ए० प्रसाद;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेट नं० 16, जो, 6वीं मंजिल, "जय श्री" अपार्टमेंट्स, जयराज नगर बजिरा नाका, बोरिवली (प) बम्बई-92 में स्थित है और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई में स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 7 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें अयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विना पना है।

अनुसूची

प्लेट नं० 16, जो 6वीं मंजिल, "जय-श्री अपार्टमेंट्स, जयराज नगर, बजिरा नाका, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र०सं० आई-4/37-ईई/1316/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

अध्याय 20-क के अन्तर्गत

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

प्राप्त सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/2044/83-84—प्रतः मुझे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 4, जो, ग्राउंड फ्लोअर, सिल्वेरिन अपार्टमेंट्स, आय०सी० कॉलनी रोड, बोरिवली (प), बम्बई-103 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 26 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मैंने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तःक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में तात्त्विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तःक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्राप्ति/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स वी०आर० इंटरप्राइज।

(अन्तरक)

(क) श्रीमती बेबी वी० कोटियन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 4, जो, ग्राउंड फ्लोअर, सिल्वेरिन अपार्टमेंट्स, आय०सी० कॉलनी रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-103 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र०सं० अई-4/37-ईई/2044/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 26-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एम. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई-4/37-ईई/1061/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ई/20, जो 4थी मंजिल, साई-
बाबा धाम, आफ एस० वी० रोड, बोरिवली (प०), बम्बई-
92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधि-
नियम, 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित
सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख
2-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी बात की वजह से, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के दायरे के
दायित्व में कमी करने या उक्त दायरे को
हटाने के लिए; बाँट/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27),
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स अरुण इंटरनेशनल

(अन्तरक)

2. श्री हेरमन अलेक्जेंडर

और श्री ज्यूड अलेक्जेंडर

(अन्तरिती)

3. विक्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में
संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी को
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ई/20, 4थी मंजिल, साईबाबा धाम, आफ
एस० वी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित
है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-3/37-ईई/1061/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
2-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर

प्रकृ. आई. टी. एन. एस.

मैसर्स गौतम बिल्डर्स (इंडिया),

(अन्तारक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

2. श्रीमती सेलिन निकलेस पिटो और श्री बिलफ्रेड टावरो।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

निर्देश सं० आई-4/37ईई/1510/83-84—अतः मुझे ए० प्रसाद

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 201, जो 2^{री} मंजिल, बिल्डिंग "विशाल-1", एस० व्ही० रोड, बोरिवली (प०), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 12-4-1984

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पर्याप्त अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

फ्लैट नं० 201, जो 2^{री} मंजिल, बिल्डिंग "विशाल-1" एस० व्ही० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-4/37ईई/1510/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बन्धक, द्वारा दिनांक 12-4-1984 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण से, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 12-10-1984

मोहर :

प्ररूप भाई. टी. एन. एस. -----

1. मैसर्स दीपक कन्स्ट्रक्शन्स ।

(अन्तरक)

2. श्री प्रभाकर रामचन्द्र खाड्केकर ।

(अन्तरिती)

ये वह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269 (घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984।

निर्देश सं० आई-4/37ईई/1571/83-84—अतः मुझे

ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 42, जो प्रेम भानू अपार्टमेंट,
आय० सी० कालोनी, क्राम रोड, नं० 4, आय० सी० कालोनी,
बोरिवली (प०), बम्बई-103 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची नं० और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) (और जिसका करार-
नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-ख के अधीन
की धारा 269-ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के
कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 12-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल में, एम उद्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंत-
रिती (अंतरिती) के अधीन एम कारण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के
वास्तव में धारणी कर्तव्य का उद्देश्य तय करने के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी अन्य वास्तविक आयों
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
के, श्री, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम :-

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के
45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों को
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

वनसूची

फ्लैट नं० 42, प्रेमभानू अपार्टमेंट, जो, आय० सी०
कालोनी, क्राम रोड, नं० 4, आय० सी० कालोनी, बोरिवली
(पश्चिम), बम्बई-103 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-4/37ईई/1571/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को
रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई०-4/37ईई/1479/83-84—अतः मुझे

ए० प्रसाद

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० बी-31, जो 2 री मंजिल, "लकी स्टार अपार्टमेंट", बिल्डिंग नं० 2, शांती आश्रम, के बाजू में एकसार, बोरिवली (प०), बम्बई-103 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 12-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा प्रदान करने के लिए, और/या

(ख) एभी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या प्रवर्धन अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

1. मैन्स एम० जे० गणात्रा, एंड कंपनी, ।
(अन्तरक)

2. श्री किशन चन्द गोकलदास भाटिया
(अन्तरिती)

3. अन्तरक
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० बी-31, जो 2 री मंजिल, "लकी स्टार अपार्टमेंट", बिल्डिंग नं० 2, एस० नं० 99, एच० नं० 3, सी० टी० एस० नं० 1509, और 1512, शांती आश्रम के बाजू में एकसार बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-103 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-4/37ईई/1479/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

माहूर :

प्रश्न क्रमांक टी. एन. एच. -----

श्री यस्मिन एमोशिण्टस, ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

2. श्री एन० सी० निकोलस ।

(अन्तरिती)

3. अन्तरक ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, -4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37ईई 2032/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इत्तमे
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिमकी सं० प्लट न० बी 001, जो ग्राउन्ड फ्लोअर,
बिल्डिंग न० 16, एस्के अपार्टमेंट्स, साई बाबा नगर,
एस० वी० रोड, बोरिवली (प०), बम्बई-92, में स्थित है
(श्रीर इससे उपायुक्त अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है)
श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की
धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के
कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 26-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
रूप से भीषण नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्णित हैं—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्यः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

प्लेट न० बी 001, जो ग्राउन्ड फ्लोअर, बिल्डिंग न० 16,
एस्के अपार्टमेंट, साई बाबा, नगर, बोरिवली, पश्चिम);
बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० आई-4/37ईई 2032/83-84
श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 26-9-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रकृत धारा 4 की एन. एन. - 8 - - - -
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेद्य सं० आई०-4/37ईई/1233/83-84—अतः मुझे,
 ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे पहले इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

श्रीरजिसकी सं० फ्लैट नं० 401, जो 4थी मंजिल, बिल्डिंग श्यामकृपा नं० 1, एक्सार, व्हिलेज रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) श्रीरजिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 6-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवधान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके व्यवधान प्रतिफल से, ऐसे व्यवधान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण सिद्धित नै वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की समत, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक के अन्तर्गत से कमी करने या उक्त धारा में सूचना के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) से प्रकोषमार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहे हुए या, छिपाने में सूचना को लिए;

किसी अन्य, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मसर्स विजय कंपनी ।
(अन्तरक)
2. श्री समिर हरीशचन्द्र माली ।
(अन्तरिती)
- 3 अन्तरक ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है ।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

व्यक्तिकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 401, जो 4थी मंजिल, बिल्डिंग श्यामकृपा नं० कु1, एक्सार व्हिलेज रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० आई-4 37ईई/ 1233/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
 सक्षम प्राधिकारी
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज 4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37ईई 1191/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट न० 209, जो 2री मजिल, "रोहन
अपार्टमेन्ट, नया गांव, प्लॉट न० 5, मडपेश्वर रोड, बोरिवली
(प०), बम्बई-92 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर
अधिनियम 1961 की धारा 269-घ के अधीन बम्बई स्थित
सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड है दिनांक 3-4-1984
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह
प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अंत-
रिती) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से पहले किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
का जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
को पयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन्स ।

(अन्तरक)

2. श्री नन्दकुमार, ब्राह्मणनाथ लाड ।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—उक्त प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

फ्लैट न० 209, जो 2री मजिल, "रोहन अपार्टमेन्ट,
नया गांव, प्लॉट न० 5, मडपेश्वर, रोड, बोरिवली (पश्चिम),
बम्बई-92 में स्थित है ।

अनुसूची जा 1क क्र० सं० आई-4/37ईई 1191/83-84
और जैसा सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप बाई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37ईई 1033/83-84—अतः सुझे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट न० 207, जो 2री मंजिल,
निर्माणाधीन इमारत मडमेश्वर, तालुका, बोरिवली (प),
बेअरिंग सर्वे नं० 8, पार्ट, 5, बम्बई में स्थित है (और
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है)
और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा
269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय
में रजिस्ट्री है दिनांक 1-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय,
धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्री-
कृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, एसें दृश्यमान प्रतिफल के पत्र प्रतिशत से अधिक
है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच
अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की मात्रा, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व
से कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए;
और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्वयित्व द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था किपान में सूविधा
के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स त्रिमूर्ति, कन्स्ट्रक्शन्स।

(अन्तरक)

2. श्री इग्नाटिक जोसेफ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लैट न० 207, जो 2 री मंजिल, निर्माणाधीन इमारत,
मडमेश्वर तालुका बोरिवली (प) प्लॉट बेअरिंग सर्वे नं० 8
पाट, 5, सर्वे नं० 3, एच० नं० 1, पार्ट और सर्वे नं० 3,
एच० नं० 3 (पार्ट), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जसा कि क्र० सं० आई-4 37ईई 1033/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रकाश भाई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37ईई/1031/83-84--भारत:

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 106, जो 1ली मंजिल, निर्माणाधीन इमारत, रेव्ह्यून्स विल्हेज, मंडपेश्वर, तालुका बोरिवली, प्लॉट बेअरिंग सर्वे नं० 8, पार्ट, 5, बोरिवली, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन दिनांक बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 1-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में नास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वानत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कारण से कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तित्वात् द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

1. मैसर्स त्रिमूर्ति, कन्स्ट्रक्शन्स।

(अन्तरक)

2. श्री दुष्यन्त भास्कर महाले, और श्रीमती उज्वला दुष्यन्त, महाले,।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि नाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 106, जो, 1 ली मंजिल, निर्माणाधीन, इमारत, रेव्ह्यून्स, विल्हेज, प्लॉट आफ लैंड, बेअरिंग सर्वे नं० 8, पार्ट 5, सर्वे नं० 3, एच० नं० 1, पार्ट, और सर्वे नं० 3, एच० नं० 3, (पार्ट), मंडपेश्वर, तालुका बोरिवली, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-4/37ईई/1031/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई-4/37ईई/1034/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिससे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 307, जो 3री मंजिल, निर्माणा
धीन, इमारत, रेव्ह्यून्यू व्हिलेज, मंडपेश्वर, तालुका बोरिवली
प्लॉट आफ लैन्ड बेअरिंग, पार्ट और सर्वे नं० 3, एच०
नं० 3 (पार्ट), सर्वे नं० 8 (अंश), पार्ट 5, सर्वे नं० 3, एच०
नं० 1, पार्ट, बोरिवली, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाय
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करार-
नामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन
बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक
1-4-1984

को पूर्णतः सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, सिमांगा में धारा
269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत
किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्णतः
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से,
एसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंत-
रक (अंतरक) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंत-
रण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं गया
है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
कारित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-गब के अन्वय
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैगर्स लिमिटेड कन्स्ट्रक्शन्स ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती हुमाल डिसा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्णतः सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्णतः
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

बुझावः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 307, जो 3री मंजिल, निर्माणाधीन इमारत
रेव्ह्यून्यू व्हिलेज, मंडपेश्वर, तालुका बोरिवली, प्लॉट आफ लैन्ड
बेअरिंग सर्वे नं० 8, पार्ट 5, सर्वे नं० 3, एच० नं० 1
(पार्ट), और सर्वे नं० 3, एच० नं० 3 (पार्ट), बोरिवली,
बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-4/37ईई/1034/83-84
और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984
को रजिस्टर्ड किया गया है

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर ४

प्रारूप आई. टी. एन. एस. -----

1. श्री मेगर्स विमर्श वास्तुवशात् ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

2. श्री एम०डिगा ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37ईई/1032/83-84—अतः मुझे, ए० प्रमाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स-शायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. में अधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लेट नं० 306, जो, 3री मंजिल, निर्माणाधीन, इमारत रेव्ह्यून्सू व्हिलेज, प्लाट बेअरिंग, सर्वे नं० 8, पार्ट, 5, मंडपेश्वर, तालुका बोरिवली बम्बई में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269-घ के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 1-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरक की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के क्षयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाय में लागू होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त शायर सम्पत्ति में हिस-बुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपाहस्ताक्षरी के नाम लिखित में किया गया हो।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लेट नं० 306, जो 3री मंजिल, निर्माणाधीन इमारत रेव्ह्यून्सू, व्हिलेज, मंडपेश्वर, तालुका बोरिवली, प्लाट नं० बेअरिंग सर्वे नं० 8, पार्ट 5, सर्वे नं० 3, एच० नं० 1 पार्ट, श्रीर सर्वे नं० 3, एच० नं० 3 (पार्ट), बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-4/37ईई/1032/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रमाद

सक्षम प्राधिकारी

महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक 10-12-1984

मोहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एच. - - -

1. श्री ए० पी० नाडकर्णी ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

2 डा० जे० एम० फडतरे ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

जो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहीमा शुरु करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितरक्षक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

समाप्ति:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और बच्चों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

निर्देश सं० आई-4/37ईई/1076/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

श्रीर जिनकी सं० फ्लैट न० 3, जो, 2री मंजिल बी-ब्लॉक, एफ प्लाट 653, टी० पी० एम० 3, बोरिवली, शिम्पोली रोड, बोरिवली (प०), बम्बई-92 में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) श्रीर जिसका करारनाम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 2-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पर्याप्त प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

फ्लैट न० 3, जो 2री मंजिल, बी-ब्लॉक, "सुनील", एफ प्लाट नं० 653, टी० पी० एम० नं० 3, शिम्पोली, रोड, बोरिवली (पश्चिम बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० आई-4/37ईई/1076/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2-4-1984 को रजिस्टर्ड, किया गया है।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम का धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए;

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण है, जो, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
61—426 GI/84

दिनांक : 10-12-1984
मोहर :

रजम बाई. टी. एच. एच.-----

(1) मेसर्स मंगल बिस्मिल । (अन्तरक)

(2) श्री एस० टी० मुरकर और अन्य

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) की अधीन सूचना

(3) (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

भारत सरकार

(4) श्री माथी कमरुद्दीन खान ।

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई-4/37ईई/1932/83-84-अतः सूत्रे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हमने इससे पहले 'उक्त अधिनियम' कहा था), की धारा 269-ब की अधीन सक्षम प्राधिकारी को, वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

को वह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के मूल्य के लिए कार्रवाई करना है ।

उक्त सम्पत्ति के मूल्य के सम्बन्ध में कोई भी शक्यता :—

और जिसकी सं० बिल्सेज, एक्सार, तालुका, बोरिवली, बेअरिंग सर्वे नं० 225, एच० नं० 5ए, सिटी, सर्वे नं० 2213 में स्थित है (और इससे उपामुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 23-4-84

(क) इस सूचना के उद्देश्य में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी अवधि पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि में भी अवधि बाह्य में समाप्त होती है और पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरक की गई है और यहाँ यह विश्वास करने का कारण है कि वह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उद्यमान है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित सूत्रों से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(ख) इस सूचना के उद्देश्य में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि पर स्थावर सम्पत्ति के लिए अन्तरक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के साथ लिखित में किया जा सकेगा।

समाप्ति :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के बन्धन 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त बन्धन में दिया गया है।

(क) अन्तरक से हुई किसी बात की वजह, उक्त अधिनियम में बर्णित कर देने के अन्तरक के कारण से नहीं करने या उसके द्वारा से सूचना के लिए और/वा

अनुसूची

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य वस्तुओं को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्य अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, किन्तु न के सूचना के लिए;

बिल्सेज एक्सार, तालुका बोरिवली, बेअरिंग सर्वे नं० 225, एच० नं० 5ए, सर्वे नं० 2213 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई-4/37ईई/1932/1983-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज; 4, बम्बई

अतः यह, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तर्गत है, न. उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा

दिनांक : 10-12-1984

संकेत B

सूचना सं. टी. एन. एन. 4/37ईई/1236/83-84

(1) मेजर रघुवंशी देवप्रोपर्टी

(अन्तरज)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब
(1) के अधीन सूचना

(2) कुमारी प्रतिभा एन० भगत,

दुष्यंत एन० भगत,

कुमारी कल्पना एन० भगत,

श्रीर भीमती उषा एन० भगत ।

(अन्तरिणी)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई० 4/37ईई/1236/83-84—अतः मुझे,

ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे पहले कृपा के पत्रात् 'सहायक आयकर अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सहायक आयकर अधिकारी को यह विचारित करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फ्लैट नं० 204, जो 2री मंजिल, मां कृपा स्वामी पार्क शिम्पोली रोड, बोरिवली, बम्बई-92 में स्थित है (श्रीर इससे उपायय अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, के अधीन बम्बई स्थित सहायक आयकर अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 6-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अथवा प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विचार करने का कारण है कि सहायक आयकर अधिनियम का उचित बाजार मूल्य, उसके अथवा प्रतिफल से, ऐसे अथवा प्रतिफल का अधिक प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उपरोक्त से उक्त अन्तरण विधि से वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्णन के लिए कार्यवाही कराया है।

उक्त संपत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी वादी :-

(क) इस सूचना के उपरोक्त अन्तरण की तारीख से 45 दिन की अवधि या उत्तरवर्ती व्यक्तिनी इस सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या की अवधि बाद में बनाए जाती हो, को उक्त पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के उपरोक्त अन्तरण की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंधोस्ताकारी के द्वारा विधि से किए जा सकेंगे।

सहायक आयकर अधिनियम, 1961 के अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, यही अर्थ होगा, या उक्त अध्याय में किया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुए किसी बात की वजह, उक्त अधिनियम के अधीन उक्त अधिनियम के अधिनियम से कथित करने या उक्त अधिनियम के अधिनियम के लिए; और/वा

(ख) कोई किसी बात या किसी धन या किसी व्यक्तिनी का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अधिनियम अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधिनियम अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम का या या किया गया अधिनियम या, अधिनियम के अधिनियम के लिए;

फ्लैट नं० 204 जो, 2री मंजिल, मां कृपा, स्वामी पार्क, शिम्पोली रोड, बोरिवली, बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई-4/37ईई/1236/83-84 श्रीर जो सहायक आयकर अधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सहायक आयकर अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

उक्त अधिनियम, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अधिनियम के, या, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधिनियम, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधिनियम :-

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :-

इच्छा बाई-टी. एन. एच

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० अई-4/37ईई/1670/83-84—अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विवक्षा करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉक नं० 33, जो मोहर अपार्टमेंट, पेणकर वाडी एल० टी० रोड, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है और इससे उपाय अनुसूची में प्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ब के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान प्रतिफल के लिए बन्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि वधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का बम्बई प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तब बाधा पया प्रति-कम निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी भाग की बाधत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के वास्तविक के वास्तविक से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रकोचनार्थ बन्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) मेसर्स बिल्ड बिल्ड विवक

(अन्तरक)

(2) कुमारी बी० एल० जोशी और
कुमारी एस० एस० जोशी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचन के विषय कार्यावाही करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के बचन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि या उसके अन्तर्गत व्यक्ति को उक्त सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्द किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सम्बन्धीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

बन्तारिती

प्लॉक नं० 33, जो, मोहर अपार्टमेंट, प्लॉट नैअरींग सी० टी० एस० नं० 71, और 221, पेणकर वाडी, एल० टी० रोड बोरिवली (प) बम्बई-92 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई-4/37ईई/1670/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

अज्ञान बाबू. टी. एस. एल. एल. एल.-----

(1) मेसर्स विल्ड विवक ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री दीपक नारायण जुवेकर और नारायण रामोदर जुवेकर ।

(अन्तरिती)

प्राप्त बहुकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाही करना है।

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

उक्त सम्पत्ति को अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

निदेश सं० अई-4/37ईई/1771/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

(क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

(ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

और जिसकी सं० ब्लॉक नं० 24, जो, सी० टी० एस० नं० 71 और 221, पेणकर बाड़ी, एल० टी० रोड, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करार-मामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 19-4-1984

बन्धीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवसाय प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यवसाय प्रतिफल से, ऐसे व्यवसाय प्रतिफल का पर्याप्त प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कथित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

ब्लॉक नं० 24, जो, सी० टी० एस० नं० 71 और 221, पेणकर बाड़ी, एल० टी० रोड, बोरिवली (पश्चिम) बम्बई-92 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई-4/37ईई/1771/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 19-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

(ख) एंटी किसी नाम या किसी धन या अन्य वास्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरक में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक : 10-12-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस-----

(1) स्काय बिल्ड-प्राइवेट लिमिटेड।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विव्यबेन विरेन्द्र पटेल और अन्य

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० अई-4/37/ईई 1637/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1206 है, जो, "कस्तूरबाग", प्लॉट नं० 24, बी/1, टी० पी० एस० 1, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 16-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनुसूची

फ्लैट नं० 1206, जो, (कस्तूरबाग) प्लॉट नं० 24, बी/1, टी० पी० एस०, 1, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई-4/37/ईई 1637/84-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

अर्थ-टी. एन. ए.-----

(1) स्काय-बिल्ड प्राईवेट लिमिटेड ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती वत्सला रमेश मोदी ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० अई-4/37ईई/1318/83-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विज्ञापन करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 606, जो "कस्तूरबाग",
प्लॉट नं० 24 बी/1, टी० पी० एस० 1, बोरिवली (प),
बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर
अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन
बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है
तारीख : 7-4-1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हदमात्र
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके ह्यमान प्रतिफल से, ऐसे ह्यमान प्रतिफल का पंद्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबोध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्त, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
बाधित में कमी करने या उससे बचने में सूचना
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था छिपाने में सूचना के लिए;

फ्लैट नं० 606, जो "कस्तूरबाग", प्लॉट नं० 24,
बी/1, टी० पी० एस० 1, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92
में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई/4/37ईई/1318/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
7-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरक
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रकृत बाई.टी.एन.एल.-----

(1) स्काय विल्ड प्राइवेट लिमिटेड।

(अन्तरक)

बाबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्रीमती कमलाबाई मोतीशा बराड।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

कार्यालय, सहायक बाबकर आबूक्त (निराकरण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० अई-4/37ईई/1317/83-84—अतः मुझे, ए० प्रसाद

बाबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लैट नं० 502, (कस्तूरबाग) प्लॉट नं० 24, बी 1, टी० पी० एस्० 1, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 7-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके छयमान प्रतिफल से, ऐसे छयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी बाधक:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपाहस्ताधारी के वास्तविक रूप से किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और शर्तों का, जो उक्त अधिनियम के बन्धन 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस बन्धन में दिया है।

अनुसूची

(क) अंतरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय बाबकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्लैट नं० 502, जो, "कस्तूरबाग," प्लॉट नं० 24, बी 1, टी० पी० एस्०, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई-4/37ईई/1317/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आबूक्त (निराकरण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्जातु:—

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

(1) स्काय बिल्ड प्रव्हेट लिमिटेड।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री बसंतभाई मणिलाल दोशी।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता है।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

निदेश सं. आई-4 37ईई 1319-83-84—अतः मुझे
ए० प्रसाद

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु. से अधिक है

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

और जिसकी सं. प्लॉट नं. 1305, जो "कस्तूरबाग",
प्लॉट नं. 24, बी 1, टी० पी० एस० 1, बोरिवली (प),
बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में
और पूरा रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन
बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है,
तारीख 8-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है यह पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य, उसके
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के सम्बन्ध में
हायिल्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

प्लॉट नं. 1305, जो, "कस्तूरबाग", प्लॉट नं. 24,
बी 1, टी० पी० एस० 1, बोरिवली पश्चिम), बम्बई-92
में स्थित है।

अनुसूची जसा कि क्रम सं. आई-4 37ईई 1319
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
7-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तुओं
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अधिा है :-

दिनांक : 11-12-1984

गोहर

अथवा आई. टी. एम. ए.क. ...

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37ईई/2052/83-84-अतः मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 2, जो 1ली मंजिल, जय गुरुदेव भवन, एकसार रोड़, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 19-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और अतः यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकॉ) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उल्लेख से उक्त अन्तरण लिखित के वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता था/हिए या छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

- (1) श्री हमीद अली अब्दुल मजिद (अन्तरक)
(2) श्री कृष्ण कुमार सोंटा । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 2, जो, 1ली मंजिल, जय गुरुदेव भवन, एकसार रोड़, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई-4/37ईई/2052/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 19-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रारूप आई टी एन. एस.-----

(1) मेसर्स कोरिया इन्वेस्टमेंट्स ।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

(अन्तरक)

(2) श्री सी० ए० नोरोन्हा ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

निर्देश सं० आई-4/37ईई/4261/83-84-अन: मुने, ए० प्रसाद
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा
269-घ की अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1 और 2, जो ग्राउंड फ्लोर
विल्यम्सबर्ग अपार्टमेंट, आइ सी० कालोनी, बोरिवली (प),
बम्बई-103 में स्थित है (और इसमें उभावट अनुसूची
में और पूर्ण रूप में वर्णित है) और जिसे कर्णारामा
आयकर अधिनियम 1961 का धारा 269A, ख के अधीन
बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रजिस्ट्री है,
तारीख 2-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को जिनमें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा
के लिए;

अनुसूची

फ्लैट नं० 1 और जो, ग्राउंड फ्लोर, विल्यम्सबर्ग,
अपार्टमेंट्स, आइ० सी० कालोनी, बोरिवली (पश्चिम)
बम्बई-103 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई-4/37ईई/4261/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
2-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद.

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

नोट: यह, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की अनुसरण
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) मेतर्व प्रगति कार्पोरेशन ।

(अन्तरक)

(2) श्री मकरंद आर० पटेल ।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई-4/37ईई/1812/83-84—अतः मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फ्लैट नं० 605, जो 6वीं मंजिल, निलधर अपार्टमेंट, देविदास रोड़, बोरिवली (प०), बम्बई-92 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) श्रीर जिनका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269-ब, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12-4-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा वायित्व के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहियां शुरू करता हूँ ।

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताधारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
गया है ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 605, जो, 6वीं मंजिल, निलधर अपार्टमेंट, देविदास रोड़, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई-4/37ईई/1812/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एम. एस. -----

(1) मेसर्स बिल्ड आर्ट्स ।

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) सुमिताबेन छगनलाल शहा ।

(3) अन्तरक ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० आई-4/37ईई/1716/83-84---अतः मुझे,
ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 11, जो 1ली मंजिल, "शांती धाम" बिल्डिंग, बिलेज एकसार, बोरिवली (प०), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, खा के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 16-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल की लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को अन्तरण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्तः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास उक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए कार्यवाहियां

स्वीकृतः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 11, जो 1ली मंजिल, "शांती धाम" बिल्डिंग बिलेज एकसार, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।
अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई-4/37ईई/1716/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

माहूर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

(1) रोशन इन्टरप्रायजेस ।

(अन्तरक)

(2) श्री अब्दुल हुनीफ बाबू वायकर ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० आई-4/37ईई/1217/83-84—अन: मुझे,
ए० प्रसाध

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि रथावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिनकी सं० फ्लैट नं० 401, जो 4थी मंजिल, ई-विंग रोशन अपार्टमेंट, 4था कस्तूरबा रोड, प्लॉट नं० 68, बोरिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 5-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिक की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सृजिभा के लिए, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भाग-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृजिभा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, का धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

धनसूची

फ्लैट नं० 401, जो, 4थी मंजिल, ई-विंग, रोशन अपार्टमेंट, 4था कस्तूरबा रोड, प्लॉट नं० 68, बोरिवली (पूर्व), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई-4/37ईई/1217/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 5-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाध
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर (आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

माहुर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) रोशन इंटरप्रायसेस ।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

(अन्तरक)
(2) श्री मोहम्मद सिद्दीक एच० एच० भागल,
श्रीर श्री मोहम्मद युनस एच० एच० भागल।
(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1216/83-84— अतः
मुझे, ए० प्रसाद,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु से अधिक है
और जिसकी सं० फ्लैट नं० 201, जो दूसरी मंजिल, ई-
विंग रोशन अपार्टमेंट, 4था कार्टर रोड, प्लॉट नं० 68,
बोरीवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है (और इससे उपावद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करार-
नामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख
के अधीन बम्बई स्थित, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में
रजिस्ट्री है, दिनांक 5 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
क्षयित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या धन्य आस्तियों
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1),
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोद्वारा के नाम
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 201, जो दूसरी मंजिल ई-विंग, रोशन
अपार्टमेंट, 4था कार्टर रोड प्लॉट नं० 68 बोरीवली (पूर्व)
बम्बई-66 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० आई-4/37-ईई/1216/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
5 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया ।

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1584/83-84— धतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 27, जो पहली मंजिल, बिल्डिंग 8, 9, 10 'ऋस्तन नगर' स्किम, बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 21 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मैं यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मससे परम आनंद बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड (प्रतररु)

(2) श्री सतिषू जय सिंह राणे (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 27 जो पहली मंजिल, बिल्डिंग 8, 9, 10 'ऋस्तन नगर' स्किम बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37-ईई/1584/83-84 और जो समय प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया।

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -4, बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस-----

- (1) सैसन परम प्रानद विल्डर्न, प्रायवेट लिमिटेड
(अन्तरक)
- (2) भ्रामती न्मिता योगेश उभाध्याय ।
(अन्तरिता)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1059/83-84-- प्रन
मुने. ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/-रु से अधिक है

श्री जयको सं० फीट नं० 24 प्र, जो तापरी पञ्जाब
बिल्डिंग ए-13 रत्न नगर स्किम, बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66
में स्थित है (और इसमें उल्लेख अनुसूची में श्री प्र के
में वर्णित है) और जयका करारनामा आयकर अधिनियम
1961 की धारा 269 के अन्तर्गत बम्बई रजिस्ट्रार सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री दिनांक 1 अप्रैल 1984
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय प्राप्ता
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है --

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित उद्देश्य के लिए --

3 —426 GI/84

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

फ्लट नं० 24-बी, जो, उरी मजिल बिल्डिंग एन13
रत्न नगर स्किम, बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित
है।

अनुसूची, जेपाको क्र० सं० आई-4/37-ईई/1059
83-84 और जे नमम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1
अप्रैल 1984 को रजिस्ट्री किया गया है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रोज-4, बम्बई

दिनांक — 10-12-1984

मोहर —

प्रथम भाग, डॉ. एम. एस.

भाषा अधिनियम 1961 (1961 का 43) का धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

प्राप्त सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेदन सं० अई-4/37-ईई/1260/83-84 अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 4, जो ग्राउंड फ्लोर, विल्डिंग
रतन नगर स्किम, बोरिवली (पूर्व) बम्बई -66 में स्थित
है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 का धारा
269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी
के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 6 अप्रैल 1984 को
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल से लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
अच्छ प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्त-
विक रूप से उचित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय का वास्तव, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की
हायिले में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्वय
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसन परम आनंद विल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड ।
(अन्तरक)

(2) श्री विरजलाल भावाका शहा ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्त :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें उक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

धरमजी

दुकान नं० 4 जो, ग्राउंड फ्लोर, विल्डिंग "रतन नगर"
स्किम, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकि सं० अई-4/37-ईई/1260/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
6 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -4, बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर :-

प्रमुख भाग. टी. एच. एच. -----

(1) मैसर्स परम आनंद विल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड ।
(अन्तरक)आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना(2) मगला बेन एन, ठक्कर और
नर्वानतलाल एन० ठक्कर ।

भारत सरकार

(अन्तरितो)

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ ।

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1866/83-84 -अतः

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधोपे :-

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु. से अधिक है(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;और जिसकी सं० फ्लैट नं० 48 जो, पहली मंजिल,
विल्डिंग 9, 8, 10, आंध्र रत्न नगर" स्किम, बोरोवली
(पूर्व), बम्बई-67 में स्थित है (और डममे उपाखण्ड अनुसूची
में और पूर्ण रूप से वर्गीकृत है), और जिसका करारनामा
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख
के अधीन बम्बई स्थित सं० प्राधिकारी के कार्यालय
में रजिस्ट्री है, दिनांक 21 अप्रैल 1984(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।को पूर्वोक्त सम्पत्ति दो उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि अधोपूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरित
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गया प्रति-
फल निम्नलिखित लक्ष्य के अन्तर्गत लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :-स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी भी अवधि के अन्तर्गत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के दायित्व में
कमी करने या उससे अर्जन को सुविधा के लिए
और/याफ्लैट नं० 48, जो पहली मंजिल, विल्डिंग 8; 9, 10
आंध्र रत्न नगर स्किम, बोरोवली (पूर्व) बम्बई-66 में
स्थित है ।(ख) इसी किसी भाव या किसी भव या अन्य वास्तवों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रभावनाश अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया
या या किया जाना चाहिए या, लिपाने में सुविधा
के लिए;अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-4/37-ईई/1866/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 21
अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर :-

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --- ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37-ईई/1935/84-83 ---अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह निदेश देना के कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका मूल्य मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट न० 4 जो ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग ए-7, "रत्न नगर" स्किम, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है (और इसे उपरोक्त प्लॉट में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 23 अप्रैल 1984 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मूल्य के कम से कम प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह (क) मूल्य के लिए अंतरित मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और (ख) अंतरित मूल्य के अधीन (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नया पत्र नया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुआ किसी वाय कौ वायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या क्रिमी मन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधिनियम अन्तर्गत द्वाारा प्रकट नहीं किया गया था या किंवा जाना चाहिए था लिखित में अंतरण के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) मेनर्स परम आनन्द चित्तार्न प्रायवेट लिमिटेड ।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती मालाबाबिन हिमाशू देसाई, और
हिरानामा छोडूभाई शहा ।

(अन्तरितों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताधारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट न० 4 जो, ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग ए-7, "रत्न नगर" स्किम बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है ।
अनुसूची जैसाको क्र० सं० आई-4/37-ईई/1935/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 1984 को रजिस्ट्री किया गया है ।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -4 बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर ४

प्ररूप आई टी. एन एस -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1983

निदेश सं० आई-4/27-ईई/1058/83-84--प्रतः मुझे
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 4 जो ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग ए-13 रत्न नगर" स्किम, बोरिवली (पूर्व) बम्बई -66 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करामनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) कारण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) मैसर्स परम आनंद बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड ।
(अन्तरक)

(2) श्री चन्द्रगान जे० सरवैया और
श्री मिलन सी० सरवैया ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रशासकशाही के रूप में लिखित में किया गया है।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 4 जो, ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग नं० ए-13 "रत्न नगर" स्किम, बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37-ईई/1058 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया ।

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर, आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -4 बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस-----

(1) श्री नागिनदास एच० रुपानी ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रिती एन० सुतारीया ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37-ईई/1863/ 83-84— अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फ्लैट नं० 106 जो बिल्डिंग नं० डी/24 योगी नगर एक्सार रोड़, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अन्तर्गत बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 21 अप्रैल 1984 को

क० पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी कमी आय या कमी धन या अन्य आस्त्वियों को, जिनमें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 106 जो बिल्डिंग नं० डी/24, योगी नगर, एक्सार रोड़, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है ।

अनुसूची जिसकी क्र० सं० आई-4/37-ईई/1863 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 1984 को रजिस्ट्री किया गया है ।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984

मोहर :-

प्रकरण 201. डी. एन. ए. -----

(1) श्री सुरेश नवलचंद शहा, और कौशिका सुरेश शहा ।

(अन्तरक)

(2) श्री जयतीलाल कानजी देहिया और श्रीमती प्रभावेन जयतीलाल देहिया ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1771/83 -84 अतः

मुझे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लट न० 74 जो "आर" विंग, बिल्डिंग सी-2 महावीर नगर, शकर लेन कांदिवली (प) बम्बई-67 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्री है, दिनांक 19 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के दर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के नाम लिखित में किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लेट न० 74 जो, "आर" विंग, बिल्डिंग सी-2 महावीर नगर, शकर लेन कांदिवली (पश्चिम), बम्बई-67 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-4/37ईई/1771/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रजासाद,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984

मोहर :-

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

प्रकार में ही एम. एम. ...

(1) मसर्स सुरतरमा गोपालदास ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री सुरेश एस० चवानी, और श्री किशोर एस० बचवानी ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4 37अईई 1171 83-84 —अतः

मुझे ए. प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सहायक प्राधिकारी का यह विवेक करने का कारण है कि स्थान नं० 19 (पहली मजिल डी-वींग बोनान्झा इंडस्ट्रियल इस्टेट, अणोक चक्रवर्ती रोड़ कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इनके उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जगद्वज कारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269-घ के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड है दिनांक 3 अप्रैल 1984

और जिसकी सं० युनिट नं० 19 जो पहली मजिल डी-वींग बोनान्झा इंडस्ट्रियल इस्टेट, अणोक चक्रवर्ती रोड़ कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इनके उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जगद्वज कारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269-घ के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड है दिनांक 3 अप्रैल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के निश्चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अर्जाओं को मंजूर करने और मंजूर कर विवेक करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एंगे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच एक अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप में कर्तव्य नहीं किया गया है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-गृह्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निश्चित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की दृष्टि, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमाई या समान अन्तरण में सौविधा के लिए अन्तरण

(ख) एनी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा एकत्रित किया गया था या किया जाना चाहिए या विधानों में सूविधा के लिए;

युनिट नं० 19 जो पहली मजिल डी-वींग बोनान्झा इंडस्ट्रियल इस्टेट अणोक चक्रवर्ती रोड़, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जिसकी क्र० सं० अई-4 37अईई/1171/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा नांक 3 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज = 4 बम्बई

अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक :- 12-12-1984

मोहर :-

प्रकृत आर.टी.एन.एस.-----

(1) मैसर्स सुरतराम गोपालदास ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

(2) श्री सुरेश एस० वचवानी और श्री किशोर एस० वचवानी ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आगक (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1170/83-84 —अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० युनिट नं० 18 जो पहली मंजिल डी-विंग बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्ती रोड़, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्री है दिनांक 3 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

युनिट नं० 18, जो पहली मंजिल "डी" विंग, बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्ती रोड़, कांदिवली (पूर्व), बम्बई- में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-4/37अईई/1170/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आगक (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4 बम्बई

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

64—426 GI/84

दिनांक :- 12-12-1984

साहंर ?

श्री. टी. एन. एस. -----

भायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रैंज -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेदन सं० [अई-4/37 ईई/1131/83-84 —अतः
मुझे; ए० प्रसाद,

भायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० युनिट नं० डी-2 जो, ग्राउन्ड फ्लोर,
बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अथोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली
(पूर्व) बम्बई में स्थित है (श्रीर इससे उपायुक्त अनुसूची में
श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर
अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई
स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक
2 अप्रैल 1984 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि मभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दायमान प्रतिफल से, ए० दायमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ए० अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
निहित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की वास्तव, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ए० किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तव्यों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

- (1) श्री० लछमनदास जी० मगलानी ।
(अन्तरक)
(2) आर० डी० फैमिली ट्रस्ट ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवृद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरों के पाठ
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के बम्बई 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस बम्बई में दिया

अनुसूची

युनिट नं० डी-2 जो ग्राउन्ड फ्लोर, बोनान्सा इंडस्ट्रियल
इस्टेट अथोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व) बम्बई -में;
स्थित है ।

अनुसूची जैसा की क्र० सं० अई-4/37ईई/1131/
83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक
2 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रैंज -4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984
मोहर :-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1198/83 -84-अतः
मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० युनिट नं० 16 जो पहली मंजील, डी-बिंग बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अणोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी, के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 3 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) क अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती भरती आर. जेथानी ।

(अन्तरक)

(2) श्री दिनकर सोमा मालकर और श्री दिपक दिनकर मालकर, मास्टर रविद्र दिनकर मालकर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेपे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

युनिट नं० 16 जो, पहली मंजील डी-बिंग बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अणोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-4/37-ईई/1198 (पूर्व) 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984

मोहर :-

प्ररूप भाई.टी.एन.एस.-----

(1) मेसर्स सुरतराम गोपालदास ।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) मेसर्स मिटरअक्टस् ।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेन रेंज -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37आईई/11448/ 83-84 —अतः
मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० युनिट नं० 23 जो दूसरी मंजिल, डी-विंग बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 12 अप्रैल 1984 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ह्यमान प्रतिफल से, ऐसे ह्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी भाव की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कट होने के अन्तरक के व्ययित् में कमी करने वा उससे बचने के सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी भाव वा किसी भू वा बन्ध वास्तुओं को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्य कानून अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रसोधनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आरोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

युनिट नं० 23 जो, दूसरी मंजिल, डी-विंग बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० आई-4/37आईई/1448 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेन रेंज -4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984

मोहर :-

भारत का राजपत्र, जनवरी 26, 1985 (भाग 6, 1906)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज - 4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37ईई/1199/83-84— अतः

मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सूक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,0000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट नं० 37 जो, पहली मंजील, डी-विंग, बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट, अशोक चक्रवर्ती रोड़, कांदिवली पूर्व), बम्बई में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करार नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सूक्ष्म प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 3 अप्रैल 1984 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्टमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इष्टमान प्रतिफल से ऐसे इष्टमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उचित बचने से सूक्ष्मता के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने से सूक्ष्मता के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री किशिनचंद मोटूमल जेसवानी ।
(अन्तरक)

(2) कमल चोकसी,
एच० यू० एफ० ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन से लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बख्त में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 37 जो पहली मंजील, डी-विंग, बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट, अशोक चक्रवर्ती रोड़, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० अई-4/37ईई/1199/83-84 और जो सूक्ष्म प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 3-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,
सूक्ष्म प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रंज - 4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984

मोहर :-

रूप आई. टी. एन. एन. ---

(1) मसर्स सुरत राम गोपालदास ।

(अन्तरक)

(2) मसर्स मेक इंजिनियर ।

सूअस्तरिी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कराया हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पक्ष लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37अईई 116983/-84—अतः मुझे,
ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० युनिट नं० 24 जो, दूसरी मंजिल डी-विंग बोनान्सा इन्स्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 3 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायल्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बाह्य/या

(ख) ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य वास्तविकता के जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

अनुसूची

युनिट नं० 24 जो दूसरी मंजिल डी-विंग बोनान्सा इन्स्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्ती रोड कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० अई-4/37-ईई 1169 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाद,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984

मोहर :-

प्ररूप आई. टी. एन. एस. :-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद,

हैदराबाद, दिनांक 15 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० न० 851/84-85—

अतः मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 5-9-30 है, जो बसीरबाग, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण है हुए किसी भाव की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी भन या अन्य वास्तवियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या भन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या वा किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्री श्याम सुंदर चौधरी
14-1-304, लोवर धूलपूट,
हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री पी० लक्ष्मीनारायणा और अन्य,
घर न० 5-9-30, बसीरबाग,
हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

बन्सूची

घर सम्पत्ति न० 5-9-30 बसीरबाग, हैदराबाद रजिस्ट्री-
कृत विलेख न० 2225 84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक :- 13-12-1984

माहुर ॥

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आर० य० सी० न० 852/83-84— अतः
मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लट है, जो तीरूमला, टावर्स हैदराबाद स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चिक्कडपल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 के अधीन दिनांक 19 अप्रैल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि अन्तर्गत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिणी (अन्तरिणी) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उचित करने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिनमें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) तीरूमला टावर्स गोलकोंडा यक्स रोड हैदराबाद,
बाई श्री यस चन्द्रया
1-1-593 सी गांधीनगर,
हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती के० ए० सुवर्ण लक्ष्मी प्लाट न० 18
गोलाकोंडा, एक्स रोड डी न०
1-10; 1011, हैदराबाद

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लेट तीरूमला टावर्स गोलकोंडा सक्स रोड हैदराबाद
विस्तीर्ण 1100 चौ० फूट, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 319
83-84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चिक्कडपल्ली ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहाय आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज-4 हैदराबाद

दिनांक :- 15-12-1984

मोहर :

3. Shri B. B. Rai relinquished charge of the post of Dy Director of Inspection (Engineering) in the office of Dy Director of Inspection, Kanpur on the forenoon of the 5th December, 1984 and assumed charge of the post of Director of Inspection, Kanpur on the forenoon of 6th December, 1984.

S. L. KAPOOR
Deputy Director (Administration)

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA
(KHAN VIBHAG)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-16, the 31st December 1984

No. 8661B/A-19012(3-PP)/84-19B.—Shri Prasanta Purkayastha, Senior Tech. Asstt. (Chemical), GSI, has been appointed on promotion to the post of Asstt. Chemist in the Geological Survey of India by the Director General, GSI, on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 30th October, 1984, until further orders.

A. KUSHARI
Director (Personnel)
Geological Survey of India

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 3rd January 1985

No. A-19011(131)/79-Estt.A.—The President, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote Shri S. M. Joshi, Deputy Mineral Economist (Intelligence) to the post of Mineral Economist (Intelligence) in Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the afternoon of 26th December, 1984.

G. C. SHARMA
Asstt. Administrative Officer
for Controller General

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA
INDIAN MUSEUM

Calcutta-16, the 13th September 1984

No. 4-157/78/Estt.—Shri D. Dasgupta, Assistant Linguist, in the Anthropological Survey of India, is promoted to the post of Linguist, Group-A (Gazetted) in scale of Rs. 700—1300 at North Western Regional Office at Dehra Dun, on a temporary basis with effect from the forenoon of the 27th August, 1984, until further orders.

A. K. DAS GUPTA
Administrative Officer

SURVEY OF INDIA

Dehra Dun, the 1st January 1985

No. C-6/51/718-A.—Shri H. L. Jadav, Officiating Superintendent, Surveyor General's Office, who was appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer on ad-hoc basis vide this office Notification No. C-6022/718-A, dated 8th December, 1983 is now appointed to officiate on such on regular basis with effect from 12th November, 1984.

G. C. AGARWAL
Major General
Surveyor General of India
(Appointing Authority)

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 28th December 1984

No. 4(71)/84-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Gobinda Daolagupu as Programme Executive at All India Radio, Kohima in a temporary capacity with effect from 5th November, 1984 and until further orders, in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-880-40-1000-EB-1200.

The 1st January 1985

No. 4(29)/84-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri R. C. Gopal as Programme Executive at All India Radio, Calicut in a temporary capacity with effect from 29th November, 1984 and until further orders, in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-880-40-1000-EB-1200.

H. C. JAYAL
Dy. Director of Administration
for Director General

New Delhi-1, the 29th December 1984

No. 4(41)/84-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Amlanjvoti Majumdar as Programme Executive at All India Radio, Sambalpur in a temporary capacity with effect from 27th October, 1984 and until further orders, in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-EB-810-EB-880-40-1000-EB-1200.

HARJIT SINGH
Director (Admn. & Finance)
for Director General

New Delhi, the 31st December 1984

No. 29/3/84-SII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Sh. N. K. Bhatra, Farm Radio Reporter, AIR, Jeypore to the post of Farm Radio Officer, AIR in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 w.e.f. 10-12-84 until further orders.

2. Sh. N. K. Bhatra assumed charge as Farm Radio Officer at AIR, Sambalpur on the same date.

MOHAN FRANCIS
Deputy Director Administration
for Director General

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPT. OF AGRI. & COOPN.)
DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi, the 31st December 1984

No. F. 5-48/84-Estt.(I).—On attaining the age of Superannuation, Sh. P. N. Chopra, permanent Superintendent (Grade I) and officiating as Assistant Administrative Officer on ad-hoc basis, Group 'B' (Gazetted) (Ministerial) in the Directorate of Extension (Department of Agriculture & Co-operation), Ministry of Agriculture retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 1984.

R. G. BANERJEE
Director of Administration

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 26th December 1984

No. A-31014/4/83-A. I.—The Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India is pleased to appoint the following officers substantively to the permanent posts of Assistant Marketing Officer (Group I) in the Dte. of Marketing and Inspection with effect from the date indicated against each :—

S/Shri	
(1) A. Viswakarma	29-12-81
(2) H. N. Shukla	15-9-82
(3) K.V.S. Pundhir	21-12-82
(4) C. N. Anandakrishnan	21-12-83
(5) Satyanjay Yadav	21-12-83
(6) M. P. Singh	21-12-83
(7) G. R. M. Raju	21-12-83
(8) H. N. Singh	21-12-83
(9) V. K. Goel	21-12-83
(10) A. M. Gopinath	21-12-83
(11) C. Anjaneyulu	21-12-83
(12) H. N. Rai	21-12-83
(13) Y. M. Rao	21-12-83
(14) S. P. Shinde	21-12-83
(15) B. Purohit	21-12-83
(16) R. J. Nathaniel	21-12-83
(17) G. M. Rabbani	21-12-83
(18) R. C. Manshi	21-12-83
(19) C. Nandaiah	12-3-84
(20) B. N. Sarkar	12-3-84
(21) M. S. Bankar	12-3-84
(22) R. V. Joshi	12-3-84
(23) G. B. Dandi (SC)	12-3-84
(24) M. K. Dwivedi	12-3-84
(25) U. V. S. Vikal (SC)	12-3-84
(26) N. Sreeramulu (SC)	12-3-84
(27) Mohan Lal Meena (ST)	12-3-84
(28) Madan Lal Meena (ST)	11-3-84
(29) K. K. Tiwari	12-3-84
(30) M. Papi Reddy	12-3-84
(31) S. K. Mallik	12-3-84
(32) S. D. Kathalkar	12-3-84
(33) Smt. Vibha Handa	12-3-84
(34) K. N. Gupta	12-3-84
(35) S. M. Kolhatkar	12-3-84
(36) R. K. Pande	12-3-84
(37) Smt. Prem Wati	12-3-84
(38) D. R. K. Singh	12-3-84
(39) Smt. Susan Nair	12-3-84
(40) S. Noohu Kannu	12-3-84
(41) K. Satya Rao	12-3-84
(42) K. S. Acharya	12-3-84
(43) G. S. Sastry	12-3-84
(44) C. M. Girdhar	12-3-84
(45) D. P. Ukay (SC)	12-3-84
(46) N. S. Chealpati Rao	12-3-84
(47) Raja Ram Rawat (SC)	12-3-84
(48) R. G. Singh	12-3-84
(49) G. M. Moon (SC)	12-3-84
(50) V. N. Pawar (ST)	12-3-84
(51) B. C. Jat (SC)	12-3-8
(52) G. V. Ramamurthy	12-3-84
(53) S. S. Nandanwar (ST)	12-3-84
(54) Smt. R. Lalitha	12-3-84
(55) P. D. Girase	12-3-84
(56) K. Jayananda	12-3-84
(57) R. M. Gundaram	12-3-84

S/Shri

(58) C. Swamida	12-3-84
(59) P. S. Sirohi	12-3-84
(60) P. G. Chaudhary	12-3-84
(61) Lokesh Kumar	12-3-84
(62) B. L. Mathur	12-3-84
(63) H. P. Mannem	5-4-84
(64) L. S. Raghunathan	5-4-84

2. The ten of the above officers in the lower post, if any, terminated with effect from the date of their substantive stands appointment in the post of Assistant Marketing Officer (Group I).

The 5th January 1985

No. A.19026/1/82-A.III.—The period of deputation of Shri S. D. S. Yadav, Audit Officer of the office of the Accountant General (Audit) Haryana, Chandigarh, officiating as Accounts Officer in this Directorate at Faridabad has been further extended from 3-12-84 to 31-3-85 on the usual terms and conditions on deputation.

J. KRISHNA
Director of Administration
for Agricultural Marketing Adviser
to the Govt. of India

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

PERSONNEL DIVISION

Bombay-400 085, the 27th December 1984

No. PA 79(5)/83-R III.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Thekkekeppattu Kochukunju Rajappan, permanent Jr. Steno and officiating Sr. Stenographer in TAPS to officiate as Asstt. Personnel Officer in this Research Centre with effect from the forenoon of 3-12-1984 until further orders.

B. C. PAL
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400 001, the 29th December 1984

No. DPS/2/1(3)/82-34248.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri A. Mascarenhas a pmt. Asstt. Accountant and officiating Asstt. Accounts Officer to officiate as an Accounts Officer-II on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-FB-40-1200 from 19-11-84 (FN) to 21-12-84 (AN) in the same Directorate vice Shri L. H. Israni, Accounts Officer-II granted leave.

No. DPS/41/83-Adm./34254.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy, appoints Shri Ranganath Krishnan Iyer a permanent Purchase Assistant to officiate as an Assistant Purchase Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-FB-40-1200 from 19-11-84 (FN) to 21-12-84 (AN) in the same Directorate vice Shri K. J. Ahluwalia, Assistant Purchase Officer granted leave.

Ref No. DPS/41/3/83-Adm./34260.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Attar Pisharody Chenthamatakshan, a permanent UDC and officiating as Asstt. Accountant to officiate as an Asstt. Accounts Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 from 19-11-84 (FN) to 21-12-84 (AN) in the same Directorate vice Shri A. Mascarenhas, Asstt. Accounts Officer promoted as Accounts Officer-II (ad-hoc) in Central Accounts Unit.

P. GOPALAN
Administrative Officer

RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

P.O. Anushakti 323303, the 3rd January 1985

No. RAPS Rectt/7(81/84/S/68.—On transfer from Nuclear Power Board, Chief Supdt., RAPS hereby appoints Shri N. L. Menghanj as Assistant Personnel Officer (Rs. 650—960) in an officiating capacity with effect from the forenoon of 17th Dec., 1984.

A. N. KATTI
Administrative Officer(E)

ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-16, the 3rd January 1985

No. AMD-16/4/84-Rectt. Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri O. Bharathan, a permanent Senior Stenographer, Atomic Minerals Division, to officiate as Assistant Personnel Officer in the same Division on ad hoc basis with effect from October 27, 1984 to November 29, 1984.

The 7th January 1985

No. AMD-16/3/82-Rectt. Vol. II.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri K. U. K. Nair, a permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant Accountant, Atomic Minerals Division, to officiate as Assistant Accounts Officer in the same Division on and ad-hoc basis with effect from the forenoon of June 11, 1984 to August 14, 1984.

No. AMD-16/2/84-Rectt.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri S. S. Mishra, a permanent UDC and officiating Assistant Accountant, Variable Energy Cyclotron Centre of Bhabha Atomic Research Centre as Assistant Personnel Officer in the Atomic Minerals Division in an officiating capacity with effect from the forenoon of November 30, 1984 until further orders.

S. PADMANABHAN
Sr. Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi, the 5th January, 1985

No. A. 32013 (Met. I)/7/83-E.I.—The President has been pleased to appoint undermentioned Meteorologists Grade II/Assistant Meteorologists to officiate as Meteorologist Grade I in the same Department with effect from the date indicated against their names and until further orders :—

S. No.	Name	Date from which officiating as Meteorologist Grade I
--------	------	--

1	2	3
1.	Shri L. M. Ratolikar	9-8-1984
2.	Shri B. S. Garg	11-6-1984
3.	Dr. T. R. Sivaramakrishnan	11-6-1984
4.	Shri S. K. Subramanian	11-6-1984

1	2	3
5.	Shri S. K. Bindra	11-6-1984
6.	Shri G. N. Sharma	11-6-1984
7.	Shri Daya Kishan	11-6-1984
8.	Shri S.A.H. Albeez	28-6-1984
9.	Shri V. P. Sasena	11-6-1984
10.	Shri Satya Prakash	11-6-1984
11.	Dr. V. S. Tiwari	11-6-1984
12.	Dr. Sant Prasad	11-6-1984
13.	Shri S. Sreedheran	11-6-1984
14.	Smt. N. N. Khambate	11-6-1984
15.	Shri B. R. Loe	11-6-1984
16.	Shri Y. M. Duggal	13-7-1984
		(A.N.)
17.	Shri Thakur Prasad	11-6-1984
18.	Shri Hem Raj	11-6-1984
19.	Dr. B. Manikiam	11-6-1984
		(A.N.)
20.	Shri H. R. Hatwar	11-6-1984
21.	Shri S. K. Prasad	12-6-1984
22.	Shri H. S. Billa	11-6-1984
23.	Shri A. K. Gangopadhyay	11-6-1984
24.	Shri M.R.M. Rao	16-7-1984
25.	Smt. B. Shyamala	11-6-1984
26.	Shri M. R. Khan	11-6-1984
27.	Shri H. R. Sapra	11-6-1984
28.	Shri K. T. Joseph	11-6-1984
29.	Shri D. Chakraborty	11-6-1984
30.	Shri A. U. Rao	26-9-1984
31.	Shri N. S. Kulkarni	11-6-1984
32.	Shri G. M. Jain	11-6-1984
33.	Shri Brij Bhushan	11-6-1984
34.	Shri C. K. Chandrasekharan	18-6-1984
35.	Dr. C. V. Veera Bhadrani	11-6-1984
36.	Shri D. P. Pandey	11-6-1984
37.	Shri Asoi Lal	11-6-1984
38.	Dr. A.K. Bohra	11-6-1984
39.	Shri N. Pandariuah	16-7-1984
40.	Shri Shaik Naseeruddin	11-6-1984
41.	Shri J. N. Kanujia	26-6-1984
42.	Shri S. K. Das	11-6-1984
43.	Shri Rajendra Prasad	11-6-1984
44.	Shri S. N. Dek	16-7-1984
45.	Shri K. C. Porel	15-7-1984
46.	Shri H. P. Das	11-6-1984
47.	Dr. J.V.M. Naidu	11-6-1984
48.	Shri Surya Bali	11-6-1984
49.	Shri L. R. Meena	11-6-1984
50.	Shri Faqr Chand	29-6-1984
		(A.N.)
51.	Shri B. L. Verma	11-6-1984

S. K. DAS
Director General of Meteorology

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 26th December 1984

No. A. 32013/3/83-EC (.)—The President is pleased to appoint Shri K. Ramakrishna, Technical Officer in the Civil Aviation Department in the grade of Sr. Technical Officer on regular basis with effect from 30-7-84 (AN) and until further order.

The 27th December 1984

No. C. 18011/1/84-ES.—In pursuance of the Judgement of the Hon'ble High Court of Delhi, New Delhi delivered on

24th July, 1984, Shri D. D. Sansi, formerly employed as Assistant Aircraft Inspector in the Civil Aviation Department is deemed to have been reinstated in service with effect from 23-6-1976 and he would be entitled to claim all the consequential benefits from Government.

Further on attaining the age of superannuation, Shri D. D. Sansi, Asstt. Aircraft Inspector in the Civil Aviation Deptt. stands retired from Government service with effect from 31-10-1976 (AN).

The 1st January 1985

No. A. 32014/7/84-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri Onkar Singh, Technical Assistant, in the grade of Assistant Technical Officer on regular basis with effect from 17-10-1984 and until further orders.

The 2nd January 1985

No. A. 32013/12/83-EI.—In continuation of this office Notification No. A. 32013/12/83-EI, dtd. 9-7-84, the President is pleased to continue the appointment of Shri A. N. Mukherjee, in the grade of Director of Air worthiness at Calcutta on ad hoc basis from 30-11-84 to 31-1-85 or till the post of Director of Airworthiness is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. A. 32013/3/84-EI.—In continuation of this office Notification No. A. 32013/3/84-EI, the President is pleased to continue the appointment of Shri S. Balaram, in the post of Deputy Director General of Civil Aviation on ad hoc basis from 9-11-84 to 31-12-84 or till the date the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. A. 32014/184-E.S.—The Director General of Civil Aviation is pleased to approve the continuance of ad-hoc appointment of the following Superintendents in the post of Administrative Officer, in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-E.B-35-1000-E.B.-40-1200, at the station of posting noted below for a further period of 6 months mentioned against each or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier :—

S. No.	Name	Period of ad-hoc appointment approved		Station of posting as Administrative Officer (ad-hoc)
		From	To	
S/Shri				
1.	M. D. Sharma	05-01-85	4-07-85	O/o the R.D., Delhi
2.	M. L. Bhasin	14-12-84	13-06-85	O/o the R.D., Delhi
3.	S. K. Saha (SC)	29-12-84	28-06-85	O/o the R.D., Madras.
4.	M. Chakraborty	27-01-85	26-07-85	C.A.T.C., Allahabad

V. JAYACHANDRAN
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 1st January 1985

No. 24012/1/84-ES.—On attaining the age of superannuation, Shri S. L. Vohra, Senior Airworthiness Officer (ad hoc) in the Civil Aviation Department relinquished charge of his duties in the afternoon of the 30th November, 1984.

B. BHAUMIK
Assistant Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 3rd January 1985

No. 1/166/84-EST.—Shri D. Rocha, Chief Mechanician, Bombay, retired from service, with effect from the afternoon of the 30th November, 1984, on attaining the age of superannuation.

R. K. THAKKER
Dy. Director (Admn.)
for Director General

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS : BHUBANESWAR

Bhubaneswar, the 5th December 1984

No. 8/84.—The following Gazetted Officers of Collectorate of Central Excise and Customs, Bhubaneswar retired from Government Service on superannuation on the dates as mentioned against each.

1. Sh. G. Sreenivas Rao, Administrative Officer, 31-10-84 (AN).
2. Shri Laxmidhar Mishra, Superintendent Group 'B', 30-11-84 (AN).

C. SATAPATHY
Deputy Collector (P&E)
Central Excise & Customs

MINISTRY OF ENERGY

DEPARTMENT OF COAL

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Dhanbad-826003, the 3rd January 1985

No. ADM. 12 (3) 79.—Shri D. K. Ruj, Assistant Secretary to Coal Mines Welfare Commissioner, Dhanbad has retired from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30-11-1984.

R. S. SHIVANI
Commissioner

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashoka Roadways Private Limited*

Shillong, the 27th December 1984

No. Tech/R/1388/560(5)/4245.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Ashoka Roadways Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Assam Polymer Private Limited*

Shillong, the 27th December 1984

No. Tech/R/1368/560(5)/4242.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Assam Polymer Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

D. N. PEGU
Registrar of Companies,
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland
Arunachal Pradesh & Mizoram, Shillong

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER (ADMN.)
U.U. & COMMISSIONER OF INCOME-TAX
Lucknow, the 31st December 1984
INCOME-TAX DEPARTMENT

No. 149.—Shri Bansi Lal, Income-tax Officer (Gr. 'B') posted as Additional Income-tax Officer, C-Ward, Lucknow Circle, Lucknow has since been retired in the afternoon of 31-10-84 due to age of superannuation.

No. 150.—Shri Sia Saran Saxena, Income-tax Officer (Gr. 'B') posted as Income-tax Officer, Hardoi has since been retired in the afternoon of 31-10-84 due to age of superannuation.

DHARNI DHAR
Chief Commissioner (Admn.) U.P. &
Commissioner of Income-tax, Lucknow

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
KALATHIPARAMBU ROAD,
ANAND BAZAAR, COCHIN-662 016

Cochin, the 20th November 1984

Ref. No. I.C. 701/84-85.—Whereas, I, B. RAVIBALAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. as per schedule situated at Pathiyoor (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Kayamkulam on 11-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Radhakrishna Kurup & Gopalakrishna Kurup
Choorakkaitu Veedu, Eruva P. O. (via)
Kayamkulam, (Transferor)
- (2) Shri K. K. Bhaskaran,
VI/251, Pathiyoor Panchayat
Kuttilatayathu Veedu—Pathiyoor West Karrikkadu
P.O. (val) Kayamkulam. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

41. cents of land in Sy. No. 5069 of Pathiyoor Village registered in the SRO-Kayamkulam vide document No. 1202/84 dt. 11-4-1984.

B. RAVIBALAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Ernakulam

Date : 20-11-1984.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PRAPUKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 27th August 1984

Ref. No. IAC.ACQ/CA-5/6015/84-85/875.—

Whereas, I, SANTOSH DATTA

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. 201, 2nd Floor, J. K. Apartments, 1440, Shukrawar Peth, Pune-2 situated at Pune-2

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at

I.A.C., Acqn. Range, Pune on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) J. K. Builders,
1430, Shukrawar Peth,
Pune 2.

((Transferor)

(2) Shri Dilip Natwarlal Shah,
354, Ravivar Peth,
Pune-411002.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201, 2nd Floor, J. K. Apartments, 1440, Shukrawar Peth, Pune-411002. (Area : 871 Sq. Ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 371/F/6015/84-85, in the month of June, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Date : 27-8-1984.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PRAPUKAR SADAN,
POONA-4.

Pune. the 3rd August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5470/84-85. 858/3/8/84.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 3, Second Floor in proposed Mughali Apartment, Plot No. 15, S. No. 36A, Erandwana, Pune-411004 situated at Pune-411004 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. Range, Pune on May 1984 which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Shashi Apparao Lengade,
C/o. Power of Attorney : Shri Prakash Anant
Pokale, Flat No. 4, Manjiri Society, 36/7,
Erandwana, Pune-411038. (Transferor)

(2) Shri Sanjeev Shripad Date,
403, Kirloskar Brothers Ltd.,
Kirloskar Wadi-416308,
District : Sangli. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used therein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3, Second Floor, in proposed Mughali Apartments, Plot No. 15, S. No. 36A, Erandwana, Pune-411004.

(Area : 730 Sq. Ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5470/84-85, in the month of May, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Poona

Date : 3-8-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PRAPUKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 3rd August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/7352/84-84. 856.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 307, Liberty Complex, Plot No. 17, Sector 17, D.B.C. C.I.D.C.O., Vashi, New Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. Range, Pune on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
67—426G184

(1) Liberty Investments Pvt. Ltd.,
302, Dalamal House,
206, Nariman Point,
Bombay-400 021.

(Transferor)

(2) Smt. Pavana Das,
5, M. Sravana,
Naval Officers' Flats,
Colaba, Bombay-400 005.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 307, Liberty Complex, Plot No. 17, Sector-17,
D.B.C. C.I.D.C.O., Vashi, New Bombay.
(Area : 1850 Sq. Metres.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/7352/84-85, in the month of June, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Date 3-8-1984.
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
PRAPUKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 4th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/7568/84-85-859.—

Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

Flat No. 404 in proposed building under construction on Plot No. 53, Sector 17, District Business Centre, situated at Washi, New Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acq. Range, Pune on May, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Ramesh Gangadhar Shitut,
Chief Promoter of the proposed Co-operative Housing Society Ltd., 51/1194, Knanamwar Nagar,
Bombay-400 083.
(Transferor)
- (2) Mrs. Vijaya Sharad Mane & Mr. Sharad Yashyantrao
Mane, B-20-2-15, Sector I, Vashi,
New Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 404 in proposed building under construction on Plot No. 53, Sector 17, District Business Centre, Vashi, New Bombay. (Area : 801 Sq. Ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/7568/84-85, in the month of May, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Date : 4-8-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
PRAPUKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 28th August 1984

Ret. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5946/84-85.860.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop at 1365, Sadashiv Peth, situated at Pune-30 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acq. Range, Pune on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Popatlal Shivilal Jain,
44, Bombay Pune Road,
Bopodi, Pune-3. (Transferor)

(2) (1) Mr. Kumar Hundraj Paryani,
(2) Mr. Purushottam Hundraj Paryani,
1084, Old Modikhana, Pune-411001. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop at 1365, Sadashiv Peth, Pune-30. (Area : 180 Sq. Ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5946/84-85, in the month of June, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Date : 28-8-1984.
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) Shri K. Pichumani,
94A/1, Rasta Peth,
Pune-411011.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri G. S. Walse,
(Chief Promotor : Suyash Co-operative Housing
Society : Proposed), Plot No. 32, S. No. 585,
Gultekadi, Pune-411001.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PRAPUKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 1st September 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/2200/84-85. 1183/1/9/84.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. Rs. 25,0000/- and bearing No. Plot No. 31, S. No. 282 situated at Chinchwad, Taluka Situated at Haveli, District Pune

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sub-Registrar, Haveli-I on July, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 31, S. No. 282, situated at Chinchwad, Tal : Haveli, Dist : Pune. (Area : 468.23 Sq. Meters. : 5040 Sq. Ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37G/2200/84-85, in the month of July, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
PoonaDate : 1-9-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PRAPUKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 28th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5642/84-85. 867.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 3, C Building at Chintaman Nagai, S. No. 128/1, Aundh, Pune-411007 situated at Pune-411007 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at I.A.C. Acq. Range, Pune, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Nikhil Enterprises,
14, Bombay Pune Road,
Near Bajaj Auto Show Room, Wakadewadi,
Shivajinagar, Pune-411005. (Transferor)
- (2) Dr. (Mrs.) Bhanu Chanda and Shri Manish Chanda,
Suit No. 107, NCL New Hostel II,
N.C.L., Pune-411008. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 3, C-Building at Chintaman Nagai, S. No. 128/1, Aundh, Pune-411007. (Area : 825 Sq. Ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5642/84-85, in the month of June, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Date : 28-8-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PRAPUKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 28th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/52-53/84-85. 866/28/8/84.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 3 on the 1st Floor on the South West corner in 'Nirmal Apartment', Plot No. 93, S. No. 26, Dahanukar Colony, situated at Kothrud, Pune-411029 (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer I.A.C., Acqn. Range, Pune on July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Prabin Gupte & Associates,
13/176, Lokmanya Nagar, Pune-411030.
(Transferor)
- (2) Shri Surendra Mukund Mulherkar,
'Annapurna' 1st Floor,
1/12, Karve Road, Pune-411004.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3, 1st Floor on the South West Corner in 'Nirmal Apartment', Plot No. 93, S. No. 26, Dahanukar Colony, Kothrud, Pune-411029. (Area :).
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5253/84-85, in the month of July, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Date : 28-8-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) M/s. Velankar Bhide & Associates,
461, Rasta Feth, Pune-411001.

(Transferor)

(2) Mr. Subodh Walchand Shah,
Killa, Beed-431122.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 4th August 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|5480|84-85.865|4|8|84.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. Rs. 25,0000/- and bearing Flat No. 8, First Floor above Car parking in Building No. 2 on Plot No. 13, Survey No. 133|1424, Survey No. 134|2 situated at Aundh, Pune-7 (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acqn. Range Pune in May, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8, First Floor above Car parking in Building No. 2 on Plot No. 13, Survey No. 133|1 & 2 & S. No. 134|2, Aundh, Pune-411007. (Area : 1040 Sq. Ft.).
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE|5480|84-85, in the month of May, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 4-8-1984.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 4th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5281/84-85.864/4/8/84.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

Flat No. 14, on the 2nd Floor in Konark Apartments,
at 175, Dhole Patil Road, situated at Pune-411001
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the
office of the Registering Officer at
I.A.C. Acqn. Range, Pune on May 1984
for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid pro-
perty and I have reason to believe that the fair market value
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration
therefore by more than fifteen percent of such apparent con-
sideration and that the consideration for such apparent con-
sideration and that the consideration for such transfer as
agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or exaction of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or which
ought to be disclosed by the transferee for the pur-
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957
(27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely:—

- (1) Karia Builders,
2, Hermes Nest,
844, Dastur Meher Road, Pune-411001.
(Transferor)
- (2) Dr. Chandrashekar S. Waghmare,
76/3, Chiplunkar Road,
Erandwana, Pune-411004.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 14 on the 2nd Floor in Konark Apartments at
175, Dhole Patil Road, Pune-411001. (Area: 570 Sq. Ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered
in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under
document No. 37EE/5281/84-85 in the month of May,
1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range
Poona

Date: 4-8-1984.
Seal .

FORM I.T.N.S.—

- (1) M/s. Vijay Enterprises,
515, Rewa Chambers,
New Marine Lines, Bombay-400 020.
(Transferor)
- (2) Mr. Kamal Kishor Dubey, Prop : Cormos Engineers,
19, Universal Apartments,
East Street, Pune-411001.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN,
POONA-4.

Pune, the 2nd August 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of
the publication of this notice in the Official
Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5657/84-85. 863/2/8/84.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 126 on the first Floor of the 'B' Wing of
building 'CLOVER CENTRE' being constructed on property
at 7, Moledina Road (Arsenal Road situated at Pune-1
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer at
I.A.C. Acqn. Range, Pune on June, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or which
ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11
of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957):

THE SCHEDULE

Flat No. 126, First Floor, 'B' Wing, 'Clover Centre', being
constructed at 7, Moledina Road, (Arsenal Road) Pune-1.
(Area : 425 Sq. Ft. approx.).

(Property as described in the agreement to sale registered
in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune und-
document No. 37EE/5657/84-85, in the month of June
1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—
68-426G/84

Date : 2-8-1984.
Seal .

FORM LT.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE, PRAPTIKAR SADAN
60/61 ERANDAVANE, POONA-4

Poona-4, the 28th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5178/84-85/862.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.Plot No. 53, S. No. 121, 122, Rambag Colony,
known as Shilavihar Colony, Pune-411004
Flat No. 4, 1st Floor of proposed Society
situated at Pune-411004(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at IAC Acq Range, Pune on April, 1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons namely:—

(1) Shri Manohar Ganesh Kinare,
1496, Sadashiv Peth,
Pune-30.

(Transferor)

(2) Shri Pramod Anant Kulkarni,
B-7, Carrier Building,
Pune Telephone Exchange,
Pune-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 48, S. No. 45/1 & 46/7 of Village Erandwane,
known as Shilavihar Colony, Pune-411004, Flat No. 4, 1st
Floor of proposed society.
(Area : 475 Sq. Ft.)

(Property as described in the agreement to sale deed re-
gistered in the office of the IAC, Acquisition Range, Pune
under document No. 37EE/5178/84-85, in the month of
April, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 28-8-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, PRAPTIKAR SADAN
60/61 ERANDAVANE, POONA-4

Poona-4, the 28th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5215/84-85/861.—
Whereas, I, SANTOSH DATTA,
being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 53, S.N o. 121, 122, Ramba Colony,
Flat No. 1, situated at Pune-411029
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at IAC Acq. Range, Pune on July, 1984
for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration
and that the consideration for such transfer as agreed to
between the parties has not been truly stated in the said
instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

(1) M/s. Atul Enterprises,
31, Sheelavihar Colony,
'Ruturaj' Paud Phata, Erandawana,
Pune-411038.

(Transferor)

(2) Mr. Sudhir Vishwanath Raje and
Mrs. Meghana Sudhir Raje,
1, Saklshiv Bhelke Nagar,
Kothrud, Pune-411029.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days, from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 53, S. No. 121, 122, Ramba Colony, Flat No. 1,
Kothrud, Pune-411029. (Area : 715 Sq. Ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered
in the office of the IAC, Acquisition Range, Pune under
document No. 377EE/5215/84-85, in the month of July,
1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Poona

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of section 269C of the said Act, to the persons
mentioned in the said notice, namely :—

Date : 28-8-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. Vaibhav Builders,
101, 102 Kamla Chambers,
687, Budhwar Peth, Pune-2. (Transferor)
- (2) Shri Shiv Shekhar Bose,
67, Shivaji Housing Co-operative Society,
Pune-411016. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PRAPTIKAR SADAN
60/61 ERANDAVANE, POONA-4

Poona-4, the 4th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5492/84-85/878.—

Whereas, I, SANTOSH DATTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 133/1 & 2 134/2, Plot No. 22, Aundh, Baner Road, Pune-7 situated at Aundh, Pune-7 (and more fully described in the scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC Acq. Range, Pune on May, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat in S. No. 133/1 & 2, 134/2, Plot No. 22, Aundh, Baner Road, Pune-411007. (Area : 1120 Sq. Ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the IAC Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5492/84-85, in the month of May, 1984.)

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 4-8-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, PRATIKAR SADAN
60/61, ERANDAVANE POONA-4

Poona-4, the 31st August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/879.—Whereas, I,
SANTOSH DATTA,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.Plot No. 12/A-3, Flat No. 202, 2nd floor, Gopal Nagar,
Bombay-Agra Road, Bhiwandi situated at Dist. Thane
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at IAC Acq. Range, Pune on July, 1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—(1) M/s. Yogi Corporation,
PNB House, 2nd floor,
Sir, P.M. Road, Fort,
Bombay-400 001.

(Transferor)

(2) Mr. Navinbhai Lakhman Shah,
Jai Ambe Society,
Block No. 3, ground floor,
Agra Road, Bhiwandi,
Dist. Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 12-A-3/Flat No. 202, 2nd floor, Gopal Nagar,
Bhiwandi, Dist. Thane. (Area—750 sq. ft.)(Property as described in the agreement to sale registered
in the office of the IAC Acquisition Range, Pune document
No. 8368/84-85 in the month of July, 1984).SANTOSH DUTTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 31-8-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE SAKSERJA BHAVAN
106/107, GOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/888.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Gala/Unit No. 28, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC Acqn. Range, Pune on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Modella Textile Industries Pvt. Ltd.,
4C Vulcan Insurance Building,
Veer Nariman Road,
Bombay-400 020.

(Transferor)

(2) M/s. Kayam Industries,
A-32, Road No. 12,
Wagle Industrial Estate,
Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala/Unit No. 28, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, Thane. (Area—516 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the IAC Acquisition Range, Pune under document No. 5673 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 19-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAWAN
106/107 KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5969/83-48/884.—

Whereas, I, W

ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Gala Unit No. 27, S. No. 450 & 457 situated at Panchpakhadi, Thana situated at Thana.

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at IAC, Acqn Range, Pune in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Modella Textile Industries Pvt. Ltd.,
4-C, Vulcan Insurance Building,
Veer Nariman Road, Bombay-400 020. .
(Transferor)

(2) M/s. Sindhu Switchgear System,
A-28, Highway Darshan,
Near Highway Signals,
Thana-400 602.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Gala Unit No. 27, S. No. 450 & 457 situated at Panchpakhadi, Thana. (Area : 512 Sq. ft.).

(Property described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5969/83-84 in the month of April 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhawan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date : 19-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE, SAKSERIA BHAWAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC/ACQ/CA-5/37EE/5667/83-84.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269E of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No. Gala Unit No. 18, S. No. 450 & 457 situated at Panch Pakhadi, Thana situated at Thana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Modella Textile Industries Pvt. Ltd.,
4-C, Vulcan Insurance Building,
Veer Nariman Road, Bombay-400 020.

(Transferor)

- (2) M/s. Crown Engineering Enterprises
No. 4, Santosh Goushalla Road,
Nahur Mulund West,
Bombay-400080.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala Unit No. 18, S. No. 450 & 457 situated at Panch Pakhadi, Thana. (Area : 512 Sq. ft.).

(Property described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5667/83-84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhawan,
106/107, Koregoan Park, 411 001.

Date : 19-11-1984
Seal

FORM ITNS

(1) Karia Builders, 2, Hermes Nest,
844, Dastur Meher Road, Pune-411 001.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Dilip K. Farande,
119, Raviwar Peth,
Wai, Dist. Satara.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, PUNE, SAKSERIA BHAWAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC/ACQ/CA-5/37EE/5893/84-85/882.—
Whereas, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 6, 2nd Floor, Konark Apartments 175, Dhole Patil Road, Pune-411001 situated at Pune-1 (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune in July, 1984 at IAC, Acqn. Range, Pune in July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
69—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, 2nd Floor, Konark Apartments,
175, Dhole Patil Road, Pune-411 001.
(Area : 422 Sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37FE/5893/84-85 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhawan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, PUNE, SAKSERIA BHAWAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC/ACQ/CA-5/37EE/5668/83-84 881.—
Whereas, I,

ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. Gala Unit No. 23, S. No. 450 & 457 situated at Panch
Pakhadi, Thana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer at
at IAC Acq. Range Pune in April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

(1) Mod-lla Textile Industries Pvt. Ltd.,
4-C, Vulcan Insurance Building,
Veer Nariman Road
Bombay-400 020.

(Transferor)

(2) M/s. Bharat Industries,
Prop. Sanjay S. Bhagat,
34-Indrapuri Society,
Ravi Industrial Compound,
Thana-400 602.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala Unit No. 23, S. No. 450 & 457 at Panch Pakhadi,
Thana. (Area : 512 Sq. ft.).

(Property described in the agreement to sale registered in
the office of the I.A.C., Acquisition Range, Sakseria Bhawan,
ment No. 37EE/5668/83-84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Sakseria Bhawan,
106/107, Koregoan Park, 411 001.

Date : 19-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE, SAKSERIA BHAWAN,
106/107 KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 20th November 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|84-85.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at village Tulinj, Tal. Vasai, S. No. 66(p) Hissa No. 1 (p) situated at Dist. Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune on September 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Prathamesh Builders,
Laxmi Nivas, Park Road,
Vile Parle (East), Bombay-400 057. (Transferor)
- (2) Apna Development Society,
7, Sopariwala Mansion, Parel T.T.,
Bombay-400 012. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land lying and being at village Tulinj, Taluka Vasai, Dist. Thane, bearing survey No. 66(p) Hissa No. 1 (p) and admeasuring 2300 sq. yds. i.e. 1923.79 Sq. meters.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 8953|84-85 in the month of September, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhawan,
106|107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85 890.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Unit No. 16, survey No. 450 and 457, Panchpakhadi situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act of the following persons, namely :—

- (1) M/s. Modella Textile Industries Pvt. Ltd.,
4-C, Vilcan Insu arce Building,
Veer Narman Road, Bombay-400 020. (Transferor)
- (2) Shri Subhash Chander Joshi,
17-A, Laxmannagar, CHS Near Aradhana Cinema,
Naupada, Thane. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Unit No. 16, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, Thane.
(Area : 434 Sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the J.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5674 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregaon Park, Pune-411 001.

Date : 19-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 20th November 1984

. Ref. No. IAC ACQ/CA-37EE/84-85 892/20-11-84.—

Whereas, I, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-
movable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearingPlot No. 54/2, D-III, Block of M.I.D.C. Indl. Estate, Chin-
chwad situated at Pune(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferredunder the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer atIAC. Acqn. Range, Pune in October 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act,
in respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- (1) The Pearl Thread Mills Ltd.,
Laxmi Building, 6, Shoorji Vallabhdas Marg,
Ballard Estate, Bombay-400 038.
(Transferor)
- (2) The Khatau Makanji Spinning & Weaving Company
Ltd., Laxmi Building, 6, Shoorji Vallabhdas Marg,
Ballard Estate, Bombay-400 038.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 54/2, D-III Block of M.I.D.C., Industrial Estate,
Chinchwad, Pune (with structures thereon).(Area : Land : 1537 sq. mt. Factory Bldg. 251.13 Sq. mt.
New Factory Bldg., 607.78 sq. mt. Gate House—8.10 sq.
meters).(Property as described in the agreement to sale registered
in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under
document No. 9005/84-85 in the month of October 1984).ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Goregoan Park, Pune-411 001Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 22nd November 1984

Ref. No IAC ACQ/CA-5|37G|630|84-85|1188 —Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value, exceeding Rs 25,000/- and bearing Plot No 59, Lonawala, R. S. No. 181/1A/1 situated at Lonawala (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Bombay in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri N. S. Pathare & Others,
Bombay Indian Inhabitant residing at 18,
Yug Prabhat, Old Sitaldevi Temple Road,
Mahim, Bombay-16. (Transferor)
- (2) Soan Hill Resorts Pvt. Ltd.,
84-Asiana, St. John Baptista Road,
Bandra, Bombay-50. (Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 59, R S No 118|1A|1, Lonawala.
(Area : 2309 93 Sq Mtrs).

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S R Bombay under document No. 37G|630|84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106|107, Koregaon Park, Pune-411 001.

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106|107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACY/CA-5/37G/701/84-85/1189.—

Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing S. No 395-A, Jamsande, Deogad, Sindhudurg situated at Deogad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR, Kankavali in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Vitthal G. Karlekar,
At D.og.d, Dist. Sindhudurg. (Transferor)

(2) Sou. Anjali M. Mondkar,
111,6, Lokmanya Tilaknagar,
M. G. Road, Goregaon,
West Bombay-400 062. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

S. No. 395 A, Jamsande, Dlogad, Dist. Sindhudurg.

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S. R., Kankavali under document No. 37G/701/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106|107, Koregaon Park, Pune-411 001.

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM IIIB

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 20th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/892.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Unit 1A Survey No. 450 and 57, Panchkhadi village situated at Thane (and morefully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ;—

- (1) M/s. Modella Textiles Industries Pvt. Ltd.,
4-C, Vulcan Insurance Building,
Veer Narman Road, Bombay-400 020.
(Transferor)
- (2) M/s. Swastik Fabrication Works,
Sangam Sadan, Road No. 2, Plot No. 451,
Kisan Nagar, No. 1 Thane-4.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit 1-A Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi village Thane,

(Area-319 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5676 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregaon Park, Pune-411 001,

Date : 20-11-1984
Seal ;

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/893.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Unit 18 survey No. 450 & 457, Panchpakhadi situated at Thane (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
70—426G1/84

(1) M/s. Modella Textiles Industries Pvt Ltd.,
4-C, Vulcan Insurance Building,
Bombay-400 020

(Transferor)

(2) M/s. Swastik Engineers,
Laxmi Sadan, Room No. 29, 2nd floor,
Kishan Nagar, No. 1, Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 50 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit 18, Survey No 450 and 457, Panchpakhadi, Thane.
(Area 319 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range Pune under No 5675/83-84 in the month of April 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park Pune-411001.

Date : 19-11-1984
Seal ;

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-4110001

Pune, the 20th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/894.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Unit No. 25, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely:—

- (1) M/s. Modella Textiles Industries Pvt. Ltd.,
4-C, Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road,
Bombay-400 020
(Transferor)
- (2) M/s. Rita Engineering Works,
61B, Punjabi Industrial Estate,
Pokhran Road-1, Khopat, Thane.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the name meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala/Unit No. 25, Survey No. 450 and 457, Panchpakhadi, Thane. (Area . 512 sq. ft.).
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5677 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM TINS

(1) M/s. Modella Textiles Ind. Pvt. Ltd.,
4-C, Vulcan Insurance Building Bombay,
(Transferor)

(2) Shri P. K. Dalvi,
Prop. of Colour Well, Rametital Chawl,
Room No. 2, Near Allied Silk Mills,
Agra Road, Thane.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 20th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-/37EE/84-85/895.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Unit No. 15, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Unit No. 15, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, Thane.
(Area : 410 sq. ft.).
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5678 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Modella Textiles Ind. Pvt. Ltd.,
4-C, Vulcan Insurance Building
Veer. Naiman Road, Bombay-400 020.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 20th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37FE/84-85.896.--Whereas, I, ANIL KUMAR; being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Unit No. 29, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, situated at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC, Acqn Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(2) M/s Kunal Engineering Service,
Prop. Mr. U. L. Shah, 11, Kundeshwar Bhavan,
Vallabh Bang Lane, Ghatkopar, Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 29, Survey No 450 and 457, Panchpakhadi, Thane. (Area : 512 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5679/83-84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 20th November 1984

Ref No. IAC ACQ/CA-5,37E/E]84-85,897 --Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Unit No 17, survey No 450 and 457, Panchpakhadi situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acqn Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Modella Textiles Ind. Pvt. Ltd.,
4-C, Vulcan Insurance Building
Veer, Nariman Road, Bombay-400 0020.
(Transferor)
- (2) M/s. Blue Chip,
Manchesha-A-97, Shreerang Society,
Thane-400 601.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No 17, Survey No. 450 and 457, Panchpakhadi, Thane. (Area : 380 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5682 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 20th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/898.—Whereas, I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Unit No. 26, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC, Acq. Range, Pune on April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Modella Textile, Industries Pvt. Ltd.,
4-C Vulcan Insurance Building,
Veer Nariman Road,
Bombay-400 020 (Transferor)
- (2) M/s. Sindhu Switchgear Systems
A-28, Highway Darshan, Near Highway Signal
Thane-400 602. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Unit No. 26, survey No. 450 and 457, Panchpakhadi, Thane (Area-512 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5681 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM LT.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/899, Whereas I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Unit No. 22, survey No. 450, and 457 Panchpakhadi situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC, Acqn. Range, Pune on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Modella Textiles Industries Pvt. Ltd.,
4-C Vulcan Insurance Building,
Veer Nariman Road,
Bombay-400 020 (Transferor)
- (2) M/s. P. K. Narayanan,
30 Ambe Kripa
Nahur Mulund, Bombay-400 080 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala/Unit No. 22, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, Thane.

(Area-512 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5670 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date : 19-11-1984
Seal :

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411001, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/900. Whereas, I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Unit No. 20, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC, Acqn. Range, Pune on April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Modella Textiles Industries Pvt. Ltd.,
4-C Vulcan Insurance Building,
Bombay-400 020

(Transferor)

(2) M/s. K.P.S. Industries,
A-8, Highway Darshan, 1st floor,
Naupada, Thane-400 602

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 20, survey No 450 & 457, Panchpakhadi, Thane. (Area-512 sq ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No 5671 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date : 19-11-1984

Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411001, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/901, Whereas, I,
ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Gala/Unit No. 19, survey No. 450 Pt & 457 Panchpakhadi, situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC, Acqn. Range, Pune on April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—
71—426G1/84

- (1) M/s. Modella Textiles Industries Pvt. Ltd.,
4-C Vulcan Insurance Building,
VeerNariman Road,
Bombay-400 020 (Transferor)
- (2) M/s. Jit Machine Tools,
A-28, Highway Darshan, 1st floor,
Naupada, Thane, 400 602. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 90 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala/Unit No. 19, survey No. 450 and 457 Panchpakhadi, Thane,
(Area-512 sq. ft.)

(Property as described in, the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5672 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregaoni Park, Pune-411001

Date : 19-11-1984
Seal

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/902, Whereas, I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 2, ground floor, C.T.S. No. 1201/D Bhamburda Shivaji Nagar, Pune-4 situated at Pune. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune on Sept. 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any assets or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Indrasen Krishnarao Shirole,
1201 D Ferguson College Road
Pune-411 004.

(Transferor)

(2) Shri Arun Madhav Joshi,
B-3, Seema Society,
1201-E Shirole Road,
Pune-411 004.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2, ground floor, C.T.S. No. 1201/D Bhamburda Shivaji Nagar, Final Plot No. 566/2 Pune-4. (Area-418 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 6529/84-85 in the month of Sept. 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date 19-11-1984

Seal

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411001, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/—Whereas, I,
ANIL KUMARbeing the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.Agreement for sale of Suit No. 1, 2, 3, 4, in Industrial Com-
plex at Dewan & Sons Industrial Complex at Village Aliyai,
Taluka Palghat District situated at Village Aliyai Distt. Thane
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer at
IAC, Acqn. Range, Pune on April, 1984.for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reason to
believe the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer
with the object of —(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) M/s Palghar Land Development Corporation,
Dewan Tower,
Vasai Road, (W) District Thane. (Transferor)
- (2) M/s Trojan Sports Wear (P) Ltd.,
C/o Bombay Craft Centre,
Raheja Chamber, 213 Nariman Point,
Bombay-400 021. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agreement for sale of Suit No. 1, 2, 3, 4, in Industrial com-
plex at Dewan & Sons Industrial Complex at village Aliyai,
Taluka Palghar, District Thane S. No. 39/1 agreement dated
20th January 1984.
(Area 4000 sq. ft. built up area.)(Property as described in the agreement to sale registered in
the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under docu-
ment No. 4463/83-84 in the month of April 1984.)ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—Date - 24-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 16th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/904.—Whereas, I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property at 179, Parvati Pune-411 009 situated at Pune (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune on April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Janakibai S. Sane,
179, Parvati, Pune-411 009. (Transferor)
- (2) Mr. Sham H. Lahoti,
1482, Shukrawar peth,
Pune-2. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at 179, Parvati, Pune-411 009.
(Area 604 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 5613/84-85 in the month of July 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date : 16-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KORI-GOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 01, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/905.—Whereas, I,
ANIL KUMARbeing the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearingFlat No. 9 on Second Floor admeasuring 1000 sq. ft.+360 sq.
ft. balconies 1360 sq. ft. of carpet area situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C. Acqn Range, Pune on May 1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- (1) M/s V. I. P. Associates.
1204/10 Shivajinagar, Pune-5. (Transferor)
- (2) Vasant Jaywant Divekar,
38/9A, Erandwana, 11th Lane,
Prabhat Road, Pune-4. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 9 on Second Floor admeasuring 1000 sq. ft.+360 sq.
ft. balconies 1360 sq. ft. of carpet area.
(Area 1357 sq. ft.)

(Property as described in the document to sale registered in
the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under docu-
ment No. 4535/83-84 in the month of May 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Korigoan Park, Pune-411 001

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM IINS

(1) M/s Makwana Bros. & Co.
441 Somwar Peth, Pune-1.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)Miss Rukhsana Hasim Hassan And
Miss Naseem Adam Omer,
313 M.G. Road, Pune-1.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/906, Whereas, I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 309, situated on 3rd floor, at H. No. 2416, East Street, Pune 1, situated at Pune

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acqn. Pune on Sept. 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 309, situated on 3rd floor, at H. No.2416, East Street, Pune-1.

(Area 11, 510 Ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 6070/84-85 in the month of September 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 24-11-1984
Seal:

FORM TTNS—

(1) Mr. Raj Kumar Jitram Agarwal,
on behalf of M/s Raj Builders,
S. No. 214 Parvati, Pune-9

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs. Kamalabai Vijayram Unecha,
178 Parvati Gaothan, Pune-9

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001
Pune 411 001, the 24th November 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ref No IAC ACQ/CA 5/37EF/84-85/907—Whereas, I,
ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs 25,000/
and bearing

Flat No 101 on first floor in Kadam Apartments at City —
S No 214 Parvati, Pune-9
situated at Pune,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registering Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer at

IAC Acqn Range, Pune on June 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expired later,

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or
any monies or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No 101 in first floor in Kadam Apartment at City
S No 214 Parvati, Pune-9
(Area 1495 sq ft)

(Property as described in the agreement to sale registered in
the office of the IAC Acquisition Range Pune under docu-
ment No 5112/84 85 in the month of June 1984)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
Acquisition Range, Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park, Pune 411 001

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely —

Date 24 11-1984
Seal :

FORM IT.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5,37EE[84-85]908 —Whereas, I,
ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs 25,000/-
and bearing

2 Bed room flat No. 5 on 2nd floor of Pushpak Apts.
at CTS No. 925/D-2, Fergusson College Road, Near Tukaram
Paduka Chowk, Pune-4
situated at Pune,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer at

IAC Acqn. Range, Pune on May 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons namely :—

(1) Nadgauda Enterprises,
C/o Plot No 161/A-3, Modibaug,
Ganeshkhind Road, Pune-16.

(Transferor)

2 Bed room flat No 5 on 2nd floor in PUSHPAK Apts
"Tara Vihar" 926 Fergusson College Road,
Pune-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

2 Bed room flat No 5 on 2nd floor in PUSHPAK Apts
at CTS No 925/D-2, Fergusson College Road, Near Tukaram
Paduka Chowk, Pune-4.

(Area 1050 sq ft)

(Property as described in the agreement to sale registered in
the office of the IAC Acquisition Range, Pune under docu-
ment No 4722/83-84 in the month of May 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Sakseria Bhavan,
106/107 Koregoan Park Pune-411 001

Date 23-11 1984
Seal ;

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/909, Whereas, I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 3 on the 2nd floor in the building to be constructed at Sub-Plot No. 2, Hissa No. 126, S. No. 103 Yerwada, Pune-6, situated at Pune, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune on April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—
72—426GI/84

- (1) Shri Shirish Chagpal Karia,
Proprietor of M/s. Siddarth Builders,
M-1, Hermes Nest, 844 Dastur Mehar Road,
Pune-1. (Transferor)
- (2) Dr. K. U. Vasudevan,
Yerwada Stud Farm, Nagar Road,
Pune-411 006. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of the 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3 on the 2nd Floor in the the building to be constructed at Sub-Plot No.2, Hissa No. 126, S. No.103 Yerwada, Pune-411 006.
(Area 590 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 4233/83-84 in the month of April 1984)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 21st November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/910.—Whereas, I,
ANIL KUMARbeing the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingFlat No. 117, 'Bali Apartments' S. No. 30A/4B, Kothrud
situated at District Pune(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferredunder the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer at
IAC, Acqn. Range, Pune on April, 1984.for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of:—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely:—(1) M/s Asian Builders,
Partner—Mr. V. L. Tambe, 35 Vishwashobha Co-op.
Housing Society,
528, Narayan Peth Pune-30.

(Transferor)

(2) Mr. Pradip Balkrishna Lele,
P.M.C. Colony, No. 7, Building 'V',
Block No. 12, Ghorpadi Peth,
Shankarshet Road, Pune-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the
respective persons, whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 117, 'Bali Apartments' S. No. 30A/4B, Kothrud,
Pune.

(Area 591 sq ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in
the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under docu-
ment No. 3962/83-84 in the month of April, 1984.)ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107 Koregoan Park, Pune-411 001Date : 21-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune 411 001, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/911.—Whereas, I, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 4, on the Ground Floor in the building to be constructed at Sub-Plot No. 2, Hissa No. 126, S. No. 103, Yerwada, Pune City situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acqn Range, Pune on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Shirish Chagnal Karia,
Prop. of M/s Siddharth Builders,
M-1, Hermes Nest, 844 Dastur Meher Road,
Pune-411 001. (Transferor)
- (2) Mr. Aloysius L Saldanha,
S. No. 21/2, Matchwel Road,
Sainikwadi, Pune-411 014. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4, on the Ground Floor in the building to be constructed at Sub-Plot No 2, Hissa No. 126, S. No. 103, Yerwada, Pune City.
(Area 600 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under document No. 4232/83-84 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date: 24-11-1984
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. Popular Associates,
8/5, Mukundnagar, Pune-37. (Transferor)
- (2) Shri Bharat Pukhrajji Oswal,
58, Valvan, Post-Lonavala,
Poona District. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/912.—Whereas, I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Building at 901 Shukrawar Peth, Pune situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, ACQN Range, Pune in August 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building at 901, Shukrawar Peth, Poona,
(Area 666 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5961/84-85 in the month of August, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411001, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/913—Whereas, I. ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Office No. 201, 2nd floor, Nand Chambers, Plot No. 359 Hissa No. 6 & 7A, L.B.S. Marg, Near Vandna Talkies situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune on July 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act; 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Bharat Construction Co.,
66/7, Vajukotak Marg,
1st floor. Bombay-400 038. (Transferor)
- (2) M/s. Labindia Instruments Pvt. Ltd.,
Regd. office, 34/38 Bharatkunj Society,
Erandawana, Pune-411 004. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 201, 2nd floor at Nand Chambers, Plot No. 359 Hissa No. 6 & 7A, L.B.S. Marg, Near Vandna Talkies, Thane. (Area 1312 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 7372/84-85 in the month of July, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001.

Pune, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/914.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot C.T.S. No. 113/8, Erandawana, F.P. No. 46/4, TPS. I situated at Pune-4

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC Acqn. Range, Pune on May, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Sharad Shankar Laghate,
2. Sou. Hemelata Bhalchandra Laghate,
3. Shri Atul B. Laghate,
4. Miss. Ujjwala B. Laghate,
362/A/2, Shaniwar Peth, Pune-411 030. (Transferor)
- (2) M/s. Sane Sardeshmukh Associates,
314, Narayan Peth,
Gangadhar Chambers, Pune-411 030. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot at C.T.S. No. 113/8, Erandawana, F.P. No. 46/4 of T.P. No. 46/4 T.P. Scheme-No. 1, Pune.
(Area—9245 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the J.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 4339/83-84 in the month of May, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 24-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001.

Pune, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37FF/84-85/916.—Whereas, I. ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

House No. 1599, Sadashiv Peth, situated at Pune-30 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC Acqn. Range, Pune on May, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons; namely :—

(1) Shri Vssudeo Trimbak Bagaitkar and others,
H. No. 1599, Sadashiv Peth,
Pune-411 030.

(Transferor)

(2) Master Amol Suhas Jog,
Minor guardian, Smt. Surekha Balkrishna Deshpande,
1569, Sadashiv Peth, Pune-411 030.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 1599, Sadashiv Peth, Pune-411 030.
(Area-266.63 sq. meters).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 4359 83-84 in the month of May, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001.

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/917.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing Office No. 202, 2nd floor, Nand Chambers, Plot No. 359 Hssn No. 6 & 7 LBS Marg, situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on July, 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bharat Construction Co.,
66/7, Vajukotak Marg, 1st floor,
Bombay-400 038

(Transferor)

(2) Smt. Anjali Shriram Bhalerao,
Janki Niwas, 2nd floor,
Dr. Moose Road, Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 202, 2nd floor at Nand Chambers, Plot No. 359, Hissa No. 6 & 7A L.B.S. Marg, Near Vandha Talkies, Thane. (Area—394 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 7374 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/918.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Office No. 203, 2nd floor, Nand Chambers, Plot No. 359 Hissa No. 6 & 7A L.B.S. Marg, Near Vandna situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on July, 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
73—426GI/84

(1) M/s. Bharat Construction Co.,
66/7, Vajukotak Marg,
1st floor, Bombay-400 038.

(Transferor)

(2) Smt. Kanchan Shrikant Bapat,
12, Shukhankuroli Society,
Bhasker Colony, Naupada, Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 203 on the 2nd floor, Nand Chambers, Plot No. 359, Hissa No. 6 & 7A, L.B.S. Marg, Near Vandna Talkies, Thane.

(Area—394 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 7373 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 17-11-1984
Seal

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE PUNE
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001.

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5268/84-85/919.—
Whereas, I,
ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 102 in K.P.T. 1 situated at S. No. 17A Plot No. 2 Hissa No. 8, Wanowarie, Pune-13 situated at Pune-13 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn Range, Pune on July, 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

- (1) M/s. Parmar Constructions,
321/3 New Timber Market Road,
Pune-2.
(Transferor)
- (2) Mrs. Madhuben Sumanlal Doshi,
C/o Sachine & Co., 25 Bootee Street,
Pune.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 102 in K.P.T. 1 situated at S. No. 17A Plot No. 2 Hissa No. 8 Wanowarie, Pune-13.
(Area : 790 Sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5268/84-85 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001.

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5272/84-85/920.—

Whereas, I,
ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
Flat No. 206, 2nd Floor, K.P.T.-1, S. No. 17A, Plot No. 2
Hissa No. 8, Wanowarie, Pune-411 013 situated at Pune-13
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer at
IAC, Acqn. Range, Pune on July, 84
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely:—

(1) M/s. Parmar Constructions,
321/3 New Timber Market Road,
Pune-2. (Transferor)

(2) Shri Shabbir Vakil,
D/21 Geeta Society,
Synegaug St.
Pune-411 001. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 206 on 2nd Floor in the Bldg. K.P.T.-1 situated
at : S. No. 17A, Plot No. 2 Hissa No. 8 Wanowarie, Pune-
411 013.
(Area : 720 Sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered
in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under
document No. 37EE/5272/84-85 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/921.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 612, 6th floor, KPT-1 Plot No. 2, Hissa No. 8 S. No. 17A, situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on July, 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Parmar Constructions,
321/3 New Timber Market Road,
Pune-2. (Transferor)
- (2) Mr. Bhaskar Ganesh Naik,
Amee Kripa Block No. 1,
Subhash Nagar, Estate, N. M. Joshi Marg,
Bombay-11. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 612, 6th floor, KPT-1 Plot No. 2, Hissa No. 8, S. No. 17-A Pune-13.
(Area—720 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5278/84-85 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001.

Pune, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/922.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land at survey No. 287, Hissa No. 5, Village-Thakurli situated at Kalyan, Dist. Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC Acqn. Range, Pune in May, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transferred with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mrs. Hirabai M. Bhatena,
Mr. Jimmy M. Bhatena,
Mr. Zarir M. Bhatena,
Dehmu Bldg. 3rd floor Supari Baug,
Parel, Bombay-400 012. (Transferor)
- (2) Mr. Satyabodh Venkatesh Gubbi,
B-12, Nav Sahayog Co-operative Housing Society,
360-Senai Bapat Marg,
Matunga (W.R.) Bombay-400 016. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at survey No. 287, Hissa No. 5, village Thakurli, Dombivall. Tal. Kalyan, Dist. Thane.
Area—4948.44 sq. metre).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5857/83-84 in the month of May, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE PUNE
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001.

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/923.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 111, KPT. 1st floor, No. 17A Plot No. 2, Hissa No. 8, Wanowarie, Pune-13 situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune on July, 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Parmar Constructions,
321/3 New Timber Market Road, Pune.
(Transferor)

(2) Mrs. Irene X Rato, 428/6A Gultekadi,
Pune-411 001.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 111 in KPT, 1st floor, S. No. 17-A Plot No. 2, Hissa No. 8, Wanowarie, Pune-13.
(Area—1040 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5273/84-85 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. Hermes Agencies,
618 Sahapur Street,
Pune-411 001. (Transferor)
- (2) Mr. Carlton Kitto & Mrs. Deborah Kitto,
C/o Helal Building, 173 Mount Road,
Mazagaon, Bombay-400 010. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001.

Pune, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/924.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. C-19 on the 4th Floor in the proposed Hermes Complex Coop. Hsg. Society Ltd. situated at F.P. No. 203, Sangamwadi T.P.S. Pune City situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acqn. Range, Pune on April 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. C-19 on the 4th Floor in the proposed Hermes Complex Coop. Hsg. Socy. Ltd. situated at F.P. No. 203, Sangamwadi TPS Pune City.
(Area—949 sq ft.).
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 4229/83-84 in the month of April 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001.

Pune, the 16th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/925.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 'Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

1140, Shukrawar Peth, Pune situated at Pune and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on July, 84 for an apparent consideration and which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to be the following persons, namely:—

- (1) M/s. Pushpak Associates,
299, Ghorpade Peth, Pune-411 002. (Transferor)
- (2) Mr. Vivek Hari Karandikar,
'Ramchandra Smruti',
1223, Sadashiv Peth, Pune-411 030. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at 2nd floor, 1140 Shukrawar Peth, Pune-2.
(Area—625 sq. ft. carpet area).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5349 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 17-11-1984
Seal :

~~FORM 119B~~

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001.

Pune, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/926/37EE/84-85.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing C.S. No. 858 Municipal Corp. H. No. 54/55, Lane No. 14, situated at Kalyan, Dist. Thane and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on April, 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the said property namely :—
74—426GI/84

- (1) Shri Chintaman Parshuram Joshi
Meghashyam Wada,
Parnaka, Kalyan, Dist. Thane. (Transferor)
- (2) M/s. Kelkar & Co.,
Prop. Madhav Moreshwar Kelkar,
Anandi Building,
Agra Road, Kalyan, Dist. Thane. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

C.S. No. 358 Municipal Corpn H. No. 54/55, Lane No. 14,
973 sq. yds with the building standing thereon.
(Area—983 sq. yds.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5195/83-84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411001

Date : 22-11-1984
Sent :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 21st November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/927/37EE/84-85.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Office No. 201, 2nd floor, Nirman Vyapar Kendra Vashi Plot No. 10 Sector VO-17 situated at New Bombay, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer IAC. Acq. Range, Pune on May, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair Market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Nirman Builders,
40-41, Vishal shopping centre,
Sir M. V. Road, (Andheri-Kurla Road),
Andheri (East) Bombay-400 069. (Transferor)
- (2) M/s. Tanwar Brothers,
104, Tardeo Air-conditioned Market,
Bombay-400 034. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No 201, 2nd floor, Nirman Vyapar Kendra at Vashi Plot No. 10, sector VO 17, New Bombay-400 703.
(Area-1175 sq. ft)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5000 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 21-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/486/37G/728/84-85.—Whereas,
I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. Mouje Karia Dumala, S. No. 18/112 situated at Nagar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR., Sangamner on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) SPHRI Vilas V. Navale, A
At, Kasara Dumala Tal. Sangamner, (Nagar).
(Transferor)
- (2) Chairman, Keruji H. Gunjal,
The Ahmednagar & Sub Dist.
Tal. Sangamner, Mouje, Kasara, Dumala.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:— The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mouje Kasaria Dumala,
S. No. 18/112, Sangamner.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the S.R. Sangamner under document No. 37G/728/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poon
Saksaria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/689/84-85|1187.—Whereas, I,
ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 440, Deolali, Con-tonment Area, Dist. Nasik situated at Nasik,

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R., Bombay on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mani Burjor Feror,
Eden Hall, D 2 Dr. Anne Besant Road,
Worli, Bombay-18.

(Transferor)

(2) Shri Meghraj B. Kanal,
62, Jubilee Naugh Restaurant,
Camp Road, Deolali.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

S. No. 440, Deolali Contonment Area, Nasik.
(Area : 4011 sq. ft.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S.R., Bombay under document No. 37G/689/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park
Pune-411,001

Date : 22-11-1984

Seal :

FORM JINS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37E/704/84-85|1202.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 20, Survey No. 92 (part), 93 (part) situated at village Nilemore, Nalla Sopara Tal. Vasai, Dist. Thana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer S.R. Vasai on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Anant Narayan Kini & Others,
Vasai—Thane. (Transferor)
- (2) Park Land Co-operative Housing Society Ltd.,
Nilemore, Nallasopara, Vasai, Dist. Thana. (Transferee)

Objectitons, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 20 of Survey No. 92 (part) 93 (Part) in village Nilemore, Nalla Sopara, Tal. Vasai, Dist. Thana.
(Area : 900 sq. mtrs.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S. R. Vasai under document No. 37G/704/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/718/84-85/1201.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land at survey No. 22/27, Kolhapur-E-Ward situated at Kolhapur,

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Kolhapur on April 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferee; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sou. Mohammed A. Shaikh,
At Dinanath Building,
94, Veer Savarkar Marg., Mahim, Bombay-16.
(Transferor)
- (2) Shri Abdul Kadar N. Mogal,
at 139, T. Juhu Tara Santacruz, Bombay-49,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at C.S. No. 22/27, Kolhapur-E-Ward, Kolhapur.
(Area 1102.20 sq. mts.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Kolhapur under document No. 1785 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 23-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/727/37G/84-85/1200.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property at Tungarli, survey Nos. 104 & 104A C.T.S. No. 24, 25 and 26 (S. No. 137 & C.T.S. No. 27) situated at Tal. Maval, Dist. Pune, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Bombay on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Dr. Bhalchandra Nilkanth Purandare,
Chaupati Hospital, Bombay-400 007. (Transferor)
- (2) M/s. Kohinoor Builders,
Kohinoor Bhavan, Senapati Bapat Marg.,
Bombay-400 028. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at survey Nos. 104 and 104A, and C.T.S. No. 24, 25 & 26 Tungarli, Tal. Maval, Dist. Pune. (Revision survey No. 137 and CTS No. 27 admeasuring about 202.34 sq. meters).
(Area—12136.64 sq. meters).

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Bombay under document No. 4103 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) 1. Shri. Purushottam Kashinath Abhyankar,
2. Smt. Ramabai Purushottam Abhyankar,
D-10, 3rd floor, Indra Vadan Co-operative
Housing Society Ltd.
Padmasabal Thakkar Rd., Mahim, Bombay-16.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Shri Venkatesh Builders,
8, Deelip Kunj, Near Tilaknagar,
Vidya Mandir, Dombivali (E), Dist. Thane.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/644/84-85/1199.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 64, House No. 1, Patharli, Tal. Kalyan situated at Kalyan, Dist. Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Kalyan in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette on a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at S. No. 64—H. No. 1, G. B. Patharli, Tal. Kalyan and Building No. E-55 Ground floor, Dist. Thane.
(Area—700 sq. yds.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Kalyan, under document No. 264/84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Shivaji Kondarao Patil & Others,
Sharanpur Road, Nasik.

(Transferor)

(2) The Chairman,
Shiv Kamal Co-op. Housing Society,
Shau Shipa V. Shoha, Nasik.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/852/84-85/1198.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Sharanpur Road, Nasik situated at Nasik (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Nasik on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

5-426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Sharanpur Road, Nasik.
(Area : 635 sq. mtrs.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the S.R. Nasik under document No. 37G/852/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/781/84-85/1197.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Gat 989/2 (Part) Naigaon, Taluka Haveli, Pune situated at Pune, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Haveli-I on July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Pushpa Raghavanshi Puri,
2, Nehru Marg, Pune-1.

(Transferor)

(2) M/s. Bliss Farms Pvt. Ltd.,
Shahid Bhagat Singh Road,
Bombay-400 005.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Gat No. 989/2, (Part) Naigaon, Taluka-Haveli,
Dist. Pune.
(Area.....)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Haveli-I, Pune under document No. 1692 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 23-11-1984
Seal :

FORM TTNS—

(1) Shri Motiram Laxman Patil & Others,
At G. B. Patherli, Tal. Kalyan, Dist. Thane.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Vidya Co-op. Housing Society, Ltd.
Opp. Model English School,
G. B. Patherli,
Tal. Kalyan, Dist. Thane.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE,
SAKSERLA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-41 1001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/642/84-85/1196.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 8, S. No. 58, H. No. 1 (P), village G. B. Patherli Tal. Kalyan, Dist. Thane situated at Thane, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Kalyan on April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair Market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 8, S. No. 58, H. No. 1(P) at Village G. B. Patherli, Tal. Kalyan, District Thane.
(Area : 578.60 sq. ft.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S. R. Kalyan under document No. 37G/642/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Saksleria Bhavan,
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXSAKERIA BHAWAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Punc-411 001, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/757/84-85/1995.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property at C.T.S. No. 913-A, 915B, 916/1, 916/1 to 916/10 and 918B situated at Panvel, Dist. Raigad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Panvel on May, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Mrs. Surekha Virendra Banthia,
At & Post, Panvel, Taluka-Panvel, Dist. Raigad.
(Transferor)
- (2) M/s. Rahul Hotels Pvt. Ltd.,
Managing Director Shri Virendra Kumar R. Banthia,
Panvel, Dist. Raigad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at CTS No. 913-A, 915-B, 916, 916/1 to 916/10 (Area : 1819.8 sq. meters).
and 918B Renuel
(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Panvel under document No. 187 in the month of May, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakeria Bhawan
106/107, Koregoan Park
Punc-411 001

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
ACT, 1961 (43 OF 1961)(1) Dr. Urmila R. Yadav,
165/A Panjarpol Road, Kolhapur.

(Transferor)

(2) M/s. Ameya Co-op. Housing Society,
through Chief Promoter P. S. Kulkarni,
809/E, Shahupuri, Kolhapur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN,
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned.

Pune-411 001, the 22nd November 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/725/84-85]1194.—Where-
as, I, ANIL KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act') have reason to believe that the im-
movable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
C. S. No. 1182/127, E-Ward, Kolhapur situated at Kolhapur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
S. R. Karvir on April, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act
in respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Property situated at C. S. No. 1182/127-E-Ward, Kolhapur.
(Area : 760.3 sq. meters)(Property as described in the sale deed registered
in the office of the Sub-Registrar Kanir in the month of
April, 1984),
under document No. 1851/1984.ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK,
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 24th November 1984

Ref. No IAC ACQ/CA-5/37G/84-85.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. CTS No. 669, Old House No. 19-A, New No. 28, Municipal Lane No. 2, Area 183.9 sq. meters ground plus three floors, Ram Maruti Chowk, Kalyan situated at Kalyan, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Kalyan on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Abdul Latif Mohamad Khan,
Ram Maruti Chowk, Kalyan 421 301.
(Transferor)
- (2) 1. Smt. Khurshid Begum J. M. I. Sayed,
2. Shri Rafiq Ahmad J.M.I. Sayed,
3. Shri Noor Mohamad J.M.I. Sayed,
40/6, Gawandi Mohalla, Machhi Bazar, Kalyan.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

CTS No. 669, Old House No. 19-A, New No. 28, Municipal Lane No. 2, Area 183.9 sq. mtrs. ground plus three floors, Ram Maruti Chowk, Kalyan.
(Area :)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Kalyan, under document No. 330/84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref No. IAC ACQ/CA-5/37G/699/84-85|1192.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at survey No. 59 and 60 situated at Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Ahmednagar on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sayyad Akabar Sayyad Abbas and others,
At Haji Ibrahim Building,
Station Road, Ahmednagar.

(Transferor)

(2) Ahmednagar S.T. Staff Workers,
Sahakari Griha Irman Sanstha,
Chief promoter Shri Shaikh Nizam Mohd. Jahagirdar,
Station Road, Ahmednagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at survey No. 59 & 60 at Ahmednagar.
(Area—10 acres).

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Ahmednagar under document No. 1344 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune 411 001

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/706/84-85/1191.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing S. No. 7, at Tadwagle situated at Tadwagle (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Alibag on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269D of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kamal Ramji Patil,
At Tadwagle (Kathewadi),
Taluka Alibag (Raigad).

(Transferor)

(2) Shri Sundaradas Holaram Bajaj,
At Ulhasnagar,
Dist. Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 7, At Tadwagle.

(Area :)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S.R. Alibag under document No. 37G/706/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
SAKSERIA BHAVAN
106/107, KOREGOAN PARK
PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G 703/84-85/1190.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No.

Plot No. 47, Navghar, Vasai situated at Vasai (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Vasai on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or:

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

76—426GI/84

(1) Mrs. Nirmal Amirchand Chandok,
RB II, 85/2, Railway Quarters,
Kurla (E), Bombay-400 024.

(Transferor)

(2) M/s. Shree Krishna Builders,
Plot No 52, Navghar,
Krishna Kunj, Vasai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 47, Navghar, Vasai.
(Area : 339 sq. mtrs.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S.R., Vasai under document No. 37G/703/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Saksena Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) Shri Tukaram Shroman Panchbbhai S/o Moja Tah. & Dist. Nagpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Punjabrao Kishi Vidyapith Karmachari Sahkari Works, Nirman Sanstha through its President Ami Dehraj Bahum Patil, Shankar Nagar, Nagpur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
3RD FLOOR, SARAF CHAMBERS
SADAR, NAGPUR

Nagpur, the 26th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/52/10/84-85.—Whereas, I, M. C. JOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5 Acres of agricultural and in. Kh. No. 111, 112/2 & 110.3 situated at Dabha Tah. & Dist. Nagpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nagpur on 23-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned:

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5.00 Acres of agricultural land in kh. No. 110, 111, 112/2 & 110.3 situated at Dabha land in kh. No. 110, 111, 112/2

M. C. JOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Nagpur

Date : 26-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43936/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 36 situated at Austin Tower, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 263/84-85 on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) V.L. Bastian
r/o 36 A, B Block,
Austin Tower, Bangalore. (Transferor)

(2) Mr. M. C. Ross,
Sean Gladwynne,
Wayne Leslie
George Clarence and
Gabriel Sinclair
No. 49, Church Street, Bangalore-1. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 263/84-85 dated 5-4-84)

Portion of premises No. 36 A&B Block, Austin Tower, Bangalore-47.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 14-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE 560 001

Bangalore-560001, the 14th November 1984

C R No 62 43/62/84-85/ACQ/B—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition Range Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding No 437 2nd Cross situated at 9th Main HAL II Stage, Indiranagar Divn 51, Bangalore (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No 193/84-85 on 23.4.1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifty per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons namely—

(1) Mr L L Nagaraj
No 437 2nd Cross, 9th Main
II Stage HAL Indiranagar
Bangalore-38

(Transferor)

(2) Mr B R Ramchandia Rao and
Mrs K Amutha
No 150 II floor 4th Cross
Somwarapuram Ulsoor,
Bangalore 8

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No 193/84-85 dated 23.4.84)

Premises No 437 II Cross 9th Main HAL II Stage,
Indiranagar, Division 51, Bangalore

R BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date 14-11 1984
Seal

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43169/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 457, situated at Binnamangala Layout, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 130/84-85 on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Lt. Col. S. S. Udapa,
481 III Cross 9th Main
HAL II Stage Indiranagar,
Bangalore. (Transferor)
- (2) Comdr. M. R. A. Rao (Retd.)
Mis. Indu A. Rao
410 Shashi Kiran Apartments
9, 18th Cross, Mallesuwarem,
Bangalore. (Transferee)

Objection if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter:

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 130/84-85 dated 16-4-1984)

Pl. No. 257 situated at Binnamangala Layout (Army) Phase II Maysore Sub-Area Officers Housing Colony Bangalore (Defence Colony) in HAL II Stage, Indiranagar, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date: 14-11-1984
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43107/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R, BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 1331 situated at Binnamangala II Stage Extension (Indiranagar) Bangalore-560038

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 34/84-85 on 6-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mr. C. B. Shankaranaryana,
S/o Late C. M. Balakrishna Mudaliar
New No. 6 (Old No. 455)
Shriadananda Bhavan Cross Road,
Viswaswathapuram, Bangalore-560004, (Transferor)

(2) Mr. Albert D'Souza
S/o Mr. Rozario D'Souza
Mrs. Aileen M. R. D'Souza
W/o Albert D'Souza
"Radhika" 3/8 Artillery Road,
Ulsoor, Bangalore-560038. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 34/84-85, dated 6-4-1984)
Portion of vacant building site bearing No. 1331, Binnamangala II stage Extension (Indiranagar) Bangalore-560038.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

1411111
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43161/84-85/ACQ. B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 21 Old No. 1-A 'L' No situated at 6th Street, J.N. Road, Cross (OPH Road), Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 210/84-85 on 21-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. G. N. Zamceer Ahmed and
Mrs. Heeta Begum
No. 36, Millers Road,
Bangalore-560046.

(Transferor)

(2) Bangalore Cantonment Masjid-ul-Noor Janab
P. H. Mohammed and 10 others Committee,
No. 21, 'L' No. 4th Street
Jumma Masjid Road Cross,
(formerly OPH Road) Division 54,
Bangalore-51.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered No. 210/84-85, dated 21-4-1984)

Premises bearing present Corporation No. 21 Old No. 1-A @ 'L' No. 6 Street Dharmaraja Koil St Cross as well as in 'L' No. 4th Street, Jumma Masjid Road Cross (formerly OPH Road) Division No. 54, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 14-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43174/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Site No. 197 situated at I Block-III Main Road, Jayanagar, Bangalore (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 3142/84-85 on 26-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. C. R. Srinivasa Rao and brothers
S/o Late G. Rama Rao
Dalasonur Village Srinivaspur Taluk,
Kolar Dist. (Transferor)

(2) Mrs. C. Shantha Kumar
W/o Sri S. Chinnaswamy
No. 27 II Main Road,
Sudhamanagar, Bangalore-27. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice, on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 3142/84-85, dated 26-4-1984)

Vacant Site No. 197 situated at I Block, III Main Road, Jayanagar, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 14-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43210|84-85|ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAI, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Site No. 96 situated at Industrial Suburb II Stage, Tumkur Road, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 302|84-85 on 23-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

77—426GI/84

(1) M/s. Shree Udyog,
No. 12 Palace Road,
Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. C. Sundaram and others,
No. 929 Poonamalai High Road,
Madras-600084.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 302/84-85 dated 23-4-84).
Factory Land Site No. 96, Industrial Suburb II Stage,
Tumkur Road, Bangalore.

R. BHARDWAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 14-11-1984.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43935/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Site No. 1666, situated at Banashankari I Stage II Block, Bangalore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 119/84-85 on 11-4-1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mr. M. R. Doreswamy Naidu,
No. 674 5th Cross II Block
Banashankari I Stage,
Bangalore-560050.

(Transferor)

(2) Mrs. R. Hemalatha,
No. 51/52 12th 'A' Main Road,
Hanumanthanagar,
Bangalore-560050.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 119/84-85 dated 11-4-84).

Site No. 1666 Banashankari I Stage II Block, Bangalore, (measuring about 40' x 61').

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 14-11-1984.
Seal :

FORM I.T.N.S.—
NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
 BANGALORE-560 001

Bangalore, the 12th November 1984

C.R. No. 62/43100/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 3, situated at Baraji Layout Corporation Division 49, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 264/84-85 on 4/4/84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (2) Mr. Z. F. Bamji and
 Mrs. S. Z. Bamji
 By. P.A. Holder Mr. F. S. Bamji
 43, Mitter Road,
 Bangalore.

(Transferor)

- (2) Mr. M. A. Valentine and
 Mrs. P. R. Valentine
 6th Cross Robertsonpet,
 Kolar Gold Fields.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 264/84-85 dated 4-4-84).
 Property No. 3, Baraji Layout, Corporation Division No. 49 admeasuring size area 156.41 sq. mts. Bangalore.

R. BHARDWAJ
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range, Bangalore.

Date : 12-11-1984,
 Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 12th November 1984

C.R. No. 62/43153|84-85|ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 66/2, situated at Infantry Road, Bangalore, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 495/84-85 on 28.4.1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mrs. Shakuntala Natarajan
W/o Late S. Natarajan,
No. 66/2, Infantry Road,
Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. Dawood Mohammed,
S/o Mohammed Dawood,
No. 39 Christian Street,
Erode, Tamil Nadu Camp,
Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter...

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 495/84-85 dated 28-4-84).
Property No. 66/2, Infantry Road, Civil Station, Bangalore

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 12-11-1984,
Seal:

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 12th November 1984

C.R. No. 62/43598/84-85/ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

21/68, situated at Govindappa Road, Basavonagudi, Bangalore-4,

(and more fully described in the schedule annexed hereon), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No 171/84-85 on 18-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mr. T. V. Ramachandra Mohan,
Pr. M/s. Jaihind Painting and Building Works,
Mamulpet, Bangalore-2.

(Transferor)

(2) Mrs. Shanta V. Shetty,
W/o. B. Viswanatha Shetty,
No. 239/10, Mahadeswar Prasanna,
III floor Chamarajpet, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 171/84-85 dated 18-4-84).

Site bearing No. 21/6B, Govindappa Road, (admeasuring 342 Sq. yards) Basavangudi, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 12-11-1984.
Seal:

FORM ITNS—

(1) Mrs. Shakuntala Natarajan,
W/o (Late) S. Natarajan,
No. 66/1, Ground floor,
Infantry Road, Civil Station,
Bangalore-1.

(Transferor)

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

(2) Mrs. Mariam Dawood,
W/o Dawood Mohammed,
No. 39 Christian Street,
Erode, Tamil Nadu Camp,
Bangalore.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001**

Bangalore, the 12th November 1984

C.R. No. 62/43154/84-85/ACQ/B.—Whereas, I,
R. BHARDWAJ,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition
Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

66/1, situated at Infantry Road, Bangalore,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bangalore under Document No. 496/84-85 on 28.4.1984,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer,
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 496/84-85 dtd 28.4.84).
Property bearing No. 66/1 Infantry Road, Civil Station,
Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Date : 12-11-1984.

Seal :

FORM ITNS

- (1) (1) Smt. M. R. Sharada,
(2) M. R. Vijayakumar,
(3) M. R. Prakash,
No. 496/71, Middle School Road,
V. V. Puram,
Bangalore-4.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

- (2) G. C. Rajashekar,
@G. R. Chengularaya Naidu,
16, Puttauna Road,
Basavanagudi,
Bangalore-4.

(Transferee)

Bangalore, the 19th November 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

C.R. No. 62/44010|84-85|ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 29, situated at J. C. Road I (A) Cross, Bangalore City, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore on 19.4.1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 196/84-85 dated 19-4-84).
Property bearing No. 29, situated at J.C. road I 'A' Cross,
Bangalore City,

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 19-11-84.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/4408/804-85/ACQ[B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commission of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 312, situated at Koramangala I Stage, Bangalore-34, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore South Tq. on 27-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. P. Lakshmiamma,
No. 122, Mackan Road,
Civil Station,
Bangalore.

(Transferor)

(2) (1) Shri Ashok Kumar Sharma,
(2) Smt. Vijayalakshmi Sharma,
by P.A. Dr. C. Vidyasagar,
St. John Medical College Hospital,
Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 534/84-85 date d27-4-84).

Property bearing No. 312, situated at Koramangala I Stage, Bangalore-34.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 19-11-84.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

(1) Shri R. Dharma Seva,
No. 881, West of Chord Road,
II Stage, Rajajinagar,
Bangalore-10.

(Transferor)

(2) Shri T. Ramachandra,
No. 3, II Cross,
Vijayanagar,
Bangalore-40.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

C.R. No. 62/44016/84-85/ACQ/B.—Whereas, I,
R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the said Act), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.
1083, situated at Railway Line, Pipe Line Chord Road, Extn.
Layout Vijayanagar, Mangalore-40,
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
1908) in the Office of the Registering Office at
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the Office of the Registering Office at
Srirampuram on 19-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined Chapter XXV of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 215/84-85 dated 19-4-84).

Property bearing No. 1033, situated at Railway Line, pipe
Line Chord Road, Extn., Layout, Vijayanagar, Bangalore-40.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—
78—426GI/84

Date : 19-11-84.
Seal ;

FORM I.T.N.S.—

(1) Dr. Thotappa,
Head of Deptt., of Political Sciences,
Mysore,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri K. T. Sujatha,
P.B. No. 322, Tobruk,
Libya.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/43166[84-85]ACQ[B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1317, situated at Binnamangala II Stage Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Shivajinagar on 17-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 145/84-85 dated 17-4-84).
Property bearing No. 1317, situated at Binnamangala II Stage, Bangalore (80' x 50').

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 19-11-84.

Seal :

FORM I.T.N.S.—

(2) Smt. R. Chandraleka,
No. 1256, Kurubarpet,
Kolar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Charles Luke Chelliah Devadasan,
32, Kudremukh Colony,
Koramangala, Bangalore-34.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Bangalore, the 19th November 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the
respective persons, whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

C.R. No. 62/44009/84-85/ACQ/B.—Whereas, I
R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
259, situated at Koramangala I Block, Bangalore,
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the Office of the Registering Office at
Bangalore South Tq. on 18-4-1984,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen percent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in the Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 407/84-85 dated 18-4-84).
Property bearing No. 259, situated at Koramangala
Block, Bangalore-34.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—

Date : 19-11-84.
Scal :

FORM I.T.N.S.—

(1) Shri S. Venugopal,
No. 9/2, Basavanagudi,
Bangalore-4.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Y. N. Madhava Raju,
446-6 Cross, II Stage,
Rajajinagar,
Malleswaram West,
Bangalore.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44013|84-85|ACQ|B.—Whereas, I,
R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding Rs.
25,000/- and
bearing No.
9, situated at II Stage, VI Cross, Rajajinagar, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the Office of the Registering officer at
Rajajinagar on 18-4-1984,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reason
to believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration
and that the consideration for such transfer as agreed to bet-
ween the parties has not been truly stated in the said instru-
ment of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);(Registered Document No. 229/84-85 dated 18-4-84).
Property bearing No. 9, situated at II Stage, VI Cross,
Rajajinagar, Bangalore-10.R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons, namely :—Date : 19-11-84.
Seal .

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 21st November 1984

C.R. No. 62/43197/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing R.S. No. 877/B, situated at Attavar Villagt, Mangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Mangalore under Document No. 104/84-85 on 19-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Patrick Medina by Power of Attorney, Mrs. Meval Madina, Valencia, Mangalore. (Transferor)
- (2) Shri Antony A. Lobo by Power of Attorney, Helen P. Lobo Near Jeppu Workshop, Mangalore-2. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 104/84-85 dated 19-4-84).
Property bearing R.S. No. 877/B, T.S. No. 611/B situated in Attavai Village, Mangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 21-11-84.
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 23rd November 1984

C.R. No. 62/43157/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6, renumbers as 61, situated at Ramakrishnappa Road Charter Campbell Road Extn. Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Shivajinagar under Document No. 257/84-85 on 26-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely:—

- (1) The Bangalore Sindhi Merchants Association, Sindhi Social Hall, Cox-Town, Bangalore. (Transferor)
- (2) Mr. Prabhu D. Chandnani, Mrs. Geeta P. Chandnani, Nirmal N. Nandwani and Mrs. Bindu N. Nandwani No. 53 Wheeler Road, II Cross, Fraser Town, Bangalore-5. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 257/84-85 dated 26-4-84).
Premises No. 6, renumbered as 61, Ramakrishnappa Road,
Charles Campbell Road Extn, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 23-11-84.
Seal:

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 23rd November 1984

C.R. No. 62/43739/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 24 & 24A, situated at IV Main Road, Chamarajpet, Bangalore, (and more fully-described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Basavangudi, under Document No. 322/84-85 on 30-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. B. S. Krishnaiah Shetty,
2757, 9thA Main Road,
II Block, Jayanagar, Bangalore-11.

(Transferor)

(2) Mr. L. Manju,
2757, 9thA Main Road,
II Block, Jayanagar, Bangalore-11.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 322/84-85 dated 30-4-84].
Premises No. 24 & 24A Vinayaka Extension II Cross, Appurao Road, V Main Road, Chamarajpet, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 23-11-84.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44015/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 675/24 (675), situated at 15th main road, IV 'T' Block, Jayanagar, Bangalore, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 110/84-85 on 12-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bangalore Consultants,
No. 300/C, 36th Cross V Block, Jayanagar,
Bangalore-11, represented by Mrs. S. Usha Devi.
(Transferor)

(2) Mr. B. V. Guruprasad,
S/o B. Veerabhadrappa,
No. 35, 12th Main, 4th Block East,
Jayanagar, Bangalore-11.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 116/804-85 dated 12-4-84).

All that residential site with foundation for Compound and superstructure up to 3 ft for Garage bearing CITB No. 675, Municipal Corporation No. 675//24, 15th Main Road, 4th 'T' Block Division No. 35(a), Jayanagar, Bangalore-11.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 19-11-84.

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri B P Rameshramanyan,
No. 1400, 23rd Main,
Bangalore-19.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Smt. M. C. Rukmini,
99/4, Bull Temple Road,
Bangalore-19.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44014/84-85/ACQ/B.—Whereas, 1. R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing 1389, situated at Banashankari II Stage, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jayanagar on 16-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 166/84-85 dated 16-4-1984).

Property bearing No 1389, situated at Banashankari II Stage, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
79—426GI/84

Date : 19-11-84.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44012|84-85|ACQ|B.—Whereas, I,
P. BHARDWAJ,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition
Range, Bangalore,
being the Competent Authority under sec. 269B of the In-
come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as
the said Act), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/ and
situated at Abdul Hafiz Road, Cox Town, Bangalore-5,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the Office of the Registering Officer at
Shivajinagar on 11-4-1984,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property, as the re-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11
of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,
1922 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely:—

(1) (1) Major D T A Sunder Raj,
(2) Mrs. Rani Bai,
No 14, Gokul Colony,
Banaswadi Road,
Bangalore-33.

(Transferor)

(2) Erol William Fernandez,
No. 1, Gokul Murthy, Road,
Cox Town,
Bangalore-5.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 332/84-85 dated 11-4-84)
Property bearing No 95 situated at Abdul Hafiz Road,
Cox Town, Bangalore-5, (199 84 Sq. mts).

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 19-11-84,
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Mr. M. R. Nanjrenda Swamy Station Engineer
All India Radio, Bhadravathy. (Transferor)
- (2) Mr. K. Janakraman B-35, Kudremukh Colony
II Block Koramangala, Bangalore. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 20th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/44112/84-85/ACQ/B.—Whereas, I

R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 79 situated at V Block Koramangala, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore on 14-5-1984 under Document No. 93,84-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 93/84-85 dated 14-5-84)
Site No. 79 V Block Koramangala, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 19th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/44011/84-85/ACQ/B.—Whereas, I,
R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 30, situated at J. C. Road I 'A' Cross, B'lore city (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer, at Bangalore on 19-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. K. Lakshminarayana Shetty,
567, Sajjan Rao Road, V. V. Puram,
B'lore-4.

(Transferor)

(2) Shri G. C. Chandrasekar (minor) by mother
Smt. M. Shakunthala, No. 16, Putanna Road,
Basavanagudi, B'lore-4

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 195/84-85 dated 19-4-84)
Property bearing No. 30, situated at J. C. Road I 'A' Cross,
B'lore city.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 19-11-84
Seal

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 21st November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/44166/84-85/ACQ/B.—Whereas, I
R. BHARDWAJbeing the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believethat the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 50, situated at 1 Main Gangenahally, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferredunder the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office
of the Registering Officer at Gandhinagar
under Document No. 367/84-85 on 5-5-1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer
with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

(1) Mr. Thomas Kutty
50, 1 Main Gangenahally
Bangalore.

(Transferor)

(2) Mrs. Asghari Begum
w/o Jaffar Mohinuddin
50, 1 Main Gangenahally Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

- (b) by any other persons interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are
defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 367/84-85 dated 5-5-84)
House Corporation No. 50 I Main 7th Cross Gangenahally
Division 46, Bangalore

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 21-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 20th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/44110/84-85/ACQ/B.—Whereas, I R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000; and bearing No. 69/2

situated at K. R. Puram Hobli Bangalore South Taluk (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at

(Bangalore under Document No. 798/84-85 on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Mr. B. Jayaram Patil ndur Agrahara,
K. R. Puram, Hobli Bangalore South Taluk.
(Transferor)
- (2) Mr. M. L. Ranjit
Mis Juman Ranjit
No. 100, Borewell Road, Whitefield, Bangalore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned. —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 798/84-85 dated May, 1984)
2 acres and 30 Cuntas of agriculture land in survey No. 69/2 Agrahara, K. R. Puram Hobli, Bangalore, South Taluk.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

- (1) M. K. Venkatasubramanian Bhat
40, Govindaraj Nagar,
Magadi Road, Bangalore. (Transferor)
- (2) Dr. Sebastian Thomas Nodackel,
C/o. 21/12 M. G. Road, Bangalore. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 20th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/44111/84-85/ACQ/B.—Whereas, I R. BHARDWAJ being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 239, situated at I Block, Koramangala, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 1465/84-85 on 31-5-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1465/84-85 dated 31-5-84)
Vacant Site No. 239, I Block Koramangala Extension,
Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 21st November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/43132/84-85/ACQ/B.—Whereas, I
R. BHARDWAJbeing the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingNo. 128, situated at II Cross Mandi Mohalla, Mysore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
of the Registering Office at
Mysore on 9-4-1984
under Document No. 138/84-85for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- (1) Mr. N. Ravindranath S/o Late Mr. T. Narayana-
swamy No. 1484, Sayyaji Rao Road, Mysore.
(Transferor)
- (2) Mr. Basheer Ahmed S/o Mr. Abdul Rehman
P.A.H. of Mr. M. A. Samad S/o Mr. Abul Rehman
Mrs. Tahira Samad, 2975 Sajjad St. Mandi Mohalla
Mysore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 138/84-85 dated 9-4-84)
Site No. 128/1, New No. M./A. situated at Second Cross,
Bannimantap Extension, Mandi Mohalla, Mysore.R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, BangaloreDate : 21-11-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/43075/84-85/ACQ/B.—Whereas, I
R. BHARDWAJbeing the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingNo. 19, situated at Brunton Road, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
of the Registering Office at
Shivajinagar on 8-6-1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer; and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—
80—426GI/84(1) 1. Shri V. R. Rathnam 2. Mrs. Prema Rathnam 3.
Sri R. Vidya Sagar—Residing at No] 24, Annaswamy
Mudaliar Road, B'lore. 4. Mrs. Radhabai Rama-
lingam, No. 2, Gangadhar Chetty road, B'lore, &
5. Mrs. Rameshwari, Brindavan, Ali Askar Road,
B'lore.

(Transferor)

(2) Shri Birendra Singh No. 5, Kilari Road, B'lore.
(Transferee)Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons;
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter,

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 746/84-85 dated 8-6-84)
Residential premises o. 19, situated at Brunton Road,
B'lore.R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, BangaloreDate : 16-11-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/43073/84-85/ACQ/B.—Whereas, I R. BHARDWAJ being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 19, situated at Brunton Road, Bangalore, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Shivajinagar Bangalore under Document No. 744/84-85 in June 1984 for an apparent consideration and which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Mr. V. R. Rathnam 2. Mrs. Premā Rathnam 3. Mr. R. Vidya Sagar all the three are resident of No. 24 Annaswamy—Mudalar Road, Bangalore. 4. Mrs. Radnabai Ranalingam No. 2 Gangadhar Chety Road, Bangalore and 5. Mrs. Rameshwari Brindavan Ali Askar Road, Bangalore. (Transferor)
- (2) M/s. Aqua Borewell, Pvt. Ltd. K. G. Road, Bangalore-9. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 744/84-85 dated June 1984]
Residential premises No. 19 Brunton Road, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 16-11-84
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/43091/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 36 (old No. 38) situated at Shankarapuram, Bangalore-4 (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 50/84-85 on 6-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mr. Sringeri Shankara Mutt
Sringeri
Shankarapuram
Bangalore-4
(Transferor)

(2) Mr. H. Subramanyam Jais
Advocate
No. 150/36, N.H.S. Road.
V. V. Puram
Bangalore-4
(Transferee)

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 50/84-85 Dated 6-4-84)
Property bearing No. 36 (Old No. 38) Shankara Mutt
Parallu Road, Shankarapuram, Bangalore-4.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 15-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref. No. C.R.No. 62/43128/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27 and 28 situated at Subbaiah Lay out, K. P. West Extn. Bangalore-20 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Bangalore under Document No. 16/84-85 on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mr. H. K. Venkateshan
28, Shopping Street
Subbaiah Lay out K. P. West Extn.
Bangalore-20
(Transferor)
- (2) Mr. Srichand Vishandas
Mrs. D. S. Talreja
64/1 1 5th Main Road,
Gandhinagar,
Bangalore-9
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 16/84-85 Dated 5-4-84.)
Premises Nos. 27 and 28 situated at Shopping Street,
Subbaiah Lay out, K.P. West Sxtn. Bangalore 20.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 15-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

C.R. No. 62/43150/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 350 situated at Sarakki, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 294/84-85 on 18-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mr. R. M. Patel
S/o Shri M. H. Patel
No. 164/7 South Cross Road
MNK Park
Basavanagudi, Bangalore-4. (Transferor)
- (2) Mrs. Appi Bai
W/o Mr. K. Narayana Rao
No. 3/1 Patalamma Street
Bangalore-4. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 294/84-85 Dated 18-4-1984)

Ground floor of Property in site No. 359 of Sarakki, Bangalore South Taluk, measuring about 15.40 × 23.40 metres.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 15-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref. C.R. No. 62/43148/84-85/ACQ/B.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. 154 situated at Koramangala-I Stage, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer at
Bangalore under Document No. 443/84-85 on 24-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- (1) Col S. N. Ginwala VSM
Mrs. Perviz Sam Ginwala
NCC Group Head Qrs. Residency Club.,
Radio Colony Indore. (Transferor)
- (2) Mr. John Katha Likattu malil Chandy
Mrs. C. Chandy also known as Chellamma Chandy
Mr. John Chandy and Mr. Jacob Chandy
No. 9, Leonard Road,
Richmond Town,
Bangalore-560025. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 443/84-85 Dated 24-4-84)
Site No. 154, Koramangala I Stage (admeasuring about
3,900 Sq ft. or 362.3228 Sq. ms) Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 15-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43999/84-85/ACQ/B.—Whereas, I,
R. BHARDWAJ
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. 3/17
situated at B.S.A. Road, Bangalore
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the Indian
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer
at Bangalore under Document No. 82/84-85 on 15-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons namely:—

- (1) Mr. Nasrullah Shariff
No. 8, Periyarnagar,
Tannery Road Cross,
Bangalore. (Transferor)
- (2) Mr. J. Zafrullah Shariff
Mr. J. Ahmedullah Shariff
No. 25 II Cross, Pillanna Garden,
Bangalore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons, which
ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the pub-
lication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 82/84-85 Dated 15-4-84)
Building site bearing Corporation No. 3/17 B.S.A. Road,
Municipal Division No. 48 Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 16-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(1) Mr. D. Nagaraj
No. 494.45 Cross 5 Block
Jayanagar, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. Mohd. Hussain
No. 15 2nd Main Road,
Ganganahatti, Bangalore

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43998/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 18 situated at 4th Main Road, Ganganahatti, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 82/84-85 on 6-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

AND/OR,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 82/84-85 Dated 6-4-84)
Property No. 18, 4th Main Road, Hebbal Main Ganganahatti, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 16-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43997/84-85/ACQ/B—Whereas, I,
R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No 48/4 situated at Mavalli Tank Bund Road, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 147/84-85 on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
§1—426GI/84

(1) Mr. N. Srinivasamurthy
No. 2, Kalappa Block
Basavanagudi
Bangalore-4.

(Transferor)

(2) Mr. D. Lakshminarayana,
No. 37 Mount Joy Centre,
Manumanthanagar,
Bangalore-19.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 147/84-85 Dated 16-4-84)
Vacant site bearing Municipal No. Old 48. New No.48/4
situated at Mavali Tank Bund Road, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 16-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref. C R No. 62/43111/84-85/ACQ/B—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Sy. No 98/3 situated at Byrasandra Village, Jayanagar, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No 320/84-85 on 11-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mrs Mungaiamma alias Chikkathayamma and Others
No 24 II Cross,
Byrasandia,
Jayanagar, Bangalore. (Transferor)
- (2) Mrs Leela Vijaya Kumari
Bhajah, U.A E (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 320/84-85 Dated 11-4-84.)
Converted Land bearing survey No. 98/3 of Byrasandia Village, Jayanagar, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 15-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref C R No. 62/43167/84-85/ACQ/B—Whereas, I, R BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 'Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Site No 188 situated at HAL II Stage Indiranagar, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No 140/84-85 on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or;

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Col P C Ganapathy (Retd)
No 2 Model House,
Gokulam 3rd Cross,
Mysore-570002.

(Transferor)

(2) Mr. A Arvind Rao,
No. 35 Manjappa Road,
Shantinagar,
Bangalore

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No 140/84-85 Dated 16-4-84.)
Vacant land bearing Site No. 188 situated in Binnamangala Lay out (Defence Colony, HAL-II Stage) Indiranagar, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 15-11-1984
Seal .

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43074/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 19, situated at Brunton Road, Bangalore (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Shivajinagar on 8-6-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability on the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) 1. Shri V. R. Rathuam
2. Mrs. Prema Rathuam
3. Sh. R. Vidya Sagar, Residing at No. 24, Annaswamy Mudaliar Road, B'lore.
4. Mrs. Radhabai Ramalingam, No. 2, Gangadhar Chetty Road, B'lore, and
5. Mrs. Rameshwari, Brindavan, Ali Askar Road, B'lore.

(Transferor)

- (2) Mrs. Mary Tony, No. 19, Brunton Road, B'lore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 745/84-85 Dated 8-6-84.)
Residential Premises No. 19, situated at Brunton Road, B'lore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 16-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 17th November 1984

Ref. C. R. No. 44006/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1083, situated at X Main Road, RPC layout, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sirirampuram on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri S. Muddajiah,
No. 1083, X Main Road,
RPC layout, Vijayanagar,
East, Hosahally,
B'lore. (Transferor)
- (2) Shri B. P. Vasudeva Muthy
No. 426, III Stage,
M. Palaya, R. Nagar,
B'lore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 142/84-85 Dated April, 84.)
Property bearing House No. 1083, situated at X Main Rd.,
R.P.C. layout B'lore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM LT.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 17th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43228/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding No. 1030-D, situated at 17th E. Cross, Binnamangala II Stage, Indiranagar, B'lore-38, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Shivajinagar on 11-5-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. R. Ramamurthy,
No. 1030-D, 17th 'E' Cross,
Binnamangala II Stage,
Indiranagar, B'lore-38. (Transferor)

(2) Shrimati Rajama,
No. 7, Rayappa Road,
Fraser Town,
B'lore-5. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 402/84-85 Dated 11-5-84.)
Property bearing No. 1030-D, situated at 17th 'E' Cross,
Binnamangala II Stage, Indiranagar, B'lore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 17-11-1984
Seal :

FORM IINS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C R. No. 62/44005/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 19, situated at IV Main, Hebbal Mill, Ganganahalli, B'lore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ganhsinagar on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri O. D. Nagaraj,
No. 494, 45th Cross,
V Block, Jayanagar,
B'lore.

(Transferor)

(2) Dilshadunnisa,
No. 5, VII Bellay Road,
Ganganahalli,
B'lore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 83/84-85 Dated 5-4-84),
Property bearing No. 19, situated at IV Main, Hebbal Mill,
Ganganahalli, B'lore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 16-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 17th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43303/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 10 situated at Cunningham Road, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 597/84-85 on 4-6-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Catholic Bishop Conference of India
Society for Medical Education,
Formerly Known as St. John's Medical College and
Hospital
Kotamangala
Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. Naishadh N. Patel
Mrs. Rupam N. Patel
both presently residing at
No. 2/14, M. G. Road,
Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 597/84-85 Dated 4-6-84.)

All that piece and parcel of land together with buildings structures there on bearing Municipal No. 10 (old No. 3) Cunningham Crescent, Civil station Bangalore

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 17-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 20th November 1984

C. R. No. 62/43219/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 162/2 situated at Magadi Road, Chord Road Extn., Hosahalli, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 1908) in the Office of the Registering Officer at Sirampuam on 7-5-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
82—426CI/84

(1) Srimati Siddagamma,
No. 93, Govindappa Road,
Basavanagudi,
Bangalore

(Transferor)

(2) Dr. Y. A. Narayana,
Dr. Y. Jayakumar,
238/1, P. T. Extn.,
IV Cross, Davangere.

(Transferee)

(3) Transferor.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 403/84-85 Dated 7-5-84].
Property bearing No. 162/2, situated at 18th Cross
Magadi Road, Chord Road Extn., Hosahalli, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 20-11-1984
Seal

FORM I.T.N.S.—

(1) Mr. P. Ramachandra Reddy,
46, Mavalh Tank Bund Road,
Bangalore-2.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Mr. Govind Viswanath,
Rep. by P.A.H. Mr. G. Ramdas,
No. 9, Ulsoor Road,
Bangalore.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 17th November 1984

C. R. No. 62/43321/84-85/ACQ/B.—Whereas I,
R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000 - and bearing
No. 148 situated at Block I, Koramangala Extn., Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908, (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at
at Bangalore under Document No. 1230/884-85 on 26-6-84
for an apparent consideration which is less than the full
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1230/84-85 Dated 26-6-1984].
Land bearing site No. 148 in Block-I, situated in Korama-
gala Extension, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of the notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Date : 17-11-1984
Seal

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

C. R. No. 62 44002/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6(26) situated at Sultanpalya, Matadaballi, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore on 10-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. P. Vijayan,
No. 9/7, Lloyd's Road,
1 Floor, Wokes Town,
Bangalore.

(Transferor)

(2) Shrimati Hansa A. Sachdev,
by P.A. Shri Amarlal R. Sachdev,
Chethul, Church Road,
Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 96/84-85 Dated 10-4-1984].

Property bearing No. 6 (old No. 26), situated at Sultanpalya, Matadaballi, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 16-11-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) **Shrimati Mary Regina,**
No. 6, VIII Cross, Chinnappa Garden,
Benson Town,
Bangalore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

C. R. No. 62/44004/84-85/ACQ/B.—Whereas I,
R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]-
and bearing

No. 6 situated at VIII Cross, Chinnappa Garden, Benson
Town Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908, (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at
at Shivajinagar on 5-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

(2) **Shrimati Hoor Banu,**
No. 8, 13th Cross, Muddanna Garden,
Bangalore-46.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of
the publication of this notice in the Official
Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act
shall have the same meaning is given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 26/84-85 Dated 5-4-1984].

Property bearing No. 6, situated at VIII Cross, Chinnappa
Garden, Benson Town, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the
following persons, namely :—

Date : 16-11-1984

Seal :

FORM ITNS

(1) Sri S. Krishna Gowda,
No. 12, Sankey Road,
B'lore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri C. N. Mallesha,
No. 30, Crescent Road,
High Grounds, Bangalore.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

C. R. No. 62/44003/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 74 situated at P&T Colony, Gangenahalli, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Gandhinagar on 7-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 80/84-85 Dated 7-4-1984].

Property bearing No. 74, situated at P&T Colony, Gangenahalli, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 16-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 12th November 1984

Notice No. 830 84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Plot No F of 'LA MARVEL' situated at Dona Paula, Panjim (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ilhas (Goa) under Document No. 313 on 11-4-1984, for an apparent consideration which is less than the full market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Clovis Siquera Vaz,
B-12, Jolly Maker Apartments-I,
Cuffe Parade, Bombay-400 005. (Transferor)
- (2) Capt. Jahangir Pestonji Taleyarkhan,
Mis. Marion Jahangir Taleyarkhan,
6, Crescent Apartments,
La Campala, Mina-Mar,
PANAJI (GOA)-403 001. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No 313 Dated 11-4-1984].

Open plot measuring 504 sq. metres bearing Plot No. 11, 'LA MARVEL' situated at Dona Paula, Panjim.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 12-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001 the 12th November 1984

Notice No. 831 84-85 ACQ/B—Whereas, I,
R BHARDWAJ
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter
referred to as the 'said Act') have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000 and bearing
Survey No. 69 situated at Torda of Gabitavada of Salvador
Sub-district Ilhas (Goa)
(and more fully, described in the Scheduled annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908, (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Ilhas (Goa) under Document No. 341 on 12-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely:—

- (1) Shri Aleixo Manuel de Costa and his wife
Smt. Olga Dina Vaz e Costa,
R/o House No. 139, Rua de Natal,
Fontainhas, Panaji, Goa
(Transferor)
- (2) Shri Dhurajalal Damodar Rajani and
Shri Dipal Manharlal Rajani
both R/o St. Cruz Ilhas, Goa
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 341 Dated 12-4-1984]

This is an agricultural land situated at Torda of Gabita
vade of Salvador Sub-District Ilhas, Goa under survey No.
69 Sub-division I measuring 39,600 sq. metres.

R BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date - 12-11-1984,
Seal

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 30th November 1984

C. R. No. 62/43213/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2950 : 10 situated at II stage, 'D' Block, I Cross, Rajajinagar, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajajinagar on 18-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Syed Mustafa S/o
Shri Syed Abdul Khader,
239, I Main,
Chamarajpet,
Bangalore-18.

(Transferor)

(2) Shri H. Rangappa,
No. 2032-B, II Stage,
Rajajinagar,
Bangalore-10.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 218/84-85 Dated 18-4-1984].

Property bearing No. 2950 : 10, situated at II Stage, 'D' Block, I Cross, Rajajinagar, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 30-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 30th November 1984

C. R. No. 62/43163/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 59 situated at 11th Cross, I Stage, Indiranagar, Bangalore-38 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Shivajinagar on 21-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—
83—426 GI/84

(1) Shri R. Haridev,
No. 59, I Stage,
Indiranagar,
Bangalore-38.

(Transferor)

(2) 1. Shri C. Elhirajalu &

2. Smt. B. R. Indumathi,
No. 8/1, V Cross, IV Main Road,
Sampangiramanagar,
Bangalore-27.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 188/84-85 Dated 21-4-1984].

Premises No. 59, 11th Cross, I Stage, Indiranagar, Bangalore-38.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 30-11-1984
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 22nd November 1984

C. R. No. 62/44168/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 212, situated at Mahalakshmi House building Co-op. Society (P.) Ltd., west of Chord Road, II Stage, II Phase, B'lore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at with the Competent Authority under Section 269B, in his office at Rajajinagar on 28-5-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shrimati Honnanna and Jayanna,
R/o 40, Vaddarapalya,
Rajajinagar,
Mahalakshmiपुरा Post,
B'lore-86.

(Transferor)

(2) Shri C. G. Chandran,
4173/4, II Stage,
Rajajinagar,
B'lore-10.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 888/84-85 Dated 28-5-84]

Property bearing No. 212, situated at Mahalakshmi House Building Co-operative Society (P.) Ltd., West of Chord Road, II Stage, II Phase, Bangalore. (60' × 40').

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 22-11-1984.
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C. R. No. 62/43079/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 107-1B situated at Kandavana Village, Mangalore Taluk (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mangalore Taluk/with the competent authority under Section 269AB, in his office at under Document No. 50/84-85 on 11-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri A. Thyapanna Ballar S/o
Shri Padma Ballar, R/o
Bhavanthi Bettu House, Post Malali,
Badaga-Uthipady Village, Mangalore Taluk. D. K.
(Transferor)

(2) M/s. Prabhudas Kishoredas Tobacco Products (P) Ltd., 659-1, Gultai Tekra,
Near Patel Society,
Panchvati Ellis Bridge, Ahmedabad-380 006,
GPA Holder Kantibhai Narsibhai Patel,
C/o Prabhudas Kishoredas Tobacco Products (P) Ltd., Kankanady, Mangalore,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 50/84-85 Dated 11-4-84]
Waig property in Kandavara Village of Mangalore Taluk in S. No. 107-1B, Areas 0.54 Containing Buildings.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 26-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C. R. No. 62/43291/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 35/2 and 35/3 situated at Cunningham Road, Bangalore (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at /with the competent authority under Section 269AB in his office at Shivajinagar under Document No. 738/84-85 on 23-5-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tulsidas Hansraj Shah Urf Tulsishah, R/o 5-B, Tiphazzo Little Gibbs Road, Bombay-6.

(Transferor)

(2) Shri Mohamed Masood Sait, Shri Masood Karceem, Shri Rizuana Masood, All R/o 15, Chinnaswamy Mudaliar Road, Tasba Town, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 738/84-85 Dated 23-5-84]
Premises No. 35/2 and 35/3, Cunningham Road, B'lore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 26-11-1984.

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(1) 1. Shri Russi Framroze Poonegar,
2. Miss. Rhoda Frawioze, R/o
Poonegar, No. 9,
Brunton Road Cross,
B'lore.

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001(2) 1. Shri Rafiq Mahmood,
2. Mrs. Amina Rafiq, R/o
No. 33/11, Victoria Road,
B'lore.

(Transferee)

Bangalore-560 001, the 30th November 1984

C. R. No. 62/43165/84-85/ACQ/B—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 9, situated at Brunton Road Cross, B'lore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at , with the competent authority under Section 259AB in his office at Shivajinagar on 17-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 157/84-85 Dated 17-4-84]
Property bearing No. 9, situated at Brunton Road, B'lore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 30-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 22nd November 1984

C. R. No. 62/44167/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 224 situated at Sonnenhalli, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 269/84-85 on 28-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Mr. Anantha, R/o
No. 224, Sonnenahalli Further Extn.,
Bangalore-560 047.

(Transferor)

(2) Mr. M. Jairaj, R/o
No. 23, Austin Town,
Bangalore-560 047.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 269/84-85 Dated 28-4-84]
Land and building bearing No. 224 situated at Sonnenahalli Further Extension, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 11-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 27th November 1984

C. R. No. 62/43323/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 455 situated at Koramangala Extn., Block-III, B'lore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at /with the competent authority under Section 269AB in his office at B'lore South Tq. on May 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

I, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. K. K. Kuttappa, R/o
No. T-5, C.P.W.D. Quarters,
Vijayanagar,
B'lore.

(Transferor)

(2) Mohd. Maqbool Hussain, R/o
12/1, Alfred Street,
Richard Town,
B'lore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1320/84-85 Dated May, 84]
Site No. 445 situated at Koramangala, Block-3, B'lore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 27-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Baldev Ramanarayan,
No. 127, Defence Colony,
Indiranagar, Bangalore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri C. V. L. Sastry,
Vijaya Kumar D. Doshi,
764 V Block, Rajajinagar, Bangalore-10.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISS-
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

Bangalore-560 001, the 27th November 1984

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of
the publication of this notice in the Official Gazette.

C.R. No. 62/43278/84-85/ACQ/B.—Whereas I,
R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-
movable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 214, situated at Upper Palace Orchards, Bangalore,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at/with
the competent authority under Section 269AB, in his office
at Gandhinagar on 26-5-1984,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefore by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of :—

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

(Registered Document No. 643/84-85 dated 26-5-84)

Site No. 214, situated at upper palace orchards, Banga-
lore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby intimate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the means of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—

Date : 27-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri Y. Annamalai,
No. 52/3, Rama Temple St,
Doopanahalli, Indiranagar, Bangalore-38. (Transferor)
- (2) Lt. Col. S. S. Udupa (Retd.),
No. 481, III Cross, IX main,
HAL II Stage, Bangalore-38. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 27th November 1984

C.R. No. 62/43230/84-85/ACQ, B—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000,- and bearing No. 1034, situated at HAL II Stage Extension, Bangalore. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at /with the competent authority under Section 269AB in his office at Shivajinagar on 4-5-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to be the following persons, namely:—
84—426 GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 322/84-85 dated 4-5-84).
Vacant site No. 1034, situated at HAL II stage Extension, Bangalore

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 27-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE 560 001

Bangalore-560 001, the 22nd November 1984

C.R. No. 62/44169/84-85/ACQ/B.—Whereas, I,
R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 2923, situated at Railway, Line, Pipe, Line, RPC layout, Bangalore city,

(and morefully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at /with the competent authority under Section 269AB in his office at

Scrirampuram on May 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets, which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri D. V. Acvathanarayana,
69 T. Co. Road, Flych (1)
Anavimoola, Bangalore 0

(Transferor)

(2) Shri Devaji Bhai Patil,
93, New Timber Yard,
Myo Road, Bangalore 26

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document 751/84-85 dated May 1984).

Property bearing No. 2923, situated at Railway line, Pipe Line, RPC layout, Bangalore city

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, BangaloreDate: 22-11-1984
Seal:

FORM ITNS

(1) Mrs. Lakshamma,
W/o Late Chikka Kadirappa,
No. 94 Chales Cambeu Road,
Cox-Town, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. C.L.K. Muthu Naidul
S/o Innasappa, No. 2 7th Cross Jaibhatnagar,
Bangalore-5.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C.R. No. 62/44250/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 23 situated at Chikka Kadirappa Garden, St. Thomas Town, Bangalore-5, (and morefully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at /with the competent authority under Section 269AB in his office at Shivajinagar Bangalore under Document No. 643/84-85 in May 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under the section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of that said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 643/84-85 dated May 1984).
All that piece and parcel of land being site No. 23 Chikka Kadirappa Garden, Division No. 49, St. Thomas Town, Bangalore-5.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 26-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 27th November 1984

C.R. No. 62/43288/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 40, situated at VIII Main Road, 13th Cross, Malleswaram, Bangalore, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at /with the competent authority under Section 269AB in his office at Rajajunagar on 31-5-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. S/Shri R. Lalitha.
2. R. Parimala.
3. R. Sathyanarayana.
4. R. Nagarathuramma.
5. R. Naghabhushan, No. 38, III Main Road, Malleswaram, Bangalore-3. (Transferor)
- (2) M/s Gowda Saraswath Samaj, No. 29, K. R. Road, Bangalore-4. (Transferee)
- (3) Tenants. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 889/84-85 dated 31-5-1984).
Premises bearing No. 40, situated at VIII main road, XIII cross, Malleswaram, Bangalore-3. (784.2 Sq. mts.).

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 27-11-1984
Seal

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C.R. No. 62/44251/84-85/ACQ/B.—Whereas, I R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 266, situated at West of Chord Road, II Stage, Bangalore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajajinagar Bangalore under Document No. 1053/84-85 on 7-6-1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Mrs. S. Subbalakshamma,
repd. by GPA-Holder
N. S. Ramachandra,
S/o Starmayya, Deputy Production Manager,
Deccan Herald, Bangalore.
Sitara
(Transferor)
- (2) Mrs. N. S. Saraswathy,
W/o S.T. Anand, Reptd. by GPA Mr. U. S.
Prabhakar, No. 41 II Main, Vyatikaval,
Bangalore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1053/84-85 dated 7-6-84).
Site No. 266 in West of Chord Road, II Stage, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 26-11-1984
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C.R. No. 62/44252/84-85/ACQ/B.--Whereas, I,
R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1149, situated at West of Chord Road, II Stage, Bangalore city.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajajinagar on 18-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, the following persons, namely :--

(1) Shi B. Lakshminarayana,
No. 1149, West of Chord Road,
II Stage, Mahalaxmipuram Post,
Bangalore-86.

(Transferor)

(2) Dr. Kashinath Dikshith,
No. 71A, 22 Cross road,
Rajajinagar, II Block, Bangalore-10.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1184/84-85 dated 18-6-1984),
Property bearing No. 1149, situated at West of Chord
road, II Stage, Bangalore city (60'x40').

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bangalore

Date : 26-11-1984
Seal : ,

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C.R. No. 62/44249/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2137, situated at RPC Extension, Vijayanagar, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at/with Srirampuram Bangalore under Document No. 1056/84-85 on 22-6-1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mr. A. N. Shivabarama,
S/o Nanjappa,
No. 36 Upstairs,
Nehru Circle, Seshadipuram, Bangalore-560 020.
(Transferor)
- (2) Mr. K. Krishna Bhat,
S/o K. Narayan Bhat,
No. 74/1 52nd cross IV Block,
Rajajunagar, Bangalore-560010.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons, within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1056/84-85 dated 22-6-1984).
Site No 2137 in R.P.C. Extension Vijayanagar, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 26-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 21st November 1984

C.R. No. 62/43098/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Ts. No. 7 R.S. No. 166 situated at Ahavar Village, Cantonment Ward Mangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at/with Mangalore under Document No. 65/84-85 on 12-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1. Michael C F Mascarenhas Rebello House 132, Hill Road Bandra, Bombay.
2. Mrs. Mariette Mascarenhas.
3. Miss Chenge Mascarenhas.
4. Miss Deborah Mascarenhas.
5. Mr. Pebu Mascarenhas and
6. Mr. Paul Mascarenhas
Nos. 2 to 6 are residing at Sturrock Road, Mangalore.

(Transferor)

(2) Mr. K. Subbaya Shetty.
S/o Late Mr. K. Sriniva Shetty.
Balmatila, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 65/84-85 dated 12-4-1984).

Non agricultural immovable property consisting of a house bearing Ts. No. 7 RS No. 166 Class Bagayat admeasuring 1538 sq. mtr. situated in Attavar Village, Cantonment Board of Mangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 21-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acq n/Bpl/5368 —Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 123, street No. 2, situated at Manoramaganj, Indore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at/with Indore on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (22 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

85—426 GI/84

- (1) Smt. Doulat Kunwar Bai W/o Shri Thakur Sahab Prithvi Raj Singhji R/o 12/2, Manoramaganj, Indore.
(Transferor)
- (2) Shri Mukeshkumar S/o Shri Madanlalji,
2. Smt. Premilarani W/o Shri Madanlalji.
3. Shri Rakesh (Minor) S/o Madanlalji Guardian for No. 3.
All R/o House No. 116, Jwara Compound, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—the terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 123, street No. 2 situated at Manoramaganj, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bhopal

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5369.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Open plot of land at Municipal No. 8/3, situated at Gadag Gram, Taluka Gadag, Indore in April 1984, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at situated at Manoramaganj, Indore, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Badjatya Construction Company, through Shri Sant Kumar Badjatya, S/o Shri Kalyanmalji Badjatya, R/o 146 Jawara Compound, Indore.
2. Chawala Construction Company, through Shri Arjundas Chawla, R/o 165, Palsikar Colony, Indore. (Transferor)
- (2) M/s Gaurav Grah Nirman Sahkari Sanstha, Maryadit, Indore, through Shri Jay Kumar S/o Shri Jethanandji Chawala, R/o 195 Palsikar Colony, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land at Municipal No. 8/3, situated at Manoramaganj, Indore. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Income-tax Building
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5370.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Open plot No. 6-B, situated at Rajgarh Kothi, Indore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore in April 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Jailaxmi Grah Nirman Sehkari Sanstha, Maryadit, Manormaganj, Indore, through President Shri Sunil Jain, S/o Shri J. P. Jain, R/o Yaswanthniwas Road, Indore. (Transferor)
- (2) Arihant Grah Nirman Sahkari Sanstha, Maryadit, 146, Jawara Compound, Indore, through President Shri Sanat Kumar Badjatya, S/o Shri Kalyanmalji Badjatya, R/o 146, Jawara Compound, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot No. 6-B, situated at Rajgarh Kothi, Indore. This is the immovable property which has been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Income-tax Building
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 22-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5371.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 1/2-B situated at Kamla Nehru Marg, Ujjain (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain in April 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Mohammed Ayub S/o Shri Mohammed Ibrahim, R/o Kamla Nehru Marg, Ujjain (M.P.).
(Transferor)
- (2) Shri Mansoor Ali S/o Shri Gulam Ali, R/o 28-Bhargav Marg, Ujjain (M.P.).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 1/2-B situated at Kamla Nehru Marg, Ujjain. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.-----

(1) Shri Mohammed Ayub S/o Shri Mohammed Gulam Ali, R/o Kamla Nehru Marg, Ujjain (M.P.).

(Transferee)

(2) Shri Shabbir Hussain S/o Shri Gulam Ali, R/o 28-Bhargav Marg, Ujjain (M.P.).

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5372.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Part of House No. 1/2-B situated at Kamla Nehru Marg, Ujjain,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain in April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House bearing No. 1/2-B situated at Kamla Nehru Marg, Ujjain. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 22-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5373.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House constructed on plot No. 275 situated at Anoop Nagar Colony, Indore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore in April 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Jatashankar Jha S/o Shri Shivshankar Jha, R/o Darbhanga, Bihar, Through attorney Shri Shafiqur Rehman S/o Shri Ajijur Rehman, R/o 60-June Pitha, Indore. (Transferor)
- (2) Shri Shafiqie Mohammed Quereshi, S/o Late Shri Siddique Mohanmed Quereshi, R/o Bhopal. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on plot No. 275, situated at Anoop Nagar Colony, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 22-11-1984
Seal :

FORM LT.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5374.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the im-
movable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot o. 231 situated at Anoop Nagar Colony,
Indore,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer at
Indore in April 1984,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act,
in respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- (1) Shri Inder Singh S/o Shri Lakhmirsingh Chatwal,
R/o House No. 87, Jawara Compound, Indore.
(Transferor)
- (2) 1. Shri Jawahar S/o Shri Srinivas Kulkarni,
2. Badrinath S/o Shri Srinivas Kulkarni,
3. Deepak S/o Shri Srinivas Kulkarni,
All R/o 90/4, Mahatma Gandhi Marg, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette of a period of 30 days
from the service of notice on the respective person,
whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 231 situated at Anoop Nagar Colony, Indore.
This is the immovable property which has been described
in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 22-11-1984
Seal ;

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5375.—Whereas, J, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 73 (New No. 20) situated at Dewas Ujjain Road, Dewas, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Dewas on April 1984 abad village. Rajendernagar, R. R. Dt, registered by the for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) 1. Smt. Shantibai W/o Shri Mulchand,
2. Shri Mulchand S/o Shri Jhamatlal,
Radio Shop. Teen Batti Chouraha,
Dewas.

(Transferor)

- (2) Shri H. R. Righwani,
Asstt. Engineer, MPEB,
Khandwa (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 73 (New No. 20), situated at Dewas Ujjain Road, Dewas. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 22-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984.

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/3376.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land Khasra No. 347/1/1/1 area 3.80 situated at Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Registering Officer at Bhopal on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

86—426 GI/84

(1) Shri Bhojram S/o Shri Lalsingh through attorney Shri Madanlal S/o Shri Bhojram, R/o Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.).
(Transferor)

(2) Shri Sant Kumar S/o Shri Shyam Behari, President Jai Bhawani Housing Society L.d., Bhopal (M.P.).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 347/1/1/1 area 3.80 situated at Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 23-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5377.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing

Land khasra No. 347/1/1/1 (Part) area 0.80 situated at Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957. (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Bhojram S/o Shri Lalsingh,
through Shri Madanlal S/o Shri Bhojram
R o Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt.
Bhopal (M.P.) (Transferor)
- (2) Shri Sant Kumar S/o Shri Shyam Behari,
President Jai Bhawani Housing Society Ltd.,
Bhopal (M.P.). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of land bearing Khasra No. 347/1/1/1 area 0.80, situated in village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 23-11-1984
Seal ;

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5378.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of land Khasra No. 347/1/1/1 area 0.80 situated at Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bhopal on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Bhojram S/o Shri Lalsingh, through attorney Shri Madanlal S/o Shri Bhojram R/o Village Badadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.).
(Transferor)
- (2) Shri Sant Kumar S/o Shri Shyam Behari, President Jai Bhawani Housing Society Ltd., Bhopal (M.P.).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of land bearing Khasra No. 347/1/1/1 area 0.80 situated in village Bavadiakala Tehsil Huzur, Distt. Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bhopal

Date : 23-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5379.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Khasra No. 68, area 200 acres, situated at Village Chunna-Bhatti, Tehsil Huzur, Distt, Bhopal. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 in the office of the Registering Officer at for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Shyambai
W/o Shri Pratap Singh,
R/o Village Chunna-Bhatti,
Tehsil Huzur,
Distt. Bhopal (M.P.).
(Transferor)
- (2) Town Planning Employees Housing Co-operative
Society Maryadit, Bhopal,
through President Shri S. N. Sharma
S/o Shri D. S. Sharma,
R/o EWS 589, South T. T. Nagar.
Bhopal (M.P.)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 68 having area 200 acres situated in Village Chunna-Bhatti, Tehsil Huzur, Distt., Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 23-11-1984.
Encl.

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5380.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.House constructed on plot No. 6 situated at Malviya
Nagar, Bhopal,(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer
at Bhopal in April, 1984.for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- (1) 1. Shri Premchand Jain
S/o Shri Rajkrishna Jain,
2. Shri Bharat Bhooshan,
3. Dr. Desh Bhooshan,
4. Shri Sharam Bhooshan
S/o Shri Premchand Jain,
All R Ansari Road,
Daria Ganj,
Deem.

(Transferor)

- (2) 1. Shri Vijya Kumar Chhabda
S/o Shri Surendra Singh Chhabda,
2. Smt. Jank Chhabda
W/o Shri Surendra Singh Chhabda,
Both R/o 59, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein are
defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE:

House constructed on plot No. 6 situated at Malviya
Nagar, Bhopal. This is the immovable property which has
been described in form No. 37-G duly verified by the
transferee.V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
BhopalDate : 23-11-1984.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5381.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing No. House constructed on plot No. 6 situated at Malviya Nagar, Bhopal,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (67 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1. Shri Premchand Jain
S/o Shri Rajkrishna Jain,
2. Shri Bharat Bhooshan,
3. Dr. Desh Bhooshan,
4. Shri Sharam Bhooshan
S/o Shri Premchand Jain,
All R/o Ansari Road,
Daria Ganj,
Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Shri Surendra Kumar
S/o Shri Banarsilal,
2. Shri Ashok Kumar
S/o Shri Banarsilal
B/h R/o 6, Hamidia Road,
Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official-Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house constructed on plot No 6 situated at Malviya Nagar, Bhopal. This is the immovable property which has been registered in form No 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 23-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acq n/Bpl/5382.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Land bearing Khasra No. 85/2, area 3.00 acres situated at Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) 1. Shri Shyamlal
2. Shri Kamal Singh
3. Shri Bhagwandas
4. Shri Devi Singh
- S/o Shri Munnalal Guardian and attorney mother Smt. Rampyaribai
5. Smt. Rampyaribai
6. Shri Kishanlal
7. Shri Balram
- S/o Shri Kewalram
8. Smt. Tulsibai
- Wd/o Late Shri Kewalram All
- R/o Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur through attorney Shri Hari Prasad Kewal Singh.

(Transferor)

- (2) Nirmal Kalpana Grih Nirman Sahkari Samiti, Maryadit, Bhopal through President Shri Amarsingh Chouhan S/o Shri Gurdhan Singh Chouhan, R/o Marwari Road, Bhopal (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on their respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 85/2 area 3.00 acres situated at Village Chunna Bhatti Tehsil Huzur Distt. Bhopal. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor
Bhopal

Date : 23-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5383.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and Land bearing Khasra No. 85/2 area 4.00 acres situated at Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Sec. 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bhopal in April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri Shyamlal
2. Shri Kamal Singh
3. Shri Bhagwan Das
4. Smt. Devi Singh
- S/o Shri Munnalal Guardian and attorney mother Smt. Rampyaribai
5. Smt. Rampyaribai
6. Shri Kishanlal
7. Shri Balram
- S/o Shri Kewalram
8. Smt. Tulsibai
- W/o Late Shri Kewalram All
- R/o Village Chunna Bhatti,
- Tehsil Huzur, through attorney
- Shri Hari Prasad Kewal Singh.

(Transferor)

- (2) Parika Sahkari Girh Nirman Sanstah Maryadit, Bhopal through President Shri Satish Shukla S/o Shri Devi Prasad Shukla Indera Colony, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 85/2 area 4.00 acres situated at Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal. This is the immovable property which is described in Form No. 37-G duly verified by the transferee

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 23-11-1984,
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/AcqN/Bpl/5384.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Khasra No. 85/1, area 4.00 acres situated at Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 in the office of the Registering Officer at Bhopal in April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument to transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property, by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
87—426 G1/84

- (1) 1. Shri Shyamlal
2. Shri Kamal Singh
3. Shri Bhagwandas
4. Shri Devi Singh
S/O Shri Munaalal Guardian and attorney mother Smt. Rampyaribai
5. Kamyaribai
6. Shri Kishanlal
7. Shri Balram
S/O Shri Kewalram
8. Smt. Tulsibai
Wd/o Late Shri Kewalram
R/o Village Chunna Bhatti,
Tehsil Huzur, Distt. Bhopal through attorney
Shri Hari Prasad Kewal Singh. (Transferor)
- (2) Chhatra Pati Shivaji Grih Nirman Sahkari Samiti, Bhopal through Asstt. Secretary
Shri Mahendra Jain
S/O Shri D. C. Jain,
R/o. T. T. Nagar,
Bhopal (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 86/1 area 4.00 acres situated at Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal. This is the immovable property which has been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 23-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

- (1) 1. Shri Govindram
2. Shri Ramprasad
S/o Shri Gulab Singh,
R/o Village Chunna Bhatti,
Tehsil Huzur,
Distt. Bhopal.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5385.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
Land bearing Khasra No. 90-91/2 area 0.809 Hect situated
at Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal.
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
in the office of the Registering Officer at
Bhopal in April, 1984,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason
to believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as stated in the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 90-91/2 area 0.809 Hect situated
in Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal.
This is the immovable property which has been described
in from No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely:—

Date : 23-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5386.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House bearing No. 27/755/2/1, situated at Shriram Colony, Jhansi Road, Lashkar, Gwalior, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 in the office of the Registering Officer at Gwalior in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration in more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Smt. Pushplata Baghai
W/o Late Shri Pratulchand urf Partulchand,
2. Shri Anil Baghai
S/o Late Shri Pratulchand urf Partulchand
3. Ku. Shaly
D/o Late Shri Pratulchand urf Partulchand
4. Ku. Kam Baghai
D/o Late Shri Pratulchand urf Partulchand
5. Shri Alok Baghai
S/o Late Shri Pratulchand urf Partulchand
6. Shri Sidharsh Baghai
S/o Late Shri Pratulchand urf Partulchand
7. Smt. Anju Jolly
W/o Shri Rajkumar,
All R/o 32, Shriram Colony,
Jhansi Road, Lashkar,
Gwalior (M.P.).

(Transferor)

- (2) 1. Shri Ranjit Gupta
S/o Late Shri Pooranchand Gupta,
R/o Kothi, Katora Tal,
Lashkar, Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 27/755/2/1 situated in Shriram Colony, Jhansi Road, Lashkar, Gwalior This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5387.—Whereas, J. V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Ra. 25,000/- and bearing

Land Survey No. 168/2 and 168/4 P. H. No. 25, with one room 2, Boaring machine 232 trees of various variety & power connection with motor situated at Village Bhatapara, Tehsil Distt. Raipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bhatapara in April, 1984

for an apparent consideration which is, less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Rewachand
S/o Shri Manansingh Sindhi,
R/o Tehsil Bhatapara,
Distt. Raipur.

(Transferor)

(2) M/s Dinesh Cement Udyog (Pvt.) Ltd.,
through Director Shri Murlidhar
S/o Shri Jnanmal Tawri Maheshwari,
R/o Durg Distt., Durg (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable Property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Survey No. 168/2 and 168/4 situated in Village Bhatapara with one room 2 Boaring machine 232 trees of various variety and power connection with motor. Tehsil Bhatapara, Distt. Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Mohansingh
S/o Shri Basant Singh Sindhi,
R/o Bhatapara Tehsil Bhatapara,
Distt. Raipur.

(Transferor)

(2) M/s Dinesh Cement Ddyog (Pvt.) Ltd.,
through Managing Director Shri Murlidhar
S/o Shri Inumarlal Tawri Maheshwari
R/o Durg Distt. Durg (M.P.).

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bp]/5388.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Survey No. 168/15 situated at Village Bhatapara, Distt. Raipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatapara in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 168/15 situated at Village Bhatapara, Sant Kanwar Ram Ward, Tehsil Bhatapara, Distt. Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mth
Bhopal

Date : 24-11-1984.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5389.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. Open plot of land at Kh. No. 171 situated at Village Dagnia, Raipur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kartik
S/o Smt Mandal Dagniya,
R/o Village Dagnia,
Tehsil and Distt. Raipur.
(Transferor)

(1) M/s Karmachari Grih Nirman Sahkari Samiti Ltd.,
Raipur, through President
Shri Sewakram Pandey
S/o Smt Gendaram Pandey,
R/o H-II Vishwa Vidyalaya Area,
Raipur (M.P.).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land at Kh. No. 171 situated at Village Dagnia, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5390.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Open plot of land at Kh. No. 171 situated at Village Dagnia, Raipur, (and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Milan
2. Shri Mangi and
P. Jagnoo Derhin
Wd/o Shri Jagnoo,
R/o Village Dagnia,
Raipur.

(Transferor)

(2) M/s. Karmachari Grih Nirman Sahkari Samiti Ltd.,
Raipur, through President
Shri Swarnil Pandey
S/o Shri Gendaram Pandey,
R/o H-II Vaidya Area,
Raipur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of lands at Kh. No. 171 situated at Village Dagnia, Raipur. This is the immovable property which has been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984,
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5391.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Kh. No. 28/4 situated at Mouza Raipur Ring Road No. 2, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Kanai Kishore
S/o Shri Poonamchand Agarwal,
R/o Kumar Talab,
Raipur.

(Transferor)

(2) Shri Chand Contractor,
R/o Lakhe Nagar,
Raipur.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land at Kh. No 28/4 at Mauza Raipur, Ring Road No. 2 Raipur. This is the immovable property which has been described in Form No 37 G July 1984 by the transferor.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. JAC/Acq/Bpl/5392.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Kh. No. 28/3 situated at Mauza Raipur Ring Road No. 2 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Raipur in April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

88—426GI/84

(1) Shri Vijya Kumar
S/o Shri Poonamchand Agarwal,
R/o Kumar Talab,
Raipur.

(Transferor)

(2) M/s Athumal Contractor,
R/o Lakhe Nagar,
Raipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Kh. No. 28/4 at Mauza Raipur, Ring Road No 2 Raipur. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5393.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Kh. No. 28/5 situated at Mauza Raipur Ring Road No. 2 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Rajesh Kumar
S/o Shri Poonamchand Agarwal,
R/c Kumar Talab.
Raipur.

(Transferor)

(2) M/s Athumal Contractors,
R/o Lakhe Nagar,
Raipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Kh. No. 28/5 at Mauza Raipur, Ring Road No. 2 Raipur. This is the immovable property which has been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5395.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Kh. No. 28/6 situated at Mouza Raipur Ring Road No. 2 Raipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur in April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Ajay Kumar
S/o Shri Poonamchand Agarwal,
R/o Kumar Talab,
Raipur (M.P.).

(Transferor)

(2) M/s Shrichand Constructor,
R/o Lakhe Nagar,
Raipur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Kh. No. 28/4 at Mauza Raipur, Ring Road No. 2 Raipur. This is the immovable property which has been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Near Central Indja Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.
Seal :

FORM No. 1.T.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5395.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 354 situated at Chirhuldeh, Raipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Raipur in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Samta Grih Nirman Sahkari Samiti Ltd.,
Chirhuldeh,
Raipur.

(Transferor)

(2) Shri Jodharam S/o Shri Dasomal Bhatia,
R/o Jawahar Nagar,
Raipur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot No. 354 at Chirhuldeh, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/AcqN/Bpl/5396.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 743/2B, 743/2C2, 743/2C3, 743/2C4 Kh. No. 303 situated at East Niwad Ganj, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Khubchand
S/o Shri Rathilal Jain Prop.,
M/s Rathilal Khubchand & Co.,
Gandhi Ganj,
Jabalpur (M.P.).
(Transferor)
- (2) M/s Mandla Cables and Contractors Corporation,
Wright Town, Jabalpur,
through Partner Shri Vijaya Kumar Jain,
S/o Shri Chokodilal Jain,
R/o Wright Town,
Jabalpur (M.P.).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 743/2B, 743/2-C2, 743/2-C-3, 743/2-C-4, situated at West Niwad Ganj, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5397.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 1526/3, 182/1-B, 655 situated at Wright Town, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) 1. Dilip Kumar Mitra
2. Smt. Sushma iMitra
3. Shri Niraj Mitra (Minor) All R/o Wright Town, Jabalpur,
(Transferor)

(2) 1. Shrinath Pedia
2. Koshendranath Pedia,
3. Yadkunath Pedia
4. Smt. Sushilabai Pedia, All R/o Wright Town, Jabalpur (M.P.)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 1526/3, 182/1-B, 655 situated at Wright Town, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K] BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5398.—Whereas I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and No. Flat No. 7 on House No. 10/2 situated at South Tukoganj, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Madhav Gosawi, S/o Shri Shrinivas Gosawi,
R/o 10/2 South Tukoganj, Indore. (Transferor)

(2) Shri Nayan Kumar S/o Shri Keshavji Shah,
R/o 7/1 Vallabh Nagar, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7 on house No. 102 situated at South Tukoganj, Indore. This is the immovable property which has been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bhopal

Date : 24 11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5399.—Whereas I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. E-1 situated at Saket Nagar, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Indore on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration to such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shobhana Nagu Wd/o Late Shri Deepnarayan Nagu R/o 22-Gulmohar Colony, Indore.
(Transferor)

(2) Shri S. Viendar Singh S/o S. Hardial Singh Director M/s. Indore Steel and Iron Mills (Pvt.) Ltd., R/o E-1, Saket Nagar, Indore.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. E-1, situated at Saket Nagar, Indore. This is the immovable property which has been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bhopal

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5400.--Whereas I, V. K.
BARANWALbeing the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingNo. Plot 205 situated at Saket Nagar Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of
the Registering officer
at Indore on April 1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

89--426GI/84

(1) Smt. Darshan Arora W/o Sri Narendranath Arora
Thro' Genl. Power of attorney Maharaj Kishan
S/o Shri Mulkraj R/o 16, Narayan Bagh, Indore.
(Transferor)(2) Sarladevi W/o Sri Kanti Prasad Parasram Puri
R/o 35-B, Industrial Estate, Lakshmi Bagh Nagar,
Indore.
(Transferee)Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 205 is situated at Saket Nagar, Indore. This is the
immovable property which has been described in form No.
37-G duly verified by the transferee.V. KJ BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range BhopalDate : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHQPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5401.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 10/2 situated at South Tukoganj, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Madhav S/o Shri Srinivasji Gosavi,
R/o 10/2, South Tukoganj, Indore
(Transferor)
- (2) Shri Jagdish S/o Harbakshji Sharma
2. Smt. Shantibai W/o Jagdish Sharma R/o 16,
Kibey Compound, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 10/2 is situated at South Tukoganj, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bhopal

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Narayan S/o Phakkad Bari R/o Lohar Mandi,
Teh. & P.O. Burhanpur, Dist. East Nimad.
(Transferor)

(2) Shri Parasmal S/o Bastimal Jain
Gouthamchand S/o Jeevraj S/o Khemraj Devda
Eknath S/o Samuji Sanvane Ro Lalbagh, Teh. &
P.O. Burhanpur, Dist. East Nimad.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Bhopal, the 24th November 1984

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5402.—Whereas I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Office No. 303 on third floor in "Nirman No. Plot bearing Kh. No. 42/1 situated at Vill. Lalbagh, Teh. Burhanpur, Dist. East Nimad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at East Nimad Burhanpur on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

Plot bearing Kh. No. 42/1 is situated at Lalbagh, Teh. Burhanpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37G duly verified by the transferee.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of Section 269D of said Act to the following persons namely :—

Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5403.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 1258/H9 situated at New Gupteswar Ward, Madan Mahal, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jabalpur on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) Smt. Mamta Shah, W/o Jawar Shah, R/o New Gupteswar Ward, Madan Mahal, Jabalpur. (Transferor)
- (2) Smt. Amar Kaur W/o Sardar Balwant Singh, 690, Cantt., Jabalpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 1258/H9 is situated at New Gupteswar Ward, Madan Mahal, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bhopal

Date : 24-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 28th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5404.—Whereas I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House bearing No. 637/8, Kamlanehru Nagar situated at Yadav Colony, Garha Road, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Ramesh Mukund Rao, Top-Khanawale.
R/o 639/8, Kamla Nehru Nagar, Yadav Colony,
Jabalpur.
(Transferor)
- (2) Shri Krishna Kumar Tandon & Smt. Swarnalata
Tandon, 406, Nagprier Town, Jabalpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 637/8 is situated at Kamla Nehru Nagar, Yadav colony, Garha Road, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date: 28-11-1984
Seal:

FORM IINS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5405.—Whereas I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot bearing No. 31 situated at Udyog Nagar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Girdharilal S/o Mohandas, R/o 61, Vidya Nagar, Indore. (Transferor)
- (2) Smt. Vandana W/o Chimandas, Rupramnagar 2. Smt. Durgadevi W/o Madhavdas, Jairampur colony, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot bearing No. 31 is situate at Udyog Nagar, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 5-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5406.—Whereas, I, V. K.
BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot & Bungalow No. 48 situated at Neemuch Cantt. Neemuch (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Neemuch on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Shahavvaz Wd/o late Jamshed Prishap, Nifariz, Father late Jamshedji, Parsi, Neemuch Cantt.

(Transferor)

- (2) Smt. Taradevi W/o Badrilal, Smt. Leeladevi W/o Gurdharilalji Goyal, Neemuch Cantt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as give in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot & Bungalow No. 48 is situated at Neemuch Cantt, Neemuch. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 5-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/Acq n/Bpl/5407.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- No. Survey No. 361 situated at Dewas Senior, Dewas (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dewas on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sushilabai Wo Vijaykumar Jain, Topkhana, Ratlam 2. Shri Subhashchand S/o Hiralalji Jain, Ratlam. 3. Meenakshi Ben W/o Shri Maheshkumar Jain, Ratlam.

(Transferor)

(2) Annapurna Land and Finance Company, Rajabali Marg, Thro' Partners Shri Harisingh, Vidyashanker, Rakesh, Smt. Durgabai, Smt. Padma and Smt. Manju, Dewas.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 361 is situated at Dewas Senior, Dewas. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 5-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5408.—Whereas I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Land bearing S. No. 361 situated at Dewas Senior, Dewas (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dewas on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

90—426GI/84

(1) Smt. Sushilabai W/o Vijaykumar Jain, Top Khana, Ratlam. 2. Shri Subhashchand S/o Hiralalji Jain, Ratlam. 3. Smt. Meenakshi Ben W/o Shri Mahesh Kumar Jain, Ratlam.

(Transferor)

(2) Annaburna Land and Finance Co., Rajabali Marg, Thro' Partners Shri Harisingh, Vidyashanker, Rakesh, Smt. Durbabai, Smt. Padma and Smt. Manju Dewas.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 361 is situated at Dewas Senior, Dewas. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 5-12-1984

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/AcqN/Bpl/5409.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 361, situated at Dewas Senior, Dewas (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dewas on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

- (1) Smt. Suchilabai W/o Vijaykumar Jain, Topkhana, Ratlam. 2. Sh. Subhashchand S/o Hiralalji Ram Kalam. 3. Smt. Meenakshi Ben W/o Shri Mahesh Kumar Jain, Ratlam. (Transferor)
- (2) Annapurna land and Finance Co., Rajabali Marg, Thro' partners Shri Harisingh, Vidyashanker, Rakesh, Smt. Durgabai, Smt. Padma and Smt. Manju, Dewas. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 361 is situated at Dewas Senior, Dewas. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 5-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Smt. Saida Khatun W/o Mohd. Wasir,
R/o Shahjahanabad, Bhopal. (Transferor)
- (2) Smt. Mohd. Saleem S/o Mohd. Ismail
In front of Central Library, Itwara, Bhopal. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. LAC/Acq'n, Bpl/5410—Whereas I V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 192, situated at C-Sector, Indrapuri, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 192 (C-Sector) is situated at Indrapuri, Bhopal. This is the immovable property which has been described by the transferor duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Shi Mahesh Kumar S/o 'Parchu Ram Sindhi,
Sindhi Colony, Bhopal.
(Transferor)

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

(2) Smt. Anand Pyari W/o V. K. Tandon
R. o Civil Lines, Block No. 1, Rewa
Present address : Plot No. 17, D-Sector,
Koheliza, Bhopal.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5411.—Whereas I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,00/- and bearing No. Plot No. 17 (D-Sector) situated at Koheliza, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 17 (D-Sector) is situated at Koheliza, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC /Acqn/Bpl/5412—Whereas, I, V. K.

BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 43 situated at Kohefiza, Bhopal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or:

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (42 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rita W/o Rajiv Ghai, Chhindwara
Thro General Power of attorney
Smt. Manju W/o Pratip Rao, R/o
E-2/158, Arera colony, Bhopal. (Transferor)

(2) Smt. Ishwari W/o Ratanlalji
R/o Ganga Niwas, Bairagarh (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 43 is situated at Kohefiza, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Sardar Hardev Singh s/o Sardar Gurumukh Singh,
Shajranabad, Bhopal.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Jagjeet Kaur W/o R. S. Bagga,
56, Shanti Nagar Colony, Bhopal.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5413.—Whereas, I V. K.
BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25 000/-
and bearing

No. Plot No. 26 situated at Idgah Hills, Bhopal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
of the registering Officer
at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957) ;

THE SCHEDULE

Plot No. 26 is situated at Idgah Hills, Bhopal. This is the
immovable property which has been described in form No.
37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqa/B/5414.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 54 (Lala Rajpatrai Co-op. Housing Society) situated at Arera colony, Bhopal (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bhopal on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Smt. Ishwari W/o Ratanlal Sindhi
R/o Bus stand, Biaragarh. (Transferor)
- (2) Sri Rajkumar Ramsinghani S/o Sri Gopaldas,
R/o E-7/165 Arera colony, Bhopal. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the date of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 54 is situated at Lala Rajpatrai Co.op. Housing society, Area colony, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5415.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 7-H situated at Punjabi Bagh, Raisen Road, Bhopal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
of the Registering Officer
at Bhopal on April, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act,
in respect of any income arising from the transfer,
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this office notice under
sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the fol-
lowing persons, namely :—

- (1) 1. Shri Gurumukh Singh S/o Shri Gopalsingh;
2. Gopal Singh S/o Latha Singh,
R/o Jawahar Chowk, T. T. Nagar, Bhopal.
(Transferor)
(2) Smt. Jagjit Kaur w/o Paramjit Singh,
R/o 15-C, Katamganj, Itawa (U.P.).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are
defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7-H is situated at Punjabi Bagh, Raisen Road,
Bhopal. This is the immovable property which has been des-
cribed in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1984
Seal .

FORM ITNS

- (1) Sardar Labh Singh S/o S. Valvet Singh R/o Ghodanakhra, Bhopal. (Transferor)
- (2) 1. Smt. Manmeet Kaur w/o Rajender Singh;
2. Smt. Navneet Kaur w/o Sardar Gurmeet Singh, R/o Punjabi Bagh, Bhopal. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, hte 7th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5416.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 14 situated at Punjabi Bagh, Raisen Road, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at Bhopal on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Plot No. 14 is situated at Punjabi Bagh, Raisen Road, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
91--426GI/84

Date: 7-12-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref No IAC/Acq'n/Bpl/5417.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot and House (Hut) thereon situated at Devendra Nagar, Scheme No. 32 (Sector 1) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration herefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Vimladevi W/o S. C. Maheshwari,
Teh. Raipur. (Transferor)
- (2) Shri Balraj Chawla S/o Narsingh Chawla,
Ramu, Teh. & Dist. Raipur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot & hut thereon situated at Devendra Nagar, Scheme No. 32 (Sector 1), Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Dinesh Rathore
S/o Basanti Rathore
Fafadih, Raipur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Chandra Prakash Jain
S/o Chhotelal Jain,
R/o Balda Bazar,
Teh. Raipur.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Bhopal, the 7th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. IAC/AcqN/Bpl/5418.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot and hut thereon situated at Devendra Nagar, Scheme No. 32 (Sector I) Raipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on April 1984

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such property in the said instrument of transfer with the object of :—

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Plot & hut thereon is situated at Devendra Nagar, Scheme No. 32, Sector 1, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM IINS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5419.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as
the said Act), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
Land bearing Kh. No. 480
situated at Teli Bandha, (P. H. No. 113), Raipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred as per deed registered under the
Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the
office of the Registering Officer
at Raipur on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair mar-
ket value of the aforesaid property, and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

(1) Shri Jhadu S/o Sumeri,
Hallu S/o Sumeri,
Shivp.asad S/o Jhadu,
R/o Teli Bandha,
Raipur.

(Transferor)

(2) New Tila Nirman Sahkari Samiti Ltd.,
Raipur.

(Transferee)

Objection, if any to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 480 is situated at Teli Bandha P. H.
No. 113) Raipur. This is the immovable property which
has been described in form No. 37-G duly verified by the
transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Jhumaklal S/o Teru Satnami & Others
R/o Gondhwara,
Teh. & Dist. Rampur.

(Transferor)

(2) Shri Krishna Kant etc.
S/o Ratanlal Goyal,
R/o Phatadih,
Rampur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5420.—Whereas, I,
Land at Kh. No. 10

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing land at Kh. No. 10 situated at Gondhwara (Industrial area), Rampur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rampur on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 10 is situated at Gondhwara, Rampur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM IT.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5421—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 16 as per Schedule situated at Plot & hut thereon

situated at Main Road, Ward No. 16 Balaghat (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Balaghat on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration hereof by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Smt. Indira Bai W/o Ramcharan
Ku. Kusara & Smt. Rajesh & Sh. Joshi
Father late Shri Ramcharan Ghatewal,
Balaghat
2. Smt. Sumlibai W/o Sukama Ghadewal,
3. P. K. H. S/o Ramcharan Ghatewal,
Balaghat.

(Transferor)

- (2) Shri Umashankar W/o
S/o Rambhadrachandrasekhar
Ward No. 10,
Balaghat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot & hut thereon as situated at Main Road, Ward No. 16, Balaghat. This is the immovable property which has been described in form No. 57/6/84 issued by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5422.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Land bearing Kh. No. 1618 (P H. o. 50-A)

situated at Jalampur Ward, Dhamtari

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred by an instrument of transfer under the Transfer of Property Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Dhamtari on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Prahlad, Shriram, Sewakram, Gopalram
S/o Pithuram, Indra, Indravati
Fateel Pithuram Devsir
S/o Pithuram, Jagusar, Jagusuram
S/o Madapri Lal Kurore, Pnaguram,
S/o Milu, Ratnibai
W/o Mithu Agnaram S/o Jeylal,
Suraj Bhai, Kalabai
Fateer Jattal, Kamsingh, Jhadu Marar,
R/o Salhevar para, Dhamtari

(Transferee)

- (2) Smt. Sarla Jain W/o Gyanchand Jain,
Motilal Jain Kanwarlal Jain,
Ragaunath Agrawal S/o
Nandlal Agrawal, R/o
Sadar Bazar, Dhamtari.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1618 (P H. No. 50A) is situated at Jalampur Ward, Dhamtari. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5423.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land bearing Kh. No. 2103 situated at Chhindwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Mohanlal S/o Maoji Gohil,
R/o Gandhi Ganj, Chhindwara. (Transferor)
- (2) Shri Gulzar Singh S/o Jalam Singh Raghuvanshi
2. Mohanlal S/o Totaram Batra
C/o Monan cloth stores,
Near Raj Talkies, Chhindwara. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 2103 is situated at Chhindwara. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS-----

(1) Shri Sujit Prakash Chhabda
S/o Shri Gopaldas Chhabda,
R/o Jehangirabad,
Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri Kamalsingh
S/o Dori Singh
R/o Old Subhash Nagar,
Bhopal.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5424.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot Nos. 2 & 3 situated at Raisen Road, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plots bearing No. 2 & 3 are situated at Raisen Road, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
92—426GI/84

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5425.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Part of House situated at Noor Mahal, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. V. S. Parvatam
W/o V. S. Mani,
R/o Noor Mahal,
Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri Brigdish Iyer
S/o G. A. Ramamurthy,
Noor Mahal,
Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House (Part thereof) is situated at Noor Mahal Road, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. V. S. Parvatam
W/o V. S. Mani,
R/o Noor Mahal,
Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri R. Shanker Iyer
S/o G. A. Rammurthy,
Noor Mahal,
Bhopal.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/4526.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing situated at Noor Mahal, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

House (Part of is situated at Noor Mahal, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5427.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land bearing Kh. No. 428/2 situated at Mauza—June Bilaspur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bilaspur on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Balram Kashyap
S/o late Lalaram Kashyap
2. Shyambai
W/o late Lalaram Kashyap (Transferor)
2. Smt. Lalmuni Bai
W/o Shri Nandlal Jaiswal,
R/o Belghana
Teh. Bilaspur.
Bilaspur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 428/2 is situated at Maua—June Bilaspur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/AcqN/Bpl/5428.—Whereas, I,
V. K. BARANWALbeing the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingLand bearing Kh. No. 428/2
& 428/3

situated at June Bilaspur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the Indian
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer

at Bilaspur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- (1) 1. Shri Balram Kashyap
-
- S/o late Lalaram Kashyap
-
2. Smt. Shyambai W/o late Lalaram Kashyap
-
- R/o June Bilaspur...

(Transferor)

- (2) 1. Shri Hanuman Prasad S/o Gopi Ram Agarwal
-
2. Sh. Bazaranglal S/o Metuam Agrawal,
-
- R/o Gandhi Ganj, Raigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of publi-
cation of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expression used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. Nos. 428/2, & 428/3 are situated at
June Bilaspur. This is the immovable property which has
been described in form No. 37-G duly verified by the trans-
feree.V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, BhopalDate : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5429.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 35/86 situated at Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred the agreement is registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Gwalior on April 11, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Phoolbati Gupta
W/o late Shri Bulakidas Ji Gupta
R/o Tejendranath Ki Gali,
Lohia Bazar, Lashkar,
Gwalior.

(Transferor)

(2) Shri Rajendra Kumar &
Navalkishore
S/o Shri Phoolchand Ji Agrawal,
R/o Tejendranath Ki Gali,
Lohia Bazar, Lashkar,
Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 35/86 is situated at Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior. This is the immovable property which has been described in form 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5430.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House bearing No. 35/86 situated at Tejendranath Ki Gali, Lashkar, Gwalior (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gwalior on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 296D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Phoolbati Gupta
W/o late K. Bulakidas Ji Gupta,
R/o Tejendranath Ki Gali,
Lohia Bazar, Lashkar,
Gwalior.

(Transferor)

(2) Shri Shyamlal Agrawal
S/o Shri Phoolchand Ji Agrawal,
R/o Tejendranath Ki Gali,
Lohia Bazar, Lashkar,
Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 35/86 is situated at Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984
Seal.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5431.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,
being the Competent Authority under section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. House bearing No. 35/86 situated at Tejendranath Ki
Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (15
of 1908) in the office of the
Registering Officer at
Gwalior on April 11984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely:—

- (1) Smt. Phoolbati Gupta
W/o late K. Bulakidas Ji Gupta,
R/o Tejendranath Ki Gali,
Lohia Bazar, Lashkar,
Gwalior. (Transferor)
- (2) Shri Vinod Kumar Agrawal
S/o Sri Phoolchand Ji Vaish
R/o Tejendranath Ki Gali,
Lohia Bazar, Lashkar,
Gwalior. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are
defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 35/86 is situated at Tejendranath Ki
Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior. This is the immov-
able property which has been described in form 37-G duly
verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5432.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. House bearing No. 35/86 situated at Tejendranath Ki Gali Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer Gwalior on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

'Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
93—426GI/84

(1) Smt. Phoolbati Gupta
W/o late Shri K. Bulakidas Ji Gupta,
R/o Tejendranath Ki Gali,
Lohia Bazar, Lashkar,
Gwalior.

(Transferor)

(2) Shri Omprakash Agrawal
S/o Sri Phoolchand Ji Valsh
R/o Tejendranath Ki Gali,
Lohia Bazar, Lashkar,
Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 35/86 is situated at Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior. This is the immovable property which has been described in form 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5433.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.14/99 situated at Ratlam
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred as per deed registered under the Indian
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer at
Ratlam on April 1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—(1) Shri Manaklal Agarwal,
Ramcharan Chordia,
Magmalil Maheshwar,
Chandmal Todha,
Amritlal Votra,
Kalyanmal Purohit,
Pakhirchand Gujrati,
Shantilal Gupta,
Shantilal Patni,
through power of attorney holder Shri Babulal
S/o Lakadpita,
Shri Pannalal
S/o Dulichand Katariya,
Ratlam.

(Transferor)

(2) Shri Annapurna Anna Kshetra Trust Board,
Ratlam, Trustees
Shri Gopichand
Nani
S/o Dulichand Katariya,
Friganj, Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at Ratlam, immovable. The details
have been given in Form No. 37-G duly verified by the
transferee.V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
BhopalDate : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq'n Bpl/5434.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 23 in Ward No. 32 Mohalla Rangrez Road, situated at Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. S. Shri Sandarmal
S/o Shamsunder,
2. Kailaschandra,
3. Narendra Kumar,
4. Ashok kumar,
5. Rajeshkumar,
Ss/o Samrathmalji Agarwal,
through General power of attorney
Shri Samrathmal
S/o Ratanlalji Agarwal,
Nai Abadi, Mandsur.

(Transferor)

- (2) Smt Sushila Devi
w/o Sripalkumarji Lunja,
37/10 Bharawa Ki Kui,
Ratlam M.P.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The house in part situated at Ratlam is the immovable property, the details have been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq'n/Bpl/5435.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingNo. 23 in Ward No. 32 Mohalla Rangrez Road, situated at
Ratlam(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer at
Ratlam on April 1984for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property, and I
have reason to believe that the fair market value of the
property as aforesaid exceeds the apparent consideration
therefor by more than fifteen per cent of such apparent
consideration and that the consideration for such transfer
as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- (1) 1. S/Shri Sardarmal
-
- S/o Shamsunder,
-
2. Kailaschandra,
-
3. Narendrakumar,
-
4. Ashok kumar,
-
5. Rajeshkumar,
-
- S/o Samrathmalji,
-
- through General power of attorney
-
- Shri Samrathmal
-
- S/o Ratanlalji,
-
- Nai Abadi, Ratlam.

(Transferor)

- (2) Smt. Chandrakala Devi
-
- W/o Ashok kumarji Luniya,
-
- Bharavaka Ki Kui, Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
-
- 45 days from the date of publication of this notice
-
- in the Official Gazette or a period of 30 days from
-
- the service of notice on the respective persons,
-
- whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immov-
-
- able property within 45 days from the date of the
-
- publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

The house in part situated at Ratlam is the immovable
property, the details have been described in Form No. 37-G
duly verified by the transferee.V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
BhopalDate : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

- (1) 1. S/Shri Sardarmal
S/o Shamsunder,
2. Kailaschandra,
3. Narendrakumar,
4. Asnokumar,
5. Rajeshkumar,
S/o Samrathmalji Agarwal,
through General power of attorney
Shri Samrathmal
S/o Ratanlalji Agarwal,
Nai Abadi, Mandsur. (Transferor)
- (2) Smt. Kamlabai
W/o Samirmalji Luniya,
37/10 Bharawaki Kui,
Ratlam. (Transferee)

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5436.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 23 in Ward No. 32 Mohalla Rangrez Road, situated at Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income on any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The house in part situated at Ratlam is the immovable property, the details have been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGL.
BHOPAL, M. P.

Bhopal the 10th December 1984

Ref No IAC Acqn/Bnl 5437 - Whereas, I,
V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11 No. 23 Ward No. 32 situated at Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) 1 S/Shri Sardarmal
S/o Shyamsunder,
2 Kailashchandra,
3 Narendrakumar,
4 Ashok kumar,
5. Rajeshkumar,
S/o Samratlalji Agarwal,
Nai Abadi, Mandur,
through General power of attorney
Shri Samratmal
S/o Ratanlalji, Mandur,

(Transferor)

(2) Smt. Pushpalata Devi
W/o Vijaykumarji Lunia,
37/10 Bharavaki Ku,
Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The house situated at Rangrez Road, is the immovable property and the details have been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Flour Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq'n/Bpl/5438.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the said Act), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

No 23 in Ward No. 32

situated at Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Ratlam on April 1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
~~and/or~~

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons namely:—

- (1) 1. S/Shri Sardarmal
S/o Shamsunder,
2. Kailaschandra,
3. Narendrakumar,
4. Ashokkumar,
5. Rajesnkumar,
S/o Samratmulji Agarwal,
through General power of attorney
Shri Samrathmal
S/o Ratanlalji Agarwal,
Nar Abadi, Mandsur,
M P.

(Transferor)

- (2) Smt. Ushadevi
W/o Ajitkumar Lunia,
37/10 Bharava ki Kui,
Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

This is the immovable property, the details of which has
been described in Form No. 37-G duly verified by the
transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984
Seal

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5439.→Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 16, House at Ratlam situated at Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Anandilal
S/o Keshumalji,
2. Smt. Daulatbai
W/o Shri Anandilalji,
Shri Abaykumar,
Jindas,
Ratnasa,
Meghkumar
HUF, No. 16 Rammohalla,
Ratlam M.P. (Transferor)
- (2) Sunilkumar and
Rajivkumar
Sons of Shri Bherulalji
Minor guardian Smt. Kamlabai
W/o Bherulalji Chordiya,
9/466 Choti Dani Mohalla, Barmed,
Rajasthan. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

This is the immovable property. The details have been described in Form No. 37-G, which has been duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Flour Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984
Seal.

FORM ITNS

- N (1) 1. Anandilal
S/o Shumalji
2. Smt Doulat Bai
W/o Anandilalji
3. Abhaykumar
4. Gindas
5. Ratnasar
6. Meghkumar
S/o Anandilalji Luniya
16, Ram Mohalla,
Ratlam (MP).

(Transferor)

- (2) Smt. Kamlabai
W/o Bhetulalji Chouradia,
9/466 Choti Tani Mohalla, Barmed,
Rajasthan.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref No IAC/AcqN/Bpl/5440.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House bearing Mun No. 16 & No. 35 situated at Ram Mohalla & Sunar Bavda (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Ratlam on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

94—426GT/84

THE SCHEDULE

House bearing Nos 16 & 35 situated at Ram Mohalla, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V K BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal the 16th December 1984

Ref. No IAC/Acq/Bpl/5441.—Whereas, I,
V. K. BARANWALbeing the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingNo. Land bearing Kh No. 1054/11A & 1054/12 situated at
Mhow-Neemuch Road Ratlam(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
of the registering Officerat Ratlam on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property is afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in respect
of any income arising from the transfer; and/

- (b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the follow-
ing persons, namely —

- (1) Shri Ashok Kumar
S/o Champalaji Kataria,
No. Mohan Singh Road
Ratlam
(Transferor)
- (2) M/s. Kausmos Hotels (P) Ltd.,
Ratlam,
Shri G. Anilal
S/o Nathulaji Agrawal,
R/o Nowlaipura,
Ratlam,
Read Office :
51, Jawahar Marg,
Ratlam.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immova-
ble property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh No. 1054/11A & 1054/12 situated at
Mhow-Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable
property which has been described in form No. 37-G duly
verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Flour Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984

Seal .

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ret No. IAC Acqn Bpl/5443.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Land bearing Kh No 1054 11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Narendra Kumar
S/o Champalalji Kataria,
R/o Mohalla New Road,
Ratlam.

(Transferor)

(2) M/s Kausmos Hotels (P) Ltd.,
Ratlam,
Through Amritlal
S/o Nathulalji Agrawal,
R/o Nowlaipura,
Ratlam,
51, Jawahar Marg,
Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh No. 1054/11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Income Tax Building
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date 10.12.1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqu/Bpl/5442.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 1054/12, situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Rajendra Kumar
S/o Bhanwarlal (Shri B. L. Agrawal)
R/o Noulapura,
Ratlam. (Transferor)
- (2) M/s Kausmos Hotels (P) Ltd.,
Ratlam,
Through Amritlal
S/o Nathulalji Agrawal, Nowlaipura,
Ratlam,
Regd. Office :
51, Jawahar Marg,
Ratlam. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/12, situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
INCOME TAX BUILDING
NEAR CENTRAL INDIA FLOOR MILLS,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. LAC/Acq/Bpl/5444.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of his liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Shakila Banu
W/o Sayyeda Hussainji Bohra,
R/o Dat Ki Puliya,
Ratlam. (Transferor)
- (2) M/s. Kausmos Hotels (P) Ltd.,
Ratlam,
Through Shri Amritlal
S/o Nathulalji Agrawal,
R/o Nowlalpura,
Ratlam,
Regd. Office :
51, Jawahar Marg,
Ratlam. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S. ———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M P

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC Acqn Bpl 5445 —Whereas, I,
V K BARANWAL
being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Land bearing kh No. 1054/11A & 1054/12 situated at
Mhow Neemuch Road Ratlam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
of the registering Officer
at Ratlam on April 1984
for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the
property as aforesaid exceeds the apparent consideration
therefor by more than fifteen per cent of such apparent
consideration and that the consideration for such transfer
as agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely —

- (1) Shri Rameshchandra
S/o Nanalaji Yadav,
R/o Mohalla Marato Ka Vas,
Ratlam
(Transferor)
- (2) M/s Kausmos Hotels (P) Ltd,
Ratlam,
Through Shri Amritlal
S/o Nathulaji Agrawal,
R/o Nowlaipura,
Ratlam,
Regd Office
51, Jawahar Marg,
Ratlam
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing kh No. 1054/11A & 1054/12 situated at
Mhow-Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable
property which has been described in form No. 37-G duly
verified by the transferee

V K BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date 10.12.1984

Soul :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
INCOME-TAX BUILDING,
NEAR CENTRAL INDIA FLOOR MILLS,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/AcqN/Bpl/5446.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land, situated at Dosigaon, Dist. Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at Ratlam on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—
129—416GI/84

(1) Shri Abdul Khalik Haji Abdul Inkram Shik Muslim R/o Ratlam.

(Transferor)

(2) Radani Fertilizers Ltd.,
Ratlam,
Regd Office :
305—312, Deepali Bldg.
3rd floor, 92, Nehru Palace,
New Delhi.
H. O. :
Garden Reach Road,
Calcutta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land is situated at Dosigaon, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
INCOME TAX BUILDING
NEAR CENTRAL INDIA FLOOR MILLS,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. JAC/AcqN/Bpl/5447.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at Ratlam on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Subhagmal
S/o Shri Chhaganlal Chopra,
R/o Bajaj khana,
Ratlam. (Transferor)
- (2) M/s. Kausmos Hotels (P) Ltd.,
Ratlam,
Through Shri Amritlal
S/o Nathulalji Agrawal,
R/o Nowlaipura,
Ratlam,
Regd. Office :
51, Jawahar Marg,
Ratlam. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS —————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
INCOME TAX BUILDING
NEAR CENTRAL INDIA FLOOR MILLS,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5448.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
95—426GI/84

(1) Shri Rajendra Kumar
S/o Nihalchand Gandhi,
R/o Bajaj Khana,
Ratlam.

(Transferor)

(2) M/s. Kausmos Hotels (P) Ltd.,
Ratlam,
Regd. Office :
51, Jawahar Marg,
Ratlam.
Through Aushdhari
Amritlal Agrawal
Ratlam,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date : 10-12-1984
Seal .

FORM ITNS**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5449 —Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- bearing No. Land bearing Kh No. 1054/11A & 1054/12 situated at Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on Apr 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Anandilal S/o Poonamchand Gandhi
R/o Bajaj Khana, Ratlam
(Transferor)
- (2) M/s Kausimus Hotels (P) Ltd., Ratlam
Reg. Office 51, Jawahar Nagar, Ratlam
Thro' Sh Amritlal Agrawal, Nowlaipura,
Ratlam
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 are situated at Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 10-12-84
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5450.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- bearing No. Land bearing Kh. No. 1054/12 situated at Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on Apr 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Basant S/o Ramlal Jaiswal,
R/o Palace Road, Ratlam. (Transferor)
- (2) M/s Kausmos Hotels (P) Ltd.,
Thro' Sh. Amritlal Nathulalji Agrawal
Nowlaipura, Ratlam.
Regd. Off: Jawahar Nagar, Ratlam. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/12 is situated at Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 10-12-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/AcqN/Bpl/5451.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- bearing Plot No. 8, Dassehra Maidan, situated at Ujjain (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Mohanlal, Rajmal, Suresh Kumar S/o Nathulalji, 4, Shardabai W/o Shivnarain, self and Minor Guardian, 5. Rajeshkumar, 6. Girdhar Kumar 7. Asha 8. Anitha, 9 Jaishre and d/o Shivnarain, residents of Mochiwada, Ujjain (Transferor)
- (2) Sh. Surendrasingh Sisodia S/o Sh. Savai Singhji Sisodia, Dashhara Maidan, Ujjain. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot bearing No. 8 is situated at Dassehra Maidan, Ujjain. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Sh. Kalidin S/o Sh. Nanku Yadav, 93,
Kalani Nagat, Indore. (Transferor)
- (2) Laxmi Grah Nirman Sahkari Samstha Maryadit,
Indore through president Sh. Govind Baby S/o
Sh. Sital Yadav, Indore. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5452.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land Svy. No. 157/2/2-157/4/1, situated at Indore Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Indore on Apr. 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Survey No. 152/2/2 and 157/4/1, situated in Village Sirpur, Dist. Indore.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5453.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- bearing Land, Kh. No. 11 situated at Sulkhakhedi, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Jain, Swetamber Naya Mandir Trust
Thro' Hemant Kumar S/o Sri Nathmalji
Shekhavat, R/o Sitalmata Bazar, Indore &
Doulat Chandra S/o Harakchandji
R/o House No. 60/2, Keshar
Bag Road, Indore. (Transferor)
- (2) Mahavir Bag Sahkari Greh. Nirman Sanstha
Thro' Rajendra Kumar Bhagchand & Rajkumar
Hastimal Lal R/o 37, Nihalpur, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 11 is situated at Sulkhakhedi, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5454.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing bearing Part No. A/10 Western side of out-house, Shive Vilas Palace, situated at M.G. Road, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr. 84 at New Delhi in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) Sohandevi W/o Mansinghji Garg,
1/1B South Tukoganj, Green Park Colony,
Indore. (Transferor)
- (2) Satishchandra S/o Gulabchandji
2. Vinodkumar S/o Gulabchandji
R/o 8, Nasiya Road, Indore. (Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part No. A/10 Western Side of Out-House, Shiv Vilas Palace is situated at M.G. Road, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 10-12-84
Seal :

FORM ITNS

- (1) Savitridevi W/o Sh. Gehimalji Karamchandani,
R/o 22/9, Parsi Mohalla, Indore. (Transferor)
- (2) Gopichand S/o Chadumalji Jivnani
R/o 161, Palsikar Colony, Indore. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5455.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House (Part) on Scheme No. 153 of Indore Vikas Pradhikaran situated at Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr. 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House on Scheme No. 153-M of Indore Vikas Pradhikaran is situated at Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5456.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

House No. 4/2, situated at Marotiya Bazar, Indore Marotiya Bazar, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 259C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—
96—426GI/84

(1) Fatimabai W/o Fakhruddin Bhai Bohra
R/o 8, Hathpala North, Indore. (Transferor)

(2) Prabhavati Bai W/o Basantilalji Jain,
R/o 11, Santha Bazar, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

- (b) **by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing Municipal No. 4/2 is situated at Marotiya Bazar, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No IAC/Acq/Bpl/5457—Whereas, I,
V. K. BARANWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs 25,000/-
and bearing
Land Kh No 715, situated at Vill Khajrana, Indore
Vill Khajrana Indore
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer at Indore
on Apr 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this office notice under
sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the
following persons, namely:—

- (1) Manjeetsingh S/o Babusingh
2 Paramjeetsingh S/o Babusingh
3 Etbarsingh S/o Harchand Singh
4 Pritamsingh, S/o Puran Singh,
R/o 135, Anup Nagar, Indore
Thro' Genl Power of attorney Shriram S/o
Fatehchand Goyal, 2-A, Kailash Park,
Indore
(Transferor)
- (2) Snehnagar Greh Nirman Sahkari Sanstha
Maryadit, 114A, Sneh Nagar, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the re-
spective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein are
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing kh No 715 is situated at Village Khajrana,
Indore. This is the immovable property which has been
described in form No 37-G duly verified by the trans-
feree

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-1984
Seal.

FORM ITNS—

- (1) Manjeet Singh S/o Babusingh,
R/o 135, Anupnagar, Indore Thro' Genl. Power
of attorney Shriram S/o Fatchchandji Goyal,
2-A, Kailash Park, Indore. (Transferor)
- (2) Sneh Nagar Greh Nirman Sahkari Sanstha
Maryadit, 114-A, Snehnagar, Indore. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5458.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1981 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 706 situated at Vill. Khajrana, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 703 is situated at village Khajrana, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5459.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 717 and 716 situated at Vill. Khajrana, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Indore on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Manjeet Singh S/o Babusingh
2. Paramjeetsingh S/o Babusingh
3. Elbar Singh S/o Harchand Singh
4. Pritamsingh S/o Puran Singh
R/o 135, Anupnagar, Indore
Thro' Genl. power of attorney Shriram S/o
Fatch Chand Goyal
2-A, Kailashpalk, Indore.

(Transferor)

(2) Sneh Nagar Greh Nirman Sahkari Sanstha
Maryadit, 114-A, Snehnagar, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 716 & 717 are situated at vill. Khajrana, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5460.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land bearing Survey No. 69/2, 75/1, 77/1, & 78/1 situated at Vill. Gadrakhedi, Teh. Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Indore on Apr 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Jagdish Prasad S/o Ramgopal Nagori
4, Nayapura, Indore. (Transferor)
- (2) Shahced Hemu Kalani Nagar Sahakari Grih
Nirman Sanstha Soemit, Indore
18, Kachhi Mohalla, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing Survey No. 69/2, 75/1, 77/1, & 78/1 are situated at Vill. Gadrakhedi, Teh. Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-1984
Seal:

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Sarladevi W/o Satyanarayan
4, Nayapura, Indore.

(Transferor)

(2) Shaheed Hemu Kalani Nagar Sahkari Grih
Nirman Sanstha Secmit, Indore
18, Kachhi Mohalla, Indore.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No IAC/Acq/Bpl/5461.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land bearing Survey No. 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2 & 78/3 situated at Vill. Gadrakhedi, Teh. Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested to the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing Survey No. 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2 & 78/3 are situated at Vill. Gadrakhedi, Teh. Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 57-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/AcqN/Bpl/5462—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land bearing Survey No. 73/2, 76/3, 77/3, 78/3, 79 situated at Vill. Gadrakhedi, Teh. Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sulochana Devi W/o Balkrishna,
41, Nayapura, Indore. (Transferor)
- (2) Shaheed Hemu Kalani Nagar Sahakar Grih
Nirman Sanstha Samit, Indore
18, Kachhi Mohalla, Indore. (Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing Survey No. 73/2, 76/3, 77/3, 78/3, 79 are situated at Vill. Gadrakhedi, Teh. Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5463.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

bearing No. House No. 30 situated at Gandhi Park Colony, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Parmanand Pingle S/o Krishnaraoji Pingle,
R/o Gandhi Park Colony, Indore.
(Transferor)

(2) Indersingh Chhatwal
S/o Lakhmirsingh Chhatwal,
Jaora Compound, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 30 is situated at Gandhi Park Colony, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-1984
Seal: .

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. /Bpl/5464.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 136/3 & 136/4 situated at Dagnia, Raipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under subsection (1) of Section 269(D) of the said Act to the following persons, namely:—
97—426G1/84

(1) Mehtarin Bai W/o Pardesh Sañu R/o Dagnia, Raipur,

(Transferor)

(2) Lok Manyu Sahkari Grh Nirman Samiti Ltd., Raipur Through President B. S. Kothote, S/o Jagoba Kothote, Jorapara, Raipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 136/3 & 136/4 situated at Dagnia Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-1984
Seal :

FORM ITNS-----

- (1) Sawant S/o Samroo Sahu
R/o Dagniya, Raipur.
(Transferor)
- (2) Lak Manya Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd.,
Raipur Thro' President B. S. Kothote
S/o Jagoba Kothote, Jorapara, Raipur.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5465.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 153/6 situated at Dagnia, Raipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on Apr 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land bearing Kh. No. 153/6 is situated at Dagnia, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 11-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5466.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
bearing No. Open plot of land bearing Kh. No. 166
situated at Dagnia, Raipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering officer at Raipur
on Apr 84
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons, namely:—

- (1) Sh. Phool Singh
Smt. Manmati etc.
Father—Adhin, Dagnia, Raipur. (Transferor)
- (2) Lak Manya Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd.
Raipur Through: President B. S. Kothote,
S/o Jagoba Kothote, Jorapara, Raipur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land bearing Kh. No. 166 is situated at
Dagnia, Raipur. This is the immovable property which has
been described in form No. 37-G duly verified by the trans-
feree.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5467.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 12/2 (S. No. 601) situated at Jabalpur (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Puranchand Singhvani
Lalit Mohan Sachdev,
Naya Mohalla, Napier Town, Jabalpur.
(Transferor)
- (2) Lal Bahadur Shashtry Greh Nirman Sahkari
Samiti Maryadit, D.R./J.B.R/152
Office Q. No. 411, Sector-1, Vehicle factory,
Jabalpur-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 12/2 (S. No. 601) is situated at Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-12-84
Seal :

FORM ITNS

(1) Dyers Stone Lime Co. (P) Ltd.,
H.O. Alipur Road, Delhi-110 054.

(Transferor)

(2) Shakuntala Bai Ghattani
Wd/o Girdharilal Ghattani,
Mudwara, Jabalpur.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5468.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 2 & 4

situated at Mudwara, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mudwara, (Katni) on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2 & 4 are situated at Mudwara, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 11-12-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5489—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Single storeyed house at Plot No. 34
situated at Anand Colony Cherital, Jabalpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the registering Officer
at Jabalpur on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11
of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—

(1) Shri Rajkumar S/o
Vishwamber Prasad Mishra,
R/o Anand Colony,
Jabalpur.

(Transferor)

(2) Smt. Urmila Phuskele W/o
Shri V.K. Phuskele,
Qr. No. 4/12, P.O. Bagheli,
Distt. Bastar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of
the publication of this notice in the Official
Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storeyed house at Plot No. 34 is situated at Anand
Colony Cherital, Jabalpur. This is the immovable property
which has been described in form No. 37-G duly verified by
the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date . 17-12-1984

Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s K. Shah & Co.
Thro' Shri Ashok Ratanchand Shah
R/o 1200, Madan Mahal, Jabalpur. (Transferor)
- (2) Shri Bant Singh S/o Prince Rood Singh
C/o Shri Ramsingh Bant Singh
R/o 1259/H-8, Jabalpur. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acq./Bpl/5470.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Housing No. 1259/H-8

situated at New Gupteshwar Ward, Madan Mahal, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing 1259/H-8 is situated at New Gupteshwar Ward, Madan Mahal, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. /Bpl/5471.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. 1259/H-8 situated at Gupteshwar Ward, Madan Mahal, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s K. Shah & Co., Through
Shri Ashok Katanchand Shah,
R/o 1200, Madan Mahal, Jabalpur. (Transferor)
- (1) Shri Ajit Singh S/o
Ajagar Singh
R/o 1259, New Gupteshwar Ward,
Jabalpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No.1259/H-8 is situated at Gupteshwar Ward, Madan Mahal, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 13-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BHOPAL. M. P

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acq./Bpl/5472 — Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. plot bearing Kh. No. 259, N. B. No. 264, P. H. No. 24/1 situated at Cherital, Baldecbarh, Niwadganj, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
98—426GI/84

- (1) Shri Atmaram S/o Shri Maganlal Patel,
R/o Baldev Bag, Niwadganj, Jabalpur.
Approver: 1. Sh. Subhashchand S/o Biranlal Jain
R/o Sarafa, Jabalpur.
2. Sh. Shri Bhudayal S/o Late Shri Chhannulal
Keshwani R/o Sarafa Ward Kamaniya Gate,
Jabalpur. (Transferor)
- (2) Shri Vinod Prakash 2. Nitin Prakash
3. Sh. Manish Prakash
S/o Motilal Badkul R/o 451, Jawaharganj,
Jabalpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot bearing Kh. No. 259, N.B. No. 264, P.H. No. 24/1 is situated at Cherital, Baldecbarh, Niwadganj, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 13-12-1984
Seal :

FORM 11NS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acq./Bpl/5473.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. 429 to 429/21, Block No. 49, Plot No. 56, 58/2 situated at Lordganj, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sri Rajendra Kumar S/o Delan Singh
2. Arun Kumar S/o Delan Singh
3. Anurag S/o Delan Singh
Through Genl. Power of a torney Shri Biranlal Madanlal Jain, Uprendganj. (Transferor)
- (2) Shri Kamalkumar S/o Mulayamchand Jain, R/o 723, Garha, Jabalpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 429/21 on Plot No. 56 58/2 is situated at Nazul Block No. 49, Lord Ganj, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 13-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. /Bpl/5474.—Whereas, I,
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot situated at Mudwara, Distt. Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Katni on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any asset or property of which the transferee ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by this issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) M/s. Dyers Stone Lime Co. (P) Ltd.,
H. O. 10, Alipur Road, Delhi
(Transferor)
- (2) 1. Smt. Sheela Devi Somani
W/o Jugal Kishore Somani,
R/o Gandhi Ganj, Katni
2. Smt. Roonam Gandhi W/o Ramanlal Gandhi
Rest House Road, Katni, Teh. Mudwara,
Distt. Jabalpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot is situated at Maharani Laxmi Bai Ward, Teh. Mudwara, Jabalpur. This is immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 13-12-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. Bpl/5475.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

One house bearing No. 410 situated at Sadar Bazar Ward No. 23, Ravishanker Shukla Road, Raipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registration Officer at Raipur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bundico Bai D/o Manbish Ramji Yadav
Smt. Sila Bai W/o Ishwardayal Yadav
Both R/o Phani Basti, Raipur. (Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar S/o Hukumchand Jain
R/o Halwai Lane, Raipur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house bearing No. 410 is situated at Ward No. 23, Ravishanker Shukla Road, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 13-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 16th October 1984

Ref. No. 1/April/84.—Whereas, I, **PREMA MALINI VASAN**, being the Competent Authority under Section 296B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Periyakulam situated at Chinnamanoor (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Chinnamanoor (Doc.830/84) in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) S. M. Manikkam Nadar,
Kamakshi puram,
Uthrapalayam Taluk

(Transferor)

(2) Shri Y. Johnson Maaries A. David,
Kamakshipuram,
Uthrapalayam Taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land : Lands at Cheppalakkottai Village.
(Doc. No. 830/94)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 16-10-1984
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th October 1984

Ref. No. 3/April/84 —Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,
being the competent authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the said Act) have reason to believe that the immov-
able property having a fair market value exceeding
Rs 25,000/- and bearing
No. Land at Sokka Kothan St. situated at Madurai
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
of the Registering Officer at
J.S.R. IV, Madurai (Doc. 2016/84) on April, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the said property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

(1) Shri N. K. Kuppayan,
Secretary,
Sowrashta College Counsel
Thuppalangulam Road,
Vilacherry,
Madurai.

(Transferor)

(2) N.M R. Jambunathan,
171, South Masil St.,
Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are
defined in Chapter XXXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land : 21, Sokka Kothan St., Madurai.
(Doc. No. 2016/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 26-10-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 24th November 1984

Ref. No. 5/April/84—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Madurai situated at Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.IV, Madurai (Doc. No. 1870/84) in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- | | |
|---|--------------|
| (1) S. Thiagarajan,
25, Vinnunagar Main Road,
Arippu ¹⁶ Town,
Ramanad Dist. | (Transferor) |
| (2) Tamil Nadu Mercantile Bank,
56.57, Beach Road,
Tuticorin. | (Transferee) |

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Madurai (Doc. No. 1870/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 26-11-1984

Seal :

FORM ITNS

(1) M. A. Suppuswamy Suravali Suppier Chahrity Trustee, 19, Tamil Changam Road, Madurai.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri V. Ganesan, S/o Vennimalai Thevar, 18, P. T. Rajan Road, Nari Medu, Madurai-2.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ref. No. 9/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Lands at Thallakulam situated at Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S. R. Tallakulam (Doc. No. 1306/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Land at Tallakulam (Doc. No. 1306/84)

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 26-11-1984

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri T. P. S. H. Kanjarai,
Melaperumal Mestri St,
Madurai Town.

(Transferor)

(2) M/s Sokkadal Ram Factory Ltd.
Mukkudal.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAXACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ref. No. 13/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land B. at Mukkudam Village situated at Ambasamudram Taluk

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Tallakulam (Doc. No. 1485/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land B. at Mukkudal Village (Doc. No. 1485/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—
99—426G1/84Date : 26-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 26th October 1984

Ref. No. 20/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. — situated at Pallapatti Village, Dindigul (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dindigul II (Doc. No. 624/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mrs. N. Vimla
W/o Sri R. Nagarajan,
110 1st Agraharam, Salem. (Transferor)
- (2) Shri N. Rajagopal Chettiar,
S/o Sri Narasimhan Chettiar,
110 1st Agraharam, Salem Town. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Pallapatti Village, Dindigul. (Doc. No. 624/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 26-10-84
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 26th November 1984

Ref. No. 21/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. —situated at Nadu Theru, Kailasapuram, Sindupoonthral,
Tirunelveli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tirunelveli I (Doc. No. 261/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons namely :—

(1) Mrs. Parvathi Ammal,
W/o Shri R. Padmanabhan,
41 A Nadu theru, Kailasapuram,
Sindupoonthurai, Tirunelveli.

(Transferor)

(2) Shri K. Ramaswamy,
S/o Sri Krishnaswamy Reddiar,
Duraishwamyapuram,
Nalattinputhur,
Kollpatti, Tirunelveli.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Nadu Theru, Kailasapuram Sindu-
Poonthurai Tirunelveli (Doc. No. 261/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 26-11-84
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 25rd November 1984

Ref. No. 22/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.
Land and Building at Uthamapalayam situated at Uthamapa-
layam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908), in the office of the Registering officer at
S.R.O. Uthamapalayam (Doc. No. 511/84 and 154/84) on
April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the Act, to the following
persons, namely:—

- (1) Shri S. P. Jayakumar and others,
Pannayapuram Post,
Uthamapalayam Taluk,
Madurai Dist. (Transferor)
- (2) Shri Nallappa Naidu and others,
Ladapuram Village,
Perambalur Taluk,
Trichy Dist. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The term and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at Uthamapalayam village.
(Doc. No. 511/84 and 154/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 23-11-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984

Ref. No. 23/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No.

Lands at Ambadurai Village situated at Nadupatti (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at S.R. Chinnalapatti (Doc. No. 468/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Jayalakshmi,
Ambadurai Village,
Dindigul Taluk,
Madurai Dist.

(Transferor)

(2) A. Ramuthai Ammal,
W/o Alagarsamy Gounder,
Nadupatti,
Ambadurai Village.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Ambadurai Village.
(Doc. No. 468/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 15-11-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 16th November 1984

Ref. No. 24/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Nil situated at Vacant land at Vilangudi Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pudumandapam (Doc. No. 1103/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partners has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Marry Jacob,
W/o Mr. P. M. Jacob,
27 Susainagar, Vilangudi, Madurai. (Transferor)

(2) Shri P. Prabakarasingh,
S/o Sri Benchamin,
5A Arisikara Nanmai Tharuvar Theru,
Madurai. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land at Vilangudi Village (Doc. No. 1103/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 16-11-84
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 24th November 1984

Ref. No. 35/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 109, Mel Santhai Pettai St, situated at K. K. Nagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.O. IV MDU, (Doc. No. 2026/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) Shri R. Meenakshi,
W/o. M. D. Ramasubramaniam,
109, Mel Santhai Pettai St.,
Madurai. (Transferor)
- (2) Mrs. Tamil Malai Ammal,
W/o. K. Sadhasivam,
Plot No. 422, K. K. Nagar, Madurai. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Buldg : S. No. 5 T.S. 479/4, Door No. 109, Mel Santhai Pettai Madurai.
(Doc. No. 2026/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 24-11-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 20th November 1984

Ref. No. 37/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at 42 Koil Theru, Dindigul (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dindigul (207/84) in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri R. Balasubramaniam,
S/o Ramaswamy Iyer,
42 Koil Theru, Dindigul. (Transferor)
- (2) Shri Krishnamoorthy Iyer,
S/o Sri Senni Krishna Iyer,
42 Koil Theru, Dindigul. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building Koil theru, Dindigul (Doc. No. 207/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 20-11-84
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) MAPHM. Ahamed Ali and others,
68, Cutchery Road, Dindigul. (Transferor)
- (2) Shri S. Duraiswamy,
S/o. Dr. Cap. D. Sankaran,
167, East Car St., Dindigul. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 26th October 1984

Ref. No. 39/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land and Building at Nehruji Nagar situated at Dindigul (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.O. Dindigul (Doc No. 276/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

100—426 GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at Nehruji Nagar, Dindigul.
(Doc. No. 276/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 26-10-84
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri N. S. Mohan,
S/o O. N. Sivagnanam,
71, Neruji Nagar,
Dindigul.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 20th November 1984

Ref. No. 40/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Door No. 77, 2nd St., Dindigul Neruji Nagar situated at Dindigul

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R.I./Dindigul (Doc. No. 270/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(2) Shri N. S. Ravichandran,
S/o O. N. Sivagnanam,
71, Neruji Nagar,
Dindigul.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : At Neruji Nagar, Dindigul.
(Doc. No. 270/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 20-11-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984 . .

Ref. No. 41/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 200, Ramamurthy Road, Virudhunagar, situated at Virudhunagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S. R. Virudhunagar (Doc. No. 1080/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under that said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) T. M. M. R. Sokkar,
4A, Kasturi Bai Road,
Virudhunagar.

(Transferor)

(2) K. K. S. S. N. Rajalakshmi Ammal,
200, Ramamoorthy Road,
Virudhunagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land at 200, Ramamoorthy Road, Virudhunagar.
(Doc. No. 1080/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 15-11-84
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984

Ref. No. 44/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. L and B 82, Block 19, situated at Door No. 11, Hajee Ibrahim Kutty St., Palanipet, Arakonam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R. II/Arakkonam (Doc. No. 688/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27) of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri K. V. K. Md. Hajee and others,
Tanur, Kerala. (Transferor)
- (2) Shri Hajee Abdul Rahim,
39, Kamiyambadi St.,
Nambi Field,
Tamil Nadu. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at 11, Hajee Ibrahim Kutty St. Arakonam.
(Doc. No. 688/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 15-11-84
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri A. P. Pakeer Mohamed Saheb,
Gudiyatham Town, Gopalapuram. (Transferor)

(2) Shri A. Habcebur Rahman,
No. 51, Thalayatham Bazaar,
Santhapet,
Gudiyatham-632602. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 6th November 1984

Ref. No. 46/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land B at Kattari Kuppam village situated at Thalayatham (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Gudiyatham (Doc. 1543/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of.—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at Kathuri Kuppam Village.
(Doc. No. 1543/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 6-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984

Ref. No. 47/April/84.—Whereas, I PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing L and B at Katpadi Nagar Extn. situated at Katpadi Nagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Katpadi (Doc. No. 1320/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) S. K. G. P. Kandaswamy Chetty,
11, Akathi Krishnappa Chetty St.,
2nd West Cross St., Velur-6. (Transferor)
- (2) Shri N. M. Parthasarathy,
2nd West Cross Road,
Velur-6. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

L and B at Katpadi Nagar Extn.
(Doc. No. 1320/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 15-11-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 20th November 1984

Ref. No. 48/4/84—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land at Katpadi situated at Gudiyatham Taluk (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at S.R. Katpadi (Doc. No. 1286/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Baby Ammal,
W/o Lakshmana Chettiar,
29, 6th West Cross Road, Gandhi Nagar,
Vellore-6, N.A. Dist. (Transferor)
- (2) Shri V. R. Jayarama Chettiar,
S/o V. Chetty Ramayya Chetty,
No. 7, Kannikaparameswari Koll St.,
Vellore N.A. Dist. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot : At Guddiyatham Taluk, Katpadi.
(Doc. No. 1286/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 20-11-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984

Ref. No. 50/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing L and B at Gandhi Nagar situated at Kalinjur village, Katpadi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Katpadi (Doc. 1150/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as ascertained exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri C. V. Vaithiyathan, R/o
36, 8th East High Road,
Gandhi Nagar, Velur-6. (Transferor)
- (2) Shri R. Prabhakaran,
R/o 7, Kasi Viswanatha Swamy Kovil St.,
Vellore-4. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

L and B at Gandhi Nagar (Doc. No. 1150/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 15-11-84
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 29th October 1984

Ref. No. 51/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

L and B at Vellore Town situated at Vellore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. I/Vellore (Doc. No. 1408/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

101—426 GI/84

(1) Shri B. Damodaran,
34, Sarojani St.,
Arakkonam Town.

(Transferor)

(2) Shri Govindasamy Mudaliar,
No. 7, Suval Pettai,
Arakkonam Town.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

L and B at Vellore Town. (Doc. No. 1408/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 29-10-84
Seal :

FORM IT.N.S. ———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 20th November 1984

Ref No. 52/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,
being the competent authority under Section 269B of the
Income-Tax Act, (43 of 1961), have reason to believe that
the immovable property, having a fair value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Land at Appasamy Pillai St. situated at Arni
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R. Arni (Doc. No. 1198/84) on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transferor,
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to following
persons, namely :—

- (1) P. K. N. Krishnaswamy Naidu,
60, Subramaniasami Koil St.,
Mudalivakkam, Porur, Madras.
(Transferor)
- (2) V. G. Srinivasan,
No. 28, Appaswamy St.,
Arni, N.A. Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Appaswamy St. (Doc. No. 1198/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 24th November 1984

Ref. No. 54/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land B. at Opili Naickam Patti village situated at Dharmapuri (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Morappur (Doc. No. 178/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri K. A. Swami Natha Iyer,
Arunachala Iper,
Opili Naickam Patti,
Morappur Post,
Dharmapuri Dist.

(Transferor)

(2) Shri N. Murugan, Silar Sahib,
Karuppanna Chettiar and
K. Krishnan Rasalampatty,
Morappur, Dharmapuri Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land B. at Opili Naickam Patti (Doc. No. 178/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 24-11-1984
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 29th October 1984

Ref. No. 56/April/84—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 16, North Velur Town Mitta Ananda situated at Rao St. Velur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer a S.R./Velur (Doc. No. 1301/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri M. S. Sampath Mudaliar,
S/o M. S. A. Shanmuga Mudaliar,
18, Kasthuri Ranga Ayyar St.,
Alwarpet, Madras-18. (Transferor)
- (2) Shri Pradeep Kumar,
22, Mitta Ananda Rao St.,
Vellore, N.A. Dist. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at No. 26, Mitta Ananda Rao St., Vellore Town. (Doc. No. 1301/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 29-10-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) Smt. R. Thulasi,
8, Kalani, 3rd Cross St.
Co-operative Colony,
Poganapalli, Krishnagiri.

(Transferor)

(2) K. Ramachandran and others,
S/o Shri P. Kanthaswamy
25, Colony 2nd Cross St.,
Poganapalli.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Madras-600 006, the 29th October 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

Ref. No. 58/April 84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 18, Goa Road, Poganapalli situated at Krishnagiri (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer a J.S.R./Krishnagiri (Doc. No. 602/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

THE SCHEDULE

Land and building at Krishnagiri (Doc. No. 602/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 29-10-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 24th November 1984

Ref. No. 62/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Lands at Puthu Kombai Village situated at Puthu Kombai Village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Sendamangalam (Doc. No. 487/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Karuppaiah,
Puthu Veppanam,
Vasantha Puram,
Namakkal Taluk
Salem Dist.

(Transferor)

(1) Shri Sellammal,
W/o Palanisamy,
35, Ramasamy Pillai St.,
Namakkal Taluk
Salem Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within forty five days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Pudu Kombai Village (Doc. No. 487/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006Date : 24-11-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Palaniappa Gounder,
85-R Komarapalayam Village and
post Rasipuram Taluk.

(Transferor)

(2) Shri Palaniyappa Founder and others
S/o Shri Ramaswamy Gounder
Koppampatti, Ponkurichi Village,
Rasipuram Taluk.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 24th November 1984

Ref. No. 69/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Lands at Kenamapalayam Village
situated at Rasipuram (Doc. No. 805/84)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R. Rasipuram (Doc. No. 805/84) on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen percent of such apparent consideration and
that the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein
as are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Komarapalayam (Doc. No. 805/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 24-11-1984
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006. the 26th November 1984

Ref. No. 77/April/84.—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Land at Tiruchengodu situated at Namakkal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Tiruchengodu (Doc. No. 1154/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) T. A. Singaravelu,
S/o Sr. Na. Rajappa
Mudaliar Pulhikarai St.,
Tiruchengodu.

(Transferor)

(2) I. C. Lakshmipathi,
T. S. Chinnu am. Mudaliar,
Kumaresapuram St.,
Siruchengodu.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Tiruchengodu (Doc. No. 1154/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006Date : 26-11-1984
Seal :

FORM TINS

(1) M. Kanthaswamy Udayar,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M. Kandaswamy,
S/o Muthu Gounder,
R/o Pachappatty Main Road,
P. Pambanga Mudaliar Thottam,
Salem-1.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ref. No. 79/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Property at per Dpc. No. 1170/84 situated at Salem (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Valappady (Salem) 1170/84 on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as per Doc. No. 1170/84

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 26-11-1984
Seal

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 6th November 1984.

Ref. No. 80/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Lands at Venkarai Village situated at Vellore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Velur (Salem) (Doc. No. 203/84) in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Etti Gounder,
S/o Etti Gounder,
Kulakkattuputhur,
Namakkal Taluk-637208.

(Transferor)

(2) K Pappayi,
W/o Kandasamy,
Kulakkattuputhur,
Namakkal Taluk-637208.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Venkarai Village (Doc. No. 203/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 6-11-1984
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-1
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ref. No. 82/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 797/857/206/(4242) situated at Gandhi Vacant Land at Namakkal situated at Namakkal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the name of the Registering Officer at J.S.R.II/Namakkal (Doc. No. 721/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri N. Nallappa Reddy,
Reddy Patti Village,
Namakkal Taluk,
Salem Dist.

(Transferor)

(2) Shri R. Rajarathinam,
Madurai West,
Dindigul Taluk,
Madurai Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Namakkal (Doc. No. 721/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant of Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1
Madras-600 006

Date : 26-11-1984
Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Nallappa Reddy,
Reddy Patti Village,
Nanakkal Taluk,
Salem Dist

(Transferor)

(2) Shri S. M. Rajalinga Mudahar,
Solia Mudaliar St.,
55, Mohanur Taluk,
Salem Dist.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
MADKAS-600 006

Madras-600 006, the 16th November 1984

Ref. No. 83/April/84—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the said Act) have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Land at Namakkal situated at Namakkal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R.II/Namakkal (Doc. 722/84) on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days of the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act shall have the same meaning as given
in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Land at Namakkal (Doc. No. 722/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely:—

Date: 16-11-1984

Seal:

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600-006, the 6th November 1984

Ref. No. 84/April/84.—Whereas, 1,
PREMA MALINI VASAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Lands at Lathuvadi village situated Namakkal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR.II/Namakkal (Doc. No. 729/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sri D. Vasanthakumar
S/o Devarasu Reduar
Lathuvadi Post,
namakkal Taluka.

(Transferor)

(2) Sri D. Vevaraiyan
128, Paramathi Road,
Namakkal,
Salem Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Lathuvadi village (Doc. No. 729/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 6-11-1984
Seal:

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 15th November 1984

Ref. No. 91/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land at Tiruchengodu, Namakkal situated at Namakkal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Tiruchengodu (Doc. No. 1136/84) for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri R. A. Vairam
Appa Muzalar Lane,
Tiruchengodu,
Namakkal,
Salem Dist. (Transferor)
- (2) Smt. K. Mankayarkarasi
W/o Sri T. K. Karthikeyan,
Kalandi Lane,
Tiruchengodu. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land at Tiruchengodu. (Doc. No. 1136/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 15-11-1984
Seal:

FORM LT.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-1,
MADRAS-600 006

MADRAS-600 006, the 20th November 1984

Ret. No. 94/April/84 —Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing situated at 2 Mahfuz Khan Garden Street, Madras-1 (and more fully described in the schedule annexed hereto) 1908) in the office of the Registering Officer at Madras North II (Doc. No. 1088/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M. Azhige Mohammed Ilyas
No. 2, Mahfuzkhan Garden Street,
MADRAS-1.

(Transferor)

(2) Mrs. Parvati Bhat
Mr. Mannan
55 Muthumari Chetty Street,
MADRAS-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the date of the notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building 2 Mahfuz Khan, Garden Street, Madras-1 (Doc. No. 1088/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1
MADRAS-600 006

Date 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 31st October 1984

Ref. No. 95/April/84.—
PREMA MALINI VASAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing situated at 41 Moore St, Madras 1 and 7 & 8 Jehangit St, Madras-1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Madras North II (Doc. No. 1183/83) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
103—426 GI/84

(1) Sri Vummidi Kannan
Srihari Devi
Vummidi Mukundha
Vummidi Ethiraj
Sumithra
Udyakumar
Vijayandtan
86, Devarajamudalin Street,
Madras-3.

(Transferor)

(2) Sri S. K. M. Yusuf and 19 others
M/s Twenty Star Traders
64, Mannady Street,
Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter:—

THE SCHEDULE

Land and building 41 Moore Street, Madras-1 No. 7 and 8 Jehangir Street, Madras-1 (Doc. No. 1183/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 30-10-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras-600-006, the 26th November 1984

Ref. No. 98/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing situated at 19 Kilpauk Ayyanavaram Road, Kilpauk, Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Malras North II (Doc. No. 1010/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Kamala Muthukrishnan Iyer
25/1, Pelathope,
Mylapore,
Madras-4.
Mrs. Sumithra Srinivasan
157, V. M. Street,
Rayapettah,
Madras-4.

(Transferor)

(2) Mrs. Uma Ramakrishnan
No. 2 III Avenue,
Besant Nagar,
Madras-90.
2. Mrs. Vijaya Muthukrishnan
'Chandini' Plot No. 78,
Panampalli Nagar,
Cochin-682 016.
3. Mrs. Seetha Chandrasekar
10-3-173 St John's Road,
Secundrabad-25.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building No. 19 Kilpauk Ayyanavaram Road, Kilpauk, Madras (Doc. No. 1010/83/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 26-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 21st November 1984

Ref. No. RAC. No. 297/84-85.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land and Building at Naduvakarai situated at Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of S.R. Anna Nagar (Doc. No. 1054/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

(1) Smt. R. Selvasundari Ramlah
W/o Sri K. V. Ramaiah
Kattoor, Tanjore Dist.

(Transferor)

(2) Shri P. G. Visweswaran and
P. G. Sivaraman
M-7, Lotus Colony,
MIG Flats,
Nandanam,
Madras- 35

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building At Naduvakarai, Anna Nagar, Madras.
(Doc. No. 1054/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 21-11-1984

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 16th November 1984

Ref. No. 109/4/84.—Whereas I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Koyambedu, Anna Nagar situated at Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Anna Nagar (Doc. No. 1408/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri R. Govinda Rao
S/o Late S. Ragavendra Rao,
R/o 11, Second Street,
Dr. Thirumurthi Nagar,
Nungambakkam,
Madras-34.

(Transferor)

(2) Shri S. S. Somasundaram
S/o P. K. Suramaniam
Plot No. 2099,
1st Floor,
Y Block, III St,
12th Main Road,
Anna Nagar,
West Madras-40.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Koyambedu, Anna Nagar, Madras.
(Doc. No. 1408/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 16-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madr s-600 006, the 20th November 1984

Ref. No. 128/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at 175, T. H. Road, Madras-81 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rayapuram (Doc. No. 659/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mr. P. D. Sewag Director
M/s. Southern Group Industries Pvt. Ltd.,
118, Broadway,
Madras-1. (Transferor)
- (2) M/s Alison Steel & Hardware
No. 25, Perianna Maistry Street,
Madras-1. (Transferee)
- (3) Transferee
(Person whom the undersigned knows to be
interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building No. 175 T. H. Road, Madras-31 (Doc. No. 659/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNB

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ref. No. 138/4ff84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000] and bearing Dood No. 5, Strotten Muthiah Mudali St. situated at G. T. Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the S. R. Sowcarpet (Doc. No. 169/84) market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such transfer as agreed to between the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Nok, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri K. Bhaskar Rao and others
No. 25, Sembier St.,
Madras-1. (Transferor)
- (2) Shri S. Vijayalakshmi and others
No. 102, Avadanam Pappier Road,
Choolai,
Madras-112. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building D. No. 5 Strotten Muthiah Mudali St.,
Madras. (Doc. No. 169/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 26-11-1984

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 30th November 1984

Ref. No. 139/4/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing Land and Building at 85, Varadha Muthiappan situated at St. Madras-1, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Sowcarpet (Doc No. 170/84) on April, 1984 which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Mrs. N. Seshamma
W/o Late Radhakrishna Naidu
22, Police Commissioner Office Road,
Egmore,
Madras-8. (Transferor)
- (2) Mr. T. K. Azeez
S/o Abdullah
6, Backker St.,
G. T. Madras. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at No. 85, Varadha Muthiappan St.,
Madras (Doc. No. 170/83)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 30-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 6th Novembzter 1984

Ref No. 151/Apri/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]—and bearing Land and Building situated at No. 12, Muktha Gardens, Spurtank Road, Extensions, Madras-31 (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Periamet (Doc. No. 294/84) market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Meenakshi
W/o Sri N. Ramakrishnan,
12, Muktha Gardens,
Spurtank Road,
Extensions,
Madras-31.

(Transferor)

(2) M/s K. M. Mohamed Abdul Khadar Firm
Tanners & Exporters
20 V. V. Koil Street,
Periamet, Madras-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building 12 Muktha Gardens, Spurtank Road,
Extension, Madras-31. (Doc. No. 294/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 6-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri P. Vadivelu
No. 13, Nichols Road,
Chetput, Madras-31.
- (2) Shri V. M. Hidayadullah
No. 12, Swamy Mudali St
Periamet, Madras-3.

(Transferor)

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Madras-600 06, the 30th November 1984

Ref. No. 166/4/84 —Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land and building situated at Mc. Nichols Road, Chetput, Madras-31

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Periamet (Doc. No. 351/84)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

104—426 G1/84

EXPLANATION—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Mc. Nichols Road, Chetput, Madras-41. (Doc. No. 351/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 30-11-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. Parth Foundation and Engineering Corpn.
601, Mount Road, Madras-6. (Transferor)
- (2) Bakir Faizulla Bhai,
10, Mookar Nalla Muthu St.,
Madras-1. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 21 November 1984

Ref. No. 169/4/84—Whereas, I,
PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

34, Pantheon Road situated at Egmore Madras-8 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S.R. Periamet (Doc. No. 382/84) in April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

34, Pantheon Road, Egmore, Madras-8
(Doc. No. 382/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 21-11-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) T.D. Chandrasekaran and others,
7, Bandala Chittababu Naidu St.,
Madras-31.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri R. Amsaveni,
8, Kattur Sadayappan St.,
Periamet, Madras.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 21 November 1984

Ref. No. 159 and 160/5/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, B., Bandala Chittababu Naidu situated at St. Madras-31 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Periamet (Doc. No. 486/84) & 480/84 in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at Bandala Chittababu Naidu St.
Mds-31.

(Doc. No. 486/84) & 480/84.

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 21-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

MADRAS-600 006, the 21 November 1984

Ref. No. 172/ April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at 67 Thiagappa Mudali Street, Kilpauk, Madras-10 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Periamet (Doc. No. 393/84) in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri A. G. Ranganathan
15 Adiyappan Mudali Street, Oorasawakkam,
Madras-84.

(Transferor)

(2) Shri V.T.C. Selvaran
No. 11 Sarojini Street,
T. Nagar,
Madras-17.

(Transferee)

Objection, if any, to be the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at 67 Thiagappa Mudali Street, Madras-10
(Doc. No. 393/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
MADRAS-600 006

Date : 21-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
ROHTAK

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. RWR/1/84-85.—Whereas, I, R. K. BHAYANA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land measuring 8 Kanal 5 Marlas situated at Village Khatawali, Teh. Rewari (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rewari in Sept., 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Wazir Chand
S/o Smt. Subhrai Wd/o Shri Gopal Dass
S/o Shri Jesa Ram,
R/o Rewari. (Transferor)
- (2) M/s Rama House Pvt. Ltd.,
26/75, Panjabi Bagh, New Delhi through
Shri J. K. Bansal, Director of the Company. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 8 Kanal 5 Marlas situated at village Khatawali, Tehsil Rewari and more fully described in the sale deed registered at No. 1804 dated 24-9-1984 with Sub Registrar, Rewari.

R. K. BHAYANA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
ROHTAK

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. RWR/2/84-85.—Whereas, I, R. K. BHAYANA, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land measuring 16 Kanals situated at Khatawali, Teh. Rewari (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rewari in Sept., 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Svs. Om Parkash; Basant Kumar sons of Shri Fateh Chand s/o Shri Pyare Lal, r/o Rewari, D/Mahendergarh. (Transferor)
- (2) M/s Rama House Pvt. Ltd., 26/75, Panjabi Bagh, New Delhi through Shri J. K. Bansal, Director of the Company. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being Land measuring 16 Kanals situated at village Khatawali, Tehsil Rewari and more fully described in the sale deed registered at Sr. No. 1805 dated 24-9-1984 with Sub Registrar, Rewari.

R. K. BHAYANA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM FINS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK,
D. L. F. COLONY,

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. RWR/3/84-85.—Whereas, I, R. K. BHAYANA, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land measuring 12 Kanal 8 Marlas Situated at village Khatawali, Teh. Rewari, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rewari in Sept., 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Bahadur Chand, Amar Nath sons and Smt. Sheela Devi
D/o Shri Gopal Dass
S/o Shri Jesa Ram,
R/o Rewari. (Transferor)
- (2) Mrs. Rama House Pvt. Ltd.,
26/75, Punjabi Bagh, New Delhi
through Shri J. K. Bansal,
Director of the Company. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 12 Kanal 8 Marlas situated at village Khatawali, Teh. Rewari and more fully described in the sale deed registered at No. 1806 dated 24-9-1984 with Sub Registrar, Rewari.

R. K. BHAYANA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK,
D. L. F. COLONY,

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. RWR/4/84-85—Whereas, I,
R. K. BHAYANA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land measuring 16 Kanals Situated at village Khatawali, Teh. Rewari, (and more fully described in the schedule annexed thereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rewari in Sept., 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which are not seen or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Smt. Ganesh Bai W/o Shri Fateh Chand
S/o Shri Pyare Lal of Rewari now Chandigarh
Mukhtia-re-am Smt Bhirawa Bai
D/o Shri Fateh Chand
S/o Pyare Lal,
R/o Rewari now Bara

(Transferor)

(2) M/s. Raja House Pvt. Ltd.,
26/75, Punjabi Bagh, New Delhi
through Shri J. K. Bansal,
Director of the Company

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 16 kanal situated at village Khatawali, Teh. Rewari and more fully described in the sale deed registered at No. 1807 dated 24-9-1984 with Sub Registrar, Rewari.

R. K. BHAYANA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK,
D. L. F. COLONY,

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. RWR/5/84-85.—Whereas, I, R. K. BHAYANA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 9 Kanal 11 Marlas Situated at Village Khatawali, Teh. Rewari, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rewari in Sept., 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any assets or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

105—426 GI/84

- (1) Shri Kanwar Singh
S/o Shri Chand Singh
S/o Nathu, R/o Village Dharuhera,
Teh. Rewari. (Transferor)
- (2) M/s. Rama House Pvt. Ltd.,
26/75, Punjabi Bagh, New Delhi
through Shri J. K. Bansal,
Director of the Company. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 9 kanal 11 marlas situated at Village Khatawali, Teh. Rewari and more fully described in the sale deed registered at No. 1808 dated 24-9-1984 with Sub Registrar, Rewari.

R. K. BHAYANA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, ROHTAK,
D. L. F. COLONY

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. BGR/41/84-85.—Whereas, I, R. K. BHAYANA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot No. 99, Block 'E' area 500 sq. yds. Situated at Sector No. 11, DLF Model Town (Mujesar), Faridabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in Sept., 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Saroj Gupta
W/o Shri Shashi Bhushan Gupta
C/o M/s. Shashi Bhushan Gupta & Co.,
Gokal Bazar,
Rewari.

(Transferor)

(2) Shri Deepak Gupta
S/o Shashi Bhushan Gupta
S/o Shri Nathu Ram Saraf C/o
M/s. Deepak Enterprises,
Gokal Bazar,
Rewari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being Plot No. 99, Block 'E' area 500 sq. yds., situated at Sector 11, DLF Model Town (Mujesar), Faridabad and more fully described in the sale deed registered at No. 8719 dated 10-9-1984 with Sub Registrar, Ballabgarh.

R. K. BHAYANA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 20-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 12th November 1984

Ref. No. A.P. No./5678.—Whereas, I, J. L. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Phagwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Amerik Singh S/o Madhya,
R/o Banga Road, Phagwara. (Transferor)
- (2) Shrimati Mohinder Kaur
W/o Lehmbur Singh,
R/o Nangal Majha, Teh. Phagwara. (Transferee)
- (3) As per Sr. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale deed No. 23 of April, 1984 of the Registering authority, Phagwara.

J. L. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Jalandhar.

Date : 12-11-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No/5681.—Whereas, I,
J. L. GIRDHAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at Kapurthala. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922)- or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue for this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Balwant Kaur W/o Harbhajan Singh,
R/o Kapurthala.
R/o Kapurthala. (Transferor)
- (2) Shri Ujjal Singh
S/o Kartar Singh,
R/o Kapurthala. (Transferee)
- (3) As per Sr. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale Deed No. 45 of April, 1984 of Registering Authority, Kapurthala.

J. L. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Jalandhar.

Date : 13-11-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No./5682.—Whereas, I,
J. L. GIRDHAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
No. as per schedule situated at Kapurthala.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the
Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the
office of the Registering Officer at
Kapurthala on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons namely:—

- (1) Shrimati Jaswant Kaur
W/o Harmam Singh,
R/o Kapurthala, (Transferor)
- (2) Sh. Ranjit Singh S/o Kartar Singh,
R/o Kapurthala. (Transferee)
- (3) As per Sr. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be
interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale
deed No. 66 of April, 1984 of the Registering Authority,
Kapurthala.

J. L. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Jalandhar.

Date : 13-11-1984

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JALANDHAR

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No/5683.—Whereas, I,
J. L. GIRDHAR,being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-
movable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearingNo. as per schedule situated at Kapurthala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the registering Officer
at Kapurthala on April 1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen percent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the Act, to the following
persons, namely :—

- (1) Smt. Balwant Kaur W/o Harbhajan Singh,
R/o Kapurthala. (Transferor)
- (2) Shri Harinder Singh S/o Kartar Singh,
R/o Kapurthala. (Transferee)
- (3) As per Sr. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be
interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale
deed No. 106 of April, 1984 of the Registering Authority,
Kapurthala.J. L. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Jalandhar.Date : 13-11-1984
Seal :

FORM LT.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JALANDHAR

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No./5684.—Whereas, I,
J. L. GIRDHAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe that the immovable
property having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Kapurthala.
(and more fully described in the scheme annexed hereto)
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
of the registering Officer
at Kapurthala on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen percent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer
with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act
in respect of any income arising from the transfer,
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11
of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely:—

- (1) Shrimati Jaswant Kaur
W/o Harnam Singh,
(Transferor)
- (2) Shri Harinder Singh S/o Kartar Singh,
R/o Kapurthala,
(Transferee)
- (3) As per Sr. 2 above,
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be
interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale
Deed No. 141 of April, 1984 of the Registering Authority,
Kapurthala.

J. L. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Jalandhar.

Date : 13-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JALANDHAR

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No./5687.—Whereas, I, J. L. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Phagwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Gulshan Kumar
S/o Gurdas Mal,
Central Town, Phagwara. (Transferor)
- (2) Smt. Balbir Kaur
W/o Surjit Singh,
Moh. Khojjan, Phagwara. (Transferee)
- (3) As per Sr. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires late;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale Deed No. 306 of the May, 1984 of the Registering Authority, Phagwara.

J. L. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Jalandhar.

Date : 13-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 4th December 1984

Ref. No. IAC/Acq III SR-II/4-84/1833.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. 22/53, situated at Punjabi Bagh, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair-market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
106—426 GI/84

(1) Shri Ajit Singh
House No. 22, Road No. 53,
Punjabi Bagn, New Delhi

(transferor)

(2) Shri Govardhan Lal Chadha
& Sh. Mohan Chadha
House No. 22, Road, No. 53,
Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in the Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 22 Road No 53, Punjabi Bagh, New Delhi
Measuring 555.55 sq. Yds.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 4-12-84
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

(1) Sh. Vinod Kumar Dhawan
S/o Faqir Chand Dhawan,
r/o R-47, Greater Kailash-I,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Mrs. Nirpuama Jain
W/o Sh. Ashok Jain,
r/o E-207, Greater Kailash-II,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

New Delhi, the 4th December 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/1.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (443 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S 328, Greater Kailash-II, situated at New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

THE SCHEDULE

Plot No. S-328, Greater Kailash-II, New Delhi measuring 300 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 4-12-84

Seal :

FORM ITNS

(1) Kishan Lal S/o Mawasi,
r/o Dera Mandi, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Satish Kumar Gulati
S/o Satya Pal Gulati,
r/o D-26, Narain Vihar, New Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/12.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Agr. Land village Dera Mandi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1), of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land comprised in Khasra No. 44/8 (4-16), village Dera Mandi, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 27-11-1984

Seal :

FORM ITNS

(1) Kishan Lal S/o Mawa i,
r/o Dera Mandi, New Delhi

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Satish Kumar Gulati
S/o Satya Pal Gulati,
r/o D-26, Narain Vihar, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI**

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/AcqI./SR-III 4-84/13.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Agr. land village Dera Mandi, situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi on 27.11.1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as ascertained exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land comprised in khasra No. 44 7 (3-12), village Dera Mandi Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 4-12-84
Seal :

FORM ITNS—

(1) Kishan Lal S/o Mawasi,
r/o Dera Mandi, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Satish Kumar Gulati
S/o Satya Pal Gulati,
r/o D-26, Narain Vihar, New Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/14 —Whereas, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agr. land village Dera Mandi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any assets or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Agr. land comprised in khasra Nos. 44/3 min (3-0), 44/4 min (3-0) village Dera Mandi, Tehsil Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 4-12-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 12th December 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/120.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25 000/- and bearing No. E-464, Greater Kailash-II situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Capital Builders,
H-39, Green Park Extn,
New Delhi,
through its partners
Shri Jaspal Singh Marwah and
Smt. Chanda Aiora.

(Transferor)

(2) Shri R. K. Malik
s/o Sh. Shri Prem Nath Malik,
r/o E-73, Jajpat Nagar,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Back portion of premises on first floor measuring 850 sq. ft. partly portion of property No. E-464, Greater Kailash-II, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Anagarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 12-12-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Act I/SR-III/4-84/21.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M-41, Main Market, G.K.-I. situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Chander Kanta
w/o Sh. C. L. Gupta,
E-2, Kailash Colony,
New Delhi.

(Transferee)

(2) Sh. Nand Kishore Malik,
Sh. Harish Malik,
B-/55, Malviya Nagar,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

M-41, Main Market, Greater Kailash-I, New Delhi, measuring 196, sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 10-12-1984.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/25.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 10,00,000/- and bearing

No. S-387, Greater Kailash-II situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sh. A. D. Taneja,
S-387, Greater Kailash-II,
New Delhi-48 (G.F.).
(Transferor)
- (2) Mrs. Jayalakshmi Sreenivasan,
First Floor, S-455, Greater Kailash-II,
New Delhi-48.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Entire first floor construction and one mezzanine servants room access to which is from the staircase landing between first and second floor of S-387, Greater Kailash-II New Delhi 37, with built area of 1620 sq. ft. and 1/3rd share in plot of 300 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 27-11-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 12th December 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/28.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the said Act), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. E-464, Greater Kailash-II situated at New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
of the registering Officer
at New Delhi in April, 1984,
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—
107—426 GI/84

- (1) M/s. Capital Builders,
H-39, Green Park,
New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Padma Arora
w/o Sh. K. R. Arora,
r/o L-83, Malviya Nagar,
New Delhi and
Mrs. Saroj Monga
w/o Sh. M. R. Monga,
r/o F-6/4, Malviya Nagar,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. E-464, Greater Kailash-II, New Delhi, pre-
mises mg. 450 sq. ft. part of property.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 12-12-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/30.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

No. S-285, Greater Kailash-II situated at New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer
at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reason
to believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration
and that the consideration for such transfer as agreed to
between the parties has not been truly stated in the said
instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax
Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the Acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269 D of said Act, to the follow-
ing persons, namely:—

- (1) Smt. Sukhwant Kaur
w/o Lt. Col. Daljit Singh and
Shri S. Gurinder Singh
s/o Lt. Col. Daljit Singh,
r/o 67, Defence Colony,
Jullundur through attorney,
Shri Daljit Singh,
(Transferor)
- (2) M/s Tej Properties (P) Ltd.,
22, Bare Khamba Road,
New Delhi
through its Director S. Tejyant Singh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days, from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. S-285, measuring 307 sq. yds. Greater Kailash-II,
New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 27-11-1984.
Seal .

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/35.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. E-398, Greater Kailash-II situated at New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer
at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by the more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely:—

(1) S/Sh. Dharamvir Asri,
Vanceet Asri,
Ashok Asri,
all r/o J-33, Rajouri Garden
New Delhi.

(Transferee)

(2) Sh. Bimal Chandra Sen,
Mrs. Kalyani Sen
Sh. Surojit Sen,
all r/o 5, Darya Ganj,
House No. 4450,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the date
of the publication of this notice in the Official
Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. E-398, Greater Kailash-II, New Delhi, mea-
suring land of 250 sq. yds. and built up house with covered
area of 3150 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 27-11-1984.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/57.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingNo. F F. of R-265, Greater Kailash-I situated at New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the registering Officer
at New Delhi in April, 1984.for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- (1) Shri V. P. Vohra,
R-265 (Ground Floor) Greater Kailash,
New Delhi. (Transferor)
- (2) Dr. Pran Nath and
Dr. Mrs. Neelam Pran Nath,
r/o 5837, Sadar thana Road,
Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

No. R-265 (1st floor) Greater Kailash Part-I, New Delhi
Comprising of 4 rooms, kitchen, latrine and bath.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 27-11-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th December 1984

Ref. No.IAC/Acq.I/SR-III/4-84/62.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5/26 & 5/26-A, New Double Storey, situated at Vikram Vihar, Lajpat Nagar, IV, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Balraj Talwar
s/o Shri Basant Lal Talwar,
r/o 3, Gian Colony,
Patiala, Kailash Chander,
r/o 129-B, Model town,
Karnal & others, through
Shri K. C. Talwar,
129-B, Model Town,
Karnal.

(Transferor)

(2) Shri Diwan Chand Chanda
s/o Shri Jinda Ram Chanda,
r/o 10/61, Vikram Vihar,
Lajpat Nagar-IV,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 5/26 & 5/26-A, New Double Storey, Vikram Vihar, Lajpat Nagar-IV, New Delhi, measuring 123.66 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 10-12-1984.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

No. Ref. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/71.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. N-3B, Jangpura Extn., situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi on Apr 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Jagdish Ram
through general attorney
Shri Raj Kumar,
r/o 25-Jangpura Market,
New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Sary Shri Uggar Sain and
Shri Subhash Chand,
r/o 5897, Gali Sikli Garan,
Nabi Karim,
Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

N-3B, Jangpura Extension, New Delhi, measuring 100 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 17-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th December 1984

Ref No. AC/Acq.I/SR-III/4-84/72.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. E-15, Kailash Colony situated at New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at New Delhi in April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect to any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt Basanti Banerjee
w/o late S. Banerjee,
1/0 E-15, Kailash Colony,
New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Arun Mittal
p/o Paradise Home Builders
s/o Sh. V. B. Mittal,
r/o E-18, Greater Kailash Enclave-II, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of property No. E-15, measuring 150 sq. yds. Kailash Colony, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 10-12-1984.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th December 1984

Ref No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/83.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. 5, E-351, G. K.III, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Leela Mittal
w/o Shri V. B. Mittal,
r/o E-18, Greater Kailash Enclave-II,
New Delhi,
p/o Paradise Home Builders,
through attorney Atul Mittal.

(Transferor)

(2) Mr. Charat Pratap Singh
s/o Sh. Amar Pratap Singh,
r/o 227, Rajpur Road,
Dehra Dun (U.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 5, part of property No. E-351, measuring 35 sq. yds Greater Kailash-II, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ali Road
Delhi/New Delhi

Date : 10-12-1984.

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/104.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No

F.F. Flat No 104, A-13, Kailash Colony situated at New Delhi

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

108—426GI/84

(1) M/s. Kalyan's Enterprises,
A-13, Kailash Colony, New Delhi through its partners Mr. Kalyan Dass Mahant & others.
(Transferor)(2) Dr. Harpal Singh Ahluwalia,
S/o Sh. S. S. Ahluwalia,
3, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 104, on first floor part property No. A-13, Kailash Colony, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date : 27-12-84

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Jagpat Singh Chauhan s/o Muni Lal Chauhan,
r/o 9, Siri Fort Road,
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s Deepmala Manufacturing & Industries Ltd.,
16, India Exchange Place, Calcutta
through its Director M/s. Leela Sitani.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/104.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S-440, Greater Kailash-II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Property No. S-440, measuring 550 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 27-11-84.

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Krishna Aneja,
5, Arakashan Road, New Delhi-110055.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Ms. Bhatia Apartments (P) Ltd.,
A/18, Kailash Colony, New Delhi-110048.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/113.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing S-254, Greater Kailash-II, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer New Delhi on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

S-254, Greater Kailash-II, New Delhi. Area 299 sq. yds.

THE SCHEDULE

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-84
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 4th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/119.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Shop No. 5C, Prem House Con. Plac., situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Joginder Singh Sandhu s/o
Rai Bahadur S. Bakha Singh
r/o E-10A, Defence Colony, N. Delhi,
through attorney Mrs. Gurameri. Kaur Ahluwalia.
(Transferors)
- (2) Smt. Sharda Sarin w/o Anil Sarin
r/o 28, Siri Ram Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 5C, Prem House, Connaught Place, New Delhi.
Measuring 650 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date : 4-12-84
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) Shri S. Joginder Singh Sandhu S/o
Rai Bahadur S. Basakha Singh
r/o 1-10A, Defence Colony, N.D. through
attorney Mrs. Guramerit Kaur Ahluwalia.
(Transferor)

(2) Smt. Sharda Sarin w/o Sh. Anil Sarin,
r/o 28, Siri Ram Road, New Delhi.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 4th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-III/4-84/120.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4C, Prem House, Connaught Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Shop No. 4C, Prem House, Connaught Place, New Delhi.
Measuring 611 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Date : 4-12-84
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 12th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/124.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

23, Hanuman Road situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Kalawati Devi,
23, Hanuman Road, New Delhi.

(Transferor)

- (2) M/s Dilbagh Builders (P) Ltd.,
27/13, Shakti Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential House No. 23, Hanuman Road, New Delhi built on land measuring 451.44 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Sh. Mohan Lal Chopra & Sh. Shyam Lal Chopra,
r/o S-30, Green Park, New Delhi-16.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Mohan Builders through its partner
Sh. Mohan Singh,
r/o 52/42, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/125.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M-186, Greater Kailash-II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Plot No. C-186, Greater Kailash-II, New Delhi-48, Area 300 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date : 27-12-84
Seal :

FORM ITNS—

(1) Sh. Harvinder Singh,
12, Regal Building, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Mr. B. R. Kapuria & Mrs. Veena Kapuria,
E-484/261, Greater Kailash-II, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/69.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

E-484, Greater Kailash-II, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201, on the Ground Floor, having covered area of 1250 sq. ft. in building E-484, Greater Kailash-II, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

Date : 13-12-84
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Sukhinder Singh Bagai,
10, Iris, Cuffe Parade, Bombay-100 005.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Resham Lal,
G-328, Madangir, New Delhi.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 12th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/4-84/740.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the im-
movable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 72, A, Kalkaji Extn. situated at New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of
the Registering Officer at
IAC/Acq. R-I on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922
which ought to be disclosed by the transferee for
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 72 A, Ground floor, Pocket A 14, Kalkaji Exte
sion, New Delhi. Measuring 80 sq. metres Approximately.

SUDHIR CHANDR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-t
Acquisition Range
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

109—426GI/84

Date : 12-12-84
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/4-84/742.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G. Floor No. 7, 92, Deepali, N. Place, situated at New Delhi (and morefully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. R-I on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sh. Mohan Singh, s/o Sh. Ganda Mal,
E-33, Greater Kailash Enclave-II,
New Delhi. (Transferor)
- (2) M/s S. V. S. Investments,
105, Madhuban, 55, Nehru Place,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground floor No. 7, 92, Deepali, Nehru Place, New Delhi.
Measuring 213.75 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 10-12-84
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s Skipper Sales (P) Ltd.,
Skipper Bhawan, 22, Barakhamba Road,
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

(2) Mr. Vijay Chibbar s/o Sh. K. B. Chibber,
R/o A-8/25, Rana Pratap Bagh,
New Delhi-110007.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/4-84/748.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the said Act), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.

Upper Basement at 22, Barakhamba Road, situated at New
Delhi

(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of
the Registering Officer at
IAC/Acq. R-1 on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined Chapter XXV of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Upper Basement in 22, Barakhamba Road, area 325, Sq. ft.
Approx.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1.
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—

Date : 10-12-84
Seal :

FORM ITNS ———

(1) Sh. Sher Bahadur Sahapuri,
A-5, Pamposh, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Divya Industries,
502, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road,
New Delhi-110001.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 10th December 1984

Re: No. IAC/Acq. 1/37EE/4-84/749.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. 302, 22, Barakhamba Road situated at New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. R-1 on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 302, in No. 22, Barakhamba Road, New Delhi, area mg. 550 sq. ft.

THE SCHEDULE

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-84
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

(1) Sh. Baljit Singh Shahpuri,
A-5, Pamposh, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)(2) M/s. Deena Paints (P) Ltd,
502, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road,
New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/4-84/750.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 301, 22, Barakhamba Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq R-I on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No 301, in No 22, Barakhamba Road, (Under construction) mg. 750 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-T,
Delhi/New Delhi

Date : 10-12-1984.
Seal .

FORM NO. I.T.N.S. _____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/4-84/752.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1008, Devika Tower, 6 Nehru Place situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 161 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. R-I on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s East India Commercial Co. Pvt. Ltd.,
11th floor, New Delhi House,
27, Barakhamba Road, New Delhi. (Transferor)
- (2) Mr. Ravi Shanker s/o Sh. Charanji Lal,
16, Link Road, Jangpura Extn. New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office Flat No. 1008 on 10th floor measuring app. 440 sq. feet in multistoreyed building known as "Devika Tower" 6-Nehru Place, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date : 10-12-84
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/4-84/758.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

G-5, 59, Shakuntala Apartments, N. Place situated at New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at

IAC/Acq. R-I on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. All India Tar Products,
138-A, Golf Link, Second floor, New Delhi &
M/s. Parhlad Singh, Mulakh Raj,
1754/129, Tii Nagar, New Delhi-35. (Transferor)
- (2) Shri Kulwant Singh s/o Sardar Arjun Singh,
r/o 4, Under Hill Lane Civil Lines, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. G-5, on ground floor measuring 325 sq. ft. covered area in 59 Shakuntala Apartment, Nehru Place, New Delhi-19.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date : 10-12-84
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. JAC/Acq. 1/37EF/4-84,760.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act,') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UB-3 22, Barakhamba Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at JAC/Acq. Range-I, on April 1984 which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sh. D. C. Gupta (H.U.F.)
S-356, Greater Kailash-II, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Sh. M. K. Gupta,
W-56, Greater Kailash-II, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used therein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Storage Space No. UB-3, measuring 580 sq. ft. in building under construction on plot No. 22, Barakhamba Road, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date: 10-12-84
Seal:

FORM NO. I.T.N.S.—

(1) Smt. Ishar Kaur w/o late S. Sohan Singh,
r/o E-52, Greater Kailash-I, New Delhi.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Chander Kala Devi Bagaria,
Sh. Shiv Bhagwan Bagaria,
117-Chittaranjan Avenue, Calcutta.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 2nd January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/SR-III/7-84/444.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing E-52, Greater Kailash-I, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

110—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

E-52, Greater Kailash-I, New Delhi, covered area mg. 2250 sq. ft. (Plot area 532 sq. ft.).

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date : 2-1-85
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

(1) Miss Mini Jain,
K-41, Hauz Khas Enclave, New Delhi.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) M/s. Pal & Paul Builders Ltd.,
12, Regal Building, Parliament Street,
New Delhi.
(Transferee)

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI**

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/6-84/433.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot E-101, Greater Kailash-I situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Plot No. E-101, mg. 352.5 sq. yd. in Greater Kailash-I, New Delhi.

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 10-1-85
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

(1) Sh. Manjit Singh,
M-103, Greater Kailash-I, New Delhi. (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Sanjay Bansal,
B-15, Greater Kailash-I, New Delhi. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

New Delhi, the 7th January 1985

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/311.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M-2, Greater Kailash-II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Plot No. M-2, measuring 195 sq. yds. in Greater Kailash-II Market, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 7-1-85
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

- (1) Sh. Mohan Lal Dabriwala,
8, Doctor's Lane, Gole Market, New Delhi.
(Transferor)
- (2) M/s. C.I.P. Properties Investment (P) Ltd.,
Regd. Office,
16, India Exchange Place, Calcutta-700 001.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 7th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/295.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. A-34, Kalkaji, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A-34, Kalkaji, New Delhi, partly built Plot mg. 867 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
New Delhi

Date : 7-1-85
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 7th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/282.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

F-44, East of Kailash, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sh. Rattan Singh s/o S. Makhan Singh,
r/o F-38, Pocket L, Sheikh Sarai, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Sh. Naresh Juneja s/o Sh. Bhim Sain, Juneja,
R/o 11, National Park, New Delhi.
(Transferee)

Objection if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

F-44, East of Kailash, New Delhi. Built up 450 sq. yds.
Date: 7-1-85

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
New Delhi

Date: 7-1-85
Seal:

FORM NO. I.T.N.S.—

(1) Mrs. Kamini Sondhi w/o Sh. M. L. Sondhi,
R/o C-480, Defence Colony, New Delhi.
(Transferor)NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) M/s. Bhatia Apartments,
A-18, Kialash Colony, New Delhi-24.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi the 21st December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-8/276.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-
and bearing No.M-169, Greater Kailash-II, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer at
New Delhi on May 1984(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act shall have the same meaning as given
in that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

2/3 undivided share of land under neath property No.
M-169, Greater Kailash-II, measuring 400 sq. yds. with stairs
terrace of the G. floor and a room existing on it and the
terrace above that and the terrace above the first floor of the
servant Qr. with mummy with right of access to the terrace
above G. floor upper floor through the S/case with full right
to construct any no of floors above & the right to have
access through rear door, main gate, drive way alongwith one
car parking in driveway.SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
New DelhiNow, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the follow-
ing persons, namely :—Date : 21-12-84
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/256.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agr. land situated in vill. Jonapur situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Eicher Goodearth Ltd.,
Deen Dayal Upadhyay Mtrg, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Karan Veer Singh Atwal s/o Sh. S. S. Atwal,
r/o A-14, Niti Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land measuring 13 bighas and 8 biswas, M. No. 16 Killa No. 12/1(3-0), 9(4-16), 2/1(2-8), 1 min (1-12), 1 min, (1-12), village Jonapur, Teh. Meh. New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
New Delhi

Date : 10-1-85
Deal :

FORM NO. I.T.N.S.—

(1) M/s. Hoovar Construction (P) Ltd.,
28, Barakhamba Road, New Delhi,
through its Director Ashok Varma.

(Transferor)

(2) Shri S. Karanvir Singh Atwal s/o S. S. Atwal,
1/0 A-14, Niti Bagn, New Delhi.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/265.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.Agr. land situated at village Jonapur, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer at
New Delhi on May 1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons namely :—Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are
defined in Chapter XXXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land Mustatil No. 16 Killa No 14/1 (4-0), 13(4-16),
12/2(1-16), village Jonapur, Teh Mehrauli, New DelhiSUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
New DelhiDate : 10-1-85
Seal :

FORM NO. IT.N.S.-----

(1) Eicher Goodearth Ltd.,
Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Ranjit Singh Atwal s/o S. S. Atwal,
r/o A-14, Niti Bagh, New Delhi.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. I IAC/Acq. 1/SR-III/5-84/260.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agr. land situated in Vill. Jonapur, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

111—426G1/84

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land measuring 4 bighas and 16 biswas, Mustatil No. 16 Killa No. 25, Village Jonapur, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 10-1-85
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

(1) Eicher Goodearth Ltd.,
Dcen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Ranjit Singh Atwal s/o S. S. Atwal,
r/o A-14, Niti Bagh, New Delhi.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/SR-III/5-84/257.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agr. land situated in village Jonapur, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on May, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 10 bighas and 4 biswas, mustatil No. 15 killa No. 15 (4-9), 16(4-16), Mustatil No. 16 Killa No. 20 min (3-10), 21 min (4-3) 22, min (2-6), Village Janapur, Teh. Mch. New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1,
New Delhi

Date : 10-1-85
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

- (1) Eicher Goodearth Ltd.,
Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Shri S. S. Atwal s/o Sh. G. S. Atwal &
Mrs. Gurprit Kaur w/o S. S. Atwal,
R/o A-14, Niti Bagh, New Delhi.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, -
NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/258.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agr. land situated at village Jonapur, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to be the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 4 bighas and 16 biswas, M. No. 16, Killa No. 11/1(2-8), 11/2(0-14), 11/3(1-14), village Jonapur, Teh. Mch. New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 10-1-85
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
NEW DELHI

New Delhi, the 14th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/259.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.Agr. land situated in vill. Jonapur, New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on May 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer,
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

(1) M/s. Eicher Goodearth Ltd.,
Deen Dayal Upadhyay Marg,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri S. S. Atwal s/o G. S. Atwal and Mrs. Gurprit
Kaur w/o S. S. Atwal, A-14, Niti Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the official Gazette or a period of
30 days from the service of notice, on the res-
pective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land 20 bighas and 8 biswas, Mustatil No. 15 Killa
No. 5(4-16), 6(4-16), 15 min (0-7) Mustatil No. 16 Killa
No. 1 min (3-4) 10 min (3-4) 20 min (1-6), 21 min (0-8)
22 (2-7), village Jonapur, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 14-1-85
Seal :

FORM LT.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
NEW DELHI

New Delhi, the 21st December 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/228.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No. M-169, Greater Kailash-II, situated at New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Bhatia Apartments,
A/18, Kailash Colony, New Delhi through its partner Sh. N. K. Bhatia s/o Sh. B. R. Bhatia.
(Transferor)
- (2) Smt. Vasudha Jain w/o Sh. Shashi Prasad Jain R/o 18, Jamuna Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Second floor of P. No. M-169, with 1/3rd share in land measuring 400 sq. yds. at Greater Kailash-II, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 21-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
NEW DELHI

New Delhi, the 8th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/211.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agr. land situated in village Kapashera, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Ram Dhan,
R/o Village Kapashera, Teh. Mehrauli,
New Delhi. (Transferor)
- (2) Sh. Lahara Singh Aulak, through attorney Sh Kirpal Singh Aulak, R/o 70-71, South Patel Nagar Mkt. New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land situated at village Kapashera Teh. Mehrauli, New Delhi. Mg. 33 bighas and 12 biswas.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 8-1-1985
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
NEW DELHI

New Delhi, the 2nd January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/206.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing H. No. 42-B, on plot No. 21, situated at Hanuman Road, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Kala Wati w/o late Jai Narain r/o C-152, Janakpuri, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. D. K. G. Finance & Chit Fund (P) Ltd., G-56, Green Park, New Delhi, through its Director K. G. Nayyar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 42-B, on plot No. 21, Block No. 127, measuring 280.05 sq. yds., Hanuman Lane, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 2-1-1985
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
NEW DELHI

New Delhi, the 9th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/180.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agri. land in Village Gadaipur, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ishwar Chandra Gadi S/o Late Mengh Raj Gadi, R/o E-151, East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ved Parkash, Rajinder Parkash, Trilok Chand, S/o Shri Daya Ram, R/o Village Gadaipur, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 24 bighas and khasra Nos. 456(4-16), 457(4-16), 458(4-16), 459(4-16), 460(4-16), with two tube-wells, boundary wall, village Gadaipur, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 9-1-1985
Seal :

FORM TINS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I
NEW DELHI

New Delhi, the 8th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/179.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agri. land in village Bijwasan, situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—
112—426G1/84

- (1) Smt. Satinder Jit Kaur Randhawa D/o Major Gurbir Singh,
R/o village Nawabnagar, P.O. Darau, Distt. Nainital, through Lt. Col. G. S. Randhawa.
(Transferor)
- (2) Advd Bhu, Smt. Kamla Sharma, and
Shri Sunil Bhu,
R/o C-23, South Extension Part-II, New Delhi.
(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land mg. 13 bighas and 18 biswas Mustail No. 57, kila no. 20(2-5) southern side 21(4-9) Mustail no. 58 kila no. 25(4-16) one half of southern 16(2 8) situated at village Bijwasan, T.ch. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 8-1-1985
Seal :

FORM IINS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
NEW DELHI

New Delhi, the 5th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/172.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No. Nawab Ali Building Connaught Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Dewan Helen, Chaman Lal, Navin Parkash Lal, Rahul Lal, Sham Lal, Manjit Kaur, Sham Lal Sawhney, Krishna Nanda and others through Delhi High Court of Delhi.
(Transferor)

(2) Runwell India (P) Ltd., B-54, Connaught Place, New Delhi, through Managing Director, Om Parkash.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Nawab Ali Building, Connaught Place, New Delhi, mg-903, sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
New Delhi

Date : 5-1-1985
Seal :

FORM ITNS—

- (1) Mrs. Nirmla Malhotra,
M-87, Greater Kailash-I, New Delhi. (Transferor)
- (2) Ravinder Singh,
E-8, Greater Kailash-I, New Delhi. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
NEW DELHI

New Delhi, the 7th January 1985

Ref. No. IAC/Acq I/SR-III/5-84/170.—Whereas, I,
SUDHIR CHANDRA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. E-8, Greater Kailash-I, situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

E-8, Greater Kailash-I, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 7-1-1985
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
NFW DELHI

New Delhi, the 7th January 1985

Ref No IAC/Acq I/SR-III/5 84 169—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No E-438 Greater Kailash II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

- (1) Aditya Pandit S/o C S Pandit,
F 32, Green Park, New Delhi (Transferor)
- (2) Shri Suraj Gopalan and Mrs Devi Gopalan,
R/o F 438 Greater Kailash II New Delhi (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor of property No F 438 mg 1600 sq ft Greater Kailash-II, New Delhi

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date 7 1 1985
Seal

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
CENTRAL REVENUE BUILDING
STATUE CIRCLE, JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Rej/IAC(Acq.)/2511.—Whereas, I,
MOHAN SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Portion of Qutr. No 6 situated at Jodhpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Suata W/o Shri Sundeidas Sindhi,
5th B Road, Sardarpura, Jodhpur. (Transferor)
- (2) Shri Ashok Kumar S/o Shri Bhagwandas Maheshwari,
In front of Employment Exchange First Polo Ground, Jodhpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of Quarter No. 6 situated at on B-Road, Sardarpura, Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur, vide Registration No. 947 dated the 3rd April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 14-12-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
CENTRAL REVENUE BUILDING
STATUE CIRCLE, JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Rej/IAC(Acq.)/2512.—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion of Qutr. No 6 situated at Jodhpur, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 3-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Sajata W/o Shri Sunderdas Sindhl,
5th B Road, Sardarpura, Jodhpur. (Transferor)
- (2) Shri Vijay Kumar S/o Shri Bhagwandas Mahesh-
Ground, first Jodhpur.
In front of Employment Exchange Polo
Ground, Jodhpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter...

THE SCHEDULE

Portion of Quarter No. 6 situated at on B-Road, Sardarpura, Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur, vide Registration No. 948 dated 3rd April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 14-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Uda Ram S/o Shri Bijaram Khamtam, Between B & C Road, Saldarpura, Jodhpur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Leeladhar S/o Shri Karanmal Jain, Bader House, Third 'C' Road, Saldarpura, Jodhpur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
CENTRAL REVENUE BUILDING
STATUE CIRCLE, JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Rej/IAC(Acq.)/2513.—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land situated at Jodhpur (and more fully described in the schedule annexed hereon), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 19-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated on Pal Road, near 'Khema Ka Kua' and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 1067 dated the 19th April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 14-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

- (1) Surajraj S/o Shri Sampatram,
between 'B' & 'C' Road, Sardarpura, Jodhpur,
(Transferor)
- (2) Shri Leeladhar S/o Shri Karanmal Jain,
Bader House, Third 'C' Road Sardarpura Jodhpur,
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
CENTRAL REVENUE BUILDING
STATUE CIRCLE, JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Rej/IAC(Acq.)/2514.—Whereas, I,
MOHAN SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

No. Land situated at Jodhpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jodhpur on 19-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in that
Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated On Pal Road, near 'Khema Ka Kua' and
more fully described in the sale deed registered by the Sub-
Registrar, Jodhpur vide Registration No. 1068 dated the
19th April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 14-12-1984

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
CENTRAL REVENUE BUILDING
STATUF CIRCLE, JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref No Rej/IAC(Acq)/2515—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No Land situated at Jodhpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 18 4 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

113—426GI/84

- (1) Shri Ramil S/o Shri Tikaramdas Kumhar,
Between 'B' & 'C' Road Sardarpura, Jodhpur,
GPA Holder of Shri Surajraj S/o Shri Sampatram
(Transferor)
- (2) Shri Leeladhar S/o Shri Karanmal Jain,
Dader House, Third 'C' Road, Sardarpura, Jodhpur
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated on Pal Road, near 'Khema Ka Kua' and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur, vide Registration No 1069 dated the 18th April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 14-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2516.—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000.- and bearing Plot No. 7 situated at Jodhpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jodhpur on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Ramniwas S/o Shri Udai Kishan ji Soni,
Mahamandir, Jodhpur. (Transferor)
- (2) Smt. Kamla W/o Shri Hari Prasad ji Choudhury
Vaidhya,
Near 'Rama ki Pyau',
Mahamandir, Jodhpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7 Mahamandir situated near 'Rama ki Pyau', Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 975 dated the 5th April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 14-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) Shri Ram Nnwas S/o Shri Udai Kishan ji Soni,
Mahamandir, Jodhpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Smt. Kamla W/o Shri Hari Prasad ji Choudhury
Vaidhya,
Near 'Rama ki Pyau',
Mahamandir, Jodhpur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the
respective persons, whichever period expires later.(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2517.—Whereas, I,
MOHAN SINGH,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. 7 situated at Jodhpur,
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the Office of the Registering Office at
Jodhpur on 6-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen percent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in the Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7 Mahamandir situated near 'Rama ki Pyau',
Jodhpur and more fully described in the sale deed registered
by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 978
dated the 6th April, 1984.MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, JaipurNow, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—Date : 14-1-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2518.—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot No. 7 situated at Jodhpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jodhpur on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Ramniwas S/o Shri Udai Kishan ji Soni,
Mahamandir, Jodhpur.
(Transferor)
- (2) Smt. Rajesh S/o Shri Hari Prasad ji
Vaidhya,
Near Rama ki Pyau,
Mahamandir, Jodhpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7 Mahamandir situated near 'Rama ki Pyau', Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 976 dattd the 5th April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 14-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Nathmal Sethia Charitable Trust,
Sardarshahr, District-Churu.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Hanumanprasad S/o Shri Sawa Ram Badadhara
Sardarshahr District-Churu.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

*Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2519.—Whereas, I,
MOHAN SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

Shop situated at Sardarshahr.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sardarshahr on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Shop situated in Aguna Bazar, Sardarshahr, district-Churu and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Sardarshahr, District-Churu vide registration No. 418 dated 16-4-1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Raj/LAC(Acq.)/2520.—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop situated at Sardarshahr, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sardarshahr on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Nathmal Sethia Charitable Trust,
Sardarshahr, District-Churu. (Transferor)
- (2) Shri Sanwalram S/o Shri Parturam Badadhara,
R/o Sardarshahr, District-Churu. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop situated in Aguna Bazar, Sardarshahr, district-Churu and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Sardarshahr, District-Churu vide registration No. 419 dated 16-4-1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 14-12-1984
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE
JAIPUR

Jaipur, the 15th December 1984

Ref. No. Raj/IAC(Acq)/2521.—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop situated at Jaipur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 25-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Prakash Dariyanani S/o Shri Govind Ram, R/o Govind Bhawan, M.I. Road, Jaipur. (Transferor)
- (2) Smt Geeta Jalpuria W/o Shri Hansraj Jaipuria, Plot No. B-9, Shiv Marg, Bam Park, Jaipur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop situated in Film Colony, Chaura Rasta, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jaipur vide Registration No. 1105 dated 25-4-1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date: 15-12-1984
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
JAIPUR

Jaipur, the 15th December 1984

Ref. No. Raj/JAC(Acq.)/2522.—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop situated at Jaipur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 25-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Ashok Kumar Daryanani S/o Shri Govindram, R/o Govind Bhawan, M.T. Road, Jaipur. (Transferor)
- (2) Smt. Geeta Jaipuria W/o Shri Hansi J Jaipuria, Plot No. B-9, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Shop situated in Film Colony, Chaura Rasta Jaipur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jaipur vide Registration No. 1104 dated 25-4-1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 15-12-1984
Seal :

FORM ITNS

- (1) 1. Shri Lallu Ram,
2. Shri Munnu Lal.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) Shri Guru Nanak Sahkari Avas Samiti Ltd., Sitapur,
Through Secretary, Shri Gur Charan Singh.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW**

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Lucknow, the 12th December 1984

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. G.I.R. No. 9-76/Acq.--Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Arazi Bhumidhari No. 947, 955 and 956 situated at Chhawni Kadim, Pargana-Khairabad, Distt. Sitapur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sitapur on 18-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
114—426GI/84

THE SCHEDULE

Arazi Bhumidhari No. 947 measuring 25 decimals, No. 955 measuring 38 decimals and No. 956 measuring 30 decimals, total measuring 93 decimals situated at Chhawni Kadim, Pargana-Khairabad, Tehsil and District Sitapur, registered on 18-4-1984 by the Registering Authority at Sitapur.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) Shri Bharat Prasad,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Guru Nanak Sahkari Avas Samiti Ltd., Sitapur
Through Secretary, Shri Gur Charan Singh.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 12th December 1984

Ref. No. G.I.R. No. G-77/Acq.—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Half portion of Arazı No. 954 situated at Chhawani Kadim, Pargana-Khairabad, Distt. Sitapur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sitapur on 18-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Half portion of Arazı Bhumidhari No. 954, measuring 0.66 decimals (0.33 decimals), situated at Chhawani Kadim, Pargana-Khairabad, Tehsil and District Sitapur, registered on 18-4-1984 by the Registering Authority at Sitapur.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Mohd. Haneef.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Indra Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd., Moradabad
Through its Secretary, Shri Madhu Sudan Lal.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 12th December 1984

Ref. D.M. G.I.R. No. I-20/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Khasra No. 927-A & 927-B situated at Bhogpur Mithauni alias Shirikui, Moradabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Moradabad on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Land measuring 17250 sq. Mtrs. (Khasra No. 927-A measuring 0.48 decimals and Khasra No. 927-B measuring 3.83 decimals totalling 4.31 decimals) situated at Bhogpur Mithauni alias Shirikui, Moradabad (as mentioned in 37G Form No. 6222, registered in April, 1984 by the Registering Authority at Moradabad.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Pt. Rudra Mani Tripathi.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) 1. Shri Krishna Murari,
2. Smt. Kalpana Karvariya.
(Transferee)(3) Seller.
Person in occupation of the property.

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th December 1984

Ref. No. G.I.R. No. K-145/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House bearing No. 36 situated at Johnstonganj, Allahabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

House property bearing No. 36, situated at Johnstonganj, Allahabad, registered on April, 1984 by the Registering Authority at Allahabad (as mentioned in 37G Form No. 1982).

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Santosh Bhatnagar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Kailashwati.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th December 1984

Ref. No. G.I.R. No. K-144/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing

House No. 8/12/41 situated at New Civil Lines, Saket, Moradabad,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Moradabad on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following person namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on their respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house bearing No. 8/12/41, situated at New Civil Lines, Saket, Distt. Moradabad registered on April, 1984 by the Registering Authority at Moradabad (as mentioned in 37G Form No. 2864).

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 13-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Deepak Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

(2) Rehmatulla I. Chougale.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 7th December 1984

Ref. No. AR.III/37EE/84-85/6961.—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 104, 1st floor Bldg. No. 16, Kapadia Nagar, CST Rd. Kurla (W), Bombay-70, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Sec. 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 104, 1st floor Bldg. No. 16, Kapadia Nagar, CST Road, Kurla (W), Bombay-70.

The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay vide serial No. AR.III/37EE/6961/83-84 dated 2-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 7-12-1984
Seal :

FORM ITNS

- (1) Shri Balwant Sadashir Gaonkar. (Transferor)
- (2) Shri Amol Krishanji Malgaonkar. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. AR.III/37EE/7150-A/84-85.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Tenament No. Bldg., No. 7, Chambur Shrawan C.H.S. Ltd. Sahkar Nagar, Chambur Bombay-71, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Sec. 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on dated 2-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of that said, Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Tenament No. 80, Old No. 7, Chambur Shrawan Co-op. Hsg. Society Ltd., Sethur Nagar, Chambur, Bombay-71.
The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay vide serial No. AR.III/37EE/150-A/83-84 dated 2-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under the section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.-----

- (1) Western India Builders (Transferor)
 (2) Shri Pyarali Memo Mankojya. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR IV/37EE/2081/83-84 --Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No. Flat No. 2nd floor, E Wing Gulistan Apartment, S.V Road, Dahisar (E), Bombay, (and morefully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 27-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette on a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION --The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 10, 2nd floor F-Wing Gulistan Apartment, S V Road, Dahisar (E), Bombay
 The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37EE/2081/83-84 dated 27-4-84

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range III, Bombay

Bombay on 27-4-1984
 Seal :

FORM ITNS

(1) Western India Builders,

(Transferor)

(2) J. N. Karedia,

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37EE/2075/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat No. 9, 2nd floor, E-Wing, Gulistan Apartment, S. V. Road, Dahisar (E), Bombay-68,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferredand the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,
Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
115—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 9, end floor, E-Wing Gulistan Apartments, S. V. Road, Dahisar (E), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay vide serial No. AR-IV/37EE/2075/83-84 dated 27-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, BombayDate : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNB

- (1) Western India Builders. (Transferor)
 (2) Smt. A. K. Virani & Smt. D. H. Virani. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
 INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
 COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
 BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37EE/2083/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 2, 1st floor, E-Wing, Gulistan Apartments S. V. Road, Dahisar (E), Bombay, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Comptrol Authority at Bombay on 27-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7, 1st floor, E-Wing, Gulistan Apartments, S.V. Road Dahisar (E), Bombay.
 The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37EE/2083 83-84 dated 27-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
 Acquisition Range-III, Bombay

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING, ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

- (1) M/s. Rajlaxmi Construction Co. (Transferor)
(2) Shri Chamanlal K. Mehta & Smt. Anumati C. Mehta. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. AR-IV/37EE/1628/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 22, 1st floor, Shivam Building, S. V. Road, Fatehbaug, Kandivli (W), situated at Kandivli (W), (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority Bombay on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 22, 1st floor, Shivam Bldg., S.V. Road, Fatehbaug, Kandivli (W).
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37EE/1628/83-84 dated 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s. Saral Enterprise. (Transferor)
 (2) Shri Manilal Devji Dedhia. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No AR-IV/37-EF/1248/83-84 --Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 4, 2nd floor, A-Wing Bldg. No. 19, in layout of Zalavad Jain Co-op Hsg. Co-ty Ltd., Ashok Chakravarty Rd., Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 6-4-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4, 2nd floor, A-Wing Bldg. 19, Zalavad Jain, Co-op. Hsg. Socy. Ltd. Ashok Chakravarty Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EF/1248/83-84 dated 6-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-I
 Acquisition Range-IV
 Bombay.

Date : 12-12-1984
 Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1277/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 2, ground floor, C-Wing Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-op. Hsg. Socty. Ltd. Ashok Chakravarty Rd., Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 6-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Saral Enterprise. (Transferor)
(2) Smt. Renukaben Pravinchandra Kamdar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2, ground floor, C-Wing Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-op. Hsg. Socty. Ltd. Ashok Chakravarthi Rd., Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1277/83-84 dated 6-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Bombay

Date: 12-12-1984
Seal:

FORM ITNS-----

- (1) M/s. Saral Enterprises.. (Transferor)
 (2) Shri Kantilal Hiralal Shah. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
 INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
 ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1197/83-84.--Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 2, 2nd floor, A-Wing Bldg. No. 19, Zalvad Jain Co-op. Hsg. Socty. Ltd., Ashok Chakravarty Rd., Kandivli (E), Bombay-1 situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 3-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 2, 2nd floor, A-Wing Bldg. No. 19, Zalvad Jain Co.op. Hsg. Socty. Ltd., Ashok Chakravarty Rd., Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1197/83-84 dated 3-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV
 Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely):--

Date : 12-12-1984
 Seal :

*Strike off where not applicable.

FORM ITNS—

- (1) M/s. Giriraj Const. Corpn. (Transferor)
 (2) Smt. Vasanti Maruthi Prabhu (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1469/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. Raj Kishore, Flat No. 1, ground floor, D-Wing, Maurin Street, andivli Village, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Raj Kishore, Flat No. 1, grd. floor, D-Wing Maurin St., Kadnivli Village, aKndivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1469/83-84 dt. 12-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV,
 Bombay

Date : 12-12-1984
 Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1524/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat No. C-12 on 4th floor, Bobby Shopping Centre, M. G. Road, Dhanukar Wadi, Kandivli (W), Bombay-67

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mr. Amritali Moosbhai Mithani (Transferor)
(2) Mr. hantilal Lallushankar Dave & others (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. C-12, 4th floor, Bobby Shopping Centre, M. G. Road, Dhanukar Wadi, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1524/83-84 dt. 13-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Bombay

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Urmilaben P. Bhatia

(Transferor)

(2) Sh. Chunilal Damodar Dattani & Nirmala Chunilal Dattani

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1523/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. E-201, Rajkishore Co-op. Society, 2nd floor, M.G. Road, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 13-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the said property, namely :—

THE SCHEDULE

Flat No. E/201, Rajkishore Co-op. Society, 2nd floor, M.G. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1523/83-84 dt. 13-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

(1) M/s. M. N. Construction Co.

(Transferor)

(2) Shri Lalit Prabhudas Rupani
& Bharti L. Rupani

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1261/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 201, 2nd floor, Gran Amrit Bldg. Shantilal Mody Road, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 6-4-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201, 2nd floor, Gyan Amrit Bldg., Shantilal Mody Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1261/83-84 dt. 6-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s. Dattani Developments. (Transferor)
 (2) Jaganath Kamra & Mrs. J. Kamra (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/4280/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 21, Shreeji Palace L.T.S. No. 99, Village Kandivli, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 7-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 21, 2nd floor, Shreeji Palace C.T.S. No. 99 Village Kandivli, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/4280/83-84 dt. 7-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Dattani Developments.

(Transferor)

(2) Raju G. Bhatia Dilip G. Bhatia.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV|37EE|4281|83-84.—Whereas, I,

A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 31, 3rd floor, Shreeji Palace C.T.S. No. 99 of Village Kandivli, S. V. Road, Kandivli (W) Bombay-67 situated at Kandivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority, at

Bombay on 7-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 31, 3rd floor, Shreeji Palace C.T.S. No. 99, of Village Kandivli, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|4281|83-84 dt. 7-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 12-12-1984.
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Chunilal Nathalal Pabia
Rajesh Babulal Pabia.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Sampatlal D. Bohra.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1218/8384.—Whereas, I,

A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Shop No. 10, Ground floor, Guru Nanak Apartments Co-operative Housing Society Ltd. 51, Shanker Lane, Kandivli (W), Bombay-67

situated at Kandivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at

Bombay on 5-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Shop No. 10, Ground floor, Guru Nanak Apartments Co-op. Housing Society Ltd., 51, Shanker Lane, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1218/83-84 dt. 5-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 12-12-1984.
Seal:

FORM ITNS

(1) Saral Enterprise.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Gautamkumar Surabhai Shah.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1929|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat No. 6, 1st floor, B-Wing Bldg. No. 19, Zalavad Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakravarthy Road, Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 20AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 23-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, 1st floor, B-Wing, Bldg. No. 19, Zalavad Jain Co-operative Housing Society, Ashok Chakrabarty Road, Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1929|83-84 dated 23-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 12-12-1984.
Seal :

FORM IITS

- (1) M/s. Saral Enterprise. (Transferor)
 (2) M/s. Shah Anilkumar Popatlal. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
 ACQUISITION RANGE-IV,
 BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 50 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. ARIV/37-EE/1920/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 13, 3rd floor B-Wing Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakravarty Road, Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Registering Officer at Bombay on 23-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 13, 3rd floor, B-Wing, Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-operative Housing Society Ltd. Ashok Chakravarty Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1920/83-84, dt. 23-4-84.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV
 Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 12-12-1984.
 Seal :

FORM ITNS

(1) Mr. Vijay S. Goradia.

(Transferor)

(2) Mr. Pankajkumar Ishwarlal Mehta.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref No. ARIV|37-EE|1138|83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000]—and bearing

No. Village Kandivli, Meurin Street, M. G. Road, Raj Kishan Bldg., Kandivli (W), Bombay-67

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Registering Officer at Bombay on 2-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Village Kandivli Meurin Street, M. G. Road, Kandivli (W) Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1138|83-84, dt. 2-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay.

Date : 12-12-1984.
Seal :

FORM ITNS—

(1) Saral Enterprise.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Bhupendra Nyalchand Bhagadia.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

Bombay, the 12th December 1984

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. ARIV/37-EE/1576/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 4, 1st floor, A-Wing Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakravathy Road, Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 6-4-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 4, 1st floor, A-Wing, Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-operative Housing Society, Ashok Chakrabarty Road, Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1576/83-84, dt. 6-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely—
117—426GI/84

Date : 12-12-1984.
Seal :

FORM ITNS

(1) Saral Enterprise.

(Transfe

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Mansukhal Hargovindas Salot

(Transfe

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said pro
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a peri
45 days from the date of publication of this
in the Official Gazette or a period of 30 days
the service of notice on the respective persons,
ever period expires later;(b) by any other person interested in the said imm
able property, within 45 days from the date
publication of this notice in the Official Gazette

Ref. No. ARIV|37-EE|1927|83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property having a fair market value exceeding
Rs 25,000/- and bearing
No. Flat No. 2, 1st floor, A-Wing Bldg No 21, Zalavad
Jain Co-op Housing Society Ltd., Ashok Chakravarthy Road,
Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
and the agreement is registered under section 269AB of
the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent
Authority, at
Bombay on 23-4-84
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason
to believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herei
are defined in Chapter XXA of the
Act, shall have the same meaning as
in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 2, 1st floor, A-Wing, Bldg No. 21, L
Jain Co-operative Housing Society, Ashok Chakrabarty
Kandivli (E), Bombay-101The agreement has been registered with the Com
Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1927
dt. 23-4-84.A. PI
Competent
Inspecting Assistant Commissioner of Inco
Acquisition Range-IV,

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons namely :—

Date : 12-12-1984.

Seal :

FORM ITNS

- (1) Saral Enterprise. (Transferor)
 (2) Narendra Chunilal Shah. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
 INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
 may be made in writing to the undersigned:—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
 COMMISSIONER OF INCOME-TAX

A ACQUISITION RANGE-IV,
 BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

No. ARIV/37-EE/1928/83-84.—Whereas, I,
 A. PRASAD,
 being the Competent Authority under Section 269B of the
 Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
 to as the 'said Act'), have reason to believe that
 the immovable property having a fair market value
 exceeding Rs. 25,000,- and being
 flat No. 6 1st floor, B-Wing, Bldg. No. 23, Zalavad
 Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakravarty Road,
 Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E)
 and more fully described in the Schedule annexed hereto
 has been transferred
 under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office
 of the registering Officer at
 Bombay on 23-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair
 market value of the aforesaid property and I have reason to
 believe that the fair market value of the property as
 aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
 more than fifteen per cent of such apparent consideration and
 that the consideration for such transfer as agreed to between
 the parties has not been truly stated in the said instrument
 of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transferor to pay tax under the said Act, in
 respect of any income arising from the transfer;
 and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
 moneys or other assets which have not been or
 which ought to be disclosed by the transferee for the
 purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
 Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
 Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
 aforesaid property by the issue of this notice under sub-
 section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
 ing persons, namely:—
 426GI/84

(b) by any other person interested in the said immov-
 able property, within 45 days from the date of the
 publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
 are defined in Chapter XXXA of the said
 Act, shall have the same meaning as given
 in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, B-Wing, 1st floor, Bldg. No. 23, Zalavad
 Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakravarty Rd.,
 Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent
 Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1928/83-84.
 dt. 23-4-84.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV
 Bombay

Date: 12-12-1984
 Seal:

FORM ITNS

(1) M/s. Saral Enterprise.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Shah Arvindkumar Manilal.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. ARIV|37-EE|1449|83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD
being the Competent Authority
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. 3, ground floor, B-Wing, Bldg. No. 21, Zalavad
Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakravartthy Road,
Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E)
and more fully described in the schedule annexed hereto
has been transferred under the Registration Act, 1908, (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bombay on 12-4-84

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

Flat No. 3, ground floor, B-Wing, Bldg. No. 21, Zalavad
Jain Co-operative Housing Society, Ashok Chakrabarty Road,
Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1449|83-84,
dt. 12-4-84.

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957);

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons namely :—

Date : 12-12-1984.
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Woodland Construction Co.

(Transferor)

(2) Smt. S. Hirachand.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|2061|83-84.—Whereas, I,

A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 101, 1st floor, Gokul, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 20-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 101, 1st floor, Gokul, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|2061|83-84, dt. 20-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984.
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1881/83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and Shop No. 3, ground floor, Shiv Darshan plot bearing C.T.S. No. 366, S.V.P. Road, Opp. Municipal Garden, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Sec. 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 21-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Excel Builders. (Transferor)
- (2) M/s. Anita Gordhandas Chugh. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 3, ground floor, Shiv Darshan C.T.S. 366, S.V.P. Rd. Opp. Municipal Garden, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1881/83-84, Dt. 21-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM IINE

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Smt. Mayadevi D. Jhunjhunwala. (Transferor)
/
- (2) Mr. Nalinbhai J. Doshi. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1496|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 28, 2nd floor, Dattani Gram Bldg., No. 3, plot bearing C.T.S. No. 1319 & 1321 at village Kandivli, Mathuradas Road, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 28, 2nd floor Dattani Gram Bldg. No. 3 (proposed), plot bearing C.T.S. No. 1319 & 1321 at village Kandivli Mathuradas Road, Kandivli (W), Bombay 67

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37EE|1496|83-84, dt. 12-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984.

Seal:

FORM ITNS—

(1) M/s. Excel Builders. (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Becharbhai C. Makwana (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. AR-IV/37-EE/1350/83-84.—Whereas, I,

A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 2, ground floor, Shiv Darshan (Proposed), plot bearing C.T.S. No. 366, S.V.P. Road, Wandivli (W), Bombay-67

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 9-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

Shop No. 2, ground floor, Shiv Darshan Bldg. (proposed), plot bearing C.T.S. No. 366 at S.V.P. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1350, 83-84 dt. 9-4-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS—

(1) Smt. Ashri Chundal.

(Transferor)

(2) Shri Yusuf Hajiwali,
Mohammed & Isaq Hajiwali.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

The 10th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned.(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official GazetteRef. No. AR-IV|37EE|1698|83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,being the Competent Authority under Section 269B of the
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act') have reason to believe that the im-
movable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.Shop No. 27, ground floor, Shreeji Darshan C.T.S. No. 100
Survey No. 96, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 1-4-1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act
in respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely:—

118—426GI '84

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 27, ground floor Shreeji Darshan C.T.S. No. 100,
Survey No. 96, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67.The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. AR-IV|37-EE|1698|83-84
dt. 17-4-1984.A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

The 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/2082/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 5, 1st floor, E-Wing, Gulistan Apartment, S. V. Road, Dahisar (E), Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 27-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Western India Builders. (Transferor)
- (2) Shri Vali M. Maredia, People Co-op. Dairy Socy. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 60 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 5, 1st floor, E-Wing, Gulistan Apartment, S. V. Road, Dahisar (E), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide Serial No. AR-IV/37-EE/2082, 83-84, dt. 27-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Bombay.

Date : 10-12-1984
Seal :-

FORM ITNS

(1) Goyal Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Mohan Mukund Sail.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Dated 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1657/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. A-302, 3rd floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. A-302, 3rd floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1652/83-84 dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

The 10th December 1984

Ref. No. AR-IV|37-EE|1235|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 15, Day Ashish Bldg., Dev Ashish Co-op. Hsg. Socy. Ltd. Bharucha Road, Dahisar (E), Bombay-68 situated at Dahisar (E), (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 6-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Marappa Jaiappa Shetty. (Transferor.)
- (2) Shri Shambhubhai A. Patel. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 15, Devh Ashish Bldg Dev Ashish Co-op. Hsg. Socy. Ltd. Bharucha Road, Dahisar (E), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV|37-EE|1235|83-84 dt. 6-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

(1) Goval Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Kishore B. Dhayani.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of the 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30
days from the service of notice on the respective
persons, whichever period expires later;

Bombay, the 10th December 1984

(b) by any other person interested in the said immova-
ble property, within 45 days from the date of publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. AR-IV/37-EE/1658/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.
Flat No. A-402, 4th floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji
Road, Dahisar (E), Bombay-66 situated at Dahisar (E)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred and the agreement is registered under
section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
the Competent Authority,
Bombay on 16-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. A-402, 4th floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji
Road, Dahisar (E), Bombay-66.The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/165/
83-84 dt. 16-4-1984A. PRASAD
Competent AuthorityInspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act to the following
persons namely :—
72—426GI/84

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Space Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Mr. Dinesh N. Thakkar, Mr. Kantilal N. Thakkar.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

Bombay, the 10th December 1984

(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. AR-IV/37-EE/1663/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.
Shop No. A1-A-2, Housing Scheme, situated at Chhatrapati
Shivaji Marg, Dahisar (E), Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under
section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
the Competent Authority,
Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

THE SCHEDULE

Shop No. A-1-A-2/11, Housing Scheme situated at Chhatra-
pati Shivaji Marg, Dahisar (E), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1663/83-84
dt. 16-4-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

- | | |
|------------------------------|--------------|
| (1) Space Builders Pvt. Ltd. | (Transferor) |
| (2) Mrs. Santa Mathai. | (Transferee) |

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1664/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. A-1, A-2/12, Anand Nagar, Chhatrapati, Shivaji Marg, Dahisar (E), Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons; namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Shop No. A-1, A-2/12, Anand Nagar, Chhatrapati Shivaji Marg, Dahisar (F), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37EE/1664/83-84, dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1661/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. A-508, 5th floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Goyal Builders P. Ltd.

(Transferor)

(2) Shi Ram Keswani & Smt. Seema R. Keswani,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A-508, 5th floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37EF/1661/83-84, dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

- (1) M/s. Swati Builders. (Transferor)
 (2) Maniben Devrai Shah. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-FE/1565/83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 1, Ground floor, Sai Prasad Survey No. 79, Hissa No. 3-A-I, Chartrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 13-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

119—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later,
 (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 1, Ground floor, Bldg. Sai Prasad Survey No. 79, Hissa No. 3A-1, Chartrapati Shivaji Road, Dahisar East, Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1565/83-84 dt. 13-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Swati Builders.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Zaverben C. Gogri.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE-1567/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 2, in Bldg. Sai Prasad Survey No. 79, Hissa No. 3 A at Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer,

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 2, Bldg. Sai Prasad, Survey No. 79, Hissa No. 3-A I at Chhatrapathi Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1567/83-84 13-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) M/s Swati Builders

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Chapsi Khimji Gogri.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. AR-IV/37-EE, 1566/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 3, ground floor, Bldg, Sai Prasad Survey No. 79, Hissa No. 3-A-I Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay 13-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Shop No. 3, Ground floor, Sai Prasad Survey No. 79, Hissa No. 3-A-I Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar East, Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1566/83-84, dt. 13-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984

Seal :

THE SCHEDULE

FORM ITNS

- (1) Shri G. S. Ghabdia. (Transferor)
 (2) Shri J. D. Karedia. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1775/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearingShop No. 4, Bldg. B, Misquitta Nagar, Chhatrapati Shivaji
Road Dahisar (E), Bombay-68,
situated at Dahisar (E),(and more fully described in the scheduled annexed hereto)
has been transferred and the agreement is registered under
section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
the Competent Authority,
Bombay 19-4-1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Bldg. B, Misquitta Nagar, Chhatrapati Shivaji
Road, Dahisar (E), Bombay-68.The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1775, 83-84
dt. 19-4-1984.A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Western India Builders.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Noorimohamed Jiva Momin.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. AR-IV/37-EE 2079/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 8, E-Wing, 1st floor, Gulistan Apartment, S. V. Road, Dahisar (E) C.T.S. No. 1053/1 to 7 S. V. Road, Dahisar (E) situated at Dahisar (E), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 27-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8, E-Wing, 1st floor, Gulistan Apartment, S. V. Road, Dahisar (E) C.T.S. No. 1053/1 to 7 S. V. Road, Dahisar (E).

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/2079, 83-84 dt. 27-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

- (1) M/s Atul Constructions (Transferor)
 (2) Shri Ajit Ganesh Kulkarni. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
 INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
 COMMISSIONER OF INCOME-TAX
 ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. ARIV/37-EE/1693/83-84, Whereas, I.
 A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 64, 6th floor, Anant Apartment, Plot No. 791 Dahisar (W), Bombay-68, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 13-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 64, 6th floor, Anant Apartment, Plot No. 791 at Dahisar (W), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1693 83-84 dated 13-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1693/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Piece & parcel of land bearing S. No. 4 Hissa No. 3, S. No. 4 and Hissa No. 2, in Village Eksar, Borivli, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aruna Jamnadas,
Rajni Gopalji,
Meghji Devraj.

(Transferor)

(2) R.C. Thakkar, L.C. Thakkar,
K.L. & C.H. Sayata.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece & parcel of land bearing S. No. 4, Hissa No.3 and S. No. 4 and H. No. 2, Village Eksar, Borivli (W), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-FE/2310/83-84 dated 13-4-1984

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Sd/-

FORM TINS

- (1) M/s. Gayatri Impex Pvt. Ltd., (Transferor)
 (2) Shri Francis Fernandes (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref No AR-IV/37-EF/1691/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No 132, Hissa No 3, Village Eksar, Taluka Borivli, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Survey No. 132, Hissa No. 3, Village Eksar, Taluka Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1691/83-84 dated 13-4-1984

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 12-12-1984
 Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. R.K. Enterprises

(Transferor)

(2) M/s Pragati Construction Corpn.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1794/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Village Eksar Taluka Borivli Survey No. 132, Hissa No. 5-A(Part), C.T.S. No. 874(Part), Borivli, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 21-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Survey No. 132, Hissa No. 5-A(Part) C.T.S. No. 874(Part) at Village Eksar, Taluka, Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1794/83-84 dated 21-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December, 1984

Ref. No. AR-IV/-G/49/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the competent authority under Section 269B of the
Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe
that the immovable property, having a fair value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Land bearing Survey Nos. 8 to 13 (C.T.S. No. 1 to
6 and P 1 to 46) & Plot No. 21, 19, 44' Wide D.P. Road,
Village Megathane, Borivali (West) Bombay
situated at Borivali (E)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bombay,
at Bombay on 9-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transferor,
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to following
persons, namely:—

- (1) Shri Ram Nagar Trust No.1
1. Shri Chand Parmanand Hinduja &
2. Naraindas Kanayalal Hinduja, The
(Transferor)
- (2) M/s. B.P.T. Vijay Deep Co-op.
Housing Society Ltd.
(Transferee)
- (3) M/s. Eel Hotels &
Investments Ltd. &
2. M/s. Hinduja, Brothers Trust,
(Person in occupation of property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said Act,
shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered, Deed No.
234/78 and Registered with the Sub-Registrar, Bombay on
9-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) M/s. S.R. Construction Co.

(Transferor)

(2) M/s. C. J. Pinto

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

Ref. No. ARIV/37-EE/1451/83-84, Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 104, 1st floor, Sai Heaven, Gamdevi Rd., Off S.V. Road, Poisar, Kandivli (W), Bombay-67. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section, 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION : The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

THE SCHEDULE

Flat No. 104, 1st floor, Sai Heaven, Gamdevi Road, Off S. V. Road, Poisar, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1451/83-84 dated 12-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS—

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (1) M/s. Kamla Developments | (Transferor) |
| (2) Smt. Savitri Hatibansh Gupta | (Transferee) |
| (3) Transferee | (Person in occupation of property) |

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR IV/37-EE/1192/83-84—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No 111, Ramdeo Park, Chandavarkar Lane, Borivli (West), Bombay-92, situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within forty five days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No 111, Ramdeo Park, Chandavarkar Lane, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-FE/1192/83-84 dated 3-4-1984.

A PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s. Sohanlal & Sons
(Transferor)
- (2) Mr. Anil Ganpat Bhawe &
Mr. Vijay Ganpat Bhawe
(Transferees)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No AR-IV/37-EE/2046/83-84 —Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. B/208, 2nd floor, in Krishna Kamal Apartments, Govind Nagar, Sodawala Road, Borivli (West), Bombay-92, situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 19-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. B/208, 2nd floor in Krishna Kamal Apartments, Govind Nagar, Sodawala Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/2046/83-84 dated 19-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s. Sohanlal & Sons
(Transferor)
- (2) Mrs. Kalpana Ashok Naidu.
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No AR-IV/37-EE/2047/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. B/108, 1st floor in Krishna Kamal Apartments, Govind Nagar, Sodawala Road, Borivli (West), Bombay-92, situated at Borivli (West), (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 19-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No B/108, 1st floor in Krishna Kamal Apartments, Govind Nagar, Sodawala Road, Borivli (West), Bombay-92.
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/2047/83-84 dated 19-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984
Seal:

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1462/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. B/A, Ground floor in B-Wing, 'Alak-Nanda' Bldg., Village Eksar, S. No. 48 & 49, Off L. T. Road, Borivili (West), Bombay-92,

situated at Borvli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| (1) M/s. Mohan Constructions | (Transferor) |
| (2) Mr. Fernando M.A. Menezes | (Transferee) |
| (3) Transferor | (Person in occupation of property) |

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B/A, Ground floor in B Wing, 'Alak-Nanda' Bldg., Village Eksar S. No. 48 & 49 Off L.T. Road, Borivili (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1462/83-84 dated 12-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM L.T.N.S. ———

- (1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd.
(Transferor)
- (2) M/s. Yashodaben Vitthalbhai Patel &
Hiralaxmiben Chhotubhai Shah
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1134/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 24, Ground floor of Wing A-7, Rattan Nagar Scheme,
Borivali (East), Bombay-66,
situated at Borivali (East),
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under
Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
the Competent Authority
at Bombay on 23-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act
in respect of any income arising from the transferor,
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
**45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;**
- (b) by any other person interested in the said immova-
ble property, within 45 days from the date of
the publication of this notice in the Official
Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein at
are defined in Chapter XXXA of the said Act,
shall have the same meaning as given in
that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 24, Ground floor of Wing A-7, Rattan Nagar
Scheme, Borivali (East), Bombay-66.
The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1134/83-84
dated 23-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| (1) M/s. Mohan Constructions | (Transferor) |
| (2) Mr. Mansukhlal Girdharlal Joshi | (Transferee) |
| (3) Transferor | (Person in occupation of property) |

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1459/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. B/102, 'Alak-Nanda' Bldg., Near Bhandarkar Hospital, Off L.T. Road, Village Eksar, Taluka Borivli, S. No. 48 & 49, Borivli (West), Bombay-92, situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority

on Bombay on 12-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—
121—426G1/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B/102, 'Alak-Nanda' Bldg., Near Bhandarkar Hospital Off L.T. Road, Village Eksar, Taluka Borivli, S. No. 48 & 49, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1459/83-84 dated 12-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (1) M/s. Mohan Constructions. | (Transferor) |
| (2) Shri Sudhir Raghunath Salvi. | (Transferee) |
| (3) Transferor. | (Person in occupation of property) |

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1461/83-84.—Whereas I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 204, 2nd floor, in 'B' Wing, 'Alaknanda' Bldg., Village Eksar, S. No. 48 & 49, Taluka Borivli (West), Off. L. T. Road situated at Borivli (West), Bombay-92

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 204, 2nd floor in 'B' Wing, 'Alak-Nanda' Bldg., Village Eksar, S. No. 48 & 49, Taluka Borivli, Off. L. T. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1461/83-84 dt. 12-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s. Mohan Constructions. (Transferor)
 (2) Shri Vasudeo Narayan Tankkar. (Transferee)
 (3) Transferor. (Person in occupation of property)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
 INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
 COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1466/83-84.---Whereas I,

A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. B-103, 1st floor in 'B' Wing, 'Alak Nanda' Bldg., Village Eksar, S. No. 48 & 49, Taluka Borivli, Off. L. T. Road, Borivli (W), Bombay situated at Borivli (West), Bombay-92

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:--

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-103, 1st floor in 'B' Wing, 'Alak-Nanda' Bldg., Village Eksar, Survey No. 48 & 49, Taluka Borivli, Off. L. T. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1466/83-84 dt. 12-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s. Kamla Developments. (Transferor)
 (2) Shrimati Bhawna K. Mehta & Shri Rohit J. Vora. (Transferee)
 (3) Transferees. (Person in occupation of property)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/2077/83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plat No. 411, Ramdeo Park, Chandavarkar Lane, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 27-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 411, Ramdeo Park, Chandavarkar Lane, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/2077/83-84 dt. 27-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM ITNS—

- (1) M/s. Kamla Developments. (Transferor)
 (2) Shri Deepak Ravishankar Jani. (Transferee)
 (3) Transferee. (Person in occupation of property).

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/2076/83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 611, Ramdeo Park, Chandavarkar Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 27-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 611, Ramdeo Park, Chandavarkar Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/2076/83-84 dt. 27-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Vijay Nagar Corporation.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Mrs. Harshada R. Vasani &
Mrs. Kashibai N. Vasani.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1713/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. B/602, Bldg. E 20, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivali (West), Bombay-92 situated at Borivali (West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. B/602, Bldg. No. E 20, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1713/83-84 dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. Vijay Nagar Corporation. (Transferor)
 (2) Mr. Bharat Jatashanker Vyas & Mr. Jatashankar M. Vyas. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/4300/83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. B/601, Bldg. No. E-20, Yogi Nagar, Ekasar Road, Borivali (West), Bombay-92 situated at Borivali (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 7-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. B/601, Bldg. No. E-20, Yogi Nagar, Ekasar Road, Borivali (West), Bombay-92.
 The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/4300/83-84 dt. 7-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
 Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. S. A. Contractor & Co. (Transferor)
 (2) Shri Vithal Hardas Nakrani. (Transferee)
 (3) Transferor. (Person in occupation of property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1645/83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 10, Ground floor of Samarpan 'B' Bldg., at Daulat Nagar, Road No. 3, Borivili (East), Bombay situated at Borivili (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 10, Ground floor of Samarpan 'B' Bldg., at Daulat Nagar, Road No. 3, Borivili (East), Bombay.
 The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1645/83-84 dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s. Tanna Enterprise. (Transferor)
 (2) Shri Maneklal Premchand Shah & Smt. Jaswantiben M. Shah. (Transferee)
 (4) Transferor. (Person whom the undersigned knows to be interested in property)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1082/83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Shop No. 3, Anand-B Building, Carter Road No. 4, Borivli (East), Bombay-66 situated at Borivli (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

22-426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 3, Anand-B Building, Carter Road No. 4, Borivli (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1082/83-84 dt. 1-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s. Sky-Build Pvt. Ltd. (Transferor)
 (2) Mrs. Niranjanaben Vasantrai Doshi. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
 INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/4267/83-84.—Whereas I,
 A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of
 the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
 to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
 able property, having a fair market value exceeding
 Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 1304, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1, T.P.S.I.,
 Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
 has been transferred and the agreement is registered under
 section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
 the Competent Authority,
 Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair
 market value of the aforesaid property, and I have reason to
 believe that the fair market value of the property as aforesaid
 exceeds the apparent consideration therefor by more than
 fifteen per cent of such apparent consideration and that the
 the consideration for such transfer as agreed to between the
 parties has not been truly stated in the said instrument of
 transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transferor to pay tax under the said Act, in
 respect of any income arising from the transfer;
 and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
 moneys or other assets which have not been or
 which ought to be disclosed by the transferee for
 the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
 Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
 Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
 aforesaid property by the issue of this notice under sub-
 section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
 ing persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
 may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period
 of 45 days from the date of publication of this
 notice in the Official Gazette or a period of 30 days
 from the service of notice on the respective persons,
 whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
 able property, within 45 days from the date of the
 publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here as
 are defined in Chapter XXXA of the said
 Act, shall have the same meaning as given
 in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1304, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1, T.P.S.I.,
 Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent
 Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/4267/83-84
 dt. 12-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM ITNS—

- (1) M/s. Sky-Build Pvt. Ltd. (Transferor)
 (2) Mr. Chimanlal N. Shah & Others. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/2043/83-84.—Whereas I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing Flat No. 202, "Kasturbaug", Plot No. 24, B/1, T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 26-4-1984 for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 202, "Kasturbaug", Plot No. 24, B/1, T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/2043/83-84 dt. 26-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

- (1) Mr. Nemchand Motilal Porwal,
(Transferor)
- (2) Mr. Prafulchandra Mansukhlal Shah.
(Transferee)

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1849/83-84.—Whereas I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.

Flat No. 302, 'Girnar' Apartments, 3rd floor, Off. Mandpe-
shwar Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli
(West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under
section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
the Competent Authority,
Bombay on 21-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 302, 'Girnar' Apartments, 3rd floor, Off. Mandpe-
shwar Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1849/83-84
dt. 21-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Smt. Bhanuben Paresh Shah. (Transferor)
- (2) 1. Smt. Lata Arvind Shah &
2. Shri Kishor Babulal Shah. (Transferee)
- (3) Transferees & their Families,
(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/4268/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 10, Bldg. E, 3rd floor of Borivli Madhav Baug Co-op. Hsg. Society Ltd., Jambli Galli, S. V. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of —

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under that said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

Flat No. 10, Bldg. E, 3rd floor of Borivli Madhav Baug Co-operative Hsg. Socy. Ltd., Jambli Galli, S. V. Road, (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/4268/83-84, dt. 12-4-1984.

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1984.
Seal :

FORM ITNS—

- (1) Shri Mahendrakumar S. Khandelwal. (Transferor)
 (2) Shri Kishorekumar Veerchand Shah & Shri Mukeshkumar Veerchand Shah. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|4270|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 501, 5th floor, 'Jayesh Apartments', Chandawarkar Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 27-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires late;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 501, 5th floor, 'Jayesh Apartment', Chandawarkar Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|4270|83-84, dt. 27-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1984.
Seal :

FORM I.T.N.S.—

- (1) Smt. Kavita Amarlal Makhija. (Transferor)
 (2) M/s. Yogi Nagar Society Stores. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
 INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
 COMMISSIONER OF INCOME-TAX
 ACQUISITION RANGE-IV.
 BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1375/83-84.—Whereas, I,

A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 6, Building No. D-27, Ground floor, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the scheme annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 6, Building No. D-27, Ground floor, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1375/83-84, dt. 12-4-1984

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV
 Bombay

Date: 10-12-1984.
 Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|4257|83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Shop No. 4, Building No. D|28, Yogi Nagar, Eksar
Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred
and the agreement is registered under section 269AB of the
Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,
Bombay on 7-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

(1) Shri Usmanbhai Ismailbhai Mavadia.
(Transferor)

(2) Shri Jashubhai Ranchodbhai Patel.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Building No. D|28, Yogi Nagar, Eksar Road,
Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|4257|83-84,
dt. 7-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri Badrudin Sheikh Mistry. (Transferor)
- (2) Smt. Seema Ashok Shah. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December, 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1343/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. A104, 1st floor, Bldg. Poppy Co-op. Hsg. Society Ltd., Ram Nagar, S. V. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (West) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 7-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. A/104, 1st floor, Bldg Poppy Co-op. Hsg. Society Ltd., Ram Nagar, S. V. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1343/83-84, dt. 7-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by this issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

123—426GI/84

Date : 10-12-1984.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1200/83-84.—Whereas, I, **A. PRASAD** being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 211, 2nd floor, Sita Park, S. V. P. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri Ramlal Mathuradas &
2. Smt. Chanandevi Ramlal. (Transferor)
- (2) 1. Shri Rajendra Ramniklal Shah &
2. Smt. Saroj Bharat Shah. (Transferee)
- (3) Transferors. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 211, 2nd floor, Sita Park, S. V. P. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1200/83-84, dt. 5-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1984.
Seal :

FORM ITNS

(1) Mr. Naresh Nanubhai Lakdawala & Mrs. Asha Naresh Lakdawala.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs. Pratibha Bharatbhai Kothari & Mrs. Smita Harshadbhai Kothari.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. ARIV/37-EE/1612/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat No. A/8, Ganga Jamuna Co-op. Hsg. Society, L. T. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. A/8, Ganga Jamuna Co-op. Hsg. Society, L. T. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1612/83-84, dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following

Date : 10-12-1984.

FORM ITNS

(1) M/s. Jay Raj Builders.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Maurice D'souza Jt. Angeline D'souza.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1316/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 16, 6th floor in "Jay-Shree Apartments", at Jay-Raj Nagar, Vazira Naka, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 7-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 16, 6th floor in "Jay-Shree" Apartments, at Jay-Raj Nagar, Vazira Naka, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1316/83-84, dt. 7-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984.
Seal :

FORM IINS

(1) M/s. B. R. Enterprises.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs. Baby V. Kotian.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/2044/83-84.--Whereas, I,

A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Shop No. 4, Ground floor, Silverine Apartments, I.C. Colony, Road, Borivli (West), Bombay-103 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at

Bombay on 26-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Ground floor, Silverine Apartments, I. C. Colony Road, Borivli (W), Bombay-103.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/2044/83-84 dt. 28-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984.

FORM TINE

- (1) M/s. Arun International. (Transferor)
 (2) Mr. Herman Alexander & Mr. Jude Alexander. (Transferee)
 (3) Sellers. (Person in occupation of property)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1061|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. E|20, 4th floor, Saibaba Dham, off S. V. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 2-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given to that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. E|20, 4th floor, Saibaba Dham, Off S. V. Road, Borivli (W), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1061|83-84, dt. 2-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-

Date: 10-12-1984.

FORM ITNS

- (1) M/s. Gautam Builders (India) (Transferor)
 (2) Mrs. Celine Nicholas Pinto & Mr. Wilfred Taur. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1510/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. 201, 2nd floor, Bldg. 'Vishal-I', S.V. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at

Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201, 2nd floor, Bldg. 'Vishal-I', S. V. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1510/83-84 dt. 12-4-84.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM ITNS

- (1) M/s. Deepak Constructions
(Transferor)
- (2) Shri Prabhakar Ramchandra Khandekar
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1571/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 42, Prembhanu Apartment, I.C. Colony Cross Road No. 4, I.C. Colony, Borivli (West), Bombay-103 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 12-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 42, Prembhanu Apartment, I.C. Colony Cross Road, No. 4, I.C. Colony, Borivli (West), Bombay-103.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1571/83-84 dt. 12-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1479/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. B-31, 2nd floor, "Lucky Star Apartment", Bldg. No. 2, S. No. 99, Hissa No. 3, CTS. Nos. 1509 & 1512, Near Shanti Ashram, Eksar, Borivli (W), Bombay-103 situated at Borivli (West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

124—426GI/84

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) M/s. M. J. Ganatra & Co. | (Transferor) |
| (2) Shri Kishanchand Gokaldas Bhatia | (Transferee) |
| (3) Nil | (Person in occupation of the property) |
| (4) Transferor | (Person whom the undersigned knows to be interested in property) |

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-31, 2nd floor, "Lucky Star Apartment" Building No. 2, S. No. 99, Hissa No. 3, CTS Nos. 1509 & 1512, Near Shanti Ashram, Eksar, Borivli (West), Bombay-103.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1479/83-84 dt. 12-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM LT.N.S.—

(1) M/s. Yasmin Associates

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Neduvejil Cheriyan Nicholas

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Transferor

(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. ARIV/37-EE/2032/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No B/001, Ground floor, Bldg. No. 16, Eskay Apts, Saibaba Nagar, Borivli (Wcst), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 26-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. B/001, Ground floor, Bldg. No. 16, Eskay Apts, Saibaba Nagar, Borivli (Wcst), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/2032/83-84 dt. 26-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1233/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter
referred to as the 'said Act') have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 401, 4th floor, Shyamkrupa No. 1 Bldg., Eksar
Village Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli
(W)
(and more fully, described in the Scheduled annexed hereto),
has been transferred
and the agreement is registered under section 269AB of the
Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 6-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) M/s. Vijay Co. | (Transferor) |
| (2) Shri Samir Harishchandra Mali | (Transferee) |
| (3) Nil | (Person in occupation of the property) |
| (4) Transferor | (Person whom the undersigned knows to be interested in property) |

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
were defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 401, 4th floor, Shyamkrupa No. 1 Bldg., Eksar
Village Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No ARIV 37-EE/1233/83-84
dt. 6-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Trimurty Constructions

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Nandakumar D. Lad

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1191/83-84.—Whereas I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 209, 2nd floor Rohan Apartment, Naya Gaon Plot No. 5, Mandapeshwar Road, Borivli, Bombay-92 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 209, 2nd floor, Rohan Apartment, Naya Gaon Plot No. 5, Mandapeshwar Rd, Borivli, Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1191/83-84 dt. 3-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS—

(1) M/s. Trimurthi Construction

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Ignatius Joseph

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1033|83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 207, 2nd floor, Revenue village, S. No. 8, pt. 5, S. No. 3, H. No. 1 Pt and S. No. 3, H. No. 3 Pt. Mandpeshwar Taluka, Borivli. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 1-4-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 207, 2nd floor, Revenue Village, S. No. 8, Part 5, S. No. 3, H. No. 1 pt & survey No. 3, Hissa No. 3 pt. Mandapeshwar, Taluka, Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1033|83-84 dt. 1-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS—

(1) M/s. Trimurthi Construction

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Dushyan B. Mahale & Mrs. U. D. Mahale.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE, 1031/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 106, 1st floor, Revenue village, Plot bearing S. No. 8, Part, 5, S. No. 3, H. No. 1 Pt. and S. No. 3 (pt.), Mandapeshwar Taluk, Borivli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 1-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 106, 1st floor, Revenue Village, S. No. 8, pt. 5, S. No. 3, H. No. 1, Mandapeshwar Taluka, Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1031/83-84 dt. 1-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Trimunthi Construction (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Hazal D'sa. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1034/83-84.—Whereas I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. flat No. 307, 3rd floor, Revenue Village S. No. 8, pt. 5, S. No. 3, H. No. 1 pt. and S. No. 3 H. No. 3, Mandapeshwar Taluka, Borivli,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 307, 3rd floor, plot bearing S. No. 8, part 5, S. No. 3, H. No. 1, Pt. and S. No. 3, H. No. 3, Mandapeshwar Taluka, Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1034/83-84 dt. 1-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) M/s. Trimuthi Constnuction

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Melville D'sa

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1032/83-84.—Whereas, I, A.
PRASTD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 306 on 3rd floor at Revenue Village Mandpeshwar Taluka, Borivli, plot bearing survey No. 8, part 5, situated at Borivli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 306, 3rd floor, at Revenue Village, Survey No. 8, Part 5, Survey No. 3, Hissa No. 1 Part & S. No. 3, H. No. 3 (Port), Mandreshwar Taluka, Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1032/83-84 dt. 1-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal ;

FORM ITNS

(1) Mr. A. P. Nadekarni

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

(2) Dr. J. M. Phadtare

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1076/83-84.—Whereas I, A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat No. 3, 2nd floor, of B-Block, "Sunil", F, Plot No. 653, T.P.S. 3, Borivali, Shimpoli Road, Borivali (West), Bombay-92.

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

125—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. B/3, 2nd floor, "Sunil" F, Plot No. 653, T.P.S. 3 Borivali, Shimpoli Road, Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1076/83-84 dt. 2-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

Seal:

FORM ITN6

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1932/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Village Eksar, Taluka Borivli, Bearing Survey No. 225, Hissa No. 5A, Bearing City Survey No. 2213, situated at Borivli (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 23-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Mangal Builders (Transferor)
(2) Shri S. T. Murkar & Anr. (Transferee)
(3) Nil. (Person in occupation of property)
(4) Shri Yashi Kamruddin Khan (Person whom the undersigned knows to be interested in property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Village Eksar, Taluka Borivli, Survey No. 225, Hissa No. 5A, Bearing City Survey No. 2213.
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1932/83-84 dt. 23-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984
Seal:

FORM ITNS————

(1) M/s. Raghuvanshi Developers

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Miss Pratibha N. Bhagat,
Dushyant N. Bhagat, Miss Kalpana N. Bhagat, and
Mrs. Usha N. Bhagat.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAYObjections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Bombay, the 10th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publica-
tion of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. ARIV/37-EE/1236/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 204, 2nd floor, Ma Krupa, Rughani Park, Shimpoli Road, Borivli, Bombay 92, situated at Borivli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 6-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 204, 2nd floor, Ma Krupa Park, Shimpoli Road, Borivli, Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1236/83-84 dt. 6-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Build Quick

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Miss V. L. Joshi and Miss S. L. Joshi

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1670/83-84.—Whereas I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

No. Block No. 33, Mohar Apartment, Plot bearing CTS No. 71 & 221, Penkar Wadi; L.T. Road, Borivali (West) Bombay-92, situated at Borivali (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 33, Mohar Apartment, Plot Bearing CTS No. 71 & 221, Penkar Wadi, L.T. Road, Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1670/83-84 dt. 1-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

(1) M/s. Build Quick

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Deepak Narayan Juvekar & Mr. Narayan.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1771/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Block No. 24, CTS No. 71 & 22, Penkar Wadi, L. T. Road, Borivali (West), Bombay-92 situated at Borivali (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 19-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 24, CTS No. 71 & 221, Penkar Wadi, L.T. Road, Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/177/83-84 dt. 19-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Ma. Sky-Build Pvt. Ltd.

(Transferor)

(2) Mrs. Divyaben Virendra Patel & Others.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1637/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 1206, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I. Borivli (West), Bombay-92. situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 16-1-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1206, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I. Borivli (West), Bombay -92. The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1637/83-84 dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant of Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM IINS-----

(1) M/s. Sky-Build Pvt. Ltd.

(Transferor)

(2) Mrs. Vatsala Ramesh Modi

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. ARIV/37-EE/1318/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 606, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 7-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Flat No. 606, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1318/83-84 dt. 7-4-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Sky-Build Pvt. Ltd.

(Transferor)

(2) Mrs. Kamalabai Motisa Barad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1317/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingFlat No. 502, 'Kasturbaug', Plot No. 24,
B/1 T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92
situated at Borivli (West)(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered
under section 269AB of the Income-tax Act, 1961,
in the office of the Competent Authority, Bombay
on 7-4-1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 502, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I.,
Borivli (West), Bombay-92.The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1317/
83-84 dt. 7-4-1984.A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
BombayNow, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue for this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS—

- (1) Sky-Build Pvt. Ltd. (Transferor)
 (2) Mr. Vasantbhai Manilal Doshi. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1319/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 1305, "Kasturbaug", Plot No. 24, B/1 T.P.S.I., Borivali (West), Bombay-92, situated at Borivali (West) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 7-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

126—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1305, "Kasturbaug", Plot No. 24, B/1 T.P.S.I., Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1319/83-84 dt. 7-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS

- (1) Mr. Hamid Ali Abdul Majid. (Transferor)
 (2) Mr. Krishana Kumar Soti. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
 COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
 BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-FE/2052/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 2, 1st. floor of Jai Gurudev Bhavan Eksar Road, Borivali (West), Bombay-92, situated at Borivali (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 19-3-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2, 1st floor of Jai Gurudev Bhavan, Eksar Road, Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/3052/83-84 dt. 19-4-1984.

A. PRASAD
 Competent Authority
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
 Acquisition Range-IV
 Bombay

Date : 10-12-1984
 Seal :

FORM IINS

(1) M/s. Correa Investments,

(Transferor)

(2) Mr. C. A. Noronha,

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/4261/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. 1 & 2, Ground floor, Williamsburg Apartments, I.C. Colony, Borivli (West), Bombay-103, situated at Borivli (West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1 & 2, Ground floor, Williamsburg Apartment, I.C. Colony, Borivli (West), Bombay-103.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/4261/83-84, dt 2-4-1984

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV
Bombay

Date: 10-12-1984

Seal:

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/57-EE/1812/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 605, 6th floor, Neeldhara Apartment, Devidas Rd., Borivli (West), Bombay-92, situated at Borivli (West) (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AD of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Pragati Corporation, (Transferor)
(2) Mr. Makrand R. Patel. (Transferee)
(3) Transferor. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 605, 6th floor, Neeldhara Apartment, Devidas Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1812/83-84 dt 12-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1716/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 11, 1st floor, "Shanti Dham" Bldg, Plot No. A, bearing C.I.S. No. 1508, Village Eksar at Borivali (West), Bombay-92 situated at Borivali (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Build Arts. (Transferee)
(2) Sumatiben Chhaganlal Shah. (Transferor)
(3) Transferor. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 11, 1st floor, "Shanti Dham" Building, Plot No. A, Bearing C.I.S. No. 1508, Village Eksar at Borivali (W), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1716/83-84 dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date: 10-12-1984
Seal:

FORM ITNS

(1) Roshan Enterprises.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr Abdul Hanif Babu Wankar.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No AR-IV/37 EE/1217/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 401, 4th floor, E-Wing, Roshan Apartment, 4th Kasturba Road, Plot No. 68, Borivali (East), Bombay situated at Borivali (East) (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No 401, 4th floor, F-Wing, Roshan Apartment, 4th Kasturba Road, Plot No. 68, Borivali (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No AR-IV/37-EE/1217/83-84 dt 5-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Roshan Enterprises.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Mohmed Siddique H. H. Bhaggal and
Shri Mohammad Yunus H. H. Bhaggal.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAYObjections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Bombay, the 10th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons.
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.Ref. No. AR-IV/37-EE/1216/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.Flat No. 201, 2nd floor,
E-Wing, Roshan Apartment, 4th Kasturba Road, Plot No.
68, Borivali (East), Bombay situated at Borivali (East)
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred and the agreement is registered
under section 269AB of the Income-tax Act, 1961,
in the office of the Competent Authority, Bombay
on 5-4-1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason
to believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act.
in respect of any income arising from the transfer;
~~and/or~~(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for the
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 201, 2nd floor, E-Wing, Roshan Apartment, 4th
Carter Road, Plot No. 68, Borivli (East), Bombay-66.The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1216/
83-84 dt. 5-4-1984.A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
BombayNow, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS

(1) M/s Param Anand Builders Pvt Ltd
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr Satish Jay Singh Rane & Jayshree J Rane
(Transferee)GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

Bombay, the 10th December 1984

Ref No AR-IV/37 EL/1584/83 84 —Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No 27, 1st floor, Bldg No 9, 9, 10 'Ratan Nagar Scheme at Borivli (East), Bombay 66, situated at Borivli (East), (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority, Bombay on 21-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

Flat No 27 1st floor Bldg No 8 9, 10 'Rattan Nagar Scheme at Borivli (East), Bombay 66

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No AR-IV/37 EE/1584/83 84 dt 21-4-1984

A PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date 10-12-1984
Seal

FORM ITNB

(1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Smita Yogesh Upadhyaya.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. AR-IV/37-EE/1059/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 24-B, 3rd floor, Bldg. No. 13 'Ratan Nagar Borivali (East)', Bombay-66, situated at Borivli (East), and more fully described in the Schedule annexed hereto, has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 1-4-1984

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Flat No. 24-B, 3rd floor, Bldg. A-13, Rattan Nagar, Borivli (East), Bombay-66.
Scheme' at Borivli (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1059/83-84 dt. 21-4-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 10-12-1984

Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

(2) Mr. Dhirajlal Bhavanki Shah.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1260/83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Shop No. 4 Ground floor, Bldg. Rattan Nagar Scheme at Borivli (East), Bombay-66 situated at Borivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 6-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Ground floor, Bld. "Rattan Nagar" Scheme, Borivli (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1260/83-84 dt. 6-4-1984

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Mangla Ben N. Thakkar and
Navnitlal N. Thakkar.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAYObjections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Bombay, the 10th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter

Ref. No. AR-IV/37-EE/1866/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 48, 1st floor in the Bldg.
8, 9, 10 of the 'Rattan Nagar' Scheme at Borivli (East),
Bombay-66, situated at Borivli (East)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred and the agreement is registered
under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961,
in the office of the Competent Authority, Bombay
on 21-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefore by more than
fteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer
with the object of :—

(b) facilitating the concealment of any income or any
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 48, 1st floor in the Bldg. 8, 9, 10 of 'Rattan
Nagar' Scheme at Borivli (East), Bombay-66.The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1866/
83-84 dt. 21-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1935/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 4, Ground floor, Bldg. A-7, 'Rattan Nagar' Scheme at Borivli (East), Bombay-66, situated at Borivli(E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 23-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd. (Transferor)
- (2) Mrs. Malvikaben Himanshu Desai & Hiralaxmi Chhotubhai Shah (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 4, Ground floor, Bldg. A-7, 'Rattan Nagar' Scheme at Borivli (E), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1935/83-84 dt. 23-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Bombay

Date: 10-12-1984
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd.
(Transferor)
- (2) Mr. Chandrakant J. Sarvaiya &
Mr. Milan C. Sarvaiya
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1058/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Shop No. 4, Ground floor, Bldg. No. A-13, Rattan Nagar, Borivli (East), Bombay-66 situated at Borivli (East) Bombay-66 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section-269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Ground floor, Bldg. No. A-13, Rattan Nagar, Borivli (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1058/83-84 dt. 1-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 10-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Nagindas H. Rupani

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Priti N. Sutaria

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1863/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter
referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearingFlat No. 106, Bldg No. D/24, Yogi Nagar, Eksar
Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli
(West)(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred and the agreement is registered under
Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
the Competent Authority,

Bombay on 21-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transferor,
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of
the aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-
ing persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immov-
able property, within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 106, Bldg. No. D/24, Yogi Nagar, Eksar Road,
Borivli (West), Bombay-92

The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1863/83-84
dt. 21-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(1) Shri Suresh Navalchand Shah &
Kaushika Suresh Shah

(Transferor)

(2) Shri Jayantilal Kanji Dedhia &
Smt. Prabhaben Jayantilal Dedhia.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref No. ARIV/37EE/1771/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No 74, in 'R' Wing, of Building C 2, Mahavir Nagar, Shankar Lane, Kandivli (West), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 19-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 74, in 'R' Wing of Bldg. C 2, Mahavir Nagar, Shankar Lane, Kandivli (West), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1771/83-84 dt. 19-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS-----

(1) M/s. Suatram Gopaldas

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Mr. Suresh S. Bachwani &
Mr. Kishore S. Bachwani

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. ARIV/37EE/1171/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
Unit No. 19 on 1st Floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial
Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivali (East), Bombay
situated at Kandivali (E)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under
Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
the Competent Authority,
Bombay on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

THE SCHEDULE

Unit No. 19 on 1st floor 'D' Wing, Bonanza Industrial
Estate, Ashok Chakarvarty Road, Kandivali (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1171/83-84
dt. 3-4-1984.

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Suratram Gopaldas

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Mr. Suresh S. Bachwani
& Mr. Kishor S. Bachwani

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. ARIV/37EE/1170/83-84.—Whereas I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Unit No. 18 on 1st floor 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakarvarty Road, Kandivli (East), Bombay situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 3-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are dened in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Unit No. 18 on 1st floor 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakarvarty Road, Kandivli (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1170/83-84 dt. 3-4-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
128—426GI/84

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri Lachmandas G. Manglani
(Transferor)
- (2) R. D. Family Trust
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1131/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Unit No. D-2, Ground floor, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given a that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. D-2, Ground floor, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (E), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1131/83-84 dt. 2-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Bombay

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Mrs. Bharti R. Jethani

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Mr. Dinkar Soma Malkar,
Mr. Deepak Dinkar Malkar &
Master Ravindra Dinkar Malkar

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1198/83-84.—Whereas, I,
A. PRASAD,being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingUnit No. 16, on 1st floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial
Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay,
situated at Kandivli (E)(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under
section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
the Competent Authority,
Bombay on 3-4-1984for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of 30 days
from the service of notice on the respective persons
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property, within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 16 on 1st floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial
Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay.The agreement has been registered with the Competent
Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1198/83-84
dt. 3-4-1984.A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 12-12-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1448/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Unit No. 23 on 2nd floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Suratram Gopaldas (Transferor)
- (2) M/s. Metareacts (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 23 on 2nd floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1448/83-84 dt. 12-4-1984

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Bombay

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM ITNS

(1) Mr. Kishinchand
Motumal Jeswani

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Kamal Chokshi, HUF.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1199/3-4.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Unit No. 37 on 1st floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay situated at Kandivli (E) (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 3-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
129—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 37 on 1st floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1199/83-84 dt. 3-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date : 12-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) M/s. Suratram Gopaldas.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Mech Engineer

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1169/3-84—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Unit No. 24 on 2nd floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 3-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

Unit No. 24 on 2nd floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1169/83-84 dt. 3-4-1984.

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 12-12-1984

Seal :

FORM ITNS.—

(1) Sri Syam Sunder Chowdary, 14-1-304,
Lower Dhoolpet, Hyderabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Sri P. Laxminarayana, & Other,
H. No. 5-9-30, Basheerbagh, Hyderabad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 851/84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred
to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immoveable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 5-9-30 situated at Basheerbagh Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the Indian
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Re-
gistering Officer at Hyderabad on 4/84
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reason to
believe that the fair market value of the property, as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
**45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;**
- (b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said act, or the Wealth-tax
Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

House property bearing No. 5-9-30 at Basheerbagh, Hydera-
bad registered by S.R.O., Hyderabad vide document No.
2225/84.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following
persons, namely :—

Date : 15-12-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Tirumala Towers, Golconda X Roads, Hyderabad
Rep. by Sri S. Chandiah, 1-1-593/C,
Gandhinagar, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Smt. K. A. Suvarna Lakshmi,
Flat No. 18, Golconda X Roads,
D. No. 1-10-1011, Hyderabad. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 852/84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Tirumala Towers, Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chikkadpally on 4/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned:

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat in Tirumala Towers, Golconda X Roads, Hyderabad admeasuring 1100 sft., registered by the S.R.O. Chikkadpally vide document No. 319/84.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date: 15-12-1984
Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Smt. Sita Bai, W/o Late Ramchandra Paranjape,
1-8-534, Chikkadpally, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Sri T. Krishna Murthy, 4-8-278, Gowliguda,
Hyderabad. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 853/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 296B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Chikkadpally Hyderabad (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 4/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

House property admeasuring 731 sq. yds. of land area and 1085 sft., plinth area registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 2039/84 and 1993/84 and 2022/84.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 15-12-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 354/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Kakinada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 4/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. P. Seetharamanjaneyamma,
W/o Venkateswara Rao, 67-16-4,
Kakinada. (Transferor)
- (2) Smt. S. Indira, D/o Chinnammal,
D. No. 67-16-4, Ramanaiahpetta, Lalbahadurnagar,
Kakinada. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 67-16-4, Kakinada admeasuring 561 sq. yds. of land area and 1033 sft., Madras terrace 170 sft. ACC and 144 sft., Manglore tiles registered by the S.R.O., Kakinada vide document No. 3472/84.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date: 15-12-1984
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Dr. K. Ramalingeswara Rao,
Jayakrishnapuram, D. No. 25-8-7, Rajahmundry.
(Transferor)
- (2) Smt. S. Lalitha Manikyam,
and other, 28-1-16, Kakinada, E.G. Dt.,
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 355/84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No. House situated at Kakinada (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 4/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of hte liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 27-3-16, Vajapeyajulvari Lane, Kakinada registered by the S.R.O. Kakinada vide document No. 2806/84.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 15-12-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
KALATHIPARAMBU ROAD
ANAND BAZAAR, COCHIN 682 016

Cochin the 24th November 1984

Ref. No. L.C. 700/84-85—Whereas, J. B. RAVIBALAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing No.

as per schedule situated at Pathiyoor Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Kayamkulam on 11-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Radhakrishna Kurup & Gopalakrishna Kurup,
Choorakkattu Veedu,
Eruva P.O. (via) Kayamkulam

(Transferor)

(2) Shri K. K. Bhaskaran,
VI/251, Kuttlayyathu House,
Pathiyoor West Karikkad,
P.O. (via) Kayamkulam

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

50 cents of land in Sy. No. 5069 of Pathiyoor Village, registered in SRO, Kayamkulam vide document No. 1203/84, dated 11-4-1984.

B. RAVIBALAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Ernakulam

Date: 20-11-1984.
Seal: